भारत की बढ़ती

ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हुए

MCL

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी)

www.mahanadicoal.in



वार्षिक रिपोर्ट
तथा लेखा

2023-24

संकल्पना

“खदान से बाजार तक सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों का पालन करते हुए विश्व के अग्रणी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में उभरना”





लक्ष्य

“सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए कुशलतापूर्वक और मितव्ययता के साथ पर्यावरण हितैषी तरीके से योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं कोयला उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन करना”



सूची

1.	प्रबंधन /बैंकर्स/लेखा परीक्षक	0-02
2.	ग्राफ़	03-06
3.	विगत 10 वर्षों के प्रमुख वित्तीय आंकड़ें	07-07
4.	सूचना	08-11
5.	अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य	12-14
6.	निदेशकों के प्रतिवेदन	15-76
7.	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	77-86
8.	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	87-90
9.	निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	92-94
10.	कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र	95-102
11.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	103-105
12.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	106-119
13.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	120-148
14.	तुलन पत्र	149-151
15.	**लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण**	152-155
16.	नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण	156-158
17.	वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणियाँ	159-239
18.	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एमसीएल और उसकी सहायक कंपनियों के समेकित लेखा	240-338

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक,

यूको बैंक,

केनेरा बैंक,

पंजाब नेशनल बैंक,

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ इंडिया

आईसीआईसीआई बैंक,

बैंक ऑफ बड़ौदा,

एक्सिस बैंक,

एचडीएफ़सी बैंक,

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

इंडियन बैंक

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स शिव एंड एसोसिएट्स

सखी गोपीनाथ मंदिर के सामने

सखीपाड़ा, संबलपुर-768001, ओडिशा

शाखा लेखा परीक्षक

मेसर्स बी एन मिश्रा एंड कंपनी

एस -29, मैत्री विहार, फेज - II

टेक महिंद्रा के सामने

भुवनेशर- 751023, ओड़िशा

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स आशुतोष एंड एसोसिएट्स,

प्लॉट नंबर-एन 4/232, प्रथम तल, आईआरसी विलेज नयापल्ली,

रिलायंस फ्रेश के पीछे, भुवनेशर – 751015

शाखा लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स रे नायक एंड असोसिएट्स,

MIG-26, मनाराम एस्टेट, रसूलगढ़,

भुवनेशर, ओडिशा-751010

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स जेके दास एण्ड असोसियट्स

कंपनी सचिव,

भुवनेशर, ओड़िशा

पंजीकृत कार्यालय

पोस्ट: जागृति विहार,

संबलपुर- 768020, ओड़िशा

Website: www.mahanadicoal.in

वर्तमान प्रबंधन (20.04.2024)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक



श्री उदय अनंतराव कावले

कार्यकारी निदेशकगण



श्री केशव राव
निदेशक (कार्मिक)



श्री जुगल कुमार बोरा
निदेशक (तक./संचालन)



श्री ए. के. बेहुरा
निदेशक (वित्त)



श्री अक्षय श्रीकांत बापट
निदेशक (तक./ पारियो. एवं योजना)

आधिकारिक अंशकालिक निदेशक



श्री एस. के. कस्सी
संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली



श्री मुकेश चौधरी
श्री(विपणन), सीआईएल, कोलकाता

स्थायी आमंत्रित



श्री वाई नागेंद्र बाबू
मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूर्व तट रेलवे
भुवनेश्वर

गैर- आधिकारिक अंशकालिक निदेशक



डॉ. आशा लाकरा



श्री दयाशंकर चन्द्रशेखर तिवारी



डॉ. राजेश कुमार वर्मा

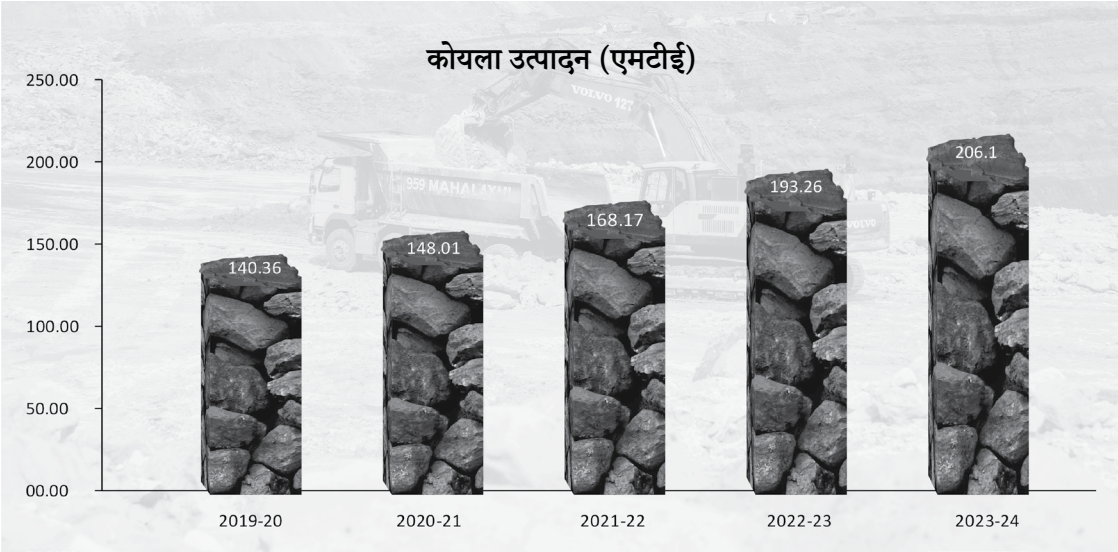
कंपनी सचिव

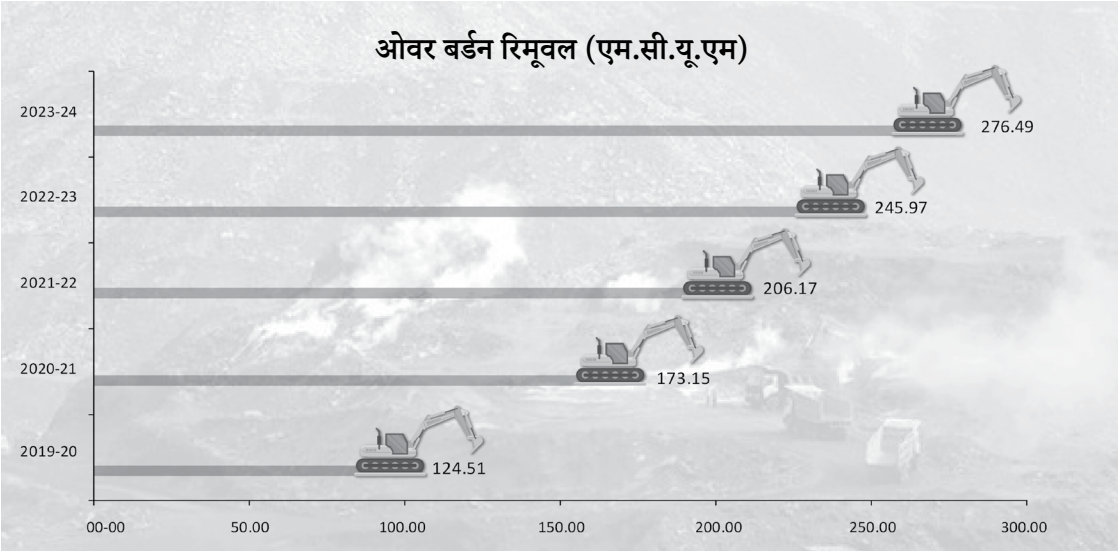


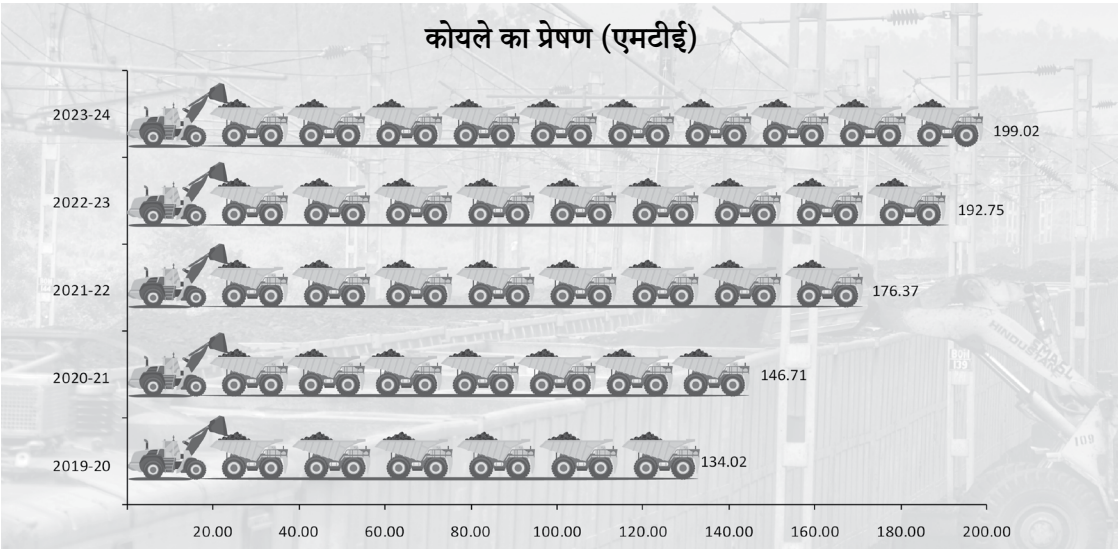
श्री सौभाग्य परिडा

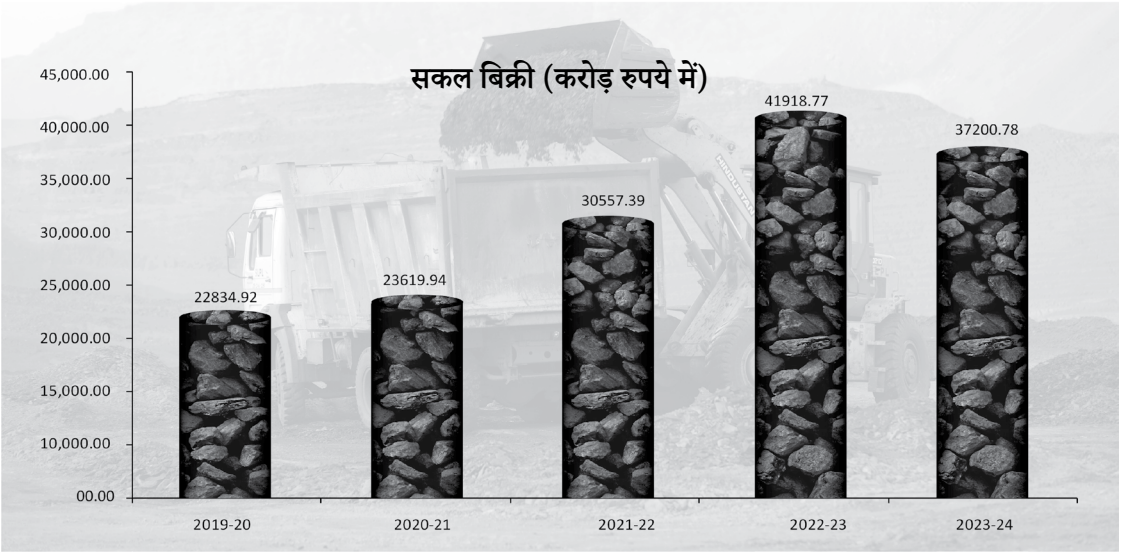
वर्तमान प्रबंधन

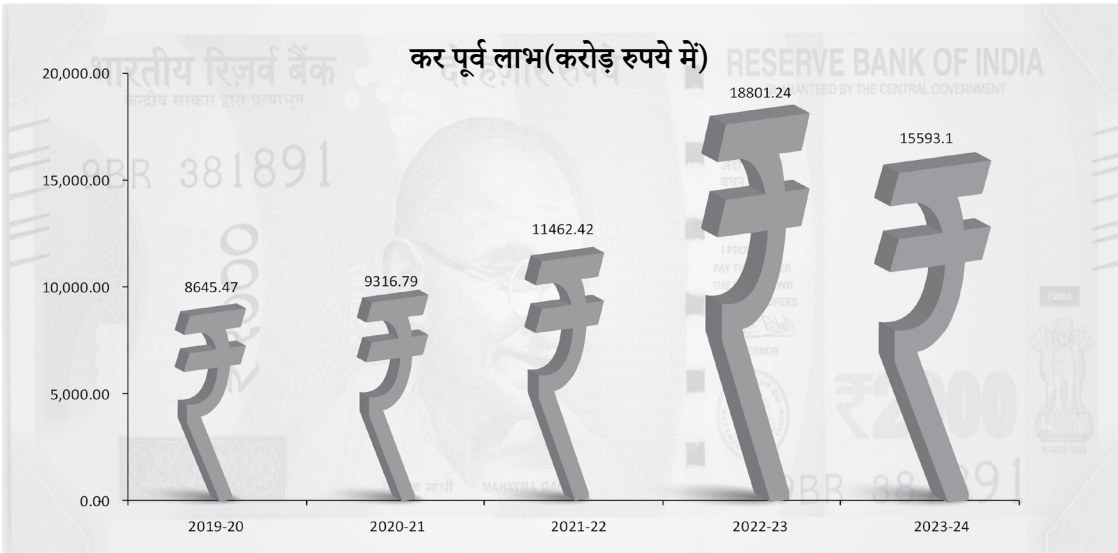
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	**श्री ओ. पी. सिंह** (31.10.2023 तक)
		श्री केशव राव (01.11.2023 से 18.12.2023 तक)
		श्री उदय अनंतराव कावले (19.12.2023 से प्रभावी)
कार्यकारी निदेशकगण	:	**श्री केशव राव** निदेशक (कार्मिक)
		श्री जुगल कुमार बोरा निदेशक (तक./संचालन)
		श्री ए. के. बेहुरा निदेशक (वित्त)
		श्री जुगल कुमार बोरा निदेशक (तक./ पारियो. एवं योजना) (01.06.2023 तक)
		श्री अक्षय श्रीकांत बापट निदेशक (तक./ पारियो. एवं योजना) (02.06.2023 से प्रभावी)
आधिकारिक अंशकालिक निदेशक	:	**श्री एस. के. कस्सी** संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
		श्री मुकेश चौधरी श्री(विपणन), सीआईएल, कोलकाता
गैर- आधिकारिक अंशकालिक निदेशक	:	**डॉ. आशा लाकरा** डॉ. राजेश कुमार वर्मा श्री दयाशंकर चन्द्रशेखर तिवारी
स्थायी आमंत्रित	:	**श्री वाई नागेंद्र बाबू** मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूर्व तट रेलवे भुवनेश्वर
कंपनी सचिव	:	**श्री सौभाग्य परिडा**

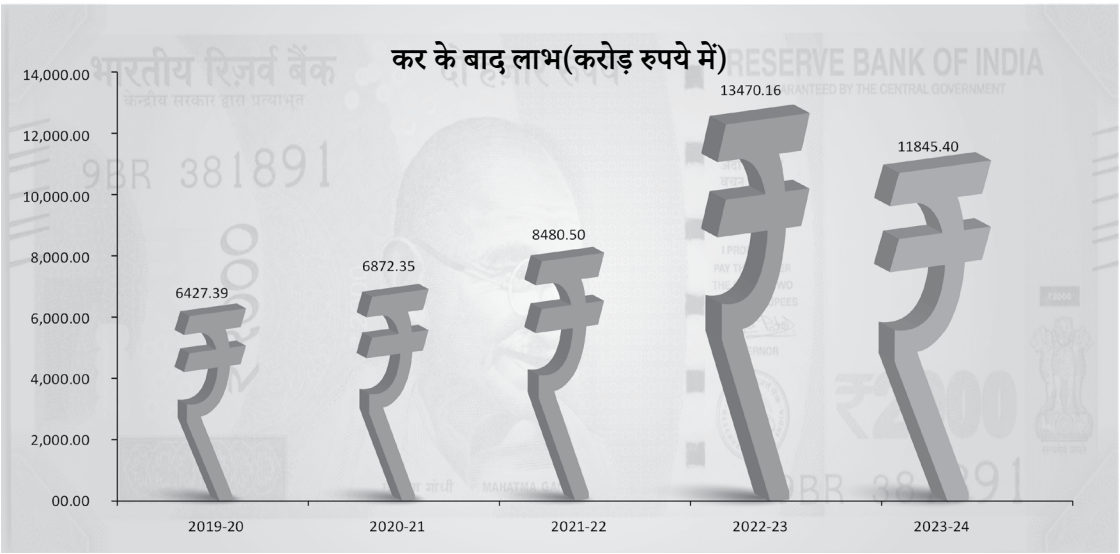

कोयला उत्पादन (एमटीई)
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
00.00
140.36
148.01
168.17
193.26
206.1
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24


ओवर बर्डन रिमूवल (एम.सी.यू.एम)
2023-24
2022-23
2021-22
2020-21
2019-20
276.49
245.97
206.17
173.15
124.51
00-00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00

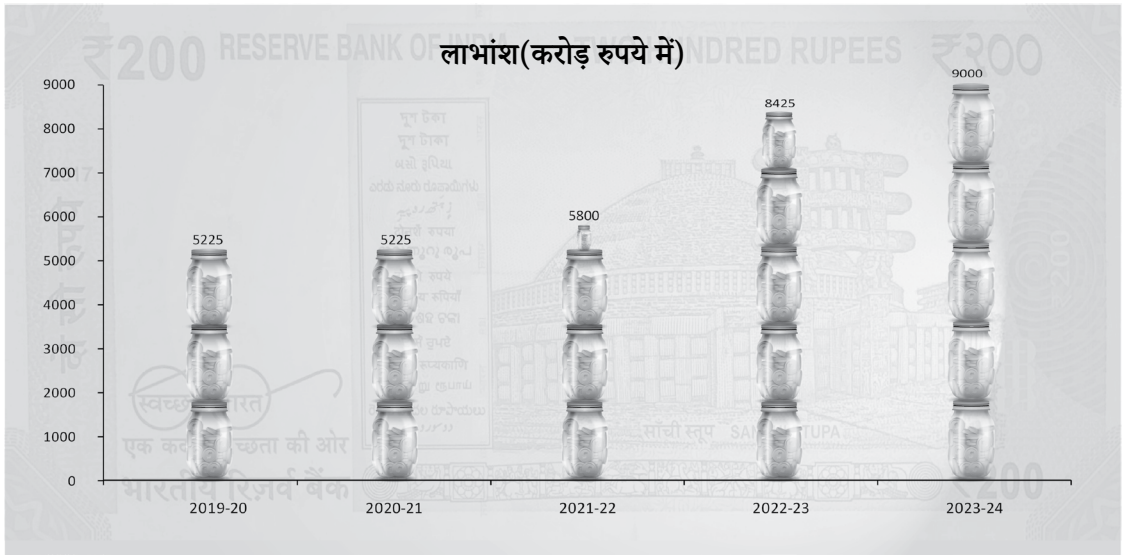

कोयले का प्रेषण (एमटीई)
2023-24
2022-23
2021-22
2020-21
2019-20
199.02
192.75
176.37
146.71
134.02
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00

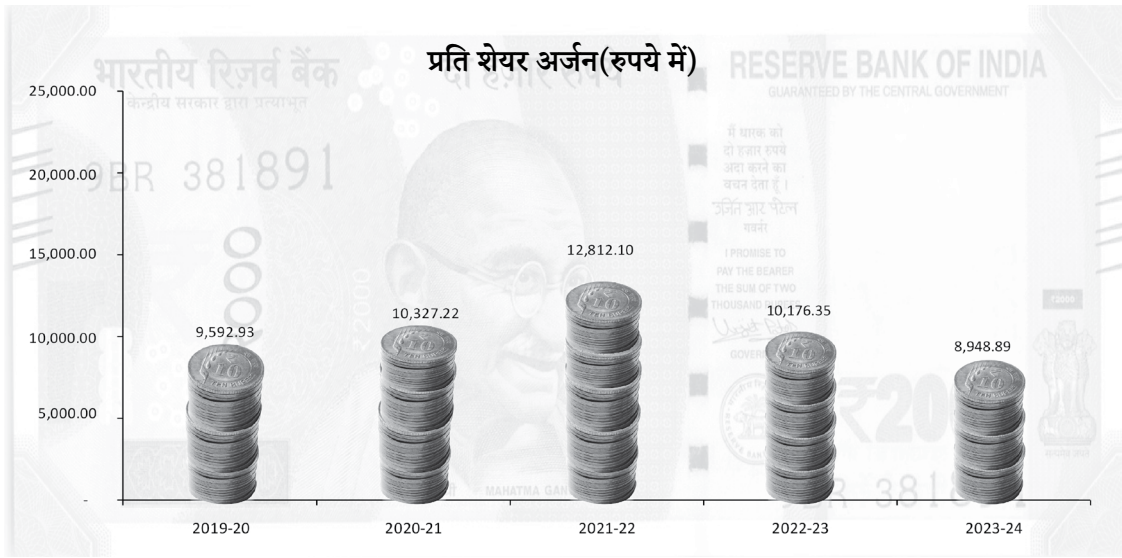

सकल बिक्री (करोड़ रुपये में)
45,000.00
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
00.00
22834.92
23619.94
30557.39
41918.77
37200.78
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24

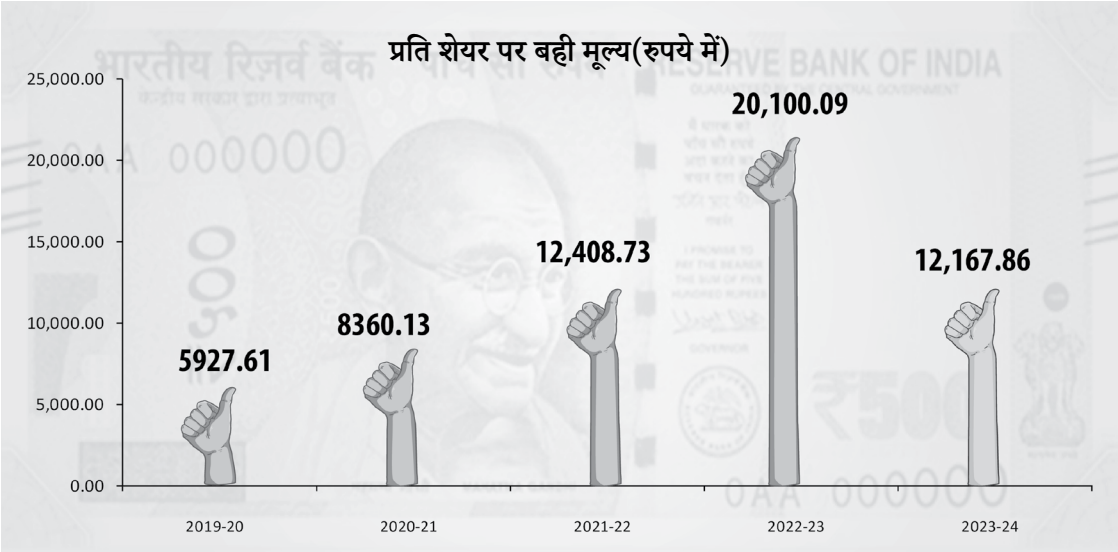

कर पूर्व लाभ(करोड़ रुपये में)
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
8645.47
9316.79
11462.42
18801.24
15593.1
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24

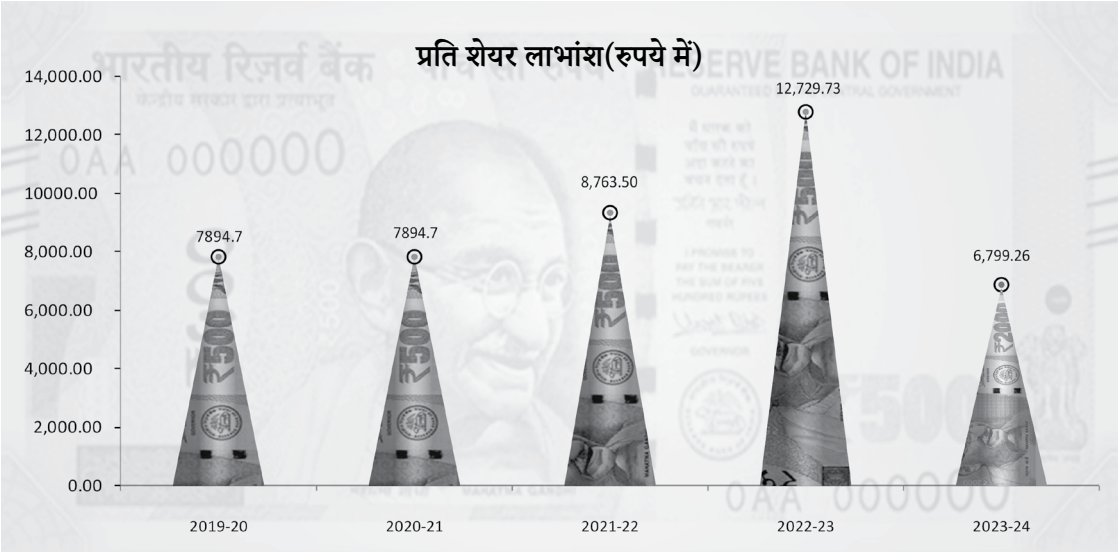

कर के बाद लाभ(करोड़ रुपये में)
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
00.00
6427.39
6872.35
8480.50
13470.16
11845.40
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24

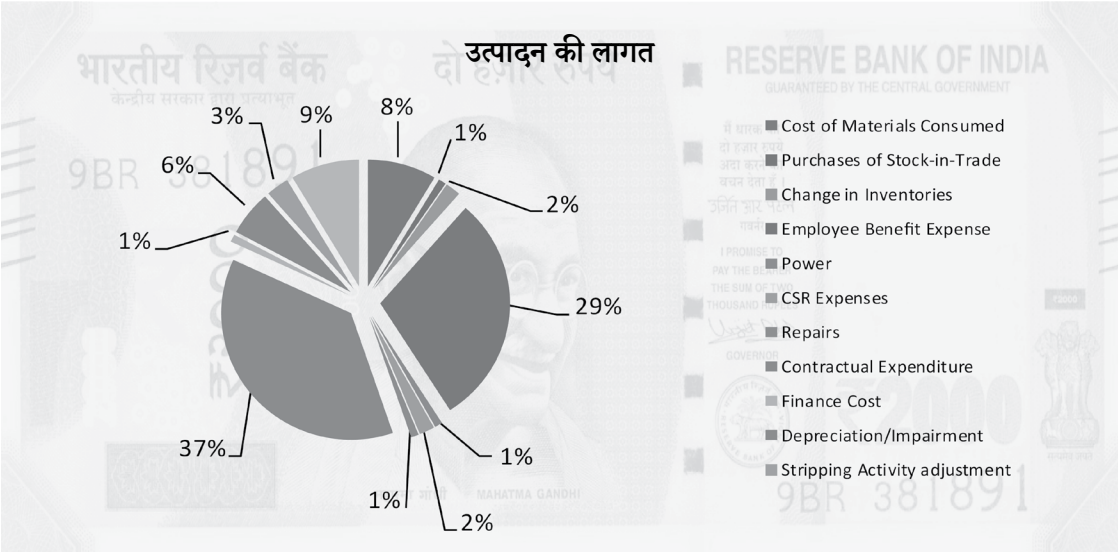

नेट वर्थ(करोड़ रुपये में)
18,000.00
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
00.00
3,923.11
5,533.04
8,212.55
13,302.97
16 ,106.26
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24


लाभांश(करोड़ रुपये में)
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
5225
5225
5800
8425
9000
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24


प्रति शेयर अर्जन(रुपये में)
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-
9,592.93
10,327.22
12,812.10
10,176.35
8,948.89
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24


प्रति शेयर पर बही मूल्य(रुपये में)
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
5927.61
8360.13
12,408.73
20,100.09
12,167.86
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24


प्रति शेयर लाभांश(रुपये में)
14,000.00
12,000.00
10000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
7894.7
7894.7
8,763.50
12,729.73
6,799.26
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24


उत्पादन की लागत
8%
1%
2%
29%
1%
2%
1%
37%
1%
6%
3%
9%
Cost of Materials Consumed
Purchases of Stock-in-Trade
Change in Inventories
Employee Benefit Expense
Power
CSR Expenses
Repairs
Contractual Expenditure
Finance Cost
Depreciation/Impairment
Stripping Activity adjustment

विगत 10 वर्षों के प्रमुख वित्तीय आंकड़ें

क्रमांक	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (पुनर्घोषित)	2023-24
1	कोयले का उत्पादन	एमटी(मिलियन टन.)	121.38	137.90	139.21	143.01	144.15	140.36	148.01	168.17	193.26	206.10
2	कोयले का प्रेषण	एमटी(मिलियन टन.)	123.00	140.22	143.01	138.26	142.30	134.02	146.71	176.37	192.75	199.02
3	कोयले की बिक्री (सकल)	रू. करोड़	14989.05	19829.58	23450.72	22379.91	24607.68	22834.92	23619.94	30557.39	41918.77	37200.78
4	पीबीटी	रू. करोड़	5,314.24	6260.43	6854.72	7339.66	9281.08	8645.47	9316.79	11462.42	18801.24	15593.10
5	पीएटी	रू. करोड़	3554.10	4184.74	4492.01	4761.29	6039.54	6427.39	6872.35	8480.50	13470.16	11845.40
6	लाभांश	रू. करोड़	3841.82	3608.45	2982.00	4350.00	3875.00	5225.00	5225.00	5800.00	8425.00	9000.00
7	शुद्ध नियत परिसंपत्तियाँ	रू. करोड़	3087.48	3252.55	3943.29	4534.24	6433.84	7248.57	8232.15	9944.72	12460.46	13792.84
8	नेट वर्थ	रू. करोड़	4477.57	4319.26	3385.38	2943.12	3873.17	3923.11	5533.04	8212.55	13302.97	16106.26
9	दीर्घ अवधि ऋण	रू. करोड़	6.90	7.21	6.64	7.09	6.29	6.10	5.67	4.93	4.58	3.95
10	नियोजित पूंजी (पुनर्वर्णित)	रू. करोड़	17553.76	19961.90	20544.53	21095.03	23346.84	24602.08	25309.74	28758.09	34932.52	37277.79
11	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	%	20%	21%	22%	23%	26%	26%	27%	29%	39%	32%
12	मूल्य संवर्धन (पुनर्वर्णित)	रू. करोड़	7609.89	8629.48	9638.58	10787.19	12836.41	12375.37	13176.55	15867.11	24331.25	21176.23
13	प्रति शेयर अंकित मूल्य	रू.	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
14	प्रति शेयर पर बही मूल्य	रू.	24021.18	23171.89	23971.26	4167.94	5852.16	5927.61	8360.13	12408.73	20100.09	12167.86
15	प्रति शेयर लाभांश	रू.	20610.52	19358.54	21115.00	6160.31	5854.92	7894.70	7894.70	8763.50	12729.73	6799.26
16	प्रति शेयर अर्जन	रू.	19066.97	22450.21	31800.60	32419.32	8622.45	9592.93	10327.22	12,812.10	10176.35	8948.89
17	इक्विटी शेयर सं.	सदस्य	1864009	1864009	1412266	7061330	6618363	6618363	6618363	6618363	6618363	13236726

बत्तीसवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की 32वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 30 जुलाई, 2024 को अपराह्न 1:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, पता/पोस्ट- जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य:

1. **विचार करना और अपनाना:**
   - क) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक लेखापरीक्षित तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और उन पर निदेशक मंडल, वैधानिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल हैं।
   - ख) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक लेखापरीक्षित तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और उन पर भारत के सांविधिक लेखा परीक्षक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल हैं।
2. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 7500 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश स्वीकृत करना तथा 1100 करोड़ रुपये अर्थात 2266.42 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित करना। इस प्रकार, वर्ष 2023-24 के लिए कुल लाभांश 8600 करोड़ रुपये (अर्थात 831.02 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) होगा।
3. श्री केशव राव, निदेशक (डीआईएन: 08651284) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।
4. श्री जुगल कुमार बोरा, निदेशक (डीआईएन: 09632444) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

II. विशेष कार्य:

मद सं.-01

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

मेसर्स आशुतोष एंड एसोसिएट्स और मेसर्स रे नायक एंड एसोसिएट्स को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए क्रमशः केंद्रीय लागत लेखा परीक्षक और शाखा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। तदनुसार, निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया जाना प्रस्तावित हैः

सामान्य संकल्प:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करना और यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया गया कि** मेसर्स आशुतोष एंड एसोसिएट्स को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार, कार्य के दायरे के तहत, वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के केंद्रीय लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, ताकि कंपनी, मुख्यालय और इसकी इकाइयों, ईब फील्ड्स क्षेत्र, बसुंधरा क्षेत्र और केन्द्रीय कर्मशाला(ईब वैली) के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षा किया जा सके, जिसका कुल लेखा परीक्षा शुल्क 4,40,000.00 रुपये और पाकेट खर्च 2,20,000.00 रुपये (कुल शुल्क का अधिकतम 50%) और लेखा परीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी" है।

"**आगे संकल्प लिया गया कि** मेसर्स रे नायक एंड एसोसिएट्स को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार, कार्य के दायरे के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के शाखा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, ताकि कनिहा क्षेत्र और केन्द्रीय कर्मशाला(तालचेर) सहित तालचेर कोलफील्ड्स क्षेत्रों के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षा किया जा सके, जिसका कुल लेखा परीक्षा शुल्क 2,92,000.00 रुपये, पाकेट खर्च 1,46,000.00 रुपये (कुल शुल्क का अधिकतम 50%) और लेखा परीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी" है।"

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए
निदेशक मंडल के आदेश से

S. Parida

(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा-768020

टिप्पणी:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के साथ और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 (इस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सचिवीय लेखा परीक्षक सहित शेयरधारक, निदेशक और लेखा परीक्षक बैठक में भाग लेने और / या मतदान करने के हकदार हैं, वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं और / या मतदान कर सकते हैं, बैठक में विचार किए गए मुद्दों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए केवल उस चरण पर cs.mcl@coalindia.in पर ई-मेल भेज सकते हैं।
2. सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को वी.सी. या ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वी.सी. या ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए, कंपनियों के अधिकृत मेल आईडी से पहले से ही लिंक प्रदान किया जाएगा और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद नहीं की जाएगी।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी)द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाना है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के अनुसार, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में या कंपनी द्वारा आम बैठक में निर्धारित तरीके से तय किया जाना है। आपकी कंपनी के सदस्यों ने 14 सितंबर 2002 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल को वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए अधिकृत किया है।
4. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसार कम समय के नोटिस पर वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।
5. विशेषकार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार प्रासंगिक विवरण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भी इसके साथ संलग्न है।

सदस्यगण

1. मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, परिसर सं. 04, प्लॉट सं. एएफ-III, एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता-700156 (कृपया ध्यान दें: श्री बी.पी. दुबे, कंपनी सचिव, कोल भवन, परिसर सं. 04, प्लॉट सं. एएफ-III, एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता-700156)
2. श्री पीएम प्रसाद, अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, परिसर सं. 04, प्लॉट सं. एएफ-III, एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता-700156
3. श्री उदय ए. कावले, सीएमडी, एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा-768020
4. श्री मुकेश चौधरी, निदेशक (विपणन), कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, परिसर संख्या 04, प्लॉट संख्या एएफ-III, एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता-700156। (कृपया ध्यान दें: श्री बी.पी. दुबे, सीएस, सीआईएल)

लेखा परीक्षक

1. प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक का कार्यालय और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-II, ओल्ड निजाम प्लेस, 234/4 आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता- 700020
2. मेसर्स शिव एंड एसोसिएट्स, सांविधिक लेखा परीक्षक, सनदी लेखाकार, संबलपुर, ओडिशा ।
3. मेसर्स जेके दास एंड एसोसिएट्स, सचिवीय लेखा परीक्षक, कंपनी सचिव, भुवनेश्वर, ओडिशा ।

निदेशकगण एमसीएल

1. श्री संजीव कुमार कस्सी, संयुक्त सचिव, एमओसी, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115
2. डॉ. आशा लकड़ा, स्वतंत्र निदेशक, एमसीएल, गांव: चुहरू, पोस्ट: कोटाम, पी.एस.: गुमला, जिला: गुमला, झारखंड, पिन - 834000
3. श्री केशव राव, निदेशक (कार्मिक), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020
4. श्री जे.के. बोरा, निदेशक (तकनीकी/संचालन), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020
5. श्री ए.के. बेहुरा, निदेशक (वित्त), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020
6. श्री अक्षय एस बापट, निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020
7. श्री डी.सी. तिवारी, स्वतंत्र निदेशक, एमसीएल, हाउस नंबर 1038, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग छोटा राम मंदिर के पास हंसपुरी नागपुर महाराष्ट्र-440018
8. डॉ. राजेश कुमार वर्मा, स्वतंत्र निदेशक, एमसीएल, आशीर्वाद भवन, बांध रोड, बालूघाट, मुजफ्फरपुर, बिहार-842001

व्याख्यात्मक वक्तव्य

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार)

मद सं.-01

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

भारत सरकार के राजपत्र प्रकाशन और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय अधिसूचना संख्या जीएसआर 430 (ई) दिनांक 3 जून 2011 और बाद के आदेश के अनुसार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार की लागत लेखा परीक्षा शाखा द्वारा जारी एफ. संख्या 52/26/सीएबी-2010 दिनांक 24 जनवरी 2011 और बाद में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पत्र संख्या 52/26/सीएबी-2010 दिनांक 24 जनवरी 2012 के अनुसार कोयला उद्योग के संबंध में लागत लेखा परीक्षा अनिवार्य बना दिया गया है।

लेखा परीक्षा समिति की संस्तुति के आधार पर, निदेशक मंडल ने 25 सितंबर 2023 को आयोजित अपनी 262वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एमसीएल में लागत लेखा परीक्षा करने के लिए निम्नलिखित फर्मों की नियुक्ति को मंजूरी दी। लागत लेखा परीक्षा और लागू वैधानिक करों/शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए शुल्क संरचना शुल्क के अतिरिक्त निम्नानुसार होगी:

1. "संकल्प लिया गया कि मेसर्स आशुतोष एंड एसोसिएट्स को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार, कार्य के दायरे के अंतर्गत, वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के केंद्रीय लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, ताकि कंपनी, मुख्यालय और इसकी इकाइयों, ईब फील्ड्स क्षेत्र, बसुंधरा क्षेत्र और केन्द्रीय कर्मशाला(ईब वैली) के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षा किया जा सके जिसका कुल लेखा परीक्षा शुल्क 4,40,000.00 रुपये और पाकेट खर्च 2,20,000.00 रुपये (कुल शुल्क का अधिकतम 50%) और लेखापरीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी" है।
2. "आगे संकल्प लिया गया कि मेसर्स रे नायक एंड एसोसिएट्स को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार, कार्य के दायरे के अंतर्गत, वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के शाखा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, ताकि कनिहा क्षेत्र और केन्द्रीय कर्मशाला(तालचेर) सहित तालचेर कोलफील्ड्स क्षेत्रों के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षा किया जा सके, जिसका कुल लेखा परीक्षा शुल्क 2,92,000.00 रुपये, पाकेट खर्च 1,46,000.00 रुपये (कुल शुल्क का अधिकतम 50%) और लेखा परीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी" है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के साथ पठित कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित पारिश्रमिक पर निदेशक मंडल द्वारा विचार किया जाएगा और उसे अनुमोदित किया जाएगा तथा बाद में शेयरधारकों द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करें।

कंपनी का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से वित्तीय या अन्य रूप से इस समाधान से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

बोर्ड ने आपके अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की सिफारिश की है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए

बोर्ड के आदेश से

S. Parida

(एस. परिडा)

कंपनी सचिव

स्थान: संबलपुर

दिनांक: 26.07.2024

वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले तथा पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण:

आम बैठक पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का अपेक्षित विवरण नीचे सारणीबद्ध है-

निदेशक का नाम और पदनाम	**श्री केशव राव** **निदेशक (कार्मिक)**	**श्री जे. के. बोरा,** **निदेशक(तकनीकी-संचालन)**
डीआईएन	08651284	08651284
जन्म तिथि	10.06.1966	01.10.1965
राष्ट्रीयता	भारतीय	भारतीय
बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	18-12-2019	19.04.2022
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की शर्तें और मांगे गए पारिश्रमिक तथा अंतिम बार लिए गए पारिश्रमिक का विवरण	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार।	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार।
योग्यता और अनुभव	आईआईटी बॉम्बे और आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व छात्र। मानव संसाधन में पीजी डिप्लोमा।	एनआईटी नागपुर से इंजीनियरिंग (खनन) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। भूमिगत और खुली खदान परियोजनाओं में 35 वर्षों का समृद्ध अनुभव है।
कंपनी में शेयरधारिता	शून्य	शून्य
अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य केएमपी के साथ संबंध	शून्य	शून्य
वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या	12	12
अन्य कम्पनियों में निदेशक पद की सूची	1. महानदी बेसिन पावर लिमिटेड 2. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	1. एमएनएच शक्ति लिमिटेड
एमसीएल में अन्य समिति के अध्यक्ष/सदस्यता	1. सीएसआर और सतत विकास उप-समिति 2. एमसीएल के भूमि विस्थापित मामलों के लिए उप-समिति	1. सीएसआर और सतत विकास उप-समिति 2. लेखा परीक्षा समिति 3. जोखिम प्रबंधन समिति 4. एमसीएल के भूमि विस्थापित मामलों के लिए उप-समिति

अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य



प्रिय शेयरधारकों,

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से मुझे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी की एकीकृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, जिसमें कंपनी के कार्यनिष्पादन पर प्रकाश डाला गया है।

राष्ट्र की बढ़ती ऊर्जा मांग के अनुरूप, एमसीएल अपनी क्षमता के अनुसार कोयला उत्पादन और उत्पादकता पर जोर दे रही है, ताकि समाज के सतत और समावेशी विकास के साथ उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि के साथ स्वच्छ कोयले की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। आपकी कंपनी राष्ट्र को पर्याप्त ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने की बढ़ती जरूरतों और चुनौतियों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और दिन-रात 24X7 घंटे कड़ी मेहनत कर रही है। आपकी कंपनी राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान की नई परिभाषा गढ़ रही है।

आपकी कंपनी ने एक लंबा सफर तय किया है और यह अब कोयला उत्पादन, ओबीआर और प्रेषण के सभी मानकों को पूरा करते हुए सीआईएल की उच्चतम कोयला उत्पादन कंपनी के रूप में उभरी है। आपकी कंपनी ने कोयला उत्पादन, ऑफटेक, ओबीआर, पॉवर ऑफटेक, कैपेक्स और सीएसआर व्यय के सभी क्षेत्रों में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। यह आपके सतत सहयोग और अमूल्य मार्गदर्शन से संभव हो पाया है। आपके सतत विश्वास और सद्भावना ने हमें सदैव प्रेरित किया है तथा यह हितधारकों और राष्ट्र के लिए मूल्यों का निर्माण करने और कोयला क्षेत्र के लिए नए मानक बनाने में हमारी सभी गतिविधियों में मार्गदर्शक शक्ति रही है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 एमसीएल के लिए एक और चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। सभी विषमताओं के बावजूद, एमसीएल अपने सर्वोत्तम कार्यों और उत्कृष्ट परिचालन क्षमता के कारण सीआईएल की उच्चतम कोयला उत्पादक अनुषंगी कंपनी के रूप में उभरी है। एमसीएल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपने उच्चतम कोयला उत्पादन 193.26 मिलियन टन के मुकाबले 12.84 मिलियन टन अर्थात 6.64% की वृद्धि के साथ इस वर्ष 306.10 मिलियन टन का उत्पादन करके कोयला उत्पादन में एक नया कीर्तिमान हासिल किया। एमसीएल ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 12.97% की वृद्धि के साथ अब तक सबसे अधिक ओबीआर 277.88 मीट्रिक क्यूबिक मीटर हासिल किया है। आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 3.3% की वृद्धि दर्ज करते हुए इस वित्तीय वर्ष में अब तक का सर्वाधिक 199.02 मीट्रिक टन कोयला प्रेषण किया है। एमसीएल ने पर्यावरण अनुकूल साधनों जैसे रेल और एमजीआर (127.35 मिलियन टन, जो कुल ऑफटेक का लगभग 64% है) के माध्यम से सबसे अधिक ऑफटेक दर्ज किया है। वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के सियारमल ओसीपी (एमडीओ परियोजना) ने अपना राजस्व संचालन शुरू कर दिया है और इस एमडीओ परियोजना से 7.24 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया है और 5.81 मिलियन टन कोयला प्रेषण गया है। लखनपुर क्षेत्र में ईब वैली कोल वाशरी ने अपना ट्रायल रन और कार्य निष्पादन गारंटी परीक्षण शुरू कर दिया है और इस अवधि के दौरान 2,49,000 टन कोयले की धुलाई की गई है और 86,000 टन कोयला बेचा गया है।

हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान एमसीएल ने 11,845.40 करोड़ रुपये का कर-पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया है, जो सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों में सबसे अधिक है।

1. कोयला – भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत:

कोयला भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में कुल बिजली उत्पादन 1725.26 बिलियन यूनिट (बीयू) था, जिसमें से कोयले के माध्यम से बिजली उत्पादन पिछले वित्त वर्ष अर्थात 2022-23 में 1289.707 बिलियन यूनिट की तुलना में 12.57% की परिणामी वृद्धि के साथ 1145.68 बिलियन यूनिट था।

भारतीय कोयला अगली सदी और उससे आगे के लिए भी घरेलू ऊर्जा बाजार के लिए एक अद्वितीय पर्यावरण अनुकूल ईंधन स्रोत प्रदान करता है। 27 प्रमुख कोलफील्ड्स में व्याप्त कठोर कोयले के भंडार मुख्य रूप से देश के पूर्वी और दक्षिण मध्य भागों तक ही सीमित हैं। हमारे देश में कोयला, जीवाश्म संसाधनों का 97% है। राष्ट्रीय कोयला सूची के अनुसार 69 कोयलांचलों में 1200 मीटर की गहराई तक 361.411 बिलियन टन (बीटी) ठोस कोयला संसाधन है।

ओडिशा के तालचेर और इब-वैली कोलफील्ड्स में थर्मल ग्रेड नॉन-कोकिंग कोयले का विशाल भंडार है। भारत में भंडार की स्थिति में झारखंड के बाद ओडिशा प्रथम स्थान पर है। 1 अप्रैल 2023 तक ओडिशा का कुल कोयला भंडार 94.519 बिलियन टन होने का अनुमान है, जो कुल राष्ट्रीय कोयला भंडार का लगभग 24.99% है। ओडिशा के दो कोयला क्षेत्र, अर्थात् तालचेर और इब-वैली कोलफील्ड्स एमसीएल के अधिकार क्षेत्र में हैं: तालचेर भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र (54.689 बिलियन टन) और ईब-वैली तीसरा सबसे बड़ा (39.830 बिलियन टन) कोयला क्षेत्र है। 88.105 बिलियन टन कोयला भंडार में से मापा गया कोयला भंडार 52.046 बिलियन टन (55.06%) है।

2. परिचालन उत्कृष्टता:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आपकी कंपनी सीआईएल के कुल उत्पादन 780.20 मिलियन टन में से 206.10 मिलियन टन (6.64% वृद्धि) का उत्पादन करके देश की नंबर 1 कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है, जो सीआईएल के उत्पादन का 26.42% था। कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 3.25% की वृद्धि दर्ज करते हुए 199.03 मीट्रिक टन का अब तक का सबसे अधिक कोयला ऑफ टेक दर्ज किया है। आपकी कंपनी ने 276.489 मीट्रिक क्यूबिक मीटर का अब तक का सर्वाधिक ओबी निष्कासन हासिल किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30.525 मीट्रिक क्यूबिक मीटर (12.41%) की वृद्धि और 3938.80 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय दर्ज करता है।

3. वित्तीय कार्य निष्पादन:

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने वर्ष के लिए सकल बिक्री रु. 37,200.78 करोड़, शुद्ध बिक्री रु.23,809.42 करोड़, पीबीटी रु.15593.10 करोड़ और पीएटी रु.11845.40 करोड़ दर्ज की है। वर्ष के दौरान, अंतरिम लाभांश के रूप में रु.7500/- करोड़ की घोषणा की गई है और एजीएम में आपके अनुमोदन के लिए रु.1100 करोड़ के अंतिम लाभांश की सिफारिश की गई है। आपकी कंपनी सरकारी राजकोष में सर्वाधिक योगदान देने वाली कंपनी भी है। एमसीएल ने रॉयल्टी, उपकर, माल और सेवा कर, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, एनएमईटी, डीएमएफ और अन्य शुल्कों के लिए रु.17,151.68 करोड़ का भुगतान किया है।

4. विकास हेतु कार्यनीतियाँ:

आपकी कंपनी आने वाले वर्ष में चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों का सामना करने जा रही है। भविष्य में अपनी उत्पादन गति और ऑफ-टेक में वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए, एमसीएल ने निम्नलिखित बहु-आयामी कार्यनीतियाँ तैयार की हैं:-

- पर्यावरण अनुकूल सरफेस माइनर का उपयोग बढ़ा है, जिसने कुल ओपनकास्ट उत्पादन में 98% का योगदान दियाहै।
- सर्वे-ऑफ उपकरणों के बदले प्रतिस्थापन और अतिरिक्त एचईएमएम की खरीद।
- आंतरिक चयन के साथ-साथ बाहरी भर्ती द्वारा एचईएमएम के लिए ऑपरेटरों की नियुक्ति।
- ऑपरेटरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटर की खरीद।
- उपभोक्ताओं के साथ नियमित बातचीत से उपभोक्ता का विश्वास और अधिक बढ़ा है.
- सभी उपभोक्ताओं को सुनिश्चित गुणवत्ता और आकार के कोयले का प्रेषण सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा सभी रेलवे साइडिंग की निरंतर निगरानी।
- कार्य के सुचारू संचालन के लिए ईआरपी का कार्यान्वयन।
- कार्मिकों का प्रशिक्षण, विविधीकरण पहल, ई-ऑफिस का कार्यान्वयन, ग्रेड सुधार के लिए वाशरी।

5. हरित पहल:

हमने आपकी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जिसने पर्यावरण अनुकूल सरफेस माइनर के माध्यम से 98% तक उच्चतम मात्रा में कोयला उत्पादन किया है, जबकि पूरे सीआईएल में औसत उपलब्धि 50% से कम है। परिवहन में भी आपकी कंपनी ने पर्यावरण हितैषी रेल मोड के माध्यम से 67% कोयले का प्रेषण किया है। आवासीय क्षेत्रों में धूल, प्रदूषण को कम करने के लिए, घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर अलग कोल कॉरीडोर के निर्माण हेतु आपकी कंपनी ने आवश्यक कदम उठाएं हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु आपकी कंपनी ने आनंद विहार, बुर्ला, संबलपुर में 02 मेगावाट फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया है और यह 22 लाख इकाई प्रति वर्ष बिजली का उत्पादन कर रहा है। एमसीएल रु. 314 करोड़ की लागत से ओडिशा के बलांगीर जिले में 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित कर रही है। मानव उपभोग के लिए खदान के पानी का बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अप्रयुक्त खदानों/खदानों में संग्रहीत ओसीपी के अधिशेष पानी का उपयोग एचईएमएम की धुलाई, धूलदमन, अग्निशमन और जलभृतों के पुनर्भरण जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अधिशेष भूमिगत खदान के पानी का उपयोग समुदाय को पीने, कृषि, वानिकी, तालाबों के पुनर्भरण आदि के लिए किया जा रहा है।

एमसीएल ने वित्त वर्ष 23-24 में 260 हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में 225.934 हेक्टेयर में वृक्षारोपण और 40 हेक्टेयर में घास लगाने का काम पूरा कर लिया है। चंद्रशेखर आजाद ओरिएंट इको पार्क और लिलारी इको पार्क नाम से 02 इको पार्क विकसित किए गए हैं और अनंत औषधीय उद्यान के रूप में 01 औषधीय इको पार्क की योजना बनाई जा रही है।

6. सुरक्षा:

आपकी कंपनी ने खानों और खनिकों की सुरक्षा के लिए समर्पित प्रयासों पर जोर दिया, जो एमसीएल एजेंडा में सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। उच्च उत्पादन की दौड़ में सुरक्षा पहलू पर कोई समझौता नहीं किया जाता है। 'शून्य दुर्घटना' लक्ष्य

के लिए आपकी कंपनी नियमित रूप से तैयार रहती है, योजना बनाती है और स्वयं को सुसज्जित करती है। इस दिशा में हमारे प्रयासों में अन्य बातों के साथ-साथ उचित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास और सुरक्षा संबंधी अनुपालनों की सख्त निगरानी शामिल है। आपकी कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने हेतु प्रयासरत है और किसी भी खनन कार्य में सुरक्षा मानकों के साथ वह कभी समझौता नहीं करती है। इसके अलावा खनन कार्य के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए, आपकी कंपनी ने अपने सभी बचाव स्टेशनों को पूरी तरह से सुसज्जित किया है और पर्याप्त बचाव प्रशिक्षित कार्यबल तैनात किया है।

आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि सुरक्षा और उत्पादकता को अलग नहीं किया जा सकता है। निदेशक की रिपोर्ट के प्रासंगिक हिस्से में "सुरक्षा और बचाव" शीर्षक के तहत विस्तृत आँकड़े प्रदान किए गए हैं।

आपकी कंपनी उत्पादकता से समझौता किए बिना कंपनी के शून्य हानि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी कामगारों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

7. निगमित प्रशासन:

आपकी कंपनी को भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में "उत्कृष्ट" रेटिंग दी गई है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक अलग रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है।

8. निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

एक जिम्मेदार सार्वजनिक कॉर्पोरेट होने के नाते आपकी कंपनी ने अपने सीएसआर के माध्यम से राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक उद्देश्यों में योगदान देने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता जारी रखी है, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 में सीएसआर को लागू करने के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 261.63 करोड़ रुपये के बजटीय आंकड़े की तुलना में 282.21 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सीएसआर मद के अंतर्गत कंपनी का प्रमुख व्यय स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और पाइप द्वारा जलापूर्ति आदि पर किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में निदेशकों की रिपोर्ट के साथ सीएसआर पर एक रिपोर्ट संलग्न की गई है।

9. अपेक्षा:

हमें आशा है कि जिस तरह से कंपनी ने संसाधनों और क्षमताओं का निर्माण किया है; उससे निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में और अधिक सफलता मिलेगी और इस निरंतरता से आपकी कंपनी भविष्य में सम्पूर्ण राष्ट्र की अपेक्षा सहित हमारे कई हितधारकों की अपेक्षाओं को लगातार पूरा करेगी।

10. अभिस्वीकृति

मैं निदेशक मंडल की ओर से कोयला मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय- सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), ओडिशा राज्य सरकार के अलावा संबद्ध वैधानिक प्राधिकरणों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय गांवों, स्थानीय निकायों, सभी कर्मचारियों और उनकी यूनियनों, हमारे मूल्यवान ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त सहयोग के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं।

मैं कोल वारीयर्स के कठिन प्रयासों की सराहना करता हूँ तथा ट्रेड यूनियनों, नियामक निकायों और अन्य हितधारकों को धन्यवाद देता हूँ।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सतत विकास सुनिश्चित करने और अपने देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाकर अपने परिचालन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

(उदय ए. कावले)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(डीआईएन: 09715213)





निदेशकों के प्रतिवेदन

सेवा में

शेयरधारको,

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड,

प्रिय शेयरधारको,

मुझे निदेशक मण्डल की ओर से कंपनी की 31वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते हुए काफी हर्ष का अनुभव हो रहा है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग सभी मोर्चों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और कोयला के उत्पादन, ओबी और प्रेषण के मामले में यह वर्ष भी सफल रहा।

1. संगठन

आपकी कंपनी के संगठनात्मक संरचना में 2 कोलफील्ड्स अर्थात तालचेर कोलफील्ड्स तथा ईब-वैली कोलफील्ड्स शामिल हैं, जिसमें 12 खनन क्षेत्र के साथ 3 संचालित भूमिगत खदानें एवं 16 खुली खदान है। यहाँ दो केंद्रीय कार्यशालाएं, दो केंद्रीय अस्पताल एवं कंपनी के दो कार्यालय है जो भुवनेश्वर के साथ, बुर्ला, संबलपुर मुख्यालय में स्थित है। दो कोयला क्षेत्रों के खनन क्षेत्र नीचे दिए गए हैं:

क	तालचेर कोलफील्ड्स
(i)	जगन्नाथ क्षेत्र
(ii)	भरतपुर क्षेत्र
(iii)	हिंगुला क्षेत्र
(iv)	लिंगराज क्षेत्र
(v)	कनिहा क्षेत्र
(vi)	सुभद्रा क्षेत्र
(vii)	तालचेर क्षेत्र (भूमिगत)

ख	ईब-वैली कोलफील्ड्स
(i)	लखनपुर क्षेत्र
(ii)	ईब-वैली क्षेत्र
(iii)	बसुंधरा क्षेत्र
(iv)	महालक्ष्मी क्षेत्र
(v)	ओरिएंट क्षेत्र (भूमिगत)

2.0 एमसीएल की अनुषंगी कंपनियां:

एमसीएल की 04 अनुषंगी कंपनियां यथा एमजेएसजे कोल लिमिटेड, एमएनएच शक्ति लिमिटेड, महानदी बेसिन पावर लिमिटेड और महानदी कोल रेलवे लिमिटेड हैं।

31.03.2024 तक समझौता ज्ञापन के अनुसार प्रत्येक कंपनी में प्रवर्तक संस्थाओं की इक्विटी शेयरधारिता पैटर्न और वर्तमान शेयरधारिता पैटर्न निम्नानुसार हैं:

2.1 एमजेएसजे कोल लिमिटेड

प्रमोटर संस्थाओं का नाम	**समझौता ज्ञापन के अनुसार शेयर धारिता पैटर्न**	31.03.2024 के अनुसार शेयर धारिता पैटर्न
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	60%	60%
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	11%	11%
जेएसडब्ल्यू एनर्जि लिमिटेड	11%	11%
जेएसएल स्टैनलेस लिमिटेड	09%	09%
श्याम मेटालिक एण्ड एनर्जि लिमिटेड	09%	09%
कुल	100%	100%

2.2 एमएनएच शक्ति लिमिटेड

प्रमोटर संस्थाओं का नाम	**समझौता ज्ञापन के अनुसार शेयर धारिता पैटर्न**	**31.03.2024 के अनुसार शेयर धारिता पैटर्न**
महानदी कोलफील्ड लिमिटेड (एमसीएल)	70%	70%
मेसर्स नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15%	15%
मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	15%	15%
कुल	100%	100%

2.3 महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

"महानदी बेसिन पावर लिमिटेड" कंपनी को 2 दिसंबर, 2011 को शामिल किया गया और इसे दिनांक 06-02-2012 को आरओसी द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया। एमबीपीएल का गठन एसपीवी के 100% हिस्सेदारी के साथ महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और इसके नामांकित बसुंधरा कोलफील्ड्स में पिट हेड पावर प्लांट के माध्यम से 2X800 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता के साथ किया गया है। दिनांक 31.03.2023 को अधिकृत और प्रदत्त पूंजी केवल 5 लाख रुपये है।

2.4 महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

प्रमोटर संस्थाओं का नाम	समझौता ज्ञापन के अनुसार शेयर धारिता पैटर्न	31.03.2024 के अनुसार शेयर धारिता पैटर्न
महानदी कोलफील्ड लिमिटेड (एमसीएल)	64%	64%
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन)	26%	26%
ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आईडीसीओ)	10%	10%
कुल	100%	100%

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एमसीएल की प्रमुख विशेषताएं / उपलब्धियां:

कोयला उत्पादन:

- अब तक का सर्वाधिक 206.10 मिलियन टन कोयला उत्पादन, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 12.84 मिलियन टन (6.6%) की वृद्धि दर्शाता है।
- अब तक का सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल कोयला उत्पादन, जो सरफेस माइनर के माध्यम से लगभग 202.20 मिलियन टन (कुल कोयला उत्पादन का 98%) है।

कोयला ऑफ-टेक:

- 199.03 मिलियन टन का अब तक का सबसे अधिक कोयला ऑफ-टेक, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 6.27 मिलियन टन (3.3%) की वृद्धि दर्ज करता है।
- 0.66% की वृद्धि के साथ पिछले वित्त वर्ष के 149.03 मिलियन टन को पार करते हुए विद्युत क्षेत्र को अब तक का सबसे अधिक 150.01 मिलियन टन का कोयला प्रेषण।
- दिनांक 04.03.2024 को एक दिन में 6.51 लाख टन अब तक का सबसे अधिक कोयला ।
- दिनांक 07.03.2024 को एक दिन में विद्युत क्षेत्र को 5.19 लाख टन अब तक का सबसे अधिक कोयला प्रेषण।
- तटीय शिपिंग (पारादीप, धामरा, गंगावरम, विजाग बंदरगाह) के माध्यम से पिछले वित्त वर्ष में 30 रेक/दिन की तुलना में 2023-24 में 32.1 रेक/दिन अब तक की उच्चतम लोडिंग ।
- लखनपुर वाशरी से रेक डिस्पैच 22 मार्च 2024 को शुरू हुआ।
- लाइकेरा साइडिंग से रेक लोडिंग 14 जनवरी 2024 को शुरू हुई।
- सरडेगा साइडिंग की तीसरी लाइन से 6 फरवरी 2024 को पहली रेक लोड की गई।

ओबी निष्कासन:

- पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 31.91 मीट्रिकक्यूबिक मीटर (12.97%) की वृद्धि दर्ज करते हुए 277.88 मीट्रिक क्यूबिक मीटर का अब तक का सबसे अधिक ओबी निष्कासन ।
- एक दिन में अर्थात दिनांक 29.03.2024 को 1.188 मीट्रिक क्यूबिक मीटर अब तक का सबसे अधिक ओबी निष्कासन।

अन्य उपलब्धियां:

- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 260 हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में 265.93 हेक्टेयर पर वृक्षारोपण किया गया है (पट्टे के भीतर: 71.63 हेक्टेयर, पट्टे के बाहर: 194.31 हेक्टेयर, पौधों की सं. : 3.98 लाख)। प्रारंभ से 2023-24 तक जैव-पुनर्ग्रहण: क्षेत्र-3554.8 हेक्टेयर, वृक्षारोपण सं. -73.79 लाख ।
- सुभद्रा ओसीपी के लिए पर्यावरण मंजूरी 6 मार्च 2024 को प्रदान की गई।
- 8 मार्च 2024 को गर्जनबहाल ओसीपी के लिए खदान के कार्यकाल तक पर्यावरण मंजूरी बढ़ा दी गई। 11 मार्च 2024 को सीटीओ भी जारी किया गया।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एमसीएल की 2145 करोड़ रुपये की लागत वाली 04 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में भुवनेश्वरी चरण-I सीएचपी साइलो, लाजकुरा सीएचपी आरएलएस, झारसुगुड़ा बारपाली-सरडेगा रेल लाइन का दोहरीकरण और इब-वैली वाशरी शामिल हैं।
- **भूमि एवं राजस्व विभाग की उपलब्धियां:**
  - ✓ 15 गांवों में भूमि मुआवजे के लिए कुल 238.76 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
  - ✓ 300 परियोजना विस्थापितों को रोजगार लाभ प्रदान किए गए।

- ✓ 1088 परियोजना विस्थापितों को पुनर्वास लाभ प्रदान किए गए।
- ✓ 9(1) 1679.82 हेक्टेयर के लिए बलभद्र ओ.सी.पी. के लिए अधिसूचना जारी की गई।
- ✓ 7(1) 666.27 हेक्टेयर के लिए भुवनेश्वर विस्तार परियोजना के लिए अधिसूचना जारी की गई।
- ✓ 4(1) 101 हेक्टेयर के लिए भरतपुर ओ.सी.पी. के जोरगड़िया गांव के लिए अधिसूचना जारी की गई।
- ✓ सभी रेवेन्यू लेयर्स, अर्जित लेयर्स और विभिन्न एन्सिलरी लेयर्स तैयार की जाती हैं और गतिशक्ति-एनएमपी पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं।

दिनांक 30.08.2023 को लजकुरा और ब्रजराजनगर दोनों छोर तक न्यू वाई-कर्व साइडिंग में इंजन रोलिंग ट्रायल सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

3. उत्पादन कार्यनिष्पादन

पिछले वर्ष के लक्ष्य और उपलब्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एमसीएल का उत्पादन कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

उत्पादन	2023-24		2022-23		लक्ष्य के मुक़ाबले % उपलब्धि	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
i) कोयला (मिलियन टन)	एमओयू/ एएपी लक्ष्य	वास्तविक	एमओयू/एएपी लक्ष्य	वास्तविक		
ओपनकास्ट	203.54	205.64	175.56	192.820	101.0	6.7
भूमिगत	0.46	0.46	0.44	0.441	99.2	3.4
कुल(ओपनकास्ट + भूमिगत)	204.000	206.10	176.00	193.262	101.0	6.6
ii) ओबीआर((मिलियन क्यूबिक मीटर)	278.80	276.489	208.00	245.964	99.7	13.0

फेस माइनर द्वारा कोयला उत्पादन (विभाग + संविदात्मक) **(आंकड़े मिलियन टन में)**

वित्त वर्ष	विभागीय और संविदात्मक एसएमएस उपलब्धि	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		कुल उत्पादन के मुकाबले एसएम द्वारा % उत्पादन शेयर
		पूर्ण	प्रतिशत	
2018-19	133.804	2.912	2.2	92.8
2019-20	129.096	-4.707	-3.5	92
2020-21	139.138	10.041	7.8	94
2021-22	161.355	22.217	16.0	95.9
2022-23	188.623	27.268	16.9	97.6
2023-24	202.204	13.581	7.2	**98.1**

कोल उत्पादन **(आंकड़े मिलियन टन में)**

वित्त वर्ष	एएपी लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		% उपलब्धि
			पूर्ण	प्रतिशत	
2018-19	151.50	144.151	1.09	0.80	95.1
2019-20	160.00	140.358	-3.794	-2.6	87.7
2020-21	160.00	148.013	7.655	5.5	92.5
2021-22	163.00	168.168	20.155	13.6	**103.2**
2022-23	176.00	193.262	25.094	14.9	**109.8**
2023-24	204.00	206.099	12.838	6.6	**101.0**

ओबी निष्कासन **(मिलियन क्यूबिक मीटर)**

वित्त वर्ष	एएपी लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		% उपलब्धि
			पूर्ण	प्रतिशत	
2018-19	157.00	130.002	-8.18	-5.90	82.8
2019-20	160.00	124.514	-5.488	-4.2	77.8

वित्त वर्ष	एएपी लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		% उपलब्धि
			पूर्ण	प्रतिशत	
2020-21	203.00	173.150	48.636	39.1	85.3
2021-22	200.00	206.173	33.023	19.1	103.1
2022-23	208.00	245.964	39.791	19.3	118.3
2023-24(अनंतिम)	278.80	277.875	31.912	13.0	99.7

4. उत्पादकता

4.1 आपकी कंपनी ने प्रति मैनशिफ्ट आउटपुट (ओएमएस) के संदर्भ में उत्पादकता हासिल की है जैसा कि नीचे दिया गया है

(आंकड़े टन/मैनशिफ्ट में)

	2023-24		2022-23	लक्ष्य के मुक़ाबले % उपलब्धि	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
	एएपी लक्ष्य (बजट)	वास्तविक	वास्तविक		
ओपनकास्ट	42.43	41.3	40.89	97.27	0.93
भूमिगत	0.65	0.71	0.6	109.23	18.33
समग्र	37.05	36.7	35.45	98.92	3.39

4.2 2023-24 के दौरान ओएमएस 35.41 टन/मैनशिफ्ट था।

क्र.		2023-24	2022-23	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
1	ओपनकास्ट ओएमएस	32.66	30.99	93.00%
2	भूमिगत ओएमएस	0.53	0.48	11.24%
3	ओपनकास्ट का समायोजित एम/एस (लाख में)	62.96	62.23	1.18%
4	भूमिगत का मैनशिफ्ट (लाख में)	8.65	9.26	-6.60%
5	**समग्र ओएमएस के लिए कुल मैनशिफ्ट**	**4.05**	**4.11**	**-1.46%**
A	ओपनकास्ट कोयला (लाख टन)	75.66	75.60	0.07%
6	भूमिगत कोयला (लाख टन)	2,056.429	1928.20	6.65%
7	**कुल कोयला (लाख टन)**	**4.563**	**4.41**	**3.42%**
B	**समग्र ओएमएस (B/A)**	**2,060.992**	**1932.62**	**6.64%**
8	ओएमएस सूत्र	27.24	25.56	6.56%
9	भूमिगत =			
	ओपनकास्ट =	कोयला उत्पादन/ वास्तविक मैनशिफ्ट		
		कोयला उत्पादन + (1.4 x ओबी उत्पादन)		
		वास्तविक मैनशिफ्ट x (1+(1.4xSt. अनुपात)		
	समग्र =	भूमिगत का कोयला उत्पादन + ओपनकास्ट का कोयला उत्पादन		
		भूमिगत का मैनशिफ्ट + ओपनकास्ट का समायोजित मैनशिफ्ट		



Effective dust control in surface miner face by fog cannon.



Technical Reclamations

10	समायोजित मैनशिफ्ट (ओपन कास्ट के लिए खान के अनुसार) =	कोयला उत्पादन/ओएमएस	
	समग्र ओएमएस की गणना =	2056.429+4.563	1928.203+4.412
		62.96+4.05+8.65	62.23+4.11+9.26
		2060.992	1932.615
		75.66	75.6
		27.24	**25.56**

5. एचईएमएम की संख्या और कार्य निष्पादन

5.1 सीएमपीडीआईएल द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि के साथ-साथ बेड़े की क्षमता को दर्शाते हुए एचईएमएम की उपलब्धता और उपयोग का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

A. एचईएमएम की संख्या और कार्य निष्पादन:

I. प्रमुख एचईएमएम की संख्या और उपलब्धता तथा उपयोग (आंकड़े पूर्णांक में):

क्र.	उपकरण	दिनांक को संख्या		% उपलब्धता			% उपयोगिता		
		31.03.24	31.03.23	अप्रैल 2023 से मार्च 2024	अप्रैल 2022 से मार्च 23	सीएमपीडी आईएल	April'23 to March'24	April'22 to March'23	CMPDIL NORM
1	शॉवेल	75	76	मानदंड	अप्रैल 2023 से मार्च 2024	अप्रैल 2022 से मार्च 23	सीएमपीडी आईएल	20	58
2	सरफेस माइनर	21	17	मानदंड	79	--	40	43	--
3	डंपर	324	327	80	83	67	13	15	50
4	डोजर	127	140	69	74	70	19	20	45
5	ड्रिल	62	65	83	89	78	8	9	40
कुल		**609**	**625**						

II. प्रमुख एचईएमएम के लिए प्राप्त कार्य घंटे

क्र.	उपकरण	कार्य समय	
		2023-24	**2022-23**
1	शॉवेल	121835	133917
2	सरफेस माइनर	61905	68162
3	डंपर	327969	369828
4	डोजर	195084	184953
5	ड्रिल	27356	30765

III. कार्यनिष्पादन का सार:

a) वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त डम्पर्स और ड्रिल्स की उपलब्धता सीएमपीडीआई मानदंडों से अधिक है और सरफेस माइनर की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। शॉवेल की उपलब्धता पिछले वर्ष के समान ही है।

b) वर्ष के दौरान, एचईएमएम के उपयोग का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। इस गिरावट का कारण विभागीय उपकरणों की सीमित उपलब्धता और विभिन्न खदानों में एचईएमएम ऑपरेटर की कमी है।

उपयोगिता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण:

1. प्रमुख एचईएमएम के लिए ऑपरेटरों की कमी।
2. विभागीय एचईएमएम के लिए सीमित उपलब्धता।
   a. भूमि की अत्यधिक कमी के कारण समलेश्वरी खदानों की परिचालन दक्षता में बाधा उत्पन्न हुई है।
   b. लखनपुर और गर्जनबहाल खदानों में चुनौतियां बनी हुई हैं, जहां विभागीय फेस प्रतिबंध हैं और पास के गांवों की निकटता के कारण सीमित विस्फोटन है।

c. जगन्नाथ, लिंगराज, भरतपुर और हिंगुला खदानों में भीड़भाड़ और संकीर्ण विभागीय फेस हैं और पर्यावरण संबंधी चिंता और सामाजिक प्रभाव के कारण सीमित विस्फोटन है।

IV. उपयोगिता में सुधार के लिए उठाए गए कदम:

1. गर्जनबहाल, अनंता और बलराम परियोजना में विभागीय मशीनों के लिए एचईएमएम ऑपरेटरों की भर्ती।
2. पुराने और अविश्वसनीय उपकरणों को सर्वे ऑफ करना और नए उपकरणों की खरीद।
3. समग्र उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहायक उपकरण के रूप में जल छिड़काव, मोटर ग्रेडर और टायर हैंडलर जैसे सहायक उपकरणों की खरीद।
4. उत्पादन बढ़ाने के लिए एमसीएल प्रबंधन भूमि अधिग्रहण में सक्रिय रूप से शामिल है।

V. एचईएमएम की ब्रेकडाउन स्थिति

उपकरण	संख्या		3 माह से अधिक ब्रेकडाउन	
	31.03.24 के अनुसार	31.03.23 के अनुसार	31.03.24 के अनुसार	31.03.23 के अनुसार
शॉवेल	75	76	2	00
सरफेस माइनर	21	17	00	00
डंपर	318	327	18	20
डोजर	127	140	2	09
ड्रिल	62	65	6	07
एमसीएल कुल	**603**	**625**	**28**	**36**

नोट: पिछले वर्ष की तुलना में तीन महीने से अधिक के ब्रेकडाउन में 22.22% की कमी आई है।

ख क्षमता उपयोगिता(खुलीखदान परियोजनाएं)

क्र.सं.	विवरण	क्षमता (वर्ष के 1 अप्रैल के आधार पर)		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
		2023-24	2022-23	
1	विभागीय क्षमता (मिलियन क्यू मीटर)	98.26	105.65	-6.99%
2	प्रणाली क्षमता (मि.क्यू.मीटर)	574.72	522.56	9.98%
3	विभागीय उत्पादन (मि.क्यू.मीटर)	40.33	43.053	-6.32%
4	कुल उत्पादन (मि.क्यू.मीटर)	401.31	361.714	10.95%
5	विभागीय उपयोगिता क्षमता	41.05%	40.75%	0.75 %
6	प्रणाली उपयोगिता क्षमता	69.83%	69.22%	0.88%

6. ऊर्जा आपूर्ति

i) तालचेर कोलफील्ड्स: 36.0 एमवीए की अनुबंध मांग के साथ टाटा पावर सेंट्रल ओड़िशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीसीओडीएल) के कमांड क्षेत्र पूर्व में सीईएसयू, ओपीटीसीएल अंगुल सब-स्टेशन से 11 किलोमीटर लंबे 132 केवी डबल सर्किट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से नंदिरा कोलियरी 100 एमवीए (2x40 एमवीए + 1X20 एमवीए) 132/33 केवी, ग्रिड सब –स्टेशन को बिजली प्राप्त हो रही है।

ii) ईब-वैली कोलफील्ड्स: 30 एमवीए की अनुबंध मांग के साथ टाटा पावर वेस्टर्न ओड़िशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडब्ल्यूओडीएल) पूर्व में वेस्को के कमांड क्षेत्र के ओपीटीसीएल बुधिपड़ा सब-स्टेशन से 19 कि.मी. लंबे 132 केवी डबल सर्किट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से जोराबगा, 40 एमवीए (2x20 एमवीए) 132/133 केवी, ग्रिड सब–स्टेशन को बिजली प्राप्त हो रही है।

iii) बसुंधरा कोलफील्ड्स बसुंधरा क्षेत्र को टाटा पावर वेस्टर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडब्ल्यूओडीएल), पूर्व में वेस्को के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ओपीटीसीएल, लेफ्रिपड़ा सब-स्टेशन से 12 किलोमीटर लंबी 220 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से 6 एमवीए की अनुबंध मांग के साथ 220 केवी पर बिजली प्राप्त हो रही है।

पैरामीटर	2023-24	2022-23
अनुबंध मांग (एमवीए)	75.640	67.891

पैरामीटर	2023-24	2022-23
अधिकतम मांग (एमवीए) (वित्तीय वर्ष के दौरान महीने में उच्चतम)	69.556	64.858
ऊर्जा की खपत (मिलि.किलोवाट)	373.32	342.66
कुल राशि (रु. करोड़)	247.64	227.23
यूनिट मूल्य (रु. किलोवाट)	6.64	6.63
विशिष्ट ऊर्जा खपत (किलोवाट/टन)	1.81	1.77
बिजली की विशिष्ट खपत समग्र उत्पादन के लिए (कोयला+ओबी रिमुवल) किलोवाट/क्यूबिक मीटर	0.93	0.95
छूट की तारीख से पहले यानी हर महीने के 4थे या 5वें दिन के पहले बिजली के भुगतान पर लाख रु की छूट।	236.89	215.60

1. एमसीएल के प्रमुख भूमिगत उपकरणों की संख्या और कार्य-निष्पादन क्षमता:-

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान प्रमुख भूमिगत उपकरणों की संख्या और उनकी उपलब्धता नीचे दी गई है:

क्र.	उपकरणों के नाम	रोल में (सं)		2023-24		2022-23	
		2023-24	2022-23	% उपलब्धता	% उपयोगिता	% उपलब्धता	% उपयोगिता
1	एसडीएल*	6	8	63.82	24.76	71.93	21.78
2	एलएचडी*	15	18	73.51	30.60	73.14	27.90

यूजी उत्पादन	2023-24	2022-23
वास्तविक (एमटी)	0.46	0.44
लक्ष्य (एमटी)	0.46	0.44

सीआईएल मानदंड के अनुसार एसडीएल और एलएचडी के लिए सूत्र है

$$* \% \text{ उपलब्धता} = \frac{Hw + Hi}{Hs} \times 100$$

जहां,
Hw = वास्तविक कार्य घंटे / वर्ष,
Hi = निष्क्रिय घंटे / वर्ष
Hs = शिफ्ट घंटे / वर्ष

$$* \% \text{ उपयोगिता} = \frac{Hw}{Hs} \times 100$$

जहां,,
Hw = वास्तविक कार्य घंटे / वर्ष,
Hs = शिफ्ट घंटे / वर्ष

2. कोल हैंडलिंग संयंत्रों, वेब्रिजों की संख्या और उनके कार्यक्षेत्र आदि

वर्ष 2023-24 के दौरान सीएचपी और फीडर ब्रेकर्स के माध्यम से 5.82 मीट्रिक टन कोयला क्रश किया गया, जबकि वर्ष 2022-23 के दौरान 6.17 मीट्रिक टन कोयला क्रश किया गया।

वर्ष	2023-24		2022-23	
	क्रशिंग क्षमता (एमटीवाई)	क्रश किया गया कोयला (एमटी)	क्रशिंग क्षमता (एमटीवाई)	क्रश किया गया कोयला (एमटी)
क्षमता बनाम क्रश्ड कोयला	10.50	5.82	10.50	6.17
संयंत्र की क्रशिंग क्षमता का उपयोगिता %	55.43		58.76	

2023-24 के दौरान किराए के मोबाइल क्रशर के माध्यम से अतिरिक्त 1.7 मिलियन टन कोयला क्रश किया गया।

एमसीएल के अधिकांश ओसीपी में सरफेस माइनर्स की शुरुआत के बाद, क्रशर/सीएचपी का उपयोग काफी हद तक कम हो गया है और इस प्रकार उन्हें स्टैंडबाय के रूप में उपयोग किया जाता है और जहां भी पारंपरिक रूप से कम मात्रा में कोयला उत्पादन किया जाता है, उतना ही कोयला क्रश किया जा रहा है। 2023-24 के दौरान कुल कोयला उत्पादन का 98.00% उत्पादन सरफेस माइनर के माध्यम से किया गया था। सीएचपी के नवीनीकरण और पे लोडर लोडिंग से बचने के लिए सड़क माध्यम से बिक्री ट्रकों में कोयला लोड करने की ट्रक लोडिंग प्रणाली शुरू करने तथा भंडारों पर मोबाइल क्रशर लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

3.1 सीएचपी/एसआईएलओ के कार्यात्मक बिंदु इस प्रकार हैं: -

क्षेत्र	सीएचपी का स्थान	क्षमता (एमटीवाई)
जगन्नाथ	जगन्नाथ ओसीपी	3.0
	अनंता ओसीपी	1.0
भरतपुर	भरतपुर ओसीपी	3.5
	न्यू साइलो	15.0
लिंगराज	न्यू सीएचपी (साइलो I & II)	16.0
ईब-वैली	लजकुरा ओसीपी	1.0
कुल		**39.5**

3.2 कोयला प्रेषण को सुव्यवस्थित करने के लिए एमसीएल की सभी प्रमुख ओपन कास्ट खदानों में सीएचपी/एसआईएलओ का निर्माण कार्य निष्पादन/निविदा/योजना को अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में है।

एमसीएल में पूर्ण/कार्यशील सीएचपी/एसआईएलओ परियोजनाएँ

क्र.सं.	सीएचपी /साइलो विवरण	क्षमता	वर्तमान स्थिति
1	भरतपुर साइडिंग में साइलो के साथ कोल हैंडलिंग प्लांट	15 एमटीवाई	इस संयंत्र को 09.10.2018 को एमसीएल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है और यह दिसंबर 2018 से परिचालन में है।
2	लिंगराज ओसीपी में कोयला परिवहन और साइलो लोडिंग व्यवस्था	16 एमटीवाई	संयंत्र का परीक्षण 25.04.2020 को पूरा हो गया है। संयंत्र चालू हो गया है और संचालन में है।
3	भुवनेश्वर ओसीपी से जगन्नाथ वाशरी को बायपास करते हुए स्पर साइडिंग-III के पास साइलो तक कच्चे कोयले का परिवहन	10 एमटीवाई	संयंत्र का निर्माण पूरा हो चुका है और इसका परीक्षण चल रहा है। परियोजना का संचालन जून 2024 में पूरा होने की उम्मीद है।
4	हिंगुला ओसीपी से पाइप कन्वेयर द्वारा बलराम साइडिंग, हिंगुला क्षेत्र में साइलो व्यवस्था तक कोयला परिवहन।	10 एमटीवाई	संयंत्र के 31.12.2024 तक चालू होने की उम्मीद है।
5	इब-वैली वाशरी को कच्चे कोयले की आपूर्ति के लिए लखनपुर में साइलों के साथ कोल हैंडलिंग प्लांट और रैपिड लोडिंग सिस्टम	10 एमटीवाई	कार्य की प्रगति 98% है। इब वैली वाशरी को कच्चे कोयले की व्यवस्था के लिए पीजी परीक्षण पूरा हो चुका है और उपरोक्त कार्य भाग 15 अप्रैल 2024 से चालू है। साइलो का निर्माण 30.6.2024 तक हो जाएगा।

3.3 वेब्रिजों का विवरण

क्र.सं.	वेब्रिज का प्रकार	2023-24	2022-23
1	इलेक्ट्रॉनिक रोड वेइब्रिज (स्टैटिक)	109	108
2	इलेक्ट्रॉनिक रोड वेब्रिज (गतिशील)	51	40
3	रेल वेब्रिज (इलेक्ट्रॉनिक)	39	38

दोनों छोरों (स्टॉक यार्ड और साइडिंग) पर 100% वजन सुनिश्चित करने के लिए, 100T के 40 स्टैटिक रोड वेब्रिज के लिए एक (01) आपूर्ति आदेश दिया गया है, जिसमें से 32 स्टैटिक रोड वेब्रिज की पहले ही आपूर्ति किए जा चुकी हैं, 9 स्टैटिक रोड वेब्रिज स्थापना के अधीन हैं और 2 पहले ही शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा 35 रेल इन मोशन वेब्रिज को एफ़ओआईएस (FOIS) के साथ एकीकृत किया गया है।

3.4. अनुषंगी और एमएसई उद्योगों का विकास

एमसीएल स्थानीय उभरते उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने तथा स्टोर/उपभोज्य/मरम्मत आदि के क्षेत्रों में राजस्व का पर्याप्त हिस्सा आवंटित करके उन्हें स्थायी व्यवसाय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उपरोक्त उद्देश्य के लिए, एमसीएल के पास पूर्ण एमएसएमई-अनुषंगी विकास सेल है जो निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध है:

- ओडिशा राज्य में अपने परिचालन क्षेत्राधिकार में सूक्ष्म और लघु उद्योगों की संभावनाओं का पता लगाने और उन्हें विकसित करने के लिए सभी प्रयासों को शुरू करना, अनुमति देना और प्रोत्साहित करना।

- राज्य के उद्योग निदेशालय और डी.आई.सी. की सहायता से एम.सी.एल. की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पुर्जों की उपलब्धता में सुधार करना, आयात प्रतिस्थापन करना।
- राज्य के स्थानीय युवा बहुल क्षेत्रों में स्वरोजगार और इस प्रकार आत्म-निर्भरता बढ़ाने की गुंजाइश बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण।
- राज्य में आम जनता की समृद्धि और राष्ट्र के औद्योगिक मानचित्र में इस राज्य का उत्थान तथा इस राज्य के एससी/एसटी एमएसई और महिला एमएसई सहित एमएसई के औद्योगिक उत्पादों को समायोजित करना, ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक मानक को प्राप्त करने की नई गतिशीलता तक पहुंचा जा सके।

कंपनी की स्थापना के बाद से ही एमसीएल ने ओडिशा के एमएसई की मदद की है और उनका विकास किया है। एमएसई इकाइयों को एमसीएल के इंजीनियरिंग और खनन अनुभाग में शामिल उत्पादन प्रक्रियाओं से सीधे जुड़े विभिन्न उपभोज्य पुर्जों/वस्तुओं और सेवा-संबंधी नौकरियों के लिए निविदाएं दी गईं।

एमएसई को जीवित रखने के अपने निरंतर प्रयासों में, एमसीएल उन अनुषंगी इकाइयों को स्थायी व्यवसाय दे रहा है जो गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आपूर्ति और शीघ्र वितरण कार्यक्रम बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार द्वारा एमएसई के लिए 358 मदें आरक्षित की गई हैं जिन्हें विशेष रूप से एमएसई से ही खरीदा जाता है जिसके लिए एक विशेष निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) भी तैयार की गई है।

एमसीएल निरंतर अनुषंगी इकाइयों के साथ संपर्क में है और समय-समय पर संवादात्मक सत्र/बैठकें आयोजित करके उनकी शिकायतों का निवारण करने का प्रयास कर रहा है। एमसीएल हमेशा राज्य के एमएसएमई के साथ है ताकि राष्ट्रीय हित के साथ गुणवत्ता, विपणन और समग्र व्यवसाय विकास के मामले में उनके उत्थान को बढ़ावा दिया जा सके। इसे राज्य और राष्ट्रीय निकायों द्वारा विभिन्न मंचों पर भी मान्यता दी गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में, एमसीएल ने एमएसई को बढ़ावा देने और एमसीएल में व्यावसायिक अवसरों के बारे में जागरूक करने के लिए छह (06) विक्रेता विकास कार्यक्रमों का आयोजन/भागीदारी की है।

एमसीएल द्वारा अपनाई गई नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

भारत सरकार के सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा जारी एमएसई आदेश 2012 के अनुसार, वर्ष 2015-16 से सार्वजनिक खरीद नीति का कार्यान्वयन अनिवार्य हो गया है। एमसीएल ने जुलाई 2013 से मौजूदा सहायक नीति के साथ इस नीति को तैयार और कार्यान्वित किया था। एमसीएल द्वारा अपनाई गई एमएसई और सहायक के लिए नई खरीद नीति एमसीएल पोर्टल में अनुषंगी और एमएसई शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है (http://www.mahanadicoal.in/About/pdf/ANCILLARY_POLICY.pdf)।

- एमएसई द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदान की जाने वाली सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25 प्रतिशत एमएसई से खरीदा जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वार्षिक खरीद के 25 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदा जाएगा। हालांकि, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा आवश्यकताओं और एल 1 मूल्य को पूरा करने में ऐसे एमएसई की विफलता की स्थिति में अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए निर्धारित खरीद के लिए 4% उप-लक्ष्य अन्य एमएसई से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 25 प्रतिशत में से 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से भी खरीदा जाएगा।
- निविदा में, एल1+15 प्रतिशत के मूल्य बैंड के भीतर कीमत उद्धृत करने वाले एवं भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अपनी कीमत एल1 मूल्य तक कम करके कुछ आवश्यकताओं की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी, जहां एल1 मूल्य सूक्ष्म और लघु उद्यम के अलावा किसी अन्य से हो और ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यम को कुल निविदा मूल्य के 20 प्रतिशत तक की आपूर्ति करने की अनुमति होगी।
- व्यापार करने की लेन-देन लागत को कम करने के लिए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को निःशुल्क निविदा सेट उपलब्ध कराकर सुविधा प्रदान की जाएगी, तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बयाना राशि के भुगतान से छूट दी जाएगी।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 358 वस्तुओं की खरीद, जिन्हें विशेष रूप से उन्हीं से खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। नई नीति के कार्यान्वयन के लिए एक मानक एनआईटी पहले ही लागू की जा चुकी है, जिसमें केवल एमएसई या एमएसई के अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकते हैं तथा अन्य से प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

एमसीएल की वार्षिक खरीद और पिछले तीन वर्षों की एमएसई से खरीद का विवरण नीचे दिया गया है:

		2021-22 (रु. करोड़ में)	2022-23 (रु. करोड़ में)	2023-24 (रु. करोड़ में)
1	एचईएमएम, पीओएल, इमारती लकड़ी, विस्फोटक आदि को छोड़कर कुल वार्षिक खरीद (करोड़ रुपए में)	427.18	216.72	730.51
2	एमएसई से कुल खरीद (करोड़ रुपए में)	166.03	150.16	439.52
3	कुल खरीद में से एमएसई से खरीद का प्रतिशत	38.87	69.29	60.16



ईब वैली वाशरी

एमसीएल ने वित्त वर्ष 2023-24 में कुल वार्षिक खरीद में से एमएसई के लिए 60.16% खरीद (एचईएमएम, पीओएल, टिम्बर, एक्सप्लोसिव इत्यादि को छोड़कर एमएसएमई के माध्यम से खरीद का लक्ष्य 35% है) की है।

उपरोक्त के अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 में एमएसई से 2203.718 करोड़ रुपये की सेवा खरीद (सीएमसी अनुबंध) की गई है। एमसीएल एमएसएमई के माध्यम से खरीद लक्ष्यों को लगातार प्राप्त कर रहा है और भविष्य में भी इस प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

एमसीएल को आरएक्सआईएल (रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीआरईडीएस (ट्रेड्स रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। एमएसएमई विक्रेताओं को टीआरईडीएस पोर्टल पर पंजीकरण करने और आरएक्सआईएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

एमसीएल खरीद प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है, ई-खरीद पोर्टल में बोलीदाताओं के डेटाबेस को अद्यतन कर रहा है, 25% का लक्ष्य हासिल करने और उसमें सुधार करने के लिए हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है।

7. पूंजीगत संरचना

31.03.2024 के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹1600.00 करोड़ है, जिसे ₹1000/- के प्रत्येक इक्विटी शेयर के 1,39,58,200 शेयरों में तथा ₹1,000/- प्रत्येक के 10% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर के 20,41,800 शेयरों में विभाजित किया गया है।

शेयर पूंजी

31.03.2024 के अनुसार कंपनी द्वारा जारी/प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 1323.67 करोड़ है, जिसे ₹ 1,000/- प्रत्येक के 1,32,36,726 शेयरों में विभाजित किया गया है।

8. वित्तीय समीक्षा

कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹ 41,918.77 करोड़ की तुलना में ₹ 37,200.78 करोड़ का सकल विक्रय मूल्य दर्ज किया है। पिछले वर्ष के 18,801.24 करोड़ रुपये की तुलना में 2023-24 के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 15,593.10 करोड़ रुपये है। पिछले वर्ष के 13,470.16 करोड़ रुपये के पीएटी की तुलना में 2023-24 के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी) रु. 11,845.40 करोड़ रुपये है। 2022-23 की तुलना में 2023-24 के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

[₹ करोड़ में]

		2023-24	2022-23 (पुनर्घोषित)
A	सकल लाभ (मूल्यह्रास और ब्याज से पहले)	16,626.93	19,818.00
B	वियोग : मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	966.99	935.64
C	वित्तीय लागत	66.84	81.12
D	**कर पूर्व निवल लाभ**	**15,593.10**	**18,801.24**
E	वियोग: आयकर और आस्थगित कर के लिए प्रावधान	3,747.70	5,331.08
F	**कर पश्चात निवल लाभ**	**11,845.40**	**13,470.16**
G	प्रतिधारित आय में उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि	8,939.99	4,568.59
H	वियोग : सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण	592.27	673.76
I	वियोग : इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश	7,500.00	7,400.00
J	कम: गत वर्ष का अंतिम लाभांश	1,500.00	1,025.00
K	**उपर्युक्त विनियोग के बाद लाभ/हानि**	**11,193.12**	**8,939.99**
	कर पूर्व अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
L	वियोग : ओसीआई पर आयकर का प्रावधान	(56.26)	60.48
M	कर पश्चात अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	14.16	(15.22)
N	कर पश्चात कुल व्यापक आय (एफ+एन)	**(42.10)**	**45.26**
O	Total Comprehensive Income after Tax (F+N)	**11,803.30**	**13,515.42**

8.1 रिजर्व में स्थानांतरण

वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ का 5% होने के कारण ₹ 592.27 करोड़ की राशि को सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है।

8.2 लाभांश

निदेशकों ने अंतरिम लाभांश के रूप में ₹ 7,500.00 करोड़ के लाभांश की अनुशंसा की है और बोर्ड द्वारा ₹ 1,100.00 करोड़ के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की गई है, जिसे वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में ₹ 1323.67 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन घोषित किया

जाना प्रस्तावित है। वर्ष के लिए कुल लाभांश ₹ 8,600 करोड़ अर्थात प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 649.71% (पिछले वर्ष 1,344.74%) अनुमोदन के लिए परिकलित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड द्वारा अनुशंसित पिछले वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 1,500 करोड़ का अंतिम लाभांश एजीएम में शेयरधारकों द्वारा घोषित किया गया है और शेयरधारकों को भुगतान किया गया है।

8.3 प्रदत्त ऋण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा बाहरी लोगों को कोई ऋण नहीं दिया गया है और 31.03.2024 को कोई ऋण बकाया नहीं है।

9. निवेश

9.1 एमएनएच शक्ति लिमिटेड, एमजेएसजे कोल लिमिटेड, महानदी बेसिन पावर लिमिटेड और महानदी कोल रेलवे लिमिटेड, एमसीएल की अनुषंगी कंपनियों के इक्विटी शेयरों में गैर-वर्तमान निवेश क्रमश: ₹24.57 करोड़, ₹57.06 करोड़, ₹0.05 करोड़ और ₹64.00 करोड़ हैं।

9.2 एमसीएल की अनुषंगी कंपनी महानदी कोल रेलवे लिमिटेड को ₹208.00 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण (अर्ध इक्विटी) और 31.03.2024 तक बकाया ऋण ₹208.00 करोड़ है।

9.3 31.03.2024 तक म्यूचुअल फंड में निवेश ₹1,214.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,069.88 करोड़) था।

10. पूंजीगत व्यय

वर्ष के दौरान कुल पूंजीगत व्यय ₹3,837.31 करोड़ था जबकि पिछले वर्ष यह व्यय ₹4,279.50 करोड़ (पुनर्घोषित) था।

11. उधार

31.03.2024 के अनुसार मैसर्स लीभेर फ्रांस एसए, फ्रांस को आस्थगित क्रेडिट पर चार हाइड्रोलिक शॉवेल्स की आपूर्ति के लिए ₹3.95 करोड़ की राशि देय है।

12. विक्रय प्राप्ति

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एमसीएल की अन्य परिचालन राजस्व सहित सकल बिक्री ₹40535.27 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल प्राप्ति ₹39,934.39 करोड़ थी जो कुल आरंभिक देनदारों और चालू वर्ष की सकल बिक्री का 95.03% है।

13. राजकोष को भुगतान

कंपनी केंद्र और राज्य के खजाने में प्रमुख योगदानकर्ता बनी हुई है। पिछले वर्ष के दौरान किए गए भुगतानों की तुलना में वर्ष के दौरान रॉयल्टी, एनएमईटी, डीएमएफ, जीएसटी, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, आयकर के रूप में कंपनी द्वारा किया गया भुगतान निम्नानुसार है:

[₹ करोड़ में]

	2023-24	**2022-23**
रॉयल्टी	3,183.53	3,607.86
एनएमईटी	61.93	71.68
डीएमएफ	929.74	1,086.25
माल और सेवा कर	756.98	855.28
जीएसटी मुआवजा उपकर	7,879.50	7,675.51
आय कर	4,350.00	5,250.00
कुल	**17,161.68**	**18,546.58**

14. विज्ञापन और प्रचार पर व्यय-

वर्ष के दौरान विज्ञापन और प्रचार पर व्यय पिछले वर्ष के ₹ 7.95करोड़ के व्यय की तुलना में ₹ 15.68 करोड़ है।

15. ऋणग्रस्तता

बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान हेतु अदेय सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता:

विवरण	**जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण**	**असुरक्षित ऋण**	**जमा**	**कुल ऋणग्रस्तता**
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	4.58	-	4.58

ii) अप्रदत्त देय ब्याज	-	-	-	-
iii) अदेय उपार्जित ब्याज	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)	**-**	**4.58**	**-**	**4.58**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* जोड़ना	-	0.00	-	0.00
* घटाना	-	0.63	-	0.63
निवल परिवर्तन	-	(0.63)	-	(0.63)
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	3.95	-	3.95
ii) अप्रदत्त देय ब्याज	-	-	-	-
iii) अदेय उपार्जित ब्याज	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)	**-**	**3.95**	**-**	**3.95**

अतिरिक्त सामग्री जानकारी-

1. वर्ष के दौरान 17.10.2023 की ईजीएम में अनुमोदन के अनुसार कंपनी ने 1:1 की दर अर्थात प्रत्येक 01 पूर्णतः चुकता मौजूदा इक्विटी शेयरों के लिए ₹ 1000 अंकित मूल्य के 01 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर पर 6618363 बोनस शेयर जारी किए थे ।
2. वर्ष के दौरान, कंपनी/समूह की स्ट्रिपिंग गतिविधि नीति पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) के लेखा मानक बोर्ड (ASB) की राय के आधार पर, कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक 16, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के परिशिष्ट B "सतही खदान के उत्पादन चरण में स्ट्रिपिंग लागत" के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि पर एक संशोधित नीति लागू की गई है। 31 मार्च 2022 तक मौजूदा अग्रिम स्ट्रिपिंग शेष को पुनर्निर्धारित वित्तीय विवरणों में नोट 3.1 संपत्ति संयंत्र और उपकरण के तहत 01.04.2022 तक स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों के रूप में माना गया है।
3. वर्ष के दौरान, कंपनी ने तकनीकी रूप से संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवन का मूल्यांकन और समीक्षा की है। लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के कारण, वर्ष के दौरान मूल्यह्रास/परिशोधन में ₹19.60 करोड़ की कमी आई है। भविष्य में इसके प्रभाव का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि इसका अनुमान लगाना अव्यवहारिक है।
4. फरवरी 2018 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए 0-3 किलोमीटर की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए सतही परिवहन शुल्क के भुगतान के लिए ₹ 62.29 करोड़ की राशि पर एनटीपीसी से मतभेद है। विवाद एएमआरसीडी के पास लंबित है। हालाँकि, बकाया राशि के एक बड़े हिस्से को वसूलने की संभावना बहुत अधिक नहीं होने पर विचार करते हुए चालू वर्ष के दौरान उपरोक्त देनदारों के लिए अपेक्षित ऋण हानि प्रदान की गई है।
5. रेलवे बोर्ड ने कार्यकारी निदेशक (इंफ्रा-1), रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या 2018/इंफ्रा/12/19 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार झारसुगुड़ा-बरपाली-सरडेगा रेल लाइन के लिए बढ़े हुए माइलेज को मंजूरी दे दी है। उपरोक्त के लिए रियायत समझौता 11.03.2024 को दक्षिण पूर्व रेलवे और एमसीएल के बीच निष्पादित किया गया है। समझौते के अनुसार, बढ़े हुए माइलेज के माध्यम से रियायत का पुनर्भुगतान 17.04.2023 से लागू होगा। रेलवे ने अभी तक गणना और देय राशि को अंतिम रूप नहीं दिया है और इसलिए रेलवे द्वारा अभी तक कोई राशि जारी नहीं की गई है। प्राप्य राशि की अनुपस्थिति में, खातों की पुस्तकों में कोई आय मान्यता प्राप्त नहीं हुई है।

16. परियोजना निर्माण /पूंजीगत परियोजना

योजना:

एमसीएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 225 एमटीई कोयला उत्पादन करने की योजना बनाई है। वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय 2767.05 करोड़ है, जिसका बड़ा हिस्सा भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे के विकास (कोयला परिवहन सड़कों के निर्माण, एफएमसी की रेल कनेक्टिविटी सहित), सौर संयंत्रों और भारी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा।

अन्वेषण:

अन्वेषण का कार्य सीएमपीडीआईएल द्वारा किया जा रहा है। 2023-24 के दौरान अन्वेषण तथा 2024-25 के लिए प्रस्तावित अन्वेषण का विवरण इस प्रकार है।

क्र.सं.	ब्लॉक	क्षेत्र	कोलफील्ड	2023-24 (एम) के दौरान ड्रिलिंग	प्रस्तावित ड्रिलिंग 2024-25 (एम)	जीआर अनुसूची
1	ओरिएंट वेस्ट (गौतमधारा) ब्लॉक IV का डिपसाइड और उत्पादन सहायता	4.14	ईब वैली	2786.00 (गौतमधारा)	2000	2027-28, 2029-30
2		5.00	ईब वैली	25613.10 (हेमगिरी सेक्टर-1)		
3			ईब वैली			

ईब वैली कुल				**28399.10**		
4	लिबिरा,	12.91	तालचेर	0.00	10000	2024-25, 2027-28 & 2027-28
5	सुभद्रा पश्चिम (सिम-I)	5.99	तालचेर	0.00		
6	रबीपुर और उत्पादन सहायता	14.53	तालचेर	0.00		
	रबीपुर (2D/3D भूकंपीय सर्वेक्षण)		तालचेर	0.00	25 लाइन कि.मी.	
	तालचेर कुल			**0.00**		
	कुल एमसीएल			**28399.10**		

परियोजना निर्माण:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, एमसीएल बोर्ड द्वारा सीआईएल बोर्ड के अनुमोदन के लिए तीन परियोजना रिपोर्ट की सिफारिश की गई:

1. भुवनेश्वरी विस्तार ओसीपी (ओएस वैरिएंट)- 50एमटीवाई
2. अंतर्राष्ट्रीय कुल्दा-गजनबहाल ओसीपी (यूसीई) – 40 एमटीवाई
3. बलभद्र ओसीपी (यूसीई) – 10 एमटीवाई

परियोजना कार्यान्वयन:

2023-24 के दौरान कंपनी का कुल पूंजीगत व्यय 3500.00 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 3771.29 करोड़ रुपये है।

कोयला परियोजनाएं: -

अब तक स्वीकृत कुल 51 कोयला खनन परियोजनाएँ हैं (जिनमें 3 समाप्त हो चुकी परियोजनाएँ शामिल हैं)। इन स्वीकृत परियोजनाओं की निर्धारित उत्पादन क्षमता 362.78 एमटीवाई थी, जिसमें स्वीकृत पूंजीगत व्यय (RCE सहित) रु. 39362.08 करोड़ था। कुल 51 परियोजनाओं में से 40 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, तथा 11 परियोजनाएँ चालू हैं। 51 परियोजनाओं की वर्तमान क्षमता तथा पूंजीगत व्यय निम्नानुसार है:

वर्ग (करोड़ रु.)	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु.)	स्थिति		
				समाप्त	पूर्ण	चालू
100 और उससे अधिक	22	311.40	38644.05	01	10	11
50 से 100	09	16.00	427.58	00	09	00
20 से 50	13	28.10	225.93	01	12	00
20 से कम	07	7.28	64.52	01	06	00
कुल	**51**	**362.78**	**39362.08**	**03**	**37**	**11**

पूर्ण परियोजनाएं: - 40

क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (रु. करोड़ में)	पूर्ण करने की तिथि
तालचेर कोलफील्ड्स				
1.	अनंता ओ/सी	4.00#	338.44	मार्च-2008
2.	अनंता ओ/सी विस्तार चरण-I	5.50#		
3.	अनंता ओ/सी विस्तार चरण-II	12.00#		
4.	अनंता ओ/सी विस्तार चरण-III	15.00	467.94	मार्च-2022
5.	बलाण्डा ओ/सी तथा आरपीआर (समाप्त)	1.00	33.20	मार्च 1984
6	बलराम ओ/सी	8.00#	344.63	मार्च 2000
7.	भरतपुर ओ/सी	3.50#	158.97 (RCE)#	मार्च 1991
8.	भरतपुर विस्तार चरण -I	5.00#	48.02#	मार्च 1998
9.	भरतपुर ओ/सी विस्तार चरण -II	11.00#	95.87#	मार्च 2007
10.	भरतपुर ओ/सी विस्तार चरण -III	20.00#	131.39#	मार्च 2010
11.	छेंडिपाड़ा ओ/सी (समाप्त)	0.35	19.75	मार्च 2007

12.	हिंगुला -II ओ/सी	2.00#	47.93	मार्च 2002
13.	हिंगुला-II विस्तार चरण -I	4.00#	89.78	मार्च 2009
14.	हिंगुला -II ओ/सी विस्तार चरण -II	8.00	35.67	मार्च 2009
15.	जगन्नाथ ओ/सी / जगन्नाथ विस्तार	4.00#	66.71 / 4.71	मार्च 1991
16.	जगन्नाथ ओ/सी विस्तार चरण -II	6.00#	4.95	मार्च 2008
17.	जगन्नाथ पुनः संगठन ओसी	6.00	437.011	अक्तूबर 2020
18.	लिंगराज ओ/सी	5.00#	229.84	मार्च 1998
19.	लिंगराज ओ/सी विस्तार चरण -I	10.00#	98.89	मार्च 2007
20.	लिंगराज ओ/सी विस्तार चरण -II	13.00#	2.18	मार्च 2008
21.	लिंगराज ओ/सी विस्तार चरण -III	16.00	306.18	मार्च 2014
22.	नंदिरा भूमिगत (वृद्धि)	0.33	17.96	मार्च 1995
उप कुल (क्षमता समाप्त खदानों सहित)		**46.68**	**2545.77**	
ईब वैली कोलफील्ड्स				
23.	बसुंधरा (पूर्व) ओ/सी (समाप्त)	0.60	19.70	मार्च 1998
24.	बसुंधरा (पश्चिम) ओ/सी	2.40#	68.74 (RCE)	मार्च 2007
25.	बसुंधरा (पश्चिम) विस्तार. चरण -I	7.00	46.52	मार्च 2011
26.	बेलपहाड़ ओ/सी	2.00#	246.93	मार्च 2015
27.	बेलपहाड़ ओ/सी विस्तार चरण -I	3.50#		
28.	बेलपहाड़ ओ/सी विस्तार चरण -II	8.00#		
29.	कुल्डा ओसीपी	10.00	487.06	फरवरी -2020
30.	लजकुरा ओ/सी / लजकुरा विस्तार.	1.00#	38.98 (RCE) /3.22	मार्च 1991
31.	लजकुरा ओ/सी विस्तार चरण -I	2.50	194.99	मार्च 2013
32.	लखनपुर ओ/सी	5.00#	215.02	मार्च 2000
33.	लखनपुर ओ/सी विस्तार चरण -I	10.00#	98.74	मार्च 2010
34.	लखनपुर ओ/सी विस्तार चरण -II	15.00#	116.54	मार्च 2011
35.	लिलारी ओ/सी/ Lilari विस्तार.	0.80#	19.78 / 0.63	मार्च 1992
36.	समलेश्वरी ओ/सी	3.00#	636.24	मार्च 2013
37.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण -I	4.00#		
38.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण -II	5.00#		
39.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण -III	7.00#		
40.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण -IV.	12.00		
उप योग (क्षमता समाप्त खदानों सहित)		**32.10**	**2193.09**	
कुल(पूर्ण परियोजना)		**78.78**	**4738.861**	

(#) विस्तार/प्रसार /पुनर्गठन/डॉव-टेल्ड परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद इन खदानों की क्षमता और/या पूंजी को बाहर रखा गया है।

चालू परियोजनाएं: -11

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (रु. करोड़ में)	परियोजना अनुमोदन की तिथि
तालचेर कोलफील्ड्स				
1	बलराम विस्तार ओसीपी	15.00	3504.21	04.08.2020
2	भूबनेश्वरी विस्तार ओसीपी	50.00	4563.51	25.08.2020
3	गोपालजी – कनिहा ओसीपी	30.00	6107.87	25.04.2022
4	हिंगुला का आरपीआर -II विस्तार चरण-III ओसीपी	15.00# (7 incr.)	2264.68	07.11.2022
5	भरतपुर पुन: संगठन ओसी	20.00	2838.87	12.11.2018
6	सुभद्रा ओसीपी	25.00	1693.81	25.03.2021
7	बलभद्र ओसीपी	10.00	978.44	24.01.2022
उप कुल		**147.00**	**21951.39**	

ईब वैली कोलफील्ड				
8	बसुंधरा (पश्चिम) विस्तार	7.00#	620.42	07.05.2014
9	सियारमल ओसीपी	50.00	5194.95	02.02.2021
10	एकीकृत लखनपुर -बेलपहाड़-लिलारी ओसीपी	30.00	2434.75	22.05.2018
11	कुल्डा-गर्जनबहाल विस्तार ओसीपी	40.00	4421.71	19.04.2023
	उप कुल	**127.00**	**12671.83**	
कुल (चालू परियोजनाएं)		**284.00**	**34623.22**	
महायोग (समाप्त हो चुकी खदानों की क्षमता सहित)		**362.78**	**39362.08**	

(#) विस्तार/प्रसार /पुनर्गठन/डोवटेल्ड परियोजना रिपोर्ट के लिए क्षमता में कोई वृद्धि/आंशिक वृद्धि नहीं।

भावी परियोजना: - 04

क्र.	**परियोजना का नाम**	**परियोजना क्षमता (एमटीवाई)**	**टिप्पणियां**
1.	अनंता भूमिगत	3.36	28.03.2024 को योजना समिति की बैठक में परियोजना रिपोर्ट पर चर्चा की गई, जिसे एमसीएल बोर्ड की टीएससी के समक्ष रखा जाएगा।
2	लजकुरा डिपसाइड विस्तार ओसीपी	8	27.03.2024 को योजना समिति की बैठक में परियोजना रिपोर्ट पर चर्चा की गई।
3	बैतरणी पूर्व ओसीपी	20	सीएमपीडीआई में परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है
4	बलभद्र उत्तर और पश्चिम विस्तार ओसीपी	10	सीएमपीडीआई में परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है
कुल		**कुल अतिरिक्त परियोजना क्षमता = 38.86**	

मौजूदा पुरानी भूमिगत उत्पादन खदानें : - 02

		सीएमपीडीआईएल द्वारा मूल्यांकित क्षमता (एमटीवाई में) (मिलियन टन /वर्ष)					
क्र.	**परियोजना का नाम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (Prov)**
1.	हीराखंड बुंदिया खदान	0.366	0.428	0.468	0.247	0.219	0.219
2.	ओरिएंट खदान 1और 2	0.397	0.328	0.321	0.350	0.219	0.219
	कुल	**0.763**	**0.756**	**0.789**	**0.597**	**0.438**	**0.438**
	कुल क्षमता (मौजूदा भूमिगत खदानों सहित)= 362.78 +0.438 = 363.218						

एमसीएल की भूमिगत खदान संकल्पना योजना:

नई/विस्तारित खदान का नाम	**निष्कासन योग्य कोयला भंडार (एमटी)**	**उत्पादन चरण (एमटी)**				
		23-24	**24-25**	**25-26**	**26-27**	**27-28**
अनंता भूमिगत	37.17 मि. टन (चरण-I)	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
तालचेर भूमिगत	1.89(वर्जिन)+9.11(पिलर में) =11.00	0.00	0.00	0.00	0.100	0.20
नंदिरा भूमिगत	4.27(पिलर में)	0.06	0.07	0.07	0.105	0.36
ओरिएंट खान सं. 1 और 2	38.68(वर्जिन)+ 27.45 (पिलर में) = 66.13	0.20	0.215	0.215	0.215	0.215
ओरिएंट खान सं. 4	3.12 on pillars	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
एचबीएम	5.529(वर्जिन) +18.56 (पिलर में) = 24.09	0.20	0.215	0.215	0.280	0.50
कुल भूमिगत कोयला उत्पादन		**0.46**	**0.50**	**0.50**	**0.700**	**1.375**

- नंदीरा यूजी में सीएम की शुरूआत के लिए आरआई- V बिलासपुर में एक योजना तैयार की जा रही है। दिसंबर 2023 में योजना का मसौदा प्रस्तुत किया गया है । योजना समिति की बैठक 08.02.2024 को हुई।
- हीराखंड बुंदिया खदान में सीएम शुरू करने की योजना आरआई-VII, भुवनेश्वर में तैयार की जा रही है। मसौदा योजना मार्च 2024 में प्रस्तुत की गई थी।

- तालचेर यूजी को राजस्व साझाकरण के आधार पर एमडीओ को दिया गया है। अनुबंध समझौते पर 12.01.2024 को हस्ताक्षर किए गए हैं। शर्तों के अनुपालन की अवधि अनुबंध समझौते की तारीख से 18 महीने है। वित्त वर्ष 2026-27 से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।
- ओरिएंट कोलियरी नंबर 3 को राजस्व साझाकरण के आधार पर एमडीओ को दिया गया है, लेकिन एमडीओ द्वारा प्रस्तावित संचालन ओपनकास्ट खनन के माध्यम से है। इसलिए परियोजना को अब यूजी विजन प्लान के लिए नहीं माना जाता है।
- पद्मा, भरतपुर उत्तर, जगन्नाथ, अनंता और इसके विस्तार ब्लॉक्स को कवर करने वाली अनंता यूजी नामक एक नई यूजी खदान के लिए आरआई-IV, नागपुर में पीआर तैयार किया जा रहा है। ड्राफ्ट पीआर मार्च 2024 में प्रस्तुत किया गया था।
- ओरिएंट कोलियरी नंबर 4 को राजस्व साझेदारी के आधार पर एमडीओ के लिए दो बार निविदा दी गई, लेकिन कोई बोलीदाता नहीं आया, दूसरी पुनः निविदा बोली जनवरी 2024 में खुलेगी। भाग- I और भाग- II बोलियां क्रमशः फरवरी 2024 और मार्च 2024 में खोली गईं।

गैर-खनन परियोजनाएं

एमसीएल की प्रमुख चालू गैर-खनन परियोजनाएं जिनकी लागत 20 करोड़ रुपये से अधिक है:

क्र.	परियोजना का नाम	पूंजीगत लागत
1	लखनपुर क्षेत्र के बेलपहाड़ बाईपास पर 4-लेन कैरिज वे रोड का निर्माण।	(रु. करोड़ में)
2.	सुंदरगढ़ जिले में एसएच-10 पर बांकीबहाल से भेड़ाबहाल तक समर्पित कोल कॉरिडोर रोड का निर्माण। लंबाई-31 किमी	671.19
3.	लिंगराज ओसीपी, लिंगराज क्षेत्र के मौजूदा कोल कॉरिडोर रोड को उत्तरी तरफ से दक्षिणी तरफ स्थानांतरित करना।	51.01
4.	जगन्नाथ क्षेत्र के अंतर्गत अनंत ओसीपी के विभिन्न स्थानों पर स्थायी कोयला परिवहन कंक्रीट सड़क का निर्माण।	49.75
5.	अनंता सीएचपी-आरएलएस (20 एमटीवाई)	278.48
6.	भुवनेश्वरी साइलो (चरण-II) (15 एमटीवाई)	247.69
7.	कनिहा सीएचपी-आरएलएस (10 एमटीवाई)	268.05
8.	लजकुरा सीएचपी-आरएलएस (15 एमटीवाई)	285.05
9.	सरड़ेगा सीएचपी-आरएलएस S (20 एमटीवाई)	311.68
10.	हिंगुला न्यू सीएचपी लिंक	218.30
11.	भुवनेश्वरी साइलो (चरण -I) (10 एमटीवाई)	334.81
12.	हिंगुला साइलो (10 एमटीवाई)	168.95
13.	भुवनेश्वरी साइलो को इनपुट कोयला फीडिंग व्यवस्था (चरण -I)	40.52
14.	लखनपुर साइलों(10 एमटीवाई) चरण-I	164.38
15.	अनंता सीएचपी-आरएलएस से रेल संबद्धता (20 एमटीवाई) 19.0 कि.मी.	260.00
16.	भुवनेश्वरी साइलो से रेल संबद्धता (चरण -II) (15 एमटीवाई) 13.40 किमी	265.70
17.	कनिहा सीएचपी-आरएलएस रेल संबद्धता (10 एमटीवाई) 2.50 किमी	19.17
18.	लजकुरा सीएचपी-आरएलएस से रेल संबद्धता (15 एमटीवाई) 9.0 किमी	89.92
19.	सरड़ेगा सीएचपी-आरएलएस से रेल संबद्धता (20 एमटीवाई) 14.70 किमी	224.78
20.	लखनपुर साइलो से रेल संबद्धता चरण -I (8.32 किमी)	146.77
21.	लखनपुर साइलो से रेल संबद्धता चरण -II	230.00
22.	लखनपुर क्षेत्र में वाई-कर्व साइडिंग का स्थानांतरण (17.20 किमी)	360.00
23.	तालचेर कोलफील्ड्स की मौजूदा रेल साइडिंग पर स्वचालित सिग्नलिंग का प्रावधान।	58.00
24.	50 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना।	301.91
25.	झारसुगुड़ा-बरपाली-सरडेगा रेल लाइन चरण-II कार्य (जिसमें 52 किमी लाइन का दोहरीकरण, 47.70 किमी बरपाली में लोडिंग बल्ब और 26.00 किमी झारसुगुड़ा में दोहरी लाइन फ्लाईओवर शामिल है)	3198.12
26.	इनर कॉरिडोर फेज-II: बलराम- पुटुगड़िया-जरपाड़ा- तेंतुलोई रेल लिंक (54 किमी)	1555.00
27.	सरडेगा साइडिंग में प्लेटफॉर्म का चौड़ीकरण	51.60
28.	तालचेर में मेडिकल कॉलेज (MIMSR) का निर्माण	49.26
29.	झारसुगुड़ा में 100 बिस्तरों वाला कार्डियक इंस्टीट्यूट	75.00
30.	ओडिशा के 232 रेलवे स्टेशनों के परिसंचारी क्षेत्रों में प्रीफैब्रिकेटेड शौचालयों की स्थापना	57.55
31.	अंगुल जिले के तालचेर और कनिहा ब्लॉक के 35 गांवों के लिए 2 पाइप जलापूर्ति योजनाएं	55.07
32.	घंटापाड़ा गांव के पास लेवल क्रॉसिंग पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण	39.45
33.	झारसुगुड़ा जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सार्वजनिक उपयोगिता सुविधाओं (78) का निर्माण।	27.30
34.	जिला स्टेडियम, झारसुगुड़ा का निर्माण	25.41

35	अंगुल, संबलपुर, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ में व्यापक सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीसीडीपी-उत्थान)	20.29
36.	सीटी रोड लखनपुर ओसीपी पर नई वाई कर्व साइडिंग का काम शुरू	26.22
37.	लखनपुर ओसीपी, लखनपुर क्षेत्र के डब्ल्यूबीएम सीटी रोड का निर्माण	29.24
38.	महालक्ष्मी क्षेत्र के अंतर्गत बसुंधरा (पश्चिम) ओसीपी में सरडेगा साइडिंग तक मौजूदा कोयला परिवहन सड़क का चौड़ीकरण और सरडेगा सीएचपी के ट्रक रिसीविंग हॉपर तक नई सड़क का निर्माण	24.59
39	रेल अवसंरचना परियोजनाओं का विकास: क) 6 आरओबी का निर्माण, ख) तालचेर कोलफील्ड में एमसीएल के रेलवे साइडिंग/रेल नेटवर्क में 4 स्थानों/खंडों पर रेल लाइनों का दोहरीकरण, ग) ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर द्वारा जमा आधार पर तालचेर स्टेशन से एमसीएल के तालचेर कोलफील्ड में स्पर संख्या 7-8 तक अलग नई रेल लाइन।	662.43
40	रेलवे ट्रैक का उन्नयन जिसमें 14.626 किलोमीटर ट्रैक लंबाई का पूर्ण ट्रैक नवीनीकरण (सीटीआर) और तालचेर कोलफील्ड में एमसीएल की रेलवे साइडिंग के विभिन्न स्थानों पर 7.5 किलोमीटर का थ्रू रेल नवीनीकरण (टीआरआर) शामिल है, अर्थात देउलबेरा-1 साइडिंग यार्ड, अनंत साइडिंग के स्पर-5, बलराम साइडिंग के स्पर-9, भरतपुर साइडिंग 7 और 8 से बलराम साइडिंग 9 और 10 (ब्लॉक सेक्शन), जगन्नाथ साइडिंग नंबर 3 और 4 से भरतपुर साइडिंग नंबर 7 और 8 (ब्लॉक सेक्शन), भरतपुर साइडिंग 7 और 8 यार्ड ई/आर लाइन, टीएलएसबी केबिन से दक्षिण बलंदा साइडिंग नंबर 1 और 2 ई/आर लाइन और टीआरआर जैसे स्थानों पर जगन्नाथ, तालचेर यार्ड से टीएलएसबी केबिन ब्लॉक सेक्शन, दक्षिण बलंदा साइडिंग नंबर 1 और 2 से भरतपुर साइडिंग 7 और 8 ब्लॉक सेक्शन रेलवे को जमा आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।	42.82
41.	i) जल निकासी प्रणाली में प्रस्तावित नवीनीकरण/सुधार, ii) लोडिंग प्लेटफार्मों से ट्रैक पर कोयले के फैलाव को रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल का प्रावधान और iii) प्रस्तावित विविध सुरक्षा संबंधी कार्य जैसे टो वॉल, रिटेनिंग वॉल, साइड ड्रेन, स्टोन पिचिंग, सेस मरम्मत आदि को ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा तालचेर में एमसीएल साइडिंग के गहरे कटाव और उच्च तटबंध स्थानों में निष्पादित किया जाना है।	31.18
	कुल	**11081.90**

एमसीएल की पूर्ण हो चुकी गैर-खनन परियोजनाएं जिनकी लागत 20 करोड़ रुपये से अधिक है:

क्र.	**परियोजना का नाम**	**पूंजीगत लागत (रु. करोड़)**
1.	बसुंधरा-गर्जनबहाल (बीजी) क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक अवधि वाले सभी सी.टी. सड़कों का कंक्रीट से निर्माण	22.96
2.	बांकीबहाल से कनिका रेलवे साइडिंग तक सड़क को 2 लेन से 4 लेन तक चौड़ा करना- 27 किमी.	256.68
3.	कनिहा ओसीपी में कंक्रीट सीटी रोड का निर्माण	26.92
4.	बसुंधरा पश्चिम विस्तार चेक पोस्ट से सरडेगा रेलवे साइडिंग तक 2-लेन कंक्रीट सड़क का निर्माण।	30.39
5.	तालचेर कोलफील्ड में नए कोल कॉरिडोर का निर्माण। लंबाई 20.99 किमी	243.42
(a)	हिंगुला-बलराम भाग (चरण-I&II) – 7.06 किमी	
(b)	भरतपुर भाग (चरण-I और II) – 2.3 किमी	
(c)	जगन्नाथ भाग (चरण-I और II) – 1.26 किमी	
(d)	अनंत भाग (चरण-I और II) – 2.34 किमी	
(e)	भुवनेश्वरी भाग (चरण-I और II) – 1.82 किमी	
(f)	लिंगराज भाग (चरण-I और II) – 6.21 किमी	
6.	झारसुगुड़ा - बरपाली - सरडेगा रेलवे लाइन (सिंगल लाइन 50 किमी)	1129.39
7.	लिंगराज साइलो (16.0 एमटीवाई) और इसकी रेल संबद्धता	495.01
8.	भरतपुर सीएचपी/साइलो (15.0 एमटीवाई)	174.95
9.	तालचेर में भुवनेश्वर ओसीपी की सेवा के लिए तालचेर यार्ड के लिए टीएलएसबी केबिन से तीसरी लाइन का निर्माण	48.80
10	आंतरिक गलियारा चरण-I: अंगुल – बलराम रेल लिंक (14.25 किमी)	145.00
11	भुवनेश्वरी साइलो चरण-I के लिए रेल संबद्धता (10 एम.टी.वाई) 2.20 किमी.	87.48
12	ईब वैली क्षेत्र के समलेश्वरी ओसीपी (कंक्रीट फुटपाथ), लजकुरा ओसीपी (कंक्रीट फुटपाथ) पर कोयला परिवहन सड़क का निर्माण और एमसीएल के आईबी कोलफील्ड्स के ओरिएंट क्षेत्र में एचबीएम से एसओसीपी जंक्शन तक बिटुमिनस सड़क का सुदृढ़ीकरण।	134.58

13.	तालचेर कोलफील्ड में 05 वर्ष से अधिक अवधि वाले आंतरिक खदान की कोयला परिवहन सड़कों का निर्माण -35.28 किमी.	241.69
(a)	हिंगुला ओसीपी – 4.91 कि.मी.	
(b)	बलराम ओसीपी - 7.00 कि.मी.	
(c)	भरतपुर ओसीपी – 5.46 कि.मी.	
(d)	जगन्नाथ ओसीपी – 6.23 कि.मी.	
(e)	अनंता ओसीपी - 2.15 कि.मी.	
(f)	भूबनेशवरी ओसीपी – 5.73 कि.मी.	
(g)	लिंगराज ओसीपी - 3.80 कि.मी.	
14	बीओएम आधार पर आईबी वैली वाशरी (10.00 एमटीवाई) on B-O-M basis	333.00
15	बुर्ला में खेल परिसर का निर्माण	25.00
16.	एसयूएम अस्पताल द्वारा भुवनेश्वर में समर्पित कोविड अस्पताल	**294.23**
कुल		**3689.50**

विदेशी सहभागिता: शून्य

विदेशी सहभागिता: शून्य

आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी अवशोषण:

- एमसीएल सरफेस माइनर तकनीक द्वारा खुली खदानों में कोयला खनन के लिए ब्लास्ट-फ्री प्रौद्योगिकी की शुरुआत करने में अग्रणी है।
- एमसीएल ने विस्फोट मुक्त ओबी रिमुवल के लिए वर्टिकल रिपर्स भी शुरू किया है।
- एमसीएल की प्रमुख खुली खदान परियोजनाओं में रैपिड लोडिंग सिस्टम के साथ साइलो/सीएचपी शुरू किए जा रहे हैं।
- धुले हुए कोयले के प्रेषण के लिए लखनपुर परियोजना में एक कोल वाशरी अर्थात ईब-वैली वाशरी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
- एमसीएल ने दिनांक 13.10.2014 से अपना पहला (सीआईएल का पहला) ग्रिड से जुड़ा 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक शुरू किया है और 10 विभिन्न स्थानों पर 1.21 मेगावाट रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया है। एमसीएल अक्षय ऊर्जा के एक भाग के रूप में विभिन्न स्थानों पर ग्राउंड माउंटेड 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और 2.50 मेगावाट रूफ टॉप सौर संयंत्र को भी स्थापित कर रहा है।
- खुली खदानों की लघु एवं मध्यम अवधि की योजना के लिए 'माइनक्स जियोविया योजना एवं डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर' की शुरूआत।
- खदान से इंटरनेट प्लेटफॉर्म तक रियल टाइम हवाई वीडियो प्रसारण के लिए 'विहंगम' पोर्टल की शुरूआत।
- प्रभावी धूल दमन के लिए फॉग कैनन और रोबोटिक नोजल की शुरुआत।
- सरफेस माइनर, ड्रिल, डम्पर, डोजर और एक्सेवेटर के संचालक प्रशिक्षण के लिए तालचेर और ईब-वैली कोयला क्षेत्र के लिए एक-एक सिम्युलेटर प्रदान करके प्रशिक्षण की शुरुआत की गई।
- बेहतर और पर्यावरण अनुकूल रोशनी के लिए विभिन्न एचईएमएम में एलईडी लाइटें लगाना।
- लखनपुर ओसीपी में 100 टन के 2 डम्परों में एलएनजी के साथ दोहरे ईंधन मोड की शुरुआत की गई।
- डीजल चोरी रोकने के लिए निगरानी उपाय के रूप में एचईएमएम में ईंधन निगरानी प्रणाली (एफएलएमएस) की स्थापना।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण और अधिकरण का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	क्षेत्र	टेनेन्सी		गैर-वन सरकारी		वन भूमि		कुल अधिग्रहीत	कुल अधिग्रहण	टिप्पणियां
		अधिग्रहीत	अधिग्रहण	अधिग्रहीत	अधिग्रहण	अधिग्रहीत	अधिग्रहण			
1	जगन्नाथ	-	48.28	-	-	-	-	-	48.28	
2	हिंगुला	564.15	13.23	296.32	-	819.34	-	1679.81	13.23	
3	सुभद्रा	-	-	-	-	32.22	-	-	-	
4	भरतपुर	-	4.61	-	-	-	-	-	4.61	
5	लिंगराज	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	कनिहा	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ईब- वैली	-	8.49	-	-	-	-	-	8.49	

8	लखनपुर	-	26.51	-	48.56	-	-	-	75.07	
9	बी-जी क्षेत्र	-	4.95	-	-	-	-	-	4.95	
10	महालक्ष्मी	-	9.84	-	36.42	-	-	-	46.26	
कुल		564.15	115.91	296.32	84.98	819.34	-	1679.81	200.89	

17. एमसीएल में वाशरीप्लांट के निर्माण की स्थिति (दिनांक 31.03.2024 तक)

A. एमसीएल में नॉन-कोकिंग कोल वाशरी की स्थापना:

उच्च राख वाले कोयले की किफायती धुलाई के लिए बिल्ड-ऑपरेट-मेंटेन (बीओएम) आधार पर कोल वॉशरी की स्थापना के सीआईएल के निर्णय के अनुरूप, एमसीएल बीओएम अवधारणा पर लखनपुर क्षेत्र में 10.0 एमटीपीए क्षमता की इब-वैली वॉशरी स्थापित कर रहा है। जिसकी वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

लखनपुर में ईब-वैली वाशरी (10.0 एमटीपीए क्षमता):

- लखनपुर क्षेत्र में ईब-वैली वाशरी की स्थापना के लिए आश्वासन पत्र दिनांक 14/03/2018 को जारी किया गया था।
- लखनपुर क्षेत्र में ईब-वैली वाशरी की स्थापना के लिए दिनांक 15/10/18 को मेसर्स ग्लोबल कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया।
- निर्माण कार्य प्रगति पर है (मार्च 2024 तक 99% पूर्ण)।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी), ओडिशा के पत्र संख्या 7070/आईएनडी-आई-कॉन-6900 दिनांक 03/05/2023 द्वारा लखनपुर क्षेत्र में ईब-वैली वाशरी के संबंध में संचालन की सहमति (सीटीओ) दी गई थी।
- ईब-वैली वाशरी का टेस्ट रन दिनांक 10.05.2023 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।
- फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अंतर्गत लाइसेंस दिनांक 01.01.24 से 31.12.28 तक के लिए प्रदान/नवीनीकृत किया गया है।
- पत्र संख्या एमसीएल/एलकेपीए/पीओ/बीओसीएम/2024/655 दिनांक 02.03.2024 के अनुसार लखनपुर क्षेत्र में ईब-वैली वाशरी की स्थापना के कार्य को पूरा करने के लिए दिनांक 03.01.2024 से 31.05.2024 तक 10वां अनंतिम समय विस्तार प्रदान किया गया है।
- ईब-वैली वाशरी का वाणिज्यिक संचालन 15 मई 2024 तक होने की उम्मीद है।

18. पर्यावरण प्रबंधन:

18.1 वैधानिक मंजूरी और अनुपालन

18.1.1 मंजूरी:

18.1.1.1 पर्यावरण मंजूरी

ईआईए अधिसूचना, 2006 (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित) के अनुसार, किसी भी खदान, वाशरी के संचालन/निर्माण या किसी भी खदान के विस्तार/विस्तारण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है। तदनुसार, एमसीएल सभी खदानों (नई और विस्तारित) के पर्यावरण मंजूरी हेतु नियमित रूप से आवेदन कर रहा है और उसे प्राप्त कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त संदर्भ की अवधि और पर्यावरण मंजूरी नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध हैं।

क) 2023-24 के दौरान प्राप्त संदर्भ की शर्तें

क्रमांक	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	पत्रांक तथा दिनांक
1.	20.383 हेक्टेयर वन क्षेत्र (क्षेत्र विस्तार) सहित भुवनेश्वरी ओसीपी	30	जे-11015/280/2013-IA-II(एम) दिनांक 12.03.2024.

ख) 2023-24 के दौरान प्राप्त पर्यावरण मंजूरी

क्रमांक	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	पर्या.मंजूरी का प्रकार	पत्रांक नं तथा दिनांक
1.	नंदिरा यूजी	0.33	संशोधन	SIA/OR/CMIN/299041/2023 दिनांक 22.05.2023
2.	लखनपुर ओसीपी	22.5	पुनर्वैधीकरण	J-11015/391/2012-IA-II(M) दिनांक 18.09.2023
3.	भुवनेश्वर ओसीपी	30	पुनर्वैधीकरण	J-11015/280/2013/-IA-II(M), दिनांक 10.11.2023
4.	एकीकृत लखनपुर, बेलपहाड़ और लिलारी	40	समामेलन सह विस्तार	J-11015/15/2019-IA-II (M) दिनांक 15.01.2024

5	कुलदा ओसीपी	21	संशोधन	J-11015/10/1995-IA-II (M) दिनांक 05.01.2024
6	गर्जनबहाल ओसीपी	18.2	संशोधन	J-11015/159/2015-IA-II(M) दिनांक 08.03.2024
7	सुभद्रा ओसीपी	25	नया	J-11015/72/2021-IA.II (M) दिनांक 06.03.2024

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, भरतपुर विस्तार ओसीपी (927.42 से 1556.94 हेक्टेयर तक 20 एमटीवाई : क्षेत्र विस्तार) की पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन 20.01.2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) को प्रस्तुत किया गया था।

ग) एमसीएल संचालित खानों के लिए उपलब्ध कुल पर्यावरण मंजूरी

क्रमांक	विवरण	तालचेर कोलफ़ील्डस	ईब-वैली कोलफ़ील्डस	कुल
1	दिनांक 01.04.2024 तक कुल उपलब्ध पर्यावरण मंजूरी	159.83 एमटीवाई	158.52 एमटीवाई	318.35 एमटीवाई *

**एमसीएल की सभी कार्यशील खदानों के लिए।

18.1.2 वन मंजूरी

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और इसके संशोधनों के अनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी), गैर-वनीय उद्देश्यों हेतु वन भूमि के उपयोग के लिए आवश्यक वन मंजूरी प्रदान करता है।

क्रमांक	परियोजना का नाम	वन क्षेत्र (हेक्टेयर)	पत्रांक नं तथा दिनांक
1.	एकीकृत लखनपुर बेलपहाड़ लिलारी खुली खदान	417.073	चरण-I पत्रांक. फ़ाइल संख्या. 8-280/1989-एफसी, दिनांक 27.12.2023
2.	सुभद्रा खुली खदान	125.24	चरण-I पत्रांक. फ़ाइल संख्या 8-06/2023-एफसी, दिनांक 05.12.2023

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, भुवनेश्वर विस्तार ओसीपी, बलराम विस्तार ओसीपी वन प्रस्ताव के चरण-I को अनुमोदन प्रदान करने हेतु एफएसी में विचार के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

18.1.3 भूजल मंजूरी:

जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, आरडी और जीआर के तहत 20 सितंबर 2020 को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, सभी नए/मौजूदा उद्योगों, विस्तार चाहने वाले उद्योगों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और भूजल निकालने वाली खनन परियोजनाओं को केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 12 परियोजनाओं ने सीजीडब्ल्यूए से एनओसी के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। सुभद्रा ओसीपी के 2144.00 क्यूमी/दिन निष्कर्षण की मात्रा के लिए दिनांक 27.12.2023 को एनओसी जारी कर दी गई है।

18.1.4 एसपीसीबी, ओडिशा से स्थापना (सीटीई) और संचालन हेतु सहमति (सीटीओ)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एमसीएल की सभी संचालित खदानों के लिए जल एवं वायु अधिनियमों के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी), ओडिशा सरकार से "सीटीई एवं सीटीओ" प्राप्त कर लिया गया है, जिनकी कुल क्षमता 242.278 मिलियन टन है और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एकीकृत एलबीएल के लिए सीटीई एवं सीटीओ प्रदान किया गया।

18.1.5 खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं ट्रान्सबाउंडरी मूवमेंट) नियम, 2016

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सभी संचालित खदानों द्वारा एसपीसीबी, ओडिशा सरकार से खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवागमन) नियम, 2016 के अंतर्गत "प्राधिकरण" भी प्राप्त कर लिया गया है।

- प्रयुक्त बैटरियों और बरामद जले हुए तेल व ग्रीस को अधिकृत पुनर्प्रसंस्करणकर्ताओं (री-प्रोसेसरों) को नीलाम कर दिया जाता है।
- बैटरियों के लिए अर्धवार्षिक रिटर्न और अन्य खतरनाक अपशिष्टों के लिए वार्षिक रिटर्न विधि के अनुसार एसपीसीबी, ओडिशा सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

18.2 वैधानिक अनुपालन:

- 2023-24 के दौरान ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त सभी संचालित खदानों के बारे में पर्यावरण मंजूरी शर्तों की अर्ध-वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट समय पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली और एसपीसीबी को प्रस्तुत की गई।
- वर्ष 2022-23 के दौरान पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम-14 के अंतर्गत प्रपत्र-V में पर्यावरण विवरण तैयार करने के लिए, 22 खदानों, 01 रेलवे साइडिंग और 01 वाशरी में से प्रत्येक के लिए अधिकारियों की बहु-विषयक टीम द्वारा पर्यावरण लेखा परीक्षा आयोजित की गई थी। पत्रांक दिनांक 22.09.2023 के माध्यम से सभी 24 परियोजनाओं के लिए उक्त रिपोर्टें समय पर एसपीसीबी को प्रस्तुत की गईं।

- वित्त वर्ष 2023-24 में एकीकृत एलबीएल और सुभद्रा ओसीपी के लिए मृदा एवं नमी संरक्षण योजना की तैयारी शुरू की गई। बलराम ओसीपी के लिए साइट विशिष्ट वन्यजीव संरक्षण योजना तैयार की जा रही है।
- प्रयुक्त बैटरियों और बरामद जले हुए तेल और ग्रीस को अधिकृत पुनर्प्रसंस्करणकर्ताओं को नीलाम कर दिया जाता है। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2022 के अनुसार, बैटरियों के लिए अर्ध-वार्षिक रिटर्न और खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट) नियम, 2016 के अनुसार खतरनाक अपशिष्टों के लिए वार्षिक रिटर्न एसपीसीबी, ओडिशा सरकार को प्रस्तुत किया गया।

18.3 पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार हेतु उठाए गए कदम

18.3.1 वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय

पर्यावरण के प्रति कंपनी की चिंता को ध्यान में रखते हुए, वायु प्रदूषण की जांच के लिए कई उपायों के साथ दीर्घकालिक सर्वोत्तम क्रियाएं हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं।

- एमसीएल ने पर्यावरण अनुकूल सरफेस माइनर तकनीक के माध्यम से कोयला उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि (1999-2000 में 4.2% से 2023-24 में 98.1% तक) की है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सरफेस माइनर के माध्यम से किया गया कोयला उत्पादन नीचे सारणीबद्ध है।

कुल कोयला उत्पादन (एमटीवाई)	खुली खदान द्वारा कोयला उत्पादन (एमटीवाई)	सरफेस माइनर द्वारा कोयला उत्पादन	
		(एमटीवाई)	प्रतिशत (%)
206.10	205.643	202.204	98.1 %

यह एक गैर-विस्फोटक खनन तकनीक है जो ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और क्रशिंग जैसे धूल पैदा करने वाले कार्यों को पानी के छिड़काव के साथ पूरी तरह से समाप्त कर देती है। ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, क्रशिंग, क्रशर तक परिवहन-अनलोडिंग और री-लोडिंग और इन कार्यों में डीजल खपत की परिणामी मात्रा जैसे बुनियादी इकाई संचालन के उन्मूलन के कारण ग्रीनहाउस गैसों के उत्पादन (यदि पारंपरिक विधि से कोयला उत्पादन किया गया हो) में भी कमी आई है ।

- 2023-24 के दौरान, लगभग 64% कोयला परिवहन सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल अंतर्देशीय जन परिवहन प्रणाली यानी रेल, बेल्ट और एमजीआर के माध्यम से किया जाएगा, जबकि सड़क के माध्यम से प्रेषण केवल 36% है।
- रेक लोडिंग सुविधा और रेल आधारभूत संरचना को लगातार बढ़ाया/सुधारा और मजबूत किया जा रहा है। वर्तमान में कोयले को 23 रेलवे साइडिंग, 2 एमजीआर तथा आरएलएस के साथ 1 एमजीआर और 3 साइलो के माध्यम से भेजा जाता है। लजकुरा सीएचपी-आरएलएस (15 एमटीवाई) और भुवनेश्वर सीएचपी-साइलों चरण -I (10 एमटीवाई) को 2023-24 में चालू किया गया।
- आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों और अन्य क्षेत्रों को पार करते हुए पृथक समर्पित कोयला परिवहन गलियारे का निर्माण:
  - समर्पित कोयला परिवहन गलियारे की लंबाई तालचेर कोलफ़ील्डस में 20.99 किमी, ईब कोलफ़ील्डस में 17.03 किमी और बसुंधरा क्षेत्र में 30.811 किमी है।
  - **तालचेर तथा ईब कोलफ़ील्डस:**

    चरण-I और चरण-II - कार्य पूर्ण हो गया।
  - **बसुंधरा क्षेत्र:**

    सड़क का 90% काम पूरा हो गया।

    परियोजना की समग्र प्रगति -95%.
- **कोयला परिवहन सड़कों पर धूल दमन उपकरणों का नियोजन:**
  - 40 मीटर थ्रो वाले ट्रक माउन्टेड फॉग कैनन।
  - मोबाइल वाटर टैंकर
  - स्थिर फुहार/पानी के छिड़काव
  - मैकेनिकल रोड स्वीपर/मैनुअल रूप से कोयला परिवहन सड़कों पर फैले कोयले और धूल की सफाई करना।
- **रेलवे साइडिंग के किनारे धूल दमन उपकरणों का नियोजन:**
  - 100/40 मीटर थ्रो वाले फॉग कैनन।
  - पानी के छिड़काव।
  - मोबाइल वाटर टैंकर।

- **कोयला हैंडलिंग संयंत्रों में धूल दमन उपकरणों का नियोजन:**
    - स्थिर फुहार/पानी के छिड़काव
    - धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रेन गन का उपयोग।

  हालांकि, नगण्य पारंपरिक कोयला उत्पादन (केवल 1.89%) ने सीएचपी में क्रशिंग कार्य को सीमित कर दिया है, जिसके कारण सीएचपी से धूल उत्पादन में काफी कमी आई है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान स्थायी और अर्ध-स्थायी सड़कों की ब्लैक टॉपिंग को बनाए रखा गया है और इसे और मजबूत किया जाएगा।
- सभी रोड सेल ट्रकों को खदान परिसर से निकलने से पहले तिरपाल से ढक दिया जाता है।
- कोयला परिवहन सड़कों पर फैले कोयले और धूल की मानवकृत सफाई की जाती है।
- सभी ड्रिलों में धूल निष्कर्षण प्रणाली और गीली ड्रिलिंग प्रणाली लगी हुई है।
- आवासीय और खनन क्षेत्रों के बीच हरित पट्टियाँ विकसित की जाती हैं जो धूल अवरोधक का काम करती हैं।

एमसीएल में स्थापित धूल दमन उपकरणों का विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक	उपकरण	2023-24 में लगाए गए	कुल	2023-24 में स्थापित उपकरणों का स्थान
1.	मोबाइल जल छिड़काव टैंकर	22	75	ईब-वैली (02), लखनपुर क्षेत्र (06), लिंगराज (03), हिंगुला क्षेत्र (03), जगन्नाथ क्षेत्र (03), बसुंधरा (वेस्ट) (02), महालक्ष्मी क्षेत्र (02)
2.	फिक्स्ड स्प्रिंकलर (नोजल की संख्या)	403	1018	लखनपुर क्षेत्र में कोयला परिवहन सड़कों के किनारे 152 स्प्रिंकलर लगाए गए।
3.	मिस्ट स्प्रिंकलर (ट्रक माउन्टेड)	03	9	गर्जनबहाल ने 3 मिस्ट स्प्रिंकलर खरीदे।
4.	फॉग कैनन (ट्रॉली माउन्टेड)	08	87	बसुंधरा क्षेत्र ने रेलवे साइडिंग और कोयला स्टॉकयार्ड में स्थापित किया।
5.	फॉग कैनन (ट्रक माउन्टेड)	10	57	लखनपुर क्षेत्र में लखनपुरओसीपी में 08 और बेलपहाड़ ओसीपी में 02 नियोजित किए ।
6.	पहिया धुलाई प्रणाली	03	11	बसुंधरा क्षेत्र, लिंगराज क्षेत्र, भुवनेश्वरी क्षेत्र प्रत्येक में 01 शुरू किया गया।
7.	सड़क सफाई मशीनों की संख्या	06	17	बसुंधरा क्षेत्र: 02; लखनपुर क्षेत्र: 02 ; महालक्ष्मी क्षेत्र: 01 ; ईब-वैली क्षेत्र: 01।
8.	तत्काल शावर प्रणाली	02	22	भुवनेश्वरी ओसीपी और लखनपुर ओसीपी में 01-01 स्थापित किए गए।

18.3.2 2.2 जल संसाधन प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ:

- कोयले रहित गड्ढों का उपयोग अपवाह जल और स्तर के रिसाव के भंडारण के लिए किया जाता है जिससे जलभृत का पुनर्भरण होता है।
- खदानों के हौद भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे बरसात के मौसम में सतह से बहकर आने वाले पानी के निपटान हेतु माध्यम का काम करते हैं।
- **खदान जल का उपयोग:**
    - खदानों में संग्रहित अतिरिक्त खुली खदान जल का उपयोग एचईएमएम की धुलाई, धूल दमन, वृक्षारोपण, अग्निशमन, जलभृतों के पुनर्भरण आदि जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
    - अधिशेष भूमिगत खदान जल का उपयोग समुदाय को घरेलू, सिंचाई आदि के आपूर्ति के लिए किया जाता है।
    - भूमिगत जल का उपयोग उपचार के बाद कॉलोनियों और परिधीय गांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिए किया जाता है।
    - ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओएसपीसीबी) से उचित अनुमति लेकर, कुछ खुली खदानों के उपचारित जल को बाहरी स्रोतों में छोड़ा गया है, जिसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
    - एनआईटी, राउरकेला द्वारा "एमसीएल की खदानों में जल उत्पादन का अध्ययन और खदान-वार जल प्रबंधन योजना की तैयारी" नामक एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है।

- वर्ष 2023-24 के लिए समुदायों को उपचारित खान जल आपूर्ति का विवरण।

लक्ष्य			उपलब्धि				
घरेलू/पेय (एलकेएल)	सिचाई (एलकेएल)	कुल (एलकेएल)	घरेलू/पेय (एलकेएल)	सिचाई (एलकेएल)	कुल (एलकेएल)	निर्मित संभावित सिंचाई क्षेत्र (एकड़ में)	घरेलू/पेयजल के लाभार्थी (संख्या)
188.2	53.8	242.00	188.81	53.8	242.61 (100%)	53.65	147696

- भूजल पुनर्भरण के लिए एमसीएल में कुल 95 छत वर्षा जल संचयन संरचनाएं और 8 भू-पुनर्भरण गड्ढे मौजूद हैं।
- मृदा एवं जल संरक्षण के लिए चेक डैम का निर्माण किया गया है।
- सतही अपवाह को चैनलाइज करने के लिए कैच नालियों और गारलैंड नालियों का निर्माण किया गया है।
- सतही अपवाह के उपचार के लिए अवसादन तालाब/खान निर्वहन उपचार संयंत्र (एमडीटीपी) प्रदान किए गए हैं।
- निम्नलिखित स्थान पर ईटीपी और एसटीपी उपलब्ध कराए गए हैं:

क्रमांक	जल प्रशोधन संयंत्र	2023-24 में स्थापित	कुल	टिप्पणियाँ
1.	इटीपी	1	23	अनंत ओसीपी ने मार्च 2024 में 1 ईटीपी चालू कर दिया है।
2.	एसटीपी	1	10	सभी बड़ी कॉलोनियों में एसटीपी की व्यवस्था है। अन्य कॉलोनियों में सीवेज निपटान के लिए सेप्टिक टैंक की व्यवस्था है। नंदीरा कॉलोनी में सितंबर 2023 को एक नया एसटीपी (0.5 एमएलडी क्षमता) चालू किया गया।

18.3.3 शोर और भू-कंपन नियंत्रण उपाय:

- कुल कोयला उत्पादन का 98.1% विस्फोट रहित पर्यावरण अनुकूल सरफेस माइनर प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाता है; इससे पारंपरिक खनन की तुलना में शोर और जमीनी कंपन में काफी कमी आती है, जिसमें निर्धारित आकार के कोयले के उत्पादन के लिए ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और सीएचपी संचालन की आवश्यकता होती है।
- उच्च शोर वाले कार्यस्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों को इयरमफ्स और इयर प्लग्स उपलब्ध कराए गए हैं।
- शोर और भू-कंपन को कम करने के लिए नियंत्रित विस्फोट तकनीक अपनाई गई। विस्फोट के लिए आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे शोर और भू-कंपन में कमी आई।
- सभी एचईएमएम को पर्याप्त शोर स्तर न्यूनीकरण प्रौद्योगिकियां प्रदान की गई हैं।
- विकसित हरित पट्टी ध्वनि प्रदूषण को कम करने के साधन के रूप में कार्य करती है।

18.3.4 भूमि सुधार और वृक्षारोपण:

- कोयला रिक्ति क्षेत्र को अधिभार सामग्री से भर दिया जाता है और उसके बाद जैविक सुधार के रूप में वृक्षारोपण किया जाता है।
- एमसीएल ने पाइपलाइनों में स्लरी मोड के माध्यम से परिवहन किए गए फ्लाई-ऐश के साथ कोयला रिक्त खालीपन को भरने का कार्य अपनाया है। जगन्नाथ, भरतपुर और बालंडा खदानों में फ्लाई-ऐश भरने के लिए एनबीवीएल, टीएसटीपीएस (एनटीपीसी)-कनिहा, नालको के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, इस वित्त वर्ष 2023-24 में, जगन्नाथ ओसीपी की खदान संख्या IV से जेआईटीपीएल को 6 मिलियन घन मीटर रिक्त स्थान आवंटित की गई।

क्रमांक	खदान	एजेंसी	राख भरने की स्थिति
1	साउथ बलान्डा क्वैरी- 2 एवं 3	टीटीपीएस (एनटीपीसी)	दिनांक 01.10.2020 तक 14.570 मिलियन क्यूबिक मीटर भरा गया (भरने का कार्य पूरा हो गया)।
2	साउथ बलान्डा क्वैरी -1	एनबीवीएल	दिनांक 31.03.2024 तक 0.655 मिलियन क्यूबिक मीटर भरा गया। (जारी)
3	जगन्नाथ ओसीपी, क्वैरी IV	भूषण स्टील	0.416 मिलियन क्यूबिक मीटर परिमाण भरा गया। फरवरी, 2016 से भरा जाना बंद कर दिया गया है।
4	जगन्नाथ ओसीपी, क्वैरी IV एवं VII	टीटीपीएस (एनटीपीसी)	दिनांक 31.03.2021 तक 0.462 मिलियन क्यूबिक मीटर भरा गया, राख उत्पन्न न होने के कारण बंद कर दिया गया।

5	जगन्नाथ ओसीपी, क्वैरी VIII	टीएसटीपीएस (एनटीपीसी, कनिहा)	दिनांक 31.03.2024 तक 2.12 मिलियन घन मीटर भरा गया (जारी)
6	भरतपुर ओसीपी	नालको	दिनांक 31.03.2024 तक 3.82 मिलियन घन मीटर भरा गया। (जारी)
कुल राख			**22.04 Mcum**

- पर्यावरण के प्रति कंपनी की चिंता को ध्यान में रखते हुए, एमसीएल ने खदानों में बाहरी डंपों और बैकफिल्ड आंतरिक डंपों (पर्याप्त भौतिक सुधार के बाद) के साथ-साथ अन्य भूमि और मार्गों के खाली हिस्सों में मिश्रित देशी प्रजातियों के पौधे लगाए हैं। जैविक भूमि सुधार और वृक्षारोपण का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	**प्रकार**	**अवधि**	**कुल**
1	वृक्षारोपण/ जैव-पुनर्ग्रहण	2023-24	3,98,570
2		स्थापना से	266 हेक्टेयर (40 हेक्टेयर घास सहित)
3	वितरण	2023-24	73,79,785
4		स्थापना से	3,554.80 हेक्टेयर
			1,14,500
			2,20,827

- जैविक सुधार के कारण निर्मित कार्बन सिंक प्रारंभ से अब तक 1,73,929.9 टन CO_2 ईक्यू है।
- आवासीय टाउनशिप और कार्यालय परिसरों में भी विशेष रूप से फलदार, फूलदार और औषधीय पौधों और वृक्षों का रोपण किया जाता है।
- वर्ष 2023-24 के दौरान सीएमपीडीआईएल के माध्यम से ईब-वैली और तालचेर कोलफील्ड्स और संपूर्ण ईब-कोलफील्ड्स की 16 खुली खदानों > 5 मिलियन क्यूबिक मीटर/वर्ष और 07 खुली खदानों/भूमिगत कोयला खदानों< 5 मिलियन क्यूबिक मीटर/वर्ष क्षमता के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी द्वारा उत्पन्न रिमोट सेंसिंग डेटा के माध्यम से भूमि पुनर्ग्रहण/पुनर्स्थापन की निगरानी की गई है।

18.3.5 कचरा प्रबंधन:

- खतरनाक अपशिष्ट (एचईएमएम से निकला जला हुआ तेल और प्रयुक्त बैटरियां) को अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को नीलामी द्वारा बेच दिया गया है।
- वर्ष 2023-24 के दौरान, खतरनाक अपशिष्ट जैसे 2,00,71,283.00 रुपये के 531.1 किलोलीटर जले हुए तेल, 16.36 लाख रुपये मूल्य के 704 बैटरी, 70.68 लाख रुपये मूल्य के 470 बेकार टायर और 61.41 लाख रुपये मूल्य के 25 मैट्रिक टन अन्य खतरनाक अपशिष्ट (सीयू) अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को बेचे गए।
- कुल 28018 ई-कचरा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को बेचा गया, जिसका मूल्य 1.82 लाख रुपये है।
- चिकित्सा इकाइयों से जैव-चिकित्सा एवं अन्य खतरनाक अपशिष्टों का निपटान निर्धारित विधियों/प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।
- कचरा संग्रहण के लिए कॉलोनियों में विशिष्ट स्थानों पर पृथक्कीकरण डस्टबिन रखे गए हैं।

18.3.6 पर्यावरणीय निगरानी:

- वर्ष 2023-24 के दौरान सीएमपीडीआई, आरआई-VII के माध्यम से वायु, जल और शोर की नियमित पर्यावरणीय निगरानी की गई, जिसमें परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है, जिसकी अनुमानित लागत 301796861.36 करोड़ रुपये है। आरईएम कार्य जीएसआर.742(ई), ईसी/सीटीओ/सीटीई की शर्तों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) या किसी अन्य वैधानिक निकाय के निर्देशों के अनुपालन में किए जाते हैं:
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यप्रणाली, आवृत्ति आदि को सख्ती से बनाए रखा गया।
- निगरानी के परिणाम विधि के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए। पर्यावरण निगरानी के परिणाम मासिक आधार पर कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।
- ईब नदी और ब्राह्मणी नदी के इन-टेक कुओं तथा कनिहा ओसीपी और समलेश्वरी ओसीपी के निर्वहन बिंदु पर क्रमशः चार सतत जल गुणवत्ता निगरानी प्रणालियां (सीडब्ल्यूक्यूएमएस) स्थापित की गई हैं।
- खनन कार्य के कारण भूजल की गुणवत्ता और उतार-चढ़ाव की नियमित निगरानी 37 पीजोमीटरों के नेटवर्क के साथ-साथ अन्य बोर/खुले कुओं के माध्यम से की जाती है।
- कुल 15 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीएएक्यूएमएस) स्थापित की गई हैं, जिनमें से 08 तालचेर कोलफील्ड्स में, 04 ईब-वैली कोलफील्ड्स में और 03 बसुंधरा क्षेत्र में स्थापित की गई हैं, इनमें से भुवनेश्वरी ओसीपी के लिए 1 सीएएक्यूएमएस वर्ष 2023-24 में चालू किया गया है।

18.4 वर्ष 2023-24 के लिए खदान बंदी गतिविधियाँ:

18.4.1 एस्क्रो समझौते:

वित्त वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित चार खदानों के लिए एमसीएल, कोयला नियंत्रक संगठन और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच त्रिपक्षीय एस्क्रो समझौते निष्पादित किए गए।

क्रमांक	खदान का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	अनुबंध
1	लखनपुर ओसीपी	22.5	संशोधित
2	बलभद्र ओसीपी	10	संशोधित
3	लजकुरा ओसीपी	4.5	संशोधित
4	एकीकृत एलबीएल ओसीपी	40	नया

18.4.2 प्रगामी खदान बंदी प्रतिपूर्ति:

सीसीओ मुख्यालय ने प्रगतिशील खदान बंदी गतिविधियों के तहत छह खदानों के एस्क्रो खातों से प्रतिपूर्ति के लिए धनराशि जारी करने का आदेश जारी किया है-

क्रमांक	खदान का नाम	चरण	राशि (रु. लाख में)
1	ओरिएंट यूजी खान 1 एवं 2	I	5.70
2	हिमगिर रामपुर कोलियरी यूजी माइन	I	29.84
3	हिराखंड बुँदिया यूजी माइन	I	9.83
4	कनिहा ओसीपी	I	73.74
5	भुवनेश्वरी ओसीपी	II	590.90
6	अनंता ओसीपी	II	1433.56
कुल			**2144 (लगभग)**

18.4.3 अंतिम खदान बंदी:

- 2009 के बाद बंद हुई खदानें

  छेंदीपाड़ा ओसीपी के अंतिम खदान बंदी फाइल 1111.50 लाख रुपये की राशि के लिए दिनांक 16.02.2024 को सीसीओ मुख्यालय, दिल्ली को प्रस्तुत कर दी गई है।

- 2009 के पहले बंद खदानें

  "वर्ष से पहले बंद/परित्यक्त/बंद खदानों के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश" पर कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.10.2022 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार - दक्षिण बलांडा ओसीपी और बसुंधरा (पूर्व) ओसीपी की अंतिम खदान बंदी योजना को एमसीएल बोर्ड द्वारा क्रमशः दिनांक 07.10.2023 तथा दिनांक 30.11.2023 को अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, इन्हें दिनांक 18.01.2024 तथा दिनांक 13.01.2024 को सीसीओ मुख्यालय, दिल्ली को प्रस्तुत किया गया है।

18.4.4 सीएमपीडीआई एवं सीसीओ को प्रस्तुत प्रतिपूर्ति फाइलें:

प्रगतिशील खदान बंदी			
खान का नाम	**चरण**	**सीएमपीडीआई**	**सीसीओ**
बसुन्धरा (वेस्ट) ओसीपी	I	√	√
जगन्नाथ ओसीपी	I		√
लजकुरा ओसीपी	I		√
ओरिएंट माइन नं 1 एवं 2	I		√
	II	√	√
ओरिएंट माइन नं 3	I		√
	II	√	√
ओरिएंट माइन नं 4	II	√	√
हिमगिर रामपुर कोलियरी यूजी माइन	II	√	√
हिराखंड बुँदिया यूजी माइन	I		√
	II	√	√

नंदिरा यूजी	II		√
भूवनेश्वरी ओसीपी	III	√	√
अंतिम खदान बंदी			
खान का नाम	**बंदी स्थिति**	**सीएमपीडीआई**	**सीसीओ**
छेंदीपड़ा ओसीपी	2009 के पश्चात	√	√
साउथ बलांदा ओसीपी	2009 से पूर्व		√
बसुन्धरा (ईस्ट) ओसीपी	2009 से पूर्व		√

18.4.5 भूमि अधिग्रहण का पुनः प्रयोजनीकरण:

- साउथ बलांडा ओसीपी – सौर ऊर्जा संयंत्र (डीपीआर अनुमोदित)
- बसुन्धरा (ईस्ट) ओसीपी – अमृत सरोवर (अनुमान अनुमोदनाधीन)

18.5 पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी अनुपालन की निगरानी के लिए अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण

- वर्ष 2019 में कोयला खदानों में पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी की शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए कोयला मंत्रालय स्तर पर एक शीर्ष समिति गठित की गई थी।
- क्षेत्रीय स्तर पर गठित एक बहु-विषयक टीम ने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तिमाही के लिए पर्यावरण और वन मंजूरी शर्तों के अनुपालन पर अपना निरीक्षण पूरा कर लिया है।
- 1 बीटी उत्पादन योजना में शामिल मेगा परियोजनाओं की पर्यावरण और वन मंजूरी स्थिति को ईआरपी के पीएस मॉड्यूल में अपलोड किया जाता है और नियमित रूप से उनकी निगरानी की जाती है।

18.6. पर्यावरण जागरूकता:

विश्व पर्यावरण दिवस समारोहः एमसीएल मुख्यालय में दिनांक 30.05.2023 से 05.06.2024 तक "प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान" विषय पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।

- **कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए वॉल पेंटिंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, आशु भाषण, ड्राइंग, क्विज, प्रहसन और इको-फैशन शो जैसी कुल 7 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कार्यालय और आवासीय क्षेत्र में स्वच्छता को प्रोत्साहित करने हेतु पर्यावरण अनुकूल भवन और पर्यावरण अनुकूल विभाग जैसी कुछ अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। समारोह के अंतिम दिन सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अनुकूल खदान और सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार भी प्रदान किए गए।**
- **माली, सफाई कर्मचारी और मेड जैसे दैनिक कामगारों और एमसीएल कॉलोनी के निवासियों के लिए "घर पर कचरे को अलग-अलग करना और गीले कचरे से जैविक खाद तैयार करना" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया।**
- **प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु कर्मचारियों और संबलपुर जिले में स्थानीय लोगों को लगभग 13,000 जूट बैग वितरित किए गए।**
- **झंकराणी मंदिर, हीराकुंड में सफाई अभियान चलाया गया, जहां अपशिष्ट/फैली हुई प्लास्टिक वस्तुओं को उठाकर नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थल को सौंप दिया गया।**
- **एमसीएल के कर्मचारियों और निवासियों के लिए एक पर्यावरण रैली भी आयोजित की गई। प्रत्येक परियोजना/क्षेत्र में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए।**

18.7. एमसीएल द्वारा शुरू की गई मिशन लाइफ की गतिविधियां:

लाइफ (एलआईएफई) (अर्थात पर्यावरण के लिए जीवनशैली) को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 में पेश किया गया था। यह हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए "विवेकहीन और विनाशकारी उपभोग के बजाय विचारशील और सुविचारित उपयोग" के विचार को बढ़ावा देता है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के जश्न के एक भाग के रूप में सात श्रेणियों में 75 व्यक्तिगत लाइफ (एलआईएफई) कार्यों की एक व्यापक सूचियों की पहचान की गई। 7 श्रेणियों की सूची इस प्रकार है-

- ऊर्जा की बचत,
- जल की बचत,
- एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग में कमी,
- टिकाऊ खाद्य प्रणालियाँ
- अपशिष्ट में कमी (स्वच्छता कार्य),
- स्वस्थ जीवनशैली अपनाना, और
- ई-कचरा प्रबंधन

उपरोक्त में से छह श्रेणियों में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है, जो नीचे सारणीबद्ध हैं:

लाइफ (एलआईएफई) क्रिया की श्रेणी	लाइफ कार्रवाई नं.	की गई कार्रवाई/गतिविधियाँ
बचत की गई ऊर्जा	1	एलईडी, ऊर्जा कुशल एसी, सुपर फैन, ऊर्जा कुशल वॉटर हीटर, ऊर्जा कुशल मोटर, कैपेसिटर बैंक की स्थापना
	5	महिला मंडल द्वारा संबलपुर और तालचेर की छात्राओं को देने हेतु साइकिलों की खरीद
	7	ई-वाहन की खरीद
	10	छतों पर सौर जल या सौर कुकर हीटर की स्थापना
बचत की गई जल	21	बसुंधरा (पूर्व) के लिए तैयार अमृत सरोवर योजना अनुमोदनाधीन ।
		खान जल का उपयोग
	24	छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली और भूमि पुनर्भरण गड्ढे।
एकल उपयोग प्लास्टिक	35	खदानों के आसपास के गांवों में जूट के बैग का वितरण।
	38	सफाई अभियान में भागीदारी और संचालन के लिए हीराकुद बांध के पास एक स्थान का चयन किया गया। प्लास्टिक कचरे को अलग करके एकत्र किया गया, जिसे बाद में आगे की प्रक्रिया के लिए संबलपुर नगरपालिका निगम को सौंप दिया गया।
अपनाई गईं टिकाऊ खाद्य प्रणालियाँ	48	आहार मंडल, सीएसआर के तहत सुंदरगढ़ जिले के हेमगिर ब्लॉक के ग्रामीण समुदाय के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देने की एक पहल है।
अपनाई गई स्वास्थ्य जीवन शैली	53	एमसीएल मुख्यालय, संबलपुर में "घर पर कचरे का पृथक्करण और गीले कचरे से जैव-खाद तैयार करना" विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई।
	65	इको-पार्क विकसित करके सामुदायिक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण, ओरिएंट इको-पार्क और लिलारी इको-पार्क में खनन पर्यटन।
	67	आहार मंडल, एमसीएल के सीएसआर के तहत सुंदरगढ़ जिले के हेमगिर ब्लॉक के ग्रामीण समुदाय के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देने की एक पहल।
	68	प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए एमसीएल मुख्यालय, क्वार्टरों में वृक्षारोपण।
कम किया गया ई-कचरा	73	कुल 100 पर्सनल कंप्यूटर, बाह्य उपकरण, सर्वर और अन्य कंप्यूटर से संबंधित हार्डवेयर को अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता को सौंप दिया गया।

18.8 पर्यावरण अवॉर्ड:

- एमसीएल को 6 जून 2023 को नई दिल्ली में आयोजित कोयला और संसदीय मामलों के मंत्रालय से प्राप्त कोयला मंत्री पुरस्कार 2023 में कॉर्पोरेट पर्यावरण स्थिरता श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- बेलपहाड़ ओसीपी और भरतपुर ओसीपी ने 24 नवंबर 2023 को सोनमर्ग में आयोजित 23वें ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार समारोह में पर्यावरण उत्कृष्टता में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 जीता है।

18.9 आईएमएस/आईएसओ प्रमाणीकरण:

एमसीएल आईएसओ 9001:2015 - गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001:2015-पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001:2018-व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली का अनुपालन करते हुए कंपनी-व्यापी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) का अनुसरण कर रही है, जो दिनांक 08.11.2025 तक वैध है। "क्यूएमएस सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड" को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के साथ एमसीएल के कंपनी-व्यापी आईएमएस प्रमाणीकरण की मान्यता दी गई है।

18.9.1 वर्ष 2023-24 में आई.एम.एस. से संबंधित गतिविधियां

- सीएमपीडीआईएल को एमसीएल में आईएसओ मानकों के परामर्श और उन्नयन तथा प्रभावी कार्यान्वयन के कार्य के लिए नियोजित किया गया है। इसके बाद सीएमपीडीआईएल ने एमसीएल अधिकारियों के साथ चर्चा करके एमसीएल में आईएमएस का व्यापक अध्ययन किया।
- आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 के अनुरूप नए आईएमएस मैनुअल को सीएमपीडीआई, रांची की सलाह से तैयार किया गया है। अतिरेक विशेषताओं का विलय और अव्यावहारिक अपेक्षाओं को हटाते हुए नए मैनुअल को अपेक्षाकृत संक्षिप्त, सुबोध और सुलभ बनाया गया है।
- सीएमपीडीआई, रांची की मदद से एमटीआई, एमसीएल मुख्यालय में "प्रबंधन प्रणालियों में आंतरिक लेखा परीक्षा कौशल" शीर्षक से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एमसीएल के कुल 24 अधिकारियों ने इस प्रमाणन पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया और इसे पूरा किया।

18.9.2 आई.एम.एस. का उद्देश्य

- कंपनी की गुणवत्ता, आंतरिक दक्षता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने हेतु व्यवस्थित और समकालिक प्रबंधन के लिए व्यापक प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना।

- विभिन्न प्रबंधन-प्रणाली को लागू करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण और सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रयासों के दोहराव और लागत को खत्म करना, जो अन्यथा विविध और असंबंधित दिखाई दे सकते हैं।
- एक अच्छी नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली और स्वस्थ कार्य वातावरण के तहत बेहतर कार्य संस्कृति को शामिल करना, परिचालन की स्थिरता सुनिश्चित करना और भूमिकाओं, जिम्मेदारी, जवाबदेही और प्राधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके परिचालन विवाद को समाप्त करना।
- रोजमर्रा के कार्य के दौरान अपव्ययी और गैर-मूल्य वर्धित कार्यों को कम करना, जिससे संचालन के दौरान समय, लागत और संसाधनों की प्रत्यक्ष बचत होगी तथा पर्यावरण और सामाजिक लागतों पर अप्रत्यक्ष बचत होगी।
- अपने सभी इच्छुक पार्टी को निम्नलिखित विश्वास प्रदान करने में सक्षम बनाना
- कोयले का खनन और आपूर्ति जो ग्राहक, नियामक निकायों और समाज की आवश्यकताओं को लगातार पूरा कर सके।
- पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक एवं ऊर्जा संबंधी चिंताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध।
- निरंतर सुधार के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण।
- सभी विधिक एवं अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन।
- कुछ अल्पकालिक उपलब्धियों के बजाय टिकाऊ और निरंतर सुधार पर जोर देना।

18.10 वेब साइट प्रकाशन:

पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, एमसीएल अपनी वेबसाइट www.mahanadicoal.in पर निम्नलिखित पर्यावरण संबंधी जानकारी नियमित रूप से प्रकाशित और उसे अद्यतित कर रही है।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी पत्र और उसका अर्ध-वार्षिक अनुपालन।
- प्रत्येक डायवर्जन प्रस्ताव के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी वन मंजूरी पत्र।
- प्रत्येक परियोजना के लिए एसपीसीबी द्वारा स्थापना एवं संचालन हेतु सहमति।
- एसपीसीबी द्वारा जारी परियोजनाओं के खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण।
- एमसीएल की सभी संचालित खदानों का पर्यावरण विवरण।
- उपग्रह डेटा पर आधारित भूमि उपयोग योजना पर रिपोर्ट।

19. 2023-24 के दौरान विक्रय और विपणन कार्य-निष्पादन

एमसीएल ने हड़ताल, बंद और रेलवे द्वारा रैको की कम आपूर्ति के बावजूद वर्ष 2023-24 के दौरान 199.02 मिलियन टन का अब तक का सर्वाधिक ऑफ-टेक हासिल किया है।

19.1. मांग एवं ऑफ-टेक

2023-24 के दौरान 204 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले 199.02 मिलियन टन का उठाव हुआ, जो लक्ष्य का 97.56% है।

2023-24 के दौरान क्षेत्रवार प्रेषण नीचे संलग्न है।

आँकड़े मिलियन टन में

क्षेत्र	**2023-24**			**2022-23**
	लक्ष्य	वास्तविक	% हासिल	वास्तविक
पावर	163.00	150.17	92.13	149.03
सीमेंट	0.26	0.12	46.15	0.12
सीपीपी, अन्य तथा ट्रेडर्स	40.74	48.73	119.61	43.60
खान में खपत	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**204.00**	**199.02**	**97.56**	**192.75**

वर्ष 2023-24 के दौरान कोयला ऑफ-टेक में होने वाली हानि के विभिन्न कारण नीचे दिए गए हैं:

आँकड़े मिलियन टन में

क्षेत्र का नाम	**2023-24**		**वास्तविक हानि**	**Remarks**
	एमओयू लक्ष्य	**वास्तविक**		
जगन्नाथ क्षेत्र	53.50	52.69	0.81	1) रेलवे द्वारा कम रैक आपूर्ति 2) वित्त वर्ष 23-24 के दौरान कई अवसरों पर चालक/ऑपरेटर संघों द्वारा हड़ताल का आह्वान 3) जुलाई 23 से सितंबर 23 तक घाट की दीवार के नवीनीकरण कार्य के कारण स्पर 3 में कम रैक आपूर्ति।

क्षेत्र का नाम	2023-24		वास्तविक हानि	Remarks
	एमओयू लक्ष्य	वास्तविक		
कनिहा क्षेत्र	13.00	11.78	1.22	वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान स्थानीय ग्रामीणों/अन्य लोगों द्वारा कई बार हड़ताल के कारण एमजीआर मोड के माध्यम से कम प्रेषण के कारण उठाव में हानि।
तालचेर यूजी	0.06	0.05	0.01	ई-नीलामी योजना के तहत प्रस्तावित माल्रा के मुकाबले उपभोक्ताओं द्वारा बुक की गई कोयले की कम माल्रा के कारण सड़क मार्ग से कम प्रेषण के कारण उठाव में हानि।
ईब-वैली क्षेत्र	12.50	12.08	0.42	1) रेलवे द्वारा कम रैक आपूर्ति 2) अप्रैल 2023 और मई 2023 के महीने के दौरान एलओसीएम 1 साइडिंग का साइडिंग पुनःसंरेखण कार्य। रेल मोड के माध्यम से कम प्रेषण के कारण ऑफटेक का नुकसान
महालक्ष्मी क्षेत्र	8.60	6.91	1.69	1) सियारमल खदानों से उत्पादन में देरी के कारण सियारमल खदानों से सरडेगा साइडिंग तक कोयला परिवहन में देरी (11 जून 2023 से) । 2) स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आहूत हड़ताल के कारण 3 जुलाई 2023 से 28 जुलाई 2023 तक सरडेगा साइडिंग में कोई रैक आपूर्ति नहीं हुई। 3) सरडेगा साइडिंग में रेलवे द्वारा कम रैक आपूर्ति। निम्न कारणों से रेल मोड के माध्यम से कम प्रेषण के कारण उठाव में कमी आई है
बसुन्धरा क्षेत्र	39.20	36.52	2.68	1) ट्रैक नवीनीकरण कार्य के कारण 19 जून 2023 से 27 जुलाई 2023 तक कनिका साइडिंग पर कोई रैक आपूर्ति नहीं होने के कारण। 2) स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आहूत हड़ताल के कारण 3 जुलाई 2023 से 28 जुलाई 2023 तक सरडेगा साइडिंग पर कोई रैक आपूर्ति नहीं होने के कारण। 3) रेलवे द्वारा कम रैक आपूर्ति। निम्न के कारण रेल मोड के माध्यम से कम प्रेषण के कारण ऑफटेक का नुकसान
लखनपुर क्षेत्र	31.50	29.72	1.78	वाई-कर्व साइडिंग के स्थानांतरण के कारण रेल प्रेषण प्रभावित से ऑफटेक में हानि हुई है, साथ ही रेलवे द्वारा बीओसीएम साइडिंग समूह में कम रैक आपूर्ति की गई है।

उपरोक्त विभिन्न कारणों से ऑफ-टेक में कुल हानि 8.61 मिलियन टन है, लेकिन प्रभावी हानि 4.98 मिलियन टन रही, क्योंकि अन्य खदानों ने 2023-24 के दौरान लक्ष्य से अधिक प्रेषण किया है।

19.2. वैगन लोडिंग

एमसीएल में 2022-23 के दौरान 87.5 रेक/दिन की तुलना में 2023-24 के दौरान दैनिक औसत वैगन लोडिंग 85.4 रेक/दिन रही, जिसमें 2 रेक/दिन की कमी हुई। लक्ष्यव और आपूर्ति के विरुद्ध क्षेत्र-वार लोडिंग नीचे दी गई है:

आँकड़े रैक/दिन में

क्षेत्र	2023-24			2022-23
	लक्ष्य	आपूर्ति	लोडिंग	वास्तविक
ईब-वैली	39.8	35.9	35.9	36.3
तालचेर	66.0	49.5	49.5	51.3
कुल	**105.8**	**85.4**	**85.4**	**87.5**

19.3 ई-नीलामी

2023-24 के दौरान, एमसीएल ने सिंगल विंडो मोड एग्नॉस्टिक ई-नीलामी योजना के तहत 28.653 मिलियन टन की पेशकश की थी, जिसके मुकाबले विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा अधिसूचित मूल्य पर 1833.44 करोड़ रुपये का प्रीमियम दर्ज करते हुए 22.859 मिलियन टन की बुकिंग की गई थी।

19.4 ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) और समझौता ज्ञापन

एमसीएल ने 2023-24 के दौरान कोयला की आपूर्ति हेतु 26.79 मिलियन टन की कुल वार्षिक अनुबंधित माल्रा (एसीक्यू) के लिए उपभोक्ताओं के साथ पांच सौ बीस (520) एफएसए/एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

20. कोयला गुणवत्ता सुधार:

एमसीएल ने उपभोक्ताओं की संतुष्टि को पूरा करने के लिए विभिन्न बिजली घरों के साथ-साथ अन्य उपभोक्ताओं को उचित आकार और गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति के लिए कई उपाय किए हैं। वर्ष के दौरान किए गए उपाय इस प्रकार हैं :

- नमूना मात्रा के आधार पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रेड अनुरूपता लगभग 83.5% (अनंतिम) और प्रेषण मात्रा के आधार पर 87.71 (अनंतिम) है, जो एमसीएल में प्राप्त अब तक की उच्चतम ग्रेड अनुरूपता है।
- एमसीएल 9 एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं का संचालन करता है और समय-समय पर एनएबीएल मान्यता का नवीनीकरण भी करता है, जिसकी गहन जांच एनएबीएल मान्यता बोर्ड के विशेषज्ञों की टीम द्वारा की जाती है।
- सीआईएमएफआर द्वारा दिनांक 11.11.2023 से नमूनाकरण रोक दिए जाने के बाद नमूनाकरण गतिविधियों में व्यवधान से बचने के लिए पीएफसी द्वारा पैनलबद्ध नई तृतीय-पक्ष नमूनाकरण एजेंसियों (केसीएस क्वालिटी इंस्पेक्शन प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इंस्पेक्टरेट ग्रिफ्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कोटेकना इंस्पेक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) को शामिल किया गया है। क्यूसीआई और एसजीएस की तृतीय पक्ष नमूनाकरण पहले से ही प्रचलन में थी।
- भारित औसत विश्लेषित ग्रेड (जी13) अप्रैल 23 से फरवरी 24 के दौरान आपूर्ति किए गए कोयले के भारित औसत घोषित ग्रेड (जी13) के समान है, इसका अर्थ यह है कि वर्ष भर उपभोक्ताओं को आपूर्ति किये जाने वाले कोयले की समग्र गुणवत्ता कोयले के सुनिश्चित ग्रेड के अनुसार है।
- एमसीएल को कोयले की गुणवत्ता में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए जून-2023 में कोयला मंत्री पुरस्कार (तृतीय पुरस्कार) से सम्मानित किया गया।
- एमसीएल को गुणवत्ता सुधार के लिए उत्कृष्ट उपलब्धियों हेतु अगस्त-2023 में ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा विजेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करने और उसे सुदृढ़ करने हेतु उपभोक्ताओं के साथ लगातार बातचीत और बैठकें की जा रही हैं।
- उपभोक्ताओं को एमसीएल की विभिन्न साइडिंगों पर कोयला लोडिंग प्रणाली के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- पारदर्शिता के उद्देश्य से तथा गुणवत्ता के मोर्चे पर उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी के लिए सभी साइडिंग/लोडिंग प्वाइंटों पर रजिस्टर रखे गए थे, जिसमें लोडिंग के समय उपस्थित उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि गुणवत्ता/आकार तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में अपनी टिप्पणी/सुझाव व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
- उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच की गई और संबंधित क्षेत्रों द्वारा तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की गई, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत हुआ।
- सभी उपभोक्ताओं को सुनिश्चित गुणवत्ता और आकार का कोयला भेजने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा सभी रेलवे साइडिंगों की निरंतर निगरानी की जाती है।
- गुणवत्ता नियंत्रण विभाग (क्षेत्र एवं मुख्यालय) द्वारा खानों, साइडिंग एवं कोयला विश्लेषण प्रयोगशाला का नियमित निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान किसी भी विसंगति या दोष पाए जाने पर, तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित क्षेत्र को सूचित किया गया।
- 23-24 के दौरान, 23 नवंबर को सीआईएमएफआर द्वारा नमूनाकरण गतिविधियों को रोकने के बावजूद तीसरे पक्ष के नमूने के तहत 74.4% कोयला प्रेषण कवर किया गया था और शेष उपभोक्ताओं को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- उपभोक्ताओं को -100 मिमी आकार के कोयले की आपूर्ति के लिए उचित सावधानी बरती गई। इसके लिए, पारंपरिक तरीके से निकाले गए कोयले को सीएचपी और फीडर ब्रेकर द्वारा कुचल दिया गया जिससे हॉपर पर कोयले को उतारना आसान कर दिया गया और अनंत ओसीपी और हिंगुला ओसीपी में बड़े आकार के कोयले को कुचलने के लिए मोबाइल क्रशर को चालू किया गया।
- 2023-24 के दौरान एमसीएल में सरफेस माइनर्स के उपयोग द्वारा चयनात्मक खनन के माध्यम से लगभग 96% कोयला उत्पादन प्राप्त किया गया था। इससे नमूना मात्रा और आकार निर्धारण की नगण्य शिकायतों के आधार पर ग्रेड अनुरूपता को 83.5% के स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली है।
- पारादीप बंदरगाह पर एमसीएल रेकों का औसत अनलोडिंग समय पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया है (22-23 में 1 घंटा 45 मिनट बनाम 23-24 में 1 घंटा 39 मिनट)।
- कोयले की गुणवत्ता पर नियमित "गुणवत्ता संवेदीकरण" बैठकें सभी क्षेत्रों में जमीनी स्तर से लेकर विभागीय/संविदा वेतन लोडर ऑपरेटरों, सरफेस माइनर ऑपरेटरों, कोल फेस सुपरवाइजरों, कोल लोडिंग सुपरवाइजरों, कोल फेस ओवरमैन और माइनिंग सरदारों, कोल इंचार्ज, डिस्पैच इंचार्ज, साइडिंग इंचार्ज, कोयला उत्पादन के शिफ्ट इंचार्ज और उपभोक्ता प्रतिनिधियों जैसे कर्मचारियों को शामिल करके आयोजित की गईं ताकि कोयले के उत्पादन और प्रेषण में शामिल सभी कर्मियों के बीच जागरूकता फैलाई जा सके।
- कोयले की गुणवत्ता के महत्व, कंपनी के व्यवसाय पर इसके प्रभाव और प्रासंगिक वैधानिक कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कंपनी से जुड़े सभी तकनीकी निरीक्षकों को शामिल करते हुए 23-24 में 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

21. सुरक्षा और बचाव:

कई अंतर्निहित, परिचालन और व्यावसायिक खतरों और संबंधित जोखिमों की उपस्थिति के कारण कोयला खनन एक अत्यधिक विनियमित उद्योग है। शून्य दुर्घटनाओं को प्राप्त करने के लिए "सुरक्षित खनन" हमारी कंपनी का मुख्य लक्ष्य है।

दुर्घटना की संभावना शून्य करने के लिए सभी खदानों को वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन और संचालित किया जाता है। इसके लिए विभिन्न पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। व्यावसायिक खतरों और संबंधित जोखिमों को कम करने हेतु कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

21.1 एमसीएल की सुरक्षा नीति का कार्यान्वयन:

एमसीएल के "मिशन स्टेटमेंट" में सन्निहित एमसीएल के संचालन में सुरक्षा को हमेशा प्रमुख महत्व दिया जाता है। एमसीएल सीआईएल की सुरक्षा नीति का पालन करता है। सुरक्षा नीति को लागू करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित किए जाते हैं:

- सभी खानों की वैज्ञानिक डिजाइन और योजना।
- सभी खनन कार्यों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति की नियुक्ति ।
- खान सुरक्षा के लिए पर्याप्त धन और आधारभूत संरचना का प्रावधान।
- सक्षम पर्यवेक्षी कर्मचारियों और खान अधिकारियों के माध्यम से पर्याप्त पर्यवेक्षण का प्रावधान।
- खदान सुरक्षा की निगरानी के लिए बहु-विषयक आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ)।
- खनन कार्य के लिए तकनीकी इनपुट में निरंतर एवं सतत सुधार।
- खदानों में सुरक्षा की निगरानी के लिए प्रत्येक मंच पर श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच और उन्हें चिकित्सा बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना।

21.2 दुर्घटना सांख्यिकी

क्रमांक	विवरण	2023-24	2022-23
1	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	4	2
2	मृत्यु की संख्या	6	2
3	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	2	3
4	गंभीर चोटों की संख्या	3	3
5	मृत्यु दर प्रति मिलियन टन उत्पादन प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट	0.029 0.189	0.010 0.066
6	गंभीर चोट की दर प्रति मिलियन टन उत्पादन प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट	0.015 0.094	0.016 0.100
7	स्थानवार मृत्यु दर यूजी ओसी एजी	0 5 1	0 2 0

21.3. सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदम:

एमसीएल ने वर्ष 2023-2024 में खदानों में सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा, सुरक्षा संबंधी चल रही पहलों के साथ-साथ कई उपायों को सख्ती से लागू किया है, जो नीचे दिए गए हैं-

A. वैज्ञानिक अध्ययन -

सीएमपीडीआईएल की विशेषज्ञता और अन्य वैज्ञानिक एजेंसियों और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वैज्ञानिक योजना और अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) गतिविधियों का संचालन करना।

i. सीआईएमएफआर, सीएमपीडीआईएल जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा एमसीएल में सभी खुली खदानों की कार्य पद्धति, अंतिम पिट ढलान, पिट डिजाइन, डंप ढलान और ढलान स्थिरता की निगरानी की योजना, डिजाइन और कार्य निर्धारित किया गया है।

ii. भू-तकनीकी डेटा, जिसमें एक समर्थन योजना भी शामिल है, पर विचार करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर भूमिगत कार्यस्थलों की छत और किनारों को सुरक्षित करने के लिए सभी भूमिगत खानों के लिए स्ट्रैटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान (एससीएएमपी) तैयार किया गया है।

B. सुरक्षा प्रबंधन योजना

i. सभी खानों के लिए जोखिम मूल्यांकन आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजना को अद्यतन किया गया है तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है।

ii. प्रत्येक खदान की सुरक्षा प्रबंधन योजना के जोखिम की तीव्रता को कम करने/समाप्त करने के लिए उपयुक्त संसाधनों और नियंत्रण उपायों के साथ पीएचएमपी-प्रमुख खतरा प्रबंधन योजना विकसित करने को पर्याप्त प्राथमिकता दी गई है।

iii. सुरक्षा प्रबंधन योजना में आपातकालीन निकासी और पुन: प्रवेश प्रोटोकॉल के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश भी शामिल हैं, जो ट्रिगर्ड एक्शन रिस्पांस प्लान (टीएआरपी) के आधार पर सभी प्रमुख खतरों के लिए संभावित हैं, जिनमें कई घातक घटनाएँ हैं।

iv. साइट विशिष्ट, जोखिम मूल्यांकन आधारित सभी परिचालनों की एसओपी मानक संचालन प्रक्रियाएं विभिन्न विशिष्ट स्थानों पर तैयार, परिचालित और प्रदर्शित की गई हैं।

C. पर्याप्त सुरक्षा निधि का प्रावधान और सुरक्षा उपकरणों की खरीद: -

सुरक्षा मदों की खरीद के लिए पर्याप्त सुरक्षा निधि उपलब्ध कराई गई है। साथ ही, पूंजीगत और राजस्व प्रकृति के वस्तुओं की खरीद, कार्य और सेवाओं के लिए क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीओपी) दिया गया है। तदनुसार, मुख्यालय और क्षेत्र स्तर पर विभिन्न सुरक्षा वस्तुओं की खरीद की जाती है:

i. सभी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अस्वस्थता या चोट लगने की संभावना वाली स्थितियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हेलमेट, सुरक्षात्मक जूते, एलईडी कैप लैंप आदि जैसे पीपीई प्रदान किए जाते हैं:

a. 21887 जोड़ी कैनवास जूते और 8486 जोड़ी गम बूट खरीदे गए।

b. 5650 खनिक सुरक्षा हेलमेट खरीदे गए हैं।

ii. वर्ष 2023-24 में खरीदी गई अन्य सुरक्षा वस्तुएं हैं:

- हाइड्रोलिक रूफ बोल्टर-04
- अग्निशामक यंत्र – 250
- पर्सनल डस्ट सैम्पलर –13
- लाउड हैलिंग प्रणाली–01
- मल्टी गैस डिटेक्टर–07
- डिजिटल वेविंग बैलेंस–04
- फायर सप्रेसन फोम– 35
- श्वास विश्लेषक– 02
- इलेक्ट्रिक सायरन –10
- वीओडी मीटर –06
- वेन एनीमोमीटर - 02
- एक्सपलोडर–08
- लिफ्टिंग एयर बैग–01
- स्मार्ट बोर्ड –02
- मल्टी गैस डिटेक्टर –04
- लक्समीटर –10
- एलसीडी प्रोजेक्टर्स –10
- वायवीय प्रभाव उपकरण– 01
- पब्लिक एड्रेस सिस्टम - 04
- यूनिवर्सल टेस्टर –01
- हाइड्रोलिक रेस्क्यू रैन –01
- वर्षा मापन यंत्र –04

- विब्रोमीटर –01 no.
- ऑक्सीजन बूस्टर पम्प – 01
- वाटर कूलर कम पयुरिफायर – 01
- श्वास उपकरण के लिए स्पेयर पार्ट्स (बायोपैक -240आर एंड बीजी-4)

D. प्रशिक्षण और लगातार सुरक्षा जागरूकता अभियान द्वारा कार्यबल के ज्ञान, कौशल और जवाबदेही में निरंतर सुधार -

a. प्रशिक्षण -

i. कंपनी में सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में सुरक्षित प्रथाओं से पूरी तरह परिचित कराने और उनके कौशल को उन्नत करने के लिए कामगारों, पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों को कार्य से संबंधित पूरा प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एमईईटीआई, तालचेर और बीटीआई, बेलपहाड़ में स्थापित सिमुलेटरों पर 223 एचईएमएम ऑपरेटरों को सिमुलेटर प्रशिक्षण दिया गया है।

ii. ईब-कोलफील्ड्स के 31 व्यक्तियों को अग्निशामक यंत्रों और फायर टेंडर के साथ-साथ प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण पर एक बुनियादी अग्निशमन प्रशिक्षण दिनांक 30/5/2023 से 31/5/2023 तक 02 दिनों के लिए माइंस रेस्क्यू स्टेशन, ओरिएंट एरिया में आयोजित किया गया, जिसमें 20 विभागीय और 11 संविदा कर्मचारियों ने भाग लिया।

iii. दिनांक 20.11.2023 से 24.11.2023 तक एमईईटीआई तालचेर में "ओईएम द्वारा एचईएमएम संचालन" पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

iv. श्री एस.के.दत्ता, सेवानिवृत्त उप महानिदेशक एवं सुरक्षा सलाहकार, नागपुर द्वारा दिनांक 30.10.2023 से 06.11.2023 तक एमईईटीआई, तालचेर; बीटीआई, लखनपुर और बसुंधरा क्षेत्र में सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) पर छह दिवसीय कौशल विकास कक्षाएं आयोजित की गईं। कौशल विकास कक्षा में कुल 287 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

v. कोयला मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, एस एंड आर विभाग के 11 अधिकारियों को आईआईटी (आईएसएम) में दुर्घटना जांच के लिए मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) पद्धति पर प्रशिक्षण दिया गया है।

vi. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, पीएसटीआई, बैंगलोर में दिनांक 11 से 15 दिसंबर, 2023 तक "उन्नत विद्युत प्रणाली सुरक्षा" पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 10 विद्युत अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

vii. एमआरएस, ओरिएंट एरिया, एमसीएल में प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र में 11 दिनों के प्रमाणन पाठ्यक्रम के साथ प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम का तीसरा बैच 31 प्रतिभागियों के लिए दिनांक 08/05/2023 से 19/05/2023 तक आयोजित किया गया।

viii. एमआरएस, ओरिएंट एरिया, एमसीएल में प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र में 11 दिनों के प्रमाणन पाठ्यक्रम के साथ प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम का चौथा बैच 34 प्रतिभागियों के लिए दिनांक 17/07/2023 से 28/07/2023 तक आयोजित किया गया।

ix. एमसीएल विभागीय और संविदा कर्मचारियों को वर्चुअल रियलिटी आधारित सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने में अग्रणी है। विभिन्न विभागों जैसे विद्युत शटडाउन, ऊंचाई पर कार्य करना, एचईएमएम रखरखाव, खान सुरक्षा निरीक्षण आदि के अंतर्गत 18 प्रशिक्षण मॉड्यूलों के लिए पहल की गई है। प्रशिक्षण दिसंबर 2023 से शुरू हो गया है और वित्त वर्ष 2023-24 में एमसीएल में 2076 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है।

b. जागरूकता-

i. खदान कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता फैलाने के लिए खदानों में नियमित रूप से विशेष सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं। 2023-24 के दौरान, विभिन्न विषयों पर सभी खानों में चलाए गए विशेष सुरक्षा अभियान इस प्रकार है –

क्र	विशेष सुरक्षा अभियान की तिथियाँ	विषय-वस्तु
1.	17/05/2023 to 23/05/2023	पृथक हल्के वाहन सड़क एवं डंप प्रबंधन
2.	21/06/2023 to 27/06/2023	सभी खानों में मानसून की तैयारी पर विशेष सुरक्षा अभियान
3.	17/07/2023 to 21/07/2023	ड्रिलिंग, विस्फोटकों के उपयोग और खदानों में विस्फोट से संबंधित प्रथाओं में सुरक्षा प्रणालियाँ

4.	01/10/2023 to 31/10/2023	खदानों में रोशनी में सुधार
5.	01/11/2023 to 30/11/2023	खुली खदानों में हॉल रोड का रखरखाव और धूल दमन व्यवस्था; कोयला धूल प्रबंधन में सुरक्षा प्रणाली और भूमिगत खदानों में अग्निशमन व्यवस्था।
6.	01/02/2024 to 29/02/2024	पानी के टैंकर/स्प्रिंकलर, मोबाइल मिस्ट स्प्रेयर, रखरखाव वैन, डीजल बॉजर, डीजल वितरण व्यवस्था, विस्फोटक वैन और खदानों में लोगों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के संचालन और रखरखाव में सुरक्षा प्रणाली, हल्के वाहन सड़क, ढुलाई सड़क के रखरखाव में सुरक्षा प्रणाली, खुली खदानों में हल्के वाहनों में फ्लोरोसेंट स्ट्रिपस के साथ उच्च मस्तूल सुरक्षा ध्वज का उपयोग। भूमिगत खदानों में सम्पस, पंप और पाइप रेंज में सुरक्षा प्रणाली।
7.	01/03/2024 to 31/03/2024	विद्युत प्रतिष्ठानों, ट्रांसमिशन लाइनों, अर्थिंग सुरक्षात्मक रिले, ओपन कास्ट खदानों/भूमिगत खदानों में सबस्टेशनों के संचालन और रखरखाव में सुरक्षा प्रणाली, तथा कानून के अनुसार विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए अनुमति।

ii. कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु खान पर्यवेक्षकों, अधिकारियों, अधिकारियों (विभागीय और संविदात्मक) द्वारा उनके अधीन काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों को टूलबॉक्स सुरक्षा वार्ता की जाती है।

iii. सभी खानों/कर्मशालाओं/सबस्टेशनों/जीवीटीसी/एमसीएल के संविदात्मक प्रतिष्ठानों में दिनांक 05 दिसंबर से 18 दिसंबर 2024 तक वार्षिक सुरक्षा पखवाड़ा 2023-24 के उत्सव के माध्यम से एक भव्य सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया, जिसका पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 10.02.2024 को संबलपुर में आयोजित किया गया। वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़ा 2023-24 के संबंध में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया:

1. सभी क्षेत्रों के प्रतिभागियों को शामिल करते हुए ट्रेड टेस्ट।

बी. सभी क्षेत्रों से प्रतिभागियों को शामिल करते हुए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता।

सी. सुरक्षा जागरूकता के आभासी प्रचार एवं प्रसार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग।

iv. एमसीएल और सीआईएल के सुरक्षा वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से खदान कर्मचारियों के बीच साझा किया गया है और जहां साझा करना संभव नहीं था, वहां खदान कर्मचारियों के बीच इसे प्रदर्शित किया गया है।

c. संगोष्ठी और कार्यशाला -

i. कैट 777ई ओएचटी संचालन और सुरक्षा पर दो दिवसीय कार्यशाला 26.05.2023 से 27.05.2023 तक गर्जनबहाल ओसीपी में आयोजित की गई। जीएमएमसीओ लिमिटेड के ओईएम प्रशिक्षकों ने गर्जनबहाल ओसीपी कार्यशाला में 38 प्रतिभागियों (ऑपरेटर और फिटर) को क्लासरूम और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।

ii. डीएमएस (मैकेनिकल), एसईजेड, रांची द्वारा पीई (उत्खनन), जीओसीपी एसओ (उत्खनन) बसुंधरा क्षेत्र, जीएम (उत्खनन)/एचओडी एमसीएल मुख्यालय, नोडल अधिकारी (उत्खनन), आईएसओ एमसीएल मुख्यालय और जीएमएमसीओ/कैटरपिलर के ओईएम प्रतिनिधियों के साथ डीजीएमएस कार्यालय, रांची में एक दिवसीय परस्पर संवादात्मक सत्र दिनांक 07/06/2023 को आयोजित किया गया।

iii. फ्रंटलाइन पर्यवेक्षकों को संवेदनशील बनाने के लिए दिनांक 11/08/2023 को बेलपहाड़ ओसीपी में "टूलबॉक्स सेफ्टी टॉक" पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

iv. डीजीएमएस, एसईजेड, रांची के तत्वावधान में और निदेशक तकनीकी (संचालन) और निदेशक तकनीकी (योजना एवं परियोजना) की अध्यक्षता में दिनांक 20.11.2023 को एमसीएल मुख्यालय, संबलपुर में "एमसीएल की कोयला खदानों में विद्युत सुरक्षा के लिए सक्रिय उपाय" पर एक दिवसीय परस्पर संवादात्मक तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में परियोजना अधिकारी, परियोजना अभियंता (ई एंड एम), एसओ (ई एंड एम), एसओ (उत्खनन), 132 केवी सबस्टेशन के प्रभारी अभियंता और सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक, परियोजना अभियंता (उत्खनन), विद्युत सुरक्षा अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

v. कोयला खदानों में कोयला/ओबी प्रेषण प्रबंधन प्रणाली यानी एकीकृत परिवहन प्रबंधन प्रणाली के संबंध में कोयला डिस्पैच प्रभारियों और ओवरबर्डन प्रभारियों के लाभ के लिए एक दिवसीय परस्पर संवादात्मक तकनीकी कार्यशाला दिनांक 11.12.2023 को डीजीएमएस कार्यालय, भुवनेश्वर में आयोजित की गई। कार्यशाला में कुल 37 अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

E. आईटी पहल:

i. खान सुरक्षा ऐप- एमसीएल ने सभी हितधारकों के बीच सुरक्षा संबंधी जानकारी को आसानी से साझा करने के लिए सुरक्षा ऐप विकसित किया है। सभी सुरक्षा संबंधी जानकारी जैसे डीजीएमएस परिपत्र, दुर्घटना के आंकड़े, महत्वपूर्ण सुरक्षा बैठकों के कार्यवृत्त, आईएसओ परिपत्र आदि ऐप में अपलोड किए जाते हैं। ऐप को "माइन सेफ्टी इन्फो" टैग के तहत गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

ii. मैगजीन लाइसेंस/कब्जाधारी/विस्फोटक वैन के परिवर्तन की वैधता समाप्त होने से छह माह पूर्व संबंधित खदानों को एसएमएस और ईमेल के रूप में 15 दिनों के अंतराल पर स्वचालित सुरक्षा अलर्ट भेजने की प्रणाली मौजूद है।

F. एमसीएल की अंतर-क्षेत्रीय बहु-विषयक टीमों द्वारा 2023-24 के दौरान एमसीएल की सभी खुली और भूमिगत खदानों में सुरक्षा लेख परीक्षा पूरा किया गया।

G. खदानों की सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए सभी क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों, विद्युत सुरक्षा अधिकारियों और क्षेत्र के भू-तकनीकी सेल और स्ट्रेटा नियंत्रण सेल के प्रमुखों के साथ नियमित समन्वय बैठक आयोजित की गई।

H. बीमारियों का पता लगाने के लिए कामगारों और पर्यवेक्षकों की नियमित चिकित्सा जांच की जाती है ताकि उनका समय पर इलाज किया जा सके। 2023-24 के दौरान, एमसीएल के पीएमई केंद्रों पर 4590 विभागीय कर्मचारियों और 1186 संविदा कर्मियों की आवधिक चिकित्सा जांच की गई।

I. परियोजना स्तरीय सुरक्षा समितियों, क्षेत्र स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियों और सहायक स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियों में कामगार प्रतिनिधियों के साथ सुरक्षा मामलों पर संयुक्त परामर्श आयोजित किया जाता है। सहायक स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक 27/09/2023 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

21.4 अवॉर्ड/पुरस्कार:

- सुरक्षा में कोयला मंत्री पुरस्कार 2022-23 का तीसरा पुरस्कार विजेता: नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष पुरस्कार वितरण समारोह में माननीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा दिनांक 06/06/2023 को एमसीएल के सभी कार्यात्मक निदेशकों की उपस्थिति में सीएमडी, एमसीएल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
- सुरक्षा पर कॉर्पोरेट पुरस्कार 2022-23 का दूसरा पुरस्कार विजेता: दिनांक 01/11/2023 को कोलकाता में 49वें सीआईएल स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर संयुक्त सचिव, कोल द्वारा सीआईएल के अध्यक्ष की उपस्थिति में एमसीएल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
- 21वें वार्षिक ग्रीनटेक फाउंडेशन के सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 का विजेता: 29 मई 2023 को नई दिल्ली में एमसीएल की ओर से महाप्रबंधक (एस एंड आर) और महाप्रबंधक, लखनपुर क्षेत्र को यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
- मेटल और माइनिंग क्षेत्र में एपेक्स इंडिया ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड 2023 के तहत "सिल्वर अवार्ड" प्राप्तकर्ता। यह पुरस्कार 6 अक्टूबर, 2023 को उदयपुर, राजस्थान में प्रदान किया गया।
- वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा खान बचाव स्टेशन नागपुर में दिनांक 25.02.2024 से 28.02.2024 तक आयोजित अंतर सहायक कंपनी प्राथमिक चिकित्सा प्रतियोगिता में एमसीएल की चार टीमों ने भाग लिया और निम्नलिखित स्थान प्राप्त किए: -
- टीम-ए द्वारा कुल मिलाकर दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार।
- टीम-बी द्वारा समग्र रूप से दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार और स्ट्रेचर ड्रिल में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार।
- डी- टीम द्वारा समग्र रूप से तीसरा सर्वश्रेष्ठ और स्ट्रेचर ड्रिल में दूसरा स्थान।
- दिनांक 11.12.2023 से 15.12.2023 तक एमआरएस, रामागुंडम और जीडीके-7 एलईपी माइंस रामागुंडम-II क्षेत्र में मेसर्स एससीसीएल द्वारा आयोजित 52वीं अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और निम्न स्थान प्राप्त किए:-
- रेस्क्यू एवं रिकवरी में प्रथम सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार।
- एमसीएल टीम द्वारा प्राथमिक चिकित्सा में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार।

21.5 खान आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और बचाव सेवाएँ

- प्रत्येक खदान में कानून के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना तैयार की गई है तथा आपात स्थितियों से निपटने के लिए संगठन भी गठित की गई है।
- डंप विफलता, आग, जलप्लावन, बड़े पैमाने पर छत गिरने जैसे विभिन्न विषयों पर आपातकालीन कार्य योजना की प्रभावकारिता की जांच के लिए नियमित रूप से मॉक रिहर्सल आयोजित की गई है। एनडीआरएफ और आरआरआरटी, तालचेर की बचाव टीम के सहयोग से दिनांक 29/04/2023 को दोपहर 3.30 बजे लिंगराज ओसीपी, लिंगराज क्षेत्र में मॉक रिहर्सल का आयोजन किया गया। मॉक रिहर्सल डंप विफलता पर थी, जिसमें 3 संविदा कर्मचारी फंस तथा दब गए थे। पीड़ितों को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया तथा एनडीआरएफ और आरआरआरटी, तालचेर की बचाव टीम का समग्र प्रदर्शन सराहनीय रहा।

  सभी भूमिगत खदानों में निकास मार्ग चिन्हित किए गए हैं।

  इसके अलावा एमसीएल की खदानों में आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए ईब-वैली कोलफील्ड्स में सुसज्जित खान बचाव स्टेशन, ओरिएंट क्षेत्र और तालचेर कोलफील्ड्स में आरआरआरटी, तालचेर क्षेत्र भी है। यह बचाव स्टेशन न केवल एमसीएल की खदानों को बल्कि पड़ोसी निजी भूमिगत खदानों को भी सेवा प्रदान करता है।

एमसीएल की बचाव सेवाओं द्वारा पूरी की गई विभिन्न गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

1. खान बचाव स्टेशन और आरआरआरटी ने 2023-24 के दौरान कुल 5 आपात स्थितियों/अग्निशमन कार्यों में भाग लिया, जिनमें से 02 खदान परिसर में और 03 ऐसी घटनाएं थीं जो किसी खनन गतिविधि से संबंधित नहीं बल्कि निकटवर्ती सोसायटी/सिविल टाउनशिप में उत्पन्न हुई थीं।

2. रेस्क्यू एवं रिकवरी कार्य पर 49 लोगों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया।

3. रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशन में 214 बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को खान बचाव स्टेशन, ओरिएंट क्षेत्र और आरआरआरटी, तालचेर क्षेत्र में पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया।

4. एमसीएल के 214 बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की चिकित्सकीय जांच की गई और उन्हें स्वस्थ पाया गया।

5. वर्ष 2023-24 के दौरान दो निजी भूमिगत खदानों मेसर्स अंबुजा सीमेंट, रायगढ़ क्षेत्र की गारे पाल्मा IV/8, मेसर्स आईएमएफए की क्रोमाइट खदान और एक सरकारी भूमिगत खदान मेसर्स ओएमसी, बांगुर को प्रशिक्षण और आपातकालीन सहायता दी गई।

6. खान बचाव स्टेशन, ओरिएंट एरिया और आरआरआरटी, तालचेर में अग्निशमन से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 168 व्यक्तियों ने भाग लिया।

7. निकटवर्ती विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को संभावित अग्नि खतरों और संबंधित सुरक्षा के बारे में जागरूक करने हेतु अग्नि-सुरक्षा पर प्रदर्शन आयोजित किए गए।

8. खानों और एमआरएस में नियमित अंतराल पर सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) और स्वयं बचाव प्रदर्शन आयोजित किए गए।

9. डीजीएमएस द्वारा अनुमोदित खान बचाव स्टेशन, ओरिएंट क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। 4 बैचों में कुल 154 व्यक्तियों (बारह महिला कर्मचारियों सहित) को प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण दिया गया।

10. एमआरएस, ओरिएंट एरिया में 35 व्यक्तियों के लिए विशेष महिला प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

11. एमआरएस, तालचेर और नंदीरा कोलियरी में दिनांक 24.09.2023 से 26.09.2023 तक क्षेत्रीय खान बचाव प्रतियोगिता आयोजित की गई।

12. एमआरएस, ओरिएंट क्षेत्र में दिनांक 27.01.2024 को कंपनी स्तरीय प्राथमिक चिकित्सा प्रतियोगिता आयोजित की गई।

22. कम्प्यूटरीकरण

एमसीएल का प्रणाली/ईआरपी विभाग कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में सुरक्षित, विश्वसनीय और नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है। वर्ष 2023-24 के दौरान एमसीएल में विभिन्न गतिविधियों की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

22.1.1. ईआरपी कार्यान्वयन . एमसीएल ने निम्नलिखित व्यावसायिक कार्यात्मकताओं को एकीकृत करने के लिए 01/04/2021 से सैप लागू किया है।

a) माल और सेवाओं के लिए सामग्री प्रबंधन (एमएम)

b) संयंत्र रखरखाव (पीएम)

c) मानव पूंजी प्रबंधन (एचसीएम)

d) परियोजना प्रणाली (पीएस)

e) वित्त और नियंत्रण (एफआईसीओ)

f) बिक्री और वितरण (एसडी)

सैप ईआरपी को निम्नलिखित बाह्य प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है।

(i) ऑनलाइन भुगतान और रसीद के लिए कई बैंक जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी आदि।

(ii) एम-जंक्शन और एमएसटीसी कोयले की ई-नीलामी के लिए ।

(iii) गुणवत्ता संबंधी डेटा के लिए क्यूसीआई।

(iv) एफओआईएस पोर्टल से सैप सर्वर तक रेल बिक्री डेटा (आरआर विवरण आदि) के प्रवाह के लिए एफओआईएस ।

(v) I3 एमएस पोर्टल और सैप प्रणाली के बीच डेटा प्रवाह (बिक्री आदेश और प्रेषण विवरण आदि) के लिए I3एमएस पोर्टल ।

(vi) एमजीआर वेइब्रिज डेटा एकीकरण ।

(vii) बीजी/एसडी जब्त दस्तावेज की ईएमडी ट्रिगरिंग।

22.2. अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचआईएमएस): एचआईएमएस एक गैर-ईआरपी अनुप्रयोग है, जो केन्द्रीय अस्पताल, ईब-वैली क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसमें रोगी पंजीकरण, ओपीडी प्रबंधन, आईपीडी प्रबंधन, बीमार/दुरुस्त प्रमाण पत्र, आईएमई, पीएमई, ओटी प्रबंधन, डॉक्टरों/नर्सों की समय-सारणी, रोगी बिलिंग, ईएमआर, बीमा प्रबंधन, टेलीमेडिसिन, चित्र संग्रह और संचार प्रणाली (पीएसीएस) आदि की सुविधाएं हैं। एचआईएमएस को सैप ईआरपी के साथ भी एकीकृत किया गया है।

22.3. वेब और ई-मेल सेवाएं: एमसीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.mahanadicoal.in है, जिसे कॉर्पोरेट मुख्यालय में स्थापित वेबसर्वर पर इन-हाउस होस्ट किया गया है। वेबसाइट को एसएसएल प्रमाणपत्र के माध्यम से सुरक्षित बनाया गया है। पोर्टल को एसटीक्यूसी, मीटीई, भारत सरकार से वेब अनुप्रयोग सुरक्षा अनुपालन प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

ईमेल सर्वर "mail.mahanadicoal.in" को सैप ईआरपी सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर और एकीकृत किया गया है ताकि सैप प्रणाली से वितरण आदेश, बिक्री चालान और भुगतान जानकारी ई-मेल के माध्यम से उपभोक्ताओं और विक्रेताओं को भेजी जा सके।

22.4. लाख से कम का निविदा पोर्टल: 2 लाख रुपये से कम की निविदाओं का विवरण दर्ज करने के लिए एक पोर्टल आधारित अनुप्रयोग सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसमें निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारियों द्वारा निविदा से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने और इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा स्वीकार्य समय अवधि के भीतर उन्हें डाउनलोड करने की सुविधा है। इससे सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ी है।

22.5. एमसीएल इंट्रानेट: एमसीएल इंट्रानेट परिपत्रों/मैनुअल/निर्देशों को साझा करने के लिए एक आंतरिक पोर्टल है और आंतरिक कर्मचारियों द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता है। इंट्रानेट कहीं से भी और कभी भी वर्तमान, अतीत की जानकारी प्रदान करता है, और इसका उद्देश्य कंपनी के अधिकारियों के बीच सूचना के अंतर को दूर करना और साथ ही अनधिकृत व्यक्तियों की पहुँच से बचना है।

22.6. इंटरनेट लीज्ड लाइन: मुख्यालय में सभी उपयोगकर्ताओं को बीएसएनएल (100एमबीपीएस) से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। क्षेत्रों और परियोजनाओं के कार्यालयों में स्थानीय स्तर पर अलग से इंटरनेट कनेक्टिविटी है।

22.7. ई-ऑफिस: दस्तावेजों के प्रेषण/प्राप्ति तथा फाइलों के निर्माण/आवागमन के लिए पूरे संगठन में ई-ऑफिस पूरी तरह कार्यात्मक है। एमसीएल के सभी उपयोगकर्ताओं को आवश्यकतानुसार ई-ऑफिस की सुविधा दी गई है, ताकि कार्यालय और घर से फाइलों का तेजी से निपटान हो सके। सभी स्थानों पर ई-ऑफिस के कार्यान्वयन से फाइलों का तेजी से निपटान और आवाजाही में तेजी आई है।

22.8. आईटी अवसंरचना का सृजन:

a) एमएस ऑफिस: 15/03/2024 को GeM में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2139 लाइसेंसों के लिए आदेश दिया गया।

b) वर्ष के दौरान प्रणाली विभाग ने सर्वेक्षण और नई आवश्यकताओं के लिए 208 पीसी खरीदे हैं। एमसीएल ने एमसीएल मुख्यालय के विभिन्न विभागों के लिए 11 प्रिंटर (एचपी 255 कलर लेजर प्रिंटर) भी खरीदे हैं।

22.9. साइबर सुरक्षा:

(i) उपयोगकर्ता अभिगम नियंत्रण के लिए एडी (एक्टिव डायरेक्ट्री) एमसीएल, मुख्यालय में पूर्णतः कार्यात्मक है।

(ii) एमसीएल, मुख्यालय नेटवर्क पर भंडारण उपकरणों के लिए सभी यूएसबी पोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं।

(iii) एमसीएल ने साइबर सुरक्षा वार्षिक कार्य योजना 2023-24 में उल्लिखित सभी गतिविधियों का अनुपालन किया है।

(iv) एमसीएल मुख्यालय, जगन्नाथ क्षेत्र और बसुंधरा क्षेत्र में नई पीढ़ी के फायरवॉल (एनजीएफडब्ल्यू) स्थापित किए गए हैं।

(v) ईएससीआई, हैदराबाद के प्रतिष्ठित संकायों की मदद से एमसीएल के कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए 04/10/2023 को एमसीएल मुख्यालय में एक दिवसीय सेमिनार/कार्यशाला आयोजित की गई। एमसीएल मुख्यालय के 211 कर्मचारियों और एमसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के 67 कर्मचारियों (कुल: 278) ने सेमिनार में भाग लिया।

(vi) 04/11/2023 को सभी निदेशकों की उपस्थिति में सीएमडी, एमसीएल द्वारा 'मु भी अलर्ट' स्मारिका का विमोचन किया गया।

(vii) महिला कर्मचारियों और महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए दिसंबर 2023 में एमसीएल मुख्यालय में साइबर सुरक्षा पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कुल 137 महिलाएं मौजूद थीं।

(viii) एमसीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच क्रमशः 07/02/2024 और 03/01/2024 को ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कार राशि वितरित की गई।

(ix) साइबर सुरक्षा पर जागरूकता पैदा करने के लिए ईब कोयलांचल के लिए बसुंधरा क्षेत्र में तथा तालचेर कोयलांचल के लिए जगन्नाथ क्षेत्र में आधे दिन की कार्यशाला आयोजित की गई।

22.10. एमसीएल में ई-खरीद: एमसीएल की ई-खरीद प्रणाली 15.08.2009 को शुरू की गई थी। यह सफलतापूर्वक चल रही है और आज तक इस माध्यम से 173624 करोड़ रुपये की वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की खरीद को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस वेब-आधारित सॉफ्टवेयर समाधान के कार्यान्वयन से एमसीएल को अत्यधिक लाभ हुआ है। निविदा प्रबंधन प्रक्रिया में चक्र समय में उल्लेखनीय कमी, बेहतर पारदर्शिता और सुविधा आई है। ईएमडी का प्रबंधन स्वचालित कर दिया गया है और अस्वीकृति के अगले दिन असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि स्वचालित रूप से वापस कर दी जाती है। बोलीदाताओं के लिए पारदर्शिता और सुविधा के कारण एमसीएल की साख बढ़ी है। सैप के कार्यान्वयन के बाद, खरीद प्रक्रिया की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ई-खरीद प्रणाली को सैप के साथ एकीकृत किया गया है।

22.11. विद्यांजलि: एमसीएल की ओर से स्वैच्छिक योगदान के रूप में विद्यांजलि परियोजना को उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर विभाग को 25 पीसी दिए गए हैं।

22.12. भविष्य की योजना/अन्य चल रही गतिविधियाँ

a. आंतरिक परिवहन से संबंधित वेब्रिजों का सैप के साथ एकीकरण: आंतरिक परिवहन से संबंधित कोयला उत्पादन के बारे में वेब्रिज से सैप तक डेटा के निर्बाध प्रवाह के लिए वेब्रिज को सैप के साथ एकीकृत किया जाएगा। नवप्रवर्तन प्रकोष्ठ के माध्यम से एक पायलट परियोजना प्रक्रियाधीन है।

b. दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली(डीएमएस): एमसीएल में आंतरिक रूप से विकसित 'दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली' का कार्यान्वयन।

c. कोलनेट से सैप तक पीआईएस और कैपेक्स स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है।

23. दूरसंचार

- ईआरपी के लिए अतिरेक डेटा संचार नेटवर्क:

  ईआरपी के लिए एमपीएलएस नेटवर्क एमसीएल के 284 स्थानों पर स्थापित किया गया है, जिसमें मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सेवाओं का उपयोग करके क्षेत्रीय कार्यालयों, परियोजना कार्यालयों, एमटीके, वेब्रिज आदि जैसे सभी डेटा उत्पादन बिंदुओं को कवर किया गया है। इसके अतिरेक में, आपकी कंपनी में 116 डेटा उत्पादन बिंदुओं को कवर करने वाला बीएसएनएल का एमपीएलएस नेटवर्क भी स्थापित किया गया है। इस नेटवर्क बैकबोन की सफल स्थापना के साथ, एमसीएल में ईआरपी का उपयोग शुरू हो गया है।

  एमसीएल मुख्यालय में एक 24x7 नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर (एनओसी) भी स्थापित किया गया है, ताकि एमसीएल में सभी लिंकों की निगरानी की जा सके, साथ ही लिंकों में किसी भी व्यवधान की स्थिति में त्वरित मरम्मत की जा सके।

  आपकी कंपनी ने बीएसएनएल से सभी 284 स्थानों के लिए उन्नत बैंडविड्थ के साथ अतिरिक्त कनेक्टिविटी स्थापित करने की पहल भी की है।

- आईटी परिसंपत्तियों का साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा:

  डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक बन गई है। आपकी कंपनी ने आईटी संपत्तियों की सुरक्षा को मजबूत करने और कंपनी के डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एसटीक्यूसी के माध्यम से आईटी और नेटवर्क आधारभूत संरचना का सुरक्षा लेखा परीक्षा किया है।

- ई-ऑफिस का क्षेत्रों तक विस्तार:

  आपकी कंपनी ने उपरोक्त नेटवर्क अवसंरचना का उपयोग करके सभी क्षेत्रों और खदानों में ई-ऑफिस की सुविधा का विस्तार किया है। इसके परिणामस्वरूप फाइलों का तेजी से संचालन हुआ है और कंपनी के सभी कार्यों का शीघ्र कार्यान्वयन हुआ है।

- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम:**

  आपकी कंपनी ने प्रमुख प्रबंधन कार्मिक द्वारा त्वरित और सहयोगात्मक निर्णय लेने के लिए एमसीएल मुख्यालय, एमसीएल भुवनेश्वर कार्यालय और एमसीएल के अन्य क्षेत्रों में सीआईएल के निजी नेटवर्क के साथ-साथ इंटरनेट (सार्वजनिक नेटवर्क) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित करने के लिए एक उद्यम ग्रेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किया है। यह सिस्टम एमसीएल के लाइसेंस प्राप्त उद्यम ग्रेड मल्टी कॉन्फ्रेंस यूनिट और क्लाइंट सर्वर पर चलता है, जो संसाधनों की गोपनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

  आपकी कंपनी द्वारा क्लाउड आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंस सेवाएं भी प्राप्त की गई हैं, जिनका उपयोग घर या कार्यालय से स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप के साथ-साथ वीसी एंड पॉइंट्स के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आपकी कंपनी द्वारा 2023-24 में इन संसाधनों का उपयोग करके हजारों वीडियो कॉन्फ्रेंस, साक्षात्कार, बैठकें, प्रशिक्षण, वेबिनार, कार्यक्रम आदि निष्पादित किए गए हैं।

  इन संसाधनों से यात्रा लागत में करोड़ों रुपए की बचत हुई है, साथ ही कंपनी के शीर्ष प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों की यात्रा के अनगिनत घंटे भी बच गए हैं।

  बैठकों के दौरान संचार में आसानी के लिए एमसीएल के सम्मेलन हॉल में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किया गया है।

- **पट्टे लाइनों का उपयोग करके हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी:**

  आपकी कंपनी ने एमसीएल मुख्यालय, एमसीएल भुवनेश्वर कार्यालय, एमसीएल क्षेत्रों (केन्द्रीय कर्मशाला तालचेर, केन्द्रीय कर्मशाला, ईब-वैली और एनएससीएच तालचेर सहित) में पट्टे पर लाइनों का उपयोग करते हुए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थापित की है। इन हाई स्पीड लिंक का उपयोग

निर्बाध और उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के साथ-साथ एमसीएल में अन्य बैंडविड्थ का व्यापक अनुप्रयोग जैसे बीएसएनएल, रेलटेल (आरसीआईएल) और पावर ग्रिड (पीजीसीआईएल) की सेवाओं का उपयोग करके एमसीएल वेबसाइट की मेजबानी, वीटीएस एप्लिकेशन और डेटाबेस सर्वर, सीसीटीवी कैमरों की स्ट्रीमिंग आदि के लिए किया जाता है।

हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट हॉटस्पॉट आपकी कंपनी द्वारा अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए 24x7 संचार और सूचना चैनल सुनिश्चित करने के लिए एमसीएल मुख्यालय के सभी निदेशकों, मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं विभागाध्यक्षों और कुछ अन्य अधिकारियों को कार्यालयों और आवासीय कार्यालयों में ब्रॉडबैंड/एफ़टीएचएच (फाइबर टू द होम) कनेक्शन के अलावा ऑन-द-गो इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया गया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में इन सभी आगमनों ने दैनिक संचार को कागज से इलेक्ट्रॉनिक मोड में स्थानांतरित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप समय और संसाधनों की बचत हुई है। आपकी कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय में वाई-फाई नेटवर्क स्थापित किया गया है।

मोबाइल सीयूजी सुविधा आपकी कंपनी द्वारा ओडिशा राज्य में संगठन की विभिन्न इकाइयों में सेवारत एमसीएल के सभी अधिकारियों, जेसीसी सदस्यों, प्रमुख कर्मचारियों, रेलवे साइडिंग अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, बचाव ब्रिगेड कर्मियों और खान बचाव स्टेशनों के चालकों, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली आदि के लिए मोबाइल सीयूजी सुविधा प्रदान की गई है जिसका उद्देश्य न्यूनतम लागत पर 24x7 असीमित संचार को सक्षम करना है, जिससे एमसीएल के संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके।

- **आईपी आधारित सुरक्षित टेलीफोन नेटवर्क:**

कंपनी के शीर्ष प्रबंधन के भीतर गोपनीयता और त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा एक आंतरिक आईपी आधारित क्लोज्ड टेलीफोन नेटवर्क बनाया गया है। यह सुरक्षित टेलीफोन नेटवर्क एमपीएलएस नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क पर सीएमडी, निदेशकों, क्षेत्रीय महाप्रबंधकों, परियोजना अधिकारियों आदि के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है

टेलिफ़ोन एक्सचेंज: इन कार्यालयों में आंतरिक संचार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी द्वारा एमसीएल की लगभग सभी इकाइयों में आंतरिक टेलीफोन कनेक्टिविटी और ईपीएबीएक्स सिस्टम की हजारों लाइनें स्थापित की गई हैं।

- **जीपीएस/जीआरपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली:**

आपकी कंपनी द्वारा 3033 से अधिक निजी ट्रकों/टिप्परों, एचईएमएम, और कोयले और ओबी के उत्पादन और आंतरिक परिवहन में लगे अन्य वाहनों के साथ-साथ सुरक्षा विभाग द्वारा गश्त के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों में जीपीएस आधारित वीटीएस (वाहन ट्रैकिंग सिस्टम) इकाइयां स्थापित की गई हैं। भू-बाड़े के उल्लंघन, याला, तय की गई दूरी आदि से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों को देखने के साथ-साथ इन वाहनों की लाइव ट्रैकिंग ऑनलाइन उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर परियोजनाओं और क्षेत्रों के संबंधित उपयोगकर्ताओं को स्वतः उत्पन्न एसएमएस अलर्ट भी भेजे जाते हैं।

आपकी कंपनी द्वारा खदान की सीमा के साथ-साथ मार्गों की जियो-फेंसिंग की गई है, ताकि वाहनों को ट्रैक किया जा सके, यदि वे जियो-फेंस सीमा को पार कर रहे हैं। अलर्ट की निगरानी के लिए एमसीएल-मुख्यालय और आपकी कंपनी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

- **अस्पताल प्रबंधन प्रणाली:**

केन्द्रीय अस्पताल, ईब वैली में अन्य इलेक्ट्रॉनिक और संचार उपकरणों के साथ हाई स्पीड नेटवर्क स्थापित किया गया है। इस बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए, अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (एचएमएस) को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे अस्पताल में रोगी डेटाबेस और उपचार प्रक्रिया के संगठन में काफी सुधार हुआ है।

- **सीसीटीवी निगरानी प्रणाली:**

आपकी कंपनी ने हमारी खदानों और अन्य कंपनी प्रतिष्ठानों में 2000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों वाली एक मजबूत निगरानी प्रणाली लागू की है। मई तक यह संख्या 3000 से अधिक होने का अनुमान है, जिससे सुरक्षा उपायों को मजबूती मिलेगी और विभिन्न स्थानों पर बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हमारी चल रही पहलों के हिस्से के रूप में, हम अनधिकृत गतिविधियों को कम करने, सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और वाहनों और कर्मियों द्वारा अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए एक व्यापक सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की स्थापना को प्राथमिकता दे रहे हैं।

- **प्रवेश नियंत्रण के लिए बूम बैरियर प्रणाली:**

आपकी कंपनी ने आरएफआईडी-आधारित बूम बैरियर प्रणाली को लागू करने की पहल की है जिसका उद्देश्य खदानों तक अनाधिकृत वाहनों की पहुंच को न्यूनतम करना है। वर्तमान में, एमसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में 110 बूम बैरियर सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी संख्या बढ़कर 116 होने का अनुमान है। इस विस्तार से निगरानी क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा खनन परिसर में चोरी का जोखिम भी प्रभावी रूप से कम हो जाएगा।

- **सैप एकीकरण के साथ बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली:**

आपकी कंपनी ने सैप एकीकरण के साथ बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को लागू करने और परंपरागत बायोमेट्रिक प्रणाली को बदलने की पहल की है। यह खरीद के अधीन है और जल्द ही स्थापित होने की उम्मीद है।

- **वीएचएफ संचार:**

आपकी कंपनी ने कोल फेसेस तक परियोजनाओं में संचार के लिए विभिन्न खानों में वीएचएफ संचार नेटवर्क स्थापित किया है। परिचालन दक्षता में वृद्धि के लिए इसे हर साल बढ़ाया जा रहा है।

- **भूमिगत संचार प्रणाली**

  तीव्र और सुरक्षित संचार के लिए आपकी कंपनी द्वारा सभी भूमिगत परियोजनाओं में भूमिगत संचार प्रणाली स्थापित की गई है। विभिन्न भूमिगत परियोजनाओं में पर्यावरणीय टेली-निगरानी प्रणाली का भी रखरखाव किया जा रहा है और इसे बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

24. मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम)

24.1 औद्योगिक संबंध:

एक प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में, कंपनी ने संगठन में सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण बनाने के लिए अपने श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ स्वस्थ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे हैं। इसने बाहरी एजेंसियों और खनन क्षेत्र के आस-पास के ग्रामीणों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं।

उच्च विकास प्राप्त करने के लिए प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध महत्वपूर्ण है और इसलिए, कंपनी ने हमेशा अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने पर जोर दिया है। इस वर्ष भी एमसीएल त्रि-स्तरीय आईआर प्रणाली तंत्र यानी इकाई, क्षेत्र और कॉर्पोरेट स्तर पर औद्योगिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण रूप से बनाए रखने में सफल रहा है। मुद्दों और शक्तियों के प्रत्यायोजन के आधार पर, कर्मचारियों की शिकायतों/मांगों को प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर हल किया गया।

औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण रहे। यद्यपि वर्ष 2023-24 के दौरान आम हड़ताल थी, लेकिन हड़ताल का एमसीएल में खनन गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है।

प्रबंधन के साथ औद्योगिक संबंधों के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए सभी चार कार्यरत ट्रेड यूनियनों के प्रयास अत्यधिक सराहनीय थे।

24.2 सहभागी प्रबंधन:

दिन-प्रतिदिन के मामलों में निर्णय लेने में कर्मचारियों की भागीदारी और साथ ही प्रबंधन के साथ एक निश्चित स्तर तक कॉर्पोरेट योजना बनाना कॉर्पोरेट लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। एमसीएल, आपकी कंपनी, सहभागी प्रबंधन के मूल्यों को जानते हुए, अपनी स्थापना के समय से ही इस सिद्धांत को अपनाती रही है।

ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों को जेसीसी और कल्याण बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने के लिए परिचालन ट्रेड यूनियनों (आईआर प्रणाली के अंतर्गत आने वाले) द्वारा नामित किया जाता है। उक्त द्विपक्षीय मंचों के अलावा, क्षेत्र और कॉर्पोरेट स्तर पर त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियां भी काम कर रही हैं, जिनमें परिचालन ट्रेड यूनियनों द्वारा नामित प्रतिनिधि शामिल हैं। उपर्युक्त द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समितियां प्रबंधन को कुछ निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में सहायता करने में सक्रिय रूप से शामिल थीं।

एमसीएल न केवल सहभागी प्रबंधन के माध्यम से अपने कर्मचारियों के बीच कार्य संस्कृति, सौहार्दपूर्ण वातावरण और एकजुटता विकसित करने में विश्वास करता है, बल्कि राजभाषा पखवाड़ा, सुरक्षा सप्ताह का उत्सव, गुणवत्ता पखवाड़ा आदि के अवसर पर वाद-विवाद और सेमिनार में भागीदारी के माध्यम से कर्मचारी सहभागिता जैसे सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर भी ऐसा करता है।

इस वर्ष यूनियन और प्रबंधन से विचार प्राप्त करने के लिए जनवरी माह में "एक साथ काम करना-IX" नामक एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका विषय था "उभरता हुआ ऊर्जा परिदृश्य"। इस कार्यक्रम ने न केवल प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि विचार-विमर्श सत्र के माध्यम से सुंदर विचार भी उत्पन्न किए। इस सम्मेलन ने यूनियनों का प्रबंधन पर विश्वास और बढ़ाया।

एमसीएल लैंगिक संवेदनशीलता के महत्व को पहचानता है और अपनी महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने तथा महिला कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों/शिकायतों को दूर करने के लिए विशेष ध्यान रखता है। महिलाओं के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ताकि वे अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करना जारी रखें, अधिक आत्मविश्वास से उभरें और समावेशी विकास की प्रक्रिया में प्रभावी रूप से योगदान दें, एमसीएल ने विप्स(सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएँ) फ़ोरम में प्रशिक्षण और सेमिनारों में अपनी महिला कर्मचारियों की भागीदारी के माध्यम से नेटवर्किंग, सूचना और विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की है।

वर्ष 2023-24 में कंपनी स्तर/क्षेत्र स्तर/परियोजना स्तर पर औद्योगिक संबंध, कल्याण, सुरक्षा, जेसीसी आदि से संबंधित नियमित संरचित बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें कर्मचारी कल्याण, सुरक्षा और कर्मचारी शिकायतों से संबंधित विभिन्न मामलों पर यूनियन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई और समस्याओं का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया गया। ऐसी चर्चाओं के दौरान कार्य प्रक्रियाओं में सुधार और संगठन के दिन-प्रतिदिन के मामलों की बेहतरी के लिए कई नए विचार और सुझाव भी सामने आए।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र/मुख्यालय में कोल इंडिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ (सीआईएसटीईए) के साथ बैठकें आयोजित की गईं, जहां एससी/एसटी समुदायों से संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों पर चर्चा की गई और शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए कदम उठाए गए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन के एक सदस्य को इकाई/क्षेत्र/मुख्यालय स्तर पर निम्नलिखित मंचों में शामिल किया गया है, जो सहभागी प्रबंधन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है: -

1. आवास आवंटन समिति
2. क्षेत्र संयुक्त परामर्शदात्री समिति
3. कॉर्पोरेट संयुक्त परामर्शदात्री समिति

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जनशक्ति के संबंध में राष्ट्रपति के निर्देशों को एमसीएल में लागू किया गया है।

पिछले 03 वर्षों में एमसीएल की कुल जनशक्ति और संविदा श्रमिकों में एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

1. स्थायी कर्मचारी:

तक	कुल जनशक्ति	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		ओबीसी	
		सं.	प्रतिशतता	सं.	प्रतिशतता	सं.	प्रतिशतता
01.01.2022	21939	2862	13.05	1852	8.44	962	4.38
01.01.2023	21794	2889	13.26	1855	8.51	1120	5.14
01.01.2024	21652	2843	13.00	1852	9.00	961	4.00

2. ठेकेदार श्रमिक :

तक	कुल जनशक्ति	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		ओबीसी	
		सं.	प्रतिशतता	सं.	प्रतिशतता	सं.	प्रतिशतता
01.01.2022	21885	3362	15.36	2796	12.78	4869	22.25
01.01.2023	22125	3541	16.00	2820	12.75	5457	24.66
01.01.2024	23962	4165	17.38	3258	13.59	5878	24.53

पिछले 03 वर्षों में विभिन्न पदों पर भर्ती किए गए एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों की कुल संख्या नीचे दी गई है (भर्ती विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार):

तक	कुल भर्तियां	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		ओबीसी	
		सं.	प्रतिशतता	सं.	प्रतिशतता	सं.	प्रतिशतता
01.01.2022	185	38	20.54%	38	20.54%	31	16.76%
01.01.2023	-	-	-	-	-	-	-
01.01.2024	227	31	13.66%	31	13.66%	23	10.13%

24.3 प्रशिक्षण एवं विकास

मानव संसाधन का विकास किसी उद्योग के संगठनात्मक विकास की कुंजी है। मानव संसाधन का प्रशिक्षण और विकास एमसीएल की कॉर्पोरेट नीति का अभिन्न अंग है। मानव संसाधन विकास विभाग की स्थापना एमसीएल के मौजूदा मानव संसाधनों के साथ-साथ नव नियुक्त जनशक्ति का समग्र विकास करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से की गई है:

i) विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग के लिए प्रासंगिक तकनीकी प्रगति को बनाए रखना ।

ii) सुरक्षा, संरक्षण, गुणवत्ता और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उत्पाद की मांग को पूरा करना ।

iii) राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने की उभरती कार्यनीति से निपटना ।

iv) कार्य-जीवन संतुलन, तनाव मुक्ति, शिष्टाचार, संचार कौशल, व्यावसायिक नैतिकता, आचरण आदि बनाए रखने के लिए ।

एमसीएल की कुल जनशक्ति को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

i) अधिकारी;

ii) गैर-अधिकारी;

क) पर्यवेक्षक

ख) कर्मचारी (संविदात्मक और विभागीय)

प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के प्रकार को विस्तृत रूप से इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

i) तकनीकी

ii) प्रबंधकीय

iii) व्यावहारिक

iv) जगन्नाथ क्षेत्र, तालचेर क्षेत्र, ओरिएंट क्षेत्र, लखनपुर क्षेत्र और बसुंधरा क्षेत्र में समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र।

v) बेलपहाड़ प्रशिक्षण संस्थान (बीटीआई), खनन-सह-उत्खनन और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान

(एमईईटीआई), केन्द्रीय कर्मशाला, तालचेर और प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई), एमसीएल,मुख्यालय।

vi) भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) रांची।

vii) एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ईएससीआई), नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (एनपीसी), नेशनल एकेडमी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट (एनएएचआरडी) एचआरडी, आईआईएम, आईआईटी, परिवर्तन राजभाषा अकादमी, गांधी लेबर फाउंडेशन आदि।

एमसीएल का मानव संसाधन विकास विभाग प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में एक "वार्षिक प्रशिक्षण योजना" तैयार करता है, ताकि सीआईएल/एमसीएल में परिकल्पित शिक्षण एवं विकास नीति, परामर्श नीति, प्रतिभा प्रबंधन नीति, कौशल विकास नीति आदि को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त सभी संस्थानों के साथ अपने प्रयासों को एकीकृत किया जा सके। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निम्नलिखित के विकास के लिए डिज़ाइन किया गया है:

क) अधिकारी:

i) आईआईसीएम, रांची में नए प्रवेशक: -

a) प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम,

b) तकनीकी कौशल विकास प्रशिक्षण,

c) कार्यात्मक कौशल विकास प्रशिक्षण और

d) प्रबंधकीय कौशल विकास प्रशिक्षण।.

इसके अलावा, नए प्रवेशकों को सीआईएल की सलाह योजना में शामिल किया जाता है ताकि उन्हें एमसीएल की कार्य संस्कृति, जलवायु और वातावरण के अनुकूल बनाया जा सके।

ii) **मौजूदा अधिकारी:** बीटीआई, एमईईटीआई, एमटीआई, आईआईसीएम और भारत में स्थित अन्य प्रशिक्षण उत्कृष्टता केंद्रों में मौजूदा अधिकारियों को उनके कैरियर के विकास के साथ-साथ कौशल विकास/उन्नयन के साथ-साथ उनके संबंधित क्षेत्रों में भावी तकनीकी विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

ख) गैर-अधिकारी:

i) **पर्यवेक्षक:** पर्यवेक्षकों को उनके कौशल विकास और उन्नयन के लिए बीटीआई, एमईईटीआई, एमटीआई,जीएलएफ़ आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है।

ii) **कर्मचारी (पर्यवेक्षकों के अलावा) संविदात्मक श्रमिकों सहित:**

क) आधारभूत प्रशिक्षण:- सभी पाँच जीवीटीसी में व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के अनुसार नए भर्ती किए गए श्रमिकों को आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है,

ख) पुनश्चर्या प्रशिक्षण:- मौजूदा कर्मचारियों को हर पांच साल में एक बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है, जो पहले से ही सभी पांच जीवीटीसी में व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के अनुसार आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और विभिन्न क्षेत्रों / खानों में काम कर रहे हैं,

ग) विशिष्ट प्रशिक्षण:- खानों में नई तकनीक/मशीनरी शुरू करने पर श्रमिकों को सभी पांच जीवीटीसी और उपकरण निर्माताओं की कार्यशालाओं में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

घ) कार्य प्रशिक्षण में बदलाव:- जब भी किसी कर्मचारी के कार्य में बदलाव होता है, तो उसे तकनीक/मशीन/कार्यस्थल से परिचित कराने के लिए उसके कार्य की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है।

नई पहल:

1. सीआईएल/एमसीएल के अधिकारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण (टीएनए) करने के लिए मेसर्स डेलोइट को अनुबंध दिया गया था, ताकि उन्हें आने वाले वर्षों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और उच्च जिम्मेदारी लेने में सक्षम बनाया जा सके। एमसीएल में मेसर्स डेलोइट की सिफारिश के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया।

2. भुवनेश्वर में मिनरेम का कार्य आईआईसीएम के साथ मिलकर शुरू किया गया है ताकि इसे उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा सके। मिनरेम शीघ्र ही काम करना शुरू कर देगा।

3. एकीकृत सामुदायिक कंप्यूटर के दो सेट चालू किए गए हैं (एक बीटीआई, लखनपुर क्षेत्र में और दूसरा एमईईटीआई, केन्द्रीय कर्मशाला, तालचेर में)। यह एक इंटरएक्टिव प्रोजेक्टर है जिसमें आधुनिक गैजेट के साथ प्रशिक्षण देने के लिए वेब कैम और माइक के साथ-साथ विजुअल क्लास-रूम एप्लीकेशन/स्मार्ट क्लास रूम के साथ कंप्यूटिंग भी शामिल है।

4. एमसीएल में एचईएमएम ऑपरेटरों को सिम्युलेटर आधारित प्रशिक्षण देने के लिए दो आधुनिक सिम्युलेटर (एक बीटीआई, लखनपुर क्षेत्र में और दूसरा एमईईटीआई, केन्द्रीय कर्मशाला, तालचेर में) चालू किए गए हैं।

01. वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान कंपनी के समझौता ज्ञापन मापदंडों और प्रशिक्षण लक्ष्य/ उपलब्धियों का विवरण।

क्र.	पैरामीटर	2022-23			2023-24		
		कुल अधिकारी का लक्ष्य 5%	उपलब्धि	% उपलब्धि	कुल अधिकारी का लक्ष्य 5%	उपलब्धि	% उपलब्धि
1	कुल अधिकारियों के 5% को उत्कृष्टता केंद्रों यानी आईआईटी, आईआईएम,एनआईटी, आईसीडबल्यूएआई, एएससीआई आदि में कम से कम एक सप्ताह/ पांच दिन और उससे अधिक का प्रशिक्षण कार्यक्रम देकर प्रतिभा प्रबंधन और करियर में प्रगति।	90	227	252	90	227	252

02. वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान अपरेंटिस अधिनियम, 1961 (संशोधित 2016) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करना।

क्र.	कार्यरत अपरेंटिस	2022-23	2023-24
1	अपरेंटिस के रूप में कार्यरत आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की संख्या (एनएपीएस के माध्यम से)	1054	1028
2	कार्यरत पीडीपीटी की संख्या (एनएटीएस के माध्यम से)	664	411
3	कार्यरत पीजीपीटी की संख्या (एनएटीएस के माध्यम से)	151	230
	कुल	**1869**	**1669**

03. आंतरिक प्रशिक्षण – वर्ष 2022-23 और 2023-24 में एमटीआई, बीटीआई, एमईईटीआई, और जीवीटीसी

क्र.	कार्मिक	2022-23	2023-24
1	अधिकारी	2019	2104
2	पर्यवेक्षक	989	863
3	कर्मी	4681	5023
	कुल	**7689**	**7990**

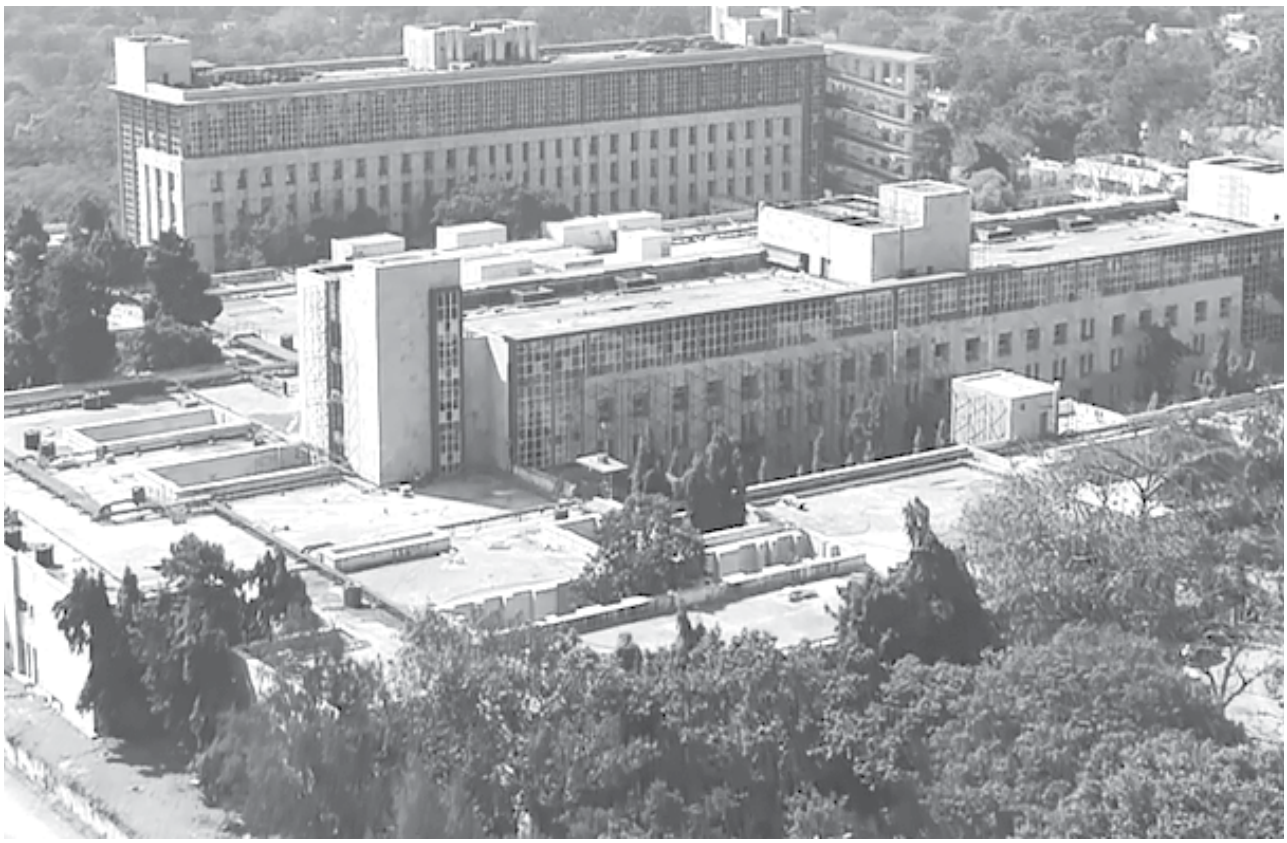
04. 04. वर्ष 2022-23 और 2023-24 में बाह्य प्रशिक्षण का विवरण

क्र.	कार्मिक	2022-23	2023-24
1	अधिकारी	1253	1267
2	पर्यवेक्षक	150	122
3	कर्मी	41	143
	कुल	**1444**	**1532**

05. वर्ष 2022-23 और 2023-24 में कुल प्रशिक्षण (आंतरिक और बाह्य)

क्र.	कार्मिक	2022-23	2023-24
1	अधिकारी	3272	3371
2	पर्यवेक्षक	1139	985
3	कर्मी	4722	5166
	कुल	9133	9522





Talcher Medical College and Hospital

06. कॉर्पोरेट गवर्नेंस और व्यापार नैतिकता और आचरण संहिता पर एमसीएल बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण

क्र.	प्रदत्त प्रशिक्षण	2022-23	2023-24
1	भारत में	01	NIL
2	विदेश में	NIL	NIL

07. वर्ष 2022-23 और 2023-24 में प्राप्त मैन डेज प्रशिक्षण

क्र.	कार्मिक	2022-23	2023-24
1	अधिकारी	9741	10530
2	पर्यवेक्षक	4174	3643
3	कर्मी	37474	43936
	कुल	51389	58109

08. वर्ष 2022-23 और 2023-24 में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को इंटर्नशिप प्रशिक्षण

क्र.	छात्र	2022-23	2023-24
1	खनन अभियांत्रिकी	110	124
2	खनन डिप्लोमा	169	136
3	बी. टेक	120	135
4	एमबीए	96	217
5	अन्य	63	72
	कुल	558	684

09. विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	कार्मिक	2022-23	2023-24
1	परियोजना प्रबंधन	29	19
2	अनुबंध प्रबंधन	106	90
3	जोखिम प्रबंधन	2	5
4	पर्यावरण, वन प्रबंधन और अधिग्रहण	51	35
5	एचईएमएम ऑपरेटरों का सिम्युलेटर प्रशिक्षण	188	95
6	पीओएस अधिनियम, लिंग संवेदनशीलता और महिला संवेदनशीलता	376	12
7	आंतरिक संकाय/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण	25	77
	कुल	777	333

25. कल्याण

25.1. शिक्षा: -

कल्याणकारी उपाय के रूप में, एमसीएल के बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस संबंध में, एमसीएल में 11 परियोजना डीएवी पब्लिक स्कूल और 2 केन्द्रीय विद्यालय कार्यरत हैं।

स्कूल की स्थिति एक नजर में:

क्र.	स्कूल के प्रकार	स्कूलों की संख्या	बजट प्रावधान
1	परियोजना स्कूल	11	रु. 63,55,25,399.49 स्वीकृत घाटा बजट (2023-24)
2	घाटे का वित्तपोषण (कुल)	17	रु. 82,06,800/-

3	निजी तौर पर प्रबंधित स्कूल (अनुदान सहायता)	02	स्वीकृत बजट (2023-24)
	केन्द्रीय विद्यालय		वित्त वर्ष 2023-24 में 1,70,49,459.60 रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

25.2 सीआईएल छात्रवृत्ति योजना: -

मेधावी छात्रों यानी कर्मचारियों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, दो श्रेणियों के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, अर्थात i. मेरिट छात्रवृत्ति ii. सीआईएल छात्रवृत्ति योजना के अनुसार सामान्य छात्रवृत्ति।.

25.3. फीस और छात्रावास शुल्क की लागत के लिए वित्तीय सहायता के वितरण के लिए सीआईएल योजना: -

यह योजना वेतन बोर्ड कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस और छात्रावास किराये के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सीआईएल ट्यूशन प्रतिपूर्ति		
वर्ष	**वर्ष**	**वर्ष**
वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24

25.4. एमसीएल कर्मचारी हितकारी निधि सोसाइटी (ईबीएफएस) :

- एमसीएल ईबीएफएस योजना का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को वित्तीय कठिनाइयों से निपटने के लिए तत्काल राहत प्रदान करना है।
- इस योजना का सदस्य बनने के लिए एक दिन का वेतन एकमुश्त अंशदान के रूप में काटा जाता है।
- इस योजना के कोष के लिए सदस्यों के वेतन से हर महीने 10 रुपये काटे जाते हैं, हालांकि, 24.01.2024 को आयोजित ईबीएफएस शासी निकाय की बैठक में यह कटौती की गई थी कि 01.04.2024 से मासिक अंशदान 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया जाएगा और योजना के तहत मृतक कर्मचारी के परिवार को वित्तीय लाभ 01.04.2024 से 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किया जाएगा।

एमसीएल कर्मचारी हितकारी निधि सोसाइटी (ईबीएफएस)		
वर्ष	**कुल मामलों की संख्या**	**राशि का भुगतान**
वित्तीय वर्ष 2023-24	372	Rs.93,00,000.00

25.5 खेल और क्रीड़ा:

1. कर्मचारियों के बीच खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, एमसीएल ने 13 एमसीएल अंतर क्षेत्रीय खेलों का आयोजन किया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीआईएल स्थापना दिवस, गोल्फ टूर्नामेंट 2023 और एमसीएल स्थापना दिवस, गोल्फ टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया है।
2. बाह्य खेल आयोजनों के लिए एसओपी: एसओपी को सीआईएल खेल नीति के अनुसार तैयार किया गया है और राज्य और राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न बाह्य टूर्नामेंटों में कर्मचारियों की भागीदारी के लिए सभी क्षेत्रों में प्रसारित किया गया है।
3. एमसीएल फुटबॉल टीम सीआईएल अंतर-कंपनी फुटबॉल टूर्नामेंट 2023-24 में चैंपियन/विजेता रही।

25.6 वित्तीय सहायता: -

एमसीएल अपने कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए मनोरंजन क्लब, कैंटीन, शैक्षिक संस्थानों आदि जैसी आंतरिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा कोयला क्षेत्र के परिधीय क्षेत्र और पूरे भारत में खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बाहरी संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष	प्रकार	मामलों की संख्या	राशि
वित्तीय वर्ष 2023-24	कंपनी में	54	रु.1,46,09,010.00
	बाहर	20	रु.10,55,000.00
	कुल	74	रु. 1,56,64,010.00

25.7. वैधानिक सुविधाओं और मनोरंजन सुविधाओं का विवरण: -

वैधानिक सुविधाएं		मनोरंजन की सुविधाएं	
क्रेच	03	प्ले ग्राउन्ड	11

रेस्ट शेल्टर	79	स्टेडियम	05
कैंटीन	35	चिल्ड्रन पार्क	19
बैंक शाखाएँ	23	लाइब्रेरी	08
		ऑफिसर्स क्लब	19
		वर्कर्स क्लब	16
		ऑडिटोरीयम	8
		स्विमिंग पूल	03
		कल्याण मंडप	04
		गोल्फ कोर्स	04

25.8 अस्पताल:

उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की कंपनीवार स्थिति:

कंपनी	औषधालय	बेड	डॉक्टर	एम्बुलेंस	अस्पताल	आयुर्वेदिक औषधालय	मोबाइल वैन
एमसीएल	12	259	95	52	7	1	2

25.9 एमसीएल के बसुंधरा और लखनपुर क्षेत्र में 50 बिस्तरों वाले दो अस्पतालों के संचालन और प्रबंधन का 05 वर्ष की अवधि के लिए आउटसोर्सिंग: एमसीएल के लखनपुर और बसुंधरा क्षेत्र में 50 बिस्तरों वाले दो अस्पतालों के संचालन और प्रबंधन के आउटसोर्सिंग के काम के लिए निविदा को जीईएम पोर्टल के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया है और सेवा प्रदाता मेसर्स ईएसकेएजी संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता को दिया गया है। आवश्यक वैधानिक लाइसेंस और अनुमति प्राप्त करने के बाद दोनों स्थानों पर संचालन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा।

25.10. संबलपुर में हॉकी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना:

हॉकी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को क्रिकेट संघ द्वारा मंजूरी दे दी गई है और जिला प्राधिकरण, संबलपुर द्वारा आवश्यक भूमि की पहचान भी कर ली गई है। वर्तमान में, प्रस्ताव को कलेक्टर, संबलपुर द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य खेल प्राधिकरण को भेज दिया गया है।

25.11. इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में कर्मचारियों के बच्चों का प्रवेश:

एमसीएल कर्मचारियों के बच्चों के करियर विकास के लिए आईजीआईटी, सारंग और ओएसएमई, क्योंझर में खनन, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विषयों में 40% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। विवरण नीचे दिया गया है:

संस्था का नाम	अनुशासन	40% एमसीएल कोटा के अंतर्गत सीटों की संख्या
इंदिरा गांधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईजीआईटी), सारंग, ढेंकनाल	सिविल	8
	इलेक्ट्रिकल	8
	मैकेनिकल	8
ओड़िशा स्कूल ऑफ माइनिंग एंड इंजीनियरिंग (ओएसएमई), क्योंझर	खनन	16
	कुल योग	**40**

हर साल, 10वीं बोर्ड के परिणाम की घोषणा के बाद, उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त परामर्श प्रक्रिया (एमसीएल, आईजीआईटी सारंग और ओएसएमई क्योंझर के अधिकारी) शुरू की जाती है।

25.12 कोयला मंत्रालय से कार्यभार:

1. कल्याण विभाग, एमसीएल को ओडिशा के 03 जिलों में अमृत कलश यात्रा के सफल आयोजन के लिए भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से विशेष सराहना मिली। कल्याण विभाग ने जगन्नाथ क्षेत्र, बसुंधरा क्षेत्र, ईब वैली क्षेत्र और लखनपुर क्षेत्र को शामिल करके अमृत कलश यात्रा के सफल आयोजन के लिए समन्वय किया। इस कार्यक्रम में 11945 लोगों को शामिल करके 203 गांवों को कवर किया गया।
2. कल्याण विभाग एमसीएल ने कोयला मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार "फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन" का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 5000 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया और 24000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की।

25.13 क्षेत्र में कल्याणकारी गतिविधियों का निरीक्षण:

कल्याण विभाग ने समुचित कल्याण सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में कल्याण बोर्ड के सदस्यों द्वारा कल्याण गतिविधियों का निरीक्षण शुरू कर दिया है।

25.14 एमसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी क्लब के मिलान अनुदान के लिए एसओपी:

मिलान अनुदान को 50 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सदस्य कर दिया गया है तथा एकरूपता और प्रणालीगत दृष्टिकोण लाने के लिए मिलान अनुदान स्वीकृत करने हेतु एसओपी को सीए द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा अनुपालन हेतु सभी क्षेत्रों में प्रसारित कर दिया गया है।

25.15 पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई:

उपरोक्त बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया।

25.16 झारसुगड़ा जिले के लखनपुर क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव:

लखनपुर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए एमसीएल बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लखनपुर क्षेत्र में आवश्यक भूमि की पहचान कर ली गई है।

26. राजभाषा

26.1. राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कार्यालय:

एमसीएल की एक इकाई, केन्द्रीय कर्मशाला, ईब-वैली, जहां 80% से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को कोयला मंत्रालय द्वारा राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

26.2. मूलतः हिंदी में अधिकतम कार्य करने हेतु प्रोत्साहन योजना:

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नकद पुरस्कार योजना लागू की गई है।

26.3. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:

वर्ष 2023-24 के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठकें 23.05.2023, 24.08.2023, 05.12.2023 एवं 23.03.2024 को आयोजित की गईं, जिनमें क्षेत्रों एवं मुख्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई तथा भारत सरकार की राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

26.4. राजभाषा कार्यशाला:

वर्ष 2023-24 में एमसीएल में कुल 63 राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें 2053 प्रतिभागियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति के नियमों और विनियमों से परिचित कराया गया। प्रतिभागियों को हिंदी भाषा में पत्र लेखन, टिप्पण और प्रारूपण का अभ्यास कराया गया।

26.5. भाषा प्रशिक्षण:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हिंदी भाषा के प्रशिक्षण के लिए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दो सत्रों में परीक्षाएं आयोजित की गईं। प्रथम सत्र जनवरी-मई तथा द्वितीय जुलाई-नवंबर 2023 में परीक्षाएं आयोजित की गईं, जिनमें 161 कर्मचारी उत्तीर्ण हुए।

सत्र	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	कुल
2023-24	36	51	74	161

एमसीएल के परिपत्र के अनुसार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एकमुश्त नकद पुरस्कार दिया गया। प्राज्ञ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एमसीएल द्वारा एकमुश्त नकद पुरस्कार के अतिरिक्त उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि के बराबर एकमुश्त नकद प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है।

26.6. कंप्यूटर पर यूनिकोड समर्थित हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण:

वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 26.02.2024 से 02.03.2024 तक कम्प्यूटर पर यूनिकोड समर्थित हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें एमसीएल के 50 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

26.7. हिंदी अनुवाद प्रशिक्षण:

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से राजभाषा विभाग, एमसीएल मुख्यालय द्वारा राजभाषा संवर्ग के कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु दिनांक 04.12.2023 से 08.12.2023 तक एमसीएल मुख्यालय में पांच दिवसीय अनुवाद-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एमसीएल के 54 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

26.8. हिंदी दिवस / हिंदी पखवाड़ा:

वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा विभाग, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार सामूहिक हिंदी दिवस/राजभाषा पखवाड़ा का उद्घाटन किया गया तथा तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन दिनांक 14.09.2023 को पुणे (महाराष्ट्र) में माननीय गृह मंत्री द्वारा किया गया, जिसमें राजभाषा विभाग, एमसीएल ने भाग लिया।

एमसीएल मुख्यालय एवं क्षेत्रों में 14 से 28 सितंबर 2023 तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर हिंदी निबंध लेखन, टिप्पण एवं आलेखन, चित्र कहानी लेखन, हिंदी टाइपिंग, भाषण, अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों के लिए भाषण प्रतियोगिता, अधिकारियों/कर्मचारियों की गृहणियों के लिए हिंदी शब्द ज्ञान प्रतियोगिता तथा ऑनलाइन टिप्पणी प्रतियोगिता (विभागाध्यक्षों के लिए) आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया।

श्री केशव राव, निदेशक(कार्मिक), श्री पी. के. पटेल, मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्री जुगल कुमार बोरा, निदेशक(तकनीकी/संचालन) और श्री अजीत कुमार बेहुरा, निदेशक(वित्त), एमसीएल ने 28.09.2023 को आयोजित हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह के अवसर पर प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए।

26.9. अखिल भारतीय हिंदी हास्य कवि सम्मेलन :

राजभाषा पखवाड़ा-2023 के समापन दिवस समारोह के अवसर पर दिनांक 28.09.2023 को एमसीएल मुख्यालय में "अखिल भारतीय हिंदी हास्य कवि सम्मेलन" का आयोजन किया गया।

26.10. राजभाषा कार्यशालाओं एवं त्रैमासिक समीक्षा बैठकों में हिंदी पुस्तकों का वितरण:

प्रत्येक कार्यशाला में विभिन्न राजभाषा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं तथा कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को हिंदी पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, तिमाही समीक्षा बैठकों में पिछली तिमाही की तुलना में राजभाषा कार्यान्वयन में वृद्धि करने के लिए संबंधित क्षेत्रों एवं विभागों को प्रोत्साहन स्वरूप हिंदी पुस्तकें भी भेंट की जाती हैं।

26.11. एमसीएल राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार:

एमसीएल में राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और उसमें तेजी लाने के लिए हर वर्ष "एमसीएल राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार" दिया जाता है।

वर्ष 2022-23 की जनशक्ति के आधार पर एमसीएल मुख्यालय के विभागों और क्षेत्रों को 3 बड़े और 03 छोटे समूहों (प्रथम, द्वितीय और तृतीय) और 04 गैर-उत्पादन इकाइयों जैसे 02 केंद्रीय कार्यशाला, 01 एनएससीएच और 01 भुवनेश्वर कार्यालय (प्रथम और द्वितीय) में विभाजित किया गया। पुरस्कारों सहित कुल 14 पुरस्कार दिए गए।

दिनांक 28.09.2023 को राजभाषा पखवाड़ा-2023 के समापन समारोह के अवसर पर वर्ष 2022-23 के सभी 14 पुरस्कार श्री केशव राव, निदेशक(कार्मिक), श्री पी.के. पटेल, मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्री जुगल कुमार बोरा, निदेशक (तकनीकी/संचालन) एवं श्री अजीत कुमार बेहुरा, निदेशक (वित्त) द्वारा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

26.12. विश्व हिंदी दिवस:

एमसीएल मुख्यालय में दिनांक 10.01.2024 को महाप्रबंधक (राजभाषा) की अध्यक्षता में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसमें क्षेत्र एवं मुख्यालय के कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार/मीडियाकर्मी श्रीमती अलका सिन्हा एवं राजभाषा विशेषज्ञ, नई दिल्ली श्री मनोज कुमार सिन्हा को संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया। इस संगोष्ठी में वैश्विक प्रगति में हिंदी की भूमिका पर जानकारी दी गई।

26.13. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, संबलपुर की बैठकें:

वर्ष के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), संबलपुर की दो अर्ध-मासिक बैठकें जून और नवंबर में आयोजित की जाती हैं। इस वर्ष, 27.06.2023 को पहली अर्ध-वार्षिक बैठक श्री ओ.पी. सिंह, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में हुई और 24.11.2023 को दूसरी अर्ध-वार्षिक बैठक श्री जुगल कुमार बोरा, निदेशक (तकनीकी/संचालन), एमसीएल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख और प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के दौरान सदस्य कार्यालयों के राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

26.14. नराकास, राजभाषा कार्यवयन पुरस्कार:

नराकास, संबलपुर के सभी सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए हर साल "नराकास राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार" दिया जाता है। वर्ष 2022-23 के लिए चयनित सदस्य कार्यालयों को कुल 12 पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार 24.11.2023 को आयोजित दूसरी छमाही बैठक में अध्यक्ष श्री जुगल कुमार बोरा, निदेशक (तकनीकी/संचालन), एमसीएल द्वारा प्रदान किए गए।

इसी प्रकार राजभाषा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यालयों द्वारा अंतर-कार्यालय राजभाषा प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। दिनांक 24.11.2023 को आयोजित अर्धवार्षिक बैठक में अध्यक्ष श्री जुगल कुमार बोरा, निदेशक (तकनीकी/संचालन), एमसीएल ने नराकास सदस्य कार्यालयों के विजेताओं को कुल 06 पुरस्कार प्रदान किए।

26.15. हिंदी पुस्तकों की खरीद:

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 1,81,815.00 रुपये मूल्य की पुस्तकें खरीदी गईं, जिनमें से 1,20,318.00 रुपये मूल्य की हिंदी पुस्तकें खरीदी गईं, जो कुल खरीद का 66.17% है।

26.16. एमसीएल की वेबसाइट:

एमसीएल की वेबसाइट द्विभाषी है और नियमित आधार पर अद्यतन की जाती है।

26.17. राजभाषा पोर्टल:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की वेबसाइट www.mahanadicoal.in पर राजभाषा पोर्टल उपलब्ध है, जिसमें एमसीएल की राजभाषा गतिविधियों के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को अद्यतन रूप में देखा जा सकता है।

26.18. राजभाषा पत्रिका:

वर्ष 2023-24 के दौरान नराकास, संबलपुर की आंतरिक पत्रिका "संबलप्रभा" (11वां संस्करण) का विमोचन 27.06.2023 को एमसीएल मुख्यालय में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक में किया गया।

26.19. विशेष उपलब्धि:

08 मार्च 2024 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, संबलपुर को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय (पूर्व) द्वारा "सी क्षेत्र" में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसे संयोजक कार्यालय "महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड" ने प्राप्त किया।

27. भूमि/आर. एंड आर

आपकी कंपनी परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए परियोजना प्रभावित/विस्थापित परिवारों की सहायता करने हेतु प्रतिबद्ध है और परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रही है और विकास के साथ प्रगति के लिए भी प्रतिबद्ध है जो इसकी आर. एंड आर. नीति में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। एमसीएल ओडिशा राज्य की आर. एंड आर. नीति का पालन करता है और 2023-24 के दौरान रोजगार/वार्षिकी के बदले में 300 रोजगार/नकद मुआवजा और स्थापना के बाद से रोजगार/वार्षिकी के बदले कुल 18,010 रोजगार/नकद मुआवजा प्रदान किया है। एमसीएल भूमि विस्थापितों से संबंधित शिकायतों के निवारण की दिशा में आरपीडीएसी की सलाह पर कार्य कर रहा है।भूमि विस्थापितों के लाभ के लिए पक्की सड़कों, स्ट्रीट लाइटिंग, स्वास्थ्य केंद्रों, डाकघरों, दैनिक बाजारों, स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों, पूजा स्थलों आदि के साथ पुनर्वास कॉलोनियों की स्थापना की गई है। एमसीएल कोलफील्ड्स में उपलब्ध अपने मौजूदा अस्पतालों/ औषधालयों में सभी परिधीय ग्रामीणों को ओपीडी की सुविधा मुफ्त में या प्रति मरीज 2.00 रुपये के मामूली शुल्क पर प्रदान करता है।

एमसीएल प्रभावित ग्रामीणों को पुनर्वास और पुनर्वास प्रदान करके खनन गतिविधियों के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है। वर्ष 2023-24 के दौरान एमसीएल ने 200.89 हेक्टेयर भूमि का भौतिक अधिकार प्राप्त किया है।

28. कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

एक जिम्मेदार सार्वजनिक कॉर्पोरेट होने के नाते, एमसीएल ने अपने सीएसआर के माध्यम से राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक उद्देश्यों में योगदान देने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन जारी रखा है, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 में सीएसआर को लागू करने के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत है।

एमसीएल ने अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से समुदाय बनाम कंपनी इंटरफेस के संतुलन को आत्मसात और बनाए रखा है।

कंपनी ने स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता, शिक्षा, पाइप द्वारा जलापूर्ति, ग्रामीण सामुदायिक विकास पर भारी निवेश किया है। एमसीएल पिछले कई वर्षों से ओडिशा राज्य में किसी भी कॉर्पोरेट द्वारा सबसे अधिक सीएसआर खर्च के मामले में शीर्ष स्थान पर है।

वर्ष 2023-24 में, कंपनी ने रु. 261.63 करोड़ के अनिवार्य सीएसआर बजटीय आवंटन (सेट ऑफ राशि सहित) की तुलना में रु. 281.89 करोड़ व्याया किए हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित परियोजनाओं पर प्रमुख सीएसआर व्यय किया गया। स्वास्थ्य सेवा के तहत कंपनी ने 30 एएलएस एम्बुलेंस (ओडिशा के प्रत्येक जिले के लिए एक) की खरीद के लिए वित्त पोषनण किया है और वर्ष 2023-24 में इस परियोजना पर 17.76 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। तालचेर में चल रही मेडिकल कॉलेज परियोजना पर रु. 9.31 करोड़ खर्च किए गए हैं, जो क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी लाने में मदद करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत एमसीएल विमसार, बुर्ला में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए वित्त पोषण कर रहा है और इस परियोजना पर रु. 6.71 करोड़ खर्च किए गए हैं। एमसीएल ओडिशा के सभी 232 रेलवे स्टेशनों के परिसंचारी क्षेत्रों में पूर्वनिर्मित शौचालय स्थापित करने के लिए वित्त पोषणकर रहा है और इस परियोजना पर वर्ष में रु. 10.58 करोड़ खर्च किए गए हैं।

स्वास्थ्य और स्वच्छता के अलावा, शिक्षा और कौशल विकास एक और मुख्य क्षेत्र है जहाँ कंपनी अपना सीएसआर निधि व्याया कर रही है। शिक्षा के तहत एमसीएल ने झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर और मयूरभंज जिलों के विभिन्न सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास समाधान स्थापित किए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में इस परियोजना पर रु. 10.23 करोड़ व्यय किए गए हैं। विभिन्न कौशल विकास पहलों के लिए एमसीएल ने वित्त वर्ष 2023-24 में रु. 14.26 करोड़ व्यय किए हैं।

एमसीएल को भारत सरकार के आकांक्षात्मक विकास कार्यक्रम के तहत सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए ओडिशा के नुआपाड़ा, रायगढ़ा, कंधमाल और बलांगीर जिलों के चार जिले आवंटित किए गए हैं। आकांक्षात्मक जिला विकास कार्यक्रम के तहत, एमसीएल ने इन जिलों में विभिन्न विकास परियोजनाएं शुरू की हैं और वर्ष 2023-24 में उन परियोजनाओं पर रु. 8.80 करोड़ व्यय किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एमसीएल स्टेडियमों के निर्माण के लिए राशि प्रदान कर रहा है। एमसीएल ने बुर्ला में एक खेल परिसर के निर्माण के लिए राशि प्रदान की है और इस परियोजना पर वर्ष 2023-24 में रु. 14.65 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन किया है। अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (o) और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार, क़ानून द्वारा अपेक्षित आवश्यक प्रकटीकरण अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

29 लैंगिक बजटिंग

आपकी कंपनी लैंगिक बजट में दृढ़ता से विश्वास करती है, क्योंकि यह लैंगिक मुख्यधारा को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का लाभ पुरुषों के समान ही महिलाओं तक भी पहुँचे। एमसीएल में यह कोई लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि नीति/कार्यक्रम निर्माण, इसके कार्यान्वयन और समीक्षा में लैंगिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखने की एक सतत प्रक्रिया है। 31 मार्च 2024 तक कुल महिला कर्मचारियों की संख्या 2651 थी, जो एमसीएल के कुल कार्यबल 21493 का 12.33% है।

अपनी सामाजिक संवेदनशीलता के कारण एमसीएल ने हमेशा कंपनी के भीतर और बाहर लैंगिक मुद्दों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और उन्हें सर्वोत्तम संभव प्रयासों के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया है। उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

- सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं (डब्ल्यूआईपीएस) फोरम को प्रोत्साहित करते हुए, एमसीएल शाखा को सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि इसके सदस्य व्यापक प्रदर्शन और ज्ञान संवर्धन के लिए कंपनी के अंदर और बाहर सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग ले सकें।



MCL funds 30 ALS ambulances to the Odisha Government

- कार्यबल के लैंगिक विशेष डाटाबेस का रखरखाव।
- महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का उचित एवं समयबद्ध तरीके से समाधान करने के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- सीआईएल के नियमों और विनियमों के अनुसार पात्र महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश प्रदान करना।
- खान दुर्घटनाओं में मरने वाले कर्मचारियों की महिला जीवनसाथियों को रोजगार हेतु आयु में छूट।
- महिला कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व के लिए प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच आयोजित औद्योगिक संबंध बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और महिलाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करना।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण।

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप यौन उत्पीड़न विरोधी नीति लागू की है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी और प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं।

1. सीढ़ियों, प्रवेश द्वार, मुख्य कार्यालय भवन की लिफ्ट के पास, एवी अस्पताल और एमटीआई/एचआरडी भवन जैसे प्रमुख स्थानों पर "नो सेक्सुअल हैरेसमेंट" के विभिन्न पैम्फलेट प्रदर्शित किए जाएंगे।
2. कार्यालय भवन में त्रिभाषा में "यौन उत्पीड़न में लिप्त होने के दंडात्मक परिणामों के साथ आईसीसी समिति की सूची" का प्रदर्शन।
3. एमसीएल की महिला कर्मचारियों को नियमित रूप से पॉश अधिनियम के बारे में जागरूकता हेतु प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भेजा जा रहा है।
4. आईसीसी एमसीएल मुख्यालय द्वारा नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
5. एमसीएल वेबसाइट पर पीओएसएच'13 टैब खोला गया है, जहां पीओएसएच अधिनियम 2013, यौन उत्पीड़न पर पुस्तिका, कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण की पद्धतियां और एमसीएल के मुख्यालय/क्षेत्र/इकाइयों में आईसीसी के गठन का आदेश दिखाया गया है।
6. दिसंबर 2023 के महीने में एमसीएल मुख्यालय में संकाय श्रीमती मंजूषा भटनागर, पूर्व निदेशक (मानव संसाधन और कॉर्पोरेट मामले), बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा लिंग संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
7. एमसीएल के कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन शपथ लेने के लिए एमसीएल की वेबसाइट पर एक टैब खोला गया है। इस शपथ का उद्देश्य आपसी सम्मान की संस्कृति बनाना और यौन शोषण और शोषण से मुक्त कार्य वातावरण स्थापित करना है।

<u>यौन उत्पीड़न</u>

वर्ष 2023-24 में प्राप्त शिकायतें	:	शून्य
वर्ष 2023-24 में निपटाई गई शिकायतें	:	लागू नहीं
निपटान हेतु लंबित शिकायतें	:	लागू नहीं
आयोजित बैठकों की संख्या	:	3

30. जनसंपर्क

आपकी कंपनी में एक जनसंपर्क विभाग (पीआर) है जो संगठन की सकारात्मक छवि सुनिश्चित करते हुए विश्वास निर्माण में आधारशिला के रूप में कार्य करता है। आपकी कंपनी का पीआर विभाग प्रतिसंवेदी है और कार्यनीतिक संचार समाधानों के साथ व्यावसायिक चुनौतियों का समाधान करने में तत्परता से मदद करता है तथा विविध मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचने के अलावा हितधारकों को भलीभाँति सूचित, अद्यतन और संलिप्त रखता है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने कोयला उत्पादन, प्रेषण और ओवरबर्डन हटाने में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए उत्तरोत्तर प्रगति जारी रखा है, जिससे देश भर में कोयला खनन उद्योग के लिए नए मानक स्थापित हुए हैं। हमारा रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन परिचालन उत्कृष्टता में हमारे अटूट समर्पण का प्रमाण है, जिसे आपकी कंपनी की पीआर इकाई ने विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से पर्याप्त रूप से प्रचारित किया है।

चौथे स्तंभ ने विभिन्न अवसरों पर कंपनी की उपलब्धियों और सफलता की कहानियों को विस्तृत कवरेज दिया है। आपकी कंपनी मीडिया के साथ सौहार्दपूर्ण व्यावसायिक संबंध रखती है, जो आपकी कंपनी द्वारा आयोजित मीडिया सम्मेलनों और कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती है।

टीम पीआर विभिन्न अभियानों जैसे स्वच्छता 2.0, विशेष अभियान 3.0, सतर्कता जागरूकता, साइबर सुरक्षा जागरूकता, पर्यावरण/स्थायित्व के साथ-साथ खान सुरक्षा संबंधी अभियान आदि के प्रचार में सक्रिय रूप से शामिल रही। पूरे वर्ष मुख्यालय और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न विषयों पर ब्रोशर, लीफलेट, ऑडियो-विजुअल इन्फोग्राफिक्स, जिंगल और लघु-फिल्में बनाई गईं, जिनमें कंपनी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया और पूरे वर्ष विभिन्न लोगों को जोड़ने के लिए सोशल, डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक संचार प्लेटफार्मों के माध्यम से उनका प्रचार किया गया। विभाग द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रेस वक्तव्य जारी किए गए, जिन्हें प्रकाशनों द्वारा पर्याप्त रूप से समायोजित किया गया। मीडिया के प्रभावी उपयोग और मीडिया बिरादरी के सहयोग से हम हितधारकों और कमांड क्षेत्रों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने में सक्षम हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों की सहभागिता को मजबूत करने के लिए, टीम पीआर ने समर्पित डिजिटल स्टैंडियों के माध्यम से कंपनी की उपलब्धियों और गतिविधियों को रचनात्मक रूप से संप्रेषित करने की पहल की है, जो वर्तमान में कंपनी मुख्यालय और बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, भुवनेश्वर में हैं, जो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कंपनी की दृश्यता को बढ़ाने वाले गतिशील प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा, आंतरिक हितधारकों के बीच कंपनी के अपडेट को साझा करने के लिए विभाग द्वारा एक मासिक ई-न्यूज़लेटर 'फ़्लैशबैक' प्रकाशित किया जा रहा है।

इसके अलावा, सामाजिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को प्रचारित करने के लिए, विभाग ने कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और जागरूकता कार्यक्रमों को प्रायोजित किया है, साथ ही कभी-कभी विज्ञापन के माध्यम से लोगों से रचनात्मक रूप से जुड़ने का काम भी किया है। आपकी कंपनी जनसंचार के लिए नीचे सूचीबद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से उपयोग कर रही है-

- Facebook @mahanadicoal
- Threads @pro.mcl
- Twitter @mahanadicoal
- YouTube @MahanadiCoalfields
- Koo @mahanadicoal
- Instagram @pro.mcl
- LinkedIn @MahanadiCoalfieldsLimited

ये सोशल मीडिया हैंडल, पाठ, फोटो, वीडियो और इन्फोग्राफिक्स के रूप में जानकारी साझा करने के लिए खुले मंच होने के साथ-साथ हितधारकों की प्रतिक्रिया सुनने का अवसर भी प्रदान करते हैं।

हवाई अड्डों पर पर्याप्त ब्रांडिंग के अलावा, आपकी कंपनी ने ओडिशा के पांच जिलों को कवर करते हुए कंपनी मुख्यालय और कोयला क्षेत्रों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर प्रमुख स्थानों पर आउटडोर मीडिया के माध्यम से अपनी सार्वजनिक उपस्थिति भी बढ़ाई है। आपकी कंपनी ने नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में कोयला खनिक की वन्यजीव-अनुकूल छवि को चित्रित करने वाली रचनात्मक भित्ति कलाकृतियों के माध्यम से भी अपनी प्रमुख उपस्थिति दर्ज कराई है, जो राज्य में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है।

एक नई पहल के रूप में, आपकी कंपनी ने संबलपुर-पुरी-संबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस पर ब्रांडिंग स्थान किराए पर लिया है, जो संबलपुर जंक्शन और पवित्र शहर पुरी के बीच 15 से अधिक रेलवे स्टेशनों को जोड़ता है, जिससे कंपनी की छवि पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार खनन कॉर्पोरेट के रूप में प्रचारित होती है।

पिछले वर्षों की तरह, आपकी कंपनी ने सफलतापूर्वक कॉर्पोरेट कार्यक्रमों, सम्मेलनों और औद्योगिक प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक सहभागिता के लिए विभिन्न जनसंपर्क पहल की हैं।

एमसीएल में, टीम पीआर संगठनात्मक सफलता और हितधारक जुड़ाव को आगे बढ़ाने में प्रभावी संचार के उपयोग पर जोर देती है। हमारी व्यापक पीआर रणनीतियों और पहलों के माध्यम से, हम हितधारकों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना जारी रखते हैं और कोयला खनन उद्योग में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं

31 सतर्कता गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

परिचय

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निवारक, पूर्वानुमानात्मक और पूर्व-निवारक सतर्कता उपायों के रूप में, विभिन्न क्षेत्रीय परिचालनों के साथ-साथ प्रणालियों और प्रक्रियाओं में अनियमितताओं की पहचान करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्गदर्शन में लगातार औचक निरीक्षण किए गए हैं।

31.1 निवारक सतर्कता गतिविधियाँ:

(a) निरीक्षण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 44 औचक निरीक्षण और 06 नियमित निरीक्षण किए गए हैं। इन निरीक्षणों का मुख्य उद्देश्य परिचालन के क्षेत्र में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए प्रणाली/प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर रहा है ।

(b) वर्ष 2023-24 के दौरान प्रणालीगत सुधार किए गए

वर्ष 2023-24 के दौरान प्राणालीगत सुधार की दिशाओं में निम्नलिखित 13 परामर्श जारी किए गए हैं

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
01	ठेकेदार को समाप्ति पत्र जारी करने में देरी तथा ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों का सत्यापन करने में विफल रहना तथा किए जाने वाले शेष कार्य का मूल्यांकन न करना।	12.05.2023
02	स्पॉट कोटेशन के साथ-साथ लघु निविदा पद्धतियों पर परामर्श ।	17.08.2023

03	कार्यों की योजना, क्रियान्वयन और बिलिंग में अनियमितताएं	22.08.2023
04	कोयले की चोरी रोकने के लिए नियमों, विनियमों, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन	25.10.2023
05	किराये पर लिए गए वाहनों के प्रबंधन, लॉगबुक, ड्राइवरों/चिकित्सा तकनीशियनों की उपस्थिति के लिए परामर्श।	08.11.2023
06	ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का अनियमित भुगतान।	06.11.2023
07	अपेक्षित लाइसेंस रखने वाले ठेकेदारों के माध्यम से मच्छर नियंत्रण के लिए लार्वा रोधी अभियान ।	01.10.2023
08	मूल वैधता अवधि के भीतर निविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए परामर्श ।	15.11.2023
09	ईएमडी/पीएसडी/एपीएसडी/रिटेंशन मनी की वापसी में देरी	23.12.2023
10	ई-एमबी पोर्टल में रिकॉर्डिंग का कार्यान्वयन	23.12.2023
11	25000/- और उससे अधिक रुपयों के अनुमान/इंडेंट मूल्य के लिए ई-टेंडरिंग	16.03.2024
12	केवल आईटीसी उपलब्धता के आधार पर विभाजन	20.03.2024
13	चोरी की रोकथाम	10.02.2024

(c) आईटी पहलों पर साप्ताहिक औचक निरीक्षण

आईटी पहलों के क्रियान्वयन पर नियमित साप्ताहिक औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं, जिसमें वेब्रिज और डीजल वितरण इकाइयों के निरीक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जहां भी कमियां पाई जाती हैं, वहां सभी एसओपी प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी जा रही है और तत्काल सुधार के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। जहां भी लापरवाही और बार-बार उल्लंघन देखा जाता है, वहां सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

31.2 दंडात्मक सतर्कता

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जाँच, पूछताछ आदि के लिए लिये गए सतर्कता मामलों का विवरण निम्नानुसार सारणी बद्ध है –

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान	शामिल कर्मचारियों की संख्या
(ए) पंजीकृत सतर्कता मामलों/आरडीए की कुल संख्या	04	44
(ख) प्रमुख दंड कार्यवाही की संख्या	09	03
(ग) लघु दंड कार्यवाही की संख्या	02	15
(द) कुल मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना लगाया गया है	04	34
i) प्रमुख	00	00
ii) अल्प	03	12
iii) अन्य	03	22

31.3 सतर्कता मंजूरी

वर्ष के दौरान, निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और गैर-अधिकारियों स्तर के अधिकारियों सहित 13358 कर्मचारियों से संबंधित पदोन्नति, परिवीक्षा, सेवानिवृत्ति, बाहरी रोजगार, अध्ययन अवकाश, त्यागपत्र, चयन समिति, विदेश यात्रा, सेवांत लाभ के निपटान, सेवा फाइल स्थानांतरण आदि के संबंध में सतर्कता मंजूरी की स्थिति सीआईएल/एमओसी/सीवीसी को प्रस्तुत की गई है।

31.4 कर्मचारियों का रोटेशन

संवेदनशील पदों/ विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को रोटेट करने की कंपनी की नीति है । इस दैरान 230 कर्मचारियों को रोटेट किया गया ।

31.5 कोयला खदानों में बेहतर निगरानी और मॉनीटरिंग के लिए आईटी और अन्य तकनीकियों का लाभ उठाना

31.03.2024 तक की स्थिति

1. जियो-फेंसिंग के साथ जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम			
आंतरिक परिवहन/आवश्यकता के लिए नियुक्त तैनात वाहनों की संख्या	जीपीएस से सुसज्जित और वीटीएस सर्वर से जुड़े वाहनों की संख्या	वीटीएस प्रणाली की कार्यशील स्थिति	कार्रवाई की स्थिति/टिप्पणियाँ
3134	3122	3033	वाहन बी/डी के कारण जीपीएस फिट नहीं है और काम नहीं कर रहा है
2. आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर एक्सेस कंट्रोल			
प्रवेश नियंत्रण के लिए प्रदान किए गए आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर की कुल आवश्यकता	वेब्रिज सहित क्षेत्र वीटीएस सर्वर से जुड़े और स्थापित आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर की संख्या	बूम बैरियर की कार्यपद्धति की स्थिति	कार्रवाई की स्थिति/टिप्पणियाँ
116	108	सिस्टम की स्थापना एवं परीक्षण के तहत प्रणाली	शेष स्थापना 15.05.2024 तक पूर्ण होने की उम्मीद है।

3. सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली				
सीसीटीवी कैमरों की कुल आवश्यकता क) संवेदनशील स्थानों जैसे जल विद्युत संयंत्र, साइडिंग, कर्मशाला, कार्यालय और स्टोर ख) कोयला स्टॉक	स्थापित सीसीटीवी कैमरों की कुल संख्या	एनवीआर/एरिया सर्वर नेटवर्क से जुड़े सीसीटीवी कैमरों की संख्या	कुल सीसीटीवी कैमरों की कार्यशील स्थिति	कार्रवाई की स्थिति/ टिप्पणियाँ
3007	2003	1576	1874	शेष स्थापना 30.06.2024 तक पूर्ण होने की उम्मीद है।
4. डेटा कनेक्टिविटी के साथ वेबरीज़ वेब्रिज				
कुल स्थापित रोड वेब्रिज	सड़क माध्यम से बिक्री के लिए आवंटित वेब्रिज की संख्या	डेटा कनेक्टिविटी के साथ सड़क के माध्यम से बिक्री हेतु वेब्रिज की संख्या	वेब्रिज की संख्या जहां से डेटा प्राप्त किया जा रहा है	
a. 100 संख्या (स्थिर रोड वेब्रिज) b. 42 (स्थिर वेब्रिज)	73	73	73	
5. वाइड एरिया नेटवर्किंग (WAN) (नोड्स/स्थान की संख्या)				
संशोधित आवश्यकता सहित कुल मात्रा(अद्यतित)	स्थापित/कमीशंड	कार्यरत/संचालित	शेष	
284	284	284	0	

32. औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग द्वारा की गई गतिविधियाँ:

सीआईएल/एमसीएल में औद्योगिक अभियांत्रिकी विभाग की प्राथमिक भूमिका संसाधनों के क्षमता उपयोग के संदर्भ में कंपनी के लिए एक कार्य निष्पादन ढांचा प्रदान करना है। इस दिशा में प्रमुख कार्यों में प्रणालीगत सुधार आदि द्वारा कार्यनिष्पादन मानकों के निर्धारण, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को विकसित करने, परिवहन दरों को विकसित करने और उत्पादकता बढ़ाने के संबंध में अध्ययन करना है। विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं:-

- 40-50 टीई टिपर्स द्वारा कोयला परिवहन के लिए एसओआर का निर्माण।
- प्रत्येक छह माह में भूतल परिवहन शुल्क (एसटीसी) का अद्यतनीकरण।
- ईएसएम (पूर्व सैनिक) और पीएपी (परियोजना प्रभावित लोग) एजेंसियों द्वारा कोयला लोडिंग और परिवहन के लिए मानक दरों का पाक्षिक अद्यतन।
- परिवहन मार्गों में परिवर्तन, साइटों में परिवर्तन, नागरिक अनुबंधों में लीड दूरी में परिवर्तन से जुड़े क्षेत्रों से प्रस्तावों की जांच।
- सुरक्षा और साइलो जनशक्ति के मूल्यांकन पर अध्ययन के साथ-साथ वर्ष के लिए जनशक्ति बजट की तैयारी।
- एमसीएल की ओपन कास्ट परियोजनाओं में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन।
- सीएमपीडीआई मानदंडों के मुकाबले असामान्य डीजल खपत में सुधार लाने के लिए एमसीएल की ओपन कास्ट परियोजनाओं का अध्ययन और एसडीसी की निगरानी।
- सामान्य ओवर टाइम और रविवार/पीएचडी में नियुक्ति में कमी और जनशक्ति युक्तिकरण के रूप में लागत नियंत्रण उपाय।
- एमसीएल की विभिन्न इकाइयों में हल्के वाहनों की आवश्यकता और जनसंपर्क प्रावधान का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन।
- कोयले के प्रेषण के लिए परिवहन मैट्रिक्स तैयार करना और कोयले के उत्पादन और प्रेषण के लिए एमसीएल के ओसीपी पर पर्याप्त संख्या में बेड़े उपलब्ध कराना, साथ ही इसकी नियमित निगरानी करना।
- अन्य अध्ययन जैसे स्टॉक परिसमापन, ईब कोलफील्ड्स की बिजली खपत बनाम वितरण क्षमता का अध्ययन, कोल कॉरिडोर रोड पर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए अध्ययन आदि 2023-24 में किए गए।.

33. पुरस्कार और उपलब्धियां

2023-24 के दौरान एमसीएल को प्राप्त निम्न पुरस्कार:

पुरस्कार:

1. एमसीएल ने 2022 के दौरान अनुकरणीय सुरक्षा उपलब्धि और पहल के लिए 29.05.2023 को नई दिल्ली में '21वां वार्षिक ग्रीनटेक सुरक्षा पुरस्कार 2023' जीता है।
2. एमसीएल प्रदर्शनी को 18 मई 2023 को जीवंत उत्तर-पूर्व 2023, गुवाहाटी में 'सर्वश्रेष्ठ सूचनात्मक प्रदर्शन' के लिए सम्मानित किया गया

3. एमसीएल को 04 कॉर्पोरेट श्रेणियों के तहत कोयला मंत्री पुरस्कार 2022-23 प्राप्त हुआ, जिसमें प्रतिष्ठित 'उत्पादन और उत्पादकता' श्रेणी के तहत विजेता की ट्रॉफी भी शामिल है। मेगा एरिया की उपश्रेणी के तहत, 15 एमटीपीए वार्षिक उत्पादन के साथ, सभी 03 स्लॉट एमसीएल के महाप्रबंधक [हिंगुला क्षेत्र, बसुंधरा क्षेत्र और जगन्नाथ क्षेत्र] ने जीते, जबकि 5 से 15 एमटीपीए के बीच उत्पादन वाले बड़े क्षेत्रों की उपश्रेणी के तहत, कनिहा, लिंगराज और ईब वैली के क्षेत्रीय महाप्रबंधकों ने पुरस्कार जीता।

4. एमसीएल ने एसोचैम द्वारा "कोयला खनन में उत्कृष्टता - कोयला खनन उद्योग में उत्कृष्ट योगदान" पुरस्कार जीता।

5. एमसीएल ने 21 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित ग्रीनटेक फाउंडेशन से 'गुणवत्ता सुधार' में प्रतिष्ठित प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

6. एमसीएल को कोयला (सीपीएसयू) श्रेणी में दून एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू पुरस्कार-2023 का विजेता चुना गया है।

7. एमसीएल को 1 नवंबर को कोलकाता में आयोजित 49वें कोल इंडिया स्थापना दिवस के दौरान व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट श्रेणियों में 04-04 पुरस्कार प्राप्त हुए।

8. एमसीएल की अनंता ओसीपी को वर्ष 2021-22 में अपने सर्वांगीण प्रदर्शन के लिए भारत सरकार से कोयला खदानों में 5-स्टार रेटिंग का पुरस्कार मिला।

9. ओरिएंट माइन नंबर 1 और 2 और हीराखंड बुंदिया माइन को वर्ष 2022-23 के लिए कोयला खदानों में 5-स्टार रेटिंग के लिए चुना गया है।

10. कुल्दा ओसीपी, लखनपुर ओसीपी, बलराम ओसीपी और जगन्नाथ ओसीपी को वर्ष 2022-23 के लिए कोयला खदानों में 5-स्टार रेटिंग के लिए चुना गया है।

प्रमुख भूमि संबंधी बाधाओं का समाधान:

क) अनंत ओसीपी:

- ✓ हिलोई गांव का पीढ़ (देव स्थली) अप्रैल 2023 में स्थानांतरित हुआ।
- ✓ राकस गांव का पीढ़ मई 2023 में स्थानांतरित हुआ।
- ✓ कुनी सामल की 4 हेक्टेयर भूमि का जुलाई 2023 में अधिकरण कर लिया गया।

ख) जगन्नाथ ओसीपी:

- ✓ राकस गांव का पीढ़ मई 2023 में स्थानांतरित हुआ।

ग) भुवनेश्वर ओसीपी:

- ✓ हेंसमुल (तलासाही) में पंचायत स्कूल जून 2023 में स्थानांतरित हुआ।

घ) भरतपुर ओसीपी:

- ✓ दशरथीपुर के बेहेरा परिवार का पीढ़ स्थानांतरण जून 2023 में पूरा हुआ।

ङ) हिंगुला ओसीपी:

- ✓ कोचियानाली आरएंडआर साइट क्षेत्र जुलाई 2023 में भौतिक अधिकरण कर लिया गया।

च) बेलपहाड़ ओसीपी:

- ✓ दरलीपाली गांव के स्कूल-पड़ा की पूरी भूमि का जून 2023 में अधिकरण कर लिया गया।

छ) लखनपुर ओसीपी :

- ✓ अगस्त 23-सितंबर 23 में दिसरी परिवार के सभी घर ध्वस्त कर दिए गए.

ज) कुलदा ओसीपी:

झ) फरवरी 2024 में कुल्दा गांव के संतोष कालो का लंबे समय से विवादित मकान ध्वस्त कर दिया गया।

34. लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक: **1. मेसर्स शिव एंड एसोसिएट्स** **साखी गोपीनाथ मंदिर के सामने,** **साखीपाड़ा, संबलपुर-768001, ओड़िशा**	**शाखा लेखा परीक्षक:** **मेसर्स बी एन मिश्रा एंड कंपनी (पहली, दूसरी, तीसरी तिमाही और वार्षिक के लिए)** **एस -29, मैत्री विहार, फेज - II** **टेक महिंद्रा के सामने** **भुवनेश्वर - 751023, ओड़िशा**

34.1 लागत लेखा परीक्षक:

कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार, कोयले के खनन के संबंध में कंपनी द्वारा बनाए गए लागत लेखापरीक्षा अभिलेखों का लेखापरीक्षा किया जाना आवश्यक है।

कंपनी के निदेशकों ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर (i) मैसर्स आशुतोष एंड एसोसिएट्स, प्लॉट नंबर-एन4/232, पहली मंजिल, आईआरसी ग्राम नयापल्ली, रिलायंस फ्रेश के पीछे, भुवनेश्वर - 751015 को कुल ऊपरी खर्च से रु. 220000 एवं लेखापरीक्षा शुल्क पर उपयुक्त जीएसटी एवं लेखापरीक्षा शुल्क रु 440000 पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी, मुख्यालय, ईब-वैली कोलफील्ड्स एवं केंद्रीय कर्मशाला (ईब-वैली) के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए प्रधान लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था तथा (ii) मेसर्स राय नायक एंड एसोसिएट्स, एमआईजी-26, मनरमा एस्टेट, रसूलगढ़, भुवनेश्वर, ओडिशा-751010 को वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के शाखा लागत लेखापरीक्षक के रूप में तालचेर कोलफील्ड्स क्षेत्र और केंद्रीय कर्मशाला (तालचेर) के कुल लेखापरीक्षा शुल्क रु. 292000, रु. 146000.00 (अधिकतम) के ऊपरी खर्च और लेखापरीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी के लागत अभिलेखों का लेखापरीक्षा करने हेतु नियुक्त किया गया था।

34.2 सचिवीय लेखा परीक्षक

वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने मैसर्स जे.के. दास एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति अनुलग्नक II के रूप में संलग्न है।

35. सावधि जमा

कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

36. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के अंतर्गत सूचना का विवरण.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(M) के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में जानकारी इस रिपोर्ट के अनुलग्नक -III में दी गई है।

37. निदेशक मंडल

37.1 निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निदेशक बने रहे।

1.श्री उदय अनंतराव कावले	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक(19.12.2023 से प्रभावी)
2. श्री केशव राव	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक(18.12.2023 तक)
3. श्री ओ. पी. सिंह	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक(31.10.2023 तक)
4. श्री केशव राव	निदेशक (कार्मिक)
5. श्री जे. के बोरा	निदेशक (तक/सं)
6. श्री जे. के बोरा	निदेशक (तक/परि व यो) (01.06.2023 तक)
7. श्री अक्षय श्रीकांत बापट	निदेशक (तक/परि व यो) (02.06.2023 से प्रभावी)
8. डॉ. आशा लाकरा	स्वतंत्र निदेशक
9. डॉ. राजेश कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक
10. श्री डी. सी. तिवारी	स्वतंत्र निदेशक

37.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

1. श्री अक्षय श्रीकांत बापट	निदेशक (तक/परि व यो) (02.06.2023 से प्रभावी)
2. डॉ. राजेश कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक (31.05.2023 से प्रभावी)
3. श्री डी. सी. तिवारी	स्वतंत्र निदेशक (31.05.2023 से प्रभावी)
4. श्री उदय अनंतराव कावले	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (19.12.2023 से प्रभावी)

37.3 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

1. श्री अक्षय श्रीकांत बापट	निदेशक (तक/परि व यो) (02.06.2023 से प्रभावी)
2. डॉ. राजेश कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक (31.05.2023 से प्रभावी)
3. श्री डी. सी. तिवारी	स्वतंत्र निदेशक (31.05.2023 से प्रभावी)
4. श्री उदय अनंतराव कावले	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (19.12.2023 से प्रभावी)

38. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(c) के संदर्भ में आपके निदेशक अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार और उन्हें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित वक्तव्य प्रदान करते हैं:

क) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ) निदेशकों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खातों को 'वर्तमान समस्या' के आधार पर तैयार किया है।

ङ) उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद थे और वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

च) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ मौजूद थीं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

39. निगम से संबंधित शासन प्रणाली

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-IV के रूप में संलग्न है।

40. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

“प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट" इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-V के रूप में संलग्न है।

41. नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक टिप्पणियाँ

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-VI में दी गई हैं।

42. लेखा परीक्षा समिति

एमसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 24.04.2023 को आयोजित अपनी 257वीं बैठक में अनुमोदित समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया है।

1.	डॉ. आशा लाकड़ा स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	एमओसी/सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
3.	श्री जे. के. बोरा, निदेशक (तकनीकी/ओपी), एमसीएल	सदस्य
4.	सीआईएल द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
5.	निदेशक (एफ)/सीएफओ, एमसीएल	आमंत्रित

42.1 कार्यक्षेत्र

पुनर्गठित समिति के पास निहित कार्य का दायरा और अधिकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित है।

लेखा परीक्षा समिति के पास एमसीएल के वित्तीय और अन्य आंकड़े /सूचना है। समिति द्वारा की गई टिप्पणियों की सूचना एमसीएल बोर्ड को दी जाती है। समिति जितनी बार चाहें बैठक कर सकती है लेकिन उम्मीद है कि तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी।

43. लागत रिकॉर्ड

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार कंपनी के लिए लागत रिकॉर्ड का रखरखाव, केंद्र सरकार द्वारा 01.04.2011 से निर्धारित किया गया है। कंपनी केवल एक उत्पाद, यानी कोयला का उत्पादन करती है और नियमित अंतराल पर ओवरहेड्स और लागत रिपोर्ट के मिलान सहित लागत के ब्रेक अप के साथ घटक-वार लागत की रिकॉर्डिंग, निर्धारण और रिपोर्टिंग की एक सतत एकीकृत प्रणाली है।

44. समझौता ज्ञापन मापदंडों के अनुसार कार्यनिष्पादन

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सीएमडी, एमसीएल और अध्यक्ष, सीआईएल के बीच हस्ताक्षरित 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन के अनुसार एमसीएल का प्रदर्शन तैयार किया गया है। भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी की समग्र ज्ञापन रेटिंग "उत्कृष्ट" है।

45. सीआईएल के शेयरधारकों के लिए अनुषंगी खाते

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 2/2011 दिनांक 08.02.2011 के अनुसार, एमसीएल के वार्षिक खाते निरीक्षण के लिए एमसीएल मुख्यालय में उपलब्ध होंगे और मांग पर सीआईएल के शेयरधारकों को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेंगे।

46. आभार

46.1 कंपनी के निदेशकगण, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड को उनकी बहुमूल्य सहायता, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। कंपनी के निदेशकगण केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और ओडिशा राज्य सरकार को भी उनके बहुमूल्य समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। निदेशक सहयोगी संगठनों के उनके द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और सहायता के लिए आभारी हैं।

46.2 निदेशकों ने कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं इसके सर्वांगीण विकास के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई टीम भावना, मूल्यवान और स्टर्लिंग सेवाओं के लिए ट्रेड यूनियनों और अधिकारी संगठनों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए सराहना की।

46.3 निदेशक महत्वपूर्ण ग्राहकों को उनके निरंतर समर्थन, संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जिसके बिना कंपनी इतनी मजबूत नहीं बन पाती।

46.4 निदेशकों ने लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और कंपनी रजिस्ट्रार, ओडिशा के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की है।

46.5 निदेशक समय-समय पर संबलपुर के विभिन्न महत्वपूर्ण नागरिकों और ओडिशा के कोलफील्ड क्षेत्रों में रहने वालों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

47. परिशिष्ट

निम्नलिखित कागजात(दस्तावेज़) संलग्न हैं।

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में दी जाने वाली आवश्यक जानकारी।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट।
4. लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट।
5. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट।
6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

(उदय ए कावले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(DIN: 09715213)

स्थान :संबलपुर
दिनांक: 20.04.2024

मैं पुष्टि करता हूं कि समीक्षाधीन वर्ष के लिए, सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के प्रावधानों के पालन की अभिपुष्टि की है।

(उदय ए कावले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(DIN: 09715213)

स्थान :संबलपुर
दिनांक: 20.04.2024









Construction of toilets and bathrooms with piped water supply in tribal villages.

अनुलग्नक-I

(1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट)

1) कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

उद्देश्य :

सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य एमसीएल के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना है, ताकि सीएसआर को समाज के सतत विकास के लिए एक प्रमुख व्यवसाय प्रक्रिया बनाया जा सके। इसका उद्देश्य कोयला खनन के तत्काल और दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के आधार पर समाज के कल्याणकारी उपायों को बढ़ाने में सरकार की भूमिका को पूरक बनाना है।

एमसीएल कार्यान्वयन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सिद्धांतों को अपनाते हुए एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कार्य करेगा।

कार्य क्षेत्र :

एमसीएल सीएसआर के दायरे के रूप में समय-समय पर संशोधन के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का पालन करती है।

शामिल किए जाने वाले क्षेत्र:

एमसीएल के संबंध में सीएसआर गतिविधियों को चलाने के लिए बजट राशि का 80% परियोजना/स्थल/खान/क्षेत्र मुख्यालय/कंपनी मुख्यालय के 25 किलोमीटर के दायरे में व्यय किया जाना चाहिए और बजट का 20% ओडिशा राज्य में सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा।

निधि का आवंटन:

सीएसआर के लिए निधि फंड का आवंटन कंपनी के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% के आधार पर किया जाता है। औसत निवल लाभ की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधान के अनुसार की जाती है।

एमसीएल की पूरी सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। सीएसआर नीति का वेब लिंक: https://www.mahanadicoal.in/mclcsr/csr_policy.php है ।

2) सीएसआर समिति की संरचना

क्र.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद का प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1	श्री केशव राव	अध्यक्ष/निदेशक (कार्मिक)	10	10
2	डॉ. आशा लाकड़ा	सदस्य/ स्वतंत्र निदेशक	10	10
3	श्री जे.के. बोरा	सदस्य/निदेशक (निदेशक तक. संचालन)	10	09
4	श्री ए.के. बेहुरा	सदस्य/निदेशक (वित्त)	10	10

3) 3) जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया गया हो वहाँ वेब लिंक

https://www.mahanadicoal.in/mclcsr/

4) यदि लागू हो तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें:

यह अध्ययन कोयला खदानों पर आधारित है क्योंकि वे उन समाजों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं जिनमें वे काम करते हैं। परिणामस्वरूप विभिन्न खनन कंपनियों ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम शुरू किए हैं जो स्थानीय सामुदायिक विकास पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण पर उनका प्रभाव स्थानीय स्तर पर सबसे अधिक महसूस किया जाता है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), संबलपुर के सीएसआर उपायों के प्रभाव आकलन की आवश्यकता को निम्नलिखित के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), संबलपुर ने सीएसआर के तहत कई काम किए हैं। इसने जलापूर्ति सुनिश्चित करने, शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ाने, बुनियादी ढांचे के विस्तार, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने, शौचालयों के निर्माण, खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने तथा परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्वास की दिशा में पर्याप्त मात्रा में संसाधन निवेश किए हैं।

एमसीएल की सीएसआर पहलों के पीछे मुख्य उद्देश्य केवल भूमि खोने वालों को रोजगार प्रदान करना नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्यमों के विकास में सक्रिय भागीदार बनना है। उम्मीद है कि इन पहलों का लक्षित समूह के जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

एमसीएल ने विभिन्न पहलों के कारण लक्षित लाभार्थियों को प्राप्त लाभों की जांच करने के लिए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस की। इसलिए, यह सर्वेक्षण सीएसआर उपायों को समझने की दिशा में एक छोटा कदम है, जो सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ाने और लाभार्थियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायक है।

इसके अलावा इसका उद्देश्य परियोजना क्षेत्रों में मौजूदा सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित कमियों (यदि कोई हों) की पहचान करना भी है, ताकि हस्तक्षेपों को दोहराने और जोड़ने से पहले कार्यक्रम रणनीति में संशोधन और नए दृष्टिकोण की कल्पना की जा सके।

निष्कर्ष:

जिन संगठनों ने सामुदायिक विकास में निवेश करने और उसे बढ़ावा देने का ट्रैक रिकॉर्ड स्थापित किया है, उन्हें एक विशिष्ट प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त होता है। यह लाभ उन्हें क्षमता वृद्धि और विस्तार को और अधिक कुशलता से करने में सक्षम बनाता है। इसलिए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहलों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना अनिवार्य है, जिसमें उनके क्षेत्र के दायरे और उनके प्रभाव की मात्रा दोनों को शामिल किया गया है। 2010 की सीएसआर नीति के तहत महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, शैक्षिक बुनियादी ढांचे की स्थापना, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण सहित विभिन्न सामान्य लक्ष्यों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया। यह देखा गया है कि एमसीएल ने लगातार अपनी सीएसआर पहलों की सीमा का विस्तार किया है और देश के भीतर कॉर्पोरेट नागरिकता के एक आदर्श के रूप में खुद को स्थापित किया है, जो अन्य निगमों के लिए अनुकरणीय मॉडल के रूप में कार्य करता है। समुदायों ने एमसीएल की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के कार्यान्वयन के कारण की जा रही गतिविधियों की सीमा में विस्तार देखा है। उन्होंने अपने जीवन की गुणवत्ता और उनके लिए उपलब्ध सामान्य सुविधाओं में समग्र वृद्धि को भी पहचाना है। एमसीएल की सीएसआर पहलों का मूल सिद्धांत समुदाय को शामिल करने और सशक्त बनाने के लिए सतत प्रतिबद्धता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी और समुदाय दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम सामने आते हैं।

वेब लिंक : https://www.mahanadicoal.in/mclcsr/pdf/IMPASSESS202223.pdf

5) a) **धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ:**

3 वर्षों के औसत निवल लाभ की गणना (2023-24 के लिए)

वर्ष	**निवल लाभ (रु. करोड़ में)**
2020-2021	9310.58
2021-2022	11,396.32
2022-2023	18,536.94
कुल	**39,243.84**
पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत निवल शुद्ध लाभ है	13,081.28

b) **धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत:** रु. 261,62,56,000/-

c) **पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष:** Rs. 98,57,403 /-

d) **वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो:** रु. 118,99,89,437.10

e) **वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [5(b)+5(c)-5(d)]:** रु. 143,61,23,965.90

6) a) **सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (दोनों चालू परियोजनाएं और चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य):** रु. 159,21,70,119.33/-

b) **प्रशासनिक मुद्दों पर व्यय की गई राशि:** रु. 3,58,64,293.87

c) **प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो:** रु. 8,68,480/-

d) **वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि [6(a)+6(b)+6(c)):** रु. 162,89,02,893.20/-

e) **वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि**

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (रु. में)	**व्यय न की गई राशि (रु. में)**				
	धारा 135(6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि।		**धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि**		
	राशि	**अंतरण की तिथि**	**निधि का नाम**	**राशि**	**अंतरण की तिथि**
162,89,02,893.20	निरंक	लागू नहीं	लागू नहीं	निरंक	लागू नहीं

f) **सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो**

क्र.	**विवरण**	**राशि(रु. में)**
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	261,62,56,000.00
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (सेट ऑफ राशि सहित)	281,88,92,330.30
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	20,58,47,251.30
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	98,57,403.00
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	19,27,78,927.30

7) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए व्यय न की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष।	धारा 135(6) के अंतर्गत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (रु. में)	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में शेष राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे नियम के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रु. में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (रु. में)	अंतरण की तिथि.		
1	2020-21	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	लागू नहीं	निरंक	
2	2021-22	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	लागू नहीं	निरंक	
3	2022-23	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	लागू नहीं	निरंक	
	TOTAL	**निरंक**	**निरंक**	**निरंक**	**निरंक**		**निरंक**	

8) क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है? वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि: हां

यदि हां, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें: 61

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से निर्मित या अर्जित ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें, वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि: तालिका-1 के रूप में संलग्न है।

9) यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

लागू नहीं

ह./-
निदेशक(वित्त)

ह./-
अध्यक्ष,सीएसआर समिति

निदेशक मंडल, **दिनांक: .....**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

विषय: सीएसआर नियमावली, 2014 के नियम 4 के अंतर्गत प्रमाण पत्र

महोदय,

प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी (सीएसआर) नियमावली, 2014 के नियम 4 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार 25-09-2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक में अनुमोदित तरीके से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए रु. 28,188.92 लाख (रु. 11,899.89 लाख की सेट ऑफ राशि सहित) का उपयोग किया गया है।

सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	**रु. लाख में**
व्यय राशि (बजट में)	Rs. 26,162.56
सीएसआर परियोजनाओं से आए अधिशेष	Rs. 98.57
परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (सेट ऑफ राशि सहित)	Rs. 28,188.92
व्यय न की गई राशि	NIL
व्यय की गई अतिरिक्त राशि	Rs. 1,927.79

धन्यवाद,

भवदीय,

कृते **महानाद इकोलफील्ड्स लिमिटेड**

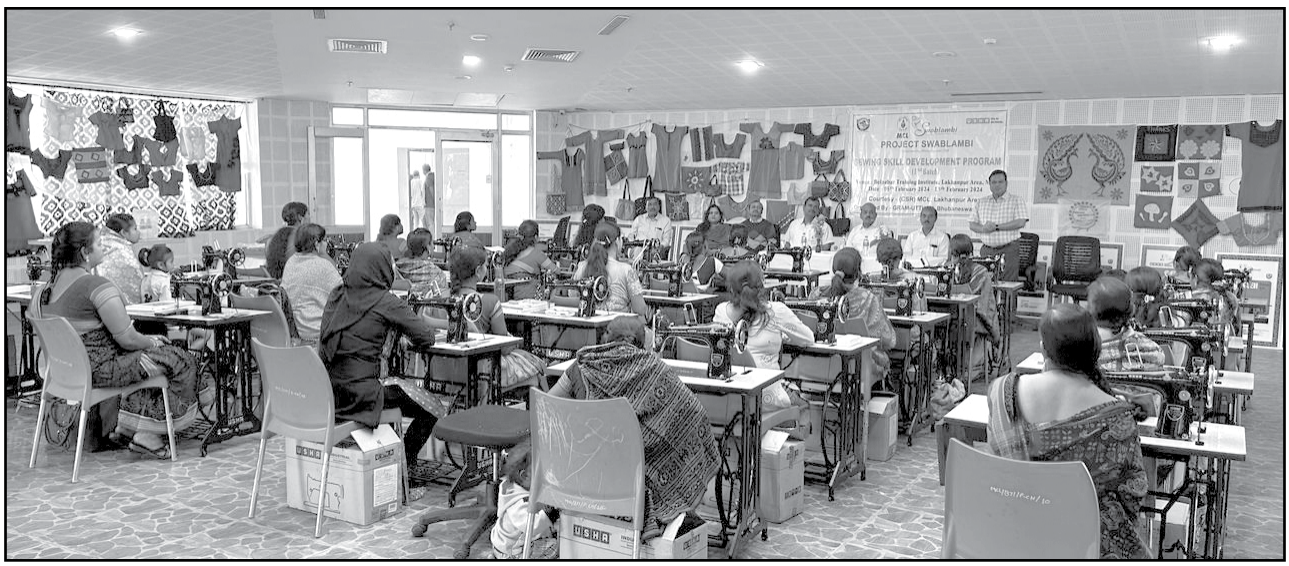


ए.के. बेहुरा

मुख्य वित्तीय अधिकारी







SWABALAMBI (Sewing Skill Development Project)

Table - I

Details of Assests Created

क्र.सं	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति(ओं) का पिनकोड	निर्माण की तारीख	सीएसआर में व्यय की गई राशि	पंजीकृत स्वामी की संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण	
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम और पंजीकृत पता
1	सुंदरगढ़ जिले के दुदुका ग्राम पंचायत के बरपाली गांव में सीमेंट कंक्रीट सड़क, नालियां, सामुदायिक केंद्र, सांस्कृतिक मंडप, जलापूर्ति व्यवस्था, हाट का विकास, 5 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, श्मशान शेड, खेल के मैदान के उपकरण, 3 बोरवेल, 100 घरेलू शौचालय, स्ट्रीट लाइटें।	770076	15-11-2023	7,15,35,877.20	लागू नहीं	सरपंच, ग्राम पंचायत: दुदुका, ब्लॉक: हेमगीर, जिला: सुंदरगढ़, पिन: 770076
2	सुंदरगढ़ के लेफ्रिपड़ा ब्लॉक के झरियापाली गांव के सामुदायिक केंद्र भवन पर और उसके आसपास प्रोफाइल शीट का शेड	770011	07-08-2023	20,54,556.60	लागू नहीं	सरपंच, ग्राम पंचायत: उजालपुर, ब्लॉक: लेफरीपड़ा, जिला: सुंदरगढ़, पिन: 770011
3	02 डीप बोरवेल, डअँरा, तालचेर, अनगुल	759103	11-05-2023	449625.86	लागू नहीं	सरपंच, डअँरा, तालचेर, अनगुल, पिन-759103
4	क्षेत्रीय योग केंद्र, डअँरा, तालचेर, अनगुल	759103	23-07-2023	11,14,448.29	लागू नहीं	सरपंच, गांव-डअँरा, ग्राम पंचायत-डअँरा, ब्लॉक-तालचेर, जिला-अनगुल ओडिशा 759103
5	जांबुबाहाली बस-स्टैंड, तालचेर, अनगुल में बस-स्टॉप तक पहुंचने के लिए मार्ग के साथ पुलिया।	768110	03-01-2024	3,25,059.07	लागू नहीं	सरपंच, गांव-डअँरा, ग्राम पंचायत-डअँरा, ब्लॉक-तालचेर, जिला-अंगुल ओडिशा 768110
6	आम्बपाल गांव के सामुदायिक केंद्र के पास सामुदायिक डोला मंडप संरचना।	759123	11-01-2024	5,10,330.44	लागू नहीं	अध्यक्ष एवं सचिव आम्बपाल क्षलिग्रस्त प्रजा संघ, मणिपाल, पोस्ट-नतड़ा, जिला-अनगुल, ओडिशा 759123
7	डअँरा गांव, तालचेर, अनगुल के पुराने पोखरी के पास पुलिया।	759116	24-Feb-24	5,23,236.40	लागू नहीं	सरपंच, गांव-डअँरा, ग्राम पंचायत-डअँरा, ब्लॉक-तालचेर, जिला-अंगुल ओडिशा 759116
8	आरडी रोड से अंबेडकर नगर, नई ब्राह्मणी बाहाल, दनारा, तालचेर, अनगुल तक सीमेंट कंक्रीट सड़क।	759116	31-07-2023	11,21,474.31	लागू नहीं	सरपंच, गांव-डअँरा, ग्राम पंचायत-डअँरा, ब्लॉक-तालचेर, जिला-अंगुल ओडिशा 759116
9	डअँरा ग्राम पंचायत, तालचेर, अनगुल के मिनी स्टेडियम के अंदर का रास्ता	759116	24-05-2023	12,71,602.14	लागू नहीं	सरपंच, गांव-डअँरा, ग्राम पंचायत-डअँरा, ब्लॉक-तालचेर, जिला-अंगुल ओडिशा 759116
10	डअँरा गांव, तालचेर, अनगुल के पुरानी पोखरी के पास पुलिया	759103	02-04-2024	3,94,889.60	लागू नहीं	अध्यक्ष-डअँरा ग्राम्य समिति, गांव-डअँरा, ग्राम पंचायत-डअँरा, ब्लॉक-तालचेर, जिला-अनगुल, ओडिशा 759103
11	मधुबन नगर, ब्रजराजनगर, झारसुगुड़ा में भंडारण टैंक के साथ सबमर्सिबल पंप सहित 2 बोरवेल	768216	21-06-2023	2,99,234.61	लागू नहीं	कार्यकारी अधिकारी, ब्रजराजनगर नगर पालिका, 768216
12	गंधघोरा प्राथमिक विद्यालय, गंधघोरा, झारसुगुड़ा में 2 कक्षा कक्ष	768216	04-03-2023	11,88,090.47	लागू नहीं	प्रधानाध्यापक, गंधघोरा प्राथमिक विद्यालय, गंधघोरा, झारसुगुड़ा 768216
13	झारसुगुड़ा जिले के झारसुगुड़ा ब्लॉक के भोईपाली चांदीमल ग्राम पंचायत के पास गोधन से बसुंधरा नदी तक बिटुमिनस सड़क।	768216	30-11-2023	1,07,30,764.67	लागू नहीं	सरपंच, चांदनीमल ग्राम पंचायत झारसुगुड़ा 768216

क्र.सं	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति(ओं) का पिनकोड	निर्माण की तारीख	सीएसआर में व्यय की गई राशि	पंजीकृत स्वामी की संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण	
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम और पंजीकृत पता
14	झारसुगुड़ा के बृन्दामाल में बधिर और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष स्कूल में 7 शौचालय और स्नानघर	768202	23-07-2023	8,89,579.41	लागू नहीं	प्रधानाध्यापक, बधिर एवं मानसिक रूप से मंदितों के लिए विशेष विद्यालय, बृन्दाबन झारसुगुड़ा 768202
15	एचएस पटेल हाई स्कूल, चिचिंडा, झारसुगुड़ा में छात्रावास भवन	768211	11-09-2023	56,96,332.18	लागू नहीं	प्रधानाध्यापक, एचएस पटेल हाई स्कूल, चिचिंडा झारसुगुड़ा 768211
16	सरकारी यूपी स्कूल, संजोब, लामटीबहाल, ब्रजराजनगर, झारसुगुड़ा में 03 कक्षा कक्ष	768216	21-04-2023	16,57,160.37	लागू नहीं	प्रधानाध्यापक, सरकारी यूपी स्कूल, संजोब, लमटीबहाल, ब्रजराजनगर, 768216
17	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, गंथियाबुड़, एच. कांटापाली ग्राम पंचायत, झारसुगुड़ा में 3 कक्षा-कक्ष	768202	08-10-2023	25,00,716.03	लागू नहीं	प्रधानाध्यापक, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, गंथियाबुड़, एच.कांतापाली ग्राम पंचायत, झारसुगुड़ा 768202
18	गांधी चौक, ब्रजराजनगर, झारसुगुड़ा में ट्रैफ़िक पुलिस बूथ	768216	30-12-2023	1,07,329.85	लागू नहीं	प्रभारी निरीक्षक, गांधी चौक पुलिस चौकी, ब्रजराजनगर 768216
19	पलासाबहाली आश्रम स्कूल, कनिहा, तालचेर, अनगुल में लड़कियों के छात्रावास में एक भोजन कक्ष और एक सबमर्सिबल पंप सेट	759100	20-11-2022	16,76,139.49	लागू नहीं	प्रधानाध्यापक, पलासबहाली आश्रम स्कूल, बालीपासी ग्राम पंचायत, जिला -अनगुल, ओडिशा, पिन 759100
20	पबित्रनगर महाविद्यालय, परबिल, कनिहा, तालचेर, अनगुल में 02 कक्षाएँ	759100	28-06-2023	38,78,742.22	लागू नहीं	प्रधानाध्यापक, पबित्रा नगर महाविद्यालय, परम्बिल ग्राम पंचायत, जिला अनगुल, ओडिशा, पिन 759100
21	कमरेई गांव, कनिहा, तालचेर, अनगुल के कमरेई प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष और मंच के लिए भवन	759127	06-07-2023	12,85,788.79	लागू नहीं	प्रधानाध्यापक, कमेरेई प्राइमरी स्कूल, कमेरेई ग्राम पंचायत, जिला -अनगुल, ओडिशा, पिन 759127
22	क्षेत्रीय हाई स्कूल, गंदबेरेना, कनिहा, तालचेर, अनगुल में प्यूरीफायर युक्त वाटर कूलर कक्ष	759127	08-06-2023	2,80,383.53	लागू नहीं	प्रधानाध्यापक, क्षेत्रीय हाई स्कूल, गंदबेरेना, जिला अनगुल, पिन -759127
23	सन्हार गांव, कनिहा, तालचेर, अनगुल के सभाघाट तालाब पर पाइप लाइन	759117	31-10-2023	8,80,370.46	लागू नहीं	ग्राम समिति संहार, गांव संहार, बड़त्रिबिड़ा ग्राम पंचायत, जिला अनगुल, पिन -759117
24	बड़तिरिबिड़ा, कनिहा, तालचेर, अनगुल गांव के कोठाघर के पास विश्राम स्थल	759117	27-09-2023	8,16,689.05	लागू नहीं	ग्राम ग्राम समिति, बड़त्रिबिड़ा ग्राम पंचायत, जिला अनगुल, पिन -759117
25	ठक्कर बापा सेवा सदन अनाथालय, गर्राखाई, बेलपहाड़, झारसुगुड़ा में अनाथ बच्चों के लिए छात्रावास भवन	768217	20-04-2023	1388233.83	लागू नहीं	प्रधानाध्यापक, ठक्कर बापा सेवा सदन अनाथालय, गर्राखाई, बेलपहाड़, झारसुगुड़ा, ओडिशा, 768217
26	चुरींमहुल से बंजारी पोस्ट ऑफिस पाड़ा, बंजारी ग्राम पंचायत, झारसुगुड़ा तक सड़क	768217	26-12-2022	8864013.56	लागू नहीं	सरपंच, बंजारी ग्राम पंचायत, लखनपुर ब्लॉक, झारसुगुड़ा, ओडिशा, 768217
27	बेलपहाड़, जिला-झारसुगुड़ा में बेलपहाड़ कॉलेज परिसर में कक्षा कक्ष	768217	22-09-2023	9027745.15	लागू नहीं	प्रधानाध्यापक, बेलपहाड़ कॉलेज, बेलपहाड़ एनएसी, झारसुगुड़ा, ओडिशा, 768217

क्र.सं	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति(ओं) का पिनकोड	निर्माण की तारीख	सीएसआर में व्यय की गई राशि	पंजीकृत स्वामी की संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण	
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम और पंजीकृत पता
28	वी.एस.एस. भवन, सोलडिया, झारसुगुड़ा की चारदीवारी	768219	15-03-2024	536364.04	लागू नहीं	सरपंच, लखनपुर ग्राम पंचायत, लखनपुर ब्लॉक, झारसुगुड़ा, ओडिशा, 768219
29	सोलडिया प्रोजेक्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय (पीयूपीएस), लखनपुर ग्राम पंचायत, झारसुगुड़ा में एक तरफ शेड के साथ चारदीवारी	768219	03-03-2024	353221.01	लागू नहीं	प्रधानाध्यापक, सोलडिया पीयूपीएस, सोलडिया गांव, लखनपुर ग्राम पंचायत, झारसुगुड़ा, ओडिशा, 768219
30	रेमांडा हाई स्कूल, रेमांडा ग्राम पंचायत, झारसुगुड़ा में चारदीवारी	768234	15-03-2024	1986332.41	लागू नहीं	प्रधानाध्यापक, रेमांडा हाई स्कूल, रेमांडा गांव, रेमांडा ग्राम पंचायत, झारसुगुड़ा, ओडिशा, 768234
31	सोलडिया गांव, लखनपुर ब्लॉक, झारसुगुड़ा में 9 मीटर ऊंचे 18 अष्टकोणीय पोल/टावर, जिनमें एकीकृत ऑल इन वन सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट (4) और 2 एचपी क्षमता के सोलर माइक्रो पंपिंग सिस्टम के साथ 6 सबमर्सिबल पंप	768219	25-07-2023	2540000.00	लागू नहीं	सरपंच, लखनपुर ग्राम पंचायत, लखनपुर ब्लॉक, झारसुगुड़ा, ओडिशा, 768219
32	कल्याण मंडप, गांव डीएलबी तेली साही, तालचेर, अनगुल	759102	19-03-2023	₹ 23,79,628.05	लागू नहीं	माँ ग्रामेश्वरी क्लब, देउलबेड़ा तेलीसाही, तालचेर, अनगुल, पिन नं.-759102
33	ब्लैकटॉप रोड से डोलोमंडप, तालचेर, अनगुल तक महिला समिति कंढाल की सीमेंट कंक्रीट सड़क	759100	06-08-2022	₹ 3,78,745.71	लागू नहीं	सरपंच, कंढाल ग्राम पंचायत, बलुंगा, तालचेर, अनगुल, पिन नं-759100
34	बलुंगा प्राथमिक विद्यालय और कल्याणमंडप, तालचेर, अनगुल में सीमेंट कंक्रीट सड़क	759100	11-08-2022	₹ 11,55,615.82	लागू नहीं	सरपंच, कंढाल ग्राम पंचायत, बलुंगा, तालचेर, अनगुल, पिन नं-759100
35	कंढाल गौड़साही, तालचेर, अनगुल में सीमेंट कंक्रीट सड़क	759100	02-09-2022	₹ 8,89,968.57	लागू नहीं	सरपंच, कंढाल ग्राम पंचायत, बलुंगा, तालचेर, अनगुल, पिन नं-759100
36	बलंडा, तालचेर, अनगुल में ब्लैक टॉप रोड से नई बस्ती (रंगमाटिया) तक सीमेंट कंक्रीट सड़क	759100	08-08-2022	₹ 13,66,879.46	लागू नहीं	बलुंगा ग्राम समिति, बलुंगा, तालचेर, अंगुल, पिन नं-759100
37	डोबलिन से एकादशीपुर, कंढाल ग्राम पंचायत, तालचेर, अनगुल तक सीमेंट कंक्रीट नाली	759100	11-09-2023	₹ 8,50,183.32	लागू नहीं	सरपंच, कंढाल ग्राम पंचायत, बलुंगा, तालचेर, अनगुल, पिन नं-759100
38	आनंदीपुर तालाब, कंढाल ग्राम पंचायत, तालचेर, अनगुल के पास आम जनता के लिए शौचालय	759100	30-04-2023	₹ 3,14,792.72	लागू नहीं	ग्राम समिति, आनंदपुर, कंढाल ग्राम पंचायत, तालचेर, अनगुल, पिन नं-759100
39	नीमकटा तालाब, बलुंगा, तालचेर, अनगुल के पास आम जनता के लिए शौचालय	759100	11-06-2023	₹ 3,32,962.51	लागू नहीं	सरपंच, कंढाल ग्राम पंचायत, बलुंगा, तालचेर, अनगुल, पिन नं-759100
40	कृष्णचंद्रपुर गांव, तालचेर, अनगुल में सामुदायिक केंद्र	759100	26-12-2023	₹ 8,40,510.37	लागू नहीं	ग्राम समिति, कंढाल गांव, कंढाल ग्राम पंचायत, तालचेर, अनगुल, पिन नंबर-759100
41	आनंदीपुर गांव, तालचेर, अनगुल में सामुदायिक केंद्र	759100	20-08-2023	₹ 8,03,684.14	लागू नहीं	ग्राम समिति, कंढाल गांव, कंढाल ग्राम पंचायत, तालचेर, अनगुल, पिन नंबर-759100
42	बालुंगा खमार, तालचेर, अनगुल में महिला समिति भवन	759100	14-09-2023	₹ 9,90,390.03	लागू नहीं	बलुंगा ग्राम समिति, बलुंगा, तालचेर, अनगुल, पिन नं-759100

क्र.सं	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति(ओं) का पिनकोड	निर्माण की तारीख	सीएसआर में व्यय की गई राशि	पंजीकृत स्वामी की संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण	
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम और पंजीकृत पता
43	बिहारीपुर यू.पी. स्कूल, किशोरीपाल, तालचेर, अनगुल में शौचालय	759100	20-03-2024	₹3,27,870.22	लागू नहीं	सरपंच, धरमपुर ग्राम पंचायत, तालचेर, अनगुल, पिन नं-759100
44	न्यू नरहरिपुर, मणिकमरा, तालचेर, अनगुल में बोरवेल	759100	15-03-2024	₹ 2,90,872.72	लागू नहीं	सरपंच, धरमपुर ग्राम पंचायत, तालचेर, अनगुल, पिन नं-759100
45	कंधाल सी.सी. रोड से बंगाली तैला, तालचेर, अनगुल के त्रिलोचनपुर तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड	759100	22-01-2024	₹ 14,08,586.52	लागू नहीं	अध्यक्ष, कंढाल गांव, कंढाल ग्राम पंचायत, तालचेर, अनगुल, पिन नं-759100
46	वन विभाग, झारसुगुड़ा को 10 फायर ब्लोअर प्रदान किए गए	768202	07-01-2024	4,95,500.00	लागू नहीं	डीएफओ झारसुगुड़ा, बड़माल, झारसुगुड़ा, ओडिशा 768202
47	झारसुगुड़ा जिले के सरकारी स्कूलों में 31 स्मार्ट क्लास		13-03-2024	97,16,144.00	लागू नहीं	संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक
48	मयूरभंज जिले के सरकारी स्कूलों में 31 स्मार्ट क्लास समाधान		13-03-2024	97,16,144.00	लागू नहीं	संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक
49	सुंदरगढ़ जिले के 31 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास		13-03-2024	97,16,144.00	लागू नहीं	संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक
50	सुंदरगढ़ जिले के 31 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास		23-11-2023	97,03,000.00	लागू नहीं	संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक
51	सरकारी स्वायत्त कॉलेज, राउरकेला, सुंदरगढ़ में लड़कों के लिए कॉमन रूम	769004	30-10-2023	22,48,756.00	लागू नहीं	प्राचार्य, सरकारी स्वायत्त महाविद्यालय, रघुनाथपाली, राउरकेला, ओडिशा -769004
52	शुगर मिल रोड, तोरा, बरगढ़ में सामुदायिक केंद्र	768028	17-05-2023	2266618.00	लागू नहीं	कलेक्टर, बरगढ़, ओडिशा - 768028
53	कैनाल रोड, बरपाली, बरगढ़ में सामुदायिक भवन	768028	25-07-2023	9,75,600.00	लागू नहीं	कलेक्टर, बरगढ़, ओडिशा - 768028
54	बुर्ला, सम्बलपुर में खेल परिसर	768020	30-06-2023	25,00,00,000.00	लागू नहीं	कलेक्टर, संबलपुर, ओडिशा - 768001
55	रक्त संग्रह वाहन, अनगुल	759122	17-12-2023	38,79,200.00	लागू नहीं	मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बिक्रमपुर, अनगुल, ओडिशा - 759122
56	30 एएलएस एम्बुलेंस (ओडिशा के प्रत्येक जिले के लिए एक)	751001	13-03-2024	17,76,46,146.00	लागू नहीं	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर, ओडिशा - 751001
57	झारसुगुड़ा जिले के सरकारी स्कूलों में 20 विज्ञान STEM लैब स्मार्ट क्लास		29-02-2024	99,39,040.00	लागू नहीं	संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक
58	आईआईएम, सम्बलपुर में 3 हेलीपैड और मार्ग का निर्माण	768025	18-03-2024	1,18,69,786.00	लागू नहीं	निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, गोशाला, संबलपुर, ओडिशा - 768025
59	सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा और सम्बलपुर जिलों के सरकारी स्कूलों में 200 स्मार्ट क्लास		14-03-2024	5,60,80,400.00	लागू नहीं	संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक
60	20 ई-रिक्शा, सम्बलपुर	768001	30-08-2022	25,08,807.00	लागू नहीं	कलेक्टर, संबलपुर, ओडिशा - 768001
61	छेलीयापड़ा पुलिस बैरक, अनगुल में बैडमिंटन कोर्ट	759132	30-11-2023	83,81,555.14	लागू नहीं	सरपंच, छेलियापड़ा, अंगुल, ओडिशा - 759132

अनुलग्नक –II

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

फॉर्म सं.-एमआर-3

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सेवामें,

सदस्यगण

मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

जागृति विहार,

संबलपुर -768020

ओड़िशा, इंडिया

हमने मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (CIN:U10102OR1992GOI003038) (एतत्पश्चात इसे कंपनी कहा गया)। द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट कार्यों के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा सचिवीय ऑडिट पर जारी सीएसएएस-4-ऑडिटिंग मानक के अनुसार किया गया था, जिसने हमे कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी द्वारा अनुरक्षित पुस्तकों, कागजातों, सूक्ष्म पुस्तकों, प्रपत्रों और रिटर्न और अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, हमे दिए गए स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और और यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की सीमा, तरीके और विषय के अनुसार उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं:

हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा दर्ज की गई पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआर') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश: -

  (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध विनियम) 2015, यथा संशोधित;

  (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;

(vi) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश को ओएम सं. 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 में दी गई है:,

हम रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और प्रासंगिक दस्तावेजों और उसके अनुसरण में अभिलेखों की जांच के आधार पर, नमूना-जांच के आधार पर और सभी लागू की गई नियमों पर एक तिमाही अनुपालन रिपोर्ट नियमित रूप से एमसीएल बोर्ड के समक्ष रखी जाती है। कंपनी ने विशेष रूप से कंपनी पर लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

1. कोयला खान अधिनियम, 1952

2. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884
3. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 और कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004
4. कोयला खान विनियम, 2017
5. वेतन भुगतान (खान) नियमावली, 1956
6. कोयला खान पेंशन योजना, 1998
7. कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम, 1974
8. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमावली, 1966
9. खान क्रेच नियमावली, 1961
10. खान बचाव नियमावली, 1985
11. कोयला खान खदान पिट्हेड नियमावली, 1946
12. मातृत्व लाभ (खान और सर्कस) नियमावली, 1963
13. विस्फोटक नियमावली, 2008
14. खनिज रियायत नियमावली , 1960
15. कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
16. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
17. असंवितरित वेतन भुगतान (खान) नियमावली, 1989
18. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय विद्युत नियमावली, 1956
19. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण संरक्षण नियमावली , 1986
20. खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियमावली, 2016
21. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली
22. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
23. सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली।

लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने आम तौर पर अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कारपोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के संबंध में, कंपनी एक केन्द्रीय पीएसयू होने के नाते, सरकारी कंपनियों के लिए लागू डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन के लिए, निदेशकों की नियुक्ति, मूल्यांकन और उत्तराधिकार से संबंधित मामलों के संबंध में सीपीएसई की तिमाही/वार्षिक ग्रेडिंग का अनुपालन सुनिश्चित हो इसके लिए डिजाइन किया गया है। वार्षिक के आधार पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:-

क. बोर्ड की संरचना:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षा के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तनों को विधिवत दर्ज किया गया और कंपनी द्रवारा अधिनियम औऱ उसके तहत नियमों के प्रावधानों की अनुपालन में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया।

(ख) बोर्ड और उनकी समिति की बैठकों का आयोजन :

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड की बैठकों के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना प्रसारित की गई थी। एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट पहले ही भेजे गए थे। बैठकों में सार्थक भागीदारी के लिए बैठकों के समक्ष रखे गए एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय अपेक्षित बहुमत से लिए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाए गए कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए गए।

(ग) वार्षिक आम बैठक का आयोजन:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 25.07.2023 को आयोजित की गई।

वार्षिक आम बैठक को अल्प समय के नोटिस पर आयोजित किया गया था और कंपनी के सभी सदस्यों की सहमति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त की गई थी। बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

(घ) सांविधिक रजिस्टरों और अभिलेखों का रख-रखाव

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित सभी वैधानिक रजिस्टर, रिकॉर्ड और अन्य रजिस्टरों को उचित रूप से रखा गया तथा उनमें सभी आवश्यक प्रविष्टियां की गईं।

(ड़) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सांविधिक प्रपत्र और विवरणी दाखिल करना

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न फॉर्म और रिटर्न एमसीए/रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर या अपेक्षित शुल्क के साथ विस्तारित समय में विधिवत दाखिल किए गए थे।

(च) लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन:

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के प्रबंधन द्वारा की गई समीक्षा और स्पष्टीकरण के आधार पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, इसके आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां मौजूद हैं। कानून और विधियों के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से समीक्षा के लिए कंपनी के बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है।

(छ) बोर्ड के निर्णयों की लेखापरीक्षा और प्रमाणन:

बोर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों की भी तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा की जाती है और इस आशय का प्रमाण पत्र निहित डीओपी के दायरे में बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के साथ तिमाही आधार पर प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त किया जाता है।

(A) अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, 17 अक्टूबर, 2023 मंगलवार को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन से, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को 980 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रत्येक के 77,58,200 (सत्तर लाख अट्ठावन हजार दो सौ) इक्विटी शेयरों और 1000 रुपये प्रत्येक के 20,41,800 (बीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ) 10% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों में विभाजित करके 1600 करोड़ रुपये कर दिया गया, जिसे 1000 रुपये प्रत्येक के 1,39,58,200 (एक करोड़ उनतीस लाख अट्ठावन हजार दो सौ) इक्विटी शेयरों और 1000 रुपये प्रत्येक के 20,41,800 (बीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ) 1000 प्रत्येक, कंपनी में मौजूदा शेयरों के साथ सममूल्य पर 10% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों में विभाजित किया गया।

(B) लाभांश की घोषणा :

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-2024 के संबंध में सितंबर 2023 तक चालू वर्ष के कर पश्चात लाभ में से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (होल्डिंग कंपनी) को 1,000/- रुपये के इक्विटी शेयरों के 66,18,363 इक्विटी शेयरों पर 5500 करोड़ रुपये (यानी 8,310.20 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) की राशि का पहला अंतरिम लाभांश घोषित और भुगतान किया है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में दिसंबर 2023 तक चालू वर्ष के कर पश्चात लाभ में से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (होल्डिंग कंपनी) को 1,000/- रुपये के इक्विटी शेयरों के 1,32,36,726 नंबर पर 2000.00 करोड़ रुपये (यानी 1510.95 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) की राशि का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित और भुगतान किया है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है।

(C) एमसीएल बोर्ड की उप-समितियों का पुनर्गठन

कंपनी के पास बोर्ड की निम्नलिखित सांविधिक समितियां हैं।

i. लेखा परीक्षा समिति

ii. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थायित्व विकास (CSRSD) उप-समिति

iii. नामांकन और पारिश्रमिक उप समिति-

iv. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया ।

पुनर्गठित समिति के निहित कार्य और अधिकार का दायरा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधान के अनुसार है, जिसे कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्ति) नियमावली, 2014, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के साथ डीपीई दिशानिर्देशों और क्रमशः उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़े जाते हैं।

(D) अध्यक्ष -सह-प्रबंध निदेशक महोदय की नियुक्ति

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, श्री उदय ए. कावले ने 19.12.2023 से श्री केशव राव के स्थान पर कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है। इसके अलावा, श्री केशव राव, निदेशक (कार्मिक), एमसीएल ने 01.11.2023 से श्री ओ.पी. सिंह के स्थान पर कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है।

(E) गैर-सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से श्री राजेश कुमार वर्मा और श्री दयाशंकर सी तिवारी को एमसीएल के निदेशक मंडल में गैर-आधिकारिक अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संबंधित विभाग की तिमाही अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा पर, हमारी राय में, पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं और लागू सामान्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आकार और संचालन के अनुरूप नियंत्रण तंत्र मौजूद हैं

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि जैसा कि सूचित किया गया है, कंपनी ने जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई शुरू करने सहित विभिन्न सांविधिक/ नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त नोटिसों का उचित रूप से जवाब दिया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि मेरे द्वारा प्राप्त और भरोसा किए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली ऐसी कोई विशिष्ट घटना / कार्य नहीं हुई थी।

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25 मई, 2024

कृते जे.के. दास एण्ड एसोसियट्स
कंपनी सचिव

J. K. Das & Associates ★ Company Secretaries ★ Kolkata

सीएस जे.के. दास , सी.पी. सं. 4250
सदस्यता सं. एफ़सीएस 7268
UDIN: F007268E000344110
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं. No.1748/2022

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे उसी दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है तथा अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है।.

अनुलग्नक-A

सेवामें,

सदस्यगण
मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
जागृति विहार,
संबलपुर -768020
ओड़िशा, इंडिया

महोदय,

इस पत्र के साथ हमारी उसी तारीख की रिपोर्ट भी पढ़ी जाए।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा कार्यों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और कार्यप्रणाली हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने पुस्तकों और कागजात के अलावा कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों या अन्य किसी भी पुस्तक, सूचना या विवरण के सत्यता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है ।
4. हमने उपर्युक्त नियम को छोड़कर किसी अन्य विशिष्ट कानून की जांच नहीं की है।

   जहां भी आवश्यक हुआ, हमने उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों, दिशानिर्देशों और घटनाओं के होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट कानूनों और अन्य लागू नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थान : कोलकाता
दिनांक: 25 मई, 2024

कृते जे.के. दास एण्ड एसोसियट्स
कंपनी सचिव

J. K. Das & Associates ★ Kolkata ★ Company Secretaries

सीएस जे.के. दास ,सी. पी. सं. 4250
सदस्य सं. एफ़सीएस 7268
UDIN: F007268E000344110
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं.1748/2022

अनुलग्नक- III

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. ऊर्जा संरक्षण

1 (A). विद्युत ऊर्जा संरक्षण के उपाय

इस वर्ष की ऊर्जा स्थिति के मुख्य बिंदु तुलनात्मक विवरण के साथ नीचे दिए गए हैं।

I. 2022-23 में 1.77 kWh/Te की तुलना में 2023-24 के दौरान बिजली की विशिष्ट खपत (कोयले के लिए) 1.81 kWh/Te अर्थात 2.26% की वृद्धि है।

II. 2022-23 के लिए 0.95 kWh/CuM की तुलना में 2023-24 के दौरान बिजली की विशिष्ट खपत (समग्र उत्पादन के लिए) (अर्थात कोयला + ओ.बी. निष्कासन) 0.93 kWh/CuM अर्थात 2.12% की कमी है।

III. टीपीडब्ल्यूओडीएल (पूर्व में वेस्को) और टीपीसीओडीएल (पूर्व में सीईएसयू) से 2023-24 के दौरान हर महीने की छूट तिथि के भीतर सभी आपूर्ति बिंदुओं के मासिक बिजली बिलों का शीघ्र भुगतान करने के लिए कुल 236.89 लाख रुपये की छूट का लाभ उठाया गया।

1. (B) नवीकरणीय ऊर्जा विकास (सौर ऊर्जा)

a) 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र:

I. 2 मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र 13/10/2014 को शुरू किया गया।

II. संयंत्र ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बिजली की 20,44,965 किलोवाट घंटे इकाई उत्पन्न की है, जिसके परिणामस्वरूप 50,03,735 रुपये की बिजली लागत की बचत हुई है।

III. वित्त वर्ष 2023-24 में कार्बन ऑफसेट के रूप में 16,76,871 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन (CO_2) में कमी प्राप्त की गई।

IV. टीपीडब्ल्यूओडीएल और एमसीएल के बीच दिनांक 27.04.2023 को 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से संयुक्त उद्यम कॉर्पोरेट कार्यालय में 1 एमवीए लोड प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक ओपन एक्सेस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023-24 में 33,56,808.00 रुपये की ऊर्जा लागत की बचत होगी।

V. वित्त वर्ष 23-24 में 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित बिजली के आरईसी (नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र) की बिक्री के माध्यम से 3,40,340.00 रुपये अर्जित किए तथा आज तक आरईसी (नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र) की बिक्री के माध्यम से 2,21,09,690.00 रुपये अर्जित किए।

VI. दिनांक 31.03.2024 तक संयंत्र ने 1,61,91,485 kWh यूनिट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की है और कार्बन ऑफसेट के रूप में 1,32,77,017 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन (CO_2) को कम किया है।

b) 1.21 मेगावाट रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र:

i. 13/05/2022 तक एमसीएल के 10 गैर-आवासीय भवनों में 1.21 एमडब्लूपी रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया।

ii. संयंत्र ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 13,48,002 किलोवाट घंटे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की है, जिसके परिणामस्वरूप 78,18,411 रुपये की बिजली लागत की बचत हुई है।

iii. वित्त वर्ष 2023-24 में कार्बन ऑफसेट के रूप में 11,05,362 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन (CO_2) में कमी प्राप्त की गई।

iv. दिनांक 31.03.2024 तक संयंत्र ने 29,25,264 kWh यूनिट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की है और कार्बन ऑफसेट के रूप में 23,98,716 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन (CO_2) को कम किया है।

c) 50 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र :

- 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना और कमीशनिंग का काम नवंबर 2021 में ईपीसी ठेकेदार को सौंपा गया।
- वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 70.39 एकड़ भूमि खरीदी गई है और 31.03.2024 तक कुल 240 एकड़ भूमि में से 201 एकड़ भूमि खरीदी गई है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में 12 मेगावाट के सौर पीवी मॉड्यूल स्थापित किए गए हैं और 31 मार्च 2024 तक 31 मेगावाट स्थापित किए गए हैं।
- पाटनागढ़ में ओपीटीसीएल ग्रिड को बिजली पहुंचाने के लिए 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए 34 टावरों में से 32 टावरों का निर्माण पूरा हो गया है।

d) 2.5 एमडब्लूपी रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र:

- एमसीएल के विभिन्न आवासीय/गैर-आवासीय भवनों में एक वर्ष की वारंटी अवधि के सफलतापूर्वक पूरी होने पर 05(पांच) वर्ष की अवधि के लिए सीएएमसी सहित 2.5 एमडब्लूपी क्षमता के सौर रूफ टॉप पावर प्लांट की स्थापना और कमीशनिंग का कार्य दिनांक 01/09/2023 को सौंपा गया है।
- 31.03.2024 तक, एमसीएल के 12 स्थानों पर 502.27 किलोवाट क्षमता की शुरुआत की गई है।

e) 20 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र :

- 20 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड कैप्टिव सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए जगन्नाथ क्षेत्र (20 हेक्टेयर) में 10 मेगावाट और लखनपुर क्षेत्र (15 हेक्टेयर) में 10 मेगावाट के लिए कुल 35 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है।
- एमसीएल बोर्ड ने दिनांक 30/11/2023 को डीपीआर को मंजूरी दे दी।

  एमसीएल को नेट जीरो एनर्जी कंपनी बनने के लिए कुल 182 मेगावाट का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से 3.71 मेगावाट के सौर संयंत्र पहले ही शुरू हो चुके हैं और 52 मेगावाट क्षमता का निर्माण कार्य चल रहा है। 20 मेगावाट के सौर संयंत्र को निविदा के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, शेष अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए भूमि की पहचान की प्रक्रिया जारी है, ताकि 2029-30 तक एमसीएल को नेट जीरो एनर्जी कंपनी बनाया जा सके।

1 (C). ऊर्जा के प्रभावी संरक्षण के लिए बिजली की खपत में कमी लाने के लिए जहां भी व्यवहार्य/संभव हो, उठाए गए कदम (उपाय).

I. पावर फैक्टर को यूनिटी के करीब बनाए रखना:

वित्त वर्ष 22-23 के दौरान एमसीएल की खदानों, टाउनशिप और कार्यालयों को बिजली देने वाले विभिन्न सब-स्टेशनों का समग्र औसत पावर फैक्टर 0.97 था।

II. केवल उच्च स्टार रेटिंग वाले एयर कंडीशनर की खरीद: खरीदे जा रहे सभी नए विंडो और स्प्लिट एयर कंडीशनर बीईई फाइव स्टार रेटिंग के हैं। वित्त वर्ष 23-24 में कुल 493 फाइव स्टार रेटेड एयर कंडीशनर खरीदे गए हैं और 266 खरीद प्रक्रिया में हैं।

III. 5 स्टार रेटेड बीएलडीसी पंखों की खरीद।

वित्त वर्ष 23-24 में एमसीएल में 1912 5 स्टार रेटेड बीएलडीसी पंखे खरीदे गए और 5019 पंखे खरीद के अधीन हैं।

IV. एमसीएल में वर्ष 2023-24 में 22086 एलईडी लाइटें खरीदी गईं तथा खदानों में एचपीएसवी को एलईडी से 100% प्रतिस्थापित किया गया।

V. ऊर्जा दक्ष विद्युत मोटरों की खरीद की जा रही है। खरीद का विवरण नीचे दिया गया है:

- वित्त वर्ष 23-24 में एमसीएल में 58 ऊर्जा कुशल मोटरें खरीदी गई हैं।
- वित्त वर्ष 23-24 में 9 ऊर्जा कुशल मोटरों के लिए खरीद आदेश दिया गया है।
- 75 ऊर्जा कुशल मोटरें खरीद की प्रक्रिया में हैं।

VI. ऊर्जा कुशल वॉटर हीटर की खरीद।

वित्त वर्ष 23-24 में एमसीएल में 91 ऊर्जा कुशल वॉटर हीटर खरीदे गए, और 12 खरीद के अधीन हैं।

VII. पम्पिंग में ऊर्जा दक्षता

- खदानों में जलापूर्ति और जल निकासी में उपयोग की जाने वाली पाइपलाइनों में लीकेज को रोका जाता है।
- पंपों के डिजाइन के अनुसार सक्शन और डिलीवरी लाइनों का आकार उचित रूप से बनाए रखा जाता है।
- बिजली की अधिकतम मांग को कम करने और टीओडी (दिन का समय) प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए पंपिंग जैसे नियमित भार को ऑफ-पीक घंटों के दौरान संचालित किया जा रहा है।

VIII. वित्त वर्ष 23-24 के दौरान एमसीएल में औद्योगिक कनेक्शनों का कुल लोड फैक्टर ~64% अर्थात 60% से ऊपर बनाए रखा गया, ताकि 60% लोड फैक्टर से ऊपर की खपत की प्रत्येक यूनिट के लिए 1.10 रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त किया जा सके। वित्त वर्ष 23-24 में लोड फैक्टर प्रोत्साहन के रूप में 3.27 करोड़ रुपये की राशि का लाभ उठाया गया।

IX. ऊर्जा लेखा परीक्षा - वित्त वर्ष 23-24 में कनिहा ओसीपी, हीराखंड बुंदिया खदान, ओरिएंट खदान नंबर 2 और लिंगराज ओसीपी में ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित की गई है।

X. X. ई-वाहन:

एमसीएल में वर्तमान में 17 इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं।

XI. ऊर्जा कुशल उपायों के कारण कुल ऊर्जा बचत 42991482.86 kWh/वर्ष है और परिणामस्वरूप 35253015.95 kgCO2 कार्बन ऑफसेट होता है।

2. A. ऊर्जा संरक्षण

A. ईंधन एवं स्नेहक:

ईंधन और स्नेहक की खपत को कम करने के प्रयास निम्नानुसार हैं:

1. उपकरण का सर्वोत्तम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए OEM अनुसूची के अनुसार आवधिक रखरखाव किया जा रहा है।
2. सीएमपीडीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट डीजल खपत की निरंतर निगरानी।
3. ईंधन दक्षता को अनुकूलित करने के लिए टायर इन्फ़्लेशन की नियमित जांच।
4. सिस्टम से रिसाव को कम करने के लिए होज़ और उनके क्लैंपिंग का आवधिक निरीक्षण।
5. उपकरण को न्यूनतम निष्क्रिय रखने के लिए ऑपरेटर को जागरूक किया गया है।
6. सेल्फ स्टार्टर, अल्टरनेटर और बैटरी जैसी सभी ऑटो इलेक्ट्रिकल वस्तुओं का नियमित निरीक्षण।
7. उपकरणों की स्व-प्रारंभ क्षमता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में बैटरियों का प्रावधान।
8. चोरी को रोकने के लिए उपकरणों में ईंधन स्तर निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए कार्रवाई की गई है।

वित्त वर्ष 2023-24 में जले हुए तेल की रिकवरी में वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 5.75% का सुधार हुआ है। जले हुए तेल की रिकवरी: वित्त वर्ष 2023-24: 46% और वित्त वर्ष 2022-23: 40.25% जो एचईएमएम के बेहतरी और अच्छे रखरखाव को दर्शाता है।

2. B. ऊर्जा खपत के लिए (a) के उपायों का प्रभाव और उत्पादन के मापदंडों पर परिणामी प्रभाव।

विवरण	20232-24	2022-23	पिछले वर्ष की तुलना में % परिवर्तन
विद्युतीय ऊर्जा			
(i) बिजली की विशिष्ट खपत (कोयले के लिए), किलो वाट घंटा/टन में	1.81	1.77	2.26%(A)
(ii) बिजली की विशिष्ट खपत (संयुक्त उत्पादन के लिए) (अर्थात कोयला + ओ.बी. निष्कासन), किलोवाट घंटा/घन मीटर में	0.93	0.95	-2.12%(F)
ईंधन और स्नेहक			
i. विभागीय उत्पादन के लिए लीटर/घन में एचएसडी की खपत।	1.09	1.05	3.80(A)
ii. विभागीय उत्पादन के लिए लीटर/घन में स्नेहक की खपत।	0.0239	0.0236	1.271(A)
iii. कोयला उत्पादन के लीटर/टन में एचएसडी की खपत ।	1.219	1.215	0.329(A)
iv. कोयला उत्पादन में लीटर प्रति टन में स्नेहक की खपत।	0.0268	0.0273	-1.831(F)

F – अनुकूल **A – प्रतिकूल**

2. C. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(i) निर्यात , निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम, उत्पाद, निर्यात गतिविधियां, सेवाएं और निर्यात योजनाओं के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास से संबंधित गतिविधियां : कंपनी निर्यात गतिविधियों में संलग्न नहीं है।

(ii) प्रयुक्त एवं अर्जित विदेशी मुद्रा

(₹ करोड़ में)

विवरण		चालू वर्ष	विगत वर्ष
(a)	प्रयुक्त विदेशी मुद्रा:		
	(i) आयात का सीआईएफ मूल्य		
	a) घटक, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स	0.00	0.00
	b) पूंजीगत माल	0.00	0.00
	(ii) यात्रा	0.16	0.06
	(iii) ब्याज	0.04	0.04
	(iv) अन्य	0.05	0.63
(b)	अर्जित विदेशी मुद्रा:	0.00	0.00

अनुलग्नक-IV

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्यगण

मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

मैंने निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग(डीपीई), भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड(इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

मेरी राय में, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, मैं प्रमाणित करती हूं कि कंपनी ने "अनुलग्नक-1" में उल्लिखित निरीक्षण के आधार पर उपर्युक्त लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

मैं पुन: घोषणा करती हूं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते निशा उपाध्याय

(कंपनी सचिव)

Nisha Upadhyay

सीएस निशा उपाध्याय, एसीएस

स्वामी

एम सं. 52744, सीपी सं. 19692

स्थान :संबलपुर

दिनांक: 16.05.2024

यूडीआईएन सं.: A052744E000364110

अनुलग्नक-1

निदेशक मंडल की संरचना:-

एमसीएल के निदेशक मंडल के गठन में 05 कार्यकारी निदेशक, 02 आधिकारिक अंशकालिक निदेशक (01 सरकारी नामित और 01 सीआईएल नामित निदेशक), 04 स्वतंत्र निदेशक और पूर्व तट रेलवे से 01 स्थायी आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। 04 स्वतंत्र निदेशकों में से, कंपनी के पास केवल 03 (तीन) स्वतंत्र निदेशक हैं और स्वतंत्र निदेशकों के अन्य 01 (एक) पद मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में खाली पड़े हैं। मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी के 05(पांच) कार्यकारी निदेशक है।

कृते निशा उपाध्याय

(कंपनी सचिव)

Nisha Upadhyay

सी.एस. निशा उपाध्याय, ए.सी.एस.

प्रोपराइटर

एम नं. 52744,सीपी नं. 19692

स्थान:संबलपुर

दिनांक: 16.05.2024

निगमित शासन पर रिपोर्ट

कंपनी की दार्शनिकता :

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की संगठनात्मक प्रणाली में व्यवसायिक दार्शनिकता के रूप में कॉर्पोरेट गवर्नन्स को और अधिक दृढ़ता से एकीकृत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, अधिक संगठनात्मक न्याय और निगमित स्थिरता सुनिश्चित करना है।

वर्ष 2010-11 से निगमित शासन पर दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के साथ, दिशानिर्देशों का नए परिप्रेक्ष्य और समुचित अध्यवसाय के साथ पुनरावलोकन किया गया है।

समता, न्याय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व आदि को सुशासन की कसौटी पर स्वीकार किया गया है, जिसे एमसीएल से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के हर क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग के लिए आधार मूल्यों के रूप में स्वीकार किया गया है।

निदेशक मंडल-

बोर्ड में कार्यकारी, नामित और स्वतंत्र निदेशकों के सर्वोत्तम संयोजन के सिद्धांत के अनुपालन में, एमसीएल के निदेशक मंडल में 31 मार्च, 2024 को 10 (दस) निदेशक शामिल हैं, जिसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है-

a) 05 (पांच) कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष सह-प्रबंध-निदेशक सहित)।

b) (तीन) स्वतंत्र निदेशक।

c) 02 (दो) कार्यकारी अंशकालीन निदेशक (नामांकित)।

इसके अलावा मुख्य प्रचालन प्रबंधक, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वसर को भी बोर्ड के स्थाथयी आमंत्रित के रूप में

नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक- 24.04.2023, 28.04.2023, 03.06.2023, 14.07.2023, 25.07.2023, 25.09.2023, 07.10.2023, 28.10.2023, 30.11.2023, 27.12.2023, 18.01.2024 तथा 04.03.2024 को बोर्ड की बारह (12) बैठकें हुई जिसमें सभी निदेशकों (बैठकों में भाग लेने के लिए पात्र) की 100% उपस्थिति रही।

बोर्ड की संरचना, बोर्ड की बैठक तथा पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशकों की उपस्थिति और अन्य

कंपनियों में निदेशक पद की संख्या के विवरण के साथ एक तालिका प्रस्तुत है।

नाम तथा पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठक			अन्य कंपनियों में निदेशक के पद पर	पिछले एजीएम में उपस्थित	अन्य समितियों में सदस्यता	
		कार्य काल में आयो जित	उप स्थित	%			लेखा परीक्षा समिति में उपस्थिति	अन्य समिति में सदस्य
श्री ओ.पी. सिंह(19.12. 2023 तक)	अध्यक्ष	08	08	100%	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	हाँ		02
श्री केशव राव	कार्यकारी	12	12	100%	(i) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (ii) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	हाँ		03
श्री डीसी तिवारी	स्वतंत्र	10	09	90%	(i) नागपूर एनवायरोमेंटल सर्विसेस लिमिटेड (2) नागपूर स्मार्ट एण्ड सस्टैनबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं	04	01
श्री राजेश कुमार वर्मा	स्वतंत्र	10	09	90%	(i) कोल इंडिया लिमिटेड (ii) त्रिपुरा मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	नहीं	04	01
श्री उदय ए कोयले	अध्यक्ष	03	03	100%	(i) भारत कुकिंग कोल लिमिटेड (ii) ईस्टर्न कोलफ़ील्डस लिमिटेड	No		01
डॉ. आशा लकरा	स्वतंत्र	12	12	100%	शून्य	नहीं	06	02
श्री जे.के. बोरा	कार्यकारी	12	12	100%	(i) एमएनएच शक्ति लिमिटेड	हाँ	04	04
श्री ए एस बपट	कार्यकारी	09	09	100%	शून्य	हाँ		02

श्री ए के बेहूरा	कार्यकारी	12	12	100%	(i) एमजेएसजे कोल लिमिटेड (ii) महानदी कोल रैलवे लिमिटेड	हाँ	00	04
श्री मुकेश चौधरी	सरकार नामित	12	12		(i) कोल इंडिया लिमिटेड (ii) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (iii) सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (iv) एनसीएल् तमिलनाडु पॉवर लिमिटेड (v) सेंट्रल कोलफ़ील्डस लिमिटेड (vi) द सिंगरेनी कॉलियारी कंपनी लिमिटेड (vii) साउथ ईस्टर्न कोलफ़ील्डस लिमिटेड	हाँ	06	00
श्री संजीव कस्सी	सरकार नामित	12	12		(i) जम्मू पॉवर डिस्ट्रब्यूशन कंपनी लिमिटेड (ii) भेल पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एनटीपीसी	नहीं	05	00

शासन की कुछ मदें जैसे वार्षिक लेखा, पूंजीगत व्यय, कोयला बिक्री अनुबंध, जनशक्ति बजट, वैधानिक अनुपालन रिपोर्ट आदि बोर्ड की समीक्षा और अनुमोदन के लिए आरक्षित हैं।

निदेशकगणों का पारिश्रमिक:

A) पूर्णकालिक निदेशक

क्रमांक	नाम	अन्य निदेशकगण के साथ संबंध	कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंध यदि कोई हो	वर्ष 2023 -24 के लिए पारिश्रमिक
				पारिश्रमिक पैकेज के सभी तत्व यानी वेतन, कार्य निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, पीएफ, पेंशन योगदान आदि (रु.)
1	श्री ओ.पी. सिंह	शून्य	अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक(पूर्व)	56,90,614.32
2	श्री यू के कॉले	शून्य	अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक	12,15,231.48
3	श्री केशव राव	शून्य	निदेशक(कार्मिक)	67,55,682.64
4	श्री ए.के. बेहुरा	शून्य	निदेशक(वित्त)	59,44,824.64
5	श्री जे.के. बोरा	शून्य	निदेशक (संचालन)	65,57,288.25
6	श्री ए एस बापट	शून्य	निदेशक (यो. एवं परि.)	61,86,330.81

B) आधिकारिक अंशकालिक निदेशक

कंपनी द्वारा आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों को किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

C) गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक

गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के अलावा

किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

D) सेवा अनुबंध, सूचना अवधि, पृथक्करण शुल्क:

कंपनी के सभी कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति

को किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह के सूचना पर अथवा उसके एवज में 03 माह के वेतन के भुगतान पर समाप्त किया जा सकता है।

बोर्ड समितियाँ :

i. लेखा परीक्षा समिति

एमसीएल का मानना है कि व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए उचित स्वायत्तता के साथ उचित प्रकार से गठित लेखा परीक्षा समिति तथा निर्धारित कार्यक्षेत्र कारगर साधन हो सकते है। समिति नियमित अंतराल पर बैठक करती है और यथाशीघ्र मुद्दों का समाधान करती है। लेखापरीक्षा समिति की बैठकें भी उचित कार्यसूची के साथ आयोजित होती है और कार्रवाई की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाती है।

लेखापरीक्षा समिति की एमसीएल के वित्तीय और अन्य डेटा / जानकारी तक पहुंच है। समिति द्वारा किए गए अवलोकन की सूचना एमसीएल बोर्ड को दी जाती है। समिति जितनी बार चाहे बैठक कर सकती है लेकिन यह आशा की जाती है कि तिमाही में कम से कम एक बार बैठक अवश्य होगी।

कार्य क्षेत्र

लेखापरीक्षा समिति में निहित कार्य और प्राधिकार का दायरा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधान के अनुसार है जिसे कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाता है।

लेखा परीक्षा समिति की संरचना और बैठक का विवरण:

वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा की छह बैठकें दिनांक 28.04.2023,11.07.2023, 25.07.2023, 20.09.2023, 27.10.2023 तथा 17.01.2024 को हुई, बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रमांक	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	डॉ आशा लाकरा	अध्यक्ष	06	06
2.	श्री संजीव कुमार कस्सी	सदस्य	06	05
3.	श्री डी सी तिवारी	सदस्य	04	04
4.	श्री मुकेश चौधरी	सदस्य	06	06
5.	डॉ राजेश कुमार वर्मा	सदस्य	04	04
6.	श्री जे.के. बोरा	सदस्य	06	04

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में, निदेशक (वित्त) स्थायी आमंत्रित हैं, वित्त, लेखा, लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित मामलों को स्पष्ट करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख और सांविधिक लेखापरीक्षकों को आमंत्रित किया जाता है।

मौजूदा लेखापरीक्षा समिति के अलावा, 2011-12 के दौरान बोर्ड की 134 वीं और 135 वीं बैठक में कंपनी की रणनीतिक और तकनीकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को और मजबूत करने, कॉर्पोरेट प्रशासन का सही ढंग से पालन करने, मानव संसाधन के माध्यम से मूल्यवर्धन और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित उप-समितियों का गठन किया गया है।

ii) तकनीकी उप-समिति:

कार्यक्षेत्र:

एमसीएल बोर्ड के अनुमोदन के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन, निरूपण और सिफारिश।

उप-समिति की संरचना और बैठक का विवरण:

तकनीकी उप समिति की वर्ष के दौरान 29.09.2023 को 01 बार बैठक हुई और बैठकों में भाग लेने वाले

निदेशकों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:-

क्रमांक	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री ओ.पी. सिंह	अध्यक्ष	01	01
2.	श्री जे.के. बोरह	सदस्य	01	01
3.	श्री ए.के. बेहुरा	सदस्य	01	01
4.	श्री ए एस बापट	सदस्य	01	01
5.	श्री केशव राव	सदस्य	01	01

iii) सीएसआर तथा सतत विकास उप समिति (सी.एस.आर. एंड एस.डी.):

कार्यक्षेत्र:

पुनर्गठित समिति का कार्य क्षेत्र और अधिकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार और समय-समय पर एमसीएल बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।

उप-समिति की संरचना और बैठक का विवरण :

वर्ष के दौरान दिनांक 27.05.2023, 21.07.2023, 20.09.2023, 02.10.2023, 25.11.2023, 22.12.2023 12.01.2024, 29.02.2024 तथा 11.03.2024 को सीएसआर एसडी उप-समिति की 10 (दस) बैठकें हुई, जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

क्रमांक	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री केशव राव	अध्यक्ष	10	10
2.	डॉ आशा लाकरा	सदस्य	10	10
3.	श्री जे. के. बोरह	सदस्य	10	09
4.	श्री ए. के. बेहुरा	सदस्य	10	10

iv) जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):

कार्यक्षेत्र :

समिति का कार्यक्षेत्र सीआईएल की नीति और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

उप-समिति की संरचना और बैठक का विवरण:

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन उप-समिति की बैठक 01 (एक) बार हुई जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

क्रमांक	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री जे. के. बोरह निदेशक (संचालन)	अध्यक्ष	01	01
2.	श्री ए एस बापट	सदस्य	01	01
3.	श्री ए. के. बेहुरा	सदस्य	01	01

v) नामांकन एवं पारिश्रामिक समिति :

कार्यक्षेत्र

समिति के पास निहित कार्य और अधिकार का दायरा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार होगा, जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनी को दी गई छूट के अधीन होगा।

उप-समिति की संरचना और बैठक का विवरण:

वर्ष 2023-2024 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

vi) भूविस्थापित मामले के लिए उप-समिति:

कार्यक्षेत्र:

कंपनी द्वारा अपनाई जा रही पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के मौजूदा मानदंडों के अनुसार रोजगार, नकद

मुआवजा आदि के सभी मामलों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।

उप-समिति की संरचना और बैठक का विवरण:

भू-विस्थापित मामलों की उपसमिति की वर्ष में 27(सत्ताईस) बैठकें दिनांक 12.04.2023, 13.05.2023, 17.05.2023,25.05.2023,16.06.2023,29.06.2023,07.07.2023,10.07.2023,16.07.2023,29.07.2023,01.08.2023,11.08.2023,24.08.2023,10.09.2023,23.09.2023, 06.10.2023,20.10.2023,

10.11.2023 ,22.11.2023, 11.12.2023, 15.12.2023, 26.12.2023, 23.01.2024, 03.02.2024, 16.02.2024, 23.02.2024 तथा 05.03.2024 को हुई, जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही :

क्रमांक	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री ओ. पी. सिंह	अध्यक्ष	20	20
2.	श्री उदय ए काओले	अध्यक्ष	06	06
3.	श्री केशव राव	सदस्य	27	27
4.	श्री ए एस बापट	सदस्य	23	23
5.	श्री जे. के. बोरह	सदस्य	27	26
6.	श्री ए. के. बेहुरा	सदस्य	27	26

सांविधिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत, निम्नलिखित लेखापरीक्षा फर्मों को वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक/शाखा लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया।

सांविधिक लेखा परीक्षक:	शाखा लेखा परीक्षक:
1 मेसर्स शिव एंड एसोसिएट्स साखीगोपीनाथ मंदिर के पास,साखीपड़ा सम्बलपुर - 768004, ओड़िशा	2. मेसर्स बी एन मिश्रा एंड कंपनी एस -29, मैत्री विहार, फेज - II टेक महिन्द्रा के सामने, भूबनेश्वर - 751023, ओड़िशा

लेखा परीक्षा का प्रकार	पारिश्रमिक (रु.)	टिप्पणी
वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा	रु.19,41,405.00(जीएसटी सहित) (प्रधान लेखा परीक्षक को रु. 12,03,125.00 और शाखा लेखा परीक्षक को रु. 7,38,280.00)	वास्तविक खर्चे की प्रतिपूर्ति/भुगतान वास्तविक रूप से लेखा परीक्षा शुल्क के 50% तक सीमित है। (प्रधान लेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा शुल्क में एमसीएल के चार अनुषंगियों के साथ खातों के समेकन की समीक्षा के लिए शुल्क शामिल है।)
कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन	रु. 30,000.00	सभी समावेशी।

शेयरधारकों की सामान्य बैठक:

पिछले 03 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की सामान्य बैठक का विवरण निम्नानुसार है:

वार्षिक सामान्य बैठकें:

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2020-21	13.08.2021	प्रात: 10:00 बजे	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर	शून्य
2021-22	13.08.2021	प्रात: 10:00 बजे	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर	शून्य
2022-23	25.07.2022	प्रात: 04:15 बजे	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर	शून्य

विशेष सामान्य बैठक : पिछली तीन वित्तीय वर्ष में आयोजित विशेष सामान्य बैठक का विवरण

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2021-22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2022-23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2023-24	17.10.2023	11.30AM	जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर ओडिशा -768020	01

एमसीएल बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यापार आचरण और आचार संहिता

कंपनी के निदेशक मंडल ने 29 मार्च, 2008 को कोलकाता में आयोजित 94वीं बैठक में निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक आचार संहिता को अपनाया है जिसे कंपनी की वेबसाइट www.mahanadicoal.in पर भी पोस्ट किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) पर रिपोर्ट:

एमसीएल के सभी आंतरिक लेखापरीक्षकों ने एमसीएल की प्रचलित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सभी लेखा परीक्षकों का मत है कि एमसीएल ने सभी भौतिक मामलों में, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (परिचालन नियंत्रण सहित) निर्धारित किए हैं तथा ऐसे नियंत्रण पर्याप्त हैं और वर्ष 2023-24 के दौरान प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

जोखिम प्रबंधन:

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आंकलन एवं नियंत्रण को महत्वव देते हुए पारंपरिक, आंतरिक एवं बाह्य जोखिम पर आवश्यखक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किये जाते हैं। भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, भूमि विस्थापितों की समस्याएं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिन पर प्रबंधन द्वारा लगातार नजर रखी जाती है। कंपनी के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक कारकों जैसे मशीनरी, सुरक्षा, औद्योगिक संबंधों आदि के निवारक रखरखाव को भी उचित महत्व दिया जाता है। एमसीएल में जोखिम प्रबंधन तंत्र के कामकाज की समीक्षा के लिए वर्ष 2011-12 में शीर्ष स्तर पर बोर्ड की एक अलग उप-समिति का गठन किया गया। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एन) की आवश्यकताओं के प्रावधानों के अनुपालन के लिए, उक्त समिति को दिनांक 09.02.2016 को एमसीएल बोर्ड द्वारा "जोखिम प्रबंधन समिति" (आरएमसी) के रूप में नामित किया गया है। एमसीएल में जोखिम प्रबंधन से संबंधित मामलों के समन्वय और अनुपालन के लिए महाप्रबंधक (एस एंड आर), एमसीएल को मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ), एमसीएल के आरएमसी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है।

व्हिसल ब्लोअर नीति :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) एवं (10) और सेबी एलओडीआर विनियम 2015 के विनियम 22 के अनुसार, कंपनी में अवैध और अनैतिक अभ्यासों के संबंध में अपने सरोकारों पर स्वतंत्र रूप से संवाद करने के लिए प्रत्येक कर्मचारियों को सक्षम करने हेतु कंपनी को व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार करनी पड़ी। सीआईएल की नीति के अनुरूप एक नीति बनाई गई है जिसका पालन किया जा रहा है।

इस नीति को 12 अगस्त, 2011 को आयोजित 222वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था और यह सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू है। सेबी (निषेध और अंदरूनी व्यापार) (संशोधन) विनियम 2018 के तहत आवश्यकतानुसार, कंपनी ने नीति को संशोधित किया और संगठन में पारदर्शिता लाने, विश्वास की संस्कृति बनाने और उसे मजबूत करने तथा कर्मचारियों को अनुचित गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए एक ढांचा/प्रक्रिया प्रदान करने के उद्देश्य से इसे 13 अगस्त,

2019 को आयोजित 390वीं बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई। सीआईएल ने निदेशकों और कर्मचारियों को व्हिसल ब्लोअर बनने के लिए प्रोत्साहित करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए थे (निदेशकगण और कर्मचारीगण, जो स्वेच्छा से और गोपनीय रूप से संगठन में अनैतिक व्यवहारों, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी लेनदेन को संगठन और राष्ट्र के व्यापक हित के लिए सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाना चाहते हैं)। इसने उन्हें (व्हिसल ब्लोअर्स) किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए ढांचे के भीतर एक बहुत मजबूत तंत्र भी सुनिश्चित किया है। एतद द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति में प्रवेश से वंचित नहीं किया गया है।

लेखांकन कार्य :

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लागू अनिवार्य लेखांकन मानकों और प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

संचार-साधन :

कंपनी के परिचालन और वित्तीय कार्य निष्पादन को प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों और स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। उपरोक्त के अलावा, वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट में दर्शाये जाते हैं।

लेखा परीक्षा योग्यताएं :

कंपनी का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि वह सम्पूर्ण वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करें। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर वैधानिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब निदेशकों के रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के प्रावधानों के तहत एमसीएल के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ भी संलग्न हैं।

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :

कार्यकारी निदेशक, अपने संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव रखने के कारण, कंपनी के व्यवसाय मॉडल के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफ़ाइल से अवगत होते हैं। अंशकालिक निदेशक कंपनी के व्यवसाय मॉडल से पूरी तरह अवगत हैं। हालांकि, कॉरपोरेट शासन अभ्यास से बेहतर ढंग से परिचित कराने के उद्देश्य से, स्वतंत्र निदेशकों को शीर्ष संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाता है। कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशकों के लिए एक उपयुक्त प्रशिक्षण नीति भी लागू की गई है।

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट शासन का अनुपालन

आपकी कंपनी ने डीपीई द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/14(38)/10-वित्त, दिनांक 28.06.2011 के अनुसार दिशानिर्देशों को लागू किया है और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए उसे सीईओ द्वारा एक प्रमाणपत्र दिया गया है।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2023-24 के लिए कॉरपोरेट शासन में 95 % का वार्षिक अंक हासिल किया है, जो 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग है।

अनुलग्नक-V

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

A. उद्योग संरचना और विकास:

कोयला - ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत:

कोयला ऊर्जा का प्रमुख, स्थायी और विश्वसनीय स्रोत है। वैश्विक रूप से, वर्ष 1950 के बाद से वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए कोयले का उपयोग कम होता जा रहा है, इसका मुख्य कारण है पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे और सस्ते तेल और गैस की उपलब्धता। हालाँकि, भारत में परिदृश्य बिलकुल अलग है, यहां देश के भीतर सीमित तेल के भंडार के साथ कोयला प्रचुर मात्रा में होने एवं आसानी से उपलब्ध होने के कारण बिजली उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है।

कोयला भंडार:

हमारे देश में जीवाश्म संसाधनों का 97% कोयला मौजूद है। 01.04.2023 तक राष्ट्रीय कोयला इन्वेंटरी ने 378.207 बिलियन टन (बीटी) ठोस कोयला संसाधनों को 1200 मीटर की गहराई तक 69 अलग-अलग कोलफील्ड्स में रखा है, विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.	राज्य	कोलफील्ड्स की संख्या	कोयला भंडार (बि.टन)	भारत का %
1	ओड़िशा	2	94.519	24.99
2	झारखंड	12	87.838	23.22
3	छत्तीसगढ़	13	80.774	21.36
4	पश्चिम बंगाल	4	33.933	8.97
5	मध्यप्रदेश	8	32.219	8.52
6	तेलंगाना	1	23.186	6.13
7	महाराष्ट्र	5	13.336	3.53
8	पूर्वोत्तर राज्य	21	1.770	0.47
9	आंध्रप्रदेश	1	4.172	1.10
10	उत्तरप्रदेश	1	1.062	0.28
11	बिहार	1	5.398	1.43
कुल		**69**	**378.207**	**100**

ओडिशा की भंडार स्थिति भारत में प्रथम स्थान पर है। 1 अप्रैल 2023 तक ओडिशा का कुल कोयला भंडार 94.519 बिलियन टन होने का अनुमान है, जो कुल राष्ट्रीय कोयला भंडार का लगभग 24.99% है। ओडिशा के दो कोयला क्षेत्र, अर्थात् तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड एमसीएल के नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत हैं; तालचेर भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र (54.689 बिलियन टन) है और ईब-वैली तीसरा सबसे बड़ा (39.830 बिलियन टन) कोयला क्षेत्र है। 94.519 बिलियन टन कोयला भंडार में से 52.046 बिलियन टन (55.06%) मापित कोयला भंडार है।

ओडिशा के तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स विशाल थर्मल ग्रेड नॉन-कोकिंग कोयला के भंडार हैं, जिनमें सबसे अनुकूल उत्खनन की संभावनाएं हैं। दक्षिणी और पश्चिमी भारत के मौजूदा थर्मल संयंत्रों और आने वाले संयंत्रों के लिए कोयले की मांग बढ़ रही है।

कोयला निष्का्सन और प्रेषण:

वर्ष 2024-25 में एमसीएल ने 225.00 मिलियन टन के कोयला निष्कांसन की योजना बनाई है।

वर्ष 2013-14 से 2022-23 तक पिछले 10 वर्षों में एमसीएल का सेक्टर-वार वास्तविक कोयला निष्कातसन और 2023-24 के लिए अनुमान :

क्षेत्र	वर्ष										(आंकड़े मिलियन टन में)
	2014-15 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक	2023-24 बीई
उर्जा	87.717	91.173	98.550	99.274	102.527	92.679	98.20	127.22	149.028	150.165	166.00
सीमेंट	0.432	0.24	0.257	0.186	0.221	0.206	0.17	0.09	0.115	0.120	0.187
उर्वरक	0.024	0.004	0.00	0.052	0.053	0.000	0.00	0.00	0.00	00	0.000
अन्य	34.828	48.797	44.204	38.750	39.505	41.131	47.64	48.85	43.612	48.734	58.813
कुल	**123.001**	**140.214**	**143.011**	**138.262**	**142.306**	**134.016**	**146.01**	**176.16**	**192.755**	**199.019**	**225.00**

एमसीएल के पिछले 10 वर्षों का मोड-वार वास्तविक कोयला आवाजाही और 2023-24 के लिए अनुमान

ऑफ-टेक माध्यम	वर्ष										(आंकड़े मिलियन टन में)
	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक	2023-24 बीई
उर्जा	81.260	89.079	90.776	89.442	87.384	76.809	96.25	115.6	117.826	116.821	140.320
सीमेंट	25.152	34.515	38.210	34.816	42.780	43.261	33.39	47.4	62.875	71.667	73.000
उर्वरक	15.166	15.231	12.611	12.588	10.567	12.432	15.15	13.2	12.054	10.531	11.680
अन्य	1.423	1.389	1.410	1.416	1.575	1.514	1.21	0.00	00	00	0.000
कुल	**123.001**	**140.214**	**143.007**	**138.262**	**142.306**	**134.016**	**146.01**	**176.2**	**192.755**	**199.019**	**225.000**

कोयले की उपलब्धता:

2012-13 से 2021-22 तक का वास्तविक कोयला उत्पादन और वर्ष 2023-24 के दौरान मौजूदा खदानों, पूर्ण की गई परियोजनाएं एवं एमसीएल में चालू परियोजनाओं का उत्पादन अनुमान नीचे दिया गया है:

परियोजनाएं	वर्ष										(आंकड़े मिलियन टन में)
	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक	2023-24 वास्तविक	2024-25 बीई
मौजूदा खदान	1.127	0.981	0.8936	0.91	0.764	0.751	0.459	0.44	0.38	0.40	0.43
पूर्ण परियोजनाएं	70.906	76.220	77.5699	68.817	59.381	51.872	55.319	60.49	65.96	90.59	61.20
चालू एवं नई परियोजनाएं	49.346	60.70	60.7549	73.331	84.006	87.734	92.232	107.23	126.92	115.11	163.37
कुल	**121.379**	**137.901**	**139.2084**	**143.058**	**144.151**	**140.357**	**148.01**	**168.17**	**193.262**	**206.10**	**225.00**

उत्पादकता :

एमसीएल में कोयला उत्पादन और खुली खदान से ओवरबर्डन निष्काठसन का कार्य संविदात्मक और विभागीय रूप से किया जाता है। कुछ परियोजनाओं में ओबी निष्कारसन को बाहरी ठेका देकर भी किया गया है। एमसीएल की ओएमएस स्थिति इस प्रकार है:

परियोजनाएं	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक	2023-24 वास्तविक	2024-25 बीई
भूमिगत दान	0.77	0.67	0.65	0.74	0.73	0.86	0.60	0.57	0.60	0.71	0.70
खुली खदान	22.11	24.24	25.72	31.52	29.45	26.71	32.30	39.41	40.89	41.27	38.64
कुल	17.10	18.88	20.08	24.22	23.71	22.67	27.15	32.76	35.45	36.65	34.479

<u>स्वॉट विश्लेषण</u>

बल:

- सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों में सबसे बडी कोयला उत्पादक कंपनी।
- कोयला उत्पादन, उत्पादकता और राजस्व के मामले में वृद्धि का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड।
- अच्छी कार्य संस्कृति- कुशल, अनुभवी और समर्पित कार्य बल।
- अन्वेषण और खनन योजना की प्रबल क्षमता।
- ओड़िशा राज्य में कोयला खनन क्षेत्र में खनन संचालन और देश में प्रमुख उपभोक्ताओं की सेवा।
- सीआईएल में एसएपी के कार्यान्वयन के ध्वजवाहक।

कमजोरी:

- भूमिगत खनन संचालन से नुकसान।
- कोयला की निकासी बड़े पैमाने पर बाहरी एजेंसियों पर निर्भर करती है और बढ़ते कोयला क्षेत्रों में निकासी सुविधाओं की कमी है।
- उपलब्ध संसाधनों में निम्न स्तर के कोयले की प्रमुखता ।

अवसर:

- विद्युत उत्पादन के लिए विशेष रूप से देश में कोयले की भारी मांग।
- एमसीएल में कोयला खनन की बड़ी भारी क्षमता।
- उत्तरी भारत में स्थित विद्युत संयंत्र भी एमसीएल से जुड़े हुए हैं।
- रेलवे एवं वाहक।
- मौजूदा 30 एमटीवाई क्षमता को दोगुना करके पारादीप बंदरगाह पर 30 एमटीवाई क्षमता को बढ़ाना
- एफएमसी परियोजना की स्थापना के लिए

- विद्युत उत्पादन में विविधीकरण
- कोयला गैसीकरण और कोयले से रसायनों के लिए संयुक्त उद्यम

चुनौती :

- कोयला के लिए खुली खदान जरूरी है, इस प्रकार अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और इसके परिणामस्वरूप अकुशल कार्यबल (पीडीएफ) का रोजगार भी होता है।
- भूमि अधिग्रहण और फलस्वरूप सामाजिक विस्थापन।
- पुनर्वास और पुन:स्थापना मुद्दे।
- पर्यावरण प्रदूषण के लिए खुली खदान की प्रवणता ।
- कोयला परिवहन में रेलवे की अपर्याप्तता।
- अधिकांश उपभोक्ता कोयला क्षेत्र से दूर हैं अर्थात रेल भाड़े में वृद्धि का मतलब है उपभोक्ताओं के लिए उच्च परिवहन लागत।
- तटीय स्थलों में ताप विद्युत संयंत्र के पास आयातित कोयले का इस्तेमाल करने हेतु विकल्प हैं।
- कैप्टिव खनन/वाणिज्यिक - बाजार में कोयले की बिक्री के लिए राज्य सरकार की कंपनियों, कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ब्लॉक का आवंटन।

B. कार्य निष्पादन:

मुख्य रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है।

C. दृष्टिकोण

सदस्यों को ज्ञात होगा कि वर्तमान में एमसीएल में 78.78 मिलियन टन (समाप्त खदानों की क्षमता सहित) की निर्धारित क्षमता वाली 40 पूर्ण परियोजनाएं हैं, जिनमें से 1.95 मूलियन टन की निर्धारित क्षमता वाली 03 परियोजनाएं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान समाप्त हो चुकी हैं। 362.78 मिलियन टन की निर्धारित क्षमता वाली 11 चालू परियोजनाएं (मार्च 2024 तक) कार्यान्वयन के अधीन हैं। 2023-24 के दौरान इन चालू परियोजनाओं से उत्पादन 115.11 मिलियन टन है।

इब-वैली कोलफील्ड के बसुंधरा क्षेत्र (गोपालपुर ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है) में पर्याप्त क्षमता है, लेकिन एकमात्र बाधा कोयला निकासी व्यवस्था है। कंपनी ने कोयला परिवहन को बढ़ाने के लिए बसुंधरा क्षेत्र (सरडेगा साइडिंग) से झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन तक 52 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पूरी कर ली है। एमसीएल ने बसुंधरा क्षेत्र से कोयला उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ निकासी क्षमता को बढ़ाने के लिए चार आरएलएस और तीन साइलो के साथ बरपाली बल्ब के साथ उपरोक्त रेल लाइन का दोहरीकरण भी शुरू किया है।

इसी तरह, तालचेर कोलफील्ड में, बलराम-अंगुल लिंक रेलवे लाइन का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। इससे अंगुल की ओर से खाली रेल रेकों की एकतरफा आवाजाही की सुविधा होगी और भरी हुई रेकों को तालचेर की ओर से निकाला जाएगा। इससे तालचेर कोलफील्ड की रेक मूवमेंट क्षमता में वृद्धि हुई है, इस प्रकार कोयला निकासी में 20 से 25 मीट्रिक टन की वृद्धि होगी। एमसीएल ने खाली और भरी हुई रेकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए तालचेर कोलफील्ड में आंतरिक स्पर लाइनों के दोहरीकरण का काम भी शुरू किया है।

D. जोखिम और चिंता:

- वानिकी मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में देरी।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन की उच्च लागत
- भूमि विस्थापितों द्वारा निर्धारित मानदंडों से परे रोजगार की मांग के परिणामस्वरूप बार-बार कानून और व्यवस्था की समस्याएं और खनन तथा कोयला परिवहन संचालन में उत्पन्न बाधा।
- एचईएमएम और अन्य वि. एवं यां. मदों की खरीद के लिए लंबा समय।

E. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

F. परिचालन कार्य निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

G. कार्यरत लोगों के साथ मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में भौतिक विकास

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

H. पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी विनिमय संरक्षण।

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

I. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

अनुलग्नक-VI

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। वर्णित है कि यह कार्य उनके द्वारा 20 अप्रैल 2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(a) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक ऑडिट वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं।

A. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (नोट-16)

आकस्मिक देयताएं

अन्य - विविध - भूमि और अन्य: ₹ 29.95 करोड़

इसमें बसुंधरा क्षेत्र के अंतर्गत तुमुलिया और झुपुरुंगा के ग्रामीणों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (आर एंड आर) के तहत एमसीएल के विरुद्ध माननीय दावा आयोग द्वारा दिए गए ₹ 1282.86 करोड़ के अंतर मुआवजे की राशि शामिल नहीं है। एमसीएल अंतिम मुआवजे से सहमत नहीं था और अंतिम मुआवजा रोल पर फिर से विचार करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अक्टूबर 2023 के आदेश के माध्यम से एमसीएल को माननीय उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्देश दिया, जिसके समक्ष मामला अभी विचाराधीन है।

आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों पर भारतीय मानक लेखांकन 37 के पैराग्राफ 10 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें कहा गया है कि आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्टि होगी, जो इकाई के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होती हैं।

इसके परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं में ₹ 1282.86 करोड़ की कमी दर्शाई गई।

माननीय दावा आयोग ने ₹ 1433.95 करोड़ की अतिरिक्त मुआवजा राशि दी है, जिसके विरुद्ध एमसीएल ने अपनी देयता ₹ 151.09 करोड़ निर्धारित की तथा यह राशि (ब्याज सहित) ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष जमा कर दी है ।

A.2 बैलेंस शीट

परिसंपत्तियाँ

अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (नोट-6.2)

प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट रु-2036.68 करोड़

भारतीय मानक लेखांकन -01 के अनुसार किसी इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी को भी समझने के लिए प्रासंगिक हो। इसमें आगे कहा गया है कि किसी इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के बारे में अपनी धारणाओं तथा अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी प्रकट करनी होगी, जिससे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों में महत्वपूर्ण समायोजन होने का जोखिम हो सकता है।

एमसीएल ने 31 मार्च 2024 तक ₹ 2036.68 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्य राशि संचित की है। आईटीसी प्राप्य प्रत्येक वर्ष मुख्य रूप से उल्टे कर संरचना के कारण संचित और बढ़ रहा है। क्योंकि कोयले की बिक्री पर जीएसटी देयता 5 प्रतिशत है जबकि इनपुट पर 5 प्रतिशत से 28 प्रतिशत के बीच अलग-अलग दरों पर कर लगाया जाता है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 09/2022-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13 जुलाई 2022 के माध्यम से आईटीसी पर रिफंड बंद कर दिया है। वर्तमान में, इनपुट सामग्री/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी पर आईटीसी केवल आउटपुट पर जीएसटी के विरुद्ध उपयोग के लिए उपलब्ध है।

इस तथ्य को देखते हुए कि पिछले कुछ वर्षों में आईटीसी प्राप्तियों की राशि में लगातार वृद्धि हो रही थी और प्रत्येक वर्ष इसका उपयोग पिछले वर्षों से आगे ले जाए गए आईटीसी के शेष के साथ जोड़े गए वर्ष के लिए इनपुट टैक्स से कम हो रहा था, भविष्य के वर्षों में परिणामी समायोजन की संभावना अनिश्चित है। हालाँकि, न तो

एमसीएल ने वित्तीय विवरणों के नोट्स में और न ही सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में, उपर्युक्त तथ्यों और इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे ले जाने के लिए उनके स्पष्टीकरण का विस्तार से घोषणा की है, जो कि भारतीय मानक लेखांकन का -01 का उल्लंघन है।

समेकित वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए निर्णय लेने में महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा न करने के परिणामस्वरूप प्रकटीकरण की आवश्यकताओं में कमी आई है।

वर्ष 2022-23 के लिए एमसीएल के वित्तीय विवरणों में इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

A.3 सामग्री लेखांकन नीतियाँ (नोट 2)

स्ट्रिपिंग गतिविधि (नोट 2.20)

एमसीएल की स्ट्रिपिंग गतिविधि पर सामग्री लेखा नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने से अधिक हटाए गए ओवरबर्डन के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा स्ट्रिपिंग गतिविधि से संबंधित लेखांकन नीति में परिवर्तन के अनुसार, अनुपात भिन्नता रिजर्व के शेष को बिना किसी अतिरिक्त वृद्धि के व्यवस्थित रूप से उलट दिया गया (नीति 2.24) और केवल स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों (नीति 2.20) का निर्माण किया गया, सभी अनुषंगी कंपनियों को समान प्रक्रिया नोट के माध्यम से इसका पालन करने के निर्देश दिए गए थे। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के आधार पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को लगातार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1) के तहत 01.04.2022 से परिवर्तन के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है, बजाय इसके कि ऐसी परिसंपत्ति के आंकड़े को स्थिति उत्पन्न होने पर अनुपात भिन्नता के साथ समायोजित करने की मौजूदा नीति के बजाय 2022-23 तक इसका पालन किया गया था। लेखांकन नीति में उपरोक्त परिवर्तन के आधार पर स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के कार्यकाल पर परिशोधित किया जाता है

सामान्य रूप से परिशोधन तीन खाता शीर्षों अर्थात लीजहोल्ड भूमि, अमूर्त संपत्ति और स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति पर लागू होता है। लीजहोल्ड भूमि और अमूर्त संपत्ति के विपरीत, जहां संबंधित परिसंपत्ति के लिए परिशोधन उसी वर्ष में लगाया जाता है, एमसीएल ने इस तर्क पर कि अग्रिम स्ट्रिपिंग से अर्जित होने वाले लाभ केवल अगले वर्ष से ही प्राप्त किए जाएँगे, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को अगले वर्ष में परिशोधित करने का विकल्प चुना। हालाँकि, कंपनी द्वारा परिशोधन के सामान्य अनुप्रयोग से अपनाए गए इस विचलन की घोषणा भौतिक लेखा नीति में नहीं की गई थी। इसके अलावा, उक्त नीति इस तथ्य पर भी मौन थी कि स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के 'संपूर्ण' जीवन या खदान के 'शेष' जीवन पर परिशोधित किया जाएगा।

भारतीय मानक लेखांकन 8: लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां के पैराग्राफ 29 में कहा गया है कि जब लेखांकन नीति में स्वैच्छिक परिवर्तन का वर्तमान अवधि या किसी पूर्व अवधि पर प्रभाव पड़ता है, तो इकाई को (क) लेखांकन नीति में परिवर्तन की प्रकृति की घोषणा करनी होगी : (ख) कारण कि नई लेखांकन नीति को लागू करने से विश्वसनीय और अधिक प्रासंगिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा, भारतीय मानक लेखांकन 1: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के पैराग्राफ 121 में कहा गया है कि इकाई के संचालन की प्रकृति के कारण लेखांकन नीति महत्वपूर्ण हो सकती है।

चूंकि स्ट्रिपिंग गतिविधि कोयला खदान के परिचालन का एक अभिन्न अंग है, इसलिए स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति पर परिशोधन के आधार और विधि के संबंध में प्रकटीकरण तथा इसके कारण, समेकित वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक थी, जो संयोगवश, नीति वक्तव्य में अनुपस्थित था।

इस प्रकार, स्ट्रिपिंग गतिविधि पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.20 पर प्रकटीकरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।

A.4 समेकित बैलेन्स शीट

परिसंपत्तियाँ

गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1)

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों पर भारतीय मानक लेखांकन 37 के पैराग्राफ 16 में कहा गया है कि लगभग सभी मामलों में यह स्पष्ट होगा कि क्या कहीं पिछली घटना ने वर्तमान दायित्व को सृजन तो नहीं किया है । दुर्लभ मामलों में, यह विवादित हो सकता है कि क्या कुछ घटनाएँ घटित हुई हैं या क्या उन घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व उत्पन्न हुआ है। ऐसे मामले में कोई इकाई विशेषज्ञों की राय सहित सभी उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह निर्धारित करती है कि कोई वर्तमान दायित्व मौजूद है या नहीं।

वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण पर भारतीय लेखा मानक I के पैराग्राफ 118 में कहा गया है कि किसी इकाई के लिए वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त मापन आधार या आधारों के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस आधार पर कोई इकाई वित्तीय विवरण तैयार करती है, वह उपयोगकर्ताओं के विश्लेषण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों (मेसर्स रे एंड रे) से एक विशेषज्ञ की राय प्राप्त की (2021), जिसमें यह राय व्यक्त की गई कि पीडीएफ को देय अनुमान राशि के संबंध में विभिन्न शर्तों की पूर्ति के बावजूद ऐसे पीडीएफ से भूमि अधिग्रहण की तिथि पर दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक व्यय के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर एक प्रावधान को मान्यता दी जानी चाहिए।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सरकारी अधिसूचना के माध्यम से कोल बियरिंग एक्ट (सीबीए) 1957 के तहत भूमि का अधिग्रहण किया। एमसीएल ने सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद प्रभावित पक्षों/परिवारों को उपरोक्त अधिसूचित भूमि के संबंध में मुआवज़ा दिया। एमसीएल भूमि के स्वामित्व को हस्तांतरित करने वाली अधिसूचना के आधार पर मुआवज़े का लेखा-जोखा कर रहा है जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान/मुआवज़ा रोल निर्धारित किया गया है और स्वीकृत आदेश के बाद पूंजीकरण समायोजित किया जाएगा।(नोट 3.1.1 देखें) इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और उड़ीसा सरकार भूमि निपटान अधिनियम, 1962 के तहत अधिग्रहित भूमि को राज्य प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित कब्जे के आधार पर पूंजीकृत किया गया है। हालांकि, समूह की कुछ सहायक कंपनियां इस तर्क पर कुल स्वीकृत राशि के विरुद्ध वास्तविक भुगतान के आधार पर मुआवजे का हिसाब लगा रही हैं कि भूमि को 'अधिग्रहण प्रक्रिया' पूरी होने के बाद ही परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जा सकता है।

राय होने के बावजूद, सीआईएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों ने न तो कोई समान लेखांकन नीति तैयार की है और न ही इस बारे में कोई समान प्रकटीकरण किया है कि "भूमि अधिग्रहण" क्या है और भूमि का पूंजीकरण कब किया जाए और मुआवजे के भुगतान के लिए देयता कब बनाई जाए। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों में देयता की मान्यता और भूमि के लेखांकन के लिए समूह की अनुषंगी कंपनियों के बीच अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस प्रकार, समूह की अनुषंगी कंपनियों के बीच उपरोक्त के संबंध में असंगतता है।

इस प्रकार, मुआवजे के प्रति दायित्व के लेखांकन के संबंध में लेखांकन नीति के साथ-साथ प्रकटीकरण भी उपरोक्त सीमा तक अपूर्ण है।

कृते और की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(बिभुदत्त बसंतिया)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
Dated: 27 जून 2024

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

क्र.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
A-1.	**प्रकटीकरण पर टिप्पणी** **वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त नोट्स (नोट-16)** **आकस्मिक देयताएं** **अन्य-मिश्रित-भूमि एवं अन्य ₹ 29.95 करोड़** इसमें एमसीएल के बसुंधरा क्षेत्र के अंतर्गत तुमुलिया और झुपुरुंगा के ग्रामीणों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (आर एंड आर) के तहत माननीय दावा आयोग द्वारा दिए गए 1282.86 करोड़ रुपये की अंतर मुआवजा राशि शामिल नहीं है। एमसीएल अंतिम मुआवजे से सहमत नहीं था और अंतिम मुआवजा रोल पर दोबारा विचार करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10 अक्टूबर 2023 के आदेश द्वारा एमसीएल को माननीय उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्देश दिया, जिसके समक्ष मामला वर्तमान में विचाराधीन है। प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों पर भारतीय मानक लेखांकन 37 के पैराग्राफ 10 का संदर्भ आमंत्रित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आकस्मिक देनदारी एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल घटित होने या न होने से ही होती है। एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएँ जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं **इसके परिणामस्वरूप आकस्मिक देनदारियों को ₹1282.86 करोड़ कम बताया गया।** माननीय दावा आयोग ने ₹1433.95 करोड़ की अतिरिक्त मुआवजा राशि प्रदान की, जिसके विरुद्ध एमसीएल ने ₹151.09 करोड़ पर अपनी देनदारी निकाली और यह राशि (ब्याज सहित) ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष जमा कर दी।	आरएफटीसीएलएआर अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजे की प्रयोज्यता और भुगतान के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, दावा आयोग ने ₹1433.95 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा जमा किया है। दावा आयोग द्वारा तैयार मुआवजे की गणना की समीक्षा करने पर, एक बुनियादी त्रुटि सामने आई, अर्थात उक्त मुआवजे की गणना में सोलेटियम और ब्याज कारकों के दो गुना प्रभाव पर विचार किया गया है। दूसरी ओर, एमसीएल ने आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, सोलेशियम और ब्याज के एकल प्रभाव के साथ मुआवजे की राशि की गणना की। दो गांवों का कुल मुआवजा ₹ 813.03 करोड़ और तुमुलिया गांव और झुपुरुंगा के लिए ₹ 711.63 करोड़ निकला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.10.2023 में एमसीएल को उच्च न्यायालय, ओडिशा में अपील करने निर्देश दिया और यह भी निर्देश दिया कि जमा राशि को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तदनुसार, एमसीएल ने उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है और नामित बैंक खाते में ₹153.71 करोड़ की राशि जमा की है। आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों पर विचार करते हुए एमसीएल द्वारा गणना की गई क्षतिपूर्ति को पहले ही खाते की पुस्तकों में पूंजीकृत किया जा चुका है। भारतीय मानक लेखांकन 37 के पैरा 86 के अनुसार, "जब तक निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं है, एक इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकस्मिक दायित्व के प्रत्येक वर्ग के लिए घोषणा करनी होगी "। दावा आयोग द्वारा की गई गणना की पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन का मानना है कि बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ है और तदनुसार इंडस्ट्रीज़ 37 के पैरा 86 के अनुसार, वित्तीय विवरणों में आकस्मिक दायित्व के तहत इसकी घोषणा नहीं की गई है । उच्च न्यायालय में लंबित मामले के नतीजे के आधार पर, बाद के वित्तीय विवरणों में आवश्यक लेखांकन प्रविष्टि या प्रकटीकरण किया जाएगा।

क्र.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाव
क-2.	**तुलन पत्र** **संपत्तियां** **अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ (नोट-6.2)** **इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य: ₹ 2036.68 करोड़** भारतीय मानक लेखांकन 01 के अनुसार,एक इकाई को वह जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है,लेकिन समझ के लिए प्रासंगिक हो। इसमें आगे कहा गया है कि एक इकाई को भविष्य के बारे में अपनी धारणाओं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान, अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के जानकारी की घोषणा करनी होगी, जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर संपत्तियों और देनदारियों का वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन हो सकता है। 31 मार्च 2024 तक एमसीएल के पास 2036.68 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त होने योग्य है। आईटीसी प्राप्य प्रत्येक वर्ष, मुख्य रूप से उल्टे कर ढांचे के कारण, संचित और बढ़ रहा है, क्योंकि कोयले की बिक्री पर जीएसटी देयता 5 प्रतिशत है जबकि इनपुट पर 5 प्रतिशत से 28 प्रतिशत के बीच अलग-अलग दरों पर कर लगाया जाता है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 09/2022-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13 जुलाई 2022 के माध्यम से आईटीसी पर रिफंड बंद कर दिया है, और वर्तमान में, इनपुट सामग्री/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी पर आईटीसी केवल आउटपुट पर जीएसटी के उपयोग के लिए उपलब्ध है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्राप्य आईटीसी की राशि पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रही थी और प्रत्येक वर्ष इसका उपयोग पिछले वर्षों से आगे बढ़ाए गए आईटीसी के शेष के साथ जोड़े गए वर्ष के लिए क्रेडिट किए गए इनपुट टैक्स से कम हो रहा था, संभावना भविष्य के वर्षों में परिणामी समायोजन का पता नहीं चल सका है। हालाँकि, न तो एमसीएल ने वित्तीय विवरणों के नोट्स में, न ही वैधानिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में, इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे बढ़ाने के लिए उपर्युक्त तथ्यों और उनके स्पष्टीकरणों का विस्तार से खुलासा किया है, जो कि भारतीय मानक लेखांकन -01 का उल्लंघन है। उन तथ्यों का खुलासा न करने के कारण जो वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं की जानकारीपूर्ण निर्णय लेने में समझ का अभिन्न अंग हैं, परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी हुई। **वर्ष 2022-23 के लिए एमसीएल के वित्तीय विवरणों में इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।**	वित्त वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी के अनुसार, नोट संख्या 6.2.4, कंपनी ने घोषणा की है कि ₹2037.25 करोड़ की संचित राशि इनपुट सामग्री/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिनिधित्व करती है जिसका उपयोग आउटपुट पर जीएसटी के खिलाफ किया जा सकता है। यह संचय उल्टे कर ढांचे के परिणामस्वरूप हुआ है। यह तथ्य वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से प्रकट किया गया है। जीएसटी क्रेडिट का उपयोग पुस्तकों में पड़े कुल प्राप्त जीएसटी आईटीसी शेष से किया जाता है। प्राप्त आईटीसी को आगे बढ़ाने के लिए न तो कोई समय सीमा है और न ही प्राप्त आईटीसी के तत्काल उपयोग पर कोई प्रतिबंध है। कंपनी को उम्मीद है कि भविष्य में जीएसटी दर के युक्तिकरण, नए व्यावसायिक विकास, जिसमें उलटा शुल्क ढांचा नहीं होगा, जैसे कारकों में बदलाव के कारण संभावित उपयोग के लिए परिसंपत्ति प्राप्त होगी। इसलिए आईटीसी के उपयोग में कोई अनिश्चितता नहीं है, और वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक प्रकटीकरण पहले से ही मौजूद है। हालाँकि, पूरक ऑडिट में दिए गए अवलोकन का अनुपालन करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 और उसके बाद से मामले को विस्तृत प्रकटीकरण के लिए सीआईएल को भेजा जाएगा।

क्र.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाव
क-3	**सामग्री लेखांकन नीति (नोट 2)** **स्ट्रिपिंग गतिविधि (नोट 2.20)** एमसीएल की स्ट्रिपिंग गतिविधि पर सामग्री लेखांकन नीति, अन्य बातों के साथ, उल्लेख करती है कि जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने पर हटाए गए अतिरिक्त ओवरबर्डन की स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति का परिशोधन खदान के जीवनकाल के दौरान किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा स्ट्रिपिंग गतिविधि से संबंधित लेखांकन नीति में बदलाव के अनुसार, बिना किसी अतिरिक्त वृद्धि (नीति 2.24) के अनुपात भिन्नता रिजर्व के संतुलन को व्यवस्थित रूप से उलटना, और केवल स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों (नीति 2.20) का निर्माण करना,सभी सहायक कंपनियों को समान प्रक्रिया नोट्स के माध्यम से इसका पालन करने का निर्देश दिया गया था। लेखांकन नीति में इस बदलाव के आधार पर, स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट से लगातार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1) के अंतर्गत प्रदर्शित किया जा रहा है। दिनांक 01.04.2022 से परिवर्तन के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, ऐसी परिसंपत्ति के आंकड़े को स्थिति उत्पन्न होने पर अनुपात भिन्नता के साथ समायोजित करने की मौजूदा नीति के बजाय, जिसका पालन 2022-23 तक किया गया था। लेखांकन नीति में उपरोक्त परिवर्तन के आधार पर वाक्य 'स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट को खदान के जीवन पर परिशोधित किया जाता है' भी शामिल किया गया है। आम तौर पर, परिशोधन तीन खाता शीर्षों पर लागू होता है, अर्थात, लीजहोल्ड भूमि, अमूर्त संपत्ति और स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति। लीजहोल्ड भूमि और अमूर्त संपत्ति के विपरीत, जहां संबंधित परिसंपत्ति के लिए परिशोधन उसी वर्ष में लगाया जाता है, एमसीएल ने स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को अगले वर्ष में परिशोधित करने का विकल्प चुना, इस तर्क पर कि अग्रिम स्ट्रिपिंग से अर्जित होने वाले लाभ केवल अगले वर्ष से ही प्राप्त किए जाएँगे। हालाँकि, कंपनी द्वारा परिशोधन के सामान्य अनुप्रयोग से अपनाया गया यह विचलन भौतिक लेखा नीति में प्रकट नहीं किया गया है। इसके अलावा, उक्त नीति इस तथ्य पर भी मौन थी कि स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के 'संपूर्ण' जीवन या खदान के 'शेष' कार्यकाल पर परिशोधित किया जाएगा। भारतीय लेखा मानक 8: लेखा नीतियां, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां के पैराग्राफ 29 में कहा गया है कि जब लेखा नीति में स्वैच्छिक परिवर्तन का वर्तमान अवधि या किसी पिछली अवधि पर प्रभाव पड़ता है, तो इकाई को (ए) लेखा नीति में परिवर्तन की प्रकृति, (बी) नई लेखा नीति को लागू करने के कारण विश्वसनीय और अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने की घोषणा करनी होगी । इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक 1: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के पैराग्राफ 121 में कहा गया है कि इकाई के संचालन की प्रकृति के कारण लेखा नीति महत्वपूर्ण हो सकती है। स्ट्रिपिंग गतिविधि कोयला खदान के संचालन का एक अभिन्न अंग है, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति पर परिशोधन के आधार और विधि के बारे में कारणों के साथ खुलासा करना वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक था, जो संयोगवश, नीति वक्तव्य में अनुपस्थित था। इस प्रकार, स्ट्रिपिंग गतिविधि पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.20 पर प्रकटीकरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।	भारतीय मानक लेखांकन 16 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' के परिशिष्ट B के पैरा 15 के अनुसार, 'स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट को अयस्क निकाय के पहचाने गए घटक के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर मूल्यह्रास या परिशोधन किया जाएगा। स्ट्रिपिंग गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हो जाता हैं | कंपनी की लेखांकन नीति में कहा गया है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति का परिशोधन खदान के जीवनकाल के दौरान किया जाता है। यह निहित है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को अयस्क निकाय के पहचाने गए घटक के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाएगा जो स्ट्रिपिंग गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हो जाता है। इसके अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों का मूल्यह्रास/परिशोधन विभिन्न नीतियों द्वारा शामिल किया जाता है। उपरोक्त नीति अन्य खनन कंपनियों के लिए भी समान है जो भारतीय लेखा मानक या आईएफआरएस का अनुपालन करती हैं। हालाँकि, पूरक ऑडिट में दिए गए अवलोकन का अनुपालन करने के लिए, अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 और उसके बाद से स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति के परिशोधन की नीति की समीक्षा और संशोधन करने के लिए मामले को सीआईएल को भेजा जाएगा।

क्र.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
क-4	**तुलन पत्र** **संपत्तियां** **गैर- तात्कालिक परिसंपत्ति** **संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण (नोट-3.1)** प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों पर भारतीय लेखा मानक 37 के पैराग्राफ 16 में कहा गया है कि लगभग सभी मामलों में यह स्पष्ट होगा कि क्या किसी पिछली घटना ने वर्तमान दायित्व को जन्म दिया है। दुर्लभ मामलों में या तो इस पर विवाद हो सकता है कि क्या कुछ घटनाएँ घटित हुई हैं या क्या उन घटनाओं का परिणाम स्वरूप कोई दायित्व उत्पन्न हुआ हैं । ऐसे मामले में, एक इकाई विशेषज्ञों की राय सहित सभी उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करती है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कोई वर्तमान दायित्व मौजूद है या नहीं। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर भारतीय लेखा मानक 1 के पैराग्राफ 118 में कहा गया है कि एक इकाई के लिए उपयोगकर्ताओं को वित्तीय विवरणों में उपयोग किए गए माप आधार या आधारों के बारे में सूचित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस आधार पर एक इकाई वित्तीय विवरण तैयार करती है वह उपयोगकर्ताओं के विश्लेषण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 2021 को अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों (मैसर्स रे एंड रे) से एक विशेषज्ञ की राय प्राप्त कि जिसमें पीडीएफ को देय अनुमान राशि के संबंध में यह राय दी गई कि विभिन्न शर्तों की पूर्ति के बावजूद ऐसे पीडीएफ से भूमि अधिग्रहण की तारीख पर दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक व्यय के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर एक प्रावधान को मान्यता दी जानी चाहिए। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने एक सरकारी अधिसूचना के माध्यम से कोयला असर अधिनियम (सीबीए) 1957 के तहत भूमि का अधिग्रहण किया। एमसीएल ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के बाद, प्रभावित पक्षों/परिवारों को उपरोक्त अधिसूचित भूमि के संबंध में मुआवजे का भुगतान किया। एमसीएल (नोट 3.1.1 के माध्यम से) भूमि के स्वामित्व को हस्तांतरित करने वाली अधिसूचना के आधार पर मुआवजे का हिसाब-किताब कर रहा है, जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान/मुआवजा रोल निर्धारित किया गया है और स्वीकृत आदेश के बाद पूंजीकरण को समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और उड़ीसा सरकार भूमि निपटान अधिनियम, 1962 के तहत अर्जित भूमि को राज्य अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कब्जे के आधार पर पूंजीकृत किया गया है। हालाँकि, समूह की कुछ सहायक कंपनियाँ इस दलील पर कुल स्वीकृत राशि के विरुद्ध वास्तविक भुगतान के आधार पर मुआवजे का हिसाब लगा रही हैं कि भूमि को 'अधिग्रहण प्रक्रिया' पूरी होने के बाद ही संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जा सकता है। राय होने के बावजूद, सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों ने न तो कोई समान लेखांकन नीति बनाई है और न ही कोई समान घोषणा की है कि "भूमि अधिग्रहण" क्या है और भूमि का पूंजीकरण कब करना है और मुआवजे के भुगतान के लिए दायित्व बनाना है। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों में देनदारी की पहचान और भूमि के लेखांकन के लिए समूह की सहायक कंपनियों के बीच विविध दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस प्रकार, समूह की सहायक कंपनियों के बीच उपरोक्त के संबंध में असंगतता है। इस प्रकार, लेखांकन नीति के साथ-साथ मुआवजे के प्रति दायित्व के लेखांकन उपचार के संबंध में प्रकटीकरण उपरोक्त सीमा तक कम है।	कंपनी ने कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के पूंजीकरण के संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भारतीय लेखा मानक 16 के अंतर्गत एकसमान सामग्री लेखांकन नीति, साथ ही प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों के लिए भारतीय लेखा मानक 37 को लगातार लागू किया है। नोट 3.1.1 में लेखांकन उपचार का भी स्पष्ट रूप से खुलासा किया गया है, "कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अर्जित भूमि को भूमि के स्वामित्व को स्थानांतरित करने वाली अधिसूचना के आधार पर पूंजीकृत किया गया है जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान/मुआवजा रोल निर्धारित किया गया है और पूंजीकरण मंजूरी आदेश के बाद समायोजित किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, उड़ीसा सरकार भूमि बंदोबस्त अधिनियम 1962 के तहत अर्जित भूमि का पूंजीकरण राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित कब्जे के आधार पर किया गया है। तदनुसार, मुआवजे के लिए दायित्वों के उपचार से संबंधित लेखांकन नीति और प्रकटीकरण लागू भारतीय मानक लेखांकन मानकों के अनुपालन में हैं। अन्य सहायक कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियों और संबंधित देनदारियों को पहचानने के लिए अपनाए गए विविध दृष्टिकोण से संबंधित मुद्दे को समीक्षा के लिए और यदि आवश्यक हो, तो एकरूपता के लिए निर्देश जारी करने के लिए सीआईएल मुख्यालय को भेजा जाएगा।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। वर्णित है कि यह कार्य उनके द्वारा 20 अप्रैल 2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(a) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक ऑडिट वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं।

A. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

A.l समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (नोट-16)

आकस्मिक देयताएं

अन्य - विविध - भूमि और अन्य: ₹ 29.95 करोड़

इसमें बसुंधरा क्षेत्र के अंतर्गत तुमुलिया और झुपुरुंगा के ग्रामीणों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (आर एंड आर) के तहत एमसीएल के विरुद्ध माननीय दावा आयोग द्वारा दिए गए ₹ 1282.86 करोड़ के अंतर मुआवजे की राशि शामिल नहीं है। एमसीएल अंतिम मुआवजे से सहमत नहीं था और अंतिम मुआवजा रोल पर फिर से विचार करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अक्टूबर 2023 के आदेश के माध्यम से एमसीएल को माननीय उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्देश दिया, जिसके समक्ष मामला अभी विचाराधीन है।

आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों पर भारतीय मानक लेखांकन 37 के पैराग्राफ 10 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें कहा गया है कि आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्टि होगी, जो इकाई के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होती हैं।

इसके परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं में ₹ 1282.86 करोड़ की कमी दर्शाई गई।

माननीय दावा आयोग ने ₹ 1433.95 करोड़ की अतिरिक्त मुआवजा राशि दी है, जिसके विरुद्ध एमसीएल ने अपनी देयता ₹ 151.09 करोड़ निर्धारित की तथा यह राशि (ब्याज सहित) ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष जमा कर दी है ।

A.2 बैलेंस शीट

परिसंपत्तियाँ

अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (नोट-6.2)

प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट रु-2036.68 करोड़

भारतीय मानक लेखांकन -01 के अनुसार किसी इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी को भी समझने के लिए प्रासंगिक हो। इसमें आगे कहा गया है कि किसी इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के बारे में अपनी धारणाओं तथा अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी प्रकट करनी होगी, जिससे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों में महत्वपूर्ण समायोजन होने का जोखिम हो सकता है।

एमसीएल ने 31 मार्च 2024 तक ₹ 2036.68 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्य राशि संचित की है। आईटीसी प्राप्य प्रत्येक वर्ष मुख्य रूप से उल्टे कर संरचना के कारण संचित और बढ़ रहा है। क्योंकि कोयले की बिक्री पर जीएसटी देयता 5 प्रतिशत है जबकि इनपुट पर 5 प्रतिशत से 28 प्रतिशत के बीच अलग-अलग दरों पर कर लगाया जाता है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 09/2022-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13 जुलाई 2022 के माध्यम से आईटीसी पर रिफंड बंद कर दिया है। वर्तमान में, इनपुट सामग्री/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी पर आईटीसी केवल आउटपुट पर जीएसटी के विरुद्ध उपयोग के लिए उपलब्ध है।

इस तथ्य को देखते हुए कि पिछले कुछ वर्षों में आईटीसी प्राप्तियों की राशि में लगातार वृद्धि हो रही थी और प्रत्येक वर्ष इसका उपयोग पिछले वर्षों से आगे ले जाए गए आईटीसी के शेष के साथ जोड़े गए वर्ष के लिए इनपुट टैक्स से कम हो रहा था, भविष्य के वर्षों में परिणामी समायोजन की संभावना अनिश्चित है। हालाँकि, न तो एमसीएल ने वित्तीय विवरणों के नोट्स में और न ही सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में, उपर्युक्त तथ्यों और इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे ले जाने के लिए उनके स्पष्टीकरण का विस्तार से घोषणा की है, जो कि भारतीय मानक लेखांकन का -01 का उल्लंघन है।

समेकित वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए निर्णय लेने में महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा न करने के परिणामस्वरूप प्रकटीकरण की आवश्यकताओं में कमी आई है।

वर्ष 2022-23 के लिए एमसीएल के वित्तीय विवरणों में इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

A.3 सामग्री लेखांकन नीतियाँ (नोट 2)
स्ट्रिपिंग गतिविधि (नोट 2.20)

एमसीएल की स्ट्रिपिंग गतिविधि पर सामग्री लेखा नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने से अधिक हटाए गए ओवरबर्डन के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा स्ट्रिपिंग गतिविधि से संबंधित लेखांकन नीति में परिवर्तन के अनुसार, अनुपात भिन्नता रिजर्व के शेष को बिना किसी अतिरिक्त वृद्धि के व्यवस्थित रूप से उलट दिया गया (नीति 2.24) और केवल स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों (नीति 2.20) का निर्माण किया गया, सभी अनुषंगी कंपनियों को समान प्रक्रिया नोट के माध्यम से इसका पालन करने के निर्देश दिए गए थे। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के आधार पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को लगातार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1) के तहत 01.04.2022 से परिवर्तन के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है, बजाय इसके कि ऐसी परिसंपत्ति के आंकड़े को स्थिति उत्पन्न होने पर अनुपात भिन्नता के साथ समायोजित करने की मौजूदा नीति के बजाय 2022-23 तक इसका पालन किया गया था। लेखांकन नीति में उपरोक्त परिवर्तन के आधार पर स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के कार्यकाल पर परिशोधित किया जाता है

सामान्य रूप से परिशोधन तीन खाता शीर्षों अर्थात लीजहोल्ड भूमि, अमूर्त संपत्ति और स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति पर लागू होता है। लीजहोल्ड भूमि और अमूर्त संपत्ति के विपरीत, जहां संबंधित परिसंपत्ति के लिए परिशोधन उसी वर्ष में लगाया जाता है, एमसीएल ने इस तर्क पर कि अग्रिम स्ट्रिपिंग से अर्जित होने वाले लाभ केवल अगले वर्ष से ही प्राप्त किए जाएँगे, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को अगले वर्ष में परिशोधित करने का विकल्प चुना। हालाँकि, कंपनी द्वारा परिशोधन के सामान्य अनुप्रयोग से अपनाए गए इस विचलन की घोषणा भौतिक लेखा नीति में नहीं की गई थी। इसके अलावा, उक्त नीति इस तथ्य पर भी मौन थी कि स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के 'संपूर्ण' जीवन या खदान के 'शेष' जीवन पर परिशोधित किया जाएगा।

भारतीय मानक लेखांकन 8: लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां के पैराग्राफ 29 में कहा गया है कि जब लेखांकन नीति में स्वैच्छिक परिवर्तन का वर्तमान अवधि या किसी पूर्व अवधि पर प्रभाव पड़ता है, तो इकाई को (क) लेखांकन नीति में परिवर्तन की प्रकृति की घोषणा करनी होगी : (ख) कारण कि नई लेखांकन नीति को लागू करने से विश्वसनीय और अधिक प्रासंगिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा, भारतीय मानक लेखांकन 1: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के पैराग्राफ 121 में कहा गया है कि इकाई के संचालन की प्रकृति के कारण लेखांकन नीति महत्वपूर्ण हो सकती है।

चूंकि स्ट्रिपिंग गतिविधि कोयला खदान के परिचालन का एक अभिन्न अंग है, इसलिए स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति पर परिशोधन के आधार और विधि के संबंध में प्रकटीकरण तथा इसके कारण, समेकित वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक थी, जो संयोगवश, नीति वक्तव्य में अनुपस्थित था।

इस प्रकार, स्ट्रिपिंग गतिविधि पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.20 पर प्रकटीकरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।

A.4 समेकित बैलेन्स शीट
परिसंपत्तियाँ
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1)

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों पर भारतीय मानक लेखांकन 37 के पैराग्राफ 16 में कहा गया है कि लगभग सभी मामलों में यह स्पष्ट होगा कि क्या कहीं पिछली घटना ने वर्तमान दायित्व को सृजन तो नहीं किया है । दुर्लभ मामलों में, यह विवादित हो सकता है कि क्या कुछ घटनाएँ घटित हुई हैं या क्या उन घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व उत्पन्न हुआ है। ऐसे मामले में कोई इकाई विशेषज्ञों की राय सहित सभी उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह निर्धारित करती है कि कोई वर्तमान दायित्व मौजूद है या नहीं।

वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण पर भारतीय लेखा मानक I के पैराग्राफ 118 में कहा गया है कि किसी इकाई के लिए वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त मापन आधार या आधारों के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस आधार पर कोई इकाई वित्तीय विवरण तैयार करती है, वह उपयोगकर्ताओं के विश्लेषण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों (मेसर्स रे एंड रे) से एक विशेषज्ञ की राय प्राप्त की (2021), जिसमें यह राय व्यक्त की गई कि पीडीएफ को देय अनुमान राशि के संबंध में विभिन्न शर्तों की पूर्ति के बावजूद ऐसे पीडीएफ से भूमि अधिग्रहण की तिथि पर दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक व्यय के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर एक प्रावधान को मान्यता दी जानी चाहिए।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सरकारी अधिसूचना के माध्यम से कोल बियरिंग एक्ट (सीबीए) 1957 के तहत भूमि का अधिग्रहण किया। एमसीएल ने सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद प्रभावित पक्षों/परिवारों को उपरोक्त अधिसूचित भूमि के संबंध में मुआवज़ा दिया। एमसीएल भूमि के स्वामित्व को हस्तांतरित करने वाली अधिसूचना के आधार पर मुआवज़े का लेखा-जोखा कर रहा है जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान/मुआवज़ा रोल निर्धारित किया गया है और स्वीकृत आदेश के बाद पूंजीकरण समायोजित किया जाएगा।(नोट 3.1.1 देखें) इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और उड़ीसा सरकार भूमि निपटान अधिनियम, 1962 के तहत अधिग्रहित भूमि को राज्य प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित कब्जे के आधार पर पूंजीकृत किया गया है। हालांकि, समूह की कुछ सहायक कंपनियां

इस तर्क पर कुल स्वीकृत राशि के विरुद्ध वास्तविक भुगतान के आधार पर मुआवजे का हिसाब लगा रही हैं कि भूमि को 'अधिग्रहण प्रक्रिया' पूरी होने के बाद ही परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जा सकता है।

राय होने के बावजूद, सीआईएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों ने न तो कोई समान लेखांकन नीति तैयार की है और न ही इस बारे में कोई समान प्रकटीकरण किया है कि "भूमि अधिग्रहण" क्या है और भूमि का पूंजीकरण कब किया जाए और मुआवजे के भुगतान के लिए देयता कब बनाई जाए। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों में देयता की मान्यता और भूमि के लेखांकन के लिए समूह की अनुषंगी कंपनियों के बीच अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस प्रकार, समूह की अनुषंगी कंपनियों के बीच उपरोक्त के संबंध में असंगतता है।

इस प्रकार, मुआवजे के प्रति दायित्व के लेखांकन के संबंध में लेखांकन नीति के साथ-साथ प्रकटीकरण भी उपरोक्त सीमा तक अपूर्ण है।

कृते और की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(बिभुदत्त बसंतिया)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
Dated: 27 जून 2024

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

क्र.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाव
क-1.	प्रकटीकरण पर टिप्पणी वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त नोट्स (नोट-16) आकस्मिक देयताएं अन्य-मिश्रित-भूमि एवं अन्य ₹ 29.95 करोड़ इसमें एमसीएल के बसुंधरा क्षेत्र के अंतर्गत तुमुलिया और झुपुरुंगा के ग्रामीणों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (आर एंड आर) के तहत माननीय दावा आयोग द्वारा दिए गए 1282.86 करोड़ रुपये की अंतर मुआवजा राशि शामिल नहीं है। एमसीएल अंतिम मुआवजे से सहमत नहीं था और अंतिम मुआवजा रोल पर दोबारा विचार करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10 अक्टूबर 2023 के आदेश द्वारा एमसीएल को माननीय उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्देश दिया, जिसके समक्ष मामला वर्तमान में विचाराधीन है। प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों पर भारतीय मानक लेखांकन 37 के पैराग्राफ 10 का संदर्भ आमंत्रित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आकस्मिक देनदारी एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल घटित होने या न होने से ही होती है। एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएँ जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं इसके परिणामस्वरूप आकस्मिक देनदारियों को ₹1282.86 करोड़ कम बताया गया। माननीय दावा आयोग ने ₹1433.95 करोड़ की अतिरिक्त मुआवजा राशि प्रदान की, जिसके विरुद्ध एमसीएल ने ₹151.09 करोड़ पर अपनी देनदारी निकाली और यह राशि (ब्याज सहित) ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष जमा कर दी।	आरएफटीसीएलएआर अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजे की प्रयोज्यता और भुगतान के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, दावा आयोग ने ₹1433.95 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा जमा किया है। दावा आयोग द्वारा तैयार मुआवजे की गणना की समीक्षा करने पर, एक बुनियादी त्रुटि सामने आई, अर्थात उक्त मुआवजे की गणना में सोलेटियम और ब्याज कारकों के दो गुना प्रभाव पर विचार किया गया है। दूसरी ओर, एमसीएल ने आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, सोलेशियम और ब्याज के एकल प्रभाव के साथ मुआवजे की राशि की गणना की। दो गांवों का कुल मुआवजा ₹ 813.03 करोड़ और तुमुलिया गांव और झुपुरुंगा के लिए ₹ 711.63 करोड़ निकला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.10.2023 में एमसीएल को उच्च न्यायालय, ओडिशा में अपील करने निर्देश दिया और यह भी निर्देश दिया कि जमा राशि को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तदनुसार, एमसीएल ने उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है और नामित बैंक खाते में ₹153.71 करोड़ की राशि जमा की है। आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों पर विचार करते हुए एमसीएल द्वारा गणना की गई क्षतिपूर्ति को पहले ही खाते की पुस्तकों में पूंजीकृत किया जा चुका है। भारतीय मानक लेखांकन 37 के पैरा 86 के अनुसार, "जब तक निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं है, एक इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकस्मिक दायित्व के प्रत्येक वर्ग के लिए घोषणा करनी होगी "। दावा आयोग द्वारा की गई गणना की पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन का मानना है कि बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ है और तदनुसार इंडस्ट्रीज़ 37 के पैरा 86 के अनुसार, वित्तीय विवरणों में आकस्मिक दायित्व के तहत इसकी घोषणा नहीं की गई है । उच्च न्यायालय में लंबित मामले के नतीजे के आधार पर, बाद के वित्तीय विवरणों में आवश्यक लेखांकन प्रविष्टि या प्रकटीकरण किया जाएगा।

क-2.	तुलन पत्र संपत्तियां अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ (नोट-6.2) इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य: ₹ 2036.68 करोड़ भारतीय मानक लेखांकन 01 के अनुसार,एक इकाई को वह जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है,लेकिन समझ के लिए प्रासंगिक हो। इसमें आगे कहा गया है कि एक इकाई को भविष्य के बारे में अपनी धारणाओं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान, अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के जानकारी की घोषणा करनी होगी, जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर संपत्तियों और देनदारियों का वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन हो सकता है। 31 मार्च 2024 तक एमसीएल के पास 2036.68 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त होने योग्य है। आईटीसी प्राप्य प्रत्येक वर्ष, मुख्य रूप से उल्टे कर ढांचे के कारण, संचित और बढ़ रहा है, क्योंकि कोयले की बिक्री पर जीएसटी देयता 5 प्रतिशत है जबकि इनपुट पर 5 प्रतिशत से 28 प्रतिशत के बीच अलग-अलग दरों पर कर लगाया जाता है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 09/2022-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13 जुलाई 2022 के माध्यम से आईटीसी पर रिफंड बंद कर दिया है, और वर्तमान में, इनपुट सामग्री/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी पर आईटीसी केवल आउटपुट पर जीएसटी के उपयोग के लिए उपलब्ध है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्राप्य आईटीसी की राशि पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रही थी और प्रत्येक वर्ष इसका उपयोग पिछले वर्षों से आगे बढ़ाए गए आईटीसी के शेष के साथ जोड़े गए वर्ष के लिए क्रेडिट किए गए इनपुट टैक्स से कम हो रहा था, संभावना भविष्य के वर्षों में परिणामी समायोजन का पता नहीं चल सका है। हालाँकि, न तो एमसीएल ने वित्तीय विवरणों के नोट्स में, न ही वैधानिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में, इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे बढ़ाने के लिए उपर्युक्त तथ्यों और उनके स्पष्टीकरणों का विस्तार से खुलासा किया है, जो कि भारतीय मानक लेखांकन -01 का उल्लंघन है। उन तथ्यों का खुलासा न करने के कारण जो वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं की जानकारीपूर्ण निर्णय लेने में समझ का अभिन्न अंग हैं, परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी हुई। वर्ष 2022-23 के लिए एमसीएल के वित्तीय विवरणों में इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।	वित्त वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी के अनुसार, नोट संख्या 6.2.4, कंपनी ने घोषणा की है कि ₹2037.25 करोड़ की संचित राशि इनपुट सामग्री/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिनिधित्व करती है जिसका उपयोग आउटपुट पर जीएसटी के खिलाफ किया जा सकता है। यह संचय उल्टे कर ढांचे के परिणामस्वरूप हुआ है। यह तथ्य वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से प्रकट किया गया है। जीएसटी क्रेडिट का उपयोग पुस्तकों में पड़े कुल प्राप्त जीएसटी आईटीसी शेष से किया जाता है। प्राप्त आईटीसी को आगे बढ़ाने के लिए न तो कोई समय सीमा है और न ही प्राप्त आईटीसी के तत्काल उपयोग पर कोई प्रतिबंध है। कंपनी को उम्मीद है कि भविष्य में जीएसटी दर के युक्तिकरण, नए व्यावसायिक विकास, जिसमें उलटा शुल्क ढांचा नहीं होगा, जैसे कारकों में बदलाव के कारण संभावित उपयोग के लिए परिसंपत्ति प्राप्त होगी। इसलिए आईटीसी के उपयोग में कोई अनिश्चितता नहीं है, और वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक प्रकटीकरण पहले से ही मौजूद है। हालाँकि, पूरक ऑडिट में दिए गए अवलोकन का अनुपालन करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 और उसके बाद से मामले को विस्तृत प्रकटीकरण के लिए सीआईएल को भेजा जाएगा।

क-3	सामग्री लेखांकन नीति (नोट 2) स्ट्रिपिंग गतिविधि (नोट 2.20) एमसीएल की स्ट्रिपिंग गतिविधि पर सामग्री लेखांकन नीति, अन्य बातों के साथ, उल्लेख करती है कि जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने पर हटाए गए अतिरिक्त ओवरबर्डन की स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति का परिशोधन खदान के जीवनकाल के दौरान किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा स्ट्रिपिंग गतिविधि से संबंधित लेखांकन नीति में बदलाव के अनुसार, बिना किसी अतिरिक्त वृद्धि (नीति 2.24) के अनुपात भिन्नता रिजर्व के संतुलन को व्यवस्थित रूप से उलटना, और केवल स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों (नीति 2.20) का निर्माण करना,सभी सहायक कंपनियों को समान प्रक्रिया नोट्स के माध्यम से इसका पालन करने का निर्देश दिया गया था। लेखांकन नीति में इस बदलाव के आधार पर, स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट से लगातार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1) के अंतर्गत प्रदर्शित किया जा रहा है। दिनांक 01.04.2022 से परिवर्तन के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, ऐसी परिसंपत्ति के आंकड़े को स्थिति उत्पन्न होने पर अनुपात भिन्नता के साथ समायोजित करने की मौजूदा नीति के बजाय, जिसका पालन 2022-23 तक किया गया था। लेखांकन नीति में उपरोक्त परिवर्तन के आधार पर वाक्य 'स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट को खदान के जीवन पर परिशोधित किया जाता है' भी शामिल किया गया है। आम तौर पर, परिशोधन तीन खाता शीर्षों पर लागू होता है, अर्थात, लीजहोल्ड भूमि, अमूर्त संपत्ति और स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति। लीजहोल्ड भूमि और अमूर्त संपत्ति के विपरीत, जहां संबंधित परिसंपत्ति के लिए परिशोधन उसी वर्ष में लगाया जाता है, एमसीएल ने स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को अगले वर्ष में परिशोधित करने का विकल्प चुना, इस तर्क पर कि अग्रिम स्ट्रिपिंग से अर्जित होने वाले लाभ केवल अगले वर्ष से ही प्राप्त किए जाएँगे। हालाँकि, कंपनी द्वारा परिशोधन के सामान्य अनुप्रयोग से अपनाया गया यह विचलन भौतिक लेखा नीति में प्रकट नहीं किया गया है। इसके अलावा, उक्त नीति इस तथ्य पर भी मौन थी कि स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के 'संपूर्ण' जीवन या खदान के 'शेष' कार्यकाल पर परिशोधित किया जाएगा। भारतीय लेखा मानक 8: लेखा नीतियां, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां के पैराग्राफ 29 में कहा गया है कि जब लेखा नीति में स्वैच्छिक परिवर्तन का वर्तमान अवधि या किसी पिछली अवधि पर प्रभाव पड़ता है, तो इकाई को (ए) लेखा नीति में परिवर्तन की प्रकृति, (बी) नई लेखा नीति को लागू करने के कारण विश्वसनीय और अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने की घोषणा करनी होगी । इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक 1: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के पैराग्राफ 121 में कहा गया है कि इकाई के संचालन की प्रकृति के कारण लेखा नीति महत्वपूर्ण हो सकती है। स्ट्रिपिंग गतिविधि कोयला खदान के संचालन का एक अभिन्न अंग है, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति पर परिशोधन के आधार और विधि के बारे में कारणों के साथ खुलासा करना वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक था, जो संयोगवश, नीति वक्तव्य में अनुपस्थित था। इस प्रकार, स्ट्रिपिंग गतिविधि पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.20 पर प्रकटीकरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।	भारतीय मानक लेखांकन 16 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' के परिशिष्ट B के पैरा 15 के अनुसार, 'स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट को अयस्क निकाय के पहचाने गए घटक के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर मूल्यह्रास या परिशोधन किया जाएगा। स्ट्रिपिंग गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हो जाता हैं | कंपनी की लेखांकन नीति में कहा गया है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति का परिशोधन खदान के जीवनकाल के दौरान किया जाता है। यह निहित है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को अयस्क निकाय के पहचाने गए घटक के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाएगा जो स्ट्रिपिंग गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हो जाता है। इसके अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों का मूल्यह्रास/परिशोधन विभिन्न नीतियों द्वारा शामिल किया जाता है। उपरोक्त नीति अन्य खनन कंपनियों के लिए भी समान है जो भारतीय लेखा मानक या आईएफआरएस का अनुपालन करती हैं। हालाँकि, पूरक ऑडिट में दिए गए अवलोकन का अनुपालन करने के लिए, अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 और उसके बाद से स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति के परिशोधन की नीति की समीक्षा और संशोधन करने के लिए मामले को सीआईएल को भेजा जाएगा।

क-4	**तुलन पत्र** **संपत्तियां** **गैर- तात्कालिक परिसंपत्ति** **संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण (नोट-3.1)** प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों पर भारतीय लेखा मानक 37 के पैराग्राफ 16 में कहा गया है कि लगभग सभी मामलों में यह स्पष्ट होगा कि क्या किसी पिछली घटना ने वर्तमान दायित्व को जन्म दिया है। दुर्लभ मामलों में या तो इस पर विवाद हो सकता है कि क्या कुछ घटनाएँ घटित हुई हैं या क्या उन घटनाओं का परिणाम स्वरूप कोई दायित्व उत्पन्न हुआ हैं । ऐसे मामले में, एक इकाई विशेषज्ञों की राय सहित सभी उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करती है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कोई वर्तमान दायित्व मौजूद है या नहीं। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर भारतीय लेखा मानक 1 के पैराग्राफ 118 में कहा गया है कि एक इकाई के लिए उपयोगकर्ताओं को वित्तीय विवरणों में उपयोग किए गए माप आधार या आधारों के बारे में सूचित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस आधार पर एक इकाई वित्तीय विवरण तैयार करती है वह उपयोगकर्ताओं के विश्लेषण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 2021 को अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों (मैसर्स रे एंड रे) से एक विशेषज्ञ की राय प्राप्त कि जिसमें पीडीएफ को देय अनुमान राशि के संबंध में यह राय दी गई कि विभिन्न शर्तों की पूर्ति के बावजूद ऐसे पीडीएफ से भूमि अधिग्रहण की तारीख पर दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक व्यय के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर एक प्रावधान को मान्यता दी जानी चाहिए। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने एक सरकारी अधिसूचना के माध्यम से कोयला असर अधिनियम (सीबीए) 1957 के तहत भूमि का अधिग्रहण किया। एमसीएल ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के बाद, प्रभावित पक्षों/परिवारों को उपरोक्त अधिसूचित भूमि के संबंध में मुआवजे का भुगतान किया। एमसीएल (नोट 3.1.1 के माध्यम से) भूमि के स्वामित्व को हस्तांतरित करने वाली अधिसूचना के आधार पर मुआवजे का हिसाब-किताब कर रहा है, जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान/मुआवजा रोल निर्धारित किया गया है और स्वीकृत आदेश के बाद पूंजीकरण को समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और उड़ीसा सरकार भूमि निपटान अधिनियम, 1962 के तहत अर्जित भूमि को राज्य अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कब्जे के आधार पर पूंजीकृत किया गया है। हालाँकि, समूह की कुछ सहायक कंपनियाँ इस दलील पर कुल स्वीकृत राशि के विरुद्ध वास्तविक भुगतान के आधार पर मुआवजे का हिसाब लगा रही हैं कि भूमि को 'अधिग्रहण प्रक्रिया' पूरी होने के बाद ही संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जा सकता है। राय होने के बावजूद, सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों ने न तो कोई समान लेखांकन नीति बनाई है और न ही कोई समान घोषणा की है कि "भूमि अधिग्रहण" क्या है और भूमि का पूंजीकरण कब करना है और मुआवजे के भुगतान के लिए दायित्व बनाना है। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों में देनदारी की पहचान और भूमि के लेखांकन के लिए समूह की सहायक कंपनियों के बीच विविध दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस प्रकार, समूह की सहायक कंपनियों के बीच उपरोक्त के संबंध में असंगतता है। इस प्रकार, लेखांकन नीति के साथ-साथ मुआवजे के प्रति दायित्व के लेखांकन उपचार के संबंध में प्रकटीकरण उपरोक्त सीमा तक कम है।	कंपनी ने कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के पूंजीकरण के संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भारतीय लेखा मानक 16 के अंतर्गत एकसमान सामग्री लेखांकन नीति, साथ ही प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों के लिए भारतीय लेखा मानक 37 को लगातार लागू किया है। नोट 3.1.1 में लेखांकन उपचार का भी स्पष्ट रूप से खुलासा किया गया है, "कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अर्जित भूमि को भूमि के स्वामित्व को स्थानांतरित करने वाली अधिसूचना के आधार पर पूंजीकृत किया गया है जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान/मुआवजा रोल निर्धारित किया गया है और पूंजीकरण मंजूरी आदेश के बाद समायोजित किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, उड़ीसा सरकार भूमि बंदोबस्त अधिनियम 1962 के तहत अर्जित भूमि का पूंजीकरण राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित कब्जे के आधार पर किया गया है। तदनुसार, मुआवजे के लिए दायित्वों के उपचार से संबंधित लेखांकन नीति और प्रकटीकरण लागू भारतीय मानक लेखांकन मानकों के अनुपालन में हैं। अन्य सहायक कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियों और संबंधित देनदारियों को पहचानने के लिए अपनाए गए विविध दृष्टिकोण से संबंधित मुद्दे को समीक्षा के लिए और यदि आवश्यक हो, तो एकरूपता के लिए निर्देश जारी करने के लिए सीआईएल मुख्यालय को भेजा जाएगा।

सेबा में

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्य

विषय: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए 20/04/2024 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का शुद्धिपत्र

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर जारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अनुलग्नक 3 ए" में टाइपोग्राफिक त्रुटि के कारण, वित्तीय वर्ष "2023-24" को गलती से "2022-23" के रूप में उल्लिखित किया गया था। कृपया वित्तीय वर्ष "2022-23" को "2023-24" के रूप में बदलें/पढ़ें।

हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त शुद्धिपत्र का वित्तीय वर्ष 31.03.2024 के लिए दिनांक 20.04.2024 की हमारी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से जारी राय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 009989N

SHIV & ASSOCIATES * NEW DELHI * CHARTERED ACCOUNTANTS

सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी

साझेदार

सदस्यता संख्या. 085084

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 05.06.2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यगण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी एवं नकद प्रवाह विवरण में परिवर्तन, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (इसके पश्चात "स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम (अधिनियम) 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी को उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुरुप 31 मार्च 2024 को कंपनी के मामलों की स्थिति के तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (भा.ले.मा.) सहित कंपनी के मामलों का भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसार, तथा लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन) इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

मत के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की है। उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्व को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व में वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का महत्त्व :

हम आपका ध्यान निम्नलिखित मामलों की ओर आकर्षित करते हैं:

1. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 16 (8) देखें, जिसमें बताया गया है कि कंपनी ने वर्ष के दौरान स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन के संबंध में अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है, जिससे कर-पूर्व लाभ में 655.71 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। कंपनी ने पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को पुनः प्रस्तुत किया है, जिससे शुद्ध लाभ में 5.05 करोड़ रुपए की कमी आई है। पिछले वित्तीय वर्ष से पहले इक्विटी के घटक के संबंध में कोई पूर्वव्यापी परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखा गया है।
2. चालू वर्ष के लिए आयकर गणना के प्रयोजनार्थ नोट संख्या 16 (7)(i) का संदर्भ लें, स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए नीति में संशोधन पर किए गए वित्तीय पुनर्कथन के कारण दिनांक 01.04.2022 तक सृजित स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति की कीमत ₹841.54 करोड़ है, जिसे आयकर प्रावधान के लिए गणना में कटौती के रूप में माना गया है।
3. नोट संख्या 16 (3) (ई) का संदर्भ लें, कंपनी ने झारसुगुड़ा-बरपाली-सरडेगा रेलवे लाइन के लिए दिनांक 27.02.2023 को रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित बढ़े हुए माइलेज के रूप में किसी भी आय को मान्यता नहीं दी है क्योंकि रेलवे ने अभी तक गणना और देय राशि को अंतिम रूप नहीं दिया है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

क्रमांक	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1	भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व मान्यता, माप, प्रस्तुति और राजस्व एवं अन्य संबंधित शेष राशि के प्रकटीकरण की सटीकता। राजस्व मान्यता एक महत्वपूर्ण मामला होने के नाते, जिसमें ग्रेड स्लिपेज के लिए सामग्री समायोजन शामिल है, इसमें पिछली प्रवृत्ति आदि के लिए निर्णय और अनुमान की आवश्यकता होती है, इसे एक महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामला माना गया है।	हमने राजस्व लेखा मानक भारतीय लेखांकन मानक 115 के प्रभाव की पहचान करने के लिए कंपनी की प्रक्रिया का आकलन किया है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और वास्तविक परीक्षण शामिल थे, जो इस प्रकार है: i) पारस्परिक रूप से सहमत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला या रेफरी गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से परीक्षण के परिणाम के आधार पर तैयार पिछले परिणामों की प्रवृत्ति प्राप्त की और उसका मूल्यांकन किया गया; ii) ग्रेड स्लिपेज प्रावधान की गणना और कार्यप्रणाली प्राप्त की और उसका मूल्यांकन किया; iii) स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों में आकलन, मान्यता और प्रकटीकरण के लिए नियंत्रण का मूल्यांकन किया गया; iv) ग्राहकों के साथ हुए समझौते की समीक्षा की तथा उसके नियमों व शर्तों पर विचार करते हुए चालान तैयार किए। v) हमने विचार के आकलन के आधार को स्थापित करने के लिए परीक्षण किए हैं कि क्या ऐसे अनुमान कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप हैं; vi) भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण की पर्याप्तता की समीक्षा की गई; vii) गुणवत्ता मापदंडों और मूल्यांकन के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है और इसलिए इस संबंध में तकनीकी निष्कर्षों और रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है
2	आकस्मिक देयताएं: कंपनी के खिलाफ विभिन्न मंचों के समक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, विभिन्न दावों आदि सहित कई मुकदमें लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रदान की जाने वाली और/या प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है, क्योंकि इसके संबंध में अनुमान और मूल्यांकन में प्रबंधन के निर्णय, व्याख्याओं का एक महत्वपूर्ण अंश शामिल होता है, और इसलिए अपेक्षित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 16(1)(ए) देखें, जिसे महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.22 के साथ पढ़ें)	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, जिनके आधार पर हम आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण और प्रावधानों की मान्यता की उचितता के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं: i) हमने आकस्मिक देयताओं के आकलन, मूल्यांकन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर ली है। ii) लंबित मुकदमेबाजी मामलों हेतु सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता को समझा गया और परीक्षण किया; iii) किसी भी भौतिक घटनाक्रम और कानूनी मामलों की नवीनतम स्थिति के संबंध में प्रबंधन के साथ चर्चा की गई; iv संबंधित मुकदमों से संबंधित विभिन्न पत्राचार और संबंधित दस्तावेजों को पढ़ा और प्रबंधन द्वारा प्राप्त प्रासंगिक बाहरी कानूनी राय ली और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले आकलन पर ठोस प्रक्रियाएं निष्पादित कीं; v) इस संबंध में प्रबंधन के निर्णय और मूल्यांकन की जांच की गई कि क्या प्रावधानों की आवश्यकता है; vi) उन मामलों के प्रबंधन के आकलन की समीक्षा की गई, जिनके लिए आकस्मिक देयता के रूप में प्रावधान या खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि भौतिक बहिर्वाह की संभावना को दूरस्थ माना गया है; vii) प्रकटीकरण की पर्याप्तता और पूर्णता की समीक्षा की गई; उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, आकस्मिक देनदारियों के लिए प्रावधान और प्रकटीकरण का अनुमान पर्याप्त और उचित माना गया है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, निगमित प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट हमें इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराये जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में, विचार करना कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य जानकारी को पढ़ते हैं, और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट उन लोगों को देनी चाहिए जिन पर शासन का प्रभार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के साथ प्रभारित की जिम्मेदारियां

संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है। जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (संशोधित) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (भा.ले.मा.) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री से मुक्त हैं गलत विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, का पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं कि :

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में स्टैंड-अलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू प्रतिष्ठान (गोइंग कंसर्न) के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए कंपनी की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय जानकारी के लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।
- हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए प्रभारित लोगों को यह वचन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के प्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य मामले:

i. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा कंपनी के पूर्ववर्ती वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा किया गया था, जिन्होंने उन वित्तीय विवरणों पर निष्पक्ष और उचित राय प्रस्तुत की थी।

ii. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल आठ शाखाओं/क्षेत्रों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वार्षिक वित्तीय विवरण, 31 मार्च 2024 तक के कुल . 22,670.97 करोड़ रुपये एवं कुल 14,924.70 करोड़ की कुल आय तथा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ 6,480.11 करोड़ रुपये दर्शाते हैं। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर आधारित है। हमारे द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

iii. ओरिएंट क्षेत्रीय कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 347.92 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ऐसा स्पष्टतः इसलिए है क्योंकि विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से बहुत कम है। हिराखंड बुँदिया माइन के मामले में प्रति टन भारित औसत लागत 5905.89 रुपये के मुकाबले औसत बिक्री मूल्य 1432.29 रुपये टन रखा गया है, जबकि माइन 2 के मामले में उत्पादन की लागत 1531.94 रुपये प्रति टन बिक्री मूल्य के मुकाबले 5386.28 रुपये प्रति टन है। इससे संगठन के भंडार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह तालचेर क्षेत्र को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 321.75 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है क्योंकि उत्पादन लागत 31888.20 रुपये प्रति टन के मुकाबले बिक्री मूल्य 2088.52 रुपये प्रति टन रखा गया है।

iv. एफएसए के अनुसार, एमसीएल, क्रेता द्वारा वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) के 90% से अधिक उठाव की स्थिति में निष्पादन प्रोत्साहन वसूलता है, तथा यदि उठाव की गई मात्रा एसीक्यू के 75% या 70% से कम होती है, तो क्षतिपूर्ति उपकर (जुर्माना) वसूलता है। एफएसए के अनुसार एमसीएल को क्रेता द्वारा उठाई गई मात्रा के अनुसार वर्ष के अंत तक निष्पादन प्रोत्साहन या क्षतिपूर्ति उपकर के लिए चालान जारी करना आवश्यक है, लेकिन नियत तिथि तक कोई चालान जारी नहीं किया गया। उपरोक्त कर चालान बनाने में देरी के परिणामस्वरूप निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं:

i) कंपनी को वित्तीय हानि: बैंक ब्याज के रूप में विकल्प लागत की हानि।

ii) कानूनी परिणाम:: - सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के अनुसार, कर चालान देर से जारी करने पर चालान जारी करने की नियत तारीख से चालान जारी करने की तारीख तक 18% की दर से ब्याज लगाया जा सकता है।

iii) यदि बिल देरी से जारी किया जाता है और क्रेता एमसीएल के साथ अपना व्यवसाय बंद कर देता है तो राजस्व की हानि होती है, जैसा कि देखा गया है।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्य निष्पादन प्रोत्साहन और मुआवजा उपकर के तहत 258.97 करोड़ रुपये के चालान अगस्त और सितंबर 2023 के महीने में जारी किए गए हैं, जो नियत तारीख से 5-6 महीने की देरी से जारी किए गए हैं। इसके अलावा, पक्षों के साथ कोई सुलह नहीं हुई है।

v. फॉर्म 26एएस/एआईएस के अनुसार टीडीएस का बहियों के अनुसार टीडीएस के साथ कोई मिलान नहीं किया गया है।

vi. कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के पिछले वर्षों के 3392 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड आयकर विभागों के पास लंबित हैं। वापसी योग्य कर की बड़ी राशि विभाग के पास अटकी हुई है और कंपनी को बैंक ब्याज के रूप में प्रति वर्ष अवसर लागत के रूप में बड़ी रकम का नुकसान हो रहा है। कंपनी बेहतर कर नियोजन/बेहतर अग्रिम कर अनुमानों तथा भुगतान किए गए अतिरिक्त करों की शीघ्र वापसी के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करके इस राशि को बचा सकती थी। जुलाई, 2022 में धारा 143(1)(ए) के तहत आदेश पारित करके विभिन्न मांगों के कारण 315 करोड़ रुपये समायोजित करने के बाद आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 38 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है। आकलन वर्ष 2021-22 के लिए जुलाई, 2023 में धारा 143(1)(ए) के तहत एक और आदेश पारित किया गया है और 81 करोड़ रुपये की रिफ़ंड के स्थान पर 26 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इन दोनों मामलों में से किसी के विरुद्ध कोई सुधार आवेदन या अपील दायर नहीं की गई है, जहां पिछले वर्षों की इन मांगों को रिफंड के विरुद्ध समायोजित किया गया हो।

vii. एमसीएल ओडिशा वन विभाग (डीएफओ) के माध्यम से पौधे लगाने और पौधों के रखरखाव जैसी विभिन्न सीएसआर गतिविधियां चला रही है, जिसके लिए प्रदान की गई सेवाओं के लिए कोई बिल नहीं बनाया गया है। जारी की गई निधि के लिए केवल उपयोग विवरण प्रदान किया गया है। वन विभाग जिसके माध्यम से एमसीएल उपरोक्त सेवाओं का लाभ उठाता है, वह एमसीएल से जीएसटी नहीं लेता है। इस संबंध में एमसीएल ने कुछ पेशेवर फर्मों से उपरोक्त सेवाओं पर जीएसटी की अनुपयुक्तता के बारे में पेशेवर सलाह ली है। हालाँकि, निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित किया जाता है:

a) अतिरिक्त आयुक्त सीटी एवं जीएसटी नीति के स्पष्टीकरण संख्या POL-56/2017/नीति 9160/CT, दिनांक 21.06.2018 द्वारा वृक्षारोपण गतिविधि की प्रभार्यता पर विशेष रूप से टिप्पणी आमंत्रित की जाती है जहां यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एमसीएल सहित विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से ओएफडीसी द्वारा वृक्षारोपण और वृक्षारोपण रखरखाव गतिविधि के माध्यम से की गई सेवाएं 18% की दर से जीएसटी के अधीन हैं।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल अपीलीय प्राधिकरण ने फैसला दिया है कि इन गतिविधियों को पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा क्योंकि ये गतिविधियाँ पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के एकमात्र उद्देश्य से अपीलकर्ता द्वारा की गई हैं और यह अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28/06/2017 के क्रम संख्या 32 के अंतर्गत कवर किया जाएगा, जिसका एसएसी 9994 है और इसलिए इस

पर डब्ल्यूबीएएआर द्वारा लिए गए सही निर्णय के अनुसार 18% की दर से कर लगेगा। उपर्युक्त को देखते हुए, इस मुद्दे पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और इस संबंध में जीएसटी अधिनियम के तहत अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण से राय मांगी जा सकती है।

viii. दिनांक 01.04.2008 से 22.06.2019 की अवधि के लिए ईंधन आपूर्ति समझौता योजना के तहत विभिन्न कोयला उपभोक्ताओं के खिलाफ एमसीएल की कोयला बिक्री प्राप्ति का फोरेंसिक लेखा परीक्षा फोरेंसिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया था और बही में हेराफेरी/धोखाधड़ी प्रविष्टियों के माध्यम से एमसीएल को नुकसान की सूचना दी गई है। हमें दी गई जानकारी के अनुसार, रिपोर्ट को अभी तक अपनाया नहीं गया है।

ix. विलंब शुल्क के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों को वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के लिए भारतीय रेलवे से 21.33 करोड़ रुपये की मांग प्राप्त हुई है, जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है, लेकिन आकस्मिक देयता के माध्यम से इसका खुलासा किया गया है।

x. वर्ष 2023-24 के दौरान भंडार और पुर्जे का सत्यापन नहीं किया गया है। ऐसे भंडार वस्तुएं मौजूद हैं जो 10 साल से पुराने हैं, लेकिन ऐसे मामलों में 50% की दर से प्रावधान किया गया है। ऐसे भागों के परिचालन जीवन का आकलन नहीं किया गया है।

xi. एसआर/आईआर समाशोधन खाते के मामले में 97.16 करोड़ रुपए 1 वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं, जबकि जीआर/आईआर समाशोधन खाते में 8.42 करोड़ रुपए 1 वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं। चूंकि ऐसे मामलों में वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त हो गए हैं, लेकिन कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी को भुगतान के लिए इन खातों की समीक्षा करनी होगी।

xii. तुलनपत्र तिथि पर प्रदर्शित शेष राशि के लिए देनदारों/लेनदारों/अग्रिमों से शेष राशि पुष्टि के अधीन है।

xiii. जैसा कि बताया गया है, एचईएमएम उपकरणों के उपयोगी जीवन पर तकनीकी मूल्यांकन समय-समय पर धारक कंपनी (कोल इंडिया लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

xiv. कंपनी ने लेखापरीक्षा वर्ष के लिए स्ट्राइक ऑफ कम्पनियों के साथ शेष राशि/लेनदेन की पहचान नहीं की है।

xv. कंपनी ने दिनांक 31.03.2024 तक एमएसएमई लेनदारों को बकाया राशि की पूरी तरह पहचान नहीं की है।

xvi. कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों जैसे अचल परिसंपत्तियों (कुछ परिसंपत्तियों जैसे एचईएमएम और सड़क पर चलने वाले वाहनों को छोड़कर), भंडार और पुर्जों तथा आग, चोरी और संबद्ध गतिविधियों के लिए कोयले के अंतिम स्टॉक पर कोई बीमा कवरेज नहीं लिया है।

xvii. जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़े शेष और दिनांक 31.03.2024 तक लेखा पुस्तकों में दर्शाए गए शेष का मिलान नहीं किया गया है।

xviii. छूट प्राप्त आपूर्तियों अर्थात परिसमाप्त क्षति से आय, क्षतिपूर्ति आय, बीजी/ईएमडी की जब्ती से आय के संबंध में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार ने इन्हें अभी तक छूट प्राप्त आपूर्तियों के रूप में अधिसूचित नहीं किया है।

हमने निम्न पर भरोसा किया है :

क) प्रबंधन द्वारा अग्रिम स्ट्रिपिंग, कोल निरावरण, औसत/मानक अनुपात, चालू अनुपात, अनुपात विचरण आदि में तकनीकी डाटा प्रस्तुत किया जाता है। ओवरबर्डन लेखांकन के मामले में विचरण मानक अनुपात और ओबीआर लागत के वर्तमान अनुपात का समायोजन शामिल है।

ख) खदान बंदी योजना सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा तैयार की गई है और खदान बंदी खर्च के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामले, जहां तक लागू हो, पर अनुबंध -1 में एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, अनुलग्नक-1 में दी गई हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम तक रिपोर्ट करते हैं कि:

a) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

b) हमारी राय में, जैसा कि उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी हैं।

c) शाखा लेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखा परीक्षित कंपनी की शाखाओं के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से कार्यवाही की गई है।

d) इस रिपोर्ट में जिन एकल वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है, वे लेखा-बही तथा उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न से मेल खाते हैं, जहां हमने दौरा नहीं किया है।

e) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133, जिसे इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ा जाए, के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (भा.लेखा.मा.) के अनुरूप हैं।

f) लेखापरीक्षक की टिप्पणी का कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

g) अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि अधिनियम की धारा 2(45) के तहत परिभाषित रूप में कंपनी एक सरकारी कंपनी है।

h) कंपनी के पास खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता नहीं है।

i) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक - 2 में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

j) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और इस रिपोर्ट में अन्यत्र संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर:

i. कंपनी ने टिप्पणी -16(1) में अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ii. कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घावधि के अनुबंधों पर, लागू कानून या लेखा मानक के तहत, सामग्री के लिए संभावित नुकसान, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया है;

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के तहत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को हस्तांतरित करने के लिए कोई राशि अपेक्षित नहीं है, इसलिए निधि में किसी भी राशि को हस्तांतरित करने में देरी का प्रश्न ही नहीं उठता।

1. प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रतिनिधित्व किया है कि, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया है कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, कंपनी की ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से इस तरह की कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगा, किसी भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) को उन्नत या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) नहीं किया है।

2. प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रतिनिधित्व किया है कि कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("वित्त पोषण पक्ष") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार नहीं देगी या निवेश नहीं करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करेगी; कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है।

3. परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपरोक्त (1) और (2) के तहत प्रदान किए गए नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. जैसा कि वित्तीय विवरण के नोट संख्या 7.2 में कहा गया है:

a. पिछले वर्ष प्रस्तावित अंतिम लाभांश, जिसे कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया है, लागू रूप में अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है ।

b. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

c. कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि लागू रूप में अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, कंपनी ने अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए यह प्रणाली पूरे वर्ष संचालित होती है। इसके अलावा, हमारे लेखा परीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

3. अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा अपेक्षित रूप में, हमने अनुलग्नक-3 और 3ए में कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दिया है।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 009989N

सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी

साझेदार

सदस्यता संख्या. 085084

UDIN-24085084BKBQMP8576

स्थान: बुर्ला

दिनांक : 20.04.2024

कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 1

कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांची गई खाता बहियों और अन्य अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) (a) (A) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है। हालाँकि, कुछ परिसंपत्तियों की स्थिति/स्थान स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है और जोड़ी गई नई परिसंपत्तियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या का कार्य प्रगति पर है।

B) कंपनी अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड रख रही है;

(b) वित्तीय वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वृद्धि का प्रबंधन द्वारा तिमाही आधार पर प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। और ऐसे सत्यापन में पाई गई किसी भी भौतिक विसंगति को लेखा पुस्तकों में उचित रूप से निपटाया गया है। चौथी तिमाही के लिए अचल संपत्ति लेखापरीक्षा रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, कंपनी की फ्रीहोल्ड संपत्तियों का स्वत्व विलेख कंपनी के नाम पर है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) उद्देश्य के लिए अधिग्रहित फ्रीहोल्ड संपत्तियों को अन्य भूमि के अंतर्गत दर्ज किया जाता है, जिसके स्वामित्व के दस्तावेज कंपनी के नाम पर होते हैं, जिनमें से स्वत्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं। मुख्यालय वाणिज्यिक के पास आनंद विहार और जागृति विहार में 58.984 एकड़ पट्टा भूमि है, जिसके लिए हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया जाना बाकी है। हालांकि, वित्तीय विवरण में सक्षम संपत्तियां थीं जिनके शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं। कंपनी के पास सक्षम संपत्ति के विवरण की अनुपलब्धता के कारण हम आदेश के खंड (i)(c) में निर्धारित प्रारूप में इसकी रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं। सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से कंपनी के नाम पर है।

(d) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली सम्पत्तियों सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(e) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(ii) क) प्रबंधन द्वारा त्रैमासिक आधार पर उचित अंतराल पर कोयले का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है और हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है। वर्ष के दौरान वस्तु-सूची के प्रत्येक वर्ग में कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई। भंडार और पुर्जे के संबंध में हम कवरेज और प्रक्रिया की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, क्योंकि भंडार के प्रत्यक्ष सत्यापन पर रिपोर्ट हमारी लेखापरीक्षा की तिथि तक प्राप्त नहीं हुई है।

ख. वर्ष के दौरान किसी भी समय, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है; इसलिए, कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ त्रैमासिक रिटर्न या विवरण भरना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी में निवेश किया है और अन्य पार्टियों को असुरक्षित ऋण दिया है, जिसके संबंध में:

(a) कंपनी ने वर्ष के दौरान अन्य संस्था को ऋण और गारंटी के रूप में अग्रिम प्रदान किया है:

(A) वर्ष के दौरान सहायक कम्पनियों को ऋण स्वरूप अग्रिम की कुल राशि 16.50 करोड़ रुपये दी गई, तथा सहायक कम्पनियों को ऋण स्वरूप अग्रिम के संबंध में तुलनपत्र तिथि पर 90.61 करोड़ रुपये का बकाया शेष था।

(B) वर्ष के दौरान दी गई गारंटी की कुल राशि 4.34 करोड़ रुपये है, तथा सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलावा अन्य पक्षों को दी गई गारंटी के संबंध में तुलनपत्र तिथि पर बकाया शेष राशि 618.67 करोड़ रुपये है।

(b) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार, सहायक कंपनियों को दिए गए ऋण पर ब्याज की दर ऋण की अवधि के निकटतम सरकारी प्रतिभूति की प्रचलित लाभ से अधिक होनी चाहिए। तथापि, कंपनी ने जमाराशियों पर कंपनी द्वारा तिमाही आधार पर परिकलित औसत प्रतिफल की दर से ब्याज लगाया है।

(c) ऋण के रुप में अग्रिमों के संबंध में, मूलधन और ब्याज के भुगतान की कोई पुनर्भुगतान अनुसूची निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए पुनर्भुगतान की नियमितता उत्पन्न नहीं होती है।

(d) चूंकि ऋण के रूप में अग्रिमों के कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है, इसलिए अतिदेय का प्रश्न ही नहीं उठता।

(e) वर्ष के दौरान अतिदेय राशि के पुनर्निर्धारण के लिए कोई और अग्रिम राशि नहीं दी जाती है।

(f) कंपनी ने किसी शर्त या पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्ट किये बिना ऊपर बताए अनुसार ऋण के स्वरूप में अग्रिम राशि प्रदान की है। ऋण की कुल राशि 16.50 करोड़ रुपये थी जो वर्ष के दौरान दिए गए ऋणों की कुल अग्रिम राशि का 100% है।

(iv) कंपनी द्वारा चालू खाते के माध्यम से सहायक कंपनी को ऋण के रूप में अग्रिम राशि को छोड़कर कोई निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं दी गई है, इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन, उपरोक्त खंड (iii) (बी) में निर्दिष्ट ब्याज दर को छोड़कर कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(v) चूंकि कंपनी द्वारा कोई जमा राशि जिसे जमा माना जाता है स्वीकार नहीं किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

(vi) कंपनी द्वारा एक स्वतंत्र लागत लेखा परीक्षा की जा रही है और हमने कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड की व्यापक समीक्षा की है और उन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियमावली 2014 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार पर्याप्त पाया हैं।

(vii)

(a) कंपनी वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर सहित अविवादित सांविधिक बकाया जमा करने में नियमित है और उपयुक्त प्राधिकारियों को 31 मार्च, 2024 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया कोई अन्य सांविधिक प्राप्य, नीचे दिए गए ब्यौरों को छोड़कर देय होगा:

(b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार विवाद के कारण निम्नलिखित सांविधिक बकाया राशि जमा नहीं की गई है:

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	लंबित राशि (करोड़ रुपए में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
लिंगराज					
1	ओईटी	प्रवेश कर	0.52	1999-2000	सहायक आयुक्त, अनुगुल
2	ओईटी	प्रवेश कर	0.05	2003-2004	उच्च न्यायालय, ओडिशा
3	ओईटी	प्रवेश कर	0.05	2004-2005	उच्च न्यायालय, ओडिशा
4	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.01	2007-08 to 2014-15	सहायक आयुक्त, अनुगुल
5	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	2.05	2012-13	सहायक आयुक्त, अनुगुल
6	ओड़िशा वीएटी	सीएसटी	0.01	1998-99	एसीसीटी, कटक II रेंज
7	ओड़िशा वीएटी	सीएसटी	0.00	2001-02	आयुक्त कटक
8	ओड़िशा वीएटी	सीएसटी	0.16	2000-01	आयुक्त कटक
9	ओड़िशा वीएटी	सीएसटी	0.01	2004-05	एसीसीटी, कटक II रेंज
हिंगुला					
10	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर एवं जुर्माना	0.31	2014-15 2015-16	सहायक आयुक्त जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अंगुल डिवीजन
11	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर, ब्याज और जुर्माना	0.15	2013 से 2016	सहायक आयुक्त अंगुल डिवीजन
12	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.19	अप्रैल 2016 to जून 2017	सहायक आयुक्त राउरकेला डिवीजन
13	उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम	ओसीटी	0.58	1993-94	बिक्री कर न्यायाधिकरण
14	केंद्रीय बिक्री कर	सीएसटी	0.01	1995-96	बिक्री कर अपर आयुक्त, कटक
15	उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम	ओसीटी	0.04	2001-02	बिक्री कर अपर आयुक्त, कटक
16	उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम	ओसीटी	0.04	2003-04	बिक्री कर अपर आयुक्त, कटक
17	उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम	ओसीटी	1.35	2003-04	बिक्री कर न्यायाधिकरण
18	उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम	ओसीटी	0.05	2004-05	बिक्री कर न्यायाधिकरण
कनिहा					
19	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर एवं जुर्माना	0.02	2016-17 2017-18 (जून'17 तक)	सहायक आयुक्त, अंगुल
तालचेर					
20	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	0.17	2013-14 2014-15	सहायक आयुक्त, अंगुल
21	वित्त अधिनियम	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	0.06	2013-14 2014-15	सहायक आयुक्त, अंगुल
22	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	0.73	मार्च, 2011- फरवरी, 2015	माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जाएगी

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	लंबित राशि (करोड़ रुपए में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
23	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.05	2019	आयुक्त, भुवनेश्वर
24	ओडिशा वैट अधिनियम 2004	ओडिशा बिक्री कर	0.18		विरोध सहित टैक्स जमा
25		स्टाम्प शुल्क	32.21	2013-14	जिला कार्यालय, अंगुल
26	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	0.01	2001	सिविल कोर्ट, जूनियर डिवीजन, तालचेर
27	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	0.10	2001	सिविल कोर्ट, जूनियर डिवीजन, तालचेर
28	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	0.01	2015	कोयला न्यायाधिकरण, नई दिल्ली
29	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	0.24	2015	कोयला न्यायाधिकरण, नई दिल्ली
30	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	0.03	2015	कोयला न्यायाधिकरण, नई दिल्ली
31		डीआर एवं एसआर	0.10	2015	कोयला न्यायाधिकरण, नई दिल्ली
32		डीआर एवं ब्याज	0.11	2015	कोयला न्यायाधिकरण, नई दिल्ली
33	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	0.87	2023	कोयला न्यायाधिकरण, नई दिल्ली
		ईब-वैली			
34	ओईटी अधिनियम	राज्य सरकार-प्रवेश कर	1.24	1.4.2005 से 30.11.2006	सीटीओ झारसुगुड़ा में मूल्यांकन लंबित
35	ओडिशा वैट अधिनियम 2004	राज्य सरकार-बिक्री कर	6.83	जून तिमाही '06 (अर्थात 1.4.2006 से 30.6.2006)	बिक्री कर आयुक्त, कटक
36	सीएसटी अधिनियम	राज्य सरकार-बिक्री कर	0.03	2009-10 एवं 2010-11	बिक्री कर आयुक्त, कटक
37	ओडिशा वैट अधिनियम 2004	राज्य सरकार-बिक्री कर	0.56	01-04-16 से 30-06-17	संयुक्त बिक्री कर आयोग (अपील), प्रादेशिक क्षेत्र, संबलपुर
38	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	8.43	मार्च'11 से मार्च '12	सीईएसटीएटी, कोलकाता
39	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	10.15	अप्रैल'12 से फरवरी'13	सीईएसटीएटी, कोलकाता
40	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	7.94	मार्च '13 से दिसंबर' 13	सीईएसटीएटी, कोलकाता
41	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	11.46	जनवरी'14 से दिसंबर'14	सीईएसटीएटी, कोलकाता
42	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	2.44	जनवरी '15 से मार्च'15	सीईएसटीएटी, कोलकाता
43	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	0.01	2008-09	सीईएसटीएटी, कोलकाता
44	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	0.18	2010-11 से 2014-15	सीईएसटीएटी, कोलकाता
45	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	0.03	2016-17 तथा 2017-18	अपील आयुक्त, भुवनेश्वर
46	कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	ईपीएफ	1.60	अगस्त ,1995 से जुलाई, 2008	सहायक पीएफ आयुक्त एवं वसूली अधिकारी
47	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	राज्य सरकार रॉयल्टी	17.27	2015	कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	लंबित राशि (करोड़ रुपए में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
48	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	राज्य सरकार रॉयल्टी	24.28	अप्रैल 2018 से मार्च 2019	संशोधन प्राधिकरण
49	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	राज्य सरकार रॉयल्टी	18.91	अप्रैल 2017 से मार्च 2018	कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
50	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	राज्य सरकार रॉयल्टी	10.68	अप्रैल 2016 से मार्च 2017	कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
51	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	राज्य सरकार रॉयल्टी	2.12	अप्रैल 2015 से मार्च 2016	कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
52	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	राज्य सरकार रॉयल्टी	0.00	2022-23	संशोधन प्राधिकरण
53	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,	पर्यावरण मंजूरी	1,295.85	2015	कोयला न्यायाधिकरण,
		लखनपुर			
54	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	24.88	2010-11 से 2014- 15	सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी)
55	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	23.04	2011-12 to 2014- 15	ओड़िशा उच्च न्यायालय
56	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी- एलकेपी ओसीपी, बीओसीएम, लिलारी	83.58	2007-08 to 2016- 17	कोयला न्यायाधिकरण, नई दिल्ली
57	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	1.34	2016-2017, 2017-18, अक्तूबर-2014 से मार्च-2017	सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी)
		ओरिएंट			
58	वित्त अधिनियम, 1994	ठेकेदार/ग्राहकों से वसूले गए जुर्माने पर सेवा कर	0.09	2014-15& 2015-16	सेवा कर विभाग
59	वित्त अधिनियम,1994	वर्ष 2007-08 के दौरान एस.टी. का कम भुगतान	0.00	2007-08	सेवा कर विभाग
60	वित्त अधिनियम,1994	अचल संपत्ति को किराये पर देने पर सेवा कर का भुगतान	0.08	01.01.13-31.03.15	सेवा कर विभाग
61	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	0.29	2015	कोयला न्यायाधिकरण
62	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	0.18	2015	कोयला न्यायाधिकरण
63	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	पर्यावरण मंजूरी	696.21	2018	कोयला न्यायाधिकरण
64	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	0.43	2022	कोयला न्यायाधिकरण
65	सीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	0.57	2001-2002, 2000-01	उड़ीसा उच्च न्यायालय
66	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी का लघु प्राप्ति	0.44	2016-17	कोयला न्यायाधिकरण
		बसुन्धरा			
67	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	पर्यावरण मंजूरी	872.01	2015	कोयला न्यायाधिकरण
68	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	6.54	March'11 to March'14	सीईएसटीएटी, कोलकाता

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	लंबित राशि (करोड़ रुपए में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
69	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	0.31	2016-17	आयुक्त (अपील)
70	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	0.03	2009-2012	आयुक्त (अपील)
71	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	मृत किराया या सतह किराया	2.31	1998-2006	कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
72	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	राज्य सरकार रॉयल्टी	25.09	2015	कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
73	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	राज्य सरकार रॉयल्टी	11.20	2017-18	कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
74	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	राज्य सरकार रॉयल्टी	11.95	2018-19	कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
		महालक्ष्मी			
75	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	पर्यावरण मंजूरी	50.97	2018-19	कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
76	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	राज्य सरकार रॉयल्टी	0.06	2015	कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
77	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	राज्य सरकार रॉयल्टी	4.73	अप्रैल 2018 से मार्च 2019	कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
78	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	राज्य सरकार रॉयल्टी	2.22	अप्रैल 2018 से मार्च 2019	कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
		जगन्नाथ			
79	सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी	0.27	1985-86	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
80	सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी	0.01	1987-88	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
81	सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी	0.01	1990-91	बिक्री कर अधिकारी
82	सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी	0.07	1991-92	बिक्री कर अधिकारी
83	सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी	1.24	1992-93	बिक्री कर अधिकारी
84	सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी	1.90	1993-94	अपर आयुक्त, कटक
85	सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी	0.04	1994-95	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
86	सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी	0.18	1995-96	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
87	सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी	0.08	1996-97	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
88	सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी	0.00	2001-02	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
89	सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी	0.15	2003-04	अपर आयुक्त, कटक
90	सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी	0.32	2005-06	अपर आयुक्त, कटक
91	सीएसटी अधिनियम, 1956	ओएसटी	0.01	1983-84	बिक्री कर अधिकारी
92	ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	0.02	1989-90	अपर आयुक्त, कटक
93	ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	0.01	1991-92	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
94	ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	0.74	1992-93	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
95	ओएसटी अधिनियम	ओएसटी	0.01	2001-02	अपर आयुक्त, कटक
96	सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी	4.89	2001-02	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
97	सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी	0.24	01-10-2015 से 31-03-2016	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
98	सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी	0.27	01-04-2016 से 30-06-2017	अपर आयुक्त (अपील), कटक
99	ओडिशा प्रवेश कर	ओईटी	0.05	01-04-2014 से 31-03-2015	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
100	ओडिशा प्रवेश कर	ओईटी	1.89	2004-05	अपर आयुक्त (अपील), कटक
101	ओडिशा प्रवेश कर	ओईटी	1.32	01-04-2008 से 31-01-2012	अपर आयुक्त (अपील), कटक
102	उत्पाद शुल्क अधिनियम	एसईडी और रॉयल्टी पर उत्पाद शुल्क	0.09	01-03-2011 to 31-03-2015	सीसीई, भुवनेश्वर के समक्ष प्रथम अपील

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	लंबित राशि (करोड़ रुपए में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
103	उत्पाद शुल्क अधिनियम	वित्तीय वर्ष 2010-11 (मार्च-11) के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन विधेयक पर उत्पाद शुल्क का गैर-पीएमटी	2.04	मार्च-2011	सीसीई, भुवनेश्वर के समक्ष प्रथम अपील
			भरतपुर		
104	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.11	जून'2007 से मार्च'2012	सहायक आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, अंगुल डिवीजन, अंगुल
105	वित्त अधिनियम, 1994	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	1.75	अप्रैल'2011 से मार्च'2015	माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय
106	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.06	अप्रैल'16 से जून'17	सहायक आयुक्त, अनुगुल
107	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	0.19	अप्रैल'16 से जून'17	सहायक आयुक्त, अनुगुल
108	एमएमडीआर अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.17	अप्रैल' 16 से जून'17	उप. निदेशक, डीजीसीआई, राउरकेला क्षेत्रीय इकाई, राउरकेला
109	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	3.49	2015	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
110	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	2.84	2015	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
111	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	10.95	2015	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
112	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	11.89	2018	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
113	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	13.65	2018	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
114	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	17.66	2020	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
115	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	19.81	2020	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
116	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	1.15	2021	उप-निदेशक, खान
			व्यावसायिक		
117	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	196.47	2017-18	माननीय सीईएसटीएटी, कोलकाता
118	आयकर अधिनियम	आयकर	826.32	AY 2020-21, AY 2019-20, AY 2018-19, AY 2017-18, AY 2016-17,	सीआईटी(ए), संबलपुर
119	आयकर अधिनियम	आयकर	241.36	AY 2022-23, AY 2017-18	आईटीएटी , कटक
120	आयकर अधिनियम	आयकर	3808.65	AY 08-09, AY 09-10, AY 10-11, AY 11-12, AY 12-13, AY 13-14, AY 14-15, AY 2015-16	उच्च न्यायालय, उड़ीसा

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	लंबित राशि (करोड़ रुपए में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
121	सीजीएसटी अधिनियम 2017	ट्रान -1 क्रेडिट	0.46	जुलाई 2017 से मार्च 2018	जीएसटी न्यायाधिकरण में अपील लंबित
122	सीजीएसटी अधिनियम 2017	ट्रान -1 क्रेडिट	0.10	जुलाई 2017 से मार्च 2018	सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
123	सीजीएसटी अधिनियम 2017	सेवा कर और ब्याज का प्रत्यावर्तन	0.59	जुलाई 2017 से मार्च 2018	सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

Viii) पहले से अलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

IX) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। अतः आदेश के खंड (ix) के अंतर्गत उपखंड (ए) से (एफ) की रिपोर्टिंग आवश्यकता लागू नहीं होती।

X) कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि जुटाई है और न ही वर्ष के दौरान शेयरों/डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन/निजी प्लेसमेंट किया है। अतः आदेश के खंड (x) के अंतर्गत उपखंड (a) एवं (b) की रिपोर्टिंग आवश्यकता लागू नहीं होती।

(xi)

(a) कंपनी ने दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2019 की अवधि के लिए ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) योजना के तहत विभिन्न कोयला उपभोक्ताओं के विरुद्ध एमसीएल की कोयला बिक्री प्राप्ति का फोरेंसिक लेखा परीक्षा करने के लिए 20 सितंबर, 2021 को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की नियुक्ति की है। फोरेंसिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को अभी मंजूरी मिलनी बाकी है।

(b) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है;

(c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

XII) चूंकि कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत उप खंड (ए) से (सी) की रिपोर्टिंग आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

Xiii) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार उचित रूप से प्रकट किए गए हैं।

(xiv)

(a) कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है और यह उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप नहीं है।

(b) हां, मार्च 2024 तक की लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारे द्वारा विचार किया गया था;

XV) कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

(xvi)

(a) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

(b) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के बिना कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है;

(c) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है,

(d) चूंकि कंपनी सीआईसी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड (xvi) का उप खंड (डी) उस पर लागू नहीं होता है।

XVII) कंपनी को वित्तीय वर्ष और उसके ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

XVIII) वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक के त्यागपत्र का कोई मामला सामने नहीं आया।

XIX) वित्तीय अनुपात, आयु और वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं के आधार पर, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान के आधार पर, हमारा यह मत है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट

की तिथि तक कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी तुलनपत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर तुलनपत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को चुकाने में सक्षम है;

(xx)

क) उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरण की आवश्यकता वाले चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई भी राशि अप्रयुक्त नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ए) के तहत वर्ष के लिए रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के अंतर्गत कोई भी राशि अप्रयुक्त नहीं है, जिसके लिए कंपनी को अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधान के तहत अपेक्षित वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) राशि को उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक विशेष खाते में स्थानांतरित करना आवश्यक है।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 009989N



सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता सं. 085084

स्थान: बुर्ला
दिनांक: 20.04.2024

UDIN-24085084BKBQMP8576

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 2

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संयोजन के साथ, हमने उस तिथि के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षा कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में की है।

मत

हमारी राय में, 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे जो कि "भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण" पर आधारित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(10) के तहत निर्दिष्ट एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन (मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसे निष्पादित करें, ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी प्रत्यक्ष मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी प्रत्यक्ष कमजोरी के जोखिम का आकलन करना, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में प्रत्यक्ष गलत विवरण के जोखिम का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

(1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

(2) यह उचित आश्वासन प्रदान करना कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, तथा कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित ओवरराइड संचालन, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्रियों का गलत विवरणों का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा बिगड़ सकता है।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या. 009989N



सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी

भागीदार

सदस्यता सं. 085084

UDIN-24085084BKBQMP8576

स्थान: बुर्ला

दिनांक: 20.04.2024

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट

1	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर प्रभाव के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।	कंपनी ने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एसएपी को लागू किया है। कार्य निष्पादन आय, मुआवजा आय और विलंबित भुगतान पर ब्याज आय की गणना प्रक्रिया को छोड़कर वित्तीय लेनदेन एसएपी के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। हालाँकि, इससे खातों की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
2	क्या कंपनी के मौजूदा ऋण की कोई पुनर्संरचना की गई है या कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/उधार/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है।	कंपनी में कोई पुनर्संरचना और ऋण/उधार/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने की व्यवस्था नहीं है।
3	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सड़क और रेल अवसंरचना कार्यों के लिए सहायता हेतु कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से पूंजी अनुदान के रूप में कोई सीसीडीए अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। दिनांक 31.03.2024 तक बकाया राशि ₹125.15 करोड़ है। उपरोक्त में से ₹111.25 करोड़ आस्थगित आय (नोट-10.1) के अंतर्गत दिखाए गए हैं और ₹13.90 करोड़ का चालू हिस्से को नोट 10.2 'अन्य चालू देयताएं' के अंतर्गत दिखाया गया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 3क

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट

1	क्या कोयले के स्टॉक की माप येलो बुक के आधार पर की गई थी। क्या सभी मामलों में भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट के साथ समोच्च मानचित्र भी संलग्न होते हैं? क्या वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर (यदि कोई हो) के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।	हाँ, माप येलो बुक के आधार पर किया गया है। सभी मामलों में भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट के साथ समोच्च मानचित्र/3डी टीएलएस भी संलग्न किया जाता है। वर्ष के दौरान सृजित नई हिप को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2	क्या कंपनी ने कंपनी के विलय/विभाजन/पुनर्संरचना के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है।	लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान हमें दी गई जानकारी के अनुसार, किसी क्षेत्र का विलय/विभाजन/पुनर्गठन नहीं किया गया।
3	क्या सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खदान के लिए अलग-अलग एस्क्रो खाते बनाए गए हैं। खाते के फंड के उपयोग की भी जांच करें।	कंपनी खान-वार एस्क्रो खातों का रख-रखाव कर रही है। वर्ष के दौरान कंपनी ने एस्क्रो खाते से कोई राशि नहीं निकाली थी।
4	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन के लिए लगाए गए जुर्माने के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है और उसका हिसाब रखा गया है?	वर्ष के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया।
5	क्या कोलनेट पोर्टल से एसएपी में डेटा के स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन किया गया है।	वित्त मॉड्यूल (मुख्यालय) और विक्रेता मास्टर के लिए कोलनेट से एसएपी में डेटा के स्थानांतरण के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है। एसएपी में अन्य मॉड्यूल का स्थानांतरण लेखा परीक्षा अभी किया जाना है।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या. 009989N

SHIV & ASSOCIATES ★ NEW DELHI ★ CHARTERED ACCOUNTANTS

सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी

भागीदार

सदस्यता सं. 085084

UDIN-24085084BKBQMP8576

स्थान: बुर्ला

दिनांक: 20.04.2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी एवं नकद प्रवाह विवरण में परिवर्तन, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (इसके पश्चात "स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम (अधिनियम) 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी को उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुरुप 31 मार्च 2024 को कंपनी के मामलों की स्थिति के तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (भा.ले.मा.) सहित कंपनी के मामलों का भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसार, तथा लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन) इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

मत के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की है। उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्व को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व में वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का महत्त्व:

हम आपका ध्यान निम्नलिखित मामलों की ओर आकर्षित करते हैं:

1. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 16 (8) देखें, जिसमें बताया गया है कि कंपनी ने वर्ष के दौरान स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन के संबंध में अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है, जिससे कर-पूर्व लाभ में 655.71 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। कंपनी ने पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को पुनः प्रस्तुत किया है, जिससे शुद्ध लाभ में 5.05 करोड़ रुपए की कमी आई है। पिछले वित्तीय वर्ष से पहले इक्विटी के घटक के संबंध में कोई पूर्वव्यापी परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखा गया है।

2. चालू वर्ष के लिए आयकर गणना के प्रयोजनार्थ नोट संख्या 16 (7)(i) का संदर्भ लें, स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए नीति में संशोधन पर किए गए वित्तीय पुनर्कथन के कारण दिनांक 01.04.2022 तक सृजित स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति की कीमत ₹841.54 करोड़ है, जिसे आयकर प्रावधान के लिए गणना में कटौती के रूप में माना गया है।

3. नोट संख्या 16 (3) (ई) का संदर्भ लें, कंपनी ने झारसुगुड़ा-बरपाली-सरडेगा रेलवे लाइन के लिए दिनांक 27.02.2023 को रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित बढ़े हुए माइलेज के रूप में किसी भी आय को मान्यता नहीं दी है क्योंकि रेलवे ने अभी तक गणना और देय राशि को अंतिम रूप नहीं दिया है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

क्रमांक	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व मान्यता, माप, प्रस्तुति और राजस्व एवं अन्य संबंधित शेष राशि के प्रकटीकरण की सटीकता। राजस्व मान्यता एक महत्वपूर्ण मामला होने के नाते, जिसमें ग्रेड स्लिपेज के लिए सामग्री समायोजन शामिल है, इसमें पिछली प्रवृत्ति आदि के लिए निर्णय और अनुमान की आवश्यकता होती है, इसे एक महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामला माना गया है।	हमने राजस्व लेखा मानक भारतीय लेखांकन मानक 115 के प्रभाव की पहचान करने के लिए कंपनी की प्रक्रिया का आकलन किया है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और वास्तविक परीक्षण शामिल थे, जो इस प्रकार है: i) पारस्परिक रूप से सहमत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला या रेफरी गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से परीक्षण के परिणाम के आधार पर तैयार पिछले परिणामों की प्रवृत्ति प्राप्त की और उसका मूल्यांकन किया गया; ii) ग्रेड स्लिपेज प्रावधान की गणना और कार्यप्रणाली प्राप्त की और उसका मूल्यांकन किया; iii) स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों में आकलन, मान्यता और प्रकटीकरण के लिए नियंत्रण का मूल्यांकन किया गया; iv) ग्राहकों के साथ हुए समझौते की समीक्षा की तथा उसके नियमों व शर्तों पर विचार करते हुए चालान तैयार किए। v) हमने विचार के आकलन के आधार को स्थापित करने के लिए परीक्षण किए हैं कि क्या ऐसे अनुमान कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप हैं; vi) भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण की पर्याप्तता की समीक्षा की गई; vii) गुणवत्ता मापदंडों और मूल्यांकन के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है और इसलिए इस संबंध में तकनीकी निष्कर्षों और रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है।
2	आकस्मिक देयताएं: कंपनी के खिलाफ विभिन्न मंचों के समक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, विभिन्न दावों आदि सहित कई मुकदमें लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रदान की जाने वाली और/या प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है, क्योंकि इसके संबंध में अनुमान और मूल्यांकन में प्रबंधन के निर्णय, व्याख्याओं का एक महत्वपूर्ण अंश शामिल होता है, और इसलिए अपेक्षित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 16(1)(ए) देखें, जिसे महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.22 के साथ पढ़ें)	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, जिनके आधार पर हम आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण और प्रावधानों की मान्यता की उचितता के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं: i) हमने आकस्मिक देयताओं के आकलन, मूल्यांकन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर ली है। ii) लंबित मुकदमेबाजी मामलों हेतु सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता को समझा गया और परीक्षण किया; iii) किसी भी भौतिक घटनाक्रम और कानूनी मामलों की नवीनतम स्थिति के संबंध में प्रबंधन के साथ चर्चा की गई; iv) संबंधित मुकदमों से संबंधित विभिन्न पत्राचार और संबंधित दस्तावेजों को पढ़ा और प्रबंधन द्वारा प्राप्त प्रासंगिक बाहरी कानूनी राय ली और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले आकलन पर ठोस प्रक्रियाएं निष्पादित कीं; v) इस संबंध में प्रबंधन के निर्णय और मूल्यांकन की जांच की गई कि क्या प्रावधानों की आवश्यकता है; vi) उन मामलों के प्रबंधन के आकलन की समीक्षा की गई, जिनके लिए आकस्मिक देयता के रूप में प्रावधान या खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि भौतिक बहिर्वाह की संभावना को दूरस्थ माना गया है; **vii) प्रकटीकरण की पर्याप्तता और पूर्णता की समीक्षा की गई;** उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, आकस्मिक देनदारियों के लिए प्रावधान और प्रकटीकरण का अनुमान पर्याप्त और उचित माना गया है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, निगमित प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट हमें इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराये जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में, विचार करना कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य जानकारी को पढ़ते हैं, और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट उन लोगों को देनी चाहिए जिन पर शासन का प्रभार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के साथ प्रभारित की जिम्मेदारियां

संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है। जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (संशोधित) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (भा.ले.मा.) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री से मुक्त हैं गलत विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, का पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं कि :

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में स्टैंड-अलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू प्रतिष्ठान (गोइंग कंसर्न) के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए कंपनी की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय जानकारी के लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।
- हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए प्रभारित लोगों को यह वचन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के प्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य मामले:

i. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा कंपनी के पूर्ववर्ती वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा किया गया था, जिन्होंने उन वित्तीय विवरणों पर निष्पक्ष और उचित राय प्रस्तुत की थी।

ii. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल आठ शाखाओं/क्षेत्रों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वार्षिक वित्तीय विवरण, 31 मार्च 2024 तक के कुल . 22,670.97 करोड़ रुपये एवं कुल 14,924.70 करोड़ की कुल आय तथा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ 6,480.11 करोड़ रुपये दर्शाते हैं। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर आधारित है। हमारे द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

iii. ओरिएंट क्षेत्रीय कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 347.92 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ऐसा स्पष्टतः इसलिए है क्योंकि विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से बहुत कम है। हिराखंड बुँदिया माइन के मामले में प्रति टन भारित औसत लागत 5905.89 रुपये के मुकाबले औसत बिक्री मूल्य 1432.29 रुपये टन रखा गया है, जबकि माइन 2 के मामले में उत्पादन की लागत 1531.94 रुपये प्रति टन बिक्री मूल्य के मुकाबले 5386.28 रुपये प्रति टन है। इससे संगठन के भंडार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह तालचेर क्षेत्र को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 321.75 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है क्योंकि उत्पादन लागत 31888.20 रुपये प्रति टन के मुकाबले बिक्री मूल्य 2088.52 रुपये प्रति टन रखा गया है।

iv. एफएसए के अनुसार, एमसीएल, क्रेता द्वारा वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) के 90% से अधिक उठाव की स्थिति में निष्पादन प्रोत्साहन वसूलता है, तथा यदि उठाव की गई मात्रा एसीक्यू के 75% या 70% से कम होती है, तो क्षतिपूर्ति उपकर (जुर्माना) वसूलता है। एफएसए के अनुसार एमसीएल को क्रेता द्वारा उठाई गई मात्रा के अनुसार वर्ष के अंत तक निष्पादन प्रोत्साहन या क्षतिपूर्ति उपकर के लिए चालान जारी करना आवश्यक है, लेकिन नियत तिथि तक कोई चालान जारी नहीं किया गया। उपरोक्त कर चालान बनाने में देरी के परिणामस्वरूप निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं:

i) कंपनी को वित्तीय हानि: बैंक ब्याज के रूप में विकल्प लागत की हानि।

ii) कानूनी परिणाम:: - सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के अनुसार, कर चालान देर से जारी करने पर चालान जारी करने की नियत तारीख से चालान जारी करने की तारीख तक 18% की दर से ब्याज लगाया जा सकता है।

iii) यदि बिल देरी से जारी किया जाता है और क्रेता एमसीएल के साथ अपना व्यवसाय बंद कर देता है तो राजस्व की हानि होती है, जैसा कि देखा गया है।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्य निष्पादन प्रोत्साहन और मुआवजा उपकर के तहत 258.97 करोड़ रुपये के चालान अगस्त और सितंबर 2023 के महीने में जारी किए गए हैं, जो नियत तारीख से 5-6 महीने की देरी से जारी किए गए हैं। इसके अलावा, पक्षों के साथ कोई सुलह नहीं हुई है।

v. फॉर्म 26एएस/एआईएस के अनुसार टीडीएस का बहियों के अनुसार टीडीएस के साथ कोई मिलान नहीं किया गया है।

vi. कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के पिछले वर्षों के 3392 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड आयकर विभागों के पास लंबित हैं। वापसी योग्य कर की बड़ी राशि विभाग के पास अटकी हुई है और कंपनी को बैंक ब्याज के रूप में प्रति वर्ष अवसर लागत के रूप में बड़ी रकम का नुकसान हो रहा है। कंपनी बेहतर कर नियोजन/बेहतर अग्रिम कर अनुमानों तथा भुगतान किए गए अतिरिक्त करों की शीघ्र वापसी के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करके इस राशि को बचा सकती थी। जुलाई, 2022 में धारा 143(1)(ए) के तहत आदेश पारित करके विभिन्न मांगों के कारण 315 करोड़ रुपये समायोजित करने के बाद आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 38 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है। आकलन वर्ष 2021-22 के लिए जुलाई, 2023 में धारा 143(1)(ए) के तहत एक और आदेश पारित किया गया है और 81 करोड़ रुपये की रिफ़ंड के स्थान पर 26 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इन दोनों मामलों में से किसी के विरुद्ध कोई सुधार आवेदन या अपील दायर नहीं की गई है, जहां पिछले वर्षों की इन मांगों को रिफंड के विरुद्ध समायोजित किया गया हो।

vii. एमसीएल ओडिशा वन विभाग (डीएफओ) के माध्यम से पौधे लगाने और पौधों के रखरखाव जैसी विभिन्न सीएसआर गतिविधियां चला रही है, जिसके लिए प्रदान की गई सेवाओं के लिए कोई बिल नहीं बनाया गया है। जारी की गई निधि के लिए केवल उपयोग विवरण प्रदान किया गया है। वन विभाग जिसके माध्यम से एमसीएल उपरोक्त सेवाओं का लाभ उठाता है, वह एमसीएल से जीएसटी नहीं लेता है। इस संबंध में एमसीएल ने कुछ पेशेवर फर्मों से उपरोक्त सेवाओं पर जीएसटी की अनुपयुक्तता के बारे में पेशेवर सलाह ली है। हालाँकि, निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित किया जाता है:

a) अतिरिक्त आयुक्त सीटी एवं जीएसटी नीति के स्पष्टीकरण संख्या POL-56/2017/नीति 9160/CT, दिनांक 21.06.2018 द्वारा वृक्षारोपण गतिविधि की प्रभार्यता पर विशेष रूप से टिप्पणी आमंत्रित की जाती है जहां यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एमसीएल सहित विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से ओएफडीसी द्वारा वृक्षारोपण और वृक्षारोपण रखरखाव गतिविधि के माध्यम से की गई सेवाएं 18% की दर से जीएसटी के अधीन हैं।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल अपीलीय प्राधिकरण ने फैसला दिया है कि इन गतिविधियों को पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा क्योंकि ये गतिविधियाँ पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के एकमात्र उद्देश्य से अपीलकर्ता द्वारा की गई हैं और यह अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28/06/2017 के क्रम संख्या 32 के अंतर्गत कवर किया जाएगा, जिसका एसएसी 9994 है और इसलिए इस

पर डब्ल्यूबीएएआर द्वारा लिए गए सही निर्णय के अनुसार 18% की दर से कर लगेगा। उपर्युक्त को देखते हुए, इस मुद्दे पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और इस संबंध में जीएसटी अधिनियम के तहत अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण से राय मांगी जा सकती है।

viii. दिनांक 01.04.2008 से 22.06.2019 की अवधि के लिए ईंधन आपूर्ति समझौता योजना के तहत विभिन्न कोयला उपभोक्ताओं के खिलाफ एमसीएल की कोयला बिक्री प्राप्ति का फोरेंसिक लेखा परीक्षा फोरेंसिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया था और बही में हेराफेरी/धोखाधड़ी प्रविष्टियों के माध्यम से एमसीएल को नुकसान की सूचना दी गई है। हमें दी गई जानकारी के अनुसार, रिपोर्ट को अभी तक अपनाया नहीं गया है।

ix. विलंब शुल्क के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों को वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के लिए भारतीय रेलवे से 21.33 करोड़ रुपये की मांग प्राप्त हुई है, जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है, लेकिन आकस्मिक देयता के माध्यम से इसका खुलासा किया गया है।

x. वर्ष 2023-24 के दौरान भंडार और पुर्जे का सत्यापन नहीं किया गया है। ऐसे भंडार वस्तुएं मौजूद हैं जो 10 साल से पुराने हैं, लेकिन ऐसे मामलों में 50% की दर से प्रावधान किया गया है। ऐसे भागों के परिचालन जीवन का आकलन नहीं किया गया है।

xi. एसआर/आईआर समाशोधन खाते के मामले में 97.16 करोड़ रुपए 1 वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं, जबकि जीआर/आईआर समाशोधन खाते में 8.42 करोड़ रुपए 1 वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं। चूंकि ऐसे मामलों में वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त हो गए हैं, लेकिन कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी को भुगतान के लिए इन खातों की समीक्षा करनी होगी।

xii. तुलनपत्र तिथि पर प्रदर्शित शेष राशि के लिए देनदारों/लेनदारों/अग्रिमों से शेष राशि पुष्टि के अधीन है।

xiii. जैसा कि बताया गया है, एचईएमएम उपकरणों के उपयोगी जीवन पर तकनीकी मूल्यांकन समय-समय पर धारक कंपनी (कोल इंडिया लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

xiv. कंपनी ने लेखापरीक्षा वर्ष के लिए स्ट्राइक ऑफ कम्पनियों के साथ शेष राशि/लेनदेन की पहचान नहीं की है।

xv. कंपनी ने दिनांक 31.03.2024 तक एमएसएमई लेनदारों को बकाया राशि की पूरी तरह पहचान नहीं की है।

xvi. कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों जैसे अचल परिसंपत्तियों (कुछ परिसंपत्तियों जैसे एचईएमएम और सड़क पर चलने वाले वाहनों को छोड़कर), भंडार और पुर्जों तथा आग, चोरी और संबद्ध गतिविधियों के लिए कोयले के अंतिम स्टॉक पर कोई बीमा कवरेज नहीं लिया है।

xvii. जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़े शेष और दिनांक 31.03.2024 तक लेखा पुस्तकों में दर्शाए गए शेष का मिलान नहीं किया गया है।

xviii. छूट प्राप्त आपूर्तियों अर्थात परिसमाप्त क्षति से आय, क्षतिपूर्ति आय, बीजी/ईएमडी की जब्ती से आय के संबंध में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार ने इन्हें अभी तक छूट प्राप्त आपूर्तियों के रूप में अधिसूचित नहीं किया है।

हमने निम्न पर भरोसा किया है :

क) प्रबंधन द्वारा अग्रिम स्ट्रिपिंग, कोल निरावरण, औसत/मानक अनुपात, चालू अनुपात, अनुपात विचरण आदि में तकनीकी डाटा प्रस्तुत किया जाता है। ओवरबर्डन लेखांकन के मामले में विचरण मानक अनुपात और ओबीआर लागत के वर्तमान अनुपात का समायोजन शामिल है।

ख) खदान बंदी योजना सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा तैयार की गई है और खदान बंदी खर्च के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामले, जहां तक लागू हो, पर अनुबंध -1 में एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, अनुलग्नक-1 में दी गई हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम तक रिपोर्ट करते हैं कि:

a) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

b) हमारी राय में, जैसा कि उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी हैं।

c) शाखा लेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखा परीक्षित कंपनी की शाखाओं के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से कार्यवाही की गई है।

d) इस रिपोर्ट में जिन एकल वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है, वे लेखा-बही तथा उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न से मेल खाते हैं, जहां हमने दौरा नहीं किया है।

e) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133, जिसे इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ा जाए, के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (भा.लेखा.मा.) के अनुरूप हैं।

f) लेखापरीक्षक की टिप्पणी का कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

g) अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि अधिनियम की धारा 2(45) के तहत परिभाषित रूप में कंपनी एक सरकारी कंपनी है।

h) कंपनी के पास खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता नहीं है।

i) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक - 2 में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

j) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और इस रिपोर्ट में अन्यत्र संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर:

i. कंपनी ने टिप्पणी -16(1) में अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ii. कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घावधि के अनुबंधों पर, लागू कानून या लेखा मानक के तहत, सामग्री के लिए संभावित नुकसान, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया है;

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के तहत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को हस्तांतरित करने के लिए कोई राशि अपेक्षित नहीं है, इसलिए निधि में किसी भी राशि को हस्तांतरित करने में देरी का प्रश्न ही नहीं उठता।

iv.

1. प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रतिनिधित्व किया है कि, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया है कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, कंपनी की ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से इस तरह की कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगा, किसी भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) को उन्नत या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) नहीं किया है।
2. प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रतिनिधित्व किया है कि कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("वित्त पोषण पक्ष") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार नहीं देगी या निवेश नहीं करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करेगी; कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है।
3. परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपरोक्त (1) और (2) के तहत प्रदान किए गए नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. जैसा कि वित्तीय विवरण के नोट संख्या 7.2 में कहा गया है:

a. पिछले वर्ष प्रस्तावित अंतिम लाभांश, जिसे कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया है, लागू रूप में अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है ।

b. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

c. कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि लागू रूप में अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, कंपनी ने अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए यह प्रणाली पूरे वर्ष संचालित होती है। इसके अलावा, हमारे लेखा परीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

3. अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा अपेक्षित रूप में, हमने अनुलग्नक-3 और 3ए में कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दिया है।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 009989N

SHIV & ASSOCIATES ★ NEW DELHI ★ CHARTERED ACCOUNTANTS

सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
साझेदार
सदस्यता संख्या. 085084
UDIN-24085084BKBQMT8085

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 05.06.2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 1

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (जिसे आगे "धारक कंपनी" कहा जाएगा) के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, हमने उस तिथि तक धारक कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

मत

हमारी राय में, 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे जो कि "भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण" पर आधारित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(10) के तहत निर्दिष्ट एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन (मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसे निष्पादित करें, ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी प्रत्यक्ष मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी प्रत्यक्ष कमजोरी के जोखिम का आकलन करना, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में प्रत्यक्ष गलत विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

(1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

(2) यह उचित आश्वासन प्रदान करना कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, तथा कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित ओवरराइड संचालन, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्रियों का गलत विवरणों का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा बिगड़ सकता है।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 009989N





सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता सं. 085084

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 05.06.2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 2

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट

1	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर प्रभाव के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।	कंपनी ने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एसएपी को लागू किया है। कार्य निष्पादन आय, मुआवजा आय और विलंबित भुगतान पर ब्याज आय की गणना प्रक्रिया को छोड़कर वित्तीय लेनदेन एसएपी के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। हालाँकि, इससे खातों की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
2	क्या कंपनी के मौजूदा ऋण की कोई पुनर्संरचना की गई है या कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/उधार/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है।	कंपनी में कोई पुनर्संरचना और ऋण/उधार/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने की व्यवस्था नहीं है।
3	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सड़क और रेल अवसंरचना कार्यों के लिए सहायता हेतु कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से पूंजी अनुदान के रूप में कोई सीसीडीए अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। दिनांक 31.03.2024 तक बकाया राशि ₹125.15 करोड़ है। उपरोक्त में से ₹111.25 करोड़ आस्थगित आय (नोट-10.1) के अंतर्गत दिखाए गए हैं और ₹13.90 करोड़ का चालू हिस्से को नोट 10.2 के तहत 'अन्य चालू देयताएं' के अंतर्गत दिखाया गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 2क

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों को अतिरिक्त निर्देश के अनुसरण में रिपोर्ट

1	क्या कोयले के स्टॉक की माप येलो बुक के आधार पर की गई थी। क्या सभी मामलों में भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट के साथ समोच्च मानचित्र भी संलग्न होते हैं? क्या वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर (यदि कोई हो) के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।	हाँ, माप येलो बुक के आधार पर किया गया है। सभी मामलों में भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट के साथ समोच्च मानचित्र/3डी टीएलएस भी संलग्न किया जाता है। वर्ष के दौरान सृजित नई हिप को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय/विभाजन/पुनर्गठन के समय परिसंपत्तियों और संपदाओं का भौतिक सत्यापन किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है।	लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान हमें दी गई जानकारी के अनुसार, किसी क्षेत्र का विलय/विभाजन/पुनर्गठन नहीं किया गया।
3	क्या सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खदान के लिए अलग-अलग एस्क्रो खाते बनाए गए हैं। खाते के फंड के उपयोग की भी जांच करें।	कंपनी खान-वार एस्क्रो खातों का रख-रखाव कर रही है। वर्ष के दौरान कंपनी ने एस्क्रो खाते से कोई राशि नहीं निकाली थी।
4	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन के लिए लगाए गए जुर्माने के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है और उसका हिसाब रखा गया है?	वर्ष के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया।
5	क्या कोलनेट पोर्टल से एसएपी में डेटा के स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन किया गया है।	वित्त मॉड्यूल (मुख्यालय) और विक्रेता मास्टर के लिए कोलनेट से एसएपी में डेटा के स्थानांतरण के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है। एसएपी में अन्य मॉड्यूल का स्थानांतरण लेखा परीक्षा अभी किया जाना है।

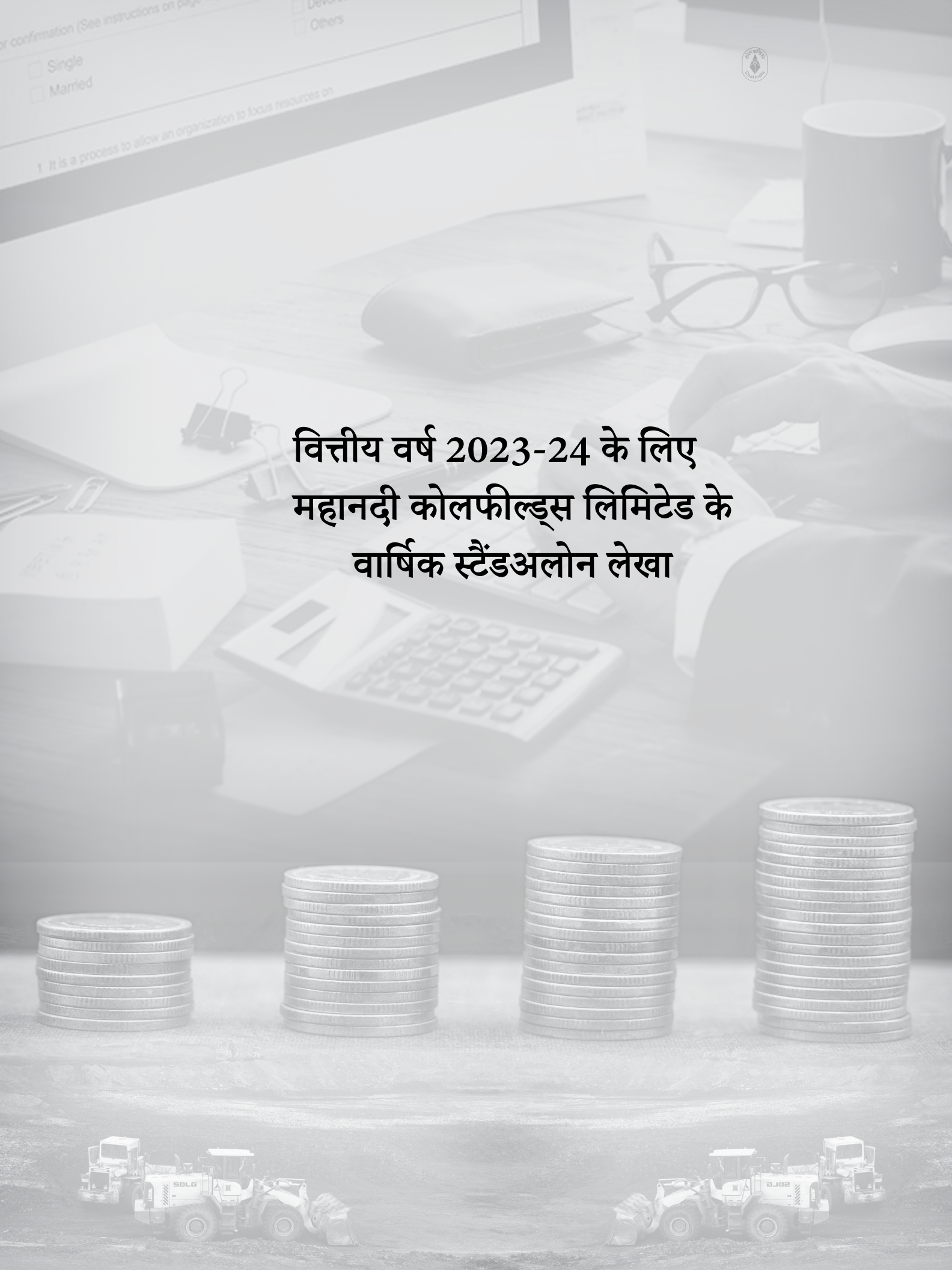
कृते शिव एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 009989N





सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता सं. 085084

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 05.06.2024



वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वार्षिक स्टैंडअलोन लेखा

स्टैंडअलोन तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	दिनांक को 31.03.2024	31.03.2023 (पुनर्स्थापित)	01-04-2022 (पुनर्स्थापित)
संपत्ति					
गैर चालू परिसंपत्ति					
(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		3.1	13,774.09	12,437.70	10,779.89
(b) पूंजीगत कार्य प्रगति पर		3.2	4,808.34	4,302.10	3,244.24
(c) अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति		3.3	151.75	132.05	101.88
(d) अमूर्त संपत्ति		3.4	18.75	22.76	6.37
(e) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति		3.5	-	-	6.35
(f) वित्तीय संपत्ति	(i) निवेश	4.1	353.68	145.68	145.68
	(ii) ऋण	4.2	1.67	1.20	1.20
	(iii) अन्य वित्तीय संपत्तियां	4.6	1,760.35	1,456.47	1,295.29
(g) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)		11.2	-	-	-
(h)गैर-वर्तमान कर संपत्ति (निवल)		11.1	-	-	-
(I) अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियां		6.1	2,852.74	1,660.89	969.15
कुल गैर-वर्तमान संपत्ति (ए)			**23,721.37**	**20,158.85**	**16,550.05**
वर्तमान संपत्ति					
सूची		5.1	1,279.22	985.10	988.20
(b) वित्तीय संपत्ति	(i) निवेश	4.1	1,214.28	1,069.88	3,476.73
	(ii) व्यापार प्राप्य	4.3	2,146.61	1,636.92	1,040.90
	(iii) नकद और नकद समकक्ष	4.4	794.61	71.49	983.11
	(iv) अन्य बैंक शेष	4.5	12,034.18	18,005.08	11,776.50
	(v) ऋण	4.2	-	0.01	-
	(vi) अन्य वित्तीय संपत्तियां	4.6	854.19	642.86	707.30
(c) वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)		11.1	4,135.71	3,639.39	2,423.02
(d) अन्य वर्तमान संपत्ति		6.2	4,413.24	3,631.04	3,286.36
कुल वर्तमान संपत्ति (बी)			**26,872.04**	**29,681.77**	**24,682.12**
कुल संपत्ति (ए+बी)			**50,593.41**	**49,840.62**	**41,232.17**
इक्विटी और देयताएं					
इक्विटी					
(a) इक्विटी शेयर पूंजी		7.1	1,323.67	661.84	661.84
(b) अन्य इक्विटी		7.2	14,782.59	12,641.13	7,550.71
गैर नियंत्रित व्याज			**16,106.26**	**13,302.97**	**8,212.55**
		7.3	-	-	
कुल इक्विटी (ए)			**16,106.26**	**13,302.97**	**8,212.55**
देनदारिया					
गैर मौजूदा देयताएं					
(a) वित्तीय देयताएं	(i) उधार	8.1	3.28	3.92	4.31
	(ii) पट्टा देयताएं	8.2	2.47	2.35	2.29
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	8.4	690.85	842.16	654.35
(b) प्रावधान		9.1	18,856.68	19,432.40	19,606.04
(c) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		11.2	1,509.14	1,226.93	539.46
(d) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं		10.1	112.39	125.71	139.59
कुल गैर-चालू देयताएं			**21,174.81**	**21,633.47**	**20,946.04**

स्टैंडअलोन तुलन पत्र (जारी)

(₹ in Crore)

		टिप्पणी संख्या	दिनांक को 31.03.2024	31.03.2023 (पुनर्स्थापित)	01-04-2022 (पुनर्स्थापित)
वर्तमान देयताएं					
	(i) उधार	8.1	0.67	0.66	0.62
(a) वित्तीय देयताएं	(ii) लीज देयताएं	8.2	-	-	
	(iii) व्यापार देय	8.3			
	(I) माइक्रो और छोटे उद्यम की कुल बकाया राशि		24.02	2.23	1.55
	(II) सूक्ष्म और लघु उद्यम के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		1,545.75	1,589.08	1,464.78
	अन्य वित्तीय देनदारियाँ	8.4	5,027.25	4,182.12	2,930.71
(b) अन्य वर्तमान देयताएं		10.2	5,895.62	7,620.49	7,206.12
(c) प्रावधान		9.1	819.03	1,509.60	469.80
(d) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)		11.1	-	-	
कुल वर्तमान देयताएं			**13,312.34**	**14,904.18**	**12,073.58**
कुल इक्विटी और देयताएं			50,593.41	49,840.62	41,232.17

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

शिव एवं एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 009989एन

(सनदी लेखाकार शिव प्रकाश चतुर्वेदी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 085084

बोर्ड की ओर से

(संजीब कुमार देबनाथ)
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
DIN : 09712877

(एस परिडा)
कंपनी सचिव

(यू ए कावले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN: 09715213

दिनांक : 20.04.2024
स्थान : संबलपुर

लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनर्स्थापित)
संचालन से राजस्व (लेवी का शुद्ध)			
बिक्री	12.1	23,809.42	27,824.55
अन्य परिचालन राजस्व	12.1	3,351.97	3,252.33
संचालन से राजस्व (लेवी का शुद्ध)		**27,161.39**	**31,076.88**
अन्य आय	12.2	1,963.05	1,599.23
कुल आय		**29,124.44**	**32,676.11**
खर्च			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	13.1	1,082.68	1,394.82
बिक्री के लिए माल की खरीद	13.1(a)	-	-
तैयार माल के वस्तुसूची में परिवर्तन / कार्य में प्रगति और व्यापार में स्टॉक	13.2	(263.85)	43.57
कर्मचारी लाभ व्यय	13.3	4,549.30	4,513.25
वित्तीय लागत	13.4	66.84	81.12
मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि व्यय	13.5	966.99	935.64
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	13.6	(818.03)	(742.48)
संविदात्मक व्यय	13.7	5,861.53	5,420.01
अन्य व्यय	13.8	2,085.88	2,228.94
कुल व्यय		**13,531.34**	**13,874.87**
संयुक्त उद्यम / सहयोगी के लाभ/ (हानि) के शेयर से पूर्व लाभ		**15,593.10**	**18,801.24**
संयुक्त उद्यम लाभ/(हानि) का शेयर		-	-
कर पूर्व लाभ		**15,593.10**	**18,801.24**
कर व्यय	14.1		
वर्तमान कर		3,465.49	4,643.61
आस्थगित कर		282.21	687.47
कुल कर व्यय		**3,747.70**	**5,331.08**
अवधि के लिए लाभ		**11,845.40**	**13,470.16**
अन्य व्यापक आय	15.1		
मदे जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(56.26)	60.48
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		14.16	(15.22)
मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
कुल अन्य व्यापक आय		**(42.10)**	**45.26**
कुल व्यापक आय (इस अवधि के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय शामिल)		**11,803.30**	**13,515.42**
लाभ का कारण:			
कंपनी के मालिक		11,845.40	13,470.16
अनियंत्रित ब्याज		-	-

लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनर्स्थापित)
		11,845.40	13,470.16
अन्य व्यापक आय का कारण :			
कंपनी के मालिक		(42.10)	45.26
अनियंत्रित ब्याज		-	-
		(42.10)	45.26
कुल व्यापक आय का कारण :			
कंपनी के मालिक		11,803.30	13,515.42
अनियंत्रित ब्याज		-	-
		11,803.30	13,515.42
प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक): (गत्त वर्ष के लिए पुनर्निर्धारित)			
मूलभूत		8,948.89	10,176.35
डायलुटेड		8,948.89	10,176.35

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

शिव एवं एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 009989एन

(सनदी लेखाकार शिव प्रकाश चतुर्वेदी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 085084

बोर्ड की ओर से

(संजीब कुमार देबनाथ)
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
DIN : 09712877

(एस परिडा)
कंपनी सचिव

(यू ए कावले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN: 09715213

दिनांक : 20.04.2024
स्थान : संबलपुर

इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

31.03.2024 तक (₹ करोड़ में)

विवरण	01-04-2023 तक शेष राशि	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2024 तक शेष राशि
13236726 संख्या की प्रत्येक 1000/- रुपये के इक्विटी शेयर	661.84	661.83	1323.67

31.03.2023 तक			(₹ करोड़ में)
विवरण	**01-04-2022 तक शेष राशि**	**वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन**	**31.03.2023 तक शेष राशि (पुनः कथित)**
6618363 संख्या की प्रत्येक 1000/- रुपये के इक्विटी शेयर	661.84	-	661.84

ख.अन्य इक्विटी

आरक्षित एवं अधिशेष

विवरण	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल)- (ओसीआई)	विदेशी अनुषंगी के वित्तीय विवरणों के लेन -देन में अंतर का आदान-प्रदान (ओसीआई)	कुल
01.04.2023 तक शेष राशि	**44.29**	**3,710.08**	**8,945.04**	**(53.23)**	-	**12,646.18**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	**(5.05)**	-		**(5.05)**
01.04.2023 को पूर्णकथित शेष राशि	**44.29**	**3,710.08**	**8,939.99**	**(53.23)**	-	**12,641.13**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	11,845.40	(42.10)		11,803.30
अन्तरिम लाभांश	-	-	(7,500.00)	-		(7,500.00)
अंतिम लाभांश	-	-	(1,500.00)	-		(1,500.00)
अवधि के दौरान अतिरिक्त	-	-	-	-		-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-		-
जनरल रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	592.27	**(592.27)**	-		-
शेयरों को वापस खरीदें	-	-	-	-		-
वापस खरीदने पर कर	-	-	-	-		-
बोनस शेयर जारी करना	(44.29)	(617.55)	-	-		(661.84)
Balance as at 31.03.2024		**3,684.80**	**11,193.12**	**(95.33)**	-	**14,782.59**

आरक्षित एवं अधिशेष

विवरण	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल)- (ओसीआई)	विदेशी अनुषंगी के वित्तीय विवरणों के लेन -देन में अंतर का आदान-प्रदान (ओसीआई)	कुल
01.04.2022 तक शेष राशि	**44.29**	**3,036.32**	**4,568.59**	**(98.49)**	-	**7,550.71**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-
01.04.2022 को पुनःकथित शेष राशि	44.29	3,036.32	4,568.59	(98.49)		7,550.71
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (पुनः कथित)			13,470.16	45.26		13,515.42
अंतरिम लाभांश			(7,400.00)			(7,400.00)
अंतिम लाभांश			(1,025.00)			(1,025.00)
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-	-			-

इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण(जारी)

वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-		-
जनरल रिजर्व से / में स्थानांतरण		673.76	(673.76)			-
शेयरों को वापस खरीदें						-
वापस खरीदने पर कर						-
बोनस शेयर जारी करना						-
31.03.2023 तक शेष (पुनः कथित)	**44.29**	**3,710.08**	**8,939.99**	**(53.23)**		**12,641.13**

लाभांश और आरक्षित एवं अधिशेष की प्रकृति और उद्देश्य के लिए नोट 7.2 देखें।.

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

शिव एवं एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 009989एन

(सनदी लेखाकार शिव प्रकाश चतुवेर्दी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 085084

बोर्ड की ओर से

(संजीब कुमार देबनाथ)
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
DIN : 09712877

(एस परिडा)
कंपनी सचिव

(यू ए कावले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN: 09715213

दिनांक : 20.04.2024
स्थान : संबलपुर

नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण

(₹ करोड़ में)

		31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः कथित)
प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:			
कर पूर्व लाभ		15,593.10	18,801.24
के लिए समायोजन :			
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		966.99	935.64
ब्याज और लाभांश का आय		(1,450.49)	(1,155.24)
वित्त लागत		66.84	81.12
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर (लाभ)/हानि		(3.58)	(4.80)
दायित्व और प्रावधान वापस लिखा गया		(264.66)	(115.10)
भत्ते और प्रावधान किये गये		67.24	25.15
बट्टे खाते डालना		0.02	0.67
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		(818.03)	(742.48)
विदेशी मुद्रा दर में भिन्नता		0.04	0.28
निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**14,157.47**	**17,826.48**
के लिए समायोजन :			
व्यापार प्राप्तियां		(572.83)	(615.92)
सूची		**(297.34)**	**0.31**
ऋण और अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ		178.94	(98.15)
अन्य चालू एवं गैर चालू परिसंपत्तियां		(1,019.40)	(501.90)
व्यापार देय		(21.54)	124.98
अन्य वित्तीय देनदारियाँ		43.48	239.62
अन्य चालू एवं गैर चालू देनदारियां		(1,738.19)	400.50
प्रावधानों		(307.35)	2,542.40
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**10,423.24**	**19,918.32**
आयकर (भुगतान किया गया)		(3,947.65)	(5,875.20)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह	**(A)**	**6,475.59**	**14,043.12**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों और अमूर्त संपत्तियों के लिए भुगतान		(3,110.13)	(3,861.39)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री से प्राप्त आय		6.30	9.40
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति के लिए भुगतान		(21.97)	(11.86)
बैंकों के पास जमा/(जमा) की वसूली		5,693.98	(6,377.04)
म्यूचुअल फंड, शेयर आदि में आय/(निवेश)।		(181.00)	2,525.71
संयुक्त उद्यम में इक्विटी के लिए भुगतान		-	-
निवेश पर प्राप्त ब्याज		861.24	1,186.24
म्यूचुअल फंड से लाभांश प्राप्त हुआ		-	-
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	**(B)**	**3,248.42**	**(6,528.94)**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
गैर चालू उधारों से प्राप्त आय/(पुनर्भुगतान)।		-	-
वर्तमान उधारों से आय/(पुनर्भुगतान)।		(0.67)	(0.63)
पट्टे की देनदारियों का पुनर्भुगतान (ब्याज सहित)		(0.18)	(0.13)
ब्याज का भुगतान किया		(0.04)	(0.04)
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि की प्राप्ति		-	-
इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान		(9,000.00)	(8,425.00)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश कर		-	-

		31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः कथित)
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद पर कर		-	-
वित्तीय गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली शुद्ध नकदी	**(C)**	**(9,000.89)**	**(8,425.80)**
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)		**723.12**	**(911.62)**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य		**71.49**	**983.11**
अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य		**794.61**	**71.49**
नकद और नकद समकक्षों का मिलान (नोट 4.4 देखें)			
नकद और नकद समकक्ष (बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध)		**794.61**	**71.49**
नकद और नकद समकक्षों के घटक			
(ए) बैंकों के साथ शेष			
- चालू खातों में		461.33	37.49
- चालू खातों में		132.09	33.84
(बी) बैंक बैलेंस भारत के बाहर		-	-
(सी) प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी		201.00	-
(डी) हाथ में चेक, ड्राफ्ट और स्टांप		-	-
(ई) नकद		-	-
(एफ) नकदीकरण भारत के बाहर		-	-
(जी) बैंक ओवरड्राफ्ट		-	-
(एच) अन्य ई-प्रोक्योरमेंट खाता/जीईएम खाता/इम्प्रेस्ट शेष		0.19	0.16
कुल (नकद और नकद समकक्षों के घटकों के लिए नोट 4.4 देखें)		**794.61**	**71.49**

1. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य:

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	**गैर-चालू उधार***	**वित्त पट्टा देनदारियाँ**
1 अप्रैल 2023 तक प्रारंभिक शेष	4.58	2.35
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(0.67)	-0.18
गैर-नकद परिवर्तन के कारण:		
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण और वित्त लागत को कम करना	-	0.30
उधार पर अर्जित ब्याज	-	
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव	0.04	
उधार पर लेनदेन लागत	-	
31 मार्च 2024 को समापन शेष	3.95	2.47

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	गैर-चालू उधार*	वित्त पट्टा देनदारियाँ
1 अप्रैल 2022 तक प्रारंभिक शेष	4.93	2.29
1 अप्रैल 2022 तक प्रारंभिक शेष	(0.63)	(0.13)
1 अप्रैल 2022 तक प्रारंभिक शेष		
1 अप्रैल 2022 तक प्रारंभिक शेष	-	0.19
1 अप्रैल 2022 तक प्रारंभिक शेष	-	
1 अप्रैल 2022 तक प्रारंभिक शेष	0.28	
1 अप्रैल 2022 तक प्रारंभिक शेष	-	
31 मार्च 2023 को समापन शेष	4.58	2.35

* इसमें गैर-वर्तमान उधारों की वर्तमान परिपक्वता और उस पर अर्जित ब्याज शामिल है, टिप्पणी 8.1 देखें

2 नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण भारतीय मानक लेखांकन 7 - 'नकदी प्रवाह का विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

3 समूह ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)के कारण व्यय ₹ 162.88 करोड़ टिप्पणी संख्या 13.8 देखें) खर्च किए हैं (पिछले वर्ष ₹ 207.97 करोड़)।

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

शिव एवं एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 009989एन

(सनदी लेखाकार शिव प्रकाश चतुवेर्दी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 085084

बोर्ड की ओर से

(संजीब कुमार देबनाथ)
महाप्रबंधक (वित्त)

(एस परिडा)
कंपनी सचिव

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
DIN : 09712877

(यू ए कावले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN: 09715213

दिनांक : 20.04.2024
स्थान : संबलपुर

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 1

A. कॉर्पोरेट जानकारी

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), एक मिनीरत्न कंपनी के रूप में भारत में स्थित है और शेयरों द्वारा परिसीमित है। कंपनी को 3 अप्रैल, 1992 को ओडिशा राज्य में खदानों के संबंध में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की परिसंपत्तियों और देयताओं को अधिकार में लेते हुए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की 100% अनुषंगी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020, ओडिशा है।

कंपनी मुख्य रूप से कोयला खनन और उत्पादन करती है।

कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता बिजली और इस्पात क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में सीमेंट, उर्वरक, ईंट भट्टे आदि शामिल हैं।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की 4 अनुषंगी कंपनियां हैं, जिनमें से दो कोयला उत्पादन करती हैं, एक बिजली उत्पादन में और एक अनुषंगी कंपनी रेल कॉरिडोर परियोजनाओं के निर्माण और संचालन में लगी हुई है।

B. अनुपालन का विवरण

ये समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय मानक लेखांकन) नियम, 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (तदुपरान्त " भारतीय मानक लेखांकन" के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण तैयार होने तक जारी, अधिसूचित और प्रभावी बनाए गए भारतीय मानक लेखांकन को अधिकृत किया गया है और इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उन पर विचार किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार जहां नए जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया जाता है या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता होती है, लागू किया जाता है।

टिप्पणी 2: सामग्री लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़कर एक्यूरल आधार पर तैयार किए गए हैं, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधन लागत या उचित मूल्य पर प्रासंगिक भारतीय मानक लेखांकन के संदर्भ में मापा जाता है।

ऐतिहासिक लागत परिपाटी आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के रूप में निर्धारित की जाती है जिसमें वह संचालित होती है। समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को दो दशमलव बिंदुओं तक 'रुपए करोड़ में' में पूर्णांकित किया जाता है।

2.2 समेकन का आधार

2.2.1 अनुषंगी कंपनियां

i. अनुषंगी संस्थाएँ वे संस्थाएँ हैं जिन पर कंपनी का नियंत्रण होता है और नियंत्रण तब प्राप्त होता है जब समूह प्रकाश में आता है या उसके पास निवेश प्राप्तकर्ता के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न का अधिकार होता है और उसके माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है:

   a. निवेश प्राप्तकर्ता पर अधिकार;

   b. निवेश प्राप्तकर्ता के साथ इसकी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न का एक्सपोजर या अधिकार;

   c. अपने रिटर्न को प्रभावित करने के लिए निवेश प्राप्तकर्ता पर अपने अधिकार का उपयोग करने की क्षमता।

   अनुषंगी कंपनियों पर नियंत्रण हासिल करने की तिथि से अनुषंगी कंपनियों को समेकित किया जाता है और नियंत्रण की समाप्ति की तिथि से उन्हें बंद कर दिया जाता है।

ii. समूह संबंधित वित्तीय विवरणों के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं, राजस्व और व्यय की समान वस्तुओं के अंकित मूल्य को एक साथ जोड़कर सावधानीपूर्ण समेकन के आधार पर होल्डिंग और उसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को जोड़ता है। इंट्रा-ग्रुप बैलेंस, इंट्रा-ग्रुप लेनदेन और इंट्रा-ग्रुप लेनदेन से उत्पन्न शेयरों पर अप्राप्त लाभ को समाप्त कर दिया गया है।

iii. समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान सामग्री लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं, जैसा कि अन्यत्र उल्लेखित है ।

iv. अनुषंगी कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के समय निवल परिसंपत्तियों पर अनुषंगी कंपनियों में निवेश की लागत के बीच के अंतर को समेकित वित्तीय विवरणों में साख या पूंजी यथा प्रकरण आरक्षित के रूप में मान्यता दी जाती है। उक्त साख का परिशोधन नहीं किया जाता है, तथापि यदि समेकित वित्तीय विवरणों में कोई हानि हो तो प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इसका परीक्षण किया जाता है।

v. वर्ष के लिए अनुषंगी कंपनियों के शुद्ध लाभ में गैर-नियंत्रित ब्याज की हिस्सेदारी की पहचान की जाती है और होल्डिंग कंपनी के मालिकों को देय शुद्ध राजस्व ज्ञात करने के लिए समूह के राजस्व के लिए समायोजित किया जाता है। वर्ष के लिए गैर-नियंत्रित ब्याज पर हानि की अधिकता को मालिक के हित में समायोजित किया जाता है।

vi. अनुषंगी कंपनियों की निवल परिसंपत्तियों में गैर-नियंत्रित ब्याज की हिस्सेदारी की पहचान की जाती है और उसे होल्डिंग कंपनी के शेयरधारकों की देनदारियों और इक्विटी से अलग समेकित बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है।

vii. किसी अनुषंगी कंपनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण का नुकसान नहीं होता है, उसे इक्विटी लेनदेन के रूप में माना जाता है।

viii. यदि समूह किसी अनुषंगी कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तो यह परिसंपत्तियों, देनदारियों, किसी भी गैर-नियंत्रित हितों की वहन राशि और इक्विटी में दर्ज संचयी लेनदेन के अंतर को अमान्य कर देता है। पूर्व अनुषंगी कंपनी के किसी भी हित को उस तिथि पर उचित मूल्य पर लाभ और हानि के विवरण में वृद्धि/कमी की पहचान के साथ मापा जाता है।

व्यापारिक संयोजन एवं साख

समूह, समूह संस्थाओं के संयोजन को छोड़कर, जो सामान्य नियंत्रण में हैं, व्यावसायिक संयोजनों के लिए लेखांकन में अधिग्रहण पद्धति लागू करता है। किसी अनुषंगी कंपनी का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए समूह द्वारा हस्तांतरित प्रतिफल की गणना अधिग्रहण-तिथि के अनुसार हस्तांतरित परिसंपत्तियों के उचित मूल्यों, देयताओं और समूह द्वारा जारी किए गए इक्विटी हितों के योग के रूप में की जाती है, जिसमें एक आकस्मिक विचार व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली किसी भी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य शामिल होता है। अधिग्रहण की लागत खर्च के अनुसार व्यय की जाती है। अर्जित परिसंपत्तियों और ग्रहण की गई देयताओं को आम तौर पर उनकी अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्यों पर मापा जाता है।

नियंत्रण में संस्थाओं के संयोजन के मामले में, व्यापार संयोजन को ब्याज की पूलिंग विधि के तहत ध्यान में रखा जाता है, जिसके तहत परिसंपत्तियों और देयताओं को अग्रणी राशि पर संयोजित किया जाता है और उनके उचित मूल्यों को प्रतिबिंबित करने या किसी नई परिसंपत्तियों या देयताओं को पहचानने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, साख को किसी भी संचित हानि को घटाकर लागत पर मापा जाता है। हानि परीक्षण के प्रयोजन के लिए, व्यवसाय संयोजन में अर्जित साख, संयोजन तिथि से समूह की प्रत्येक नकद उत्पन्न करने वाली इकाइयों को आवंटित की जाती है, जिनसे संयोजन से लाभ होने की उम्मीद होती है, भले ही अधिग्रहण की अन्य परिसंपत्तियों या देनदारियां हों, उन इकाइयों को सौंपा जाता है।

2.2.2 एसोसिएट्स

एसोसिएट्स वे सभी इकाइयां हैं जिन पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है। यह आम तौर पर ऐसा मामला है जहां कंपनी के पास 20% से 50% के बीच मतदान अधिकार होते हैं। सहयोगियों में निवेश को शुरू में लागत पर पहचाने जाने के बाद, लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकन किया जाता है, सिवाय इसके कि जब निवेश, या उसके एक हिस्से को बिक्री के लिए रखा गया हो, उस स्थिति में इसका हिसाब भारतीय मानक लेखांकन 105 के अनुसार किया जाता है।

समूह वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर सहयोगियों में अपना शुद्ध निवेश कम करता है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्थाएँ वे व्यवस्थाएँ हैं जहाँ समूह का एक या अधिक अन्य पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण होता है।

संयुक्त नियंत्रण, व्यवस्था के नियंत्रण को साझा करने के लिए संविदात्मक रूप से सहमत है जो तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णय के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्थाओं को या तो संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था की कानूनी संरचना के बजाय प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों पर निर्भर करता है।

2.2. 4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत जिन पार्टियों के पास व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण होता है, उनके पास व्यवस्था से संबंधित परिसंपत्तियों के अधिकार और देनदारियों के लिए दायित्व होते हैं। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण को साझा करने के लिए संविदात्मक रूप से सहमत है, जो तभी मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

समूह संयुक्त संचालन की परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्ययों पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार और किसी भी संयुक्त रूप से धारित या खर्च की गई परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्ययों में अपनी हिस्सेदारी को मान्यता देता है। इन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में समान मदों के साथ या अन्य खातों के उपयुक्त शीर्षों के तहत सावधानीपूर्ण आधार पर वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

2.2.5 संयुक्त उपक्रम

i) संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास व्यवस्था की निवल परिसंपत्ति पर अधिकार होता है। संयुक्त उद्यमों में हितों को शुरू में लागत पर पहचाना जाता है और उसके बाद इक्विटी पद्धति का उपयोग करके गणना की जाती है।

ii) संयुक्त उद्यम में निवेश को प्रारम्भ में लागत के आधार पर पहचानने के बाद, लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकन किया जाता है, सिवाय इसके कि जब निवेश, या विक्रय के लिए रखे गए उसके किसी हिस्से को वर्गीकृत किया जाता है, उस स्थिति में इसकी गणना भारतीय मानक लेखांकन 105 के अनुसार की जाती है ।

iii) समूह वस्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर संयुक्त उद्यम में अपने निवल निवेश को कम करता है, जब किसी संयुक्त उद्यम में समूह के घाटे का हिस्सा किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य सहित उस एंटीटी में उसके निवेश के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, तो समूह जब तक संयुक्त उद्यम की ओर से दायित्व वहन न किया हो या भुगतान न किया हो, अतिरिक्त हानि की पहचान नहीं करता ।

iv) समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेनदेन पर अवास्तविक लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित के विस्तार तक समाप्त हो जाते हैं। जब लेनदेन में हस्तांतरित संपत्ति की हानि का प्रमाण नहीं होता तो समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेनदेन पर अवास्तविक हानि भी इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाती है। जहां संयुक्त उद्यमों की लेखांकन नीतियां समूह से भिन्न होती हैं, समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और घटनाओं के लिए उचित समायोजन किए जाते हैं।

v) संयुक्त नियंत्रण बरकरार रखते हुए संयुक्त उद्यम में कम हिस्सेदारी पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में चिन्हित किया है।

vi) जब निवेश एक संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता है और आरक्षित ब्याज एक वित्तीय परिसंपत्ति हो तो समूह लाभ और हानि के विवरण में चिन्हित राशि में बदलाव के साथ उचित मूल्य पर आरक्षित ब्याज की गणना की जाती है। वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में आरक्षित ब्याज के लेखांकन के उद्देश्य से आरक्षित ब्याज का उचित मूल्य प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से चिन्हित की गई कोई भी राशि लाभ और हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत की जाती है।

2.2.6 इक्विटी पद्धति

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, निवेश को शुरू में लागत पर चिन्हित किया जाता है और उसके बाद निवेशिती की निवल संपत्ति के सामूहिक हिस्से में अधिग्रहण के बाद के बदलावों के लिए समायोजन किया जाता है। अधिग्रहण के बाद के लाभ या हानि में समूह की हिस्सेदारी और निवेशिती की अन्य व्यापक आय समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में शामिल हैं। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्य लाभांश को निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में चिन्हित किया जाता है।

जब किसी इक्विटी-अकाउंटेड निवेश में समूह के घाटे का हिस्सा उस एंटीटी में उसके हित के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, जिसमें कोई अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य भी शामिल हो, तो समूह आगे के नुकसान को तब तक चिन्हित नहीं करता, जब तक कि उसने दायित्वों को वहन नहीं किया हो या उसकी ओर से भुगतान नहीं किया हो।

2.2.7 स्वामित्व हितों में परिवर्तन

समूह गैर-नियंत्रित हितों वाले लेनदेन को समूह के इक्विटी मालिकों के साथ लेनदेन के रूप में मानता है जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण में हानि नहीं होती । स्वामित्व हित में परिवर्तन के परिणामस्वरूप अनुषंगी कंपनी में उनके सापेक्ष हितों को दर्शाने के लिए नियंत्रित और गैर-नियंत्रित हितों की वहन राशि के बीच समायोजन होता है। गैर-नियंत्रित हितों के समायोजन की राशि और भुगतान या प्राप्त प्रतिफल के किसी भी उचित मूल्य के बीच कोई भी अंतर इक्विटी के भीतर चिन्हित किया जाता है ।

जब समूह नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के हानी के कारण किसी निवेश के लिए समेकित या इक्विटी खाता बंद कर देता है, तो उस एंटीटी में किसी भी आरक्षित ब्याज लाभ या हानि में चिन्हित राशि में परिवर्तन के साथ उसके उचित मूल्य पर पुनः गणना की जाती है। यह उचित मूल्य एक सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में रखे गए ब्याज के लिए बाद में लेखांकन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। इसके अलावा, उस एंटीटी के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से चिन्हित किसी भी राशि का हिसाब लगाया जाता है जैसे कि समूह ने संबंधित संपत्तियों या देनदारियों का सीधे निपटान किया हो। इसका अर्थ यह हो सकता है कि अन्य व्यापक आय में पहले से चिन्हित की गई राशि को लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

यदि संयुक्त उद्यम या सहयोगी उद्यम में स्वामित्व हित कम हो जाता है लेकिन संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव बना रहता है, तो अन्य व्यापक आय में पहले से चिन्हित राशि का केवल अनुपातिक हिस्सा लाभ या हानि के लिए जहां उपयुक्त हो, पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी अपने तुलन-पत्र में चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब,

(a) यह सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूली अथवा बिक्री अथवा इसके उपभोग की इच्छा रखती है।;

(b) यह परिसंपत्ति को मुख्य तौर पर व्यापार के उद्देश्य के लिए रखती है;

(c) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति के वसूली की अपेक्षा रखती है; अथवा

(d) परिसंपत्ति नकद व नकद समकक्ष (लेखांकन नीति 7 में यथा-परिभाषित) रुप में तब तक रहती है जब तक परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमय किए जाने या देयता के निपटान के लिए उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी आस्तियों को गैर-चालू के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी के द्वारा किसी देयता को चालू के रुप में तब माना जाता है जब:

(a) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती है।;

(b) इसकी देयता मुख्य तौर पर व्यापार के लिए होती है।;

(c) रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर बकाये देयता का निपटान किया जाना है; अथवा

(d) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्तहीन अधिकार इसके पास नहीं है। प्रतिरुप के विकल्प पर किसी देयता के जो नियम इक्विटी-विपत्रों को जारी करके इसके निपटान के फलस्वरुप हो सकते थे, वे इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में सुनिश्चित किया है।

2.4 राजस्व स्वीकृति

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

राजस्व मुख्यतः कोयले की बिक्री, संबंधित सहायक सेवाओं और उत्पादों से प्राप्त होता है। उत्पादों की बिक्री से होने वाले राजस्व की पहचान तब की जाती है जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात जब उत्पादों को ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। वितरण तब होता है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया गया हो या वितरित कर दिया गया हो, जैसा भी मामला हो, और हानि के जोखिमों को विक्रय अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिया गया है। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस विचार को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग सबसे संभावित विधि का उपयोग करके विक्रय अनुबंध के अनुसार परिवर्तनीय विचार का आकलन लगाने और प्रदान करने के लिए किया जाता है और राजस्व को केवल उस स्तर तक चिन्हित किया जाता है कि महत्वपूर्ण निरसन न होने की अत्यधिक संभावना हो। प्रतिफल की राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है क्योंकि विक्रय अनुबंध के अनुसार भुगतान की शर्तें एक वर्ष से कम हैं।

कंपनी के पास भविष्य में ग्राहकों को उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए कई दीर्घकालिक अनुबंध हैं। आम तौर पर, राजस्व को चालान के आधार पर चिन्हित जाता है, क्योंकि बेची गई प्रत्येक इकाई एक अलग कार्य निष्पादन दायित्व है, और इसलिए ग्राहक से प्रत्यक्ष रूप से सोच-विचार करने का अधिकार हमारे आज तक के कार्य निष्पादन से मेल खाता है।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करने और अनुदान प्राप्त होने की निश्चितता का उचित आश्वासन न दे दे ।

सरकारी अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मान्यता देती है जिससे अनुदान की क्षतिपूर्ति की जाती है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में अनुदान की स्थापना करके तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी संपत्ति के अलावा अन्य अनुदान) सामान्य शीर्षक अन्य आय' के तहत लाभ या हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

एक सरकारी अनुदान/सहायता जो पहले से किए गए खर्चों या हानियों के मुआवजे के रूप में या भविष्य से संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य हो जाती है, को उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह प्राप्य हो जाता है।

सरकार अनुदान या संवर्धक योगदान की प्रकृति में सीधे "कैपिटल रिजर्व" में दी गई है जो "शेयर धारकों के फंड" का हिस्सा है।

2.6 पट्टे

यदि एक अनुबंध विचार के बदले में समय की अवधि के लिए किसी चिन्हित की गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो वह अनुबंध पट्टा है, या पट्टे को सम्मिलित करता है।

2.6.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। यदि अनुबंध विचार के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए चिन्हित संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है तो यह अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें शामिल है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी चिन्हित की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है या नहीं इसका जांच करने के लिए कंपनी यह आकलन करती है कि क्या: (i) अनुबंध में एक चिन्हित

की गई संपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ हैं और (iii) कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

प्रारंभ तिथि पर, एक पट्टेदार लागत पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता देगा जो उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

तत्पश्चात राइट-टू-यूज एसेट्स को लागत मूल्य का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता में ब्याज दर्शाने के लिए बढ़ती वहन राशि, किए गए पट्टा भुगतान को दर्शाने के लिए वहन राशि को घटकर किसी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधन को दर्शाने के लिए वहन राशि के पुनर्मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है।

पट्टे की देनदारी को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान में पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में बदलाव करती है कि वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का उपयोग करेगी या या विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी तो पट्टे की देनदारियों को संपत्ति के उपयोग से संबंधित अधिकार के अनुरूप समायोजन के साथ पहले से मापा जाता है। लीज देनदारी और आरओयू परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और लीज भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लीज देनदारी दायित्वों को "वित्तीय देनदारियां" शीर्षक के तहत अलग से प्रस्तुत किया गया है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

संपत्ति के उपयोगी जीवन पर उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास किया जाता है, यदि पट्टा पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है या यदि उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद विकल्प का प्रयोग करेंगे। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग-से-उपयोग की संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से लेकर उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के अंत तक या पट्टे की अवधि के अंत तक करेगा।

2.6.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

परिसंपत्तियों को वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे पर दिया जाता है।

वित्त पट्टा: एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित करता है। प्रारंभ में, वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को बैलेंस शीट में चिन्हित किया जाता है और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर रिटर्न की निरंतर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न के आधार पर, पट्टे की अवधि के दौरान वित्त आय की पहचान की जाती है।

परिचालन पट्टा: एक पट्टा जिसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है वह एक परिचालन पट्टा है। कंपनी परिचालन पट्टों पर दी गई संपत्तियों के मामले में पट्टा भुगतान को प्रत्यक्ष आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

2.7 विक्रय हेतु गैर चालू संपत्ति

कंपनी विक्रय के लिए रखी गैर-चालू परिसंपत्तियों और या निपटान समूहों को वर्गीकृत करती है यदि उनकी वहन राशि निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रूप से विक्रय के माध्यम से पुनर्प्राप्त की जाएगी। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से संकेत मिलना चाहिए कि विक्रय में महत्वपूर्ण बदलाव किया जाना या विक्रय का निर्णय वापस लिया जाना अविश्वसनीय है। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी होने वाले विक्रय के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन उद्देश्यों के लिए जब विनिमय में वाणिज्यिक संदर्भ होता है तब विक्रय लेनदेन में अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का आदान-प्रदान शामिल होता है। बिक्री के लिए धारित वर्गीकरण के मानदंड तभी पूरे माने जाते हैं जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। ऐसी परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत शर्तों के अधीन ही इसकी बिक्री होती है इसकी अत्यधिक संभावना है; और इसे वास्तव में बेचा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब:

- प्रबंधन का उचित स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है,
- खरीदार का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है
- परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को ऐसे मूल्य पर बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है जो उसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित है,
- वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर बिक्री को पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त होने की उम्मीद है, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या योजना वापस ले ली जाएगी।

बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्ति या निपटान समूहों को बेचने की लागत घटाकर वहन राशि और उचित मूल्य के निचले स्तर पर मापा जाता है।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और ह्रास

यदि यह संभव है कि किसी वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है तो पीपीई की उस वस्तु को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है ।

पीपीई को शुरू में जहां भी आवश्यक हो, डिकमीशनिंग या बहाली लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मापा जाता है। भूमि की लागत में वे व्यय शामिल हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भूमि के अधिग्रहण से जुड़े हैं जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले में प्रतिपूर्ति आदि।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्रों और उपकरणों की मद को कम लागत पर किसी भी संचित मूल्यह्रास और लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित हानि के नुकसान पर ले जाया जाता है। किसी भी संपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नहलिखित शामिल है:

(a) व्याकपार में छूट और कटौती के बाद इनका क्रय मूल्यक जिसमें निर्यात शुल्कई तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क ।

(b) परिसंपत्ति को स्थान तक लाने के लिए और प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए इसके लिए आवश्यक परिस्थिति के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कोई भी लागत।

(c) चीजों को तोड़ने और हटाने और जहां वह स्थित है उस साइट को पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, उस अवधि के दौरान सूची तैयार करने के अलावा वह दायित्व जिसके लिए कंपनी या तो चीजें प्राप्त होने पर या किसी विशेष अवधि के दौरान चीजों का उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है।

(d) अर्हक परिसंपत्तियों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए गए उधार पर ब्याज को परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाए।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। हालांकि, पीपीई के मद के महत्वपूर्ण भाग (एस) में एक ही उपयोगी जीवन और अवमूल्यन विधि है, जो मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समूहबद्ध होती है।

'मरम्मत और रखरखाव' के लिए वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवा की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें समान खर्च होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की कुल लागत के संबंध में भागों को बदलने के बाद की लागत को वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभव है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तो वस्तु की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। जिन हिस्सों को बदला गया है उनकी वहन राशि को नीचे उल्लिखित मान्यता रद्द करने की नीति के अनुसार रद्द कर दिया गया है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को प्रतिस्थापन के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तो वस्तु की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। पिछले निरीक्षण की लागत की कोई भी शेष वहन राशि (भौतिक भागों से अलग) को अमान्य कर दिया गया है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की किसी वस्तु को निपटान पर या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है, तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। संपत्ति संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की ऐसी मान्यता रद्द होने से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में चिन्हित किया जाता है ।

फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधे तौर पर लागत मॉडल के अनुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि	
(पट्टेकृत भूमि सहित)	: परियोजना की अवधि या पट्टा अवधि में से जो भी कम हो
भवन (सड़क सहित)	: 3-60 वर्ष
दूरसंचार	: 3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	: 15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	: 1-40 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	: 3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	: 3-5 वर्ष
फर्नीचर व फिक्सैचर	: 10 वर्ष
वाहन	: 8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवनकाल उस अवधि का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके दौरान प्रबंधन संपत्ति का उपयोग करने की आशा करता है। इसलिए परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवनकाल से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति की कुछ वस्तुओं जैसे कि अन्य भूमि, साइट बहाली संपत्ति, अन्य खनन बुनियादी ढांचे, सर्वेक्षण की गई संपत्तियों को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य को संपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है। कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि जैसी वस्तुओं के लिए शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ तकनीकी रूप से उपयोगी जीवन एक वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़ी/निपटाई गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास, वृद्धि/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा,पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर.एफ.सी.टी.एल.ए.ए.आर) अधिनियम, 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जोकि परियोजना के शेष जीवन(समय) के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित, उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांचकर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी मौजूदा संपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत सक्षम संपत्ति के रूप में चिन्हित किए जाते हैं।

भारतीय मानक लेखांकन में परिवर्तन

कंपनी ने लागत मॉडल (अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए, जैसा कि पिछले जीएएपी के अनुसार भारतीय मानक लेखांकन में परिवर्तन की तिथि पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है) के अनुसार वहन मूल्य जारी रखने के लिए चुना है।

2.9 खदान बंद करना, साइट की बहाली और डीकमीशनिंग ओब्लिगेशन

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित हैं। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं लगाने वाली खर्च की विस्तृत लेखा-जोखा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आकलन मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते हैं, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देय धन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना/ खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उतरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंबनिधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

खान बंदी करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में निलंबखाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.10 अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ –

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती हैं जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती हैं। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन निम्न बातों के तहत सम्मिलित किये गये हैं:

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण।
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा के शोध एवं विश्लेषण;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भू-भौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना;
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग तथा नमूने;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन;

उपर्युक्त संस्करण में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान आदि शामिल है।

चूंकि अमूर्त घटक समग्र अपेक्षित मूर्त लागतों के एक नगण्य/अभेद्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भविष्य के दोहन से वसूल किया जाता है, इन लागतों को अन्य पूंजीकृत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

तकनीकी व्यवहार्यता और परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के निर्धारण के लंबित परियोजना के आधार पर अन्वेषण और मूल्यांकन लागतों को परियोजना के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत एक अलग लाइन आइटम के रूप में खुलासा किया जाता है। बाद में उन्हें लागत कम संचित हानि/प्रावधान पर मापा जाता है।

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/ परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई आस्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.11 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार निर्धारित किए जाते हैं और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी दी जाती है, पूंजीकृत अन्वेषण और मूल्यांकन लागत को निर्माणाधीन संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और "विकास" शीर्षक के तहत प्रगति पर पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में खुलासा किया जाता है। बाद के सभी विकास व्यय भी पूंजीकृत हैं। पूंजीकृत विकास व्यय विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय का शुद्ध योग है।

वाणिज्यिक संचालन :

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; जब स्थायी आधार पर उत्पादन के लिए किसी परियोजना/खान की व्यावसायिक तत्परता या तो परियोजना रिपोर्ट में विशेष रूप से बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

क. अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया है या

ख. कोयले के 2 साल के उत्पादन,या

ग. वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो, जो भी घटना पहले हो।

राजस्व में लाए जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत चल रही संपत्ति को "अन्य खनन अवसंरचना" नाम के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन अवसंरचना का परिशोधन उस वर्ष से किया जाता है जब खदान को 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाया जाता है या परियोजना का कामकाजी जीवन जो भी कम हो।

2.12 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अलग से अर्जित अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। लागत में संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार खर्च शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि हानि को कम लागत पर ले जाया जाता है।

तदुपरान्त व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में चिन्हित किया जाता है जब यह संभव हो कि लागत से प्राप्त होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

अमूर्त संपत्ति की एक वस्तु को निपटान पर या उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। किसी अमूर्त संपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और संपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि के विवरण में चिन्हित किया जाता है।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया है।

अमूर्त सम्पत्ति के उपयोगिता को सीमित/ अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवनकाल या परिसंपत्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अमूर्त परिसंपत्ति उनके अनिश्चित उपयोगिता के साथ परिशोधित नहीं की जाती अपितु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कमी हेतु उसका परीक्षण किया जाता है।

बिक्री के लिए पहचाने गए अथवा बाहरी एजेंसियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लाकों के कारण अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों (अर्थात सीआईएल के लिए निर्धारित नहीं किए गए ब्लाकों के लिए) को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और हानि के लिए उनकी जांच की जाती है।

अनुसंधान पर व्यय को जब भी खर्च किया जाता है, व्यय में शामिल किया जाता है। विकास पर व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हो और कंपनी का प्रयोजन विकास को पूरा करने और संपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन हो।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा):

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह आकलन करती है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त होने का कोई संकेत तो नहीं, यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि उपयोग में परिसंपत्ति या नकदी निर्माण करने वाली इकाई के मूल्य और उसके उचित मूल्य से निपटान की लागत से अधिक होती है, और एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो काफी हद तक स्वतंत्र होती है। अन्य परिसंपत्तियाँ या परिसंपत्तियों के समूह, इस मामले में वसूली योग्य राशि उस नकदी निर्माण करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। क्षति के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को समूह अलग-अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानता है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान हो तो परिसंपत्ति की वहन राशि को उसकी वसूली योग्य राशि में घटा दिया जाता है और उस क्षति को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.14 निवेश संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के बजाय किराया अर्जित करने या पूंजी में मूल्य वृद्धि या दोनों के लिए रखी गई है; या व्यवसायों के सामान्य पाठ्यक्रम में बिक्री को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश संपत्ति को प्रारंभ में उसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहां लागू हो उधार लेने की लागत शामिल है।

निवेश संपत्तियों का उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन पद्धति का उपयोग करके मूल्यह्रास किया जाता है।

2.15 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन वह अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयताओं या इक्विटी साधन का निर्माण करती है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.15.1.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय आस्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से लेनदेन लागत सहित उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, ऐसा वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर बाजार स्थान (नियमित तरीके से व्यापार) में परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, अर्थात, जिस तारीख को कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है। हालाँकि, व्यापार प्राप्य जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होते है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.1.2 अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपतियों को अनुवर्ती माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन
- अन्यो व्या पक आय के माध्यम से उचित मूल्यग (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई) पर ऋणसाधन।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य् (एफ़वीटीपीएल) पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।
- अन्यो व्याकपक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई) पर मापे गए ईक्विटी साधन

2.15.1.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत परिशोधित लागत पर ऋण साधन मापे जाते हैं:

a) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना है, और

b) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद, प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीबय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। कमी के कारण हुई हानियों को लाभ व हानि में स्वीाकार किया गया है।

2.15.1.2.2 एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में ऋण साधन

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

a) संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

b) परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेब्टक इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्ये क रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे कंपनी ने लाभ एवं हानि विवरण में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को चिन्हित कर लिया है। परिसंपत्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में चिन्हित किए गए है को संचयी लाभ या नुकसान के तहत लाभ एवं हानि के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई डैब्ट इन्स्ट्रुमेंट को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.1.2.3 एफवीटीपीएल में डेब्टे इंस्ट्रूमेंट

डेब्ट इंस्ट्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके साथ ही, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो एफवीटीपीएल में परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड (जिसे ' बेमेल लेखांकन' के रूप में संदर्भित किया जाता है) को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक चिन्हित किए गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में किसी ऋण साधन को निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधन को उचित मूल्य पर लाभ-हानी में चिन्हित सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.15.1.2.4 अनुषंगी, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय मानक लेखांकन 101 (भारतीय मानक लेखांकन में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि परिवर्तन(ट्रांजिशन) की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। तत्पश्चात अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणी से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में विहित इक्विटी प्रणाली के अनुसार सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश की गणना की जाती है।

2.15.1.2.5 अन्यन इक्विटी निवेश

कंपनी अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन कर सकती है। कंपनी ऐसे चुनाव उपकरण दर उपकरण के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।भारतीय मानक लेखांकन 109 के क्षेत्र में शामिल सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्यग पर मापा जाता है।

एफवीटीओसीआई में वर्गीकृत इक्विटी उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तन ओसीआई में मान्यता प्राप्त हैं। लाभ और हानि के विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का कोई बाद में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांश को जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए तब लाभ और हानि विवरण में "अन्य आय" के रूप में मान्यता दी जाती है ।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी उपकरणों को लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.1.3 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या जहां लागू हो, परिसंपत्ति के एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया जाता है (जैसे तुलनपत्र से हटाया गया), जब:

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं या 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना किसी देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व मान लिया है और या तो (a) कंपनी ने; परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है, या (b) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करती है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित किया है, तो कंपनी, कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित परिसंपत्ति को पहचानना जारी रखती है। उस स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध दायित्व को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित संपत्ति और संबंधित देनदारी को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बरकरार रखे गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि के निचले भाग और कंपनी को चुकाने के लिए आवश्यक प्रतिफल की अधिकतम राशि पर मापा जाता है।

2.15.1.4 वित्तीय संपत्ति की हानि (उचित मूल्य को छोड़कर)

भारतीय मानक लेखांकन 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

(a) वित्तीय परिसंपत्तियां उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि, जो कि डेब्टद इंस्ट्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

(b) वित्तीय परिसंपत्ति जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

(c) भारतीय लेखांकन मानक 116 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

(d) व्यापार प्राप्य या नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय मानक लेखांकन 115 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया:-

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य; और
- भारतीय मानक लेखांकन 116 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न सभी पट्टा प्राप्य

सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि, यह प्रारंभिक मान्यता से ही, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देता है।

2.15.2 वित्तीय देयताएँ

2.15.2.1 आरंभिक मान्यता तथा मापन

कंपनी की वित्तीय देयताओं में बैंक ओवरड्राफ्ट सहित व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं।

ऋण और उधार लेने के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शाई जाती है।

2.15.2.2 अनुवर्ती माप

वित्तीऔय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है:

2.15.2.2.1 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देयताओं और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताएं शामिल हैं।

वित्तीय देयताओं को,यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं, व्यापार के लिए वर्गीकृत किया जाता है । इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय मानक लेखांकन 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग किए गए एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी व्यापार के लिए वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में चिन्हित किया जाता है।

2.15.2.2.2 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें परिशोधन लागत पर प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में तब चिन्हित किया जाता है जब देयताओं की पहचान प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी रद्द कर दी जाती है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग हैं। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

2.15.2.3 मान्यता वापस लेना

कोई वित्तीय देयता की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब देयता के तहत दायित्व को निर्वहन, निरस्त या समाप्त किया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से दूसरे द्वारा भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया गया है, ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता रद्दीकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। किसी वित्तीय देयता(या किसी वित्तीय देयता का भाग) की वहन राशि के समाप्त होने या किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित होने और भुगतान किए गए प्रतिफल, जिसमें हस्तांतरित किसी भी गैर-नकद संपत्ति या ग्रहण की गई देयताएँ शामिल हैं, के बीच का अंतर लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

2.15.2.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो कि इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, के लिए पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में बदलाव होता है। बिजनेस मॉडल में बदलाव कम ही होने की उम्मीद है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसाय मॉडल में बदलाव का निर्धारण करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे बदलाव बाहरी पार्टियों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में बदलाव तब होता है जब कंपनी या तो कोई ऐसी गतिविधि शुरू करती है या बंद कर देती है जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो यह पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से संभावित रूप से लागू करती है जो व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के बाद तुरंत अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी किसी भी पहले से मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (हानि लाभ या हानि सहित) या ब्याज का दोबारा वर्णन नहीं करती है।

निम्नलिखित तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण और उनकी गणना के तरीके को दर्शाती है :

लेखांकनविधि	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकनविधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पीएंडएल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में चिन्हित किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली वहन राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में लाभ एवं हानि के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.15.2.5 वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और निवल आधार पर धन प्राप्त करने के लिए संपत्ति बेचने और साथ ही देयताओं के निपटान करने का इरादा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की ऑफसेट की जाती है और निवल राशि को समेकित बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.2.6 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

कंपनी ऐसे माप के लिए नियोजित इनपुट का निरीक्षण करने की क्षमता के आधार पर उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है:

(a) स्तर 1: इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित) हैं।

(b) स्तर 2: उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट स्तर 1 के भीतर शामिल हैं जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करने योग्य हैं।

(c) स्तर 3: परिसंपत्ति या देयताओं के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (इनपुट जो अवलोकन योग्य नहीं है) पर आधारित नहीं हैं।

उचित मूल्यों के मापन के संबंध में कंपनी के पास एक स्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापों की देखरेख की समग्र जिम्मेदारी है जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट, मूल्यांकन समायोजन और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करते हैं जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.15.3 नगद एवं नगद समकक्ष

तुलनपत्र में नकद और नकद समकक्ष में बैंकों और पास में रखे नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकद और अल्पकालिक जमा, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, कुल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है, शामिल हैं।

2.16. उधार लेने की लागत

प्रत्यक्ष रूप से अर्हता प्राप्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन को छोडकर उधार लेने की लागत जहां आवश्यक हो, व्यय की जाती है अर्थात ऐसी परिसंपत्तियां जिन्हें अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, ऐसी स्थिति में उन्हें संबंधित परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में उस तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है जब योग्य परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है।

2.17 कर निर्धारण

आयकर व्यसय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है। कर योग्य लाभ "आय कर से पहले लाभ" से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में वर्णित है क्योंकि इसमें आय या व्यय की मदें शामिल नहीं हैं जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती

योग्य हैं और इसमें उन मदों को भी शामिल नहीं किया गया है जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देनदारी की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई हैं।

आस्थगित कर देयताओं को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होने संभावना हो जिसके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है जो अस्थायी अंतर साख से या किसी लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं की प्रारंभिक मान्यता (व्यावसायिक संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि परिसंपत्ति के सभी या उसके हिस्से को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होना संभव न हो। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस सीमा तक चिन्हित किया जाता है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या उसके हिस्से को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होना संभव हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है जिसमें देयता का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है जो कर दर (और कर कानून) के आधार पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हो चुके हैं।

आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का माप उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से होंगे जिससे कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान की उम्मीद करती है।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन वस्तुओं से संबंधित होते हैं जो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में पहचाने जाते हैं, उस स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां वर्तमान कर या आस्थगित कर किसी व्यवसाय संयोजन के प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, वहां कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

संबन्धित मदों को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को क्रमश: उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी हितलाभ

2.18.1 अल्पाहवधि हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ हैं (समाप्ति लाभों के अलावा) जो वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह माह पूर्व पूरी तरह से निपटाए जाने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.18.2 रोजगार पश्चानत लाभ एवं अन्या कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.18.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएँ

एक परिभाषित योगदान योजना रोजगार पश्चात एक लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निकाय द्वारा बनाए गए फंड में एक निश्चित योगदान का भुगतान करती है और आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी की कोई कानूनी या रचनात्मक बाध्यता नहीं होगी। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के दायित्वों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.18.2.2 पारिभाषित लाभ योजनाएं:

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा रोजगार पश्चात लाभ योजना है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के निवल दायित्व की गणना कर्मचारियों द्वारा वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवा के बदले अर्जित भविष्य के लाभ की माला का अनुमान लगाकर की जाती है। लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य, यदि कोई हो, से घटाया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार उत्पाद पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुरूप होती हैं और जिन्हें उसी मुद्रा में मूल्यवर्गित किया जाता है, जिसमें लाभ का भुगतान होने की उम्मीद होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट दर, संपत्ति पर रिटर्न की अपेक्षित दर, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि के बारे में धारणा बनाना इत्यादि शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण ऐसे अनुमान अनिश्चितताओं के अधीन हैं। प्रत्येक बैलेंस शीट पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक्चुअरी द्वारा गणना की जाती है। जब गणना के परिणामस्वरूप कंपनी को लाभ होता है, तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति योजना से किसी भी भविष्य के रिफंड या योजना में भविष्य के योगदान में कमी के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है। यदि यह योजना के जीवनकाल के दौरान या योजना देनदारियों के निपटान पर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है तो कंपनी को यह आर्थिक लाभ उपलब्ध होता है।

निवल परिभाषित लाभ देयता का पुन: मापन, जिसमें योजना परिसंपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) पर रिटर्न को ध्यान में रखते हुए बीमांकिक लाभ और हानि शामिल है और परिसंपत्ति सीमा (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) के प्रभाव को अन्य व्यापक आय में तुरंत मान्यता दी जाती है। कंपनी योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व (परिसंपत्ति) में किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक अवधि की शुरुआत में परिभाषित

लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर को तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी (परिसंपत्ति) पर लागू करके अवधि के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व (परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है। निवल ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि में पहचाना जाता है।

जब योजना के लाभों में सुधार किया जाता है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.18.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ रोजगार उपरांत लाभ और सेवा समाप्ति लाभों के अलावा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, सभी कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे मदें शामिल हैं जिनका वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, की समाप्ति के बाद बारह माह से पहले पूरी तरह से निपटान होने की उम्मीद नहीं है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का निवल योग लाभ एवं हानि के विवरण में चिन्हित किया जाता है:

(a) सेवा लागत

(b) निवल परिभाषित लाभ देनदारी (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज

(c) निवल परिभाषित लाभ दायित्व (संपत्ति) का पुन: माप

2.19 विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक परिसंपत्ति और देयताओं का रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अंतरण किया जाता है। मौद्रिक परिसंपत्तियों के निपटान और देयताओं या मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं के अंतरण जो उन दरों जिस पर अवधि के दौरान या उनके प्रारम्भिक मान्यता पर पिछले वित्तीय विवरणों में भिन्न अंतरों पर अंतरित किए गए थे, लाभ-हानी विवरणी में उत्पन्न विनिमय अंतरों को अवधि में मान्यता दी जाती है ।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक वस्तुओं का मूल्य लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.20 स्ट्रिपिंग गतिविधि

कोयले तक पहुँचने के लिए ओवरबर्डन हटाने की प्रक्रिया को स्ट्रिपिंग कहा जाता है। कोयले तक पहुंचने के लिए स्ट्रिपिंग आवश्यक है और यह खुली खदान के पूरे जीवनकाल में होती है। विकास और उत्पादन चरणों के दौरान स्ट्रिपिंग लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में अन्य खनन बुनियादी ढांचे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अलग-अलग खानों के लिए स्ट्रिपिंग लागत की अलग-अलग गणना की जाती है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के लिए कंपनी का लेखा-जोखा निम्नवत है:

विकास चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत

ये निकाले जाने वाले कोयले तक पहुंच प्राप्त करने के लिए की गई प्रारंभिक ओवरबर्डन हटाने की लागत है। जब यह संभावना होती है कि भविष्य में आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और लागतों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है तो इन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है। एक बार जब उत्पादन चरण शुरू हो जाता है, तो खदान के जीवन(परिचालन समय) पर पूंजीगत विकास स्ट्रिपिंग लागत का परिशोधन किया जाता है।

उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत:

कंपनी की नीति के अनुसार खदान को राजस्व में लाने के बाद ये ओवरबर्डन हटाने की लागतें हैं। उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत से दो लाभ हो सकते हैं, वर्तमान अवधि में कोयले की निकासी और भविष्य में निकाले जाने वाले कोयले तक बेहतर पहुंच। उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत को मानक स्ट्रिप अनुपात (ओवरबर्डन-टू-कोयला) का उपयोग करके उत्पादित इन्वेंट्री और स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति के बीच आवंटित किया जाता है। मानक स्ट्रिप अनुपात खदान के पूरे जीवनकाल में निकाले जाने वाले कुल कोयले के मुकाबले हटाए जाने वाले ओवरबर्डन की कुल मात्रा है। जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने पर हटाए गए अतिरिक्त ओवरबर्डन की स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति का परिशोधन खदान के जीवनकाल के दौरान किया जाता है। भू-खनन स्थितियों में परिवर्तन का मानक स्ट्रिप अनुपात पर प्रभाव पड़ सकता है। अनुपात में परिवर्तन को संभावित रूप से ध्यान में रखा जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत अलग से शामिल किया गया है।

कंपनी एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की क्षमता वाली खदानों में उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत के लिए स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को मान्यता देती है।

2.21 वस्तु सूची

2.21.1 कोयला भंडार

कोयले/कोक की सूची कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर वर्णित है। भारित औसत पद्धति का उपयोग करके इन्वेंट्री की लागत की गणना की जाती है। निवल वास्तविक मूल्य इन्वेंट्री की अनुमानित बिक्री मूल्य को पूरा करने की सभी अनुमानित लागतों और बिक्री करने के लिए आवश्यक लागतों को घटाकर दर्शाता है।

कोयले के बुक स्टॉक को उन खातों में जहां बुक स्टॉक और मापे गए स्टॉक के बीच अंतर +/- 5% तक है, समझा जाता है और ऐसे मामलों में जहां यह अंतर +/- 5% से अधिक है, वहां मापे गए स्टॉक पर विचार किया जाता है। ऐसे शेयरों का मूल्यांकन निवल वस्तिक मूल्य या लागत, जो भी कम हो, पर किया जाता है। कोक को कोयले के भण्डार का एक भाग माना जाता है।

कोयले और कोक-फाइन का मूल्यांकन लागत से कम या निवल वास्तविक मूल्य पर किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक का एक हिस्सा माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग), वॉशरी की मिडलिंग और सह -उत्पादों का मूल्यांकन निवल वास्तविक मूल्य पर किया जाता है और कोयले के स्टॉक का एक हिस्सा माना जाता है।

2.21.2 भंडार पुर्जे और अन्य वस्तु सूची

अन्य वस्तु सूची सहित स्टोर और स्पेयर के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत विधि के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित दुकानों और पुर्जों के लिए 100% की दर से और 5 वर्षों से स्थानांतरित न किए गए स्टोर्स और स्पेयर्स के लिए 50% की दर से प्रावधान किए जाते हैं।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी के पास वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहां पैसे का धन सामयिक मूल्य महत्वपूर्ण है, दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों का उल्लेख हैं।

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है।

जहां यह संभव न हो कि आर्थिक लाभ के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता हो, दायित्व को आकस्मिक दायित्व के रूप में दर्शाया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो। संभावित दायित्व, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो।

आकस्मिक परिसंपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार मूल्यांकन किया जाता है कि विकास वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रतिबिंबित हो।

2.23 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना कर पश्चात लाभ को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो सभी डायल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जा सकती थी।

2.24 अनुपात परिवर्तन

सीआईएल की स्थापना के बाद से ही इसके द्वारा स्थापित नीति अनुपात परिवर्तन आरक्षित की मान्यता का लगातार पालन करती रही है। इस लेखांकन पद्धति को आयकर अधिकारियों सहित कई आधिकारिक निकायों और मंचों द्वारा प्रमाणित और मान्य किया गया है।

जब भी प्रावधान/परिसंपत्ति के परिवर्तित होने की स्थिति उत्पन्न होती है, अनुपात परिवर्तन आरक्षित की अग्रणीत राशि को व्यवस्थित रूप से परिवर्तित कर दिया जाएगा। ऐसा परिवर्तन उन खानों के लिए विशिष्ट होना चाहिए जिनके लिए समान प्रावधान/परिसंपत्ति को मान्यता दी गई है।

खदान के मामले में, जहां अनुपात परिवर्तन आरक्षित में क्रेडिट बैलेंस होता है, स्ट्रिपिंग गतिविधि की शुरुआती औसत दर से अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा से अधिक निकाले गए ओवरबर्डन की अतिरिक्त मात्रा को अनुपात परिवर्तन आरक्षित लाभ के संगत डेबिट के साथ विवरण में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में मान्यता दी जाएगी।

जहां अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा मानक स्ट्रिप अनुपात से गुणा किए गए कोयले की मात्रा है, जहां मानक स्ट्रिप अनुपात खदान के दौरान निकाले जाने वाले कुल ओवरबर्डन को खदान के दौरान निकाले जाने वाले कुल कोयले से विभाजित किया जाता है।

2.25 निर्णय, आकलन और धारणाएं

भारतीय मानक लेखांकन के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और संपत्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई मात्रा, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक संपत्तियों और देयताओं के खुलासे और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करती हैं। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से युक्त लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन अनुमान समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि महत्वपूर्ण हो, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रस्तुत किया जाता है।

2.25.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

2.25.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण

लेखांकन नीतियां इस तरह से तैयार की जाती हैं कि वित्तीय विवरणों में लेनदेन, अन्य गतिविधियों और उन पर लागू होने वाली शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी शामिल होती है। जब इन नीतियों को लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हो उन्हें लागू करने की आवश्यकता नहीं है ।

किसी लेनदेन, अन्य घटना या स्थिति पर विशेष रूप से लागू होने वाले भारतीय मानक लेखांकन की अनुपस्थिति में, प्रबंधन ने एक लेखांकन नीति विकसित करने और लागू करने में अपने निर्णय का उपयोग किया है जिसके परिणामस्वरूप जानकारी मिलती है:

a) उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की जरूरतों के लिए प्रासंगिक और

b) उस वित्तीय विवरण में विश्वसनीय: और

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का निष्ठापूर्वक प्रतिनिधित्व करता है;

(ii) लेनदेन के आर्थिक सार, अन्य घटनाओं और स्थितियों को प्रतिबिंबित करें, न कि केवल कानूनी रूप को;

(iii) तटस्थ हैं, अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त हैं;

(iv) विवेकपूर्ण हैं; और

(v) सुसंगत आधार पर सभी भौतिक मामलों में पूर्ण हैं

निर्णय लेने में प्रबंधन अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों को संदर्भित करता है और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है:

(a) समान और संबंधित मुद्दों से निपटने वाले भारतीय मानक लेखांकन में आवश्यकताएं; और

(b) फ्रेमवर्क में परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय के लिए परिभाषाएं, मान्यता मानदंड और माप अवधारणाएं।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं पर विचार करता है और उसके अभाव में अन्य मानक-निर्धारण निकायों की घोषणाओं पर विचार करता है जो लेखांकन मानकों, अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग प्रथाओं को विकसित करने के लिए समान वैचारिक ढांचे का इस हद तक उपयोग करते हैं कि ये भारतीय लेखा मानक और लेखा नीतियों और प्रथाओं के साथ मतभेद नहीं करते जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में बताया गया है।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन और विकास उत्पादन चरण दशकों से चल रही लीज अवधि में फैले विभिन्न स्थलाकृतिक और भू-खनन इलाके पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तन की संभावना होती है), लेखांकन नीतियां जहां अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग प्रथाओं के आधार पर विकसित की गई है और पिछले कई दशकों से इसके लगातार इस्तेमाल के कारण विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदित किया गया है। विकास की प्रक्रिया में चल रहे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन और मानकों के अभाव में, कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के अनुरूप लेखांकन नीतियों को विकसित करने का प्रयास जारी रखती है और भारतीय मानक लेखांकन 8 में विशेष रूप से किसी भी विकास को उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार उत्तरदायी माना जाएगा।

2.25.1.2 सामग्री

भारतीय मानक लेखांकन उन वस्तुओं पर लागू होता है जो भौतिक हैं। प्रबंधन यह तय करने में निर्णय लेता है कि व्यक्तिगत वस्तुएं या वस्तुओं के समूह वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण हैं या नहीं। भौतिकता का मूल्यांकन वस्तुओं की प्रकृति या परिमाण या दोनों के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या किसी जानकारी को छोड़ना या गलत बताना या अस्पष्ट करना व्यक्तिगत रूप से या अन्य जानकारी के साथ मिलकर उन निर्णयों को प्रभावित कर सकता है जो प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर लेते हैं। प्रबंधन, भारतीय मानक लेखांकन के अनुपालन आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए भौतिकता के निर्णय का भी उपयोग करता है। इसके अलावा, कंपनी को कानून द्वारा आवश्यक होने पर अलग से अमूर्त वस्तुओं को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से प्रभावी, पिछली अवधियों से संबंधित पाई गई त्रुटियों/चूकों को चालू वर्ष में सारहीन माना जाता है और समायोजित किया जाता है, यदि कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कुल मिलाकर परिचालन (शुद्ध) वैधानिक लेवी) से कुल राजस्व का 1% से अधिक नहीं होती हैं ।

2.25.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौता किया है। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा नहीं है और संपत्ति का उचित मूल्य, कि यह सभी महत्वपूर्ण जोखिमों को बरकरार रखता है और इन संपत्तियों के स्वामित्व के पुरस्कार और परिचालन पट्टों के रूप में अनुबंधों के लिए खाते हैं।

2.25.2 आकलन और धारणाएँ

भविष्य से संबंधित मुख्य धारणाएं और रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमान की अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोत, जिससे अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन मात्रा में भौतिक समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम होता है, नीचे वर्णित हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए जाने पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को उपलब्ध मापदंडों पर आधारित किया है । हालाँकि, मौजूदा परिस्थितियाँ और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएँ बाजार में बदलाव या कंपनी के नियंत्रण से परे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। ऐसे परिवर्तन घटित होने पर धारणाओं में परिलक्षित होते हैं।

अनुमान, निर्णय और संबंधित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमान, निर्णय और संबद्ध धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित होता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग के लिए जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों वाले महत्वपूर्ण निर्णयों और लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है और इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग का खुलासा नीचे किया गया है।

2.25.2.1 गैरवित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी निर्माण करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो निपटान की लागत और उपयोग में उसके मूल्य को घटाकर उसके उचित मूल्य से अधिक है, तो हानि का संकेत होता है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकदी निर्माण करने वाली इकाई मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ़ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियां शामिल नहीं होती हैं जिनके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या भविष्य के महत्वपूर्ण निवेश जो परीक्षण किए जा रहे सीजीयू की परिसंपत्ति के कार्यनिष्पादन को बढ़ाएंगे। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ अपेक्षित भविष्य के नकदी-प्रवाह और एक्सट्रपलेशन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली विकास दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन अवसंरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाओं का खुलासा किया गया है और संबंधित नोट्स में आगे वर्णन किया गया है।

2.25.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। संभावित समय और भविष्य के कर योग्य लाभ के स्तर के साथ-साथ भविष्य की कर योजना रणनीतियों के आधार पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.25.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

पारिभाषित लाभ, ग्रेच्यु टी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेच्युटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेच्यु टी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर आधारित होती है।

2.25.2.4 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार किसी परियोजना के लिए विकासाधीन अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है कि तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर जब एक परियोजना रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की जाती है।

2.25.2.5 खान बंदी, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदान बंद करने, साइट बहाली और डिकमीशनिंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य का निर्धारण करने में, छूट दरों, साइट बहाली और निराकरण की अपेक्षित लागत और उन लागतों के अपेक्षित समय के संबंध में धारणा और अनुमान लगाए जाते हैं। कंपनी परियोजना/खदान की अवधि को ध्यान में रखते हुए डीसीएफ पद्धति का उपयोग करके निम्नलिखित आधार पर प्रावधान का अनुमान लगाती है:

- भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत
- छूट दर (कर-पूर्व दर) जो धन के समय मूल्य और देयताओं के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है।

2.26 उपयोग किए गए संक्षिप्त शब्द:

a.	सीजीयू	नगद उत्पाद इकाई	l.	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
b.	डीसीएफ	रियायती नगद प्रवाह	m.	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
c.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	n.	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
d.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	o.	एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
e.	जीएएपीई	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त	p.	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
f.	भा.लेखा.मा.	भारतीय मानक लेखांकन	q.	एनसीएल	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
g.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	r.	डब्ल्यूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
h.	लाभ एवं हानि	लाभ एवं हानि	s.	सीएमपीडीआईएल	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इस्टिट्यूड लिमिटेड
i.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	t.	एनईसी	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
j.	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान	u.	आईआईसीएम	इंडियन इन्स्टीट्यूड ऑफ कोल मेनेजमेंट
k.	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर	v.	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.1: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	फ्रीहोल्डभूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/ साइट पुनर्स्थापना लागत	भवन निर्माण (जलापूर्ति, सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एंड फीक्स्चर	वाहन	कार्यालय उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन आधारित संरचना	स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियाँ3.1.7	सर्वे-आफ परिसंपत्तियां	रेल कॉरीडोर	अन्य 5	कुल
सकल वहन राशि :																
1 अप्रैल, 2022 तक	2.43	6,925.50	382.78	979.75	2,494.95	29.84	29.82	31.59	39.55	394.78	315.97	841.54	38.63	1,124.36	0.52	13,632.01
जोड़	4.66	1,296.48	25.37	244.28	160.11	6.56	6.60	10.93	3.10	17.60	370.79	496.06	5.28	-	-	2,647.82
विलोपन /समायोजन	-	(34.97)	(1.09)	(0.35)	(79.69)	(0.05)	(0.02)	(2.11)	(0.01)	-	-	-	(6.28)	-	-	(124.57)
31 मार्च, 2023 तक	7.09	8,187.01	407.06	1,223.68	2,575.37	36.35	36.40	40.41	42.64	412.38	686.76	1,337.60	37.63	1,124.36	0.52	16,155.26
31 मार्च, 2023 तक	7.09	8,187.01	407.06	1,223.68	2,575.37	36.35	36.40	40.41	42.64	412.38	686.76	1,337.60	37.63	1,124.36	0.52	16,155.26
जोड़	-	901.65	24.09	165.06	584.66	7.68	0.74	9.10	14.37	0.02	222.82	419.54	5.02	-	-	2,354.75
विलोपन /समायोजन	(0.17)	0.34	(46.97)	36.89	(104.25)	0.66	(1.65)	(5.43)	(1.58)	0.07	(30.47)	-	(6.59)	-	0.91	(158.24)
31 मार्च 2024 तक	6.92	9,089.00	384.18	1,425.63	3,055.78	44.69	35.49	44.08	55.43	412.47	879.11	1,757.14	36.06	1,124.36	1.43	18,351.77
संचित मूल्यह्रास, परिशोधन और ह्रानि 3.1.4																
1 अप्रैल, 2022 तक	-	1,083.05	185.84	240.21	736.00	13.46	15.20	15.80	26.68	118.61	97.51	-	19.40	300.34	0.02	2,852.12
वर्ष के लिए शुल्क	-	217.34	19.08	94.61	227.84	4.46	3.00	8.32	2.28	27.81	189.13	74.71	1.64	73.53	0.05	943.80
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	(74.34)	-	-	(2.34)	-	2.75	-	-	(1.68)	(2.75)		(78.36)
31 मार्च, 2023 तक	-	1,300.39	204.92	334.82	889.50	17.92	18.20	21.78	28.96	149.17	286.64	74.71	19.36	371.12	0.07	3,717.56
1 अप्रैल, 2023 तक	-	1,300.39	204.92	334.82	889.50	17.92	18.20	21.78	28.96	149.17	286.64	74.71	19.36	371.12	0.07	3,717.56
वर्ष के लिए शुल्क	-	270.67	13.57	70.20	219.52	3.19	2.91	7.13	2.99	28.67	110.76	162.32	0.38	73.53	0.08	965.92
विलोपन/समायोजन	-	1.29	-	(15.26)	(79.67)	0.18	(1.44)	(2.48)	(0.13)	-	(4.47)	-	(3.87)	-	0.05	(105.80)
31 मार्च 2024 तक	-	1,572.35	218.49	389.76	1,029.35	21.29	19.67	26.43	31.82	177.84	392.93	237.03	15.87	444.65	0.20	4,577.68

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	फ्रीहोल्डभूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/ साइट पुनर्स्थापना लागत	भवन निर्माण (जलापूर्ति, सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एंड फीक्स्चर	वाहन	कार्यालय उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन आधारित संरचना	स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियाँ3.1.7	सर्वे-आफ परिसंपत्तियां	रेल कॉरीडोर	अन्य 5	कुल
निवल वहन राशि																
31 मार्च 2024 तक	6.92	7,516.65	165.69	1,035.87	2,026.43	23.40	15.82	17.65	23.61	234.63	486.18	1,520.11	20.19	679.71	1.23	13,774.09
31 मार्च, 2023 तक	7.09	6,886.62	202.14	888.86	1,685.87	18.43	18.20	18.63	13.68	263.21	400.12	1,262.89	18.27	753.24	0.45	12,437.70

3.1.1. 2. कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि को भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण की अधिसूचना के आधार पर पूंजीकृत किया गया है, जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान/मुआवजा रोल निर्धारित किया गया है और मंजूरी आदेश के बाद पूंजीकरण को समायोजित किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, ओड़िशा सरकार भूमि बंदोबस्त अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहित भूमि को राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कब्जे के आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

3.1.2. टिप्पणी 2.8 में उल्लिखित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। हालांकि, परिसंपत्ति के एक अलग वर्ग के भीतर एम्बेडेड कतिपय परिसंपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन के पूरा होने तक, इन परिसंपत्तियों पर संपत्तियों के गैर-पृथक वर्ग के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

3.1.3. भूमि सुधार/साइट बहाली लागत में अनुमानित लागत शामिल है जो खान बंद होने के चरण में मुद्रास्फीति (5% प्रतिवर्ष) के लिए विधिवत रूप से बढ़ी है और फिर 8% छूट दर पर छूट दी गई है जो उचित मूल्य और जोखिम की वर्तमान बाजार दर को दर्शाती है।

3.1.4. संचित हानि में उतार-चढ़ाव

1 अप्रैल, 2022 तक	-	-	-	0.23	0.19	-	0.01	-	-	-	2.95	19.40	-	-	22.78
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	1.17	(0.11)	-	(0.01)	-	-	-	(0.04)	1.64	-	-	2.65
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.68)	-	-	(1.68)
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	1.40	0.08	-	-	-	-	-	2.91	19.36	-	-	23.75
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-	1.40	0.08	-	-	-	-	-	2.91	19.36	-	-	23.75
वर्ष के लिए शुल्क												0.38			0.38
विलोपन/समायोजन												(3.87)			(3.87)
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	1.40	0.08	-	-	-	-	-	2.91	15.87	-	-	20.26

3.1.5. अन्य में ₹1.43 करोड़ की सौर परियोजना (सकल वहन) शामिल है।

3.1.6. सीआईएल से प्रसारित दिनांक 17.04.2017 की समिति की सिफारिश के अनुसार घटक लेखांकन का पालन किया जा रहा है।

3.17 भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार नोट 9.1 में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्संरचना के परिणामी प्रभाव के लिए टिप्पणी 16 (9) देखें।

3.1.8 कंपनी ने चालू वर्ष या पिछले वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.2 : प्रगति पर पूंजीगत कार्य

(₹ करोड़ में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्वर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन अवसंरचना / विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
1 अप्रैल, 2022 तक	427.40	1,132.41	138.60	1,211.20	430.63	1.41	-	3,341.65
जोड़	100.05	553.38	137.46	486.91	203.92	184.91	-	1,666.63
पूंजीकरण/विलोपन	**(213.09)**	**(51.96)**	**(16.77)**	**(311.59)**	**(0.52)**	**(1.88)**	**-**	**(595.81)**
31 मार्च, 2023 तक	**314.36**	**1,633.83**	**259.29**	**1,386.52**	**634.03**	**184.44**	**-**	**4,412.47**
1 अप्रैल, 2023 तक	314.36	1,633.83	259.29	1,386.52	634.03	184.44	-	4,412.47
जोड़	163.92	495.61	277.97	527.24	44.82	110.14	-	1,619.70
पूंजीकरण/विलोपन	**(104.54)**	**(80.35)**	**(11.20)**	**(918.26)**	**0.89**	**-**	**-**	**(1,113.46)**
31 मार्च 2024 तक	**373.74**	**2,049.09**	**526.06**	**995.50**	**679.74**	**294.58**	**-**	**4,918.71**
संचित हानि								
1 अप्रैल, 2022 तक	3.41	12.88	0.12	81.00	-	-	-	97.41
वर्ष के लिए शुल्क	12.72	-	-	0.24	-	-	-	12.96
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	**16.13**	**12.88**	**0.12**	**81.24**	**-**	**-**	**-**	**110.37**
1 अप्रैल, 2023 तक	16.13	12.88	0.12	81.24	-	-	-	110.37
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	16.13	12.88	0.12	81.24	-	-	-	110.37
निवल वहन राशि								
31 मार्च 2024 तक	**357.61**	**2,036.21**	**525.94**	**914.26**	**679.74**	**294.58**	**-**	**4,808.34**
31 मार्च, 2023 तक	**298.23**	**1,620.95**	**259.17**	**1,305.28**	**634.03**	**184.44**	**-**	**4,302.10**

(क) पूंजीगत कार्य हेतु समय-सीमा अनुसूची :

	31.03.2024 तक प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं:					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	64.12	55.30	15.66	238.66	373.74
संयंत्र और उपकरण	122.93	325.74	1,043.42	557.00	2,049.09
रेलवे साइडिंग	271.01	9.29	3.94	241.82	526.06
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	150.86	89.80	190.56	516.37	947.59
रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन	0.89	73.40		605.45	679.74
सौर परियोजना	2.69	290.89	-	1.00	294.58
अन्य				-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग					-
अन्य खनन संरचना/विकास				47.91	47.91
कुल	**612.50**	**844.42**	**1,253.58**	**2,208.21**	**4,918.71**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.2 : प्रगति पर पूंजीगत कार्य (जारी)

	31.03.2023 तक प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं:					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	125.11	40.06	16.91	132.28	314.36
संयंत्र और उपकरण	334.81	537.69	97.60	663.73	1,633.83
रेलवे साइडिंग	96.43	18.24	72.39	72.23	259.29
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	677.94	461.70	77.95	88.07	1,305.66
रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन	-	612.36	21.67		634.03
सौर परियोजना	183.44	1.00	-		184.44
अन्य					-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग					-
अन्य खनन संरचना/विकास				80.86	80.86
कुल	**1,417.73**	**1,671.05**	**286.52**	**1,037.17**	**4,412.47**

किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की समय सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के आरंभिक वर्ष में किए गए व्यय के रूप में माना जाएगा।

2. वर्ष के दौरान निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर में समायोजन के लिए 3.5 के फुटनोट 2 का संदर्भ लें।

31.03.2024 तक पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) (सकल)

2. भौतिकप्रधानकार्यप्रगति हेतु अतिदेय (सकल):

	में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
चल रही परियोजनाएं:				
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)				
एमटी छात्रावास का विकास				
रामपुर में पीएंडएल डी.आई. पाइपलाइन	0.50	-		
कोल स्टॉक में गारलैंड ड्रेन और सेटिंग टैंक बनाना	0.36	-		
ओएसए कॉलोनी में मुख्य पाइपलाइन उपलब्ध कराना और बिछाना	-	0.14		
ओएसए कॉलोनी में मुख्य पाइपलाइन उपलब्ध कराना और बिछाना	-	0.14		
बसुंधरा में आरसीसी स्वागत द्वार	0.11	-		
सड़क	70.10	-		
928 क्वार्टर का निर्माण	15.42	-		
संयंत्र और उपकरण				
योजना, ई-एनआईटी और स्वचालित प्रदान करने के लिए अनुमान	0.24			
मैन राइडिंग सिस्टम के लिए 52 सेट गोलपोस्ट का निर्माण	0.01			
प्रवेश पर स्वचालित आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर सिस्टम	2.74			
मैन राइडिंग की स्थापना के लिए ड्राइव हेड की रिकवरी	0.02			
भूमिगत खदान 2 की सफाई	0.11			
वेस्को ओएच लाइन को 33/11 सबस्टेशन से पोलिश फंडी में स्थानांतरित करना	0.46			

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.2 : प्रगति पर पूंजीगत कार्य (जारी)

	में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
कुल्दा की व्हील वॉशिंग प्रणाली	0.74			
7 वेइब्रिज	1.71			
आरएलएस का निर्माण	303.43			
बेल्ट कन्वेयर और डिस्पैच द्वारा कोयला निकासी प्रणाली	2.34			
रेलवे साइडिंग				
बरपाली में 6 बल्ब के लिए रेल अवसंरचना				19.50
अन्य खनन संरचना/विकास				
पीजोमीटर निर्माण-सीएमपीडीआई	0.05	-	-	-
ओरिएंट माइन नंबर 03 के लिए एमडीओ दस्तावेज़	0.14	-	-	-
एनआईटी-183- 05 स्टॉपिंग सेक्शन का निर्माण	0.35	-	-	-
एनआईटी-186- 10 स्टॉपिंग सेक्शन का निर्माण	0.43	-	-	-
17 सेक्शन स्टॉपिंग्स का गठन	0.51	-	-	-
ओसी -1 और 2 पर 03 एयर क्रॉसिंग का निर्माण	0.20	-	-	-
04 आर सी सी विस्फोट रोधी आइसोल का निर्माण	0.09	-	-	-
ओसी 1 और 2 पर 10 ईंट के खंभों का निर्माण	0.06	-	-	-
भूमिगत्त गैलरी ओसी 1&2 की सफाई का काम	0.04	-	-	-
एचआर सेक्शन IV में सीम बोर होल की ड्रिलिंग	0.07	-	-	-
एचआर सेक्शन IV में सीम बोर होल की ड्रिलिंग	0.01	-	-	-
ओरिएंट-सीएमपीडीआई में पीजोमीटर का निर्माण	0.03	-	-	-
बांकीबहाल से बेधाबहाल तक सड़क	433.60	-	-	-
आंतरिक कुल्दा गर्जनबहाल ओसीपीके लिए सीएमपीडीआईएल	-	15.88	-	-
बसुंधरा पश्चिम विस्तार ओसीपी की पीआर तैयारी लागत	-	-	-	8.70
परियोजना का नाम				
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर				
परियोजना का नाम				
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:				
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)				
परियोजना का नाम				
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
परियोजना का नाम				
अन्य शीर्ष..				
परियोजना का नाम				
कुल	**833.86**	**16.16**	**-**	**28.20**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.3: अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल, 2022 तक	**101.88**
अतिरिक्त	**11.86**
पीपीई/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में स्थानांतरण/हटाना	**18.31**
31 मार्च, 2023 तक	**132.05**
1 अप्रैल, 2023 तक	**132.05**
अतिरिक्त	**21.97**
पीपीई में स्थानांतरण/प्रगति में पूंजीगत कार्य/हटाना	**(2.27)**
31 मार्च 2024 तक	**151.75**
संचित हानि	
1 अप्रैल, 2022 तक	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च, 2023 तक	-
1 अप्रैल, 2023 तक	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च 2024 तक	-
निवल वहन राशि	
31 मार्च 2024 तक	**151.75**
31 मार्च, 2023 तक	**132.05**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.3: अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (जारी)

(₹ करोड़ में)

अन्वेषण और मूल्यांकन

1. समय सीमा वृद्धि अनुसूची अन्वेषण और मूल्यांकन (सकल)

	31.03.2024 तक अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन	21.96	11.86	40.48	77.45	151.75
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
कुल	**21.96**	**11.86**	**40.48**	**77.45**	**151.75**

	31.03.2023 तक अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन	22.40	35.73	4.74	69.19	132.05
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
कुल	**22.40**	**35.73**	**4.74**	**69.19**	**132.05**

2. अतिदेय सामग्री अन्वेषण और मूल्यांकन

		में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएं:					
हेमगिरी सेक्टर-1					
मधुपुर				5.79	5.79
प्रजापारा				5.22	5.22
बैतरणी				2.02	2.02
गौतमधारा				0.01	0.01
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:				0.01	0.01
अन्वेषण और मूल्यांकन					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
कुल	-	-	-	**13.05**	**13.05**

किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की समय सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के आरंभ के वर्ष में किया गया व्यय माना जाएगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.4: अमूर्त संपत्ति

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त अन्वेषणात्मक परिसंपत्तियाँ	रेल कॉरिडोर 2	अन्य	कुल
निवल वहन राशि:					
1 अप्रैल, 2022 तक	2.53	4.57	-	-	7.10
जोड़	20.15	-	-	-	20.15
विलोपन /समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	22.68	4.57	-	-	27.25
1 अप्रैल, 2023 तक	22.68	4.57	-	-	27.25
जोड़	0.04	-	-	-	0.04
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	22.72	4.57	-	-	27.29
संचित परिशोधन					
1 अप्रैल, 2022 तक	0.73	-	-	-	0.73
वर्ष के लिए शुल्क	3.76	-	-	-	3.76
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	4.49	-	-	-	4.49
1 अप्रैल, 2023 तक	4.49	-	-	-	4.49
अवधि के लिए शुल्क	4.05	-	-	-	4.05
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	8.54	-	-	-	8.54
निवल वहन राशि					
31 मार्च 2024 तक	14.18	4.57	-	-	18.75
31 मार्च, 2023 तक	18.19	4.57	-	-	22.76
3.4.1. संचित हानि में संचलन					
1 अप्रैल, 2022 तक	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-	-	-
अवधि के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-

3.4.2. एमसीएल की सहायक कंपनी एमसीआरएल के मामले में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से प्राप्त राय के मद्देनजर, रेल कॉरिडोर जो कि कैपिटल डब्ल्यूआईपी का हिस्सा था, को इस वर्ष से अमूर्त संपत्ति माना गया है। तदनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसी संपत्ति का वहन मूल्य ₹ 243.96 करोड़ था, जिसे वहां से स्थानांतरित कर दिया गया है और अमूर्त संपत्ति के तहत रेल कॉरिडोर के रूप में दर्ज किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.5 : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	ईआरपी विकासाधीन	रेल कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है1	कुल
वहन राशि:			
1 अप्रैल, 2022 तक	6.35		6.35
जोड़	13.46		13.46
पूंजीकरण/विलोपन	(19.81)		(19.81)
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-
जोड़			-
पूंजीकरण/विलोपन			-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-
संचित हानि			
1 अप्रैल, 2022 तक	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क			-
विलोपन/समायोजन			-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क			-
विलोपन/समायोजन			-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-
निवल वहन राशि			
31 मार्च 2024 तक	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-

1. एमसीएल की सहायक कंपनियों एमसीआरएल के मामले में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से प्राप्त राय के मद्देनजर, रेल कॉरिडोर जो कि पूंजीगत कार्य प्रगति का हिस्सा था, को इस वर्ष से निर्माणधीन अमूर्त संपत्ति माना गया है। तदनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसी संपत्ति का वहन मूल्य ₹23.84 करोड़ था, जिसे वहां से स्थानांतरित कर दिया गया है और इसे विकासधीन अमूर्त संपत्ति के तहत निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर के रूप में दर्ज किया गया है।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

1. विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों की समय सीमा वृद्धि अनुसूची

	31.03.2024 तक विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
ईआरपी विकासाधीन	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर विकासाधीन	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	
कुल	-		-	-	-

	31.03.2023 तक विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि (पुनः कथित)				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
ईआरपी विकासाधीन	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर विकासाधीन	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	
कुल	-	-	-	-	-

2. विकास के अंतर्गत अतिदेय भौतिक अमूर्त संपत्तियां

	में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
ईआरपी विकासाधीन				
कुल	-	-	-	-

किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की समय सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के आरंभ के वर्ष में किया गया व्यय माना जाएगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ - 4.1 : निवेश

(₹ करोड़ में)

	होल्डिंग का %	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर चालू			
सहकारी शेयरों में निवेश (अउद्धृत)		-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)		-	-
अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयर			
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड ₹ 10 के शेयर के भुगतान से 64000000 शेयर (₹ 10 के शेयर के भुगतान से 64000000 के शेयर)	71.11% (71.11%)	64.00	64.00
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड ₹ 10 के शेयर के भुगतान से 50000 शेयर (₹ 10 के शेयर के भुगतान से 50000 के शेयर)	100% (100%)	0.05	0.05
एमजेएसजे कोल लिमिटेड ₹ 10 के शेयर के भुगतान से 57060000 शेयर (₹ 10 के शेयर के भुगतान से 57060000 के शेयर)	60% (60%)	57.06	57.06
एमएनएच शक्ति लिमिटेड ₹ 10 के शेयर के भुगतान से 24570000 शेयर (₹ 10 के शेयर के भुगतान से 24570000 के शेयर)	70% (70%)	24.57	24.57
		145.68	**145.68**
अन्य निवेश			
एमसीआरएल को ब्याज मुक्त ऋण (अर्ध इक्विटी)		208.00	-
कुल		**353.68**	**145.68**

चालू			**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
म्यूचुअल फंड (उद्धृत)	**इकाइयां**	**एनएवी (₹)**		
एसबीआई म्यूचुअल फंड - अल्ट्रा मैग्नम	1907056.26 (P.Y.1645893.141)	5542.058 (P.Y.5158.42)	1,056.90	849.02
एसबीआई म्यूचुअल फंड - लिक्विड फंड	380824.884 (P.Y.521659.375)	3779.282 (P.Y.3523.30)	143.93	183.80
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड	537.456 (P.Y.32116.777)	2893.527 (P.Y.2696.71)	0.16	8.66
यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड	55462.152 (P.Y.26531.082)	2328.516 (P.Y.2169.45)	12.91	5.76
बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड	1366.305 (P.Y.87221.661)	2784.781 (P.Y.2595.47)	0.38	22.64
			1,214.28	1,069.88
अन्य				
अन्य (सुरक्षित बांड में निवेश- उद्धृत)			-	-
कुल			**1,214.28**	**1,069.88**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ - 4.1 : निवेश (जारी)

4.1.1 उद्धृत/अउद्धृत निवेश के बाजार मूल्य का विवरण

	गैर चालू		चालू	
	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
अउद्धृत निवेश की कुल राशि:	353.68	145.68	-	-
उद्धृत निवेश का कुल योग:	-	-	1,214.28	1,069.88
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:	-	-	1,214.28	1,069.88
निवेश के मूल्य में कुल हानि राशि:	-	-	-	-

टिप्पणी- 4.2 : ऋण

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- क्रेडिट खराब	-	-
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	
	-	-
कार्पोरेट और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	1.67	1.20
- असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय	-	-
- ऋण खराब	-	-
	1.67	**1.20**
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
	1.67	**1.20**
ब्याज रहित अग्रिम पर आस्थगित परिसंपत्ति	-	-
कुल	**1.67**	**1.20**
चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- ऋण खराब	-	-
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
	-	-
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण		
कार्पोरेट और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	0.01
- असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- ऋण खराब	-	-
	-	0.01
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	
कुल	**-**	**0.01**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 4.2 : ऋण (जारी)

4.2.1 संदिग्ध ऋण शेष के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (चालू और गैर-चालू)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

4.2.2 संबंधित पक्षों को ऋण के लिए - टिप्पणी 16 - (2)(vii) देखें

टिप्पणी - 4.3: व्यापार प्राप्य

	31.03.2024 तक	**31.03.2023 तक**
सुरक्षित माना जाता	-	
असुरक्षित को अच्छा माना जाता	2,146.61	1,636.92
ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
ऋण ख़राब	105.94	42.80
	2,252.55	1,679.72
घटाव : अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता4.3.1	105.94	42.80
कुल	**2,146.61**	**1,636.92**

4.3.1 समूह ने व्यापार प्राप्तियों के ऋण घाटे के लिए भत्ता निर्धारित करने में प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि भत्ते की गणना करके व्यावहारिक सुविधा का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव और भविष्य की जानकारी को ध्यान में रखता है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ता देय प्राप्तियों की आयु और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष	42.80	22.90
अवधि के दौरान निर्धारण	63.86	22.36
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	(0.72)	(2.46)
अवधि के अंत में शेष राशि	**105.94**	**42.80**

4.3.2 निदेशकों से बकाया के लिए - टिप्पणी 16- (2)(vii) देखें

4.3.3 उपरोक्त व्यापार प्राप्य राशि में कोयला गुणवत्ता भिन्नता और अतिरिक्त सतही नमी के लिए प्रावधान के कारण ₹ 100.11 करोड़ की कमी हुई है (पिछले वर्ष में ₹ 17.40 करोड़ की कमी हुई है)

"4.3.4 उपरोक्त व्यापार प्राप्य में अनुमानित पीआई और मुआवजा राशि ₹263.04 करोड़ शामिल है। (गत्त वर्ष ₹208.38 करोड़)

4.3.5. व्यापार प्राप्य समय सीमा निर्धारण अनुसूची

31.03.2024 तक

विवरण	**बिल न किए गए बकाया**	**लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया**					
		6 महीने से कम	**6 महीने 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - अच्छा माना जाता है	263.04	1,135.72	544.62	197.28	3.64	0.03	2,144.33
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण हानि						17.62	17.62
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - अच्छा माना जाता है						2.28	2.28
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण हानि						88.32	88.32
कुल	263.04	1,135.72	544.62	197.28	3.64	108.25	2,252.55
"डूबंत ऋण एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता"						105.94	105.94
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.87%	4.70%

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.3: व्यापार प्राप्य

31.03.2023 तक

व्यापार प्राप्तियाँ समय सीमा निर्धारण अनुसूची	बिल न किए गए बकाया	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
विवरण		**6 महीने से कम**	**6 महीने 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - अच्छा माना जाता है	208.38	1,216.42	126.08	3.57	47.51	15.47	1,617.43
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण हानि							-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - अच्छा माना जाता है				2.86	13.20	3.43	19.49
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण हानि					12.80	30.00	42.80
कुल	**208.38**	**1,216.42**	**126.08**	**6.43**	**73.51**	**48.90**	**1,679.72**
डूबंत ऋण एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता					12.80	30.00	42.80
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	0.00%	0.00%	0.00%	17.41%	61.35%	2.55%

टिप्पणी- 4.4 : नकदी और नकदी समकक्ष

	31.03.2024 तक	**31.03.2023 तक**
बैंक में शेष		
-जमा खातों में	461.33	37.49
-चालू खातों में	132.09	33.84
भारत के बाहर बैंक बैलेंस	-	-
प्राथमिक डीलरों के पास आईसीडी4.4.1	201.00	-
उपलब्ध चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प	-	-
उपलब्ध नकदी	-	-
भारत के बाहर उपलब्ध नकदी	-	-
अन्य 4.4.2	0.19	0.16
कुल	**794.61**	**71.49**

4.4.1 प्राथमिक डीलरों के पास आईसीडी प्राथमिक डीलरों द्वारा स्वीकार किए गए अंतर-कॉर्पोरेट जमा हैं, जिनकी मूल परिपक्वता निवेश की तारीख से 7 से 15 दिनों के बीच होती है।

4.4.2 अन्य में ई-खरीद खाता, जीईएम खाता, अग्रिम शेष शामिल हैं।

4.4.3 नकदी और नकदी समतुल्य में उपलब्ध नकदी, बैंक, स्वीप खाते और बैंकों में रखी गई सावधि जमाएं शामिल हैं, जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.5 : अन्य बैंक शेष

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
बैंक में शेष		
जमा खाते	12,022.64	17,991.57
जमा खाते (विशिष्ट उद्देश्यों के लिए 4.5.1)	11.54	13.51
कुल	**12,034.18**	**18,005.08**

4.5.1 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा राशि वे बैंक जमाराशियां हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई हैं/चिह्नित हैं तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हैं।

4.5.2 अन्य बैंक शेष में जमाराशियां शामिल हैं - विशिष्ट प्रयोजनों के लिए और बैंक जमाराशियां, जिनकी रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकदी में वसूली होने की उम्मीद है। - टिप्पणी 16 का पैरा 3(डी) देखें।

टिप्पणी - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर चालु		
सुरक्षा जमा राशि	52.38	44.33
घटाव : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता4.6.1	0.13	-
	52.25	44.33
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां 4.6.3	4.85	1.82
खदान बंद करने की योजना के तहत बैंक में जमा4.6.2		1,399.01
	1,677.75	1,400.83
वित्त पट्टा प्राप्तियाँ 4.6.4	-	-
अन्य जमा और प्राप्तियाँ	30.51	11.47
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्तियाँ के लिए भत्ता4.6.1		0.16
	30.35	11.31
कुल	**1,760.35**	**1,456.47**

चालु	**As at 31.03.2024**	**As at 31.03.2023**
सुरक्षा जमा राशि	-	-
घटाव : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता4.6.1	-	-
	-	-
होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता में शेष	95.73	282.11
घटाव: सहायक कंपनियों के पास संदिग्ध शेष राशि के लिए भत्ता	-	-
	95.73	282.11
आईआईसीएम के साथ शेष	0.01	-
अर्जित ब्याज	483.59	65.74
वित्त पट्टा प्राप्तियाँ 4.6.4	-	-
अन्य जमा और प्राप्तियाँ	274.89	295.01
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता 4.6.1	0.03	-
	274.86	295.01
कुल	**854.19**	**642.86**

4.6.1 खराब एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्तियाँ (चालू एवं गैर-चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष	0.16	0.16
अवधि के दौरान निर्धारण	0.16	-
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	0.32	0.16

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (जारी)

4.6.2 खदान बंद करने की योजना के तहत बैंक में जमा राशि

खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। एस्क्रो खाते में अर्जित ब्याज सहित जमा की गई कुल राशि का 50% तक दिशा-निर्देशों के अनुसार बंद करने की योजना की आवधिक जांच के अनुरूप हर पांच साल के बाद जारी किया जा सकता है। (साइट बहाली/खदान बंद करने के प्रावधान के लिए टिप्पणी 9.1 देखें)।

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
एस्क्रो खाते में प्रारंभिक शेष राशि	1,399.01	1,250.98
जोड़: वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	194.28	103.83
जोड़: वर्ष के दौरान जमा किया गया ब्याज (टीडीएस घटाकर)	79.61	55.76
घटाव : वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	-	11.56
समापन तिथि पर एस्क्रो खाते में शेष राशि	1,672.90	1,399.01

4.6.3. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमाराशि वे बैंक जमाराशि हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई हैं/निर्धारित हैं तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हैं। टिप्पणी 16 के पैरा 3(डी) को देखें।

4.6.4 पट्टा

वित्त पट्टा

(i) पट्टा प्राप्तियाँ के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पट्टा आय	-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होती	-	-
कुल	-	-

(ii)पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

परिचालन पट्टा

(iii) पट्टा प्राप्तियाँ के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पट्टा आय	-	-
परिवर्तनीय लीज़ भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं करती है	-	-
कुल	-	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (जारी)

(iv) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

(v) 31.03.2024 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष / अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र एवं उपकरण	-	-	-	-	-
फ़र्निचर व फिक्सचर	-	-	-	-	-
वाहनों	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

(vi) 31.03.2023 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष / अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र एवं उपकरण	-	-	-	-	-
फ़र्निचर व फिक्सचर	-	-	-	-	-
वाहनों	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

4.6.6 निदेशकों से बकाया के लिए - टिप्पणी 16 - (2)(viii) देखें

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

नोट - 5.1 : वस्तुसूची

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
कोयला (तैयार माल)	1,021.11	757.55
विकास परियोजनाओं में कोयला	-	-
घटाव : मूल्य में कमी के लिए प्रावधान 5.1.1	-	-
	1,021.11	757.55
भंडार, स्पेयर्स और अन्य इन्वेंटरी (शुद्ध) 5.1.3	282.66	250.63
घटाव : धीमी गति से चलने वाली, गैर-चलती और अप्रचलित इन्वेंटरी के लिए प्रावधान 5.12	24.55	23.08
	258.11	227.55
कुल	**1,279.22**	**985.10**

5.1.1 मूल्य में कमी के लिए प्रावधान में बदलाव का ब्यौरा

वर्ष की शुरुआत में शेष	-	-
वर्ष के दौरान निर्धारित	-	-
वर्ष के दौरान अमान्य	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

5.1.2 स्टोर और स्पेयर की सूची में वे आइटम शामिल हैं जो धीमी गति से चलने वाले, गैर-चलने वाले और अप्रचलित की श्रेणियों में आते हैं। इन वस्तुओं के लिए कंपनी की नीति के अनुसार प्रावधानों को मान्यता दी जाती है। धीमी गति से चलने वाले, गैर-चलने वाले और अप्रचलित स्टोर, स्पेयर और अन्य इन्वेंट्री के लिए प्रावधानों में आंदोलन का विवरण:

वर्ष की शुरुआत में शेष	23.08	24.10
वर्ष के दौरान निर्धारित	3.22	2.79
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	(1.75)	(3.81)
वर्ष के अंत में शेष राशि	24.55	23.08

5.1.3 उपरोक्त अन्य सूची में कार्यशाला कार्य, स्टेशनरी, दवा, प्रेस कार्य आदि का स्टॉक शामिल है।

टिप्पणी - 6.1: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
अग्रिम पूंजी	2,172.61	1,218.30
घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता6.1.1	0.50	0.60
	2,172.11	**1,217.70**
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य जमा और अग्रिम	24.25	0.30
घटाव : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता6.1.1	-	
	24.25	**0.30**
प्रगतिशील खदान बंद होने पर हुए व्यय 6.1.2	656.38	442.89
संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि	-	-
कुल	**2,852.74**	**1,660.89**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 6.1: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ (जारी)

6.1.1 खराब एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्तियाँ (गैर-चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष	0.60	0.60
वर्ष के दौरान निर्धारित	-	-
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	(0.10)	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	0.50	0.60

6.1.2 उपर्युक्त व्यय, खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त समवर्ती व्यय को दर्शाता है।

6.1.3 निदेशकों से बकाया के लिए - टिप्पणी 16 - (2)(vii) देखें

टिप्पणी - 6.2: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	80.26	36.87
घटाव : संदिग्ध वैधानिक बकाया के लिए भत्ता6.2.1	-	
	80.26	**36.87**
अन्य जमा और अग्रिम 6.2.2 और 6.2.3	2,197.31	2,002.51
घटाव: संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिम के लिए भत्ता6.2.1	5.92	6.09
	2,191.39	**1,996.42**
प्रगतिशील खदान बंद होने पर हुए व्यय 6.1.2	104.91	98.01
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्तियाँ 6.2.4	2,036.68	1,499.74
कुल	**4,413.24**	**3,631.04**

6.2.1 खराब एवं संदिग्ध अग्रिमों और जमाओं के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (चालू)

वर्ष की शुरुआत में शेष	6.09	6.10
वर्ष के दौरान निर्धारित	-	0.00
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	(0.17)	(0.01)
वर्ष के अंत में शेष राशि	**5.92**	**6.09**

6.2.2 इसमें विरोध के तहत जमा राशि और निपटाए गए मामलों के लिए अभी तक प्राप्त नहीं होने वाली रिफंड शामिल है:- आयकर ₹ 1589.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1591.66 करोड़), बिक्री कर ₹ 15.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 17.23 करोड़), सेवा कर ₹ 0.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.27 करोड़), केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹ 3.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.98 करोड़), जीएसटी ₹ 0.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य) और स्वच्छ ऊर्जा उपकर ₹ 10.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 10.00 करोड़)।

6.2.3 इसमें अतिरिक्त सीएसआर ₹ 19.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 119.33 करोड़) शामिल है

6.2.4 ₹ 2037.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1499.74 करोड़) की संचित राशि इनपुट सामग्री/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट को दर्शाती है जिसका उपयोग आउटपुट पर जीएसटी के विरुद्ध किया जा सकता है। यह संचय उलटे कर ढांचे के परिणामस्वरूप हुआ है।

6.2.5 निदेशकों से बकाया के लिए - टिप्पणी 16 - (2)(vii) देखें

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 7.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
अधिकृत पूंजी		
1,39,58,200 इक्विटी शेयर ₹ 1000/- प्रत्येक	1,395.82	775.82
20,41,800 10% संचयी मोचनीय वरीयता शेयर, प्रत्येक ₹ 1000/- (शीघ्र मोचन की शर्तों के अनुसार मोचन किया जाएगा)	204.18	204.18
जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी		
"13236726 इक्विटी शेयर ₹1000/- प्रत्येक पूर्ण भुगतान किए गए (गत्त वर्ष 6618363 इक्विटी शेयर ₹1000/- प्रत्येक पूर्ण भुगतान किए गए)"	1,323.67	661.84
कुल	**1,323.67**	**661.84**

7.1.1 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा कंपनी में रखे गए शेयर

शेयरधारकों का नाम		धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	अवधि के दौरान % परिवर्तन
कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसके नामिती	31.03.2024 तक	13236726	100.00	0.00%
	31.03.2023 तक	6618363	100.00	0.00%

* कंपनी में केवल एक प्रमोटर है जिसके पास 100% शेयर हैं

7.1.2 रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:-

विवरण	शेयर की संख्या	राशि
31.03.2019 तक शेष राशि	66,18,363	661.84
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2020 तक शेष राशि	66,18,363	661.84
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2021 तक शेष राशि	66,18,363	661.84
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2022 तक शेष राशि	66,18,363	661.84
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2023 तक शेष राशि	66,18,363	661.84
1:1 की दर से बोनस जारी	66,18,363	661.83
31.03.2024 तक शेष राशि	1,32,36,726	1,323.67

7.1.3 कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमान्य राशि के भुगतान के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

7.1.4 वर्ष के दौरान, कंपनी ने 1:1 की दर से 6618363 बोनस शेयर जारी किए थे, अर्थात प्रत्येक 01 पूर्णतः चुकता विद्यमान इक्विटी शेयरों के लिए ₹ 1000 अंकित मूल्य के 01 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर, जैसा कि दिनांक 07.11.2023 की ईजीएम में अनुमोदित किया गया था।

टिप्पणी - 7.2 : अन्य इक्विटी

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पूंजी मोचन रिजर्व	-	44.29
आरक्षित पूंजी	-	-
सामान्य आरक्षित	3,684.80	3,710.08
प्रतिधारित अर्जन	11,097.79	8,886.76
अन्य व्यापक आय जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
कुल	**14,782.59**	**12,641.13**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 7.2 : अन्य इक्विटी (जारी)

(ए) पूंजी मोचन रिजर्व

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष	44.29	44.29
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	(44.29)	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	44.29

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, पूंजी मोचन रिजर्व तब बनाया जाता है जब कंपनी अपने शेयर फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से खरीदती है, इस तरह खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि पूंजी मोचन रिजर्व में स्थानांतरित कर दी जाती है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ii) पूंजी मोचन रिजर्व का विवरण

विवरण	राशि (₹ करोड़ में	वर्ष
	0	
कुल	**0**	

(बी) पूंजी आरक्षित

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

(सी) सामान्य आरक्षित

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष	3,710.08	3,036.32
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	(617.55)	-
सामान्य आरक्षित से/में स्थानांतरण	592.27	673.76
सामान्य आरक्षित से/में स्थानांतरण	3,684.80	3,710.08

सामान्य रिज़र्व एक मुक्त रिज़र्व है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से/में लाभ स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

(घ) (i) प्रतिधारित आय

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि (iii)	8,939.99	4,568.59
अवधि के लिए लाभ	11,845.40	13,470.16
अंतरिम लाभांश	(7,500.00)	(7,400.00)
अंतिम लाभांश	(1,500.00)	(1,025.00)
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
सामान्य आरक्षित में स्थानांतरण	(592.27)	(673.76)
अवधि के अंत में शेष राशि	11,193.12	8,939.99

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 7.2 : अन्य इक्विटी (जारी)

(घ) (ii) अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (i)

वर्ष की शुरुआत में शेष	(53.23)	(98.49)
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	(42.10)	45.26
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	**(95.33)**	**(53.23)**
कुल (d(i) + (ii))	**11,097.79**	**8,886.76**

(i) परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि) शामिल है (कर के बाद शुद्ध)

(ii) प्रतिधारित आय समूह द्वारा आज तक अर्जित संचित लाभ और हानि है, जो विनियोजनों को घटाकर प्राप्त की गई है।

(iii) भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार नोट 9.1 में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्संरचना के परिणामी प्रभाव के लिए

(ई) अन्य व्यापक आय की मदें

(अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा)

	31.03.2024 तक	**31.03.2023 तक**
विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय मतभेद		
वर्ष की शुरुआत में शेष	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

टिप्पणी - 8.1 : उधार

	31.03.2024 तक	**31.03.2023 तक**
गैर चालू		
सावधि ऋण		
बैंकों से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
दूसरों से8.1.1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	3.28	3.92
	3.28	**3.92**
चालू		
बैंकों से		
सुरक्षित		
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
बैंकों से अन्य ऋण	-	-
दूसरों से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता8.1.1	0.67	0.66
	0.67	**0.66**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.1 : उधार(जारी)

8.1.1 निदेशकों और अन्य लोगों द्वारा गारंटीकृत

ऋण का विवरण	राशि करोड़ रुपये में	गारंटी की प्रकृति
बैंक नेशनले डे पेरिस और नैटेक्सिस बैंक, फ्रांस	3.28	भारत सरकार ने हमारे सभी भुगतान दायित्वों के संबंध में अपरिवर्तनीय और बिना शर्त गारंटी प्रदान की।

बैंक नेशनले डी पेरिस और नेटेक्सिस बैंक, फ्रांस के संबंध में ₹ 0.67 करोड़ (प्राईवेट वर्ष ₹ 0.66 करोड़) के दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता भी उपरोक्तानुसार गारंटीकृत है। पुनर्भुगतान अनुसूची: बैंक नेशनले डी पेरिस और नेटेक्सिस बैंक, फ्रांस: इन ऋण सुविधाओं के तहत पुनर्भुगतान 30 सितंबर, 2030 को पूरा हो जाएगा।

31.03.2024 तक एमसीएल के पास कोई बैंक ऋण नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों की ओर से, भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ के साथ ₹ 430.00 करोड़ की कार्यशील पूंजी ऋण सीमा के लिए एक कार्यशील पूंजी संघ समझौता किया है। कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के बैंक उधार को बैंकों के संघ के भीतर सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के कोयले, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स के स्टॉक और बुक ऋणों के खिलाफ एक चार्ज बनाकर सुरक्षित किया गया है।

टिप्पणी - 8.2: पट्टा देयताएं

गैर - चालू	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
वर्ष की शुरुआत में शेष	2.35	2.29
इस अवधि के दौरान परिवर्धन	-	-
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	0.30	0.19
पट्टा देयताओं का भुगतान	(0.18)	(0.13)
अवधि के समापन पर शेष राशि	2.47	2.35
चालू		
वर्ष की शुरुआत में शेष	-	-
इस अवधि के दौरान परिवर्धन	-	-
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	-	-
पट्टा देयताओं का भुगतान	-	-
अवधि के समापन पर शेष राशि	-	-

8.2.1 बिना छूट के आधार पर पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण (गैर-चालू और चालू):

विवरण	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
1 वर्ष तक	0.18	0.18
1-5 वर्ष	0.71	0.71
5 वर्ष से अधिक	13.46	15.83

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.2: पट्टा देयताएं (जारी)

8.2.2 31.03.2024 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान विलोपन	अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि				1.97	0.16
इमारत					
संयंत्र एवं उपकरण					
फ़र्निचर व फिक्सचर					
वाहनों					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
अमूर्त संपत्ति					

31.03.2023 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान विलोपन	अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि				2.13	0.10
इमारत					
संयंत्र एवं उपकरण					
फ़र्निचर व फिक्सचर					
वाहनों					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
अमूर्त संपत्ति					

लीज़ की शर्तों पर व्यक्तिगत आधार पर बातचीत की जाती है और इसमें कई तरह के अलग-अलग नियम और शर्तें शामिल होती हैं। प्रत्येक लीज़ में आम तौर पर एक प्रतिबंध लगाया जाता है कि, जब तक कंपनी के पास किसी अन्य पक्ष को संपत्ति को सबलेट करने का अनुबंधात्मक अधिकार न हो, उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति का उपयोग केवल कंपनी द्वारा ही किया जा सकता है।

अल्पकालिक लीज़ और कम मूल्य वाली अंतर्निहित संपत्तियों के लीज़ के अपवाद के साथ, प्रत्येक लीज़ बैलेंस शीट पर उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और लीज़ देयता के रूप में दिखाई देती है। अल्पकालिक लीज़ और कम मूल्य वाली लीज़ के लिए किए गए भुगतान को लीज़ अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर व्यय किया जाता है।

कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाओं में दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के तहत उपयोग के लिए समर्पित परिसंपत्तियां शामिल हैं, जैसा कि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

8.2.3 लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियाँ

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	0.16	0.10
पट्टे की देनदारियों पर ब्याज व्यय	0.30	0.19
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय		
बिक्री और लीजबैक लेनदेन से होने वाला लाभ या हानि		
	0.46	0.29

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.2: पट्टा देयताएं (जारी)

8.2.4 नकदी प्रवाह विवरण में पट्टों के लिए कुल नकदी प्रवाह का खुलासा

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वित्तीय पट्टा देनदारियों का भुगतान	(0.18)	(0.13)
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकद निकासी		
	(0.18)	**(0.13)**

टिप्पणी - 8.3 : व्यापार देयताएं

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया बकाया	24.02	2.23
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया बकाया	1,545.75	1,589.08
कुल	**1,569.77**	**1,591.31**

8.3.1 व्यापार देयताएं समय वृद्धि अनुसूची

31.03.2024 तक

विवरण	बिल न किए गए बकाया	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	
i) एमएसएमई	-	24.02	-	-	-	24.02	
ii) अन्य	1,116.70	243.71	-	164.33	21.01	1,545.75	
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	
iv) विवादित बकाया -अन्य	-	-	-	-	-	-	
v) बिल न किया गया बकाया	-	-	-	-	-	-	
कुल	**1,116.70**	**267.73**	**-**	**164.33**	**21.01**	**1,569.77**	

31.03.2023 तक

विवरण	बिल न किए गए बकाया	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	
i) एमएसएमई	-	2.23	-	-	-	2.23	
ii) अन्य	985.74	376.63	182.84	24.44	19.43	1,589.08	
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	
iv) विवादित बकाया -अन्य	-	-	-	-	-	-	
v) बिल न किया गया बकाया	-	-	-	-	-	-	
कुल	**985.74**	**378.86**	**182.84**	**24.44**	**19.43**	**1,591.31**	

टिप्पणी - 8.4 : अन्य वित्तीय देयताएं

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर चालू		
सुरक्षा जमा	690.85	842.16
अन्य	-	-
कुल	**690.85**	**842.16**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.4 : अन्य वित्तीय देयताएं

चालू

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
सीआईएल के साथ चालू खाता	-	19.73
आईआईसीएम का चालू खाता	-	-
सुरक्षा जमा	301.60	153.64
बयाना राशि	81.42	64.48
पूंजीगत व्यय के लिए देय	3,983.16	3,332.82
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	386.72	294.74
अन्य	274.35	316.71
कुल	**5,027.25**	**4,182.12**

टिप्पणी - 9.1 : प्रावधान

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	0.00	-
छुट्टी नकदीकरण	29.06	16.68
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	63.05	58.97
अन्य कर्मचारी लाभ	25.27	26.94
	117.38	102.59
अन्य प्रावधान		
साइट बहाली/खदान बंद करना9.1.3	836.33	1,028.35
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन9.1.2	17,902.97	18,301.46
अन्य	-	-
कुल	**18,856.68**	**19,432.40**
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	34.42	-
छुट्टी नकदीकरण	49.77	40.51
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	13.60	11.58
अन्य कर्मचारी लाभ9.1.4	453.67	1,216.10
	551.46	1,268.19
साइट बहाली/ खदान बंद करना	-	-
अन्य प्रावधान		
अन्य	267.57	241.41
कुल	**819.03**	**1,509.60**

9.1.1 प्रावधानों में परिवर्तन का विवरण (चालू और गैर-चालू)

भारतीय लेखा मानक-37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, जो बीमांकिक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं।

		वर्ष की शुरुआत में शेष	इस अवधि के दौरान प्रभारित	अवधि के दौरान उपयोग किए जाने वाला	अवधि के अंत में शेष
अन्य कर्मचारी लाभ		1,243.04	515.99	(1,280.09)	478.94
अन्य		241.41	26.16	-	267.57

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 9.1 : प्रावधान (जारी)

9.1.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (चालू और गैर-चालू) में गतिविधि का विवरण

(i) अनुपात भिन्नता आरक्षित

वर्ष की शुरुआत में राशि	**18,301.46**	**18,547.88**
वर्ष के दौरान प्रतिवर्ती	(398.49)	(246.42)
वर्ष के अंत में शेष	**17,902.97**	**18,301.46**

(ii) भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और लुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्संरचना के लिए नोट 16 (2) (9) देखें।

9.1.3 साइट बहाली जीर्णोद्धार/खान बंद करने का प्रावधान

भूमि सुधार और संरचनाओं को बंद करने के लिए समूह के दायित्व में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सतह और भूमिगत दोनों खानों पर खर्च करना शामिल है। आवश्यक कार्य करने के लिए भविष्य के नकद खर्च की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खदान को बंद करने, साइट की बहाली और डीकमिशनिंग के लिए दायित्व का अनुमान। अनुमोदित खान बंद करने की योजना के अनुसार खान बंद करने का खर्च प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्चों का अनुमान बढ़ाया जाता है, और फिर छूट दर (@8%) पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, जैसे कि प्रावधान की राशि अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक है। समय के साथ प्रावधान का मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट के प्रभाव में कमी ; वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त व्यय होता है । खान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए उपरोक्त दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। (नोट - 9 देखें)

भूमि के पुनरूद्धार/स्थल पुनर्स्थापन/खान बंद करने का मिलान :

	31.03.2024 तक	**31.03.2023 तक**
उद्घाटन तिथि पर साइट बहाली प्रावधान	1,028.35	957.52
साइट बहाली प्रावधान का जोड़	24.09	13.26
जोड: अवधि के दौरान लगाए गए प्रावधान की वापसी	67.75	69.13
घटाव: अवधि के दौरान निकासी	283.86	11.56
खदान बंद करने का प्रावधान	**836.33**	**1,028.35**

9.1.4 गैर-कार्यकारियों के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए-XI) के अनुसार, वेतन और मजदूरी के सभी तत्वों में वृद्धि के कुल प्रभाव पर विचार करते हुए पिछले वर्ष प्रति कर्मचारी (गैर-कार्यकारी) प्रति माह 19,100/- रुपये की दर से 804.45 करोड़ रुपये का अनुमानित प्रावधान किया गया था। हालाँकि, जून 2023 से एनसीडब्ल्यूए-XI को लागू किया गया है और वेतन संशोधित दर पर दिया जा रहा है। कुछ लंबित मामलों को छोड़कर कर्मचारियों को 31.03.24 को समाप्त वर्ष के दौरान बकाया वेतन का भी भुगतान किया गया है।

टिप्पणी - 10.1 : अन्य गैर- चालू देयताएं

	31.03.2024 तक	**31.03.2023 तक**
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	111.25	125.15
अन्य	1.14	0.56
कुल	**112.39**	**125.71**

टिप्पणी - 10.2 : अन्य चालू देयताएं

	31.03.2024 तक	**31.03.2023 तक**
वैधानिक शेष	1,465.13	1,409.19
ग्राहकों / अन्यों से अग्रिम	4,416.59	6,197.40
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	13.90	13.90
अन्य देनदारियां	-	-
कुल	**5,895.62**	**7,620.49**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

नोट - 11.1 : कर संपत्ति/देयताएं

		31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
आयकर संपत्ति			
वर्ष की शुरुआत में शेष		15,769.82	9,894.62
अवधि के दौरान निर्धारण		4,513.31	5,875.20
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तन/वापसी		(565.66)	-
अवधि के अंत तक शेष		**19,717.47**	**15,769.82**
आयकर देयताएं			
वर्ष की शुरुआत में शेष		12,130.43	7,471.60
अवधि के दौरान निर्धारण	(Refer 14.1 & 15.1)	3,451.33	4,658.83
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तन/वापसी		-	-
अवधि के अंत तक शेष		15,581.76	12,130.43
अंत में निवल आयकर परिसंपत्ति/(देयताएं)		**4,135.71**	**3,639.39**
के रूप में व्यक्त:			
गैर चालू			
आयकर परिसंपत्तियां (निवल)		-	-
आयकर देयताएं (निवल)		-	-
चालू			
आयकर परिसंपत्तियां (निवल)		4,135.71	3,639.39
आयकर देयताएं (निवल)		-	-
		4,135.71	**3,639.39**

नोट- 11.2 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	01.04.23 तक शेष 11.2.1	अवधि के दौरान लाभ और हानि में निर्धारण / (व्यक्त)	अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय में निर्धारण	31.03.2024 तक शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियां:				
संदिग्ध अग्रिम, दावे और ऋण के लिए प्रावधान	13.04	(0.02)		13.02
कर्मचारी हितलाभ	22.06	14.11		36.17
अन्य	27.52	0.74		28.26
कुल(A)	**62.62**	**14.83**	-	**77.45**
अस्तगित कर देयता:				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति से संबंधित	1,289.55	(19.41)		1,270.14
अन्य	-	316.45		316.45
कुल (B)	**1,289.55**	**297.04**	-	**1,586.59**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (C= A-B)	(1,226.93)	(282.21)	-	(1,509.14)
"D. परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन DTL(+)/DTA(-)"	-			-
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)(E=C+D)	**(1,226.93)**	**(282.21)**	-	**(1,509.14)**
के रूप में व्यक्त:		**31.03.2024 तक**		**31.03.2023 तक**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
विलम्बित टैक्स देयता		**1,509.14**		**1,226.93**
		(1,509.14)		**(1,226.93)**

11.2.1 भारतीय मानक लेखांकन 8, 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार नोट 9.1 में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन पर आस्थगित कर प्रभाव के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्संरचना के लिए नोट 16 (8) देखें।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

नोट - 12.1 : संचालन से राजस्व

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विक्रय		
विक्रय	37,200.78	41,918.77
घटाव: वैधानिक शुल्क	13,391.36	14,094.22
बिक्री (शुद्ध) (ए) 12.1.1 और 12.1.2	**23,809.42**	**27,824.55**
अन्य परिचालन राजस्व		
रेत भंडारण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सब्सिडी	-	-
लदान और अतिरिक्त परिवहन शुल्क	2,261.60	2,200.11
घटाव : वैधानिक शुल्क	107.63	104.77
	2,153.97	**2,095.34**
निकासी सुविधा शुल्क	1,253.22	1,214.47
घटाव: वैधानिक शुल्क	59.63	57.83
	1,193.59	**1,156.63**
अन्य सेवाओं से राजस्व	5.21	0.42
घटाव: वैधानिक शुल्क	0.80	0.06
	4.41	**0.36**
अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध) (बी)	**3,351.97**	**3,252.33**
परिचालन से राजस्व (ए+बी)	**27,161.39**	**31,076.88**

12.1.1 उपरोक्त कोयले की बिक्री अनुमानित कोयला गुणवत्ता भिन्नता और सतही नमी के लिए प्रावधान (रिवर्सल के बाद शुद्ध) ₹82.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹130.62 करोड़ की कमी) से कम हुई है।

12.1.2 बिक्री में ₹340.80 करोड़ (पिछले वर्ष ₹211.34 करोड़) की अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त प्रदर्शन प्रोत्साहन (पीआई) और ₹317.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹297.83 करोड़) की अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त मुआवजा शामिल है।

12.1.3 सेवाओं से प्राप्त राजस्व में महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की ₹ 20.93 करोड़ की राशि शामिल है।

टिप्पणी - 12.2 : अन्य आय

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय12.2.1	1,295.98	1,036.38
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	3.63	4.92
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	142.63	162.78
पट्टा किराया	3.15	8.13
प्रावधान वापस लिखा गया12.2.2	2.73	6.28
देयताएं वापस लिखी गईं	261.93	108.82
उचित मूल्य में परिवर्तन (शुद्ध)	28.77	(43.92)
विविध आय	224.23	315.84
कुल	**1,963.05**	**1,599.23**

12.2.1 आयकर एवं अन्य अप्रत्यक्ष कर रिफंड पर ब्याज शामिल है ₹ 18.02 करोड़ (पिछली अवधि शून्य, पी.वाई. शून्य)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 12.2 : अन्य आय (जारी)

12.2.2 प्रावधान का विवरण वापस लिखा गया

निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्तियाँ के लिए (4.3.1)	0.72	2.46
वित्तीय जमा और प्राप्तियाँ के लिए (4.6.1)	-	-
कोयला और भंडार सूची के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	1.75	3.81
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.1.1)	0.10	-
अन्य चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.2.1)	0.16	0.01
अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान	**2.73**	**6.28**

टिप्पणी - 13.1 : प्रयुक्त सामग्री की लागत

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	439.63	657.19
लकड़ी	0.18	0.32
तेल और स्नेहक	426.19	540.32
एचईएमएम स्पेयर्स	128.10	115.15
अन्य उपभोज्य स्टोर और पुर्जे	88.58	81.84
कुल	**1,082.68**	**1,394.82**

टिप्पणी - 13.1(a) :स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद

स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	-	-

नोट - 13.2 : तैयार माल की सूची में परिवर्तन, प्रगतिशील कार्य और व्यापार भंडार

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले के भंडार में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	757.55	806.98
प्रारंभिक स्टॉक को राजस्व में लाया गया	-	-
वर्ष के समापन पर स्टॉक	1,021.11	757.55
	(263.56)	49.43
वर्कशॉप और प्रेस जॉब्स की सूची में बदलाव		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	34.88	29.02
वर्ष के समापन पर स्टॉक	35.17	34.88
	(0.29)	(5.86)
कुल	(263.85)	43.57

टिप्पणी - 13.3 : कर्मचारी लाभ पर व्यय

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी 13.3.1 & 13.3.2	3,267.12	3,426.89
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	1,010.42	811.10
कर्मचारी कल्याण व्यय	271.76	275.26
कुल	**4,549.30**	**4,513.25**

13.3.1 13.3.1 वेतन एवं भत्ते में भत्ते, बोनस, प्रोत्साहन, कार्य निष्पादन संबंधी वेतन, ओवरटाइम वेतन और स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क आदि शामिल हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13.3 : कर्मचारी लाभ पर व्यय (जारी)

13.3.2 गैर-कार्यकारियों के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (NCWA-XI) जून 2023 से लागू किया गया है, तथा वेतन संशोधित दर पर दिया जा रहा है। कुछ लंबित मामलों को छोड़कर 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान बकाया वेतन का भी भुगतान किया गया है। 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त प्रावधान ₹ 80.92 करोड़ था तथा 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 737.73 करोड़ था। नोट 9.1.4 देखें।

13.3.3 भारतीय मानक लेखांकन 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ से संबंधित लाभों को छोड़कर विभिन्न कर्मचारी लाभों के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में प्रकटीकरण, जो एक्चुरियल मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, नोट 9.1.1 में दिए गए हैं।

13.3.4 परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं के संबंध में भारतीय लेखा मानक लेखांकन 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण, जो एक्चुरियल मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, नोट 16 (6) में प्रकट किए गए हैं।

नोट - 13.4 : वित्तीय लागत

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज पर व्यय		
छूट की समाप्ति	66.80	81.08
उचित मूल्य में परिवर्तन (निवल)	-	-
अन्य उधार लागत 13.4.1	0.04	0.04
कुल	**66.84**	**81.12**

13.4.1 इसमें उधार पर उपार्जित ₹ निरंक (पिछले वर्ष की संगत अवधि ₹ निरंक, पिछले वर्ष ₹ निरंक) ब्याज शामिल है

नोट- 13.5:मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि

	For the Year ended 31.03.2024	For the year ended 31.03.2023
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1)	965.92	943.80
प्रगति पर पूंजीगत कार्य (नोट 3.2)	-	12.96
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (नोट 3.3)	-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (नोट 3.3)	4.05	3.76
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (नोट 3.5)	-	-
	969.97	960.52
घटाव:		
कोयला खदानों के विकास के दौरान व्यय हेतु हस्तांतरित	2.98	24.88
कुल	**966.99**	**935.64**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने तकनीकी रूप से संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी कार्यकाल का मूल्यांकन और समीक्षा की है। लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के कारण, वर्ष के दौरान मूल्यह्रास/परिशोधन में ₹19.60 करोड़ की कमी आई है। भविष्य की अवधि में प्रभाव का खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि इसका अनुमान लगाना अव्यवहारिक है।

टिप्पणी - 13.6 : स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	0.00	-
अनुपात भिन्नता आरक्षित 13.6.2	(398.49)	(246.42)
कोयले तक बेहतर पहुंच	(419.54)	(496.06)
	(818.03)	**(742.48)**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13.6 : स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (जारी)

13.6.1: अनुपात भिन्नता आरक्षित निधि: कंपनी की भौतिक लेखांकन नीति के अनुसार, जब भी प्रावधान/परिसंपत्ति के प्रतिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अनुपात भिन्नता आरक्षित निधि की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से प्रतिवर्तित किया जाता है।

13.6.2. 13.6.2. कोयले तक बेहतर ब्मिगमन (पहुंच): जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने से अधिक हटाए गए ओवरबर्डन के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है।

13.6.3. 13.6.3. भारतीय मानक लेखांकन 8, 'लेखा नीतियां, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय मानक लेखांकन 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्कथन के लिए नोट 16 (2) (9) देखें। नोट 9.1 भी देखें।

टिप्पणी - 13.7: संविदागत व्यय

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन शुल्क:	2,266.93	2,233.43
वैगन लदाई	91.38	92.88
संयंत्र एवं उपकरण भाड़ा पर लेना	3,066.37	2,970.71
अन्य संविदात्मक कार्य	436.85	122.99
कुल	**5,861.53**	**5,420.01**

टिप्पणी - 13.8 : अन्य व्यय

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली व्यय	180.23	164.60
मरम्मत और रखरखाव		
इमारत	160.77	149.98
संयंत्र एवं उपकरण	46.32	54.00
अन्य	1.44	1.51
यात्रा व्यय	27.63	25.20
प्रशिक्षण व्यय	5.53	8.30
टेलीफोन और इंटरनेट	30.77	24.86
विज्ञापन और प्रचार	15.68	7.95
माल ढुलाई शुल्क	-	-
विलंब शुल्क	2.88	6.83
अंडर लोडिंग शुल्क	87.12	86.81
कोयला नमूनाकरण शुल्क	49.01	63.28
सुरक्षा व्यय	127.64	122.02
कानूनी व्यय	7.39	6.24
सीआईएल का सेवा शुल्क	412.20	386.52
परामर्श शुल्क	2.22	2.69
सेवा शुल्क (सीएमपीडीआई)	40.69	27.83
संपत्तियों की बिक्री/त्याग/सर्वेक्षण पर हानि	0.05	0.12
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और व्यय		
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	0.19	0.19
कर मामलों के लिए	-	0.02
अन्य सेवाओं के लिए	0.17	0.17
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए।	0.06	0.02
आंतरिक और अन्य लेखा परीक्षा व्यय	3.28	2.85
पुनर्वास शुल्क	119.46	115.63
लीज किराया और किराये पर लेने का शुल्क	91.03	86.25
दरें और कर	154.60	428.72

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13.8 : अन्य व्यय (जारी)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
बीमा	0.82	0.68
विनिमय दर भिन्नता पर हानि	0.04	0.28
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	8.25	4.99
साइडिंग रखरखाव शुल्क	44.59	50.93
अनुसंधान और विकास व्यय	0.05	-
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	46.94	39.35
शेयरों की पुनर्खरीद पर व्यय	-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	262.93	195.68
दान, पुरस्कार और अनुदान	0.20	70.89
प्रावधान13.8.1	67.24	25.15
बट्टे खाते में डालना (पिछले प्रावधानों का शुद्ध)		
सकल बट्टे खाते में डालना	0.02	0.67
बट्टे खाते में डालने पर पहले से मान्यता प्राप्त प्रावधानों का बट्टे खाते में डालना	(0.01)	
बट्टे खाते में डालना (पहले से मान्यता प्राप्त प्रावधानों का शुद्ध बट्टे खाते में डालना)	0.01	0.67
विविध व्यय	88.45	67.73
कुल	**2,085.88**	**2,228.94**

13.8.1 प्रावधानों का विवरण

निगम और कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्तियों के लिए (4.3.1)	63.86	22.36
वित्तीय जमा और प्राप्तियों के लिए (4.6.1)	0.16	-
कोयला और स्टोर इन्वेंटरी के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	3.22	2.79
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिमों के लिए (6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमा और अग्रिमों के लिए (6.2.1)	-	0.00
अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान	**67.24**	**25.15**

13.8.2 सीएसआर व्यय का अनुलग्नक **(₹ करोड़ में)**

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
A. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार ब्यौरा (अतिरिक्त व्यय सहित):		
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	69.44	74.79
विशेष शिक्षा और रोजगार सहित व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना	33.98	55.77
लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	0.34	0.90
पर्यावरणीय स्थिरता	8.79	4.30
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	1.25	10.78
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों को लाभ	-	-
ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालम्पिक खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	14.80	11.40
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित कोष में योगदान	-	-
इनक्यूबेटर या अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में योगदान	-	0.18
विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में योगदान	3.12	-
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	27.30	48.38
स्लम क्षेत्र विकास	-	0.01
आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं	0.27	1.46
प्रशासनिक लागत	3.59	-
कुल	**162.88**	**207.97**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13.8 : अन्य व्यय (जारी)

B. आवश्यक सीएसआर व्यय और सीएसआर व्यय विवरण		
(a) वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत होल्डिंग और अनुषंगी कंपनियों द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का 2%)	262.93	195.68
(b)वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	162.88	207.97
(c) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	109.25	150.73
(ii) इसके अलावा अन्य उद्देश्यों पर (i) ऊपर	53.63	57.24
कुल	162.88	207.97

सी. चिन्हित सीएसआर व्यय और व्यय किए गए सीएसआर व्यय का मिलान	**2023-24**	**2022-23**
सीएसआर (खर्च सहित)	162.88	207.97
घटाव : वर्ष के दौरान आगे ले जाया गया अतिरिक्त/(उपयोग किया गया)	(100.05)	12.29
जोड़: चालू परियोजनाओं पर अप्रयुक्त सीएसआर व्यय	-	0
जोड़: चालू सीएसआर व्यय के अलावा अन्य पर खर्च न किया गया व्यय	-	0
पी.एंड.एल में मान्यता प्राप्त राशि	262.93	195.68

D. चालू परियोजना के अलावा अन्य अप्रयुक्त राशि [धारा 135(5)]	**2023-24**	**2022-23**
प्रारंभिक शेष	-	-
6 माह के भीतर अनुसूची VII के विशिष्ट कोष में जमा किया जाना चाहिए	-	-
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	-	-
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	-	-

ई. अधिक व्यय की गई राशि [धारा 135(5)]

वर्षवार विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	जमा शेष
2021-22	36.90	181.62	251.76	107.04
2022-23	107.04	195.68	207.97	119.33
2023-24*	119.33	262.93	162.88	19.28
Total				

* वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए, सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष राशि को समायोजित किए बिना अतिरिक्त राशि को आगे बढ़ाया गया है। इसे चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया गया है।

अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अन्य अग्रिम और जमाराशियों के लिए फ़ुटनोट देखें

एफ. अव्ययित चालू परियोजना [धारा 135(6)] (वर्षवार)		**2023-24**	**2022-23**
प्रारंभिक शेष	कंपनी के साथ	-	-
	अलग सीएसआर खाते में	-	-
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि		-	-
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	कंपनियों के बैंक खाते से	-	-
	अलग सीएसआर खाते में	-	-
जमा शेष	कंपनी के साथ	-	-
	अलग सीएसआर खाते में	-	-

जी. सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान	**2023-24**
प्रारंभिक शेष	61.42
अवधि के दौरान वृद्धि	29.81
वर्ष के दौरान समायोजन	-61.42
समापन शेष	29.81

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 14.1 : कर व्यय

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	3,465.49	4,643.61
पिछले वर्ष	-	-
कुल चालू कर	**3,465.49**	**4,643.61**
चालू वर्ष	282.21	687.47
पिछले वर्ष	-	
कुल चालू कर	**3,747.70**	**5,331.08**
14.1.1 कर व्यय का समाधान:		
कर से पहले लाभ/(हानि)	15593.10	18801.24
आयकर दर 25.168% (31.03.2023: 25.168%) पर	3,924.47	4,731.90
घटाएँ: छूट प्राप्त आय पर कर	-	13.39
जोड़ें: गैर-कटौती योग्य व्यय पर कर/(कर उद्देश्य के लिए अनुमत अतिरिक्त व्यय)	(176.77)	376.88
MAT प्रावधानों के तहत कर के लिए समायोजन	-	-
पिछले वर्ष के कर के लिए समायोजन	-	-
लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	**3,747.70**	**5,095.39**
प्रभावी आयकर दर:	24.03%	27.10%

14.1.2 वर्ष 2023-24 के दौरान, चालू वर्ष के कर व्यय में ₹ (240.27) करोड़ शामिल हैं, जो भारतीय लेखा मानक 8 'लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों' के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लेखांकन में परिवर्तन के कारण है। नोट 16(2)(9) देखें।

14.1.3 भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्कथन के परिणामी प्रभाव के लिए नोट 16 (2) (9) देखें। 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए पहले से रिपोर्ट किए गए आस्थगित कर ₹374.20 करोड़ को ₹313.27 करोड़ से पुनर्कथन किया गया है।

14.1.4 आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देनदारियों) के घटक के लिए टिप्पणी 11.2 देखें

टिप्पणी - 15.1 : अन्य व्यापक आय

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन1	(56.26)	60.48
	(56.26)	**60.48**
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	14.16	(15.22)
	14.16	**(15.22)**
वे वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	
विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर	-	-
	-	-
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
	-	-
कुल	**(42.10)**	**45.26**

15.1.1 यह आंकड़ा ग्रेच्युटी के लिए ₹ (53.02) करोड़ (वार्षिक वर्ष 55.68 करोड़) और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए ₹ (3.24) करोड़ (वार्षिक वर्ष ₹ 4.80 करोड़) को दर्शाता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

1 क) आकस्मिक देयताएं

I. समूह के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

(₹ करोड़ में)

	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	अन्य	कुल
01.04.2023 तक प्रांभिक शेष	9,078.30	4,540.95	-	202.32	**13,821.57**
अवधि के दौरान वृद्धि	561.02	186.08	8.50	17.91	**773.51**
इस अवधि के दौरान निपटाए गए दावे:					
क. प्रारंभिक शेष राशि से	4,431.60	201.81		24.57	**4,657.98**
ख. अवधि के दौरान अतिरिक्त		16.42			**16.42**
31.03.2024 तक शेष जमा	**5,207.72**	**4,508.80**	**8.50**	**195.66**	**9,920.68**

(₹ in Crore)

	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	अन्य	कुल
01.04.2022 तक प्रांभिक शेष	8,656.78	4,695.98	1.13	286.02	**13,639.91**
अवधि के दौरान वृद्धि	3,235.92	79.51		20.89	**3,336.32**
इस अवधि के दौरान निपटाए गए दावे:					
क. प्रारंभिक शेष राशि से	2,814.27	234.54	1.13	100.52	**3,150.46**
ख. अवधि के दौरान अतिरिक्त	0.13			4.07	**4.20**
31.03.2023 तक शेष जमा	**9,078.30**	**4,540.95**	-	**202.32**	**13,821.57**

(₹ करोड़ में)

आकस्मिक देयता			
क्रम सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023 (पुनर्कथन)**
1	**केंद्र सरकार**		
	आयकर	4,876.43	7,723.93
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	270.00	328.14
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	26.68	505.04
	केंद्रीय बिक्री कर		-
	सेवा कर	5.19	141.86
	अन्य	29.42	379.33
	उप कुल	**5,207.72**	**9,078.30**
2	**राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण**		
	रॉयल्टी	705.10	868.61
	पर्यावरण मंजूरी	2,915.04	2,915.04
	बिक्री कर/वैट	20.75	30.26
	प्रवेश कर	5.29	5.23
	बिजली शुल्क	-	-
	अन्य	862.62	721.81
	उप कुल	**4,508.80**	**4,540.95**
3	**केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम**		
	मध्यस्थता कार्यवाही	-	-
	कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर	8.50	-
	अन्य (Please Specify)	-	-
	उप कुल	**8.50**	-
4	**अन्य: (यदि कोई हो)**		
	विविध - भूमि एवं अन्य	29.95	36.89
	मध्यस्थता, सिविल मुकदमे, कर्मचारी संबंधी आदि।	165.71	165.43
	उप कुल	**195.66**	**202.32**
	सकल जोड़	**9,920.68**	**13,821.57**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत मामलों के निपटान में कोई ब्याज अपेक्षित नहीं है, सिवाय इसके कि जहां प्रबंधन का प्रतिकूल दृष्टिकोण हो।

कंपनी के लंबित मुकदमे में कंपनी के विरुद्ध दावा और कर/सांविधिक/सरकारी अधिकारियों के समक्ष लंबित कार्यवाही शामिल है। कंपनी ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू हो, आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम से उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उपर्युक्त के संबंध में भविष्य के नकद बहिर्वाह न्याय/निर्णयों के परिणाम पर निर्भर हैं।

प्रकरण फाइल संख्या 21344/2017 के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अभियोगी को बकाया वेतन या मौद्रिक लाभ देने का निर्देश दिया गया है। हालाँकि, वास्तविक जानकारी की तत्काल उपलब्धता के अभाव में उचित देयता का यथार्थवादी अनुमान नहीं लगाया जा सका। इसलिए उस वित्तीय विवरणों की गणना नहीं लगाई जा सकी ।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ: आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली गतिविधियों से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की गतिविधियों के घटित होने या न होने से ही पुष्ट होगा जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान, कई अनसुलझे दावे वर्तमान में लंबित हैं। ऐसे दावों के संबंध में आर्थिक लाभ के प्रवाह को संबंधित घटनाओं और परिस्थितियों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता है।

II. गारंटी

31.03.2024 तक जारी बैंक गारंटी ₹ 618.67 करोड़ (प्र.वर्ष ₹ 614.33 करोड़) है।

III. साख पत्र

31.03.2024 तक बकाया साखा पत्र शून्य है (पिछला वर्ष शून्य था)।

b) प्रतिबद्धताओं

पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले और प्रावधान नहीं किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि: ₹ 4494.56 करोड़ (गत वर्ष ₹ 5608.57 करोड़) (अग्रिमों का निवल ₹ 2261.34 करोड़ (गत वर्ष ₹ 4390.27 करोड़)।

अन्य प्रतिबद्धताएं: ₹ 45658.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 45153.56 करोड़)।

2 संबंधित पार्टी की जानकारी

a) समूह जानकारी

i) अनुषंगी कंपनियों

क्रमांक	इकाई का नाम	मुख्य गतिविधियाँ	निगमन-राष्ट्र	% इक्विटी ब्याज	
				31.03.2024	31.03.2023
1	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	70.00%	70.00%
2	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	60.00%	60.00%
3	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	विद्युत उत्पादन	भारत	100.00%	100.00%
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	रेल कॉरिडोर परियोजना का निर्माण और संचालन	भारत	71.11%	71.11%

ii) रोजगार उपरांत लाभ निधि और अन्य

क्रमांक	इकाई का नाम	प्रकृति	निगमन-राष्ट्र
1	एमसीएल कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी योजना ट्रस्ट फंड	ट्रस्ट	भारत
2	कोयला खान भविषय निधि (CMPF)	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में वैधानिक निकाय	भारत
3	कोल इंडिया सेवानिवृत्ति लाभ निधि ट्रस्ट	ट्रस्ट	भारत
4	गैर-कार्यकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना संशोधित	ट्रस्ट	भारत
5	सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट	ट्रस्ट	भारत

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

iii)प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री उदय ए कावले	अध्यक्ष -सह-प्रबंध निदेशक	19.12.2023
श्री ओ.पी.सिंह	अध्यक्ष -सह-प्रबंध निदेशक	01.01.2022 - 31.10.2023
श्री ए.के.बेहुरा	निदेशक (वित्त)	01.08.2022
श्री जुगल कुमार बोरा	निदेशक (तकनीकी-योजना एवं परियोजना)	19.04.2022 - 01.06.2023 23.11.2022
श्री केशव राव	निदेशक (कार्मिक)	18.12.2019
श्री ए.एस.बापट	निदेशक (तकनीकी-योजना एवं परियोजना)	02.06.2023
श्री सोभाग्य परिडा	कंपनी सचिव	25.04.2022
श्री संजीव कुमार कस्सी	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	22.02.2023
श्री मुकेश चौधरी	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	27.01.2023
डॉ आशा लाकरा	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री दयाशंकर चंद्रशेखर तिवारी	स्वतंत्र निदेशक	30.05.2023
डॉ. राजेश कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	31.05.2023

iv) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31.03.2024	31.03.2023
i)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ		
a.	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान	3.73	2.72
b.	स्वतंत्र निदेशकों को उपस्थिती की फीस	0.11	0.06
ii)	नौकरी के बाद मिलने वाले लाभ	0.59	0.45
iii)	अन्य दीर्घकालिक लाभ		
iv)	समाप्ति लाभ		-
v)	शेयर आधारित भुगतान		
	कुल	**4.43**	**3.23**

टिप्पणी:

उपरोक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम ब्यूरो के दिनांक 20.11.1964 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(18)/पीसी-64, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के प्रावधानों के अनुसार रियायती दर पर भुगतान करने पर 750 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कारों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

VII) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ शेष बकाया राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
i)	देय राशि	-	-
ii)	प्राप्ति योग्य राशि	-	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

VIII) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां क्रमशः फर्मों या निजी कंपनियों से बकाया हैं जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है। इसके अलावा संबंधित पक्षों (निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य) को कोई ऋण नहीं है।

बी. समूह के भीतर संबंधित पक्ष लेनदेन

कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनियों के साथ लेनदेन किया है जिसमें शीर्ष प्रभार, पुनर्वास प्रभार, पट्टा किराया, सहायक कंपनियों द्वारा जमा किए गए धन पर ब्याज तथा चालू खाते के माध्यम से अन्य सहायक कंपनियों द्वारा या उनकी ओर से किए गए अन्य व्यय शामिल हैं।

भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के संबंध में निम्नलिखित घोषणा किए गए हैं:

i) सहायक कंपनियाँs

31.03.2024 तक बकाया शेष राशि और उस समय समाप्त अवधि के लिए लेनदेन (₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	प्रदत्त लाभांश	परिसंपत्तियों/ भंडार सामग्री/ कार्यशाला डेबिट की बिक्री	सहायक कंपनियों द्वारा जमा किये गये धन पर ब्याज	अन्य	चालू खाता शेष (देय) प्राप्तियाँ	बकाया शेष राशि (देय)/प्राप्तियां
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				(0.73)		(1.22)		
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड				0.04				
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				(16.04)				
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				0.27				
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				0.42		(3.67)		
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				0.28				
कोल इंडिया लिमिटेड							5.12	
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड					(2.12)		32.41	
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड*					(9.10)		50.47	
एमएनएच शक्ति लिमिटेड* *					(0.11)		1.81	
एमजेएसजे कोल लिमिटेड					(0.38)		5.92	
	412.20	**119.46**	**9,000.00**	**-15.76**	**(11.71)**	**(4.89)**	**95.73**	**(31.78)**

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े शुद्ध आय या ऋण शेष को दर्शाते हैं।

अन्य में एसईसीएल के लिए - कार्यशाला मरम्मत शुल्क और ईसीएल के लिए - एलडीबीएम और सीआईटीएमसी शुल्क और कार्यशाला डेबिट शामिल हैं

ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल और एनसीएल कंपनी की सह-सहायक कंपनियां हैं

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

31.03.2023 तक बकाया शेष राशि और उस समय समाप्त अवधि के लिए लेनदेन								
संबंधित पक्षों का नाम	**शीर्ष प्रभार**	**पुनर्वास शुल्क**	**प्रदत्त लाभांश**	**परिसंपत्तियों/ भंडार सामग्री की बिक्री**	**सहायक कंपनियों द्वारा जमा किये गये धन पर ब्याज**	**अन्य**	**चालू खाता शेष (देय) प्राप्तियाँ**	**"बकाया शेष राशि (देय)/प्राप्तियां"**
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				(0.07)		0.27		
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड				0.02				
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				0.55				
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				0.01				
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				2.13		(0.36)		
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				(0.36)				
कोल इंडिया लिमिटेड	386.52	115.63	8425				(19.73)	
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड					(1.54)		29.78	
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड*					(10.91)		245.70	
एमएनएच शक्ति लिमिटेड**					(0.07)		1.40	
एमजेएसजे कोल लिमिटेड					(0.27)		5.23	
	386.52	**115.63**	**8,425.00**	**2.28**	**(12.79)**	**(0.09)**	**262.38**	**(45.27)**

c. सीएमपीडीआईएल के साथ लेनदेन (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	**विवरण**	**नोट नं.**	**वित्तीय वर्ष 23-24**	**वित्तीय वर्ष 22-23**
	लाभ एवं हानि का विवरण			
1	पूंजीगत व्यय	3	15.94	23.85
2		4	39.12	45.56
3		5	4.63	-
4		6.1		-
5		6.2		-
6	सीएमपीडीआईएल व्यय	35	42.26	29.83
7	पर्यावरण व्यय	35	31.67	39.51
8	आंतरिक एवं अन्य लेखापरीक्षा व्यय	35	-	0.10
	तुलन पत्र		0.64	-
1	पूंजीगत व्यय के लिए देय	20		
2	व्यापार देनदारियां	19	5.46	13.96
3	बैलेंस शीट के अन्य शीर्ष		26.32	31.31

घ. एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाएँ:

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) है जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है तथा इसके पास अधिकांश शेयर हैं (टिप्पणी -16 देखें) । सरकारी इकाई होने के कारण कंपनी को संबंधित पक्ष के लेन-देन तथा नियंत्रक सरकार और उसी सरकार के अधीन किसी अन्य इकाई के साथ बकाया शेष राशि के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है। निम्नलिखित लेन-देन उसी सरकार के नियंत्रण में आने वाली संस्थाओं के साथ समान मूल्य पर दर्ज किए गए हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

3 अन्य

a) अधिकृत पूंजी1

	31.03.2024	31.03.2023
1,39,58,200 इक्विटी शेयर, प्रत्येक ₹ 1000/-	1395.82	775.82
20,41,800 10% संचयी मोचनीय वरीयता शेयर, प्रत्येक ₹ 1000/- (शीघ्र मोचन की शर्तों के अनुसार मोचन किया जाएगा)	204.18	204.18

b) एमसीएल प्राकृतिक संसाधन एवं ऊर्जा प्रबंधन संस्थान (एमआईएनआरईएम) का निर्माण

कंपनी ठेकेदार मेसर्स एनबीसीसी के माध्यम से 138.83 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अनुमानित कुल लागत के साथ एक संस्थान 'एमसीएल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी मैनेजमेंट (एमआईएनआरईएम), भुवनेश्वर' का निर्माण कर रही है। निर्माण कार्य रोक दिया गया था क्योंकि भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने पहले अनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया था। हालांकि 02.11.2018 को बीडीए ने एमसीएल के पक्ष में आवश्यक अनुमति प्रदान कर दी है। एमओयू को 09.01.2020 से दो साल की अवधि के लिए फिर से मान्य किया गया है और उपरोक्त कार्य 12 महीने के भीतर पूरा किया जाना है और संशोधित परियोजना लागत 155.33 करोड़ रुपये है। एनबीसीसी ने 04.08.2021 को एमओसी के सचिव द्वारा दी गई समयसीमा के अनुसार 15 दिनों के भीतर काम फिर से शुरू नहीं किया था। जिसके बाद एमसीएल के पास समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

एनबीसीसी के साथ एमओयू को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित करने के साथ-साथ एमओयू के अनुसार दंडात्मक प्रावधानों के बारे में एनबीसीसी को 05.01.2022 को सूचित कर दिया गया है। शेष कार्य के लिए पीएमसी का काम सीएमपीडीआईएल, रांची को पत्र संख्या एमसीएल/संबलपुर/सिविल/21-22/1641 दिनांक 02.02.2022 के माध्यम से सौंपा गया है।

कंपनी ने 31.03.24 तक संस्थान के निर्माण पर ₹ 122.08 करोड़ खर्च किए हैं।

कंपनी ने चक्रवात फानी और चोरी के कारण इमारत को हुए नुकसान के कारण ₹ 12.72 करोड़ की हानि का आरोप लगाया है।

इसके अलावा चूंकि मामला विवाद में है, इसलिए 11वां और 12वां आरए बिल मौजूदा मोबिलाइजेशन एडवांस के साथ लेखांकन और समायोजन के लिए लंबित है।

c) बलियापांडा मौजा, पुरी में भूमि

पुरी के बलियापांडा मौजा में 5 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत ₹ 0.94 करोड़ (बाउंड्री वॉल के लिए जमा राशि सहित) है, पुरी नगरपालिका से 01.04.1996 से 99 साल की लीज अवधि के लिए ली गई थी। हालांकि, तहसीलदार पुरी ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 7206 दिनांक 21.08.2004 के माध्यम से पुरी के कलेक्टर को संबोधित किया, जिसकी एक प्रति एमसीएल, भुवनेश्वर को भी भेजी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उक्त क्षेत्र "स्वेट वाटर जोन" के अंतर्गत आता है और इसे सरकार के आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। हालांकि उक्त भूमि स्वेट वाटर जोन के अंतर्गत आती है, तहसीलदार, पुरी ने 2008-09 तक उपकर के साथ जमीन का किराया स्वीकार किया है। 05.12.2019 को डीजीएम, एमसीएल द्वारा कलेक्टर, पुरी को वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए पत्र लिखा गया है। इसके बाद, डिप्टी जीएम, एमसीएल और सीएम (खनन) ने 18.12.2020 को कलेक्टर, पुरी से मुलाकात की। कलेक्टर ने कहा कि नगर पालिका द्वारा एमसीएल को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर गलत तरीके से भूमि पट्टे पर दी गई थी, इसलिए नगर पालिका एमसीएल के पक्ष में कोई वैकल्पिक भूमि आवंटित नहीं कर सकती है और नगर पालिका, पुरी के पास पहले जमा की गई भूमि के प्रीमियम की वापसी के लिए आवेदन करने का सुझाव दिया। एमसीएल ने नगर पालिका, पुरी के पास वापसी या वैकल्पिक भूमि के लिए आवेदन किया है और मामला प्रक्रियाधीन है।

d) न्यायालय, विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों के निर्देशानुसार तथा नोट-4.5 एवं नोट-4.6 के अन्तर्गत दर्शाए गए बैंक गारंटी जारी करने के लिए ₹ 16.99 करोड़ (पिछले वर्ष - ₹ 15.33 करोड़) का जमा खाता (विशिष्ट उद्देश्य के लिए) बनाया गया है। विवरण नीचे दिया गया है:

टिप्पणी 4.5 - ₹ 11.54 करोड़

i. सावधि जमा में न्यायालय के आदेश के अनुसार वर्ष 2005-06 में विस्फोटक दर अनुबंधों के विरुद्ध वसूले गए मूल्य अंतर के विरुद्ध किए गए ₹ 7.74 करोड़ शामिल हैं।

ii. सावधि जमा में ₹ 0.24 करोड़ शामिल हैं, जो कंपनी द्वारा मेसर्स श्री महावीर फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, कटक के आदेश के अनुसार रिट याचिका संख्या 3109/2015 के अंतिम निर्णय तक 40% टेपरिंग मनी के लिए किए गए थे।

iii. सावधि जमा में माननीय उच्च न्यायालय कटक (ओडिशा) के अंतरिम आदेश के विरुद्ध किए गए ₹1.61 करोड़ शामिल हैं, जो विवादित भूमि से संबंधित मुआवजे की शेष राशि के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किए जाने हैं।

iv. बैंक में क्रमशः ₹0.45 करोड़ की बैंक जमा राशि रखी गई है, जिसे हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन/समझौते के तहत जल बांध प्रभाग के पक्ष में गिरवी रखा गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

v. बैंक जमा में एमआईएमएसआर के लिए संस्थागत भवन योजना का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए टीएएमडीए के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने के लिए ₹1.07 करोड़ शामिल हैं।

vi. कार्यकारी अभियंता, मुख्य बांध डिवीजन, बुर्ला के पक्ष में एफडीआर के रूप में ₹ 0.37 करोड़ जमा किए गए।

vii. अधीक्षण अभियंता, मुख्य बांध प्रभाग, बुर्ला के पक्ष में एफडीआर के रूप में ₹ 0.05 करोड़ जमा किए गए।

टिप्पणी 4.6 - ₹ 4.85 करोड़

i. अधीक्षण अभियंता, मुख्य बांध प्रभाग, बुर्ला के पक्ष में एफडीआर के रूप में ₹ 1.89 करोड़ जमा किए गए।

ii. मेसर्स हिंदुस्तान डोर ओलिवर की बीजी के नकदीकरण के संबंध में ओडिशा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एफडीआर के रूप में ₹ 1.08 करोड़ जमा किए गए।

iii. ₹0.24 करोड़ एफडीआर के रूप में अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में जमा किए गए।

iv. ₹0.07 करोड़ अधीक्षण अभियंता सुंदरगढ़ सिंचाई प्रभाग के पक्ष में एफडीआर के रूप में जमा किया गया

v. माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्देश पर मेसर्स उत्कल हाईवेज के लिए टीडीआर के रूप में ₹1.46 करोड़ की बैंक जमा

vi. कार्यकारी अभियंता, बुर्ला सिंचाई प्रभाग, बुर्ला के लिए टीडीआर के रूप में ₹ 0.10 करोड़ जमा किए गए

vii. इब-वैली कोल वाशरी का लाइसेंस जारी करने के लिए खान कार्यालय, संबलपुर के उप निदेशक के पक्ष में ₹ 0.01 करोड़ जारी किए गए।

e) रेलवे बोर्ड ने कार्यकारी निदेशक (इंफ्रा-1), रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या 2018/इंफ्रा/12/19 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार झारसुगुड़ा-बरपाली-सरदेगा रेल लाइन के लिए बढ़े हुए माइलेज को मंजूरी दे दी है। उपरोक्त के लिए रियायत समझौता 11.03.2024 को दक्षिण पूर्व रेलवे और एमसीएल के बीच निष्पादित किया गया है। बढ़े हुए माइलेज के माध्यम से रियायत पुनर्भुगतान समझौता 17.04.2023 से लागू होगा। रेलवे ने अभी तक गणना और देय राशि को अंतिम रूप नहीं दिया है और इसलिए रेलवे द्वारा अभी तक कोई राशि जारी नहीं की गई है। प्राप्य राशि की अनुपस्थिति में, खातों की पुस्तकों में कोई आय मान्यता प्राप्त नहीं हुई है।

f) 01.04.2015 से भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन के पश्चात, अचल संपत्ति के वहन मूल्य को लागत मॉडल के अनुसार जारी रखने का चुनाव किया गया है। तदनुसार, संपत्ति के शुद्ध वहन मूल्य को संपत्ति के सकल वहन मूल्य के रूप में माना गया है तथा खातों में संचित मूल्यह्रास को शून्य माना गया है, तथापि संपत्ति की मूल अधिग्रहण लागत के अभिलेख रखने के उद्देश्य से, लेखांकन सॉफ्टवेयर में संपत्ति मास्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

g) किरीपसिरा गांव और रतनसारा गांव का कुछ हिस्सा भारत संघ द्वारा दिनांक 13.09.2006 और 17.01.2008 को अधिसूचना जारी करके अन्य कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया गया था। हालांकि, प्रारंभिक चरण में मुआवजे का भुगतान एमसीएल की जिम्मेदारी होगी और वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (जुलाई 2013) के बिंदु संख्या 6 (मुआवजे का भुगतान) के अनुसार उत्तराधिकारी कंपनी से उक्त दायित्व की वसूली कर सकती है। गैर-एमसीएल हिस्से के संबंध में मुआवजे का मूल्य ₹656.94 करोड़ है। हालांकि उपरोक्त गांवों के खिलाफ अभी तक कोई मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है।

h) एनटीपीसी ने फरवरी 2018 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए 0-3 किलोमीटर की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए सतही परिवहन शुल्क के भुगतान के लिए ₹ 62.29 करोड़ की राशि पर विवाद किया है। विवाद एएमआरसीडी के पास लंबित है। हालाँकि, बकाया राशि के एक बड़े हिस्से की वसूली की संभावना बहुत अधिक नहीं होने पर विचार करते हुए, चालू वर्ष के दौरान उपरोक्त देनदारों के खिलाफ अपेक्षित ऋण हानि प्रदान की गई है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

4 उचित मूल्य मापन

(a) श्रेणी के अनुसार वित्तीय उपकरण (₹ करोड़ में)

	31.03.2024		31.03.2023 (पुनःकथन)	
	एफ़वीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफ़वीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय पूंजी				
निवेश * :				
सुरक्षित बांड		-		-
म्यूचुअल फ़ंड			1,069.88	
ऋण		1.67		1.21
जमा एवं प्राप्य		2,614.54		2,099.33
व्यापार प्राप्तियां**		2,146.61		1,636.92
नकद और नकद समतुल्य		794.61		71.49
अन्य बैंक बैलेंस		12,034.18		18,005.08
वित्तीय देनदारियां				
ऋणादान		3.95		4.58
व्यापार देनदारियां		1,569.77		1,591.31
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		1,073.87		1,060.28
पट्टा देयताएं		2.47		2.35
अन्य देनदारियां		4,644.23		3,964.00

* अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत पर मापा जाता है, जिसे उपर्युक्त के अनुसार नहीं माना जाता है।

** कोयला गुणवत्ता भिन्नता हेतु व्यापार प्राप्य से कटौती किया गया भत्ता ।

(b)उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जिन्हें (क) उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है और मापा जाता है और (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	31.03.2024		31.03.2023 (पुनःकथन)	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
म्यूचुअल फ़ंड/ आईसीडी	1,214.28	-	1,069.88	-

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिनके लिए उचित मूल्य का घोषणा की जाती है	31.03.2024		31.03.2023 (पुनरुक्त)	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय पूंजी				
निवेश :				
सुरक्षित बांड		-		0.00
ऋण		1.67		1.21
जमा एवं प्राप्य		2,614.54		2099.33
व्यापार प्राप्तियां		2,146.61		1,636.92
नकद और नकद समतुल्य		794.61		71.49
अन्य बैंक बैलेंस		12,034.18		18005.08
वित्तीय देनदारियों				
ऋणादान		3.95		4.58
व्यापार देनदारियां		1,569.77		1591.31
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		1,073.87		1060.28
पट्टा देयताएं		2.47		2.35
अन्य देनदारियां		4,644.23		3964

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है.

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर समापन नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: सक्रिय बाजार में उपयोग न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके उचित मूल्य निर्धारन किया जाता है जो अवलोकनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करते हैं। यदि किसी साधन का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय हैं, तो साधन को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह स्तर 3 में शामिल निवेश, सुरक्षा जमा और अन्य देयताओं के मामले में लागू होता है।

(c) **उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक**

वित्तीय साधनों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में साधनों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(d) **महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप**

वर्तमान में महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप उपलब्ध नहीं है।

(e) **परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य**

व्यापार प्राप्य, अल्पावधि जमा, नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार देयताओं की अग्रणीत राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के कार्यनिष्पादन के साथ संयोग मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल होने पर प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को बनाए रखने का उद्देश्य कंपनी के हितों की रक्षा करना है। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण आकलन : सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारण किया जाता है। कंपनी एक विधि का चयन करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणाएँ बनाती है।

5) **वित्तीय जोखिम प्रबंधन**

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन को समर्थन देने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन संरचना पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनसे सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट उन जोखिम स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे संस्था को सामना करना पड़ता है तथा संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन किस प्रकार करती है।

जोखिम	**इससे उत्पन्न जोखिम**	**माप**	**माप**
ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य वित्तीय परिसंपत्ति परिशोधित लागत पर मापी गई	समय अवधि विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण
चलनिधि जोखिम	उधार और अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध ऋण सीमा और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भावी वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जो भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित नहीं हैं	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकदी और नकदी समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है, साथ ही अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियां भी प्रदान करता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

A. ऋण जोखिम:.

ऋण जोखिम प्रबंधन:

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

मैक्रो-इकोनॉमिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी शर्तों के भाग के रूप में शामिल किया जाता है।

ईंधन आपूर्ति समझौते(FSAs)

जैसा कि परिकल्पित है, नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों के अनुसार कंपनी ग्राहकों या राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य एफएसए तैयार करती है, जो बदले में अंतिम ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था बनाती है। हमारे एफएसए को मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- राज्य विद्युत उपयोगिताओं, निजी विद्युत उपयोगिताओं ("पीपीयू") और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों ("आईपीपी") सहित विद्युत उपयोगिता क्षेत्र में ग्राहकों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते
- ईंधन आपूर्ति समझौतों के तहत ग्राहकों के साथ गैर-विद्युत उद्योगों शामिल (कैप्टिव पावर प्लांट्स ("CPPs"))
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते.

ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों को कोयले तक पहुँच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जो विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्रों के माध्यम से अपनी कोयला आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनकी मानक आवश्यकता के पूर्ण आवंटन से कम, उनकी कोयला आवश्यकता और कोयले की सीमित आवश्यकता जो दीर्घकालिक लिंकेज की गारंटी नहीं देती है। ई-नीलामी के तहत पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा की समय-समय पर कोयला मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है।

ऋण जोखिम तब उत्पन्न होता है जब प्रतिपक्ष संविदागत दायित्वों को पूरा करने में चूक करता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि होती है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान : कंपनी, संदिग्ध/ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण जोखिम हानि के लिए आजीवन अपेक्षित ऋण हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा प्रावधान करती है। नोट - 13, व्यापार प्राप्य देखें

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

उपर्युक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं और हानि गणना के लिए इनपुट चुनने में विचार करती है, जो कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों पर आधारित है।

B. चलनिधि जोखिम

विवेकपूर्ण चलनिधि जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता बनाए रखना है। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी का राजकोष प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखकर धन में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति (जिसमें अप्रयुक्त उधार सुविधाएँ शामिल हैं) और नकदी और नकदी समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित प्रथा और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

C. बाजार जोखिम

a) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है, जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय मुद्रा) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी के पास एक नीति है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

b) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमाराशियों से ब्याज दर में परिवर्तन के साथ उत्पन्न होता है। कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम के लिए उजागर करता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमाराशियों को निश्चित दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी बैंक जमा, ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

D) पूंजी प्रबंधन

चूंकि यह कंपनी एक सरकारी इकाई है, इसलिए यह अपनी पूंजी का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना इस प्रकार है :		
	31.03.2024	**31.03.2023**
इक्विटी शेयर पूंजी	1,323.67	661.84
लंबी अवधि के लोन	3.28	3.92

6) कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (इंड एएस-19)

परिभाषित लाभ योजनाएँ

a) उपदान

कंपनी ग्रेच्युटी, रोजगार-पश्चात परिभाषित लाभ योजना ("ग्रेच्युटी योजना") प्रदान करती है, जो पात्र कर्मचारियों को शामिल करती है। ग्रेच्युटी भुगतान कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है, जो कंपनी से अलग होने के समय ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के संशोधित प्रावधानों पर विचार करते हुए अधिकतम ₹ 20 लाख तक होता है। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जिसमें योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक्चुअरी द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजनों और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न पुनर्मापन लाभ और हानि को उस वर्ष में सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं।

ग्रेच्युटी योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। एलआईसी सेवा के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में एक बीमा कवरेज (जीवन बीमा राशि- "एलसीएसए") भी प्रदान करता है, जो अंतिम आहरित वेतन के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति तिथि पर देय अनुमानित ग्रेच्युटी राशि में कमी की भरपाई करता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 20 लाख है।

b) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ – अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना है जिसे सीआईएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों के अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई) के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य अधिकारियों, उनके जीवनसाथियों और पूरी तरह से आर्थिक रूप से आश्रित दिव्यांग बच्चे (बच्चों) को कम से कम 40% किसी भी विकलांगता से पीड़ित कंपनी के अस्पताल/सूचीबद्ध अस्पतालों या बाह्य रोगी/घर में केवल भारत में अधिकतम सीमा के अधीन चिकित्सा प्रदान करना है, जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर अलग किए जाने या सामान्य कोल कैडर के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति या समय-समय पर तैयार और लागू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण है। सीआईएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। सेवानिवृत्त अधिकारियों, जीवनसाथियों और आश्रित दिव्यांग बच्चे (बच्चों) के लिए संयुक्त रूप से या अलग-अलग पूरे जीवनकाल के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये योजना के लिए देयता की पहचान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

C) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ – गैर अधिकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी गैर-अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई-एनई) प्रदान कर रही है, ताकि गैर-अधिकारियों और उनके जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चे(बच्चों) को कंपनी अस्पताल/सूचीबद्ध बाह्य रोगी/स्थानीय अस्पतालों में चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा सके, जो कि अधिकतम सीमा के अधीन है, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर अलग किए जाने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति के कारण, जो समय-समय पर तैयार और लागू की जाती है या 57 वर्ष या उससे अधिक की आयु में कंपनी से इस्तीफा दे देते हैं या जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चे(बच्चों) की मृत्यु हो जाती है। सेवानिवृत्त गैर-अधिकारियों और जीवनसाथी को संयुक्त रूप से या अलग-अलग साथ में पूरे जीवनकाल के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 8 लाख रुपये है, योजना के लिए देयता को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

परिभाषित अंशदान योजनाएँ

a) भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर पूर्व-निर्धारित दरों अर्थात मूल वेतन और महंगाई भत्ते का क्रमशः 12% और 7% भविष्य निधि और पेंशन निधि पर भविष्य निधि और पेंशन निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है। इन निधियों को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में एक अलग वैधानिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) कहा जाता है। अवधि के लिए निधि में योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

b) सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अपने अधिकारियों को रोजगार के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे "सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना -2007" (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को इस उद्देश्य के लिए गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। कंपनी का दायित्व ट्रस्ट में मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक राशि का योगदान नहीं करना है, जिसमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ -अधिकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं है। मूल और महंगाई भत्ते का 6.99% का वर्तमान नियोक्ता योगदान लाभ और हानि के विवरण में लगाया जा रहा है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

a) अवकाश नकदीकरण

कंपनी अपने अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों की अर्ध-भुगतान छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्ध-वार्षिक आधार पर आनुपातिक रूप से अर्जित और जमा की जाती है। सेवा के दौरान, 75% ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों की ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। सेवा की अवधि के दौरान संचित एचपीएल को भुनाने की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ भुनाने के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। गैर-अधिकारियों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित होता है और वर्तमान में कर्मचारी प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित छुट्टी का नकदीकरण पाने के हकदार हैं और मृत्यु, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति और वीआरएस के कारण सेवा बंद होने पर शेष छुट्टी या 150 दिन जो भी कम हो, नकदीकरण के लिए अनुमत है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों का निपटान सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद भी होने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतानों के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिलाभ का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है, जिनकी शर्तें संबंधित दायित्व की शर्तों के करीब होती हैं। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम की अर्हक बीमा पॉलिसियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

b) जीवन कवर योजना (एलसीएस)

सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, समूह के पास एक जीवन बीमा योजना है जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड की लाइफ कवर स्कीम" (LCS) के रूप में जाना जाता है, जो सभी कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को कवर करती है। सेवा में मृत्यु के मामले में, 01.10.2017 से योजना के तहत नामांकित व्यक्तियों को 1,56,250 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत तब चिन्हित की जाती है जब कोई घटना घटित होती है जिसके कारण योजना के तहत देय लाभ होता है।

c) निपटान भत्ते

वेतन समझौते के एक हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-अधिकारी कैडर कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद उनकी सेवानिवृत्ति पर सेटलमेंट-इन भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

d) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सीआईएल समूह के अधिकारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना से बचाने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है, जिसे "कोल इंडिया एग्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (जीपीएआईएस) के नाम से जाना जाता है। जीपीएआईएस दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। इस योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान सीआईएल द्वारा किया जाता है।

e) अवकाश यात्रा रियायत (LTC)

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, गैर-अधिकारी कर्मचारी 4 वर्ष के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए क्रमशः 10000/- रुपये और 15000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

f) खदान दुर्घटना में कामगारों को मिलने वाला मुआवजा लाभ

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 1923 के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। घातक खदान दुर्घटना के मामले में 07.11.2019 से कर्मचारी के परिजनों को 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, 01.06.2023 से मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में ₹ 90,000/- की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत तब पहचानी जाती है जब कोई घटना घटती है जिसके कारण योजना के तहत लाभ देय होता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तपोषण स्थिति निम्नानुसार है:

(i) वित्त पोषित

- **उपदान**
- **अवकाश नकदीकरण**
- **सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ – कार्यकारी (सीपीआरएमएसई)**
- **सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ – गैर अधिकारी (सीपीआरएमएस-एनई)**

(ii) गैर वित्त पोषित

- **जीवन कवर योजना**
- **निपटान भत्ते**
- **समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा**
- **अवकाश यात्रा रियायत**
- **खदान दुर्घटना में कामगारों को मिलने वाला मुआवजा लाभ**

31.03.2024 तक एक्चुअरी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर बीमांकिक प्रावधान, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2022 को प्रारंभिक बीमांकिक देयता	पिछले वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता/ (समायोजन)	01.04.2023 तक प्रारंभिक बीमांकिक देयता	अवधि के दौरान वृद्धिशील देयता/ (समायोजन)	31.03.2024 तक समापन बीमांकिक देयता
	01.04.2022		01.04.2023		31.03.2024
उपदान	1,369.18	(40.69)	1,328.49	115.33	1,443.82
छुट्टी	481.22	56.22	537.44	113.98	651.42
निपटान भत्ते	16.61	(1.26)	15.35	0.07	15.42
अवकाश यात्रा रियायत	21.07	0.42	21.49	1.43	22.92
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	292.61	5.90	298.51	31.70	330.21
कुल	2,180.69	20.59	2,201.28	262.51	2,463.79

बीमांकिक प्रमाणपत्र के अनुसार प्रकटीकरण

भारतीय लेखा मानक 19 (2015) प्रमाण पत्र के अनुसार 31.03.2024 तक ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के अनुसार
	सारणी -1		
A	**लाभ हानि (P&L)**		
1	वर्तमान सेवा लागत	49.05	41.40
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	72.78
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	49.05	114.18

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	0.08	(4.91)
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
8	लाभ और हानि में निर्धारित लागत	49.13	109.28
B	**अन्य व्यापक आय (OCI)**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	9.81	31.08
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(49.14)	32.08
3	अवधि के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(39.33)	63.15
4	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम	(16.36)	(10.14)
5	ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-55.68	53.02
C	**परिभाषित लाभ लागत**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	सेवा लागत	49.04	114.18
2	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	0.09	(4.91)
3	ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(55.68)	53.02
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
5	परिभाषित लाभ लागत	(6.55)	162.29

	सारणी -2		
		(₹ करोड़ में)	**(₹ करोड़ में)**
	नेट बैलेंस शीट की स्थिति		
		31.03.2023	**31.03.2024**
A	**शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का विकास**		
1	परिभाषित लाभ देयता (डीबीओ)	(1,328.49)	1,443.83
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	1,335.05	1,409.41
3	वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	6.55	(34.42)
4	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
5	शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	6.55	(34.42)
B	**निवल बैलेंस शीट स्थिति का मिलान**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(2.57)	6.55
2	सेवा लागत	(49.05)	(114.18)
3	निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	(0.87)	4.91
4	ओसीआई में निर्धारित राशि	55.68	(53.02)
5	नियोक्ता अंशदान	2.57	121.32
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)	-	-
8	विनिवेश	-	-
9	समाप्ति लाभ की लागत		
10	वर्तमान अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	6.55	(34.42)

सारणी -3		**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
	लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के अनुसार**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के अनुसार**
A	**परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	1,369.18	1,328.49

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

2	वर्तमान सेवा लागत	49.05	41.40
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	88.39	91.38
4	कटौती (क्रेडिट)/ लागत	-	-
5	निपटान (ऋण)/ लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	72.78
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/ लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	9.81	31.08
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएँ	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	(49.14)	32.08
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए जाने वाले लाभ	-	-
12	योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(138.79)	(153.39)
12	वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	1,328.49	1,443.83
B	**परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,366.61	1,335.05
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	88.30	96.29
4	नियोक्ता योगदान	2.57	121.32
5	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)	16.36	10.14
6	भुगतान किये गये लाभ	(138.79)	(153.39)
7	वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,335.05	1,409.41

सारणी -4		(₹ करोड़)
अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी		
A	**वर्ष के अंत में अपेक्षित लाभ का भुगतान**	31.03.2024
1	31 मार्च, 2025	140.11
2	31 मार्च, 2026	147.86
3	31 मार्च, 2027	147.00
4	31 मार्च, 2028	142.39
5	31 मार्च , 2029	143.54
6	31मार्च , 2030 से 31 मार्च, 2034	571.11
7	10 वर्ष से अधिक	1,635.67
B	**31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**	**46.79**
C	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	**8 years**
D	**31 मार्च 2024 को अर्जित लाभ दायित्व**	**1,106.78**
E	**31 मार्च 2024 तक योजना परिसंपत्ति की जानकारी**	**Percentage**
	भारत सरकार प्रतिभूतियाँ (केन्द्रीय एवं राज्य)	0.00%
	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड (सार्वजनिक क्षेत्र के बांड सहित)	0.00%
	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
	संपत्ति	0.00%
	नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
	बीमा योजनाएँ - पारंपरिक उत्पाद	100.00%
	बीमा योजनाएँ - यूलिप प्रॉडक्ट	0.00%
	अन्य	0.00%
	कुल	**100.00%**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

F	**31 मार्च 2024 तक वर्तमान और गैर-वर्तमान देयताओं का ब्यौरा**	(₹ करोड़)
1	चालू देयता	135.45
2	गैर चालू देयता	1,308.38
3	31 मार्च 2024 तक देयता	1,443.83

सारणी -5		
	संवेदनशील विश्लेषण:	
	31 मार्च 2024 तक आधार अवधारणाओं पर DBO	1443.83
A	**छूट की दर**	
	31 मार्च 2024 तक छूट दर	7.00%
	छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	-52.68
	प्रतिशत प्रभाव	-4%
	छूट दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	56.79
	प्रतिशत प्रभाव	4%
B	**वेतन वृद्धि दर**	
	31 मार्च 2024 तक वेतन वृद्धि दर	अधिकारी : 9%;
		गैर अधिकारी : 6.25%
1	वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	25.62
	प्रतिशत प्रभाव	2%
2	वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण DBO पर प्रभाव	(26.62)
	प्रतिशत प्रभाव	-2%

C	**अवधारणाएँ**	**31.03.2023**	**31.03.2024**
	छूट की दर	7.30%	7.00%
	वेतन वृद्धि दर	अधिकारी: 9%; गैर अधिकारी : 6.25%	कार्यकारी: 9%; गैर कार्यकारी : 6.25%
	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

नमूना मृत्यु दर			
आयु	दर	आयु	दर
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 19 के अंतर्गत अवकाश लाभ योजना का बीमांकिक मूल्यांकन

(₹ करोड़)

	वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
सारणी -1			
A	**लाभ और हानि (पी एंड एल)**		
1	वर्तमान सेवा लागत	78.42	91.22
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	53.72

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	78.42	144.95
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	-1.66	-1.86
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	38.44	43.00
8	लाभ व हानि में निर्धारित लागत	115.21	186.08

B	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**	**(₹ करोड़)**	**(₹ करोड़)**
1	डीबीओ अनुभव के कारण एक्चुरियल (लाभ)/हानि	67.08	28.45
2	डीबीओ धारणा में परिवर्तन के कारण एक्चुरियल (लाभ)/हानि	(26.04)	18.39
3	अवधि के दौरान होने वाली एक्चुअरियल (लाभ)/हानि	41.03	46.80
4	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम	(2.59)	(3.84)
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त एक्चुरियल (लाभ)/ हानि	-	-

C	**परिभाषित लाभ लागत**	**(₹ करोड़)**	**(₹ करोड़)**
1	सेवा लागत	78.42	144.94
2	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(1.66)	(1.86)
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त एक्चुरियल (लाभ)/ हानि	-	-
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	38.44	43.00
5	परिभाषित लाभ लागत	115.21	186.08

सारणी -2

		(₹ करोड़)	(₹ करोड़)
	31 मार्च 2024 तक नेट बैलेंस शीट की स्थिति	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**
A	**निवल बैलेंस शीट स्थिति का विकास**		
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(537.44)	(651.42)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	481.13	572.59
3	वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(56.31)	(78.83)
4	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
5	निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(56.31)	(78.83)
B	**निवल बैलेंस शीट स्थिति का समाधान**	**(₹ करोड़)**	**(₹ करोड़)**
1	पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(10.21)	(56.31)
2	सेवा लागत	(78.42)	(144.94)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	1.66	1.86
4	ओसीआई में निर्धारित राशि	(38.44)	(43.00)
5	नियोक्ता योगदान	69.11	163.57
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)	-	-
8	विनिवेश	-	-
9	समाप्ति लाभ की लागत	-	-
10	वर्तमान अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(56.31)	(78.83)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

सारणी -3

	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन	**(₹ करोड़) 31.03.2023 को समाप्त वर्ष**	**(₹ करोड़) 31.03.2024 को समाप्त वर्ष**
A	**परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	481.22	537.44
2	वर्तमान सेवा लागत	78.42	91.22
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	29.57	35.11
4	कटौती (क्रेडिट)/ लागत	-	-
5	निपटान (ऋण)/ लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	53.72
7	प्राप्त (क्रेडिट)/ लागत	-	-
8	एक्चुरियल (लाभ)/हानि - अनुभव	67.08	28.45
9	एक्चुरियल (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय मान्यताएँ	-	-
10	एक्चुरियल (लाभ)/हानि - वित्तीय मान्यताएं	(26.04)	18.39
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए जाने वाले लाभ	-	-
12	भुगतान किये गये लाभ	(92.81)	(112.93)
13	वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	573.44	651.42

B	**परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**	**(₹ करोड़)**	**(₹ करोड़)**
1	पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	471.01	481.13
2	प्राप्ति समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	31.23	36.97
4	नियोक्ता योगदान	69.11	163.57
5	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)	2.59	3.84
6	भुगतान किये गये लाभ	(92.81)	(112.92)
7	वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	481.13	572.59

सारणी -4

अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

		(₹ करोड़)
A	**वर्ष समाप्त होने के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	**31 मार्च, 2024**
1	31 मार्च, 2025	51.48
2	31 मार्च, 2026	55.26
3	31 मार्च, 2027	56.00
4	31 मार्च, 2028	58.34
5	31 मार्च , 2029	57.23
6	31मार्च , 2030 से 31 मार्च, 2034	234.64
7	10 वर्ष से अधिक	1,116.66
B	**31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता अंशदान**	**100.15**
C	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	**10 Years**
D	**31 मार्च 2024 को अर्जित लाभ दायित्व**	**377.87**
E	**31 मार्च 2024 तक योजना परिसंपत्ति की जानकारी**	**प्रतिशत**
	भारत सरकार प्रतिभूतियाँ (केन्द्रीय एवं राज्य)	0.00%
	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड (सार्वजनिक क्षेत्र के बांड सहित)	0.00%

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
	संपत्ति	0.00%
	नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
	बीमा योजनाएँ - पारंपरिक उत्पाद	100.00%
	बीमा योजनाएँ - यूलिप प्रॉडक्ट	0.00%
	अन्य	0.00%
	कुल	**100.00%**

F	**31 मार्च 2024 तक वर्तमान और गैर-वर्तमान देयताओं का ब्यौरा**		**(₹ करोड़ में)**
1	चालू देयता	49.77	
2	गैर चालू देयता	601.65	
3	31 मार्च 2024 तक देयता	651.42	

सारणी -5

	31 मार्च 2024 तक आधार अवधारणाओं पर DBO	**651.42**	
A	**छूट की दर**		
	31 मार्च 2024 तक छूट दर	7.00%	
	छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(30.12)	
	प्रतिशत प्रभाव	-5%	
	छूट दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	32.93	
	प्रतिशत प्रभाव	5%	
B	**वेतन वृद्धि दर**		
	31 मार्च 2024 तक वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	
1	वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	32.71	
	प्रतिशत प्रभाव	5%	
2	वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण DBO पर प्रभाव	(30.21)	
	प्रतिशत प्रभाव	-5%	

C	**अवधारणाएँ**	**31.03.2023**	**31.03.2024**
	छूट की दर	7.30%	7.00%
	वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी: 6.25%	कार्यकारी : 9%; गैर कार्यकारी: 6.25%
	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

नमूना मृत्यु दर

आयु	दर	आयु	दर
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 19 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना का बीमांकिक मूल्यांकन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
A	**लाभ और हानि (पी एंड एल)**		
1	वर्तमान सेवा लागत	9.86	9.53
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	9.86	9.53
6	निवल परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	4.56	4.73
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
8	लाभ व हानि में निर्धारित लागत	14.42	14.27
B	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**		
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	12.28	-11.54
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(19.49)	11.92
3	अवधि के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(7.22)	0.38
4	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम	2.41	2.87
5	ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (लाभ)/हानि	(4.80)	3.24
C	**परिभाषित लाभ लागत**		
1	सेवा लागत	9.86	9.53
2	निवल परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	4.56	4.73
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	(4.80)	3.24
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
5	परिभाषित लाभ लागत	9.61	17.51

	31 मार्च 2024 तक नेट बैलेंस शीट की स्थिति	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
A	**निवल बैलेंस शीट स्थिति का विकास**		
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(298.51)	330.21
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	227.96	253.55
3	वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(70.54)	(76.65)
4	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
5	निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(70.54)	(76.65)
B	**निवल बैलेंस शीट स्थिति का समाधान**		
1	पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(73.10)	(70.54)
2	सेवा लागत	(9.86)	(9.53)
3	निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज	(4.56)	(4.73)
4	ओसीआई में निर्धारित राशि	4.8	(3.24)
5	नियोक्ता योगदान	12.17	11.4
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)	-	-
8	विनिवेश	-	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

9	समाप्ति लाभ की लागत	-	-
10	वर्तमान अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(70.54)	(76.65)

सारणी-3

	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**
A	**परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	292.61	298.51
2	वर्तमान सेवा लागत	9.86	9.53
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	19.35	21.79
4	कटौती (क्रेडिट)/ लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट)/ लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/ लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	12.28	(11.54)
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय धारणाएं	(19.49)	11.92
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	-
12	नियोजित परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(16.10)	-
13	वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	298.51	330.21
C	परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
1	पिछली अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	219.51	227.96
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	14.79	17.06
4	नियोक्ता योगदान	12.17	11.4
5	योजना परिसंपत्तियों पर छूट दर से अधिक/(कम) रिटर्न	(2.41)	(2.87)
6	भुगतान किए गए लाभ	(16.10)	-
7	वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	227.96	253.55

सारणी-4

अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

(₹ करोड़ में)

A	**को समाप्त वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	**31.03.2024**
1	31 मार्च , 2025	14.07
2	31 मार्च , 2026	16.17
3	31 मार्च , 2027	17.92
4	31 मार्च , 2028	19.81
5	31 मार्च , 2029	21.32
6	31 मार्च 2030 से 31 मार्च 2034	123.77
7	10 वर्ष से अधिक	741.92

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

B	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	**13 वर्ष**
C	**31 मार्च 2024 को अर्जित लाभ दायित्व**	**330.21**

सारणी-5

	संवेदनशीलता का विश्लेषण	
	31 मार्च 2024 तक आधार अवधारणाओं पर डीबीओ	330.21
A	**छूट की दर**	
	31 मार्च 2024 तक छूट दर	7.00%
	छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(19.48)
	प्रतिशत प्रभाव	-6.00%
	छूट दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	21.57
	प्रतिशत प्रभाव	7.00%

B	**अवधारणाएं**	**31.03.2023**	**31.03.2024**
	छूट की दर	7.30%	7.00%
	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0.00%**	0.00%**
	मृत्यु दर - सेवाकाल में	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम
	मृत्यु दर - सेवानिवृत्ति के बाद	भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीग्राही की मृत्यु दर तालिका (2012-15)	भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीग्राही की मृत्यु दर तालिका (2012-15)
	औसत चिकित्सा लागत (आईएनआर)	अधिकारी कर्मचारी: स्थानीय लाभ - 36,000 रुपये प्रति वर्ष अस्पताल में भर्ती लाभ - 35,000 रुपये प्रति वर्ष गैर-अधिकारी कर्मचारी: स्थानीय लाभ + अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त - 18,000 रुपये प्रति वर्ष	अधिकारी कर्मचारी: स्थानीय लाभ - 36,000 रुपये प्रति वर्ष अस्पताल में भर्ती लाभ - 35,000 रुपये प्रति वर्ष गैर-अधिकारी कर्मचारी: स्थानीय लाभ + अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त - 18,000 रुपये प्रति वर्ष
	जीवनसाथी की आयु में अंतर	जीवनसाथी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है	जीवनसाथी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है
	निकासी दर	0.30%	0.30%

** कंपनी के साथ हुई सहमति के अनुसार, चिकित्सा स्फीति को शून्य माना गया है क्योंकि कंपनी की चिकित्सा लागत भारत सरकार द्वारा घोषित सीएचजीएस दरों द्वारा शासित है।

नमूना मृत्यु दर

भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम तालिका

आयु	दर	आयु	दर
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीग्राही की मृत्यु दर तालिका (2012-15)

आयु	दर

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

60	0.006349
65	0.010070
70	0.016393
75	0.027379
80	0.046730

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ

कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। यह सुविधा अधिकारी और गैर-अधिकारी के लिए अलग-अलग सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना द्वारा कवर की जाती है। 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ की योजना अलग से "एक्जिक्यूटिव ट्रस्ट के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना" के माध्यम से संचालित की जाती है। चिकित्सा लाभों के लिए देयता को एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

7) **अन्य सूचना**

(a) **अनुभाग रिपोर्टिंग**

समूह का मुख्य व्यवसाय कोयला खनन और उससे संबंधित सेवाएँ हैं। समूह की सभी गतिविधियाँ मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इस प्रकार, समूह के लिए कोई अलग से रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं।

(b) **प्रति शेयर आय**

क्रमांक	**विवरण**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः स्थापित)**
i)	इक्विटी शेयरधारकों को देय कर के पश्चात ₹ करोड़ में शुद्ध लाभ	11845.40	13470.16
ii)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	13236726	13236726
iii)	कर पश्चात शुद्ध लाभ को ध्यान में रखते हुए रुपये में प्रति शेयर मूल और डायल्यूटेड आय (अंकित मूल्य ₹1000/- प्रति शेयर)	₹ 8,948.89	₹ 10,176.35

07.11.2023 को प्रत्येक बकाया इक्विटी शेयर के लिए 1:1 की दर से बोनस शेयर जारी करने के परिणामस्वरूप इक्विटी शेयरों की बकाया संख्या बढ़कर 1,32,36,726 हो गई है, हालांकि प्रति शेयर आय की गणना के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या पर विचार किया गया है जैसे कि बकाया शेयर प्रस्तुत की जा रही प्रारंभिक अवधि की शुरुआत से उपलब्ध हैं। तदनुसार तुलनात्मक अवधि के लिए ईपीएस को फिर से घोषित किया गया है।

भारतीय मानक लेखांकन 8, 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय मानक लेखांकन 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार नोट 9.1 में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्संरचना के परिणामी प्रभाव के लिए नोट 16 (2) (8) देखें।

(c) **बीमा और वृद्धि दावे**

बीमा और वृद्धि दावों का लेखा प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

(d) **चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि।**

सामान्य व्यवसाय क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों पर वसूली का मूल्य, बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होगा।

(e) **शेष राशि की पुष्टि**

कंपनी के पास बैंकों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। बैंक खातों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। अन्य पक्षों के संबंध में समाधान किया जाता है और शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र/ईमेल भी आवधिक आधार पर भेजे जाते हैं। ऐसी कुछ शेष राशियाँ पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। यदि कोई समायोजन होता है, तो उसकी पुष्टि/समाधान के समय उसका हिसाब लगाया जाएगा और परिणामों पर इसका कोई भौतिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

(f) **पृथक राजस्व जानकारी:**

नीचे दी गई तालिका भारतीय मानक लेखांकन 115, ग्राहक के साथ अनुबंध से राजस्व की आवश्यकता के अनुसार ग्राहक के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व की अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत करती है:

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

(₹ करोड़ में)

पृथक राजस्व जानकारी:	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः स्थापित)
माल या सेवा के प्रकार		
- कोयला	23,809.42	27,824.55
- अन्य	4.41	0.36
कोयले एवं अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	**23,813.83**	**27,824.91**
ग्राहकों के प्रकार		
- विद्युत क्षेत्र	14,869.43	16,580.63
- गैर-विद्युत क्षेत्र	8,939.99	11,243.92
- अन्य या सेवाएँ	4.41	0.36
कोयले एवं अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	**23,813.83**	**27,824.91**
अनुबंध के प्रकार		
- एफ़एसए	19,657.02	18,485.02
- ई नीलामी	4,152.40	9,339.53
- अन्य	4.41	0.36
कोयले एवं अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	**23,813.83**	**27,824.91**
माल या सेवा का समय		
किसी समय पर स्थानांतरित किया गया माल	23,809.42	27,824.55
- समय के साथ स्थानांतरित किया गया माल	-	-
- किसी समय पर हस्तांतरित सेवाएँ	4.41	0.36
- समय के साथ हस्तांतरित सेवाएँ	-	-
कोयले एवं अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	**23,813.83**	**27,824.91**

(g) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए बैलेंस शीट की तिथि पर कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(h) कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ था।

(i) चालू वर्ष के लिए आयकर गणना के प्रयोजनार्थ, स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए नीति में संशोधन के कारण किए गए वित्तीय पुनर्कथन के कारण 01.04.2022 तक सृजित स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति, जिसकी राशि ₹841.54 करोड़ है, को आयकर प्रावधान के लिए गणना में कटौती के रूप में माना गया है।

8) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष और 1 अप्रैल 2022 तक के लिए पुनर्कथन

भारतीय मानक लेखांकन 8, 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2022 (पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत; क्योंकि उस अवधि से पहले पुनर्कथन अव्यावहारिक है) की स्थिति में अपनी बैलेंस शीट और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण नीचे बताए गए कारणों से पूर्वव्यापी रूप से पुनः प्रस्तुत किया है:

ओपनकास्टमाइनिंग के मामले में, सीआईएल ने अपनी स्थापना के बाद से ही स्ट्रिपिंग गतिविधि (ओवरबर्डन रिमूवल) की अपनी लेखा नीति का लगातार पालन किया है। मौजूदा नीति के तहत स्ट्रिपिंग गतिविधि लागत में दो घटक शामिल हैं अर्थात अग्रिम स्ट्रिपिंग और अनुपात भिन्नता। अग्रिम स्ट्रिपिंग को भौतिक माप के आधार पर चालू परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई थी। मानक अनुपात के आधार पर परियोजना के कार्यकाल में ओवरबर्डन हटाने की लागत को समान रूप से फैलाने के लिए अनुपात भिन्नता को गैर-वर्तमान प्रावधानों के रूप में मान्यता दी गई। वर्ष के दौरान, कंपनी/समूह की स्ट्रिपिंग गतिविधि नीति पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) के मानक लेखांकन बोर्ड (ASB) की राय के आधार पर कंपनी/समूह द्वारा भारतीय लेखा मानक 16, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के परिशिष्ट बी स्ट्रिपिंग लागत के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि पर एक संशोधित नीति लागू की गई है। 31 मार्च, 2022 तक मौजूदा अग्रिम स्ट्रिपिंग शेष को पुनर्निर्धारित वित्तीय विवरणों में नोट 3.1 संपत्ति संयंत्र और उपकरण के तहत 01.04.2022 तक स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों के रूप में माना गया है।

वित्तीय विवरण पंक्ति मदों का समाधान, जिन्हें पूर्वव्यापी रूप से पुनः घोषित किया गया है, निम्नानुसार है:

(i) 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2022 तक बैलेंस शीट की पुनः घोषित मदों का समाधान

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

विवरण	नोट	31.03.2023 तक			01.04.2022 तक		
		पूर्व कथित अनुसार	समायोजन	पुनर्कथन के अनुसार	पूर्व कथित अनुसार	समायोजन	पुनर्कथन के अनुसार
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3.1	11,174.81	1,262.89	12,437.70	9,938.35	841.54	10,779.89
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	11.2	-	-	-	-	-	-
कुल परिसंपत्तियाँ		48,577.73	1,262.89	49,840.62	40,390.63	841.54	41,232.17
गैर-चालू प्रावधान	9.1	18,477.73	954.67	19,432.40	18,764.50	841.54	19,606.04
अन्य इक्विटी	7.2	12,646.18	-5.05	12,641.13	7,550.71	-	7,550.71
आस्थगित कर देयता	11.2	913.66	313.27	1,226.93	539.46	-	539.46
कुल इक्विटी और देयताएँ		48,577.73	1,262.89	49,840.62	40,390.63	841.54	41,232.17

(ii)(a) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः घोषित मदों का समाधान

विवरण	नोट	पूर्व कथित अनुसार	समायोजन	पुनर्कथन के अनुसार
कोयले तक बेहतर पहुंच		-	(496.06)	(496.06)
अनुपात भिन्नता रिजर्व		46.11	(292.53)	(246.42)
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन		(405.66)	405.66	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	13.6	(359.55)	(382.93)	(742.48)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	13.5	860.93	74.71	935.64
कर पूर्व लाभ		18,493.02	308.22	18,801.24
कर व्यय	14.1	5,017.81	313.27	5,331.08
अवधि के लिए लाभ		13,475.21	(5.05)	13,470.16
कुल व्यापक आय		13,520.47	(5.05)	13,515.42

(ii)(b) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में प्रभाव

विवरण	नोट	राशि
कोयले तक बेहतर पहुंच		(419.54)
अनुपात विचरण आरक्षित		(398.49)
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	13.6	(818.03)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	13.5	162.32
कर पूर्व लाभ		15,593.10
कर व्यय	14.1	3,747.70
अवधि के लिए लाभ		11,845.40
कुल व्यापक आय		11,803.30

नोट: उपरोक्त तालिका में डेटा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभ एवं हानी खाते में रिपोर्ट की गई वास्तविक स्थिति के अनुसार प्रदान किया गया है, जिसमें संशोधित नीति के अनुसार गणना की गई स्टिपिंग गतिविधि समायोजन पर विचार किया गया है।

(iii) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण का समाधान

विवरण	पूर्व में दी गई रिपोर्ट के अनुसार	समायोजन	पुनःघोषित
कर पूर्व लाभ	18,493.02	308.22	18,801.24
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	860.93	74.71	935.64
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(359.55)	-382.93	(742.48)
निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	17,826.48	-	17,826.48

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

प्रावधान	1,204.80	1,337.60	2,542.40
संचालन से उत्पन्न नकदी	18,580.72	1,337.60	19,918.32
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि / (कमी)	(911.62)	-	(911.62)
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य	983.11	-	983.11
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	71.49	-	71.49

(iv) प्रति शेयर आय का समाधान

उपर्युक्त समायोजनों के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रति शेयर मूल और डायल्यूटेड आय में निम्नानुसार परिवर्तन हुआ है :

विवरण	पूर्व में दी गई रिपोर्ट के अनुसार	समायोजन	पुनःघोषित
बेसिक और डाईलुटेड इपीएस	20,410.24	(10,233.89)	10,176.35

स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन में परिवर्तन के कारण कर पश्चात लाभ के पुनर्कथन के अतिरिक्त, 07.11.2023 को प्रत्येक बकाया इक्विटी शेयर के लिए 1:1 की दर से बोनस शेयर जारी करने के परिणामस्वरूप, इक्विटी शेयरों की बकाया संख्या बढ़कर 1,32,36,726 हो गई है हालांकि प्रति शेयर आय की गणना के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या पर विचार किया गया है जैसे कि बकाया शेयर प्रस्तुत की जा रही प्रारंभिक अवधि की शुरुआत से उपलब्ध हैं। तदनुसार तुलनात्मक अवधियों के लिए ईपीएस को पुनर्कथन किया गया है।

9) अनुपात

	विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	"31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः स्थापित)"	भिन्नता	25% से अधिक भिन्नता का कारण
	(a) चालू अनुपात: चालू अनुपात किसी कंपनी की समग्र तरलता स्थिति को दर्शाता है। इसका व्यापक रूप से बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के बारे में निर्णय लेने में उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की जाती है।	2.02	1.99	1%	
	(b) ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की वर्तमान ब्याज और किस्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है।	0.00	0.00	0%	
	(c) ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की वर्तमान ब्याज और किस्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि। ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती "कर के बाद शुद्ध लाभ" का अर्थ है "अवधि के लिए लाभ / (हानि)" की रिपोर्ट की गई राशि और इसमें अन्य व्यापक आय की वस्तुएँ शामिल नहीं हैं।	18,134.72	20,688.74	-12%	

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

	(d) इक्विटी पर रिटर्न अनुपात: यह कंपनी में निवेश किए गए इक्विटी फंड की लाभप्रदता को मापता है। यह अनुपात बताता है कि कंपनी द्वारा इक्विटी धारकों के फंड की लाभप्रदता का किस तरह उपयोग किया गया है। यह इक्विटी धारकों को मिलने वाले प्रतिशत रिटर्न को भी मापता है। अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: (करों के बाद शुद्ध लाभ घटा वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)) को औसत शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित किया जाता है	0.81	1.25	-36%	पिछले वर्ष नेटवर्थ में वृद्धि के कारण पीएटी में 9% की कमी आई है तथा औसत इक्विटी में 41% की वृद्धि हुई है।
	(e) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात: इस अनुपात को स्टॉक टर्नओवर अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं या बिक्री की लागत और अवधि के दौरान रखी गई औसत इन्वेंट्री के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके साथ एक कंपनी अपनी इन्वेंट्री का उपयोग या प्रबंधन करती है। इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात की गणना बेची गई वस्तुओं या बिक्री की लागत को औसत इन्वेंट्री से विभाजित करके की जाती है। औसत इन्वेंट्री (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) है। जब इन्वेंट्री के प्रारंभिक और समापन शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना इन्वेंट्री के समापन शेष द्वारा सीओजीएस (COGS) या बिक्री को विभाजित करके की जा सकती है।	15.69	18.30	-14%	
	(f)व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात: यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्य का प्रबंधन कर रही है। व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात = शुद्ध ऋण बिक्री / औसत प्राप्य खाते शुद्ध ऋण बिक्री में सकल ऋण बिक्री में से बिक्री रिटर्न घटाया जाता है। व्यापार प्राप्य में विविध देनदार और बिल प्राप्य शामिल हैं। औसत व्यापार देनदार = (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) जब व्यापार देनदारों की क्रेडिट बिक्री, प्रारंभिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल बिक्री को व्यापार प्राप्तियों के समापन शेष से विभाजित करके की जा सकती है।	21.52	33.86	-36%	सकल बिक्री में 10% की कमी और औसत देनदारों में 41% की वृद्धि के कारण व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात में कमी आई है।
	(g)व्यापार देय टर्नओवर अनुपात: यह दर्शाता है कि किसी अवधि के दौरान विविध लेनदारों को कितनी बार भुगतान किया गया है। विविध लेनदारों को भुगतान करने के लिए नकदी की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए इसकी गणना की जाती है। इसकी गणना औसत लेनदारों द्वारा शुद्ध ऋण खरीद को विभाजित करके की जाती है। व्यापार देयता कारोबार अनुपात = शुद्ध क्रेडिट खरीद / औसत व्यापार देयता शुद्ध ऋण खरीद में सकल ऋण खरीद में से खरीद रिटर्न को घटाव शामिल है। जब ऋण खरीद, व्यापार लेनदारों के आरंभिक और अंतिम शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल खरीद को व्यापार लेनदारों के अंतिम शेष से विभाजित करके की जाती है।	5.50	5.54	-1%	

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

	(h)शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात: यह कार्यशील पूंजी का उपयोग करने में कंपनी की प्रभावशीलता को दर्शाता है। कार्यशील पूंजी कारोबार अनुपात की गणना निम्न प्रकार से की जाती है: शुद्ध बिक्री को उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित किया जाता है। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = शुद्ध बिक्री / कार्यशील पूंजी शुद्धबिक्रीकीगणनाकुलबिक्रीमेंसेबिक्रीरिटर्नघटाकरकीजाएगी। कार्यशील पूंजी की गणना चालू परिसंपत्तियों में से चालू देनदारियों को घटाकर की जाएगी।	1.76	1.88	-7%	
	(i) शुद्ध लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है। शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री शुद्ध लाभ कर के बाद होगा। शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री में से बिक्री रिटर्न घटाकर की जाएगी।	0.50	0.48	3%	
	(j) नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई): नियोजित पूंजी पर रिटर्न कंपनी के प्रबंधन की ऋण धारकों और इक्विटी धारकों दोनों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए उतनी ही कुशलता से पूंजी का उपयोग किया जाएगा। आरओसीई=ब्याज और करों से पहले की कमाई/नियोजित पूंजी नियोजित पूंजी = मूर्त निवल संपत्ति + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	88.97%	130.12%	-32%	यह कमी EBIT में 18% की कमी और मूर्त नेटवर्थ में 24% की वृद्धि के कारण हुई है
	(k) निवेश पर प्रतिफल (संदर्भ: नोट-7): निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा अपनी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, अर्जित लाभ उतना ही अधिक होगा।				
	(i) असूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: उप-सूचीबद्ध कंपनियों की इक्विटी में लाभांश/ औसत निवेश।	0.00%	0.00%	0%	
	(ii) संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश पर आरओआई : आरओआई = प्राप्त लाभांश / संयुक्त उद्यम की इक्विटी में औसत निवेश	0.00%	0.00%	0%	
	(iii) निश्चित आय निवेश (बांड/डिबेंचर आदि) पर आरओआई = ब्याज आय/ औसत निवेश	0.00%	7.22%	-100%	पिछले वर्ष उपलब्ध कर मुक्त बांड पिछले वर्ष ही पूर्णतः परिपक्व हुए थे।
	(iv)म्यूचुअल फंड पर आरओआई = लाभांश+पूंजीगत लाभ+उचित मूल्य लाभ(हानि)/औसत निवेश	7.12%	5.28%	35%	चालू वित्त वर्ष 23-24 के दौरान, म्यूचुअल फंड ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक प्रतिफल प्रदान किया है।
	(v) जमाराशियों पर आरओआई (बैंकों, वित्तीय संस्थाओं सहित आईसीडीएस के साथ) = ब्याज आय/ औसत निवेश	7.04%	6.63%	6%	

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16 : 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

10) विविध जानकारी

i. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है, ताकि उन्हें तुलनीय बनाया जा सके।

ii. नोट - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 11 बैलेंस शीट का हिस्सा हैं और 12 से 13 लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा हैं। नोट - 16 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है।

iii. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20.04.2024 की बैठक में अनुमोदित किया गया है।

नोट 1 से 16 तक हस्ताक्षर

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

शिव एवं एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 009989एन

(सनदी लेखाकार शिव प्रकाश चतुर्वेदी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 085084

बोर्ड की ओर से

(संजीब कुमार देबनाथ)
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
DIN : 09712877

(एस परिडा)
कंपनी सचिव

(यू ए कावले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN: 09715213

दिनांक : 20.04.2024
स्थान : संबलपुर

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समेकित वार्षिक लेखा

समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2024	31.03.2023 (पुनर्स्थापित)	01-04-2022 (पुनर्स्थापित)
संपत्ति					
गैर चालू परिसंपत्ति					
(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		3.1	13,779.29	12,442.96	10,785.19
(b) पूंजीगत कार्य प्रगति पर		3.2	4,842.22	4,600.44	3,424.59
(c) अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति		3.3	151.75	132.05	101.88
(d) अमूर्त संपत्ति		3.4	259.77	22.76	6.37
(e) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति		3.5	24.17	-	6.35
(f) वित्तीय संपत्ति	(i) निवेश	4.1	-	-	
	(ii) ऋण	4.2	1.67	1.20	1.20
	(iii) अन्य वित्तीय संपत्तियां	4.6	1,761.10	1,457.22	1,296.04
(g) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)		11.2	-	-	
(h)गैर-वर्तमान कर संपत्ति (निवल)		11.1	-	-	
(I) अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियां		6.1	2,913.43	1,729.60	1,006.46
कुल गैर-वर्तमान संपत्ति (ए)			**23,733.40**	**20,386.23**	**16,628.08**
वर्तमान संपत्ति					
सूची		5.1	1,279.22	985.10	988.20
(b) वित्तीय संपत्ति	(i) निवेश	4.1	1,214.28	1,069.88	3,476.73
	(ii) व्यापार प्राप्य	4.3	2,160.29	1,636.92	1,040.90
	(iii) नकद और नकद समकक्ष	4.4	867.20	107.10	1,021.09
	(iv) अन्य बैंक शेष	4.5	12,034.18	18,005.08	11,776.50
	(v) ऋण	4.2	-	0.01	-
	(vi) अन्य वित्तीय संपत्तियां	4.6	845.72	442.63	603.39
(c) वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)		11.1	4,137.87	3,642.99	2,426.47
(d) अन्य वर्तमान संपत्ति		6.2	4,415.63	3,634.47	3,290.01
कुल वर्तमान संपत्ति (बी)			**26,954.39**	**29,524.18**	**24,623.29**
कुल संपत्ति (ए+बी)			**50,687.79**	**49,910.41**	**41,251.37**
इक्विटी और देयताएं					
इक्विटी					
(a) इक्विटी शेयर पूंजी		7.1	1,323.67	661.84	661.84
(b) अन्य इक्विटी		7.2	14,700.91	12,563.48	7,485.29
कंपनी के इक्विटीधारकों के कारण इक्विटी			**16,024.58**	**13,225.32**	**8,147.13**
गैर नियंत्रित व्याज		7.3	153.30	68.62	68.42
कुल इक्विटी (ए)			**16,177.88**	**13,293.94**	**8,215.55**
देनदारिया					
गैर मौजूदा देयताएं					
(a) वित्तीय देयताएं	(i) उधार	8.1	3.28	3.92	4.31
	(ii) पट्टा देयताएं	8.2	2.47	2.35	2.29
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	8.4	690.85	842.16	654.35
(b) प्रावधान		9.1	18,856.68	19,432.40	19,606.04
(c) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		11.2	1,509.14	1,226.93	539.46
(d) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं		10.1	112.39	125.71	139.59
कुल गैर-चालू देयताएं			**21,174.81**	**21,633.47**	**20,946.04**
वर्तमान देयताएं					

(a) वित्तीय देयताएं	(i) उधार	8.1	0.67	0.66	0.62
	(ii) लीज देयताएं	8.2	-	-	
	(iii) व्यापार देय	8.3			
	(I) माइक्रो और छोटे उद्यम"" की कुल बकाया राशि		24.02	2.23	1.55
	(II) सूक्ष्म और लघु उद्यम के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		1,547.30	1,589.38	1,464.88
	अन्य वित्तीय देनदारियाँ	8.4	5,048.36	4,260.23	2,946.62
(b) अन्य वर्तमान देयताएं		10.2	5,895.72	7,620.90	7,206.31
(c) प्रावधान		9.1	819.03	1,509.60	469.80
(d) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)		11.1	-	-	-
कुल वर्तमान देयताएं			**13,335.10**	**14,983.00**	**12,089.78**
कुल इक्विटी और देयताएं			**50,687.79**	**49,910.41**	**41,251.37**

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

शिव एवं एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 009989एन

(सनदी लेखाकार शिव प्रकाश चतुर्वेदी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 085084

बोर्ड की ओर से

(संजीब कुमार देबनाथ)
महाप्रबंधक (वित्त)

(एस परिडा)
कंपनी सचिव

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
DIN : 09712877

(यू ए कावले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN: 09715213

दिनांक : 20.04.2024
स्थान : संबलपुर

लाभ और हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनर्स्थापित)
संचालन से राजस्व (लेवी का शुद्ध)			
बिक्री	12.1	23,809.42	27,824.55
अन्य परिचालन राजस्व	12.1	3,372.90	3,252.33
संचालन से राजस्व (लेवी का शुद्ध)		**27,182.32**	**31,076.88**
अन्य आय	12.2	1,955.99	1,588.24
कुल आय		**29,138.31**	**32,665.12**
खर्च			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	13.1	1,082.68	1,394.82
बिक्री के लिए माल की खरीद	13.1(a)	-	-
तैयार माल के वस्तुसूची में परिवर्तन / कार्य में प्रगति और व्यापार में स्टॉक	13.2	(263.85)	43.57
कर्मचारी लाभ व्यय	13.3	4,551.14	4,513.61
वित्तीय लागत	13.4	68.00	81.12
मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि व्यय	13.5	978.99	935.64
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	13.6	(818.03)	(742.48)
संविदात्मक व्यय	13.7	5,861.71	5,420.01
अन्य व्यय	13.8	2,087.75	2,229.55
कुल व्यय		**13,548.39**	**13,875.84**
संयुक्त उद्यम / सहयोगी के लाभ/ (हानि) के शेयर से पूर्व लाभ		**15,589.92**	**18,789.28**
संयुक्त उद्यम लाभ/(हानि) का शेयर		-	-
कर पूर्व लाभ		**15,589.92**	**18,789.28**
कर व्यय	14.1		
वर्तमान कर		3,466.16	4,643.67
आस्थगित कर		282.21	687.47
कुल कर व्यय		**3,748.37**	**5,331.14**
अवधि के लिए लाभ		**11,841.55**	**13,458.14**
अन्य व्यापक आय	15.1		
मदे जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(56.26)	60.48
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		14.16	(15.22)
मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
कुल अन्य व्यापक आय		**(42.10)**	**45.26**
कुल व्यापक आय (इस अवधि के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय शामिल)		**11,799.45**	**13,503.40**
लाभ का कारण:			
कंपनी के मालिक		11,841.37	13,457.93
अनियंत्रित ब्याज		0.18	0.21
		11,841.55	13,458.14
अन्य व्यापक आय का कारण :			
कंपनी के मालिक		(42.10)	45.26
अनियंत्रित ब्याज		-	-
		(42.10)	45.26
कुल व्यापक आय का कारण :			
कंपनी के मालिक		11,799.27	13,503.19

	टिप्पणी संख्या	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनर्स्थापित)
अनियंत्रित ब्याज		0.18	0.21
		11,799.45	13,503.40
प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक): (गत्त वर्ष के लिए पुनर्निर्धारित)			
मूलभूत		8,945.85	10,167.11
डायलुटेड		8,945.85	10,167.11

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

शिव एवं एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 009989एन

(सनदी लेखाकार शिव प्रकाश चतुर्वेदी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 085084

बोर्ड की ओर से

(संजीब कुमार देबनाथ)
महाप्रबंधक (वित्त)

(एस परिडा)
कंपनी सचिव

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
DIN : 09712877

(यू ए कावले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN: 09715213

दिनांक : 20.04.2024
स्थान : संबलपुर

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क . इक्विटी शेयर पूंजी

31.03.2024 तक

विवरण	01-04-2023 तक शेष राशि	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2024 तक शेष राशि
13236726 no. of Equity Shares of ₹1000/- each	661.84	661.83	1,323.67

31.03.2023 तक **(₹ in Crore)**

विवरण	01-04-2022 तक शेष राशि	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2023 तक शेष राशि (पुनः कथित)
6618363 no. of equity shares of ₹1000/- each	661.84	-	661.84

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष				विदेशी अनुषंगी के वित्तीय विवरणों के लेन -देन में अंतर का आदान-प्रदान (ओसीआई)	कुल
	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल)- (ओसीआई)		
01.04.2023 तक शेष राशि	**44.29**	**3,710.08**	**8,867.39**	**(53.23)**	-	**12,568.53**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	**(5.05)**	-		**(5.05)**
01.04.2023 को पूर्णकथित शेष राशि	**44.29**	**3,710.08**	**8,862.34**	**(53.23)**		**12,563.48**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	11,841.37	(42.10)		**11,799.27**
अन्तरिम लाभांश	-	-	(7,500.00)	-		**(7,500.00)**
अंतिम लाभांश	-	-	(1,500.00)	-		**(1,500.00)**
अवधि के दौरान अतिरिक्त	-	-	-	-		-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-		-
जनरल रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	592.27	(592.27)	-		-
शेयरों को वापस खरीदें	-	-	-	-		-
वापस खरीदने पर कर	-	-	-	-		-
बोनस शेयर जारी करना	(44.29)	(617.55)	-	-		**(661.84)**
31.03.2024 तक शेष राशि	-	**3,684.80**	**11,111.44**	**(95.33)**		**14,700.91**

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष				विदेशी अनुषंगी के वित्तीय विवरणों के लेन -देन में अंतर का आदान-प्रदान (ओसीआई)	कुल
	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल)- (ओसीआई)		
01.04.2022 तक शेष राशि	**44.29**	**3,036.32**	**4,503.17**	**(98.49)**		**7,485.29**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-		-
01.04.2022 को पुनःकथित शेष राशि	**44.29**	**3,036.32**	**4,503.17**	**(98.49)**		**7,485.29**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (पुनः कथित)			13,457.93	45.26		13,503.19
अंतरिम लाभांश			(7,400.00)			(7,400.00)
अंतिम लाभांश			(1,025.00)			(1,025.00)
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-	-			-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-		-
जनरल रिजर्व से / में स्थानांतरण		673.76	(673.76)			-

शेयरों को वापस खरीदें						-
वापस खरीदने पर कर						-
बोनस शेयर जारी करना						-
31.03.2023 तक शेष (पुनः कथित)	**44.29**	**3,710.08**	**8,862.34**	**(53.23)**		**12,563.48**

लाभांश और आरक्षित एवं अधिशेष की प्रकृति और उद्देश्य के लिए नोट 7.2 देखें।

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

शिव एवं एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 009989एन

(सनदी लेखाकार शिव प्रकाश चतुवेर्दी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 085084

बोर्ड की ओर से

(संजीब कुमार देबनाथ)
महाप्रबंधक (वित्त)

(एस परिडा)
कंपनी सचिव

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
DIN : 09712877

(यू ए कावले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN: 09715213

दिनांक : 20.04.2024
स्थान : संबलपुर

नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

		31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः कथित)
प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:			
कर पूर्व लाभ		15,589.92	18,789.28
के लिए समायोजन :			
संयुक्त उद्यम का हिस्सा		-	-
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		978.99	935.64
ब्याज और लाभांश का आय		(1,442.30)	(1,144.25)
वित्त लागत		68.00	81.12
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर (लाभ)/हानि		(3.58)	(4.80)
दायित्व और प्रावधान वापस लिखा गया		(264.66)	(115.10)
भत्ते और प्रावधान किये गये		67.24	25.15
बट्टे खाते डालना		0.02	0.67
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		(818.03)	(742.48)
विदेशी मुद्रा दर में भिन्नता		0.04	0.28
निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**14,175.64**	**17,825.51**
के लिए समायोजन :			
व्यापार प्राप्तियां		(586.51)	(615.92)
सूची		(297.34)	0.31
ऋण और अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ		(12.56)	(1.41)
अन्य चालू एवं गैर चालू परिसंपत्तियां		(1,018.35)	(501.72)
व्यापार देय		(20.29)	125.18
अन्य वित्तीय देनदारियाँ		(6.81)	300.91
अन्य चालू एवं गैर चालू देनदारियां		(1,738.50)	400.72
प्रावधानों		(222.85)	2,542.38
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**10,272.43**	**20,075.96**
आयकर (भुगतान किया गया)		(3,946.88)	(5,875.41)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह	**(A)**	**6,325.55**	**14,200.55**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों और अमूर्त संपत्तियों के लिए भुगतान		(3,121.56)	(4,009.78)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री से प्राप्त आय		6.30	9.40
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति के लिए भुगतान		(21.97)	(11.86)
बैंकों के पास जमा/(जमा) की वसूली		5,693.98	(6,377.04)
म्यूचुअल फंड, शेयर आदि में आय/(निवेश)।		27.00	2,525.71

संयुक्त उद्यम में इक्विटी के लिए भुगतान		-	-
निवेश पर प्राप्त ब्याज		852.79	1,174.83
म्यूचुअल फंड से लाभांश प्राप्त हुआ		-	-
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	**(B)**	**3,436.54**	**(6,688.74)**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
गैर चालू उधारों से प्राप्त आय/(पुनर्भुगतान)।		-	-
वर्तमान उधारों से आय/(पुनर्भुगतान)।		(0.61)	(0.63)
पट्टे की देनदारियों का पुनर्भुगतान (ब्याज सहित)		(0.18)	(0.13)
ब्याज का भुगतान किया		(1.20)	(0.04)
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि की प्राप्ति		-	-
इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान		(9,000.00)	(8,425.00)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश कर		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद पर कर		-	-
वित्तीय गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली शुद्ध नकदी	**(C)**	**(9,001.99)**	**(8,425.80)**
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)		**760.10**	**(913.99)**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य		**107.10**	**1,021.09**
अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य		**867.20**	**107.10**
नकद और नकद समकक्षों का मिलान (नोट 4.4 देखें)			
नकद और नकद समकक्ष (बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध)		**867.20**	**107.10**
नकद और नकद समकक्षों के घटक			
(ए) बैंकों के साथ शेष			
- जमा खातों में		533.86	37.49
- चालू खातों में		132.15	69.45
(बी) बैंक बैलेंस भारत के बाहर		-	-
(सी) प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी		201.00	-
(डी) हाथ में चेक, ड्राफ्ट और स्टांप		-	-
(ई) नकद		-	-
(एफ) नकदीकरण भारत के बाहर		-	-
(जी) बैंक ओवरड्राफ्ट		-	-
(एच) अन्य ई-प्रोक्योरमेंट खाता/जीईएम खाता/इम्प्रेस्ट शेष		0.19	0.16
कुल (नकद और नकद समकक्षों के घटकों के लिए नोट 4.4 देखें)		**867.20**	**107.10**

1. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य:

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	गैर-चालू उधार*	वित्त पट्टा देनदारियाँ
1 अप्रैल 2023 तक प्रारंभिक शेष	4.58	2.35

वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(0.61)	-0.18
गैर-नकद परिवर्तन के कारण:		
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण और वित्त लागत को कम करना	-	0.30
उधार पर अर्जित ब्याज	-	
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	
उधार पर लेनदेन लागत	-	
31 मार्च 2024 को समापन शेष	**3.95**	**2.47**

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	**गैर-चालू उधार***	**वित्त पट्टा देनदारियाँ**
1 अप्रैल 2022 तक प्रारंभिक शेष	4.93	2.29
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(0.63)	(0.13)
गैर-नकद परिवर्तन के कारण:		
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण और वित्त लागत को कम करना	-	0.19
उधार पर अर्जित ब्याज	-	
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव	0.28	
उधार पर लेनदेन लागत	-	
31 मार्च 2023 को समापन शेष	**4.58**	**2.35**

* इसमें गैर-वर्तमान उधारों की वर्तमान परिपक्वता और उस पर अर्जित ब्याज शामिल है, टिप्पणी 8.1 देखें

2 नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण भारतीय मानक लेखांकन 7 - 'नकदी प्रवाह का विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

3 समूह ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)के कारण व्यय ₹ 162.88 करोड़ टिप्पणी संख्या 13.8 देखें) खर्च किए हैं (पिछले वर्ष ₹ 207.97 करोड़)।

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

शिव एवं एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 009989एन

(सनदी लेखाकार शिव प्रकाश चतुर्वेदी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 085084

बोर्ड की ओर से

(संजीब कुमार देबनाथ)
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
DIN : 09712877

(एस परिडा)
कंपनी सचिव

(यू ए कावले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN: 09715213

दिनांक : 20.04.2024
स्थान : संबलपुर

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 1

A. कॉर्पोरेट जानकारी

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), एक मिनीरत्न कंपनी के रूप में भारत में स्थित है और शेयरों द्वारा परिसीमित है। कंपनी को 3 अप्रैल, 1992 को ओडिशा राज्य में खदानों के संबंध में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की परिसंपत्तियों और देयताओं को अधिकार में लेते हुए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की 100% अनुषंगी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020, ओडिशा है।

कंपनी मुख्य रूप से कोयला खनन और उत्पादन करती है।

कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता बिजली और इस्पात क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में सीमेंट, उर्वरक, ईंट भट्टे आदि शामिल हैं।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की 4 अनुषंगी कंपनियां हैं, जिनमें से दो कोयला उत्पादन करती हैं, एक बिजली उत्पादन में और एक अनुषंगी कंपनी रेल कॉरिडोर परियोजनाओं के निर्माण और संचालन में लगी हुई है।

B. अनुपालन का विवरण

ये समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय मानक लेखांकन) नियम, 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (तदुपरान्त " भारतीय मानक लेखांकन" के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण तैयार होने तक जारी, अधिसूचित और प्रभावी बनाए गए भारतीय मानक लेखांकन को अधिकृत किया गया है और इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उन पर विचार किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार जहां नए जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया जाता है या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता होती है, लागू किया जाता है।

टिप्पणी 2: सामग्री लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़कर एक्यूरल आधार पर तैयार किए गए हैं, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधन लागत या उचित मूल्य पर प्रासंगिक भारतीय मानक लेखांकन के संदर्भ में मापा जाता है।

ऐतिहासिक लागत परिपाटी आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के रूप में निर्धारित की जाती है जिसमें वह संचालित होती है। समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को दो दशमलव बिंदुओं तक 'रुपए करोड़ में' में पूर्णांकित किया जाता है।

2.2 समेकन का आधार

2.2.1 अनुषंगी कंपनियां

i. अनुषंगी संस्थाएँ वे संस्थाएँ हैं जिन पर कंपनी का नियंत्रण होता है और नियंत्रण तब प्राप्त होता है जब समूह प्रकाश में आता है या उसके पास निवेश प्राप्तकर्ता के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न का अधिकार होता है और उसके माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है:

   a. निवेश प्राप्तकर्ता पर अधिकार;

   b. निवेश प्राप्तकर्ता के साथ इसकी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न का एक्सपोजर या अधिकार;

   c. अपने रिटर्न को प्रभावित करने के लिए निवेश प्राप्तकर्ता पर अपने अधिकार का उपयोग करने की क्षमता।

अनुषंगी कंपनियों पर नियंत्रण हासिल करने की तिथि से अनुषंगी कंपनियों को समेकित किया जाता है और नियंत्रण की समाप्ति की तिथि से उन्हें बंद कर दिया जाता है।

ii. समूह संबंधित वित्तीय विवरणों के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं, राजस्व और व्यय की समान वस्तुओं के अंकित मूल्य को एक साथ जोड़कर सावधानीपूर्ण समेकन के आधार पर होल्डिंग और उसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को जोड़ता है। इंट्रा-ग्रुप बैलेंस, इंट्रा-ग्रुप लेनदेन और इंट्रा-ग्रुप लेनदेन से उत्पन्न शेयरों पर अप्राप्त लाभ को समाप्त कर दिया गया है।

iii. समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान सामग्री लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं, जैसा कि अन्यत्र उल्लेखित है ।

iv. अनुषंगी कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के समय निवल परिसंपत्तियों पर अनुषंगी कंपनियों में निवेश की लागत के बीच के अंतर को समेकित वित्तीय विवरणों में साख या पूंजी यथा प्रकरण आरक्षित के रूप में मान्यता दी जाती है। उक्त साख का परिशोधन नहीं किया जाता है, तथापि यदि समेकित वित्तीय विवरणों में कोई हानि हो तो प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इसका परीक्षण किया जाता है।

v. वर्ष के लिए अनुषंगी कंपनियों के शुद्ध लाभ में गैर-नियंत्रित ब्याज की हिस्सेदारी की पहचान की जाती है और होल्डिंग कंपनी के मालिकों को देय शुद्ध राजस्व ज्ञात करने के लिए समूह के राजस्व के लिए समायोजित किया जाता है। वर्ष के लिए गैर-नियंत्रित ब्याज पर हानि की अधिकता को मालिक के हित में समायोजित किया जाता है।

vi. अनुषंगी कंपनियों की निवल परिसंपत्तियों में गैर-नियंत्रित ब्याज की हिस्सेदारी की पहचान की जाती है और उसे होल्डिंग कंपनी के शेयरधारकों की देनदारियों और इक्विटी से अलग समेकित बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है।

vii. किसी अनुषंगी कंपनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण का नुकसान नहीं होता है, उसे इक्विटी लेनदेन के रूप में माना जाता है।

viii. यदि समूह किसी अनुषंगी कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तो यह परिसंपत्तियों, देनदारियों, किसी भी गैर-नियंत्रित हितों की वहन राशि और इक्विटी में दर्ज संचयी लेनदेन के अंतर को अमान्य कर देता है। पूर्व अनुषंगी कंपनी के किसी भी हित को उस तिथि पर उचित मूल्य पर लाभ और हानि के विवरण में वृद्धि/कमी की पहचान के साथ मापा जाता है।

व्यापारिक संयोजन एवं साख

समूह, समूह संस्थाओं के संयोजन को छोड़कर, जो सामान्य नियंत्रण में हैं, व्यावसायिक संयोजनों के लिए लेखांकन में अधिग्रहण पद्धति लागू करता है। किसी अनुषंगी कंपनी का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए समूह द्वारा हस्तांतरित प्रतिफल की गणना अधिग्रहण-तिथि के अनुसार हस्तांतरित परिसंपत्तियों के उचित मूल्यों, देयताओं और समूह द्वारा जारी किए गए इक्विटी हितों के योग के रूप में की जाती है, जिसमें एक आकस्मिक विचार व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली किसी भी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य शामिल होता है। अधिग्रहण की लागत खर्च के अनुसार व्यय की जाती है। अर्जित परिसंपत्तियों और ग्रहण की गई देयताओं को आम तौर पर उनकी अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्यों पर मापा जाता है।

नियंत्रण में संस्थाओं के संयोजन के मामले में, व्यापार संयोजन को ब्याज की पूलिंग विधि के तहत ध्यान में रखा जाता है, जिसके तहत परिसंपत्तियों और देयताओं को अग्रणी राशि पर संयोजित किया जाता है और उनके उचित मूल्यों को प्रतिबिंबित करने या किसी नई परिसंपत्तियों या देयताओं को पहचानने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, साख को किसी भी संचित हानि को घटाकर लागत पर मापा जाता है। हानि परीक्षण के प्रयोजन के लिए, व्यवसाय संयोजन में अर्जित साख, संयोजन तिथि से समूह की प्रत्येक नकद उत्पन्न करने वाली इकाइयों को आवंटित की जाती है, जिनसे संयोजन से लाभ होने की उम्मीद होती है, भले ही अधिग्रहण की अन्य परिसंपत्तियों या देनदारियां हों, उन इकाइयों को सौंपा जाता है।

2.2.2 एसोसिएट्स

एसोसिएट्स वे सभी इकाइयां हैं जिन पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है। यह आम तौर पर ऐसा मामला है जहां कंपनी के पास 20% से 50% के बीच मतदान अधिकार होते हैं। सहयोगियों में निवेश को शुरू में लागत पर पहचाने जाने के बाद, लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकन किया जाता है, सिवाय इसके कि जब निवेश, या उसके एक हिस्से को बिक्री के लिए रखा गया हो, उस स्थिति में इसका हिसाब भारतीय मानक लेखांकन 105 के अनुसार किया जाता है।

समूह वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर सहयोगियों में अपना शुद्ध निवेश कम करता है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्थाएँ वे व्यवस्थाएँ हैं जहाँ समूह का एक या अधिक अन्य पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण होता है।

संयुक्त नियंत्रण, व्यवस्था के नियंत्रण को साझा करने के लिए संविदात्मक रूप से सहमत है जो तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णय के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्थाओं को या तो संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था की कानूनी संरचना के बजाय प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों पर निर्भर करता है।

2.2. 4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत जिन पार्टियों के पास व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण होता है, उनके पास व्यवस्था से संबंधित परिसंपत्तियों के अधिकार और देनदारियों के लिए दायित्व होते हैं। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण को साझा करने के लिए संविदात्मक रूप से सहमत है, जो तभी मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

समूह संयुक्त संचालन की परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्ययों पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार और किसी भी संयुक्त रूप से धारित या खर्च की गई परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्ययों में अपनी हिस्सेदारी को मान्यता देता है। इन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में समान मदों के साथ या अन्य खातों के उपयुक्त शीर्षों के तहत सावधानीपूर्ण आधार पर वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

2.2.5 संयुक्त उपक्रम

i) संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास व्यवस्था की निवल परिसंपत्ति पर अधिकार होता है। संयुक्त उद्यमों में हितों को शुरू में लागत पर पहचाना जाता है और उसके बाद इक्विटी पद्धति का उपयोग करके गणना की जाती है।

ii) संयुक्त उद्यम में निवेश को प्रारम्भ में लागत के आधार पर पहचानने के बाद, लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकन किया जाता है, सिवाय इसके कि जब निवेश, या विक्रय के लिए रखे गए उसके किसी हिस्से को वर्गीकृत किया जाता है, उस स्थिति में इसकी गणना भारतीय मानक लेखांकन 105 के अनुसार की जाती है ।

iii) समूह वस्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर संयुक्त उद्यम में अपने निवल निवेश को कम करता है, जब किसी संयुक्त उद्यम में समूह के घाटे का हिस्सा किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य सहित उस एंटीटी में उसके निवेश के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, तो समूह जब तक संयुक्त उद्यम की ओर से दायित्व वहन न किया हो या भुगतान न किया हो, अतिरिक्त हानि की पहचान नहीं करता ।

iv) समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेनदेन पर अवास्तविक लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित के विस्तार तक समाप्त हो जाते हैं। जब लेनदेन में हस्तांतरित संपत्ति की हानि का प्रमाण नहीं होता तो समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेनदेन पर अवास्तविक हानि भी इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाती है। जहां संयुक्त उद्यमों की लेखांकन नीतियां समूह से भिन्न होती हैं, समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और घटनाओं के लिए उचित समायोजन किए जाते हैं।

v) संयुक्त नियंत्रण बरकरार रखते हुए संयुक्त उद्यम में कम हिस्सेदारी पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में चिन्हित किया है।

vi) जब निवेश एक संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता है और आरक्षित ब्याज एक वित्तीय परिसंपत्ति हो तो समूह लाभ और हानि के विवरण में चिन्हित राशि में बदलाव के साथ उचित मूल्य पर आरक्षित ब्याज की गणना की जाती है। वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में आरक्षित ब्याज के लेखांकन के उद्देश्य से आरक्षित ब्याज का उचित मूल्य प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से चिन्हित की गई कोई भी राशि लाभ और हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत की जाती है।

2.2.6 इक्विटी पद्धति

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, निवेश को शुरू में लागत पर चिन्हित किया जाता है और उसके बाद निवेशिती की निवल संपत्ति के सामूहिक हिस्से में अधिग्रहण के बाद के बदलावों के लिए समायोजन किया जाता है। अधिग्रहण के बाद के लाभ या हानि में समूह की हिस्सेदारी और निवेशिती की अन्य व्यापक आय समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में शामिल हैं। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्य लाभांश को निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में चिन्हित किया जाता है।

जब किसी इक्विटी-अकाउंटेड निवेश में समूह के घाटे का हिस्सा उस एंटीटी में उसके हित के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, जिसमें कोई अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य भी शामिल हो, तो समूह आगे के नुकसान को तब तक चिन्हित नहीं करता, जब तक कि उसने दायित्वों को वहन नहीं किया हो या उसकी ओर से भुगतान नहीं किया हो।

2.2.7 स्वामित्व हितों में परिवर्तन

समूह गैर-नियंत्रित हितों वाले लेनदेन को समूह के इक्विटी मालिकों के साथ लेनदेन के रूप में मानता है जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण में हानि नहीं होती । स्वामित्व हित में परिवर्तन के परिणामस्वरूप अनुषंगी कंपनी में उनके सापेक्ष हितों को दर्शाने के लिए नियंत्रित और गैर-नियंत्रित हितों की वहन राशि के बीच समायोजन होता है। गैर-नियंत्रित हितों के समायोजन की राशि और भुगतान या प्राप्त प्रतिफल के किसी भी उचित मूल्य के बीच कोई भी अंतर इक्विटी के भीतर चिन्हित किया जाता है ।

जब समूह नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के हानी के कारण किसी निवेश के लिए समेकित या इक्विटी खाता बंद कर देता है, तो उस एंटीटी में किसी भी आरक्षित ब्याज लाभ या हानि में चिन्हित राशि में परिवर्तन के साथ उसके उचित मूल्य पर पुनः गणना की जाती है। यह उचित मूल्य एक सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में रखे गए ब्याज के लिए बाद में लेखांकन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। इसके अलावा, उस एंटीटी के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से चिन्हित किसी भी राशि का हिसाब लगाया जाता है जैसे कि समूह ने संबंधित संपत्तियों या देनदारियों का सीधे निपटान किया हो। इसका अर्थ यह हो सकता है कि अन्य व्यापक आय में पहले से चिन्हित की गई राशि को लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

यदि संयुक्त उद्यम या सहयोगी उद्यम में स्वामित्व हित कम हो जाता है लेकिन संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव बना रहता है, तो अन्य व्यापक आय में पहले से चिन्हित राशि का केवल अनुपातिक हिस्सा लाभ या हानि के लिए जहां उपयुक्त हो, पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी अपने तुलन-पत्र में चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब,

(a) यह सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूली अथवा बिक्री अथवा इसके उपभोग की इच्छा रखती है।;

(b) यह परिसंपत्ति को मुख्य तौर पर व्यापार के उद्देश्य के लिए रखती है;

(c) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति के वसूली की अपेक्षा रखती है; अथवा

(d) परिसंपत्ति नकद व नकद समकक्ष (लेखांकन नीति 7 में यथा-परिभाषित) रुप में तब तक रहती है जब तक परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमय किए जाने या देयता के निपटान के लिए उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी आस्तियों को गैर-चालू के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी के द्वारा किसी देयता को चालू के रुप में तब माना जाता है जब:

(a) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती है।;

(b) इसकी देयता मुख्य तौर पर व्यापार के लिए होती है।;

(c) रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर बकाये देयता का निपटान किया जाना है; अथवा

(d) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्तहीन अधिकार इसके पास नहीं है। प्रतिरुप के विकल्प पर किसी देयता के जो नियम इक्विटी-विपत्रों को जारी करके इसके निपटान के फलस्वरुप हो सकते थे, वे इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में सुनिश्चित किया है।

2.4 राजस्व स्वीकृति

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

राजस्व मुख्यतः कोयले की बिक्री, संबंधित सहायक सेवाओं और उत्पादों से प्राप्त होता है। उत्पादों की बिक्री से होने वाले राजस्व की पहचान तब की जाती है जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात जब उत्पादों को ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। वितरण तब होता है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया गया हो या वितरित कर दिया गया हो, जैसा भी मामला हो, और हानि के जोखिमों को विक्रय अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिया गया है। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस विचार को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग सबसे संभावित विधि का उपयोग करके विक्रय अनुबंध के अनुसार परिवर्तनीय विचार का आकलन लगाने और प्रदान करने के लिए किया जाता है और राजस्व को केवल उस स्तर तक चिन्हित किया जाता है कि महत्वपूर्ण निरसन न होने की अत्यधिक संभावना हो। प्रतिफल की राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है क्योंकि विक्रय अनुबंध के अनुसार भुगतान की शर्तें एक वर्ष से कम हैं।

कंपनी के पास भविष्य में ग्राहकों को उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए कई दीर्घकालिक अनुबंध हैं। आम तौर पर, राजस्व को चालान के आधार पर चिन्हित जाता है, क्योंकि बेची गई प्रत्येक इकाई एक अलग कार्य निष्पादन दायित्व है, और इसलिए ग्राहक से प्रत्यक्ष रूप से सोच-विचार करने का अधिकार हमारे आज तक के कार्य निष्पादन से मेल खाता है।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करने और अनुदान प्राप्त होने की निश्चितता का उचित आश्वासन न दे दे ।

सरकारी अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मान्यता देती है जिससे अनुदान की क्षतिपूर्ति की जाती है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में अनुदान की स्थापना करके तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी संपत्ति के अलावा अन्य अनुदान) सामान्य शीर्षक अन्य आय' के तहत लाभ या हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

एक सरकारी अनुदान/सहायता जो पहले से किए गए खर्चों या हानियों के मुआवजे के रूप में या भविष्य से संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य हो जाती है, को उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह प्राप्य हो जाता है।

सरकार अनुदान या संवर्धक योगदान की प्रकृति में सीधे "कैपिटल रिजर्व" में दी गई है जो "शेयर धारकों के फंड" का हिस्सा है।

2.6 पट्टे

यदि एक अनुबंध विचार के बदले में समय की अवधि के लिए किसी चिन्हित की गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो वह अनुबंध पट्टा है, या पट्टे को सम्मिलित करता है।

2.6.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। यदि अनुबंध विचार के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए चिन्हित संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है तो यह अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें शामिल है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी चिन्हित की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है या नहीं इसका जांच करने के लिए कंपनी यह आकलन करती है कि क्या: (i) अनुबंध में एक चिन्हित की गई संपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ हैं और (iii) कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

प्रारंभ तिथि पर, एक पट्टेदार लागत पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता देगा जो उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

तत्पश्चात राइट-टू-यूज एसेट्स को लागत मूल्य का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता में ब्याज दर्शाने के लिए बढ़ती वहन राशि, किए गए पट्टा भुगतान को दर्शाने के लिए वहन राशि को घटकर किसी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधन को दर्शाने के लिए वहन राशि के पुनर्मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है।

पट्टे की देनदारी को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान में पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में बदलाव करती है कि वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का उपयोग करेगी या या विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी तो पट्टे की देनदारियों को संपत्ति के उपयोग से संबंधित अधिकार के अनुरूप समायोजन के साथ पहले से मापा जाता है। लीज देनदारी और आरओयू परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और लीज भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लीज देनदारी दायित्वों को "वित्तीय देनदारियां" शीर्षक के तहत अलग से प्रस्तुत किया गया है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

संपत्ति के उपयोगी जीवन पर उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास किया जाता है, यदि पट्टा पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है या यदि उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद विकल्प का प्रयोग करेंगे। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग-से-उपयोग की संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से लेकर उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के अंत तक या पट्टे की अवधि के अंत तक करेगा।

2.6.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

परिसंपत्तियों को वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे पर दिया जाता है।

वित्त पट्टा: एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित करता है। प्रारंभ में, वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को बैलेंस शीट में चिन्हित किया जाता है और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर रिटर्न की निरंतर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न के आधार पर, पट्टे की अवधि के दौरान वित्त आय की पहचान की जाती है।

परिचालन पट्टा: एक पट्टा जिसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है वह एक परिचालन पट्टा है। कंपनी परिचालन पट्टों पर दी गई संपत्तियों के मामले में पट्टा भुगतान को प्रत्यक्ष आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

2.7 विक्रय हेतु गैर चालू संपत्ति

कंपनी विक्रय के लिए रखी गैर-चालू परिसंपत्तियों और या निपटान समूहों को वर्गीकृत करती है यदि उनकी वहन राशि निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रूप से विक्रय के माध्यम से पुनर्प्राप्त की जाएगी। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से संकेत मिलना चाहिए कि विक्रय में महत्वपूर्ण बदलाव किया जाना या विक्रय का निर्णय वापस लिया जाना अविश्वसनीय है। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी होने वाले विक्रय के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन उद्देश्यों के लिए जब विनिमय में वाणिज्यिक संदर्भ होता है तब विक्रय लेनदेन में अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का आदान-प्रदान शामिल होता है। बिक्री के लिए धारित वर्गीकरण के मानदंड तभी पूरे माने जाते हैं जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। ऐसी परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत शर्तों के अधीन ही इसकी बिक्री होती है इसकी अत्यधिक संभावना है; और इसे वास्तव में बेचा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब:

- प्रबंधन का उचित स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है,
- खरीदार का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है
- परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को ऐसे मूल्य पर बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है जो उसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित है,
- वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर बिक्री को पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त होने की उम्मीद है, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या योजना वापस ले ली जाएगी।

बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्ति या निपटान समूहों को बेचने की लागत घटाकर वहन राशि और उचित मूल्य के निचले स्तर पर मापा जाता है।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और ह्रास

यदि यह संभव है कि किसी वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है तो पीपीई की उस वस्तु को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है ।

पीपीई को शुरू में जहां भी आवश्यक हो, डिकमीशनिंग या बहाली लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मापा जाता है। भूमि की लागत में वे व्यय शामिल हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भूमि के अधिग्रहण से जुड़े हैं जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले में प्रतिपूर्ति आदि।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्रों और उपकरणों की मद को कम लागत पर किसी भी संचित मूल्यह्रास और लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित हानि के नुकसान पर ले जाया जाता है। किसी भी संपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित शामिल है:

(a) व्यापार में छूट और कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क ।

(b) परिसंपत्ति को स्थान तक लाने के लिए और प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए इसके लिए आवश्यक परिस्थिति के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कोई भी लागत।

(c) चीजों को तोड़ने और हटाने और जहां वह स्थित है उस साइट को पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, उस अवधि के दौरान सूची तैयार करने के अलावा वह दायित्व जिसके लिए कंपनी या तो चीजें प्राप्त होने पर या किसी विशेष अवधि के दौरान चीजों का उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है।

(d) अर्हक परिसंपत्तियों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए गए उधार पर ब्याज को परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाए।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। हालांकि, पीपीई के मद के महत्वपूर्ण भाग (एस) में एक ही उपयोगी जीवन और अवमूल्यन विधि है, जो मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समूहबद्ध होती है।

'मरम्मत और रखरखाव' के लिए वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवा की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें समान खर्च होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की कुल लागत के संबंध में भागों को बदलने के बाद की लागत को वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभव है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तो वस्तु की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। जिन हिस्सों को बदला गया है उनकी वहन राशि को नीचे उल्लिखित मान्यता रद्द करने की नीति के अनुसार रद्द कर दिया गया है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को प्रतिस्थापन के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तो वस्तु की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। पिछले निरीक्षण की लागत की कोई भी शेष वहन राशि (भौतिक भागों से अलग) को अमान्य कर दिया गया है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की किसी वस्तु को निपटान पर या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है, तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। संपत्ति संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की ऐसी मान्यता रद्द होने से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में चिन्हित किया जाता है ।

फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधे तौर पर लागत मॉडल के अनुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि

(पट्टेकृत भूमि सहित) : परियोजना की अवधि या पट्टा अवधि में से जो भी कम हो

भवन (सड़क सहित) : 3-60 वर्ष

दूरसंचार : 3-9 वर्ष

रेलवे साईडिंग : 15 वर्ष

संयंत्र एवं उपकरण	: 1-40 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	: 3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	: 3-5 वर्ष
फर्नीचर व फिक्सचर	: 10 वर्ष
वाहन	: 8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवनकाल उस अवधि का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके दौरान प्रबंधन संपत्ति का उपयोग करने की आशा करता है। इसलिए परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवनकाल से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति की कुछ वस्तुओं जैसे कि अन्य भूमि, साइट बहाली संपत्ति, अन्य खनन बुनियादी ढांचे, सर्वेक्षण की गई संपत्तियों को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य को संपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है। कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि जैसी वस्तुओं के लिए शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ तकनीकी रूप से उपयोगी जीवन एक वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़ी/निपटाई गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास, वृद्धि/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा,पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर.एफ.सी.टी.एल.ए.ए.आर) अधिनियम, 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जोकि परियोजना के शेष जीवन(समय) के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित, उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांचकर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी मौजूदा संपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत सक्षम संपत्ति के रूप में चिन्हित किए जाते हैं।

भारतीय मानक लेखांकन में परिवर्तन

कंपनी ने लागत मॉडल (अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए, जैसा कि पिछले जीएएपी के अनुसार भारतीय मानक लेखांकन में परिवर्तन की तिथि पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है) के अनुसार वहन मूल्य जारी रखने के लिए चुना है।

2.9 खदान बंद करना, साइट की बहाली और डीकमीशनिंग ओब्लिगेशन

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित हैं। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं लगाने वाली खर्च की विस्तृत लेखा-जोखा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आकलन मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते हैं, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देय धन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना/ खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उतरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंबनिधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

खान बंदी करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में निलंबखाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.10 अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ –

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती हैं जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती हैं। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन निम्न बातों के तहत सम्मिलित किये गये हैं:

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण।
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा के शोध एवं विश्लेषण;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भू-भौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना;
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग तथा नमूने;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन;

उपर्युक्त संस्करण में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान आदि शामिल है।

चूंकि अमूर्त घटक समग्र अपेक्षित मूर्त लागतों के एक नगण्य/अभेद्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भविष्य के दोहन से वसूल किया जाता है, इन लागतों को अन्य पूंजीकृत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

तकनीकी व्यवहार्यता और परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के निर्धारण के लंबित परियोजना के आधार पर अन्वेषण और मूल्यांकन लागतों को परियोजना के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत एक अलग लाइन आइटम के रूप में खुलासा किया जाता है। बाद में उन्हें लागत कम संचित हानि/प्रावधान पर मापा जाता है।

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/ परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई आस्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.11 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार निर्धारित किए जाते हैं और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी दी जाती है, पूंजीकृत अन्वेषण और मूल्यांकन लागत को निर्माणाधीन संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और "विकास" शीर्षक के तहत प्रगति पर पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में खुलासा किया जाता है। बाद के सभी विकास व्यय भी पूंजीकृत हैं। पूंजीकृत विकास व्यय विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय का शुद्ध योग है।

वाणिज्यिक संचालन :

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; जब स्थायी आधार पर उत्पादन के लिए किसी परियोजना/खान की व्यावसायिक तत्परता या तो परियोजना रिपोर्ट में विशेष रूप से बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

क. अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया है या

ख. कोयले के 2 साल के उत्पादन,या

ग. वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो,

जो भी घटना पहले हो।

राजस्व में लाए जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत चल रही संपत्ति को "अन्य खनन अवसंरचना" नाम के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन अवसंरचना का परिशोधन उस वर्ष से किया जाता है जब खदान को 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाया जाता है या परियोजना का कामकाजी जीवन जो भी कम हो।

2.12 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अलग से अर्जित अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। लागत में संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार खर्च शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि हानि को कम लागत पर ले जाया जाता है।

तदुपरान्त व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में चिन्हित किया जाता है जब यह संभव हो कि लागत से प्राप्त होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

अमूर्त संपत्ति की एक वस्तु को निपटान पर या उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। किसी अमूर्त संपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और संपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि के विवरण में चिन्हित किया जाता है।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया है।

अमूर्त सम्पत्ति के उपयोगिता को सीमित/ अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवनकाल या परिसंपत्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अमूर्त परिसंपत्ति उनके अनिश्चित उपयोगिता के साथ परिशोधित नहीं की जाती अपितु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कमी हेतु उसका परीक्षण किया जाता है।

बिक्री के लिए पहचाने गए अथवा बाहरी एजेंसियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लाकों के कारण अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों (अर्थात सीआईएल के लिए निर्धारित नहीं किए गए ब्लाकों के लिए) को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और हानि के लिए उनकी जांच की जाती है।

अनुसंधान पर व्यय को जब भी खर्च किया जाता है, व्यय में शामिल किया जाता है। विकास पर व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हो और कंपनी का प्रयोजन विकास को पूरा करने और संपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन हो।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा):

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह आकलन करती है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त होने का कोई संकेत तो नहीं, यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि उपयोग में परिसंपत्ति या नकदी निर्माण करने वाली इकाई के मूल्य और उसके उचित मूल्य से निपटान की लागत से अधिक होती है, और एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो काफी हद तक स्वतंत्र होती है। अन्य परिसंपत्तियाँ या परिसंपत्तियों के समूह, इस मामले में वसूली योग्य राशि उस नकदी निर्माण करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। क्षति के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को समूह अलग-अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानता है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान हो तो परिसंपत्ति की वहन राशि को उसकी वसूली योग्य राशि में घटा दिया जाता है और उस क्षति को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.14 निवेश संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के बजाय किराया अर्जित करने या पूंजी में मूल्य वृद्धि या दोनों के लिए रखी गई है; या व्यवसायों के सामान्य पाठ्यक्रम में बिक्री को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश संपत्ति को प्रारंभ में उसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहां लागू हो उधार लेने की लागत शामिल है।

निवेश संपत्तियों का उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन पद्धति का उपयोग करके मूल्यह्रास किया जाता है।

2.15 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन वह अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयताओं या इक्विटी साधन का निर्माण करती है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.15.1.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय आस्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से लेनदेन लागत सहित उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, ऐसा वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर बाजार स्थान (नियमित तरीके से व्यापार) में परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, अर्थात, जिस तारीख को कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है। हालाँकि, व्यापार प्राप्य जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होते है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.1.2 अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपतियों को अनुवर्ती माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई) पर ऋणसाधन।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़वीटीपीएल) पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई) पर मापे गए ईक्विटी साधन

2.15.1.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत परिशोधित लागत पर ऋण साधन मापे जाते हैं:

a) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना है, और

b) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद, प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। कमी के कारण हुई हानियों को लाभ व हानि में स्वीकार किया गया है।

2.15.1.2.2 एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में ऋण साधन

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

a) संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

b) परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे कंपनी ने लाभ एवं हानि विवरण में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को चिन्हित कर लिया है। परिसंपत्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में चिन्हित किए गए है को संचयी लाभ या नुकसान के तहत लाभ एवं हानि के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत

किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई डैब्ट इन्स्ट्रुमेंट को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.1.2.3 एफवीटीपीएल में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट

डेब्ट इंस्ट्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके साथ ही, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो एफवीटीपीएल में परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड (जिसे ' बेमेल लेखांकन' के रूप में संदर्भित किया जाता है) को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक चिन्हित किए गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में किसी ऋण साधन को निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधन को उचित मूल्य पर लाभ-हानी में चिन्हित सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.15.1.2.4 अनुषंगी, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय मानक लेखांकन 101 (भारतीय मानक लेखांकन में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि परिवर्तन(ट्रांजिशन) की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। तत्पश्चात अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणी से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में विहित इक्विटी प्रणाली के अनुसार सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश की गणना की जाती है।

2.15.1.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

कंपनी अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन कर सकती है। कंपनी ऐसे चुनाव उपकरण दर उपकरण के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।भारतीय मानक लेखांकन 109 के क्षेत्र में शामिल सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

एफवीटीओसीआई में वर्गीकृत इक्विटी उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तन ओसीआई में मान्यता प्राप्त हैं। लाभ और हानि के विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का कोई बाद में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांश को जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए तब लाभ और हानि विवरण में "अन्य आय" के रूप में मान्यता दी जाती है ।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी उपकरणों को लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.1.3 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या जहां लागू हो, परिसंपत्ति के एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया जाता है (जैसे तुलनपत्र से हटाया गया), जब :

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं या 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना किसी देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व मान लिया है और या तो (a) कंपनी ने; परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है, या (b) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करती है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित किया है, तो कंपनी, कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित परिसंपत्ति को पहचानना जारी रखती है। उस स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध दायित्व को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित संपत्ति और संबंधित देनदारी को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बरकरार रखे गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि के निचले भाग और कंपनी को चुकाने के लिए आवश्यक प्रतिफल की अधिकतम राशि पर मापा जाता है।

2.15.1.4 वित्तीय संपत्ति की हानि (उचित मूल्य को छोड़कर)

भारतीय मानक लेखांकन 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

(a) वित्तीय परिसंपत्तियां उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि, जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

(b) वित्तीय परिसंपत्ति जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

(c) भारतीय लेखांकन मानक 116 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

(d) व्यापार प्राप्य या नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय मानक लेखांकन 115 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया:-

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य; और
- भारतीय मानक लेखांकन 116 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न सभी पट्टा प्राप्य

सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि, यह प्रारंभिक मान्यता से ही, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देता है।

2.15.2 वित्तीय देयताएँ

2.15.2.1 आरंभिक मान्यता तथा मापन

कंपनी की वित्तीय देयताओं में बैंक ओवरड्राफ्ट सहित व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं।

ऋण और उधार लेने के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शाई जाती है।

2.15.2.2 अनुवर्ती माप

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है:

2.15.2.2.1 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देयताओं और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताएं शामिल हैं।

वित्तीय देयताओं को,यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं, व्यापार के लिए वर्गीकृत किया जाता है । इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय मानक लेखांकन 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग किए गए एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी व्यापार के लिए वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में चिन्हित किया जाता है।

2.15.2.2.2 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें परिशोधन लागत पर प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में तब चिन्हित किया जाता है जब देयताओं की पहचान प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी रद्द कर दी जाती है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग हैं। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

2.15.2.3 मान्यता वापस लेना

कोई वित्तीय देयता की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब देयता के तहत दायित्व को निर्वहन, निरस्त या समाप्त किया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से दूसरे द्वारा भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया गया है, ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता रद्दीकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। किसी वित्तीय देयता(या किसी वित्तीय देयता का भाग) की वहन राशि के समाप्त होने या किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित होने और भुगतान किए गए प्रतिफल, जिसमें हस्तांतरित किसी भी गैर-नकद संपत्ति या ग्रहण की गई देयताएँ शामिल हैं, के बीच का अंतर लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

2.15.2.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो कि इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, के लिए पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में बदलाव होता है। बिजनेस मॉडल में बदलाव कम ही होने की उम्मीद है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसाय मॉडल में बदलाव का निर्धारण करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे बदलाव बाहरी पार्टियों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में बदलाव तब होता है जब कंपनी या तो कोई ऐसी गतिविधि शुरू करती है या बंद कर देती है जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो यह पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से संभावित रूप से लागू करती है जो व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के बाद तुरंत अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी किसी भी पहले से मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (हानि लाभ या हानि सहित) या ब्याज का दोबारा वर्णन नहीं करती है।

निम्नलिखित तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण और उनकी गणना के तरीके को दर्शाती है :

वास्तविक वर्गीकरण	**संशोधित वर्गीकरण**	**लेखांकनविधि**
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पीएंडएल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में चिन्हित किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली वहन राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में लाभ एवं हानि के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.15.2.5 वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और निवल आधार पर धन प्राप्त करने के लिए संपत्ति बेचने और साथ ही देयताओं के निपटान करने का इरादा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की ऑफसेट की जाती है और निवल राशि को समेकित बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.2.6 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

कंपनी ऐसे माप के लिए नियोजित इनपुट का निरीक्षण करने की क्षमता के आधार पर उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है:

(a) स्तर 1: इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित) हैं।

(b) स्तर 2: उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट स्तर 1 के भीतर शामिल हैं जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करने योग्य हैं।

(c) स्तर 3: परिसंपत्ति या देयताओं के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (इनपुट जो अवलोकन योग्य नहीं है) पर आधारित नहीं हैं।

उचित मूल्यों के मापन के संबंध में कंपनी के पास एक स्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापों की देखरेख की समग्र जिम्मेदारी है जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट, मूल्यांकन समायोजन और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करते हैं जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.15.3 नगद एवं नगद समकक्ष

तुलनपत्र में नकद और नकद समकक्ष में बैंकों और पास में रखे नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकद और अल्पकालिक जमा, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, कुल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है, शामिल हैं।

2.16. उधार लेने की लागत

प्रत्यक्ष रूप से अर्हता प्राप्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन को छोडकर उधार लेने की लागत जहां आवश्यक हो, व्यय की जाती है अर्थात ऐसी परिसंपत्तियां जिन्हें अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, ऐसी स्थिति में उन्हें संबंधित परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में उस तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है जब योग्य परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है।

2.17 कर निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है। कर योग्य लाभ "आय कर से पहले लाभ" से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में वर्णित है क्योंकि इसमें आय या व्यय की मदें शामिल नहीं हैं जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और इसमें उन मदों को भी शामिल नहीं किया गया है जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देनदारी की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई हैं।

आस्थगित कर देयताओं को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होने संभावना हो जिसके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है जो अस्थायी अंतर साख से या किसी लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं की प्रारंभिक मान्यता (व्यावसायिक संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि परिसंपत्ति के सभी या उसके हिस्से को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होना संभव न हो। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस सीमा तक चिन्हित किया जाता है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या उसके हिस्से को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होना संभव हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है जिसमें देयता का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है जो कर दर (और कर कानून) के आधार पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हो चुके हैं।

आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का माप उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से होंगे जिससे कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान की उम्मीद करती है।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन वस्तुओं से संबंधित होते हैं जो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में पहचाने जाते हैं, उस स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां वर्तमान कर या आस्थगित कर किसी व्यवसाय संयोजन के प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, वहां कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

संबन्धित मदों को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को क्रमश: उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी हितलाभ

2.18.1 अल्पावधि हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ हैं (समाप्ति लाभों के अलावा) जो वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह माह पूर्व पूरी तरह से निपटाए जाने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.18.2 रोजगार पश्चात लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.18.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएँ

एक परिभाषित योगदान योजना रोजगार पश्चात एक लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निकाय द्वारा बनाए गए फंड में एक निश्चित योगदान का भुगतान करती है और आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी की कोई कानूनी या रचनात्मक बाध्यता नहीं होगी। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के दायित्वों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.18.2.2 पारिभाषित लाभ योजनाएं:

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा रोजगार पश्चात लाभ योजना है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के निवल दायित्व की गणना कर्मचारियों द्वारा वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवा के बदले अर्जित भविष्य के लाभ की मात्रा का अनुमान लगाकर की जाती है। लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य, यदि कोई हो, से घटाया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार उत्पाद पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुरूप होती हैं और जिन्हें उसी मुद्रा में मूल्यवर्गित किया जाता है, जिसमें लाभ का भुगतान होने की उम्मीद होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट दर, संपत्ति पर रिटर्न की अपेक्षित दर, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि के बारे में धारणा बनाना इत्यादि शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण ऐसे अनुमान अनिश्चितताओं के अधीन हैं। प्रत्येक बैलेंस शीट पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक्चुअरी द्वारा गणना की जाती है। जब गणना के परिणामस्वरूप कंपनी को लाभ होता है, तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति योजना से किसी भी भविष्य के रिफंड या योजना में भविष्य के योगदान में कमी के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है। यदि यह योजना के जीवनकाल के दौरान या योजना देनदारियों के निपटान पर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है तो कंपनी को यह आर्थिक लाभ उपलब्ध होता है।

निवल परिभाषित लाभ देयता का पुन: मापन, जिसमें योजना परिसंपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) पर रिटर्न को ध्यान में रखते हुए बीमांकिक लाभ और हानि शामिल है और परिसंपत्ति सीमा (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) के प्रभाव को अन्य व्यापक आय में तुरंत मान्यता दी जाती है। कंपनी योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व (परिसंपत्ति) में किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर को तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी (परिसंपत्ति) पर लागू करके अवधि के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व (परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है। निवल ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि में पहचाना जाता है।

जब योजना के लाभों में सुधार किया जाता है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.18.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ रोजगार उपरांत लाभ और सेवा समाप्ति लाभों के अलावा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, सभी कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे मदें शामिल हैं जिनका वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, की समाप्ति के बाद बारह माह से पहले पूरी तरह से निपटान होने की उम्मीद नहीं है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का निवल योग लाभ एवं हानि के विवरण में चिन्हित किया जाता है:

(a) सेवा लागत

(b) निवल परिभाषित लाभ देनदारी (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज

(c) निवल परिभाषित लाभ दायित्व (संपत्ति) का पुन: माप

2.19 विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक परिसंपत्ति और देयताओं का रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अंतरण किया जाता है। मौद्रिक परिसंपत्तियों के निपटान और देयताओं या मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं के अंतरण जो उन दरों जिस पर अवधि के दौरान या उनके प्रारम्भिक मान्यता पर पिछले वित्तीय विवरणों में भिन्न अंतरों पर अंतरित किए गए थे, लाभ-हानी विवरणी में उत्पन्न विनिमय अंतरों को अवधि में मान्यता दी जाती है ।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक वस्तुओं का मूल्य लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.20 स्ट्रिपिंग गतिविधि

कोयले तक पहुँचने के लिए ओवरबर्डन हटाने की प्रक्रिया को स्ट्रिपिंग कहा जाता है। कोयले तक पहुंचने के लिए स्ट्रिपिंग आवश्यक है और यह खुली खदान के पूरे जीवनकाल में होती है। विकास और उत्पादन चरणों के दौरान स्ट्रिपिंग लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में अन्य खनन बुनियादी ढांचे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अलग-अलग खानों के लिए स्ट्रिपिंग लागत की अलग-अलग गणना की जाती है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के लिए कंपनी का लेखा-जोखा निम्नवत है:

विकास चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत

ये निकाले जाने वाले कोयले तक पहुंच प्राप्त करने के लिए की गई प्रारंभिक ओवरबर्डन हटाने की लागत है। जब यह संभावना होती है कि भविष्य में आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और लागतों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है तो इन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है। एक बार जब उत्पादन चरण शुरू हो जाता है, तो खदान के जीवन(परिचालन समय) पर पूंजीगत विकास स्ट्रिपिंग लागत का परिशोधन किया जाता है।

उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत:

कंपनी की नीति के अनुसार खदान को राजस्व में लाने के बाद ये ओवरबर्डन हटाने की लागतें हैं। उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत से दो लाभ हो सकते हैं, वर्तमान अवधि में कोयले की निकासी और भविष्य में निकाले जाने वाले कोयले तक बेहतर पहुंच। उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत को मानक स्ट्रिप अनुपात (ओवरबर्डन-टू-कोयला) का उपयोग करके उत्पादित इन्वेंट्री और स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति के बीच आवंटित किया जाता है। मानक स्ट्रिप अनुपात खदान के पूरे जीवनकाल में निकाले जाने वाले कुल कोयले के मुकाबले हटाए जाने वाले ओवरबर्डन की कुल मात्रा है। जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने पर हटाए गए अतिरिक्त ओवरबर्डन की स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति का परिशोधन खदान के जीवनकाल के दौरान किया जाता है। भू-खनन स्थितियों में परिवर्तन का मानक स्ट्रिप अनुपात पर प्रभाव पड़ सकता है। अनुपात में परिवर्तन को संभावित रूप से ध्यान में रखा जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत अलग से शामिल किया गया है।

कंपनी एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की क्षमता वाली खदानों में उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत के लिए स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को मान्यता देती है।

2.21 वस्तु सूची

2.21.1 कोयला भंडार

कोयले/कोक की सूची कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर वर्णित है। भारित औसत पद्धति का उपयोग करके इन्वेंट्री की लागत की गणना की जाती है। निवल वास्तविक मूल्य इन्वेंट्री की अनुमानित बिक्री मूल्य को पूरा करने की सभी अनुमानित लागतों और बिक्री करने के लिए आवश्यक लागतों को घटाकर दर्शाता है।

कोयले के बुक स्टॉक को उन खातों में जहां बुक स्टॉक और मापे गए स्टॉक के बीच अंतर +/- 5% तक है, समझा जाता है और ऐसे मामलों में जहां यह अंतर +/- 5% से अधिक है, वहां मापे गए स्टॉक पर विचार किया जाता है। ऐसे शेयरों का मूल्यांकन निवल वस्तिक मूल्य या लागत, जो भी कम हो, पर किया जाता है। कोक को कोयले के भण्डार का एक भाग माना जाता है।

कोयले और कोक-फाइन का मूल्यांकन लागत से कम या निवल वास्तविक मूल्य पर किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक का एक हिस्सा माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग), वॉशरी की मिडलिंग और सह -उत्पादों का मूल्यांकन निवल वास्तविक मूल्य पर किया जाता है और कोयले के स्टॉक का एक हिस्सा माना जाता है।

2.21.2 भंडार पुर्जे और अन्य वस्तु सूची

अन्य वस्तु सूची सहित स्टोर और स्पेयर के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत विधि के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित दुकानों और पुर्जों के लिए 100% की दर से और 5 वर्षों से स्थानांतरित न किए गए स्टोर्स और स्पेयर्स के लिए 50% की दर से प्रावधान किए जाते हैं।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी के पास वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहां पैसे का धन सामयिक मूल्य महत्वपूर्ण है, दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों का उल्लेख हैं।

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है।

जहां यह संभव न हो कि आर्थिक लाभ के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता हो, दायित्व को आकस्मिक दायित्व के रूप में दर्शाया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो। संभावित दायित्व, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो।

आकस्मिक परिसंपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार मूल्यांकन किया जाता है कि विकास वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रतिबिंबित हो।

2.23 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना कर पश्चात लाभ को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो सभी डायल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जा सकती थी।

2.24 अनुपात परिवर्तन

सीआईएल की स्थापना के बाद से ही इसके द्वारा स्थापित नीति अनुपात परिवर्तन आरक्षित की मान्यता का लगातार पालन करती रही है। इस लेखांकन पद्धति को आयकर अधिकारियों सहित कई आधिकारिक निकायों और मंचों द्वारा प्रमाणित और मान्य किया गया है।

जब भी प्रावधान/परिसंपत्ति के परिवर्तित होने की स्थिति उत्पन्न होती है, अनुपात परिवर्तन आरक्षित की अग्रणीत राशि को व्यवस्थित रूप से परिवर्तित कर दिया जाएगा। ऐसा परिवर्तन उन खानों के लिए विशिष्ट होना चाहिए जिनके लिए समान प्रावधान/परिसंपत्ति को मान्यता दी गई है।

खदान के मामले में, जहां अनुपात परिवर्तन आरक्षित में क्रेडिट बैलेंस होता है, स्ट्रिपिंग गतिविधि की शुरुआती औसत दर से अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा से अधिक निकाले गए ओवरबर्डन की अतिरिक्त मात्रा को अनुपात परिवर्तन आरक्षित लाभ के संगत डेबिट के साथ विवरण में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में मान्यता दी जाएगी।

जहां अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा मानक स्ट्रिप अनुपात से गुणा किए गए कोयले की मात्रा है, जहां मानक स्ट्रिप अनुपात खदान के दौरान निकाले जाने वाले कुल ओवरबर्डन को खदान के दौरान निकाले जाने वाले कुल कोयले से विभाजित किया जाता है।

2.25 निर्णय, आकलन और धारणाएं

भारतीय मानक लेखांकन के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और संपत्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई मात्रा, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक संपत्तियों और देयताओं के खुलासे और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करती हैं। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से युक्त लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन अनुमान समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि महत्वपूर्ण हो, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रस्तुत किया जाता है।

2.25.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

2.25.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण

लेखांकन नीतियां इस तरह से तैयार की जाती हैं कि वित्तीय विवरणों में लेनदेन, अन्य गतिविधियों और उन पर लागू होने वाली शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी शामिल होती है। जब इन नीतियों को लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हो उन्हें लागू करने की आवश्यकता नहीं है ।

किसी लेनदेन, अन्य घटना या स्थिति पर विशेष रूप से लागू होने वाले भारतीय मानक लेखांकन की अनुपस्थिति में, प्रबंधन ने एक लेखांकन नीति विकसित करने और लागू करने में अपने निर्णय का उपयोग किया है जिसके परिणामस्वरूप जानकारी मिलती है:

a) उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की जरूरतों के लिए प्रासंगिक और

b) उस वित्तीय विवरण में विश्वसनीय: और

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का निष्ठापूर्वक प्रतिनिधित्व करता है; (ii) लेनदेन के आर्थिक सार, अन्य घटनाओं और स्थितियों को प्रतिबिंबित करें, न कि केवल कानूनी रूप को; (iii) तटस्थ हैं, अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त हैं; (iv) विवेकपूर्ण हैं; और (v) सुसंगत आधार पर सभी भौतिक मामलों में पूर्ण हैं

निर्णय लेने में प्रबंधन अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों को संदर्भित करता है और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है:

(a) समान और संबंधित मुद्दों से निपटने वाले भारतीय मानक लेखांकन में आवश्यकताएं; और

(b) फ्रेमवर्क में परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय के लिए परिभाषाएं, मान्यता मानदंड और माप अवधारणाएं।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं पर विचार करता है और उसके अभाव में अन्य मानक-निर्धारण निकायों की घोषणाओं पर विचार करता है जो लेखांकन मानकों, अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग प्रथाओं को विकसित करने के लिए समान वैचारिक ढांचे का इस हद तक उपयोग करते हैं कि ये भारतीय लेखा मानक और लेखा नीतियों और प्रथाओं के साथ मतभेद नहीं करते जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में बताया गया है।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन और विकास उत्पादन चरण दशकों से चल रही लीज अवधि में फैले विभिन्न स्थलाकृतिक और भू-खनन इलाके पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तन की संभावना होती है), लेखांकन नीतियां जहां अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग प्रथाओं के आधार पर विकसित की गई है और पिछले कई दशकों से इसके लगातार इस्तेमाल के कारण विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदित किया गया है। विकास की प्रक्रिया में चल रहे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन और मानकों के अभाव में, कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के अनुरूप लेखांकन नीतियों को विकसित करने का प्रयास जारी रखती है और भारतीय मानक लेखांकन 8 में विशेष रूप से किसी भी विकास को उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार उत्तरदायी माना जाएगा।

2.25.1.2 सामग्री

भारतीय मानक लेखांकन उन वस्तुओं पर लागू होता है जो भौतिक हैं। प्रबंधन यह तय करने में निर्णय लेता है कि व्यक्तिगत वस्तुएं या वस्तुओं के समूह वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण हैं या नहीं। भौतिकता का मूल्यांकन वस्तुओं की प्रकृति या परिमाण या दोनों के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या किसी जानकारी को छोड़ना या गलत बताना या अस्पष्ट करना व्यक्तिगत रूप से या अन्य जानकारी के साथ मिलकर उन निर्णयों को प्रभावित कर सकता है जो प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर लेते हैं। प्रबंधन, भारतीय मानक लेखांकन के अनुपालन आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए भौतिकता के निर्णय का भी उपयोग करता है। इसके अलावा, कंपनी को कानून द्वारा आवश्यक होने पर अलग से अमूर्त वस्तुओं को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से प्रभावी, पिछली अवधियों से संबंधित पाई गई त्रुटियों/चूकों को चालू वर्ष में सारहीन माना जाता है और समायोजित किया जाता है, यदि कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कुल मिलाकर परिचालन (शुद्ध) वैधानिक लेवी) से कुल राजस्व का 1% से अधिक नहीं होती हैं ।

2.25.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौता किया है। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा नहीं है और संपत्ति का उचित मूल्य, कि यह सभी महत्वपूर्ण जोखिमों को बरकरार रखता है और इन संपत्तियों के स्वामित्व के पुरस्कार और परिचालन पट्टों के रूप में अनुबंधों के लिए खाते हैं।

2.25.2 आकलन और धारणाएँ

भविष्य से संबंधित मुख्य धारणाएं और रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमान की अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोत, जिससे अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन माला में भौतिक समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम होता है, नीचे वर्णित हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए जाने पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को उपलब्ध मापदंडों पर आधारित किया है । हालाँकि, मौजूदा परिस्थितियाँ और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएँ बाजार में बदलाव या कंपनी के नियंत्रण से परे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। ऐसे परिवर्तन घटित होने पर धारणाओं में परिलक्षित होते हैं।

अनुमान, निर्णय और संबंधित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमान, निर्णय और संबद्ध धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित होता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग के लिए जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों वाले महत्वपूर्ण निर्णयों और लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है और इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग का खुलासा नीचे किया गया है।

2.25.2.1 गैरवित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी निर्माण करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो निपटान की लागत और उपयोग में उसके मूल्य को घटाकर उसके उचित मूल्य से अधिक है, तो हानि का संकेत होता है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकदी निर्माण करने वाली इकाई मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ़ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियां शामिल नहीं होती हैं जिनके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या भविष्य के महत्वपूर्ण निवेश जो परीक्षण किए जा रहे सीजीयू की परिसंपत्ति के कार्यनिष्पादन को बढ़ाएंगे। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ अपेक्षित भविष्य के नकदी-प्रवाह और एक्सट्रपलेशन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली विकास दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन अवसंरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाओं का खुलासा किया गया है और संबंधित नोट्स में आगे वर्णन किया गया है।

2.25.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। संभावित समय और भविष्य के कर योग्य लाभ के स्तर के साथ-साथ भविष्य की कर योजना रणनीतियों के आधार पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की माला निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.25.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

पारिभाषित लाभ, ग्रेच्युटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेच्युटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेच्युटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर आधारित होती है।

2.25.2.4 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार किसी परियोजना के लिए विकासाधीन अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है कि तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर जब एक परियोजना रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की जाती है।

2.25.2.5 खान बंदी, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदान बंद करने, साइट बहाली और डिकमीशनिंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य का निर्धारण करने में, छूट दरों, साइट बहाली और निराकरण की अपेक्षित लागत और उन लागतों के अपेक्षित समय के संबंध में धारणा और अनुमान लगाए जाते हैं। कंपनी परियोजना/खदान की अवधि को ध्यान में रखते हुए डीसीएफ पद्धति का उपयोग करके निम्नलिखित आधार पर प्रावधान का अनुमान लगाती है:

- भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत
- छूट दर (कर-पूर्व दर) जो धन के समय मूल्य और देयताओं के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है।

2.26 उपयोग किए गए संक्षिप्त शब्द:

a.	सीजीयू	नगद उत्पाद इकाई	l.	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
b.	डीसीएफ	रियायती नगद प्रवाह	m.	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
c.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	n.	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
d.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	o.	एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
e.	जीएएपीई	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त	p.	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
f.	भा.लेखा.मा.	भारतीय मानक लेखांकन	q.	एनसीएल	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
g.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	r.	डब्ल्यूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
h.	लाभ एवं हानि	लाभ एवं हानि	s.	सीएमपीडीआईएल	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इस्टिट्यूड लिमिटेड
i.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	t.	एनईसी	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
j.	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान	u.	आईआईसीएम	इंडियन इन्स्टीट्यूड ऑफ कोल मेनेजमेंट
k.	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर	v.	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.1: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार / साइट पुनर्स्थापना लागत	निर्माण (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुल सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन आधार संरचना	परिसंपतियों की स्ट्रिपिंग गतिविधियां	Surveyed off Assets	Rail Corridor	Others5	Total
सकल वहन राशि :																
1 अप्रैल, 2022 तक	2.43	6,933.34	382.78	979.75	2,494.95	30.32	29.82	31.76	39.55	394.78	315.97	841.54	38.63	1,124.36	0.52	13,640.50
जोड़	4.66	1,296.48	25.37	244.28	160.11	6.56	6.60	10.95	3.10	17.60	370.79	496.06	5.28	-	-	2,647.84
विलोपन /समायोजन	-	(34.97)	(1.09)	(0.35)	(79.69)	(0.05)	(0.02)	(2.11)	(0.01)	-	-	-	(6.28)	-	-	(124.57)
31 मार्च, 2023 तक	**7.09**	**8,194.85**	**407.06**	**1,223.68**	**2,575.37**	**36.83**	**36.40**	**40.60**	**42.64**	**412.38**	**686.76**	**1,337.60**	**37.63**	**1,124.36**	**0.52**	**16,163.77**
31 मार्च, 2023 तक	7.09	8,194.85	407.06	1,223.68	2,575.37	36.83	36.40	40.60	42.64	412.38	686.76	1,337.60	37.63	1,124.36	0.52	16,163.77
जोड़	-	901.65	24.09	165.06	584.66	7.69	0.74	9.10	14.37	0.02	222.82	419.54	5.02	-	-	2,354.76
विलोपन /समायोजन	(0.17)	0.34	(46.97)	36.89	(104.25)	0.66	(1.65)	(5.45)	(1.58)	0.07	(30.47)	-	(6.59)	-	0.91	(158.26)
31 मार्च 2024 तक	**6.92**	**9,096.84**	**384.18**	**1,425.63**	**3,055.78**	**45.18**	**35.49**	**44.25**	**55.43**	**412.47**	**879.11**	**1,757.14**	**36.06**	**1,124.36**	**1.43**	**18,360.27**
संचित मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि 3.1.4																
1 अप्रैल, 2022 तक	-	1,085.81	185.84	240.21	736.00	13.74	15.20	15.95	26.68	118.61	97.51	-	19.40	300.34	0.02	2,855.31
वर्ष के लिए शुल्क	-	217.34	19.08	94.61	227.84	4.51	3.00	8.33	2.28	27.81	189.13	74.71	1.64	73.53	0.05	943.86
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	(74.34)	-	-	(2.34)	-	2.75	-	-	(1.68)	(2.75)	-	(78.36)
31 मार्च, 2023 तक	**-**	**1,303.15**	**204.92**	**334.82**	**889.50**	**18.25**	**18.20**	**21.94**	**28.96**	**149.17**	**286.64**	**74.71**	**19.36**	**371.12**	**0.07**	**3,720.81**
1 अप्रैल, 2023 तक	-	1,303.15	204.92	334.82	889.50	18.25	18.20	21.94	28.96	149.17	286.64	74.71	19.36	371.12	0.07	3,720.81
वर्ष के लिए शुल्क	-	270.67	13.57	70.20	219.52	3.24	2.91	7.15	2.99	28.67	110.76	162.32	0.38	73.53	0.08	965.99
विलोपन/समायोजन	-	1.29	-	(15.26)	(79.67)	0.18	(1.44)	(2.50)	(0.13)	-	(4.47)	-	(3.87)	-	0.05	(105.82)
31 मार्च 2024 तक	**-**	**1,575.11**	**218.49**	**389.76**	**1,029.35**	**21.67**	**19.67**	**26.59**	**31.82**	**177.84**	**392.93**	**237.03**	**15.87**	**444.65**	**0.20**	**4,580.98**
निवल वहन राशि																
31 मार्च 2024 तक	**6.92**	**7 ,521.73**	**165.69**	**1,035.87**	**2,026.43**	**23.51**	**15.82**	**17.66**	**23.61**	**234.63**	**486.18**	**1,520.11**	**20.19**	**679.71**	**1.23**	**13,779.29**
31 मार्च, 2023 तक	7.09	6,891.70	202.14	888.86	1,685.87	18.58	18.20	18.66	13.68	263.21	400.12	,262.89	18.27	753.24	0.45	12,442.96

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.1: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

2. कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि को भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण की अधिसूचना के आधार पर पूंजीकृत किया गया है, जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान/मुआवजा रोल निर्धारित किया गया है और मंजूरी आदेश के बाद पूंजीकरण को समायोजित किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, ओड़िशा सरकार भूमि बंदोबस्त अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहित भूमि को राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कब्जे के आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

3. टिप्पणी 2.8 में उल्लिखित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। हालांकि, परिसंपत्ति के एक अलग वर्ग के भीतर एम्बेडेड कतिपय परिसंपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन के पूरा होने तक, इन परिसंपत्तियों पर संपत्तियों के गैर-पृथक वर्ग के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

4. भूमि सुधार/साइट बहाली लागत में अनुमानित लागत शामिल है जो खान बंद होने के चरण में मुद्रास्फीति (5% प्रतिवर्ष) के लिए विधिवत रूप से बढ़ी है और फिर 8% छूट दर पर छूट दी गई है जो उचित मूल्य और जोखिम की वर्तमान बाजार दर को दर्शाती है।

3.1.4. संचित हानि में उतार-चढ़ाव

1 अप्रैल, 2022 तक	-	-	-	0.23	0.19	-	0.01	-	-	-	2.95	19.40	-	-	22.78
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	1.17	(0.11)	-	(0.01)	-	-	-	(0.04)	1.64	-	-	2.65
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.68)	-	-	(1.68)
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	1.40	0.08	-	-	-	-	-	2.91	19.36	-	-	23.75
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-	1.40	0.08	-	-	-	-	-	2.91	19.36	-	-	23.75
वर्ष के लिए शुल्क												0.38			0.38
विलोपन/समायोजन												(3.87)			(3.87)
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	1.40	0.08	-	-	-	-	-	2.91	15.87	-	-	20.26

3.1.5. अन्य में ₹1.43 करोड़ की सौर परियोजना (सकल वहन) शामिल है।

3.1.6. सीआईएल से प्रसारित दिनांक 17.04.2017 की समिति की सिफारिश के अनुसार घटक लेखांकन का पालन किया जा रहा है।

3.17 भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार नोट 9.1 में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्संरचना के परिणामी प्रभाव के लिए टिप्पणी 16 (9) देखें।

3.1.8 कंपनी ने चालू वर्ष या पिछले वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

टिप्पणी 3.2 : प्रगति पर पूंजीगत कार्य

(₹ करोड़ में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन अवसंरचना / विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
1 अप्रैल, 2022 तक	427.39	1,132.41	138.60	1,247.25	592.31	1.41	-	3,539.37
जोड़	100.05	553.38	137.46	489.00	319.82	184.91	-	1,784.62
पूंजीकरण/विलोपन	(213.09)	(51.96)	(16.77)	(311.59)	(0.52)	(1.88)	-	(595.81)
31 मार्च, 2023 तक	**314.35**	**1,633.83**	**259.29**	**1,424.66**	**911.61**	**184.44**	**-**	**4,728.18**
1 अप्रैल, 2023 तक	314.35	1,633.83	259.29	1,424.66	911.61	184.44	-	4,728.18
जोड़	163.92	495.61	277.97	527.78	44.82	110.14	-	1,620.24
पूंजीकरण/विलोपन	(104.54)	(80.35)	(11.20)	(927.73)	(254.64)	-	-	(1,378.46)
31 मार्च 2024 तक	**373.73**	**2,049.09**	**526.06**	**1,024.71**	**701.79**	**294.58**	**-**	**4,969.96**
संचित हानि								
1 अप्रैल, 2022 तक	3.41	12.88	0.12	98.37	-	-	-	114.78
वर्ष के लिए शुल्क	12.72	-	-	0.24	-	-	-	12.96
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	**16.13**	**12.88**	**0.12**	**98.61**	**-**	**-**	**-**	**127.74**
1 अप्रैल, 2023 तक	16.13	12.88	0.12	98.61	-	-	-	127.74
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	**16.13**	**12.88**	**0.12**	**98.61**	**-**	**-**	**-**	**127.74**
निवल वहन राशि								
31 मार्च 2024 तक	**357.60**	**2,036.21**	**525.94**	**926.10**	**701.79**	**294.58**	**-**	**4,842.22**
31 मार्च, 2023 तक	**298.22**	**1,620.95**	**259.17**	**1,326.05**	**911.61**	**184.44**	**-**	**4,600.44**

(क) पूंजीगत कार्य हेतु समय-सीमा अनुसूची :

	31.03.2024 तक प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि				
चल रही परियोजनाएं:	**एक वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	64.11	55.30	15.66	238.66	373.73
संयंत्र और उपकरण	122.93	325.74	1,043.42	557.00	2,049.09
रेलवे साइडिंग	271.01	9.29	3.94	241.82	526.06
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	153.52	91.49	175.60	556.19	976.80
रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन	0.89	73.40	22.05	605.45	701.79
सौर परियोजना	2.69	290.89	-	1.00	294.58
अन्य				-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग					-
अन्य खनन संरचना/विकास				47.91	47.91
कुल	**615.15**	**846.11**	**1,260.67**	**2,248.03**	**4,969.96**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

टिप्पणी 3.2 : प्रगति पर पूंजीगत कार्य (जारी)

	31.03.2023 तक प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि				
चल रही परियोजनाएं:	**एक वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	125.11	40.06	16.91	132.27	314.35
संयंत्र और उपकरण	334.81	537.69	97.60	663.73	1,633.83
रेलवे साइडिंग	x 96.43	18.24	72.39	72.23	259.29
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	680.03	468.88	83.42	94.09	1,326.42
रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन	115.89	675.56	67.71	52.45	911.61
सौर परियोजना	183.44	1.00			184.44
अन्य					-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग					-
अन्य खनन संरचना/विकास				98.24	98.24
कुल	**1,535.71**	**1,741.43**	**338.03**	**1,113.01**	**4,728.18**

किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की समय सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के आरंभिक वर्ष में किए गए व्यय के रूप में माना जाएगा।

2. वर्ष के दौरान निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर में समायोजन के लिए 3.5 के फुटनोट 2 का संदर्भ लें।

31.03.2024 तक पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) (सकल)

2. भौतिकप्रधानकार्यप्रगति हेतु अतिदेय (सकल):

	में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
चल रही परियोजनाएं:				
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)				
एमटी छात्रावास का विकास				
रामपुर में पीएंडएल डी.आई. पाइपलाइन	0.50	-		
कोल स्टॉक में गारलैंड ड्रेन और सेटिंग टैंक बनाना	0.36	-		
ओएसए कॉलोनी में मुख्य पाइपलाइन उपलब्ध कराना और बिछाना	-	0.14		
ओएसए कॉलोनी में मुख्य पाइपलाइन उपलब्ध कराना और बिछाना	-	0.14		
बसुंधरा में आरसीसी स्वागत द्वार	0.11	-		
सड़क	70.10	-		
928 क्वार्टर का निर्माण	15.42	-		
संयंत्र और उपकरण				
योजना, ई-एनआईटी और स्वचालित प्रदान करने के लिए अनुमान	0.24			
मैन राइडिंग सिस्टम के लिए 52 सेट गोलपोस्ट का निर्माण	0.01			

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

टिप्पणी 3.2 : प्रगति पर पूंजीगत कार्य (जारी)

प्रवेश पर स्वचालित आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर सिस्टम	2.74			
मैन राइडिंग की स्थापना के लिए ड्राइव हेड की रिकवरी	0.02			
भूमिगत खदान 2 की सफाई	0.11			
वेस्को ओएच लाइन को 33/11 सबस्टेशन से पोलिश फंडी में स्थानांतरित करना	0.46			
कुल्दा की व्हील वॉशिंग प्रणाली	0.74			
7 वेइब्रिज	1.71			
आरएलएस का निर्माण	303.43			
बेल्ट कन्वेयर और डिस्पैच द्वारा कोयला निकासी प्रणाली	2.34			
रेलवे साइडिंग				
बरपाली में 6 बल्ब के लिए रेल अवसंरचना				19.50
अन्य खनन संरचना/विकास				
पीजोमीटर निर्माण-सीएमपीडीआई	0.05	-	-	-
ओरिएंट माइन नंबर 03 के लिए एमडीओ दस्तावेज़	0.14	-	-	-
एनआईटी-183- 05 स्टॉपिंग सेक्शन का निर्माण	0.35	-	-	-
एनआईटी-186- 10 स्टॉपिंग सेक्शन का निर्माण	0.43	-	-	-
17 सेक्शन स्टॉपिंग्स का गठन	0.51	-	-	-
ओसी -1 और 2 पर 03 एयर क्रॉसिंग का निर्माण	0.20	-	-	-
04 आर सी सी विस्फोट रोधी आइसोल का निर्माण	0.09	-	-	-
ओसी 1 और 2 पर 10 ईंट के खंभों का निर्माण	0.06	-	-	-
भूमिगत्त गैलरी ओसी 1&2 की सफाई का काम	0.04	-	-	-
एचआर सेक्शन IV में सीम बोर होल की ड्रिलिंग	0.07	-	-	-
एचआर सेक्शन IV में सीम बोर होल की ड्रिलिंग	0.01	-	-	-
ओरिएंट-सीएमपीडीआई में पीजोमीटर का निर्माण	0.03	-	-	-
बांकीबहाल से बेधाबहाल तक सड़क	433.60	-	-	-
आंतरिक कुल्दा गर्जनबहाल ओसीपीके लिए सीएमपीडीआईएल	-	15.88	-	-
बसुंधरा पश्चिम विस्तार ओसीपी की पीआर तैयारी लागत	-	-	-	8.70
परियोजना का नाम				
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर				
परियोजना का नाम				
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:				
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)				
परियोजना का नाम				
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
परियोजना का नाम				
अन्य शीर्ष..				
परियोजना का नाम				
कुल	**833.86**	**16.16**	**-**	**28.20**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.3: अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल, 2022 तक	101.88
अतिरिक्त	11.86
पीपीई/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में स्थानांतरण/हटाना	18.31
31 मार्च, 2023 तक	132.05
1 अप्रैल, 2023 तक	132.05
अतिरिक्त	21.97
पीपीई में स्थानांतरण/प्रगति में पूंजीगत कार्य/हटाना	(2.27)
31 मार्च 2024 तक	151.75
संचित हानि	
1 अप्रैल, 2022 तक	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च, 2023 तक	-
1 अप्रैल, 2023 तक	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च 2024 तक	-
निवल वहन राशि	
31 मार्च 2024 तक	151.75
31 मार्च, 2023 तक	132.05

अन्वेषण और मूल्यांकन

1. समय सीमा वृद्धि अनुसूची अन्वेषण और मूल्यांकन (सकल)

	31.03.2024 तक अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन	21.96	11.86	40.48	77.45	151.75
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
कुल	**21.96**	**11.86**	**40.48**	**77.45**	**151.75**

	31.03.2023 तक अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन	22.40	35.73	4.74	69.19	132.05
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
कुल	**22.40**	**35.73**	**4.74**	**69.19**	**132.05**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.3: अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (जारी)

2. अतिदेय सामग्री अन्वेषण और मूल्यांकन

	में पूरा किया जाना है				
	एक वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगति पर परियोजनाएं:					
हेमगिरी सेक्टर-1	-	-	-	5.79	5.79
मधुपुर	-	-	-	5.22	5.22
प्रजापारा	-	-	-	2.02	2.02
बैतरणी	-	-	-	0.01	0.01
गौतमधारा	-	-	-	0.01	0.01
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	13.05	13.05

किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की समय सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के आरंभ के वर्ष में किया गया व्यय माना जाएगा।

टिप्पणी 3.4: अमूर्त संपत्ति

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	**अमूर्त अन्वेषणात्मक परिसंपत्तियाँ**	**रेल कॉरिडोर 2**	**अन्य**	**कुल**
निवल वहन राशि:					
1 अप्रैल, 2022 तक	2.53	4.57	-	-	7.10
जोड़	20.15	-	-	-	20.15
विलोपन /समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	22.68	4.57	-	-	27.25
1 अप्रैल, 2023 तक	22.68	4.57	-	-	27.25
जोड़	0.04	-	252.96	-	253.00
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	22.72	4.57	252.96	-	280.25
संचित परिशोधन					
1 अप्रैल, 2022 तक	0.73	-	-	-	0.73
वर्ष के लिए शुल्क	3.76	-	-	-	3.76
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	4.49	-	-	-	4.49
1 अप्रैल, 2023 तक	4.49	-	-	-	4.49
अवधि के लिए शुल्क	4.05	-	11.94	-	15.99
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	8.54	-	11.94	-	20.48
निवल वहन राशि					
31 मार्च 2024 तक	14.18	4.57	241.02	-	259.77
31 मार्च, 2023 तक	18.19	4.57	-	-	22.76

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.4: अमूर्त संपत्ति (जारी)

3.4.1. संचित हानि में संचलन					
1 अप्रैल, 2022 तक	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-	-	-
अवधि के लिए शुल्क					-
विलोपन/समायोजन					-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-

3.4.2. एमसीएल की सहायक कंपनी एमसीआरएल के मामले में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से प्राप्त राय के मद्देनजर, रेल कॉरिडोर जो कि कैपिटल डब्ल्यूआईपी का हिस्सा था, को इस वर्ष से अमूर्त संपत्ति माना गया है। तदनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसी संपत्ति का वहन मूल्य ₹ 243.96 करोड़ था, जिसे वहां से स्थानांतरित कर दिया गया है और अमूर्त संपत्ति के तहत रेल कॉरिडोर के रूप में दर्ज किया गया है।

टिप्पणी 3.5 : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	ईआरपी विकासाधीन	रेल कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है1	कुल
वहन राशि:			
1 अप्रैल, 2022 तक	6.35	-	6.35
जोड़	13.46	-	13.46
पूंजीकरण/विलोपन	(19.81)	-	(19.81)
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-
जोड़	-	0.33	0.33
पूंजीकरण/विलोपन	-	23.84	23.84
31 मार्च 2024 तक	-	24.17	24.17
संचित हानि			
1 अप्रैल, 2022 तक	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-
निवल वहन राशि			
31 मार्च 2024 तक	-	24.17	24.17
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-

1. एमसीएल की सहायक कंपनियों एमसीआरएल के मामले में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से प्राप्त राय के मद्देनजर, रेल कॉरिडोर जो कि पूंजीगत कार्य प्रगति का हिस्सा था, को इस वर्ष से निर्माणधीन अमूर्त संपत्ति माना गया है। तदनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसी संपत्ति का वहन मूल्य ₹23.84 करोड़ था, जिसे वहां से स्थानांतरित कर दिया गया है और इसे विकासधीन अमूर्त संपत्ति के तहत निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर के रूप में दर्ज किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.4: अमूर्त संपत्ति (जारी)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

1. विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों की समय सीमा वृद्धि अनुसूची

	31.03.2024 तक विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
ईआरपी विकासाधीन	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर विकासाधीन	-	24.17	-	-	**24.17**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	
कुल	-		-	-	**24.17**

	31.03.2023 तक विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि (पुनः कथित)				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
ईआरपी विकासाधीन	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर विकासाधीन	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	
कुल	-	-	-	-	-

2. विकास के अंतर्गत अतिदेय भौतिक अमूर्त संपत्तियां

	में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
ईआरपी विकासाधीन				
कुल	-	-	-	-

किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की समय सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के आरंभ के वर्ष में किया गया व्यय माना जाएगा।

टिप्पणियाँ - 4.1 : निवेश

(₹ करोड़ में)

	होल्डिंग का %	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर चालू			
सहकारी शेयरों में निवेश (अउद्धृत)		-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)		-	-
कुल		-	-

चालू			31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
म्यूचुअल फंड (उद्धृत)	**इकाई**	**एनएवी (₹)**		
एसबीआई म्यूचुअल फंड - अल्ट्रा मैग्नम	1907056.26 (P.Y.1645893.141)	5542.058 (P.Y.5158.42)	1,056.90	849.02
एसबीआई म्यूचुअल फंड - लिक्विड फंड	380824.884 (P.Y.521659.375)	3779.282 (P.Y.3523.30)	143.93	183.80
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड	537.456 (P.Y.32116.777)	2893.527 (P.Y.2696.71)	0.16	8.66

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ - 4.1 : निवेश (जारी)

यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड	55462.152 (P.Y.26531.082)	2328.516 (P.Y.2169.45)	12.91	5.76
बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड	1366.305 (P.Y.87221.661)	2784.781 (P.Y.2595.47)	0.38	22.64
			1,214.28	1,069.88
अन्य				
अन्य (सुरक्षित बांड में निवेश- उद्धृत)			-	-
कुल			**1,214.28**	**1,069.88**

4.1.1 उद्धृत/अउद्धृत निवेश के बाजार मूल्य का विवरण

	गैर चालू		चालू	
	31.03.2024 तक	**31.03.2023 तक**	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
अउद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेश का कुल योग:	-	-	1,214.28	1,069.88
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:	-	-	1,214.28	1,069.88
निवेश के मूल्य में कुल हानि राशि:	-	-	-	-

टिप्पणी- 4.2 : ऋण

	31.03.2024 तक	**31.03.2023 तक**
गैर चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- क्रेडिट खराब	-	-
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कार्पोरेट और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	1.67	1.20
- असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय	-	-
- ऋण खराब	-	-
	1.67	**1.20**
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
	1.67	**1.20**
ब्याज रहित अग्रिम पर आस्थगित परिसंपत्ति	-	-
कुल	**1.67**	**1.20**
चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- ऋण खराब	-	-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 4.2 : ऋण (जारी)

	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	
	-	-
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण		
कार्पोरेट और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	0.01
- असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- ऋण खराब	-	-
	-	**0.01**
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
कुल	**-**	**0.01**

4.2.1 संदिग्ध ऋण शेष के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (चालू और गैर-चालू)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त
अवधि के दौरान उपयोग की गई
अवधि के अंत में शेष राशि

4.2.2 संबंधित पक्षों को ऋण के लिए - टिप्पणी 16 - (2)(vii) देखें

टिप्पणी - 4.3: व्यापार प्राप्य

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
सुरक्षित माना जाता	13.68	-
असुरक्षित को अच्छा माना जाता	2,146.61	1,636.92
ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
ऋण ख़राब	105.94	42.80
	2,266.23	1,679.72
घटाव : अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता4.3.1	105.94	42.80
कुल	**2,160.29**	**1,636.92**

4.3.1 समूह ने व्यापार प्राप्तियों के ऋण घाटे के लिए भत्ता निर्धारित करने में प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि भत्ते की गणना करके व्यावहारिक सुविधा का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव और भविष्य की जानकारी को ध्यान में रखता है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ता देय प्राप्तियों की आयु और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष	42.80	22.90
अवधि के दौरान निर्धारण	63.86	22.36
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	(0.72)	(2.46)
अवधि के अंत में शेष राशि	**105.94**	**42.80**

4.3.2 निदेशकों से बकाया के लिए - टिप्पणी 16- (2)(vii) देखें

4.3.3 उपरोक्त व्यापार प्राप्य राशि में कोयला गुणवत्ता भिन्नता और अतिरिक्त सतही नमी के लिए प्रावधान के कारण ₹ 100.11 करोड़ की कमी हुई है (पिछले वर्ष में ₹ 17.40 करोड़ की कमी हुई है)

4.3.4 उपरोक्त व्यापार प्राप्य में अनुमानित पीआई और मुआवजा राशि ₹263.04 करोड़ शामिल है। (गत्त वर्ष ₹208.38 करोड़) सुरक्षित राशि के तहत प्रकटित व्यापार प्राप्य राशि ₹13.68 करोड़ महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के देनदारों से संबंधित है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.3: व्यापार प्राप्य (जारी)

4.3.5. व्यापार प्राप्य समय सीमा निर्धारण अनुसूची

31.03.2024 तक

विवरण	बिल न किए गए बकाया	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
		6 महीने से कम	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - अच्छा माना जाता है	263.04	1,149.40	544.62	197.28	3.64	0.03	2,158.01
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण हानि						17.62	17.62
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - अच्छा माना जाता है						2.28	2.28
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण हानि						88.32	88.32
कुल	**263.04**	**1,149.40**	**544.62**	**197.28**	**3.64**	**108.25**	**2,266.23**
डूबंत ऋण एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता						105.94	105.94
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.87%	4.67%

31.03.2023 तक

व्यापार प्राप्तियाँ समय सीमा निर्धारण अनुसूची	बिल न किए गए बकाया	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
विवरण		6 महीने से कम	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - अच्छा माना जाता है	208.38	1,216.42	126.08	3.57	47.51	15.47	1,617.43
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण हानि							-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - अच्छा माना जाता है		-	-	2.86	13.20	3.43	19.49
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण हानि					12.80	30.00	42.80
कुल	**208.38**	**1,216.42**	**126.08**	**6.43**	**73.51**	**48.90**	**1,679.72**
डूबंत ऋण एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता					12.80	30.00	42.80
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	0.00%	0.00%	0.00%	17.41%	61.35%	2.55%

टिप्पणी- 4.4 : नकदी और नकदी समकक्ष

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
बैंक में शेष		
-जमा खातों में	533.86	37.49
-चालू खातों में	132.15	69.45
भारत के बाहर बैंक बैलेंस	-	-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 4.4 : नकदी और नकदी समकक्ष (जारी)

प्राथमिक डीलरों के पास आईसीडी4.4.1	201.00	-
उपलब्ध चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प	-	-
उपलब्ध नकदी	-	-
भारत के बाहर उपलब्ध नकदी	-	-
अन्य 4.4.2	0.19	0.16
कुल	**867.20**	**107.10**

4.4.1 प्राथमिक डीलरों के पास आईसीडी प्राथमिक डीलरों द्वारा स्वीकार किए गए अंतर-कॉर्पोरेट जमा हैं, जिनकी मूल परिपक्वता निवेश की तारीख से 7 से 15 दिनों के बीच होती है।

4.4.2 अन्य में ई-खरीद खाता, जीईएम खाता, अग्रिम शेष शामिल हैं।

4.4.3 नकदी और नकदी समतुल्य में उपलब्ध नकदी, बैंक, स्वीप खाते और बैंकों में रखी गई सावधि जमाएं शामिल हैं, जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है।

टिप्पणी - 4.5 : अन्य बैंक शेष

	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
बैंक में शेष		
जमा खाते	12,022.64	17,991.57
जमा खाते (विशिष्ट उद्देश्यों के लिए 4.5.1)	11.54	13.51
TOTAL	**12,034.18**	**18,005.08**

4.5.1 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा राशि वे बैंक जमाराशियां हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई हैं/चिह्नित हैं तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हैं।

4.5.2 अन्य बैंक शेष में जमाराशियां शामिल हैं - विशिष्ट प्रयोजनों के लिए और बैंक जमाराशियां, जिनकी रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकदी में वसूली होने की उम्मीद है। - टिप्पणी 16 का पैरा 3(डी) देखें।

टिप्पणी - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर चालु		
सुरक्षा जमा राशि	52.38	44.33
घटाव : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता4.6.1	0.13	-
	52.25	**44.33**
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां 4.6.3	4.85	1.82
खदान बंद करने की योजना के तहत बैंक में जमा4.6.2	1,672.90	1,399.01
	1,677.75	**1,400.83**
वित्त पट्टा प्राप्तियाँ 4.6.4	-	-
अन्य जमा और प्राप्तियाँ	31.26	12.22
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्तियाँ के लिए भत्ता4.6.1	0.16	0.16
	31.10	**12.06**
कुल	**1,761.10**	**1,457.22**

चालु	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
सुरक्षा जमा राशि	-	-
घटाव : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता4.6.1	-	-
	-	-
होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता में शेष	5.12	-
घटाव: सहायक कंपनियों के पास संदिग्ध शेष राशि के लिए भत्ता	-	-
	5.12	-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (जारी)

आईआईसीएम के साथ शेष	0.01	-
अर्जित ब्याज	485.00	66.89
वित्त पट्टा प्राप्तियाँ 4.6.4	-	-
अन्य जमा और प्राप्तियाँ	355.62	375.74
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता 4.6.1	0.03	-
	355.59	375.74
कुल	**845.72**	**442.63**

4.6.1 खराब एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्तियाँ (चालू एवं गैर-चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष	0.16	0.16
अवधि के दौरान निर्धारण	0.16	-
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	**0.32**	**0.16**

4.6.2 4.6.2 खदान बंद करने की योजना के तहत बैंक में जमा राशि खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। एस्क्रो खाते में अर्जित ब्याज सहित जमा की गई कुल राशि का 50% तक दिशा-निर्देशों के अनुसार बंद करने की योजना की आवधिक जांच के अनुरूप हर पांच साल के बाद जारी किया जा सकता है। (साइट बहाली/खदान बंद करने के प्रावधान के लिए टिप्पणी 9.1 देखें)।

	31.03.2024 तक	**31.03.2023 तक**
एस्क्रो खाते में प्रारंभिक शेष राशि	1,399.01	1,250.98
जोड़: वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	194.28	103.83
जोड़: वर्ष के दौरान जमा किया गया ब्याज (टीडीएस घटाकर)	79.61	55.76
घटाव : वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	-	11.56
समापन तिथि पर एस्क्रो खाते में शेष राशि	**1,672.90**	**1,399.01**

4.6.3. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमाराशि वे बैंक जमाराशि हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई हैं/निर्धारित हैं तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हैं। टिप्पणी 16 के पैरा 3(डी) को देखें।

4.6.4 पट्टा

वित्त पट्टा

(i) पट्टा प्राप्तियाँ के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

विवरण	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
पट्टा आय	-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होती	-	-
कुल	**-**	**-**

(ii)पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:

विवरण	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**-**	**-**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (जारी)

परिचालन पट्टा

(iii) पट्टा प्राप्तियाँ के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

विवरण	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
पट्टा आय	-	-
परिवर्तनीय लीज़ भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं करती है	-	-
कुल	-	-

(iv) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:

विवरण	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

(v) 31.03.2024 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	**वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य**	**वर्ष / अवधि के दौरान वृद्धि**	**वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन**	**वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य**	**वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन**
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र एवं उपकरण	-	-	-	-	-
फ़र्निचर व फिक्सचर	-	-	-	-	-
वाहनों	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

(vi) 31.03.2023 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	**वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य**	**वर्ष / अवधि के दौरान वृद्धि**	**वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन**	**वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य**	**वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन**
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र एवं उपकरण	-	-	-	-	-
फ़र्निचर व फिक्सचर	-	-	-	-	-
वाहनों	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

4.6.6 निदेशकों से बकाया के लिए - टिप्पणी 16 - (2)(viii) देखें

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

नोट - 5.1 : इन्वेंटरी

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
कोयला (तैयार माल)	1,021.11	757.55
विकास परियोजनाओं में कोयला	-	-
घटाव : मूल्य में कमी के लिए प्रावधान 5.1.1		
	1,021.11	**757.55**
भंडार, स्पेयर्स और अन्य इन्वेंटरी (शुद्ध) 5.1.3	282.66	250.63
घटाव : धीमी गति से चलने वाली, गैर-चलती और अप्रचलित इन्वेंटरी के लिए प्रावधान 5.12	24.55	23.08
	258.11	**227.55**
कुल	**1,279.22**	**985.10**

5.1.1 मूल्य में कमी के लिए प्रावधान में बदलाव का ब्यौरा

वर्ष की शुरुआत में शेष	-	-
वर्ष के दौरान निर्धारित	-	-
वर्ष के दौरान अमान्य	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

5.1.2 स्टोर और स्पेयर की सूची में वे आइटम शामिल हैं जो धीमी गति से चलने वाले, गैर-चलने वाले और अप्रचलित की श्रेणियों में आते हैं। इन वस्तुओं के लिए कंपनी की नीति के अनुसार प्रावधानों को मान्यता दी जाती है। धीमी गति से चलने वाले, गैर-चलने वाले और अप्रचलित स्टोर, स्पेयर और अन्य इन्वेंट्री के लिए प्रावधानों में आंदोलन का विवरण:

वर्ष की शुरुआत में शेष	**23.08**	**24.10**
वर्ष के दौरान निर्धारित	3.22	2.79
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	(1.75)	(3.81)
वर्ष के अंत में शेष राशि	**24.55**	23.08

5.1.3 उपरोक्त अन्य सूची में कार्यशाला कार्य, स्टेशनरी, दवा, प्रेस कार्य आदि का स्टॉक शामिल है।

टिप्पणी - 6.1: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
अग्रिम पूंजी	2,233.22	1,286.93
घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता6.1.1	0.50	0.60
	2,232.72	**1,286.33**
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य जमा और अग्रिम	24.33	0.38
घटाव : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता6.1.1	-	-
	24.33	**0.38**
प्रगतिशील खदान बंद होने पर हुए व्यय 6.1.2	656.38	442.89
संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि	-	-
कुल	**2,913.43**	**1,729.60**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 6.1: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ (जारी)

6.1.1 खराब एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्तियाँ (गैर-चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष	0.60	0.60
वर्ष के दौरान निर्धारित	-	-
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	(0.10)	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-
	0.50	**0.60**

6.1.2 उपर्युक्त व्यय, खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त समवर्ती व्यय को दर्शाता है।

6.1.3 निदेशकों से बकाया के लिए - टिप्पणी 16 - (2)(vii) देखें

टिप्पणी - 6.2: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

	31.03.2024 तक	**31.03.2023 तक**
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	80.26	36.87
घटाव : संदिग्ध वैधानिक बकाया के लिए भत्ता6.2.1	-	-
	80.26	**36.87**
अन्य जमा और अग्रिम 6.2.2 और 6.2.3	2,199.13	2,005.94
घटाव: संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिम के लिए भत्ता6.2.1	5.92	6.09
	2,193.21	**1,999.85**
प्रगतिशील खदान बंद होने पर हुए व्यय 6.1.2	104.91	98.01
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्तियाँ 6.2.4	2,037.25	1,499.74
कुल	**4,415.63**	**3,634.47**

6.2.1 खराब एवं संदिग्ध अग्रिमों और जमाओं के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (चालू)

वर्ष की शुरुआत में शेष	6.09	6.10
वर्ष के दौरान निर्धारित	-	0.00
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	(0.17)	(0.01)
वर्ष के अंत में शेष राशि	**5.92**	6.09

6.2.2 इसमें विरोध के तहत जमा राशि और निपटाए गए मामलों के लिए अभी तक प्राप्त नहीं होने वाली रिफंड शामिल है:- आयकर ₹ 1589.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1591.66 करोड़), बिक्री कर ₹ 15.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 17.23 करोड़), सेवा कर ₹ 0.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.27 करोड़), केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹ 3.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.98 करोड़), जीएसटी ₹ 0.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य) और स्वच्छ ऊर्जा उपकर ₹ 10.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 10.00 करोड़)।

6.2.3 इसमें अतिरिक्त सीएसआर ₹ 19.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 119.33 करोड़) शामिल है

6.2.4 ₹ 2037.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1499.74 करोड़) की संचित राशि इनपुट सामग्री/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट को दर्शाती है जिसका उपयोग आउटपुट पर जीएसटी के विरुद्ध किया जा सकता है। यह संचय उलटे कर ढांचे के परिणामस्वरूप हुआ है।

6.2.5 निदेशकों से बकाया के लिए - टिप्पणी 16 - (2)(vii) देखें

टिप्पणी - 7.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

	31.03.2024 तक	**31.03.2023 तक**
अधिकृत पूंजी		
1,39,58,200 इक्विटी शेयर ₹ 1000/- प्रत्येक		775.82
20,41,800 10% संचयी मोचनीय वरीयता शेयर, प्रत्येक ₹ 1000/- (शीघ्र मोचन की शर्तों के अनुसार मोचन किया जाएगा)		204.18
जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी		
13236726 इक्विटी शेयर ₹1000/- प्रत्येक पूर्ण भुगतान किए गए		
(गत्त वर्ष 6618363 इक्विटी शेयर ₹1000/- प्रत्येक पूर्ण भुगतान किए गए)		
कुल	**1,323.67**	**661.84**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 7.1 : इक्विटी शेयर पूंजी (जारी)

7.1.1 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा कंपनी में रखे गए शेयर

शेयरधारकों का नाम		धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	अवधि के दौरान % परिवर्तन
कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसके नामिती	31.03.2024 तक	13236726	100.00	0.00%
	31.03.2023 तक	6618363	100.00	0.00%

* कंपनी में केवल एक प्रमोटर है जिसके पास 100% शेयर हैं

7.1.2 रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:-

विवरण	शेयर की संख्या		राशि
31.03.2019 तक शेष राशि	66,18,363		661.84
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-		-
31.03.2020 तक शेष राशि	66,18,363		661.84
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-		-
31.03.2021 तक शेष राशि	66,18,363		661.84
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-		-
31.03.2022 तक शेष राशि	66,18,363		661.84
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-		-
31.03.2023 तक शेष राशि	66,18,363		661.84
1:1 की दर से बोनस जारी	66,18,363		661.83
31.03.2024 तक शेष राशि	1,32,36,726		1,323.67

7.1.3 कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमान्य राशि के भुगतान के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

7.1.4 वर्ष के दौरान, कंपनी ने 1:1 की दर से 6618363 बोनस शेयर जारी किए थे, अर्थात प्रत्येक 01 पूर्णतः चुकता विद्यमान इक्विटी शेयरों के लिए ₹ 1000 अंकित मूल्य के 01 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर, जैसा कि दिनांक 07.11.2023 की ईजीएम में अनुमोदित किया गया था।

टिप्पणी - 7.2 : अन्य इक्विटी

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पूंजी मोचन रिजर्व	-	44.29
आरक्षित पूंजी	-	-
सामान्य आरक्षित	3,684.80	3,710.08
प्रतिधारित अर्जन	11,016.11	8,809.11
अन्य व्यापक आय जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
कुल	**14,700.91**	**12,563.48**

(ए) पूंजी मोचन रिजर्व

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष	44.29	44.29
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	(44.29)	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	**44.29**

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, पूंजी मोचन रिजर्व तब बनाया जाता है जब कंपनी अपने शेयर फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से खरीदती है, इस तरह खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि पूंजी मोचन रिजर्व में स्थानांतरित कर दी जाती है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 7.2 : अन्य इक्विटी

(ii) पूंजी मोचन रिजर्व का विवरण

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष
कुल	**0**	

(बी) पूंजी आरक्षित

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष	-	
अवधि के दौरान वृद्धि	-	
बोनस शेयर जारी करना	-	
अवधि के दौरान समायोजन	-	
वर्ष के अंत में शेष राशि	**-**	-

(सी) सामान्य आरक्षित

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष	3,710.08	3,036.32
अवधि के दौरान वृद्धि		
अवधि के दौरान समायोजन	(617.55)	
सामान्य आरक्षित से/में स्थानांतरण	592.27	673.76
सामान्य आरक्षित से/में स्थानांतरण	**3,684.80**	**3,710.08**

सामान्य रिज़र्व एक मुक्त रिज़र्व है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से/में लाभ स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

(घ) (i) प्रतिधारित आय

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि (iii)	8,862.34	4,503.17
अवधि के लिए लाभ	11,841.37	13,457.93
अंतरिम लाभांश	(7,500.00)	(7,400.00)
अंतिम लाभांश	(1,500.00)	(1,025.00)
वर्ष के दौरान समायोजन		-
सामान्य आरक्षित में स्थानांतरण	(592.27)	(673.76)
अवधि के अंत में शेष राशि	**11,111.44**	**8,862.34**

(घ) (ii) अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (i)

वर्ष की शुरुआत में शेष	(53.23)	(98.49)
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	(42.10)	45.26
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन		-
अवधि के अंत में शेष राशि	**(95.33)**	**(53.23)**
कुल (d(i) + (ii))	**11,016.11**	**8,809.11**

(i) परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि) शामिल है (कर के बाद शुद्ध)

(ii) प्रतिधारित आय समूह द्वारा आज तक अर्जित संचित लाभ और हानि है, जो विनियोजनों को घटाकर प्राप्त की गई है।

(iii) भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार नोट 9.1 में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्संरचना के परिणामी प्रभाव के लिए नोट 16 (2) (9) देखें।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 7.2 : अन्य इक्विटी (जारी)

(ई) अन्य व्यापक आय की मदें

(अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय मतभेद		
वर्ष की शुरुआत में शेष	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

टिप्पणी - 7.3 : गैर-नियंत्रित ब्याज

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष	68.62	68.42
अवधि के लिए लाभ का हिस्सा	0.18	0.20
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय का हिस्सा	-	-
ब्याज के अधिग्रहण/निपटान एवं अन्य समायोजनों से उत्पन्न अतिरिक्त गैर-नियंत्रण ब्याज	84.50	-
गैर-नियंत्रक ब्याज को दिया गया लाभांश	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	**153.30**	**68.62**

टिप्पणी - 8.1 : उधार	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर चालू		
सावधि ऋण		
बैंकों से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
दूसरों से8.1.1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	3.28	3.92
	3.28	**3.92**
चालू		
बैंकों से		
सुरक्षित		
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
बैंकों से अन्य ऋण	-	-
दूसरों से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता8.1.1	0.67	0.66
	0.67	**0.66**

8.1.1 निदेशकों और अन्य लोगों द्वारा गारंटीकृत ऋण:

ऋण का विवरण	राशि करोड़ रुपये में	गारंटी की प्रकृति
बैंक नेशनले डे पेरिस और नैटेक्सिस बैंक, फ्रांस	3.28	भारत सरकार ने हमारे सभी भुगतान दायित्वों के संबंध में अपरिवर्तनीय और बिना शर्त गारंटी प्रदान की।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.1 : उधार (जारी)

बैंक नेशनले डी पेरिस और नेटेक्सिस बैंक, फ्रांस के संबंध में ₹ 0.67 करोड़ (प्राईवेट वर्ष ₹ 0.66 करोड़) के दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता भी उपरोक्तानुसार गारंटीकृत है।

पुनर्भुगतान अनुसूची: बैंक नेशनले डी पेरिस और नेटेक्सिस बैंक, फ्रांस: इन ऋण सुविधाओं के तहत पुनर्भुगतान 30 सितंबर, 2030 को पूरा हो जाएगा।

31.03.2024 तक एमसीएल के पास कोई बैंक ऋण नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों की ओर से, भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ के साथ ₹ 430.00 करोड़ की कार्यशील पूंजी ऋण सीमा के लिए एक कार्यशील पूंजी संघ समझौता किया है। कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के बैंक उधार को बैंकों के संघ के भीतर सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के कोयले, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स के स्टॉक और बुक ऋणों के खिलाफ एक चार्ज बनाकर सुरक्षित किया गया है।

टिप्पणी - 8.2: पट्टा देयताएं

गैर - चालू	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
वर्ष की शुरुआत में शेष	2.35	2.29
इस अवधि के दौरान परिवर्धन		
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	0.30	0.19
पट्टा देयताओं का भुगतान	(0.18)	(0.13)
अवधि के समापन पर शेष राशि	**2.47**	**2.35**

चालू		
वर्ष की शुरुआत में शेष	-	-
इस अवधि के दौरान परिवर्धन	-	-
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	-	-
पट्टा देयताओं का भुगतान	-	-
अवधि के समापन पर शेष राशि	-	-

8.2.1 बिना छूट के आधार पर पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण (गैर-चालू और चालू):

विवरण	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
1 वर्ष तक	0.18	0.18
1-5 वर्ष	0.71	0.71
5 वर्ष से अधिक	13.46	15.83

8.2.2 31.03.2024 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	**वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य**	**अवधि के दौरान वृद्धि**	**अवधि के दौरान विलोपन**	**अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य**	**अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन**
भूमि	2.13			1.97	0.16
इमारत					
संयंत्र एवं उपकरण					
फ़र्निचर व फिक्सचर					
वाहनों					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
अमूर्त संपत्ति					

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.2: पट्टा देयताएं (जारी)

31.03.2023 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन					
विवरण	**वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य**	**अवधि के दौरान वृद्धि**	**अवधि के दौरान विलोपन**	**अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य**	**अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन**
भूमि	2.23			2.13	0.10
इमारत					
संयंत्र एवं उपकरण					
फ़र्निचर व फिक्सचर					
वाहनों					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
अमूर्त संपत्ति					

लीज़ की शर्तों पर व्यक्तिगत आधार पर बातचीत की जाती है और इसमें कई तरह के अलग-अलग नियम और शर्तें शामिल होती हैं। प्रत्येक लीज़ में आम तौर पर एक प्रतिबंध लगाया जाता है कि, जब तक कंपनी के पास किसी अन्य पक्ष को संपत्ति को सबलेट करने का अनुबंधात्मक अधिकार न हो, उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति का उपयोग केवल कंपनी द्वारा ही किया जा सकता है।

अल्पकालिक लीज़ और कम मूल्य वाली अंतर्निहित संपत्तियों के लीज़ के अपवाद के साथ, प्रत्येक लीज़ बैलेंस शीट पर उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और लीज़ देयता के रूप में दिखाई देती है। अल्पकालिक लीज़ और कम मूल्य वाली लीज़ के लिए किए गए भुगतान को लीज़ अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर व्यय किया जाता है।

कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाओं में दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के तहत उपयोग के लिए समर्पित परिसंपत्तियां शामिल हैं, जैसा कि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

8.2.3 लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियाँ

विवरण	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	0.16	0.10
पट्टे की देनदारियों पर ब्याज व्यय	0.30	0.19
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय		
बिक्री और लीजबैक लेनदेन से होने वाला लाभ या हानि		
	0.46	**0.29**

8.2.4 नकदी प्रवाह विवरण में पट्टों के लिए कुल नकदी प्रवाह का खुलासा

विवरण	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
वित्तीय पट्टा देनदारियों का भुगतान	(0.18)	(0.13)
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकद निकासी		
	(0.18)	**(0.13)**

टिप्पणी - 8.3 : व्यापार देयताएं	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया बकाया	24.02	2.23
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया बकाया	1,547.30	1,589.38
कुल	**1,571.32**	**1,591.61**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.3 : व्यापार देयताएं (जारी)

8.3.1 व्यापार देयताएं समय वृद्धि अनुसूची

31.03.2024 तक

	बिल न किए गए बकाया	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
विवरण		**एक वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
i) एमएसएमई	-	24.02	-	-	-	24.02
ii) अन्य	1,116.70	245.26	-	164.33	21.01	1,547.30
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
iv) विवादित बकाया -अन्य	-	-	-	-	-	-
v) बिल न किया गया बकाया	-	-	-	-	-	-
कुल		**269.28**	**-**	**164.33**	**21.01**	**1,571.32**

31.03.2023 तक

	बिल न किए गए बकाया	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
विवरण		**एक वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
i) एमएसएमई	-	2.23	-	-	-	2.23
ii) अन्य	985.74	376.93	182.84	24.44	19.43	1,589.38
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
iv) विवादित बकाया -अन्य	-	-	-	-	-	-
v) बिल न किया गया बकाया	-	-	-	-	-	-
कुल		**379.16**	**182.84**	**24.44**	**19.43**	**1,591.61**

टिप्पणी - 8.4 : अन्य वित्तीय देयताएं	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
गैर चालू		
सुरक्षा जमा	690.85	842.16
अन्य	-	-
कुल	**690.85**	**842.16**
चालू		
सीआईएल के साथ चालू खाता	0.00	19.73
आईआईसीएम का चालू खाता	-	-
सुरक्षा जमा	301.68	153.71
बयाना राशि	81.46	64.52
पूंजीगत व्यय के लिए देय	3,986.51	3,342.89
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	387.13	295.28
अन्य	291.58	384.10
कुल	**5,048.36**	**4,260.23**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 9.1 : प्रावधान	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	0.00	-
छुट्टी नकदीकरण	29.06	16.68
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	63.05	58.97
अन्य कर्मचारी लाभ	25.27	26.94
	117.38	**102.59**
अन्य प्रावधान		
साइट बहाली/खदान बंद करना9.1.3	836.33	1,028.35
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन9.1.2	17,902.97	18,301.46
अन्य	-	-
कुल	**18,856.68**	**19,432.40**
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	34.42	-
छुट्टी नकदीकरण	49.77	40.51
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	13.60	11.58
अन्य कर्मचारी लाभ9.1.4	453.67	1,216.10
	551.46	**1,268.19**
साइट बहाली/ खदान बंद करना	-	
अन्य प्रावधान		
अन्य	267.57	241.41
कुल	**819.03**	**1,509.60**

9.1.1 प्रावधानों में परिवर्तन का विवरण (चालू और गैर-चालू)

भारतीय लेखा मानक-37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, जो बीमांकिक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं।

	वर्ष की शुरुआत में शेष	इस अवधि के दौरान प्रभारित	अवधि के दौरान उपयोग किए जाने वाला	अवधि के अंत में शेष
अन्य कर्मचारी लाभ	1,243.04	515.99	(1,280.09)	478.94
अन्य	241.41	26.16	-	267.57

9.1.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (चालू और गैर-चालू) में गतिविधि का विवरण

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
(i) अनुपात भिन्नता आरक्षित		
वर्ष की शुरुआत में राशि	**18,301.46**	**18,547.88**
वर्ष के दौरान प्रतिवर्ती	(398.49)	(246.42)
वर्ष के अंत में शेष	**17,902.97**	**18,301.46**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 9.1 : प्रावधान (जारी)

(ii) भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्संरचना के लिए नोट 16 (2) (9) देखें।

9.1.3 साइट बहाली जीर्णोद्धार/खान बंद करने का प्रावधान भूमि सुधार और संरचनाओं को बंद करने के लिए समूह के दायित्व में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सतह और भूमिगत दोनों खानों पर खर्च करना शामिल है। आवश्यक कार्य करने के लिए भविष्य के नकद खर्च की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खदान को बंद करने, साइट की बहाली और डीकमिशनिंग के लिए दायित्व का अनुमान। अनुमोदित खान बंद करने की योजना के अनुसार खान बंद करने का खर्च प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्चों का अनुमान बढ़ाया जाता है, और फिर छूट दर (@8%) पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, जैसे कि प्रावधान की राशि अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक है। समय के साथ प्रावधान का मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट के प्रभाव में कमी ; वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त व्यय होता है । खान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए उपरोक्त दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। (नोट - 9 देखें)

भूमि के पुनरूद्धार/स्थल पुनर्स्थापन/खान बंद करने का मिलान :

	31.03.2024 तक	**31.03.2023 तक**
उद्घाटन तिथि पर साइट बहाली प्रावधान	1,028.35	957.52
साइट बहाली प्रावधान का जोड़	24.09	13.26
जोड: अवधि के दौरान लगाए गए प्रावधान की वापसी	67.75	69.13
घटाव: अवधि के दौरान निकासी	283.86	11.56
खदान बंद करने का प्रावधान	**836.33**	**1,028.35**

9.1.4 गैर-कार्यकारियों के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए-XI) के अनुसार, वेतन और मजदूरी के सभी तत्वों में वृद्धि के कुल प्रभाव पर विचार करते हुए पिछले वर्ष प्रति कर्मचारी (गैर-कार्यकारी) प्रति माह 19,100/- रुपये की दर से 804.45 करोड़ रुपये का अनुमानित प्रावधान किया गया था। हालाँकि, जून 2023 से एनसीडब्ल्यूए-XI को लागू किया गया है और वेतन संशोधित दर पर दिया जा रहा है। कुछ लंबित मामलों को छोड़कर कर्मचारियों को 31.03.24 को समाप्त वर्ष के दौरान बकाया वेतन का भी भुगतान किया गया है।

टिप्पणी - 10.1 : अन्य गैर- चालू देयताएं	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	111.25	125.15
अन्य	1.14	0.56
कुल	112.39	125.71

टिप्पणी - 10.2 : अन्य चालू देयताएं	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
वैधानिक शेष	1,465.23	1,409.60
ग्राहकों / अन्यों से अग्रिम	4,416.59	6,197.40
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	13.90	13.90
अन्य देनदारियां	-	-
कुल	5,895.72	7,620.90

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

नोट - 11.1 : कर संपत्ति/देयताएं

		31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
आयकर संपत्ति			
वर्ष की शुरुआत में शेष		15,775.60	9,900.24
अवधि के दौरान निर्धारण		4,513.58	5,875.36
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तन/वापसी		(566.76)	-
अवधि के अंत तक शेष		19,722.42	15,775.60
आयकर देयताएं			
वर्ष की शुरुआत में शेष		12,132.61	7,473.72
अवधि के दौरान निर्धारण	(Refer 14.1 & 15.1)	3,452.00	4,658.89
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तन/वापसी		(0.06)	-
अवधि के अंत तक शेष		15,584.55	12,132.61
अंत में निवल आयकर परिसंपत्ति/(देयताएं)		4,137.87	3,642.99
के रूप में व्यक्त:			
गैर चालू			
आयकर परिसंपत्तियां (निवल)		-	-
आयकर देयताएं (निवल)		-	-
चालू			
आयकर परिसंपत्तियां (निवल)		4,137.87	3,642.99
आयकर देयताएं (निवल)		-	-
		4,137.87	3,642.99

नोट- 11.2 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	01.04.23 तक शेष 11.2.1	**अवधि के दौरान लाभ और हानि में निर्धारण / (व्यक्त)**	**अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय में निर्धारण**	**31.03.2024 तक शेष**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां:				
संदिग्ध अग्रिम, दावे और ऋण के लिए प्रावधान	13.04	(0.02)		13.02
कर्मचारी हितलाभ	22.06	14.11		36.17
अन्य	27.52	0.74		28.26
कुल(A)	**62.62**	**14.83**	-	**77.45**
अस्तगित कर देयता:				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति से संबंधित	1,289.55	(19.41)		1,270.14

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

नोट- 11.2 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं (जारी)

अन्य	-	316.45		316.45
कुल (B)	**1,289.55**	**297.04**	**-**	**1,586.59**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (C= A-B)	(1,226.93)	(282.21)	-	(1,509.14)
"D. परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन DTL(+)/DTA(-)"	-			-
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)(E=C+D)	**(1,226.93)**	**(282.21)**	**-**	**(1,509.14)**

के रूप में व्यक्त:	**31.03.2024 तक**	**31.03.2023 तक**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
विलम्बित टैक्स देयता	**1,509.14**	**1,226.93**
	(1,509.14)	(1,226.93)

11.2.1 भारतीय मानक लेखांकन 8, 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और लुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार नोट 9.1 में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन पर आस्थगित कर प्रभाव के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्संरचना के लिए नोट 16 (8) देखें।

(₹ करोड़)

नोट - 12.1 : संचालन से राजस्व	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
विक्रय		
विक्रय	37,200.78	41,918.77
घटाव: वैधानिक शुल्क	13,391.36	14,094.22
बिक्री (शुद्ध) (ए) 12.1.1 और 12.1.2	23,809.42	27,824.55
अन्य परिचालन राजस्व		
रेत भंडारण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सब्सिडी	-	-
लदान और अतिरिक्त परिवहन शुल्क	2,261.60	2,200.11
घटाव : वैधानिक शुल्क	107.63	104.77
	2,153.97	2,095.34
निकासी सुविधा शुल्क	1,253.22	1,214.47
घटाव: वैधानिक शुल्क	59.63	57.83
	1,193.59	1,156.63
अन्य सेवाओं से राजस्व	26.14	0.42
घटाव: वैधानिक शुल्क	0.80	0.06
	25.34	0.36
अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध) (बी)	3,372.90	3,252.33
परिचालन से राजस्व (ए+बी)	27,182.32	31,076.88

12.1.1 उपरोक्त कोयले की बिक्री अनुमानित कोयला गुणवत्ता भिन्नता और सतही नमी के लिए प्रावधान (रिवर्सल के बाद शुद्ध) ₹82.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹130.62 करोड़ की कमी) से कम हुई है।

12.1.2 बिक्री में ₹340.80 करोड़ (पिछले वर्ष ₹211.34 करोड़) की अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त प्रदर्शन प्रोत्साहन (पीआई) और ₹317.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹297.83 करोड़) की अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त मुआवजा शामिल है।

12.1.3 सेवाओं से प्राप्त राजस्व में महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की ₹ 20.93 करोड़ की राशि शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 12.2 : अन्य आय	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय12.2.1	1,288.92	1,025.39
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	3.63	4.92
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	142.63	162.78
पट्टा किराया	3.15	8.13
प्रावधान वापस लिखा गया12.2.2	2.73	6.28
देयताएं वापस लिखी गईं	261.93	108.82
उचित मूल्य में परिवर्तन (शुद्ध)	28.77	(43.92)
विविध आय	224.23	315.84
कुल	**1,955.99**	**1,588.24**

12.2.1 आयकर एवं अन्य अप्रत्यक्ष कर रिफंड पर ब्याज शामिल है ₹ 18.02 करोड़ (पिछली अवधि शून्य, पी.वाई. शून्य)

12.2.2 प्रावधान का विवरण वापस लिखा गया

निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्तियाँ के लिए (4.3.1)	0.72	2.46
वित्तीय जमा और प्राप्तियाँ के लिए (4.6.1)	-	-
कोयला और भंडार सूची के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	1.75	3.81
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.1.1)	0.10	-
अन्य चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.2.1)	0.16	0.01
अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान	**2.73**	**6.28**

टिप्पणी - 13.1 : प्रयुक्त सामग्री की लागत	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	439.63	657.19
लकड़ी	0.18	0.32
तेल और स्नेहक	426.19	540.32
एचईएमएम स्पेयर्स	128.10	115.15
अन्य उपभोज्य स्टोर और पुर्जे	88.58	81.84
कुल	**1,082.68**	**1,394.82**

टिप्पणी - 13.1(a) :स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद

स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	-	-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

नोट - 13.2 : तैयार माल की सूची में परिवर्तन, प्रगतिशील कार्य और व्यापार भंडार	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले के भंडार में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	757.55	806.98
प्रारंभिक स्टॉक को राजस्व में लाया गया	-	
वर्ष के समापन पर स्टॉक	1,021.11	757.55
	(263.56)	49.43
वर्कशॉप और प्रेस जॉब्स की सूची में बदलाव		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	34.88	29.02
वर्ष के समापन पर स्टॉक	35.17	34.88
	(0.29)	(5.86)
कुल	**(263.85)**	**43.57**

टिप्पणी - 13.3 : कर्मचारी लाभ पर व्यय	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी 13.3.1 & 13.3.2	3,268.96	3,427.25
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	1,010.42	811.10
कर्मचारी कल्याण व्यय	271.76	275.26
कुल	**4,551.14**	**4,513.61**

13.3.1 13.3.1 वेतन एवं भत्ते में भत्ते, बोनस, प्रोत्साहन, कार्य निष्पादन संबंधी वेतन, ओवरटाइम वेतन और स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क आदि शामिल हैं।

13.3.2 गैर-कार्यकारियों के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (NCWA-XI) जून 2023 से लागू किया गया है, तथा वेतन संशोधित दर पर दिया जा रहा है। कुछ लंबित मामलों को छोड़कर 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान बकाया वेतन का भी भुगतान किया गया है। 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त प्रावधान ₹ 80.92 करोड़ था तथा 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 737.73 करोड़ था। नोट 9.1.4 देखें।

13.3.3 भारतीय मानक लेखांकन 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ से संबंधित लाभों को छोड़कर विभिन्न कर्मचारी लाभों के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में प्रकटीकरण, जो एक्चुरियल मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, नोट 9.1.1 में दिए गए हैं।

13.3.4 परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं के संबंध में भारतीय लेखा मानक लेखांकन 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण, जो एक्चुरियल मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, नोट 16 (6) में प्रकट किए गए हैं।

टिप्पणी - 13.4 : वित्तीय लागत	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज पर व्यय		
छूट की समाप्ति	66.80	81.08
उचित मूल्य में परिवर्तन (निवल)	-	
अन्य उधार लागत 13.4.1	1.20	0.04
कुल	**68.00**	**81.12**

13.4.1 इसमें उधार पर उपार्जित ब्याज (पिछले वर्ष की संगत अवधि ₹ निरंक, पिछले वर्ष ₹ निरंक) ₹ निरंक शामिल है

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

नोट- 13.5:मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1)	965.99	943.86
प्रगति पर पूंजीगत कार्य (नोट 3.2)	-	12.96
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (नोट 3.3)	-	-
अमूर्त संपत्तियां (नोट 3.4)	15.99	3.76
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (नोट 3.5)	-	-
	981.98	960.58
घटाव:		
कोयला खदानों के विकास के दौरान व्यय हेतु हस्तांतरित	2.99	24.94
कुल	**978.99**	**935.64**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने तकनीकी रूप से संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी कार्यकाल का मूल्यांकन और समीक्षा की है। लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के कारण, वर्ष के दौरान मूल्यह्रास/परिशोधन में ₹19.60 करोड़ की कमी आई है। भविष्य की अवधि में प्रभाव का खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि इसका अनुमान लगाना अव्यवहारिक है।

टिप्पणी - 13.6 : स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	0.00	-
अनुपात भिन्नता आरक्षित 13.6.2	(398.49)	(246.42)
कोयले तक बेहतर पहुंच	(419.54)	(496.06)
	(818.03)	(742.48)

13.6.1: अनुपात भिन्नता आरक्षित निधि: कंपनी की भौतिक लेखांकन नीति के अनुसार, जब भी प्रावधान/परिसंपत्ति के प्रतिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अनुपात भिन्नता आरक्षित निधि की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से प्रतिवर्तित किया जाता है।

13.6.2. 13.6.2. कोयले तक बेहतर विगमन (पहुंच): जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने से अधिक हटाए गए ओवरबर्डन के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है।

13.6.3. 13.6.3. भारतीय मानक लेखांकन 8, 'लेखा नीतियां, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय मानक लेखांकन 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्कथन के लिए नोट 16 (2) (9) देखें। नोट 9.1 भी देखें।

टिप्पणी - 13.7: संविदागत व्यय	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन शुल्क:	2,266.93	2,233.43
वैगन लदाई	91.38	92.88
संयंत्र एवं उपकरण भाड़ा पर लेना	3,066.37	2,970.71
अन्य संविदात्मक कार्य	437.03	122.99
कुल	**5,861.71**	**5,420.01**

टिप्पणी - 13.8 : अन्य व्यय	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली व्यय	180.33	164.60
मरम्मत और रखरखाव	-	
इमारत	160.77	149.99

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13.8 : अन्य व्यय (जारी)

संयंत्र एवं उपकरण	46.32	54.00
अन्य	2.75	1.51
यात्रा व्यय	27.63	25.21
प्रशिक्षण व्यय	5.53	8.30
टेलीफोन और इंटरनेट	30.77	24.86
विज्ञापन और प्रचार	15.68	7.95
माल ढुलाई शुल्क	-	-
विलंब शुल्क	2.88	6.83
अंडर लोडिंग शुल्क	87.12	86.81
कोयला नमूनाकरण शुल्क	49.01	63.28
सुरक्षा व्यय	127.64	122.03
कानूनी व्यय	7.42	6.26
सीआईएल का सेवा शुल्क	412.20	386.52
परामर्श शुल्क	2.27	2.80
सेवा शुल्क (सीएमपीडीआई)	40.69	27.83
संपत्तियों की बिक्री/त्याग/सर्वेक्षण पर हानि	0.05	0.12
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और व्यय		
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	0.24	0.23
कर मामलों के लिए	-	0.02
अन्य सेवाओं के लिए	0.17	0.17
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए।	0.09	0.05
आंतरिक और अन्य लेखा परीक्षा व्यय	3.28	2.85
पुनर्वास शुल्क	119.46	115.63
लीज किराया और किराये पर लेने का शुल्क	91.16	86.43
दरें और कर	154.60	428.72
बीमा	0.82	0.68
विनिमय दर भिन्नता पर हानि	0.04	0.28
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	8.25	4.99
साइडिंग रखरखाव शुल्क	44.59	50.93
अनुसंधान और विकास व्यय	0.05	-
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	46.94	39.35
शेयरों की पुनर्खरीद पर व्यय	-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	262.93	195.68
दान, पुरस्कार और अनुदान	0.20	70.89
प्रावधान13.8.1	67.24	25.15
बट्टे खाते में डालना (पिछले प्रावधानों का शुद्ध)		

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13.8 : अन्य व्यय (जारी)

सकल बट्टे खाते में डालना	0.02	0.67
बट्टे खाते में डालने पर पहले से मान्यता प्राप्त प्रावधानों का बट्टे खाते में डालना	(0.01)	
बट्टे खाते में डालना (पहले से मान्यता प्राप्त प्रावधानों का शुद्ध बट्टे खाते में डालना)	0.01	0.67
विविध व्यय	88.62	67.93
कुल	2,087.75	2,229.55

13.8.1 प्रावधानों का विवरण

निगम और कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्तियों के लिए (4.3.1)	63.86	22.36
वित्तीय जमा और प्राप्तियों के लिए (4.6.1)	0.16	-
कोयला और स्टोर इन्वेंटरी के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	3.22	2.79
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिमों के लिए (6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमा और अग्रिमों के लिए (6.2.1)	-	0.00
अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान	67.24	25.15

13.8.2 सीएसआर व्यय का अनुलग्नक

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार ब्यौरा (अतिरिक्त व्यय सहित):		
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	69.44	74.79
विशेष शिक्षा और रोजगार सहित व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना	33.98	55.77
लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	0.34	0.90
पर्यावरणीय स्थिरता	8.79	4.30
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	1.25	10.78
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों को लाभ	-	-
ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालम्पिक खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	14.80	11.40
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित कोष में योगदान	-	-
इनक्यूबेटर या अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में योगदान	-	0.18
विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में योगदान	3.12	-
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	27.30	48.38
स्लम क्षेत्र विकास	-	0.01
आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं	0.27	1.46
प्रशासनिक लागत	3.59	-
कुल	**162.88**	**207.97**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13.8 : अन्य व्यय (जारी)

B. आवश्यक सीएसआर व्यय और सीएसआर व्यय विवरण

(a) वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत होल्डिंग और अनुषंगी कंपनियों द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का 2%)	262.93	195.68
(b) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	162.88	207.97
(c) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	109.25	150.73
(ii) इसके अलावा अन्य उद्देश्यों पर (i) ऊपर	53.63	57.24
कुल	162.88	207.97
सी. चिन्हित सीएसआर व्यय और व्यय किए गए सीएसआर व्यय का मिलान	2023-24	2022-23
सीएसआर (खर्च सहित)	162.88	207.97
घटाव : वर्ष के दौरान आगे ले जाया गया अतिरिक्त/(उपयोग किया गया)	(100.05)	12.29
जोड़: चालू परियोजनाओं पर अप्रयुक्त सीएसआर व्यय		0
जोड़: चालू सीएसआर व्यय के अलावा अन्य पर खर्च न किया गया व्यय		0
पी.एंड.एल में मान्यता प्राप्त राशि		195.68
D. चालू परियोजना के अलावा अन्य अप्रयुक्त राशि [धारा 135(5)]	2023-24	2022-23
प्रारंभिक शेष		
6 माह के भीतर अनुसूची VII के विशिष्ट कोष में जमा किया जाना चाहिए		
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि		
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		

ई. अधिक व्यय की गई राशि [धारा 135(5)]

वर्षवार विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	जमा शेष
2021-22	36.90	181.62	251.76	107.04
2022-23	107.04	195.68	207.97	119.33
2023-24	119.33	262.93	162.88	19.28
Total				

अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अन्य अग्रिम और जमाराशियों के लिए फ़ुटनोट देखें

एफ. अव्ययित चालू परियोजना [धारा 135(6)] (वर्षवार)		2023-24	2022-23
प्रारंभिक शेष	कंपनी के साथ	-	-
	अलग सीएसआर खाते में	-	-
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि		-	-
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	कंपनियों के बैंक खाते से	-	-
	अलग सीएसआर खाते में	-	-
जमा शेष	कंपनी के साथ	-	-
	अलग सीएसआर खाते में	-	-

जी. सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान	2023-24
प्रारंभिक शेष	61.42
अवधि के दौरान वृद्धि	29.81
वर्ष के दौरान समायोजन	-61.42
समापन शेष	29.81

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 14.1 : कर व्यय (जारी)

टिप्पणी - 14.1 : कर व्यय	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
चालू वर्ष	3,466.15	4,643.67
पिछले वर्ष	0.01	
कुल चालू कर	3,466.16	4,643.67
आस्थगित कर 14.1.3	282.21	687.47
एमटी क्रेडिट पात्रता	-	
कुल	3,748.37	5,331.14

14.1.1 कर व्यय का समाधान:

कर से पहले लाभ/(हानि)	15589.92	18789.28
आयकर दर 25.168% (31.03.2023: 25.168%) पर	3,923.67	4,728.89
घटाएँ: छूट प्राप्त आय पर कर		13.39
जोड़ें: गैर-कटौती योग्य व्यय पर कर/(कर उद्देश्य के लिए अनुमत अतिरिक्त व्यय)	(175.31)	379.95
MAT प्रावधानों के तहत कर के लिए समायोजन	-	-
पिछले वर्ष के कर के लिए समायोजन	0.01	-
लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	**3,748.37**	**5,095.45**
प्रभावी आयकर दर:	**24.04%**	**27.12%**

14.1.2 वर्ष 2023-24 के दौरान, चालू वर्ष के कर व्यय में ₹ (240.27) करोड़ शामिल हैं, जो भारतीय लेखा मानक 8 'लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों' के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लेखांकन में परिवर्तन के कारण है। नोट 16(2)(9) देखें।

14.1.3 भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्कथन के परिणामी प्रभाव के लिए नोट 16 (2) (9) देखें। 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए पहले से रिपोर्ट किए गए आस्थगित कर ₹374.20 करोड़ को ₹313.27 करोड़ से पुनर्कथन किया गया है।

14.1.4 आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देनदारियों) के घटक के लिए टिप्पणी 11.2 देखें

टिप्पणी - 15.1 : अन्य व्यापक आय	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन1	(56.26)	60.48
	(56.26)	60.48
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	14.16	(15.22)
	14.16	(15.22)
वे वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	
विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर	-	-
	-	-
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
	-	-
कुल	**(42.10)**	**45.26**

15.1.1 यह आंकड़ा ग्रेच्युटी के लिए ₹ (53.02) करोड़ (वार्षिक वर्ष 55.68 करोड़) और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए ₹ (3.24) करोड़ (वार्षिक वर्ष ₹ 4.80 करोड़) को दर्शाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

1 क) आकस्मिक देयताएं

I. समूह के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

(₹ करोड़ में)

	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	अन्य	कुल
01.04.2023 तक प्रांभिक शेष	**9,084.22**	**4,540.95**	**-**	**202.32**	**13,827.49**
अवधि के दौरान वृद्धि	561.01	186.09	8.50	17.91	773.51
इस अवधि के दौरान निपटाए गए दावे:					
क. प्रारंभिक शेष राशि से	4,434.96	201.81		24.57	4,661.34
ख. अवधि के दौरान अतिरिक्त	-	16.42			16.42
31.03.2024 तक शेष जमा	**5,210.27**	**4,508.81**	**8.50**	**195.66**	**9,923.24**

(₹ करोड़ में)

	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	अन्य	कुल
01.04.2022 तक प्रांभिक शेष	8,662.71	4,695.98	1.13	286.02	13,645.84
अवधि के दौरान वृद्धि	3,235.91	79.51		20.89	3,336.31
इस अवधि के दौरान निपटाए गए दावे:					
क. प्रारंभिक शेष राशि से	2,814.27	234.54	1.13	100.52	3,150.46
ख. अवधि के दौरान अतिरिक्त	0.13			4.07	4.20
31.03.2023 तक शेष जमा	9,084.22	4,540.95	-	202.32	13,827.49

आकस्मिक देयता			
क्रम सं.	**विवरण**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
1	**केंद्र सरकार**		
	आयकर	4,878.98	7,729.85
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	270.00	328.14
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	26.68	505.04
	केंद्रीय बिक्री कर	-	-
	सेवा कर	5.19	141.86
	अन्य	29.42	379.33
	उप कुल	**5,210.27**	**9,084.22**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

2	**राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण**		
	रॉयल्टी	705.11	868.61
	पर्यावरण मंजूरी	2,915.04	2,915.04
	बिक्री कर/वैट	20.75	30.26
	प्रवेश कर	5.29	5.23
	बिजली शुल्क		-
	उप कुल	**862.62**	**721.81**
	उप कुल	**4,508.81**	**4,540.95**
3	**केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम**		
	मध्यस्थता कार्यवाही		-
	कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर	8.50	-
	अन्य (Please Specify)		-
	उप कुल	**8.50**	**-**
4	**अन्य : (यदि कोई हो)**		
	विविध - भूमि एवं अन्य	29.95	36.89
	मध्यस्थता, सिविल मुकदमे, कर्मचारी संबंधी आदि।	165.71	165.43
	उप कुल	**195.66**	**202.32**
	सकल जोड़	**9,923.24**	**13,827.49**

जहां प्रबंधन का प्रतिकूल दृष्टिकोण हो उन मामलों को छोड़कर, आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत मामलों के निपटान में किसी प्रकार की रुचि की अपेक्षा नहीं की जाती है।"

कंपनी के लंबित मुकदमे में कंपनी के विरुद्ध दावा और कर/सांविधिक/सरकारी अधिकारियों के समक्ष लंबित कार्यवाही शामिल है। कंपनी ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू हो, आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम से उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उपर्युक्त के संबंध में भविष्य के नकद बहिर्वाह न्याय/निर्णयों के परिणाम पर निर्भर हैं।

प्रकरण फाइल संख्या 21344/2017 के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अभियोगी को बकाया वेतन या मौद्रिक लाभ देने का निर्देश दिया गया है। हालाँकि, वास्तविक जानकारी की तत्काल उपलब्धता के अभाव में उचित देयता का यथार्थवादी अनुमान नहीं लगाया जा सका। इसलिए उस वित्तीय विवरणों की गणना नहीं लगाई जा सकी ।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ: आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली गतिविधियों से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की गतिविधियों के घटित होने या न होने से ही पुष्ट होगा जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान, कई अनसुलझे दावे वर्तमान में लंबित हैं। ऐसे दावों के संबंध में आर्थिक लाभ के प्रवाह को संबंधित घटनाओं और परिस्थितियों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता है।

II. गारंटी

31.03.2024 तक जारी बैंक गारंटी ₹ 618.67 करोड़ (प्र.वर्ष ₹ 614.33 करोड़) है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

III. साख पत्र

31.03.2024 तक बकाया साखा पत्र शून्य है (पिछला वर्ष शून्य था)।

b) प्रतिबद्धताओं

पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले और प्रावधान नहीं किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि: ₹ 4494.56 करोड़ (गत वर्ष ₹ 5608.57 करोड़) (अग्रिमों का निवल ₹ 2261.34 करोड़ (गत वर्ष ₹ 4390.27 करोड़)।

2 संबंधित पार्टी की जानकारी

a) समूह जानकारी

i) अनुषंगी कंपनियों

क्रमांक	इकाई का नाम	इकाई का नाम	मुख्य गतिविधियाँ	निगमन-राष्ट्र	
				31.03.2024	**31.03.2023**
1	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	70.00%	70.00%
2	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	60.00%	60.00%
3	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	विद्युत उत्पादन	भारत	100.00%	100.00%
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	रेल कॉरिडोर परियोजना का निर्माण और संचालन	भारत	71.11%	71.11%

ii) रोजगार उपरांत लाभ निधि और अन्य

क्रमांक	इकाई का नाम	प्रकृति	निगमन-राष्ट्र
1	एमसीएल कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी योजना ट्रस्ट फंड	ट्रस्ट	भारत
2	कोयला खान भविषय निधि (CMPF)	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में वैधानिक निकाय	भारत
3	कोल इंडिया सेवानिवृत्ति लाभ निधि ट्रस्ट	ट्रस्ट	भारत
4	गैर-कार्यकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना संशोधित	ट्रस्ट	भारत
5	सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट	ट्रस्ट	भारत

iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री उदय ए कावले	अध्यक्ष -सह-प्रबंध निदेशक	19.12.2023
श्री ओ.पी.सिंह	अध्यक्ष -सह-प्रबंध निदेशक	01.01.2022 - 31.10.2023
श्री ए.के.बेहुरा	निदेशक (वित्त)	01.08.2022
श्री जुगल कुमार बोरा	निदेशक (तकनीकी-योजना एवं परियोजना)	19.04.2022 - 01.06.2023 23.11.2022
श्री केशव राव	निदेशक (कार्मिक)	18.12.2019
श्री ए.एस.बापट	निदेशक (तकनीकी-योजना एवं परियोजना)	02.06.2023
श्री सोभाग्य परिडा	कंपनी सचिव	25.04.2022
श्री संजीव कुमार कस्सी	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	22.02.2023
श्री मुकेश चौधरी	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	27.01.2023
डॉ आशा लाकरा	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री दयाशंकर चंद्रशेखर तिवारी	स्वतंत्र निदेशक	30.05.2023
डॉ. राजेश कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	31.05.2023

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

एमएनएच शक्ति लिमिटेड

श्री जे. के. बोरा	अध्यक्ष	06.12.2021
सुश्री गीतिका आनंद	निदेशक	20.07.2023
श्री एस. सी. सुमन	निदेशक	08.06.2022
श्री ए. के. पांडे	निदेशक	16.04.2023
श्री ए. के. सिंह	निदेशक	16.01.2022
श्री एम.एस. शर्मा	सीईओ	09.01.2023
श्री एस. के. देबनाथ	सीएफओ	27.10.2022
श्री एम. तिवारी	सी एस	20.10.2022

एमजेएसजे कोल लिमिटेड

एमजेएसजे कोल लिमिटेड	अध्यक्ष	16.09.2022
श्री दीपांकर पांडा	निदेशक	22.07.2021
श्री वी. शिवरामकृष्ण	निदेशक	20.07.2023
श्री चन्द्र प्रकाश तातेड़	निदेशक	17.06.2019
श्री सुभाजित सरकार	निदेशक	22.07.2021
श्री अनुपम श्रीवास्तव	निदेशक	16.01.2022
श्री कृपाशंकर सिंह	निदेशक	18.04.2023
श्री मानस रंजन मिश्रा	सीएफओ	08.04.2022
श्री सौभाग्य परिड़ा	सी एस	25.04.2022

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

श्री केशव राव	अध्यक्ष	10.01.2020
श्री ए के पांडे	निदेशक	01.03.2023
श्री जी महापात्र	निदेशक	01.03.2023
श्री के.एस. सिंह	निदेशक	28.04.2022
श्री एस.के. भुइयां	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	16.03.2021

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

श्री केशव राव	अध्यक्ष	01.11.2023
श्री ए. के. बेहुरा	निदेशक	01.11.2023
श्री एस. के. सिन्हा	निदेशक	21.07.2023
श्री एस. के. सेठी	निदेशक	01.11.2023
श्रीमती रागिनी आडवाणी	निदेशक	21.07.2022
श्री पराग वर्मा	निदेशक	21.07.2023
श्री प्रियरंजन पाढ़ी	निदेशक	09.05.2022
श्री एस नायक	सीईओ	05.12.2021
श्री बी. के. परिड़ा	सीएफओ	01.04.2022
श्री एस. के. बेहरा	सी एस	28.06.2022

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

iv) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31.03.2024	31.03.2023
i)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ		
a.	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान	3.81	2.78
b.	स्वतंत्र निदेशकों को उपस्थिती की फीस	0.11	0.06
ii)	नौकरी के बाद मिलने वाले लाभ	0.59	0.45
iii)	अन्य दीर्घकालिक लाभ		
iv)	समाप्ति लाभ		-
v)	शेयर आधारित भुगतान		
	कुल	**4.51**	**3.29**

टिप्पणी:

उपरोक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम ब्यूरो के दिनांक 20.11.1964 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(18)/पीसी-64, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के प्रावधानों के अनुसार रियायती दर पर भुगतान करने पर 750 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कारों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

VII) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ शेष बकाया राशि (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
i)	देय राशि	-	-
ii)	प्राप्ति योग्य राशि	-	-

VIII) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां क्रमशः फर्मों या निजी कंपनियों से बकाया हैं जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है। इसके अलावा संबंधित पक्षों (निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य) को कोई ऋण नहीं है।

बी. समूह के भीतर संबंधित पक्ष लेनदेन

कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनियों के साथ लेनदेन किया है जिसमें शीर्ष प्रभार, पुनर्वास प्रभार, पट्टा किराया, सहायक कंपनियों द्वारा जमा किए गए धन पर ब्याज तथा चालू खाते के माध्यम से अन्य सहायक कंपनियों द्वारा या उनकी ओर से किए गए अन्य व्यय शामिल हैं।

भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के संबंध में निम्नलिखित खुलासे किए गए हैं:

i) सहायक कंपनियाँ

31.03.2024 तक बकाया शेष राशि और उस समय समाप्त अवधि के लिए लेनदेन (₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	प्रदत्त लाभांश	परिसंपत्तियों/ भंडार सामग्री/ कार्यशाला डेबिट की बिक्री	सहायक कंपनियों द्वारा जमा किये गये धन पर ब्याज	अन्य	चालू खाता शेष (देय) प्राप्तियाँ	बकाया शेष
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				(0.73)		(1.22)		
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड				0.04				
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				(16.04)				
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				0.27				
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				0.42		(3.67)		

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				0.28				
कोल इंडिया लिमिटेड			9,000.00				5.12	
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड					(2.12)		32.41	
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड*					(9.10)		50.47	
एमएनएच शक्ति लिमिटेड**					(0.11)		1.81	
एमजेएसजे कोल लिमिटेड					(0.38)		5.92	
	412.20	119.46	9,000.00	-15.76	(11.71)	(4.89)	95.73	31.78)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े शुद्ध आय या ऋण शेष को दर्शाते हैं।

अन्य में एसईसीएल के लिए - कार्यशाला मरम्मत शुल्क और ईसीएल के लिए - एलडीबीएम और सीआईटीएमसी शुल्क और कार्यशाला डेबिट शामिल हैं

ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल और एनसीएल कंपनी की सह-सहायक कंपनियां हैं

31.03.2023 तक बकाया शेष राशि और उस समय समाप्त अवधि के लिए लेनदेन (₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	प्रदत्त लाभांश	परिसंपत्तियों/ भंडार सामग्री की बिक्री	सहायक कंपनियों द्वारा जमा किये गये धन पर ब्याज	अन्य	चालू खाता शेष (देय) प्राप्तियाँ	बकाया शेष राशि
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				(0.07)		0.27		
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड				0.02				
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				0.55				
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				0.01				
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				2.13		(0.36)		
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				(0.36)				
कोल इंडिया लिमिटेड		115.63	8,425.00				(19.73)	
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड					(1.54)		29.78	
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड*					(10.91)		245.70	
एमएनएच शक्ति लिमिटेड**					(0.07)		1.40	
एमजेएसजे कोल लिमिटेड					(0.27)		5.23	
	386.52	115.63	8,425.00	2.28	(12.79)	(0.09)	262.38	(45.27)

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

c. सीएमपीडीआईएल के साथ लेनदेन (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	नोट नं.	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 22-23
	लाभ एवं हानि का विवरण			
1	पूंजीगत व्यय	3.1	15.94	23.85
2		3.2	39.12	45.56
3		3.3	4.63	-
4		3.4		-
5		3.5		-
6	सीएमपीडीआईएल व्यय	13.8	42.26	29.83
7	पर्यावरण व्यय	13.8	31.67	39.51
8	आंतरिक एवं अन्य लेखापरीक्षा व्यय	13.8	-	0.10
9	विविध व्यय	13.8	0.64	-
	तुलन पत्र			
1	पूंजीगत व्यय के लिए देय	20	5.46	13.96
2	व्यापार देनदारियां	19	26.32	31.31
3	बैलेंस शीट के अन्य शीर्ष			

घ. एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाएँ:

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) है जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है तथा इसके पास अधिकांश शेयर हैं (टिप्पणी -16 देखें)। सरकारी इकाई होने के कारण कंपनी को संबंधित पक्ष के लेन-देन तथा नियंत्रक सरकार और उसी सरकार के अधीन किसी अन्य इकाई के साथ बकाया शेष राशि के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है। निम्नलिखित लेन-देन उसी सरकार के नियंत्रण में आने वाली संस्थाओं के साथ समान मूल्य पर दर्ज किए गए हैं।

3 अन्य

a) अधिकृत पूंजी

	31.03.2024	31.03.2023
1,39,58,200 इक्विटी शेयर, प्रत्येक ₹ 1000/-	1395.82	775.82
20,41,800 10% संचयी मोचनीय वरीयता शेयर, प्रत्येक ₹ 1000/- (शीघ्र मोचन की शर्तों के अनुसार मोचन किया जाएगा)	204.18	204.18

b) एमसीएल प्राकृतिक संसाधन एवं ऊर्जा प्रबंधन संस्थान (एमआईएनआरईएम) का निर्माण

कंपनी ठेकेदार मेसर्स एनबीसीसी के माध्यम से 138.83 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अनुमानित कुल लागत के साथ एक संस्थान 'एमसीएल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी मैनेजमेंट (एमआईएनआरईएम), भुवनेश्वर' का निर्माण कर रही है। निर्माण कार्य रोक दिया गया था क्योंकि भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने पहले अनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया था। हालांकि 02.11.2018 को बीडीए ने एमसीएल के पक्ष में आवश्यक अनुमति प्रदान कर दी है। एमओयू को 09.01.2020 से दो साल की अवधि के लिए फिर से मान्य किया गया है और उपरोक्त कार्य 12 महीने के भीतर पूरा किया जाना है और संशोधित परियोजना लागत 155.33 करोड़ रुपये है। एनबीसीसी ने 04.08.2021 को एमओसी के सचिव द्वारा दी गई समयसीमा के अनुसार 15 दिनों के भीतर काम फिर से शुरू नहीं किया था। जिसके बाद एमसीएल के पास समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

एनबीसीसी के साथ एमओयू को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित करने के साथ-साथ एमओयू के अनुसार दंडात्मक प्रावधानों के बारे में एनबीसीसी को 05.01.2022 को सूचित कर दिया गया है। शेष कार्य के लिए पीएमसी का काम सीएमपीडीआईएल, रांची को पत्र संख्या एमसीएल/संबलपुर/सिविल/21-22/1641 दिनांक 02.02.2022 के माध्यम से सौंपा गया है।

कंपनी ने 31.03.24 तक संस्थान के निर्माण पर ₹ 122.08 करोड़ खर्च किए हैं।

कंपनी ने चक्रवात फानी और चोरी के कारण इमारत को हुए नुकसान के कारण ₹ 12.72 करोड़ की हानि का आरोप लगाया है।

इसके अलावा चूंकि मामला विवाद में है, इसलिए 11वां और 12वां आरए बिल मौजूदा मोबिलाइजेशन एडवांस के साथ लेखांकन और समायोजन के लिए लंबित है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

c) बलियापांडा मौजा, पुरी में भूमि

पुरी के बलियापांडा मौजा में 5 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत ₹ 0.94 करोड़ (बाउंड्री वॉल के लिए जमा राशि सहित) है, पुरी नगरपालिका से 01.04.1996 से 99 साल की लीज अवधि के लिए ली गई थी। हालांकि, तहसीलदार पुरी ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 7206 दिनांक 21.08.2004 के माध्यम से पुरी के कलेक्टर को संबोधित किया, जिसकी एक प्रति एमसीएल, भुवनेश्वर को भी भेजी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उक्त क्षेत्र "स्वेट वाटर जोन" के अंतर्गत आता है और इसे सरकार के आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। हालांकि उक्त भूमि स्वेट वाटर जोन के अंतर्गत आती है, तहसीलदार, पुरी ने 2008-09 तक उपकर के साथ जमीन का किराया स्वीकार किया है। 05.12.2019 को डीजीएम, एमसीएल द्वारा कलेक्टर, पुरी को वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए पत्र लिखा गया है। इसके बाद, डिप्टी जीएम, एमसीएल और सीएम (खनन) ने 18.12.2020 को कलेक्टर, पुरी से मुलाकात की। कलेक्टर ने कहा कि नगर पालिका द्वारा एमसीएल को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर गलत तरीके से भूमि पट्टे पर दी गई थी, इसलिए नगर पालिका एमसीएल के पक्ष में कोई वैकल्पिक भूमि आवंटित नहीं कर सकती है और नगर पालिका, पुरी के पास पहले जमा की गई भूमि के प्रीमियम की वापसी के लिए आवेदन करने का सुझाव दिया। एमसीएल ने नगर पालिका, पुरी के पास वापसी या वैकल्पिक भूमि के लिए आवेदन किया है और मामला प्रक्रियाधीन है।

d) न्यायालय, विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों के निर्देशानुसार तथा नोट-4.5 एवं नोट-4.6 के अन्तर्गत दर्शाए गए बैंक गारंटी जारी करने के लिए ₹ 16.99 करोड़ (पिछले वर्ष - ₹ 15.33 करोड़) का जमा खाता (विशिष्ट उद्देश्य के लिए) बनाया गया है। विवरण नीचे दिया गया है:

टिप्पणी 4.5 - ₹ 11.54 करोड़

i. सावधि जमा में न्यायालय के आदेश के अनुसार वर्ष 2005-06 में विस्फोटक दर अनुबंधों के विरुद्ध वसूले गए मूल्य अंतर के विरुद्ध किए गए ₹ 7.74 करोड़ शामिल हैं।

ii. सावधि जमा में ₹ 0.24 करोड़ शामिल हैं, जो कंपनी द्वारा मेसर्स श्री महावीर फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, कटक के आदेश के अनुसार रिट याचिका संख्या 3109/2015 के अंतिम निर्णय तक 40% टेपरिंग मनी के लिए किए गए थे।

iii. सावधि जमा में माननीय उच्च न्यायालय कटक (ओडिशा) के अंतरिम आदेश के विरुद्ध किए गए ₹1.61 करोड़ शामिल हैं, जो विवादित भूमि से संबंधित मुआवजे की शेष राशि के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किए जाने हैं।

iv. बैंक में क्रमशः ₹0.45 करोड़ की बैंक जमा राशि रखी गई है, जिसे हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन/समझौते के तहत जल बांध प्रभाग के पक्ष में गिरवी रखा गया है।

v. बैंक जमा में एमआईएमएसआर के लिए संस्थागत भवन योजना का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए टीएएमडीए के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने के लिए ₹1.07 करोड़ शामिल हैं।

vi. कार्यकारी अभियंता, मुख्य बांध डिवीजन, बुर्ला के पक्ष में एफडीआर के रूप में ₹ 0.37 करोड़ जमा किए गए।

vii. अधीक्षण अभियंता, मुख्य बांध प्रभाग, बुर्ला के पक्ष में एफडीआर के रूप में ₹ 0.05 करोड़ जमा किए गए।

टिप्पणी 4.6 - ₹ 4.85 करोड़

i. अधीक्षण अभियंता, मुख्य बांध प्रभाग, बुर्ला के पक्ष में एफडीआर के रूप में ₹ 1.89 करोड़ जमा किए गए।

ii. मेसर्स हिंदुस्तान डोर ओलिवर की बीजी के नकदीकरण के संबंध में ओडिशा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एफडीआर के रूप में ₹ 1.08 करोड़ जमा किए गए।

iii. ₹0.24 करोड़ एफडीआर के रूप में अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में जमा किए गए।

iv. ₹0.07 करोड़ अधीक्षण अभियंता सुंदरगढ़ सिंचाई प्रभाग के पक्ष में एफडीआर के रूप में जमा किया गया

v. माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्देश पर मेसर्स उत्कल हाईवेज के लिए टीडीआर के रूप में ₹1.46 करोड़ की बैंक जमा

vi. कार्यकारी अभियंता, बुर्ला सिंचाई प्रभाग, बुर्ला के लिए टीडीआर के रूप में ₹ 0.10 करोड़ जमा किए गए

vii. इब-वैली कोल वाशरी का लाइसेंस जारी करने के लिए खान कार्यालय, संबलपुर के उप निदेशक के पक्ष में ₹ 0.01 करोड़ जारी किए गए।

e) रेलवे बोर्ड ने कार्यकारी निदेशक (इंफ्रा-1), रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या 2018/इंफ्रा/12/19 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार झारसुगुड़ा-बरपाली-सरदेगा रेल लाइन के लिए बढ़े हुए माइलेज को मंजूरी दे दी है। उपरोक्त के लिए रियायत समझौता 11.03.2024 को दक्षिण पूर्व रेलवे और एमसीएल के बीच निष्पादित किया गया है। बढ़े हुए माइलेज के माध्यम से रियायत पुनर्भुगतान समझौता 17.04.2023 से लागू होगा। रेलवे ने अभी तक गणना और देय राशि को अंतिम रूप नहीं दिया है और इसलिए रेलवे द्वारा अभी तक कोई राशि जारी नहीं की गई है। प्राप्य राशि की अनुपस्थिति में, खातों की पुस्तकों में कोई आय मान्यता प्राप्त नहीं हुई है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

f) 01.04.2015 से भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन के पश्चात, अचल संपत्ति के वहन मूल्य को लागत मॉडल के अनुसार जारी रखने का चुनाव किया गया है। तदनुसार, संपत्ति के शुद्ध वहन मूल्य को संपत्ति के सकल वहन मूल्य के रूप में माना गया है तथा खातों में संचित मूल्यह्रास को शून्य माना गया है, तथापि संपत्ति की मूल अधिग्रहण लागत के अभिलेख रखने के उद्देश्य से, लेखांकन सॉफ्टवेयर में संपत्ति मास्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

g) किरीपसिरा गांव और रतनसारा गांव का कुछ हिस्सा भारत संघ द्वारा दिनांक 13.09.2006 और 17.01.2008 को अधिसूचना जारी करके अन्य कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया गया था। हालांकि, प्रारंभिक चरण में मुआवजे का भुगतान एमसीएल की जिम्मेदारी होगी और वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (जुलाई 2013) के बिंदु संख्या 6 (मुआवजे का भुगतान) के अनुसार उत्तराधिकारी कंपनी से उक्त दायित्व की वसूली कर सकती है। गैर-एमसीएल हिस्से के संबंध में मुआवजे का मूल्य ₹656.94 करोड़ है। हालांकि उपरोक्त गांवों के खिलाफ अभी तक कोई मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है।

h) एनटीपीसी ने फरवरी 2018 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए 0-3 किलोमीटर की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए सतही परिवहन शुल्क के भुगतान के लिए ₹ 62.29 करोड़ की राशि पर विवाद किया है। विवाद एएमआरसीडी के पास लंबित है। हालाँकि, बकाया राशि के एक बड़े हिस्से की वसूली की संभावना बहुत अधिक नहीं होने पर विचार करते हुए, चालू वर्ष के दौरान उपरोक्त देनदारों के खिलाफ अपेक्षित ऋण हानि प्रदान की गई है।

i) सहायक खातों से संबंधित अन्य मामले

i) 24 सितंबर 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1993-2012 के दौरान किए गए 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया, क्योंकि आवंटन प्रक्रिया मनमानी थी और आवंटन अवैध थे। तदनुसार, समूह के पक्ष में पहले से आवंटित कोयला ब्लॉक उत्कल ए (गोपाल प्रसाद पश्चिम सहित) और तालाबीरा II और III भी रद्द कर दिए गए।

ii) कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार, सरकार ने तालाबीरा II और III कोयला ब्लॉक नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पिछले आवंटियों में से एक) को आवंटित किया है, जैसा कि 17 फरवरी 2016 को अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है। एमसीएल की एक सहायक कंपनी एमएचएन शक्ति लिमिटेड, भूमि अधिग्रहण, प्रगति में पूंजीगत कार्य और अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए इसके द्वारा खर्च की गई राशि के लिए नामित प्राधिकरण, एमओसी के माध्यम से नए आवंटियों से मुआवजा पाने की हकदार है। मुआवजे का निर्धारण कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत नामित प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है और समूह द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाएगा। समूह को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और रेलवे साइडिंग आदि के लिए वित्त वर्ष 2016-17 में ₹ 18.55 करोड़ मिले हैं।

iii. रेलवे के ई.सी.ओ. ने पत्र संख्या 14.11.2022 के माध्यम से निरीक्षण और ट्रायल रन के बाद एमसीआरएल की फेज-I लाइन को यातायात की आवाजाही के लिए खोलने की अनुमति दी। तदनुसार 31.12.2022 तक किए गए व्यय को 31.12.2022 से पूंजीकृत किया गया और जनवरी 23 से मार्च 23 तिमाही के लिए परिशोधन इस वित्तीय विवरण में चार्ज किया गया।.

4 संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहायक कंपनियों में समेकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के सिद्धांत

i) समेकन में प्रयुक्त सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण मूल कंपनी के समान रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए जाते हैं, अर्थात 31.03.2024 तक।

ii) समेकित वित्तीय विवरण महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, इसकी आंशिक/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अर्थात् एमएनएच शक्ति लिमिटेड, एमजेएसजे कोल लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड और महानदी बेसिन पावर लिमिटेड से संबंधित हैं।

iii) समूह के वित्तीय विवरण इसकी चार सहायक कंपनियों के साथ समेकित किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

समूह के वित्तीय विवरण इसकी चार सहायक कंपनियों के साथ समेकित किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

सहायक कंपनी का नाम	पता	संस्थापन की तारीख	सहायक कंपनी में हिस्सेदारी (%)		गैर-नियंत्रण हित (करोड़ रुपए में)	
			31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
1) एमएनएच शक्ति लिमिटेड	आनंद विहार, बुर्ला, संबलपुर	16.07.2008	70.00%	70.00%	30.00%	30.00%
2) एमजेएसजे कोल लिमिटेड	मकान नंबर 42,पहली मंजिल, आनंद नगर, हाकिम पारा, अंगुल	13.08.2008	60.00%	60.00%	40.00%	40.00%
3) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	प्लॉट नं. जी-3, मंचेश्वर रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर	02.12.2011	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

4) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	एमडीएफ कक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय, एमसीएल मुख्यालय, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर	31.08.2015	71.11%	71.11%	28.89%	28.89%

उपरोक्त सहायक कंपनी के 31.03.2024 को समाप्त अवधि तक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को समेकन में विचार किया गया है।

iv) इन समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स सूचनात्मक प्रकटीकरण के साधन के रूप में काम करने और समूह की समेकित स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करने के लिए अभिप्रेत हैं। इस उद्देश्य को पहचानते हुए, समूह ने व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों से केवल ऐसी नीतियों और नोट्स का खुलासा किया है, जो आवश्यक प्रकटीकरण को उचित रूप से प्रस्तुत करते हैं।

v) सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार)

संस्था का नाम	शुद्ध परिसंपत्तियाँ, यानी कुल परिसंपत्तियाँ घटा कुल देयताएँ		लाभ या हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि (करोड़ रूपये में)	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि (करोड़ रूपये में)	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि (करोड़ रूपये में)	समेकित आय के % के रूप में	समेकित आय के % के रूप में
अनुषंगी								
भारतीय								
1) एमएनएच शक्ति लिमिटेड	0.27	43.00	0.01	1.26	-	-	0.01	1.26
2) एमजेएसजे कोल लिमिटेड	0.47	75.50	0.01	0.66	-	-	0.01	0.66
3) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	(0.04)	(6.06)	(0.00)	(0.04)	-	-	(0.00)	(0.04)
4) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	2.35	379.56	(0.01)	(1.58)	-	-	(0.01)	(1.58)
कुल (ए)	3.04	492.00	0.00	0.30	-	-	0.00	0.30
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (बी)	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ए+बी)	3.04	492.00	0.00	0.30	-	-	0.00	0.30

5 उचित मूल्य मापन t

(क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय उपकरण (₹ करोड़ में)

	31.03.2024		31.03.2023 (पुनः कतिथ)	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय पूंजी				
निवेश :				
सुरक्षित बांड		-		-
म्यूचुअल फंड	1,214.28		1,069.88	
ऋण		1.67		1.21
जमा एवं प्राप्तियाँ		2,606.82		1,899.85
व्यापार प्राप्तियां*		2,160.29		1,636.92
नकद और नकद समतुल्य		867.20		107.10
अन्य बैंक बैलेंस		12,034.18		18,005.08

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

वित्तीय देनदारियों				
उधार		3.95		4.58
व्यापार देनदारियां		1,571.32		1,591.61
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		383.14		218.23
पट्टा देयताएं		2.47		2.35
अन्य देनदारियां		5,356.07		4,884.16

* कोयला गुणवत्ता भिन्नता हेतु भत्ता व्यापार प्राप्य से काटा गया।

(बी) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जिन्हें (ए) उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है और मापा जाता है और (बी) परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	**31.03.2024**		**31.03.2023 (पुनः कथित)**	
	स्तर 1	**स्तर 3**	**स्तर 1**	**स्तर 3**
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	1,214.28	-	1,069.88	-

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जिनके उचित मूल्य 31.03.2024 को प्रकट किए गए हैं	**31.03.2024**		**31.03.2023 (पुनः कथित)**	
	Level 1	**Level 3**	**Level 1**	**Level 3**
वित्तीय पूंजी				
निवेश :				
सुरक्षित बांड		-		0.00
ऋण		1.67		1.21
जमा और प्राप्तियाँ		2,606.82		1899.85
व्यापार प्राप्तियाँ		2,160.29		1,636.92
नकद और नकद समतुल्य		867.20		107.10
अन्य बैंक शेष		12,034.18		18005.08
वित्तीय देनदारियों				
उधार		3.95		4.58
व्यापार देनदारियां		1,571.32		1591.61
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		383.14		218.23
पट्टा देयताएं		2.47		2.35
अन्य देनदारियां		5,356.07		4884.16

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर समापन निवल परिसंपत्ति मूल्य का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करते हैं। यदि किसी साधन का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय हैं, तो साधन को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह स्तर 3 में शामिल निवेश, सुरक्षा जमा और अन्य देयताओं के मामले में लागू होता है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

(c) उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में साधनों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(d) महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप उपलब्ध नहीं है।

(e) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्राप्तियाँ , अल्पावधि जमा, नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार देयताओं की अग्रणीत राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण, उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक महत्वपूर्ण भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोके रखने का उद्देश्य कंपनी के हितों की रक्षा करना है, ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रहने से। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी एक विधि का चयन करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणाएँ बनाती है।

6 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन को समर्थन देने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्तियाँ, नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनसे सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट उन जोखिम स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे संस्था को सामना करना पड़ता है तथा संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन किस प्रकार करती है।

जोखिम	इससे उत्पन्न जोखिम	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी और नकदी समकक्ष, व्यापार प्राप्तियाँ वित्तीय परिसंपत्ति परिशोधित लागत पर मापी गई	समय अवधि विश्लेषण/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण
चलनिधि जोखिम	उधार और अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भावी वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जो भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित नहीं हैं।	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकदी और नकदी समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है, साथ ही अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियां भी प्रदान करता है।

A. ऋण जोखिम:।

ऋण जोखिम प्रबंधन:

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

मैक्रो - आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के भाग के रूप में शामिल किया जाता है

ईंधन आपूर्ति समझौते (FSAs)

जैसा कि नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों के अनुसार और उसके अनुसार, कंपनी ग्राहकों या राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य एफएसए में प्रवेश करती है, जो बदले में अंतिम ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। हमारे एफएसए को मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- राज्य विद्युत उपयोगिताओं, निजी विद्युत सहित विद्युत उपयोगिता क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए

  उपयोगिताएँ ("पीपीयू") और स्वतंत्र विद्युत उत्पादक ("आईपीपी")
- गैर-विद्युत उद्योगों (कैप्टिव पावर प्लांट्स ("सीपीपी") सहित) के ग्राहकों के साथ एफएसए; तथा
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसए।

ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों को कोयले तक पहुँच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जो विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्रों के माध्यम से अपनी कोयला आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनकी मानक आवश्यकता के पूर्ण आवंटन से कम, उनकी कोयला आवश्यकता की मौसमीता और कोयले की सीमित आवश्यकता जो दीर्घकालिक लिंकेज की गारंटी नहीं देती है। ई-नीलामी के तहत पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा की समय-समय पर कोयला मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है।

ऋण जोखिम तब उत्पन्न होता है जब प्रतिपक्ष संविदागत दायित्वों को पूरा करने में चूक करता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि होती है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान: कंपनी संदिग्ध/ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण जोखिम हानि के लिए आजीवन अपेक्षित ऋण हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा प्रावधान करती है। नोट - 13, व्यापार प्राप्तियाँ देखें

ऊपर बताए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट चुनने में विवेक का उपयोग करती है, जो कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों पर आधारित है।

B.

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता बनाए रखना है। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी का राजकोष प्रतिबद्ध ऋण लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखकर धन में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति (जिसमें अप्रयुक्त उधार सुविधाएँ शामिल हैं) और नकदी और नकदी समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

C. बाजार ज़ोखिम

a) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है, जो ऐसी मुद्रा में मूल्यांकित होती हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (INR) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी के पास एक नीति है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

बी) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमाराशियों से उत्पन्न होता है, ब्याज दर में परिवर्तन के साथ, कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम के लिए उजागर करता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमाराशियों को निश्चित दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी बैंक जमा, ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

D) पूंजी प्रबंधन

चूंकि यह कंपनी एक सरकारी इकाई है, इसलिए यह अपनी पूंजी का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना इस प्रकार है:		
	31.03.2024	**31.03.2023**
इक्विटी शेयर पूंजी	1,323.67	661.84
लंबी अवधि के लोन	3.28	3.92

7 कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भारतीय मानक लेखा -19)

परिभाषित लाभ योजनाएँ

क) ग्रेच्युटी

कंपनी ग्रेच्युटी, एक पोस्ट-एम्प्लॉयमेंट परिभाषित लाभ योजना (""ग्रेच्युटी स्कीम") प्रदान करती है, जो पात्र कर्मचारियों को कवर करती है। ग्रेच्युटी भुगतान कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है, जो कंपनी से अलग होने के समय अधिकतम ₹ 20 लाख के अधीन है, जैसा कि संशोधित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों पर विचार करते हुए किया जाता है। ग्रेच्युटी स्कीम के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्च्यूअरी द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है। अनुभव समायोजन और एक्च्यूरियल मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनर्मापन लाभ और हानि को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं, सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में।

ग्रेच्युटी स्कीम को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। एलआईसी सेवा के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कवरेज (लाइफ कवर सम एश्योर्ड- "एलसीएसए") भी प्रदान करता है। अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति तिथि पर देय अनुमानित ग्रेच्युटी राशि में कमी की भरपाई, अधिकतम 20 लाख रुपये की सीमा के अधीन होगी।

बी) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ – कार्यकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना है जिसे सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई) के रूप में जाना जाता है, जो अधिकारियों, उनके जीवनसाथियों और पूरी तरह से आर्थिक रूप से आश्रित दिव्यांग बच्चे (बच्चों) को कंपनी के अस्पताल/सूचीबद्ध अस्पतालों या बाह्य रोगी/घर में केवल भारत में किसी भी विकलांगता के कम से कम 40% से पीड़ित होने पर छत सीमा के अधीन चिकित्सा प्रदान करती है, जो कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर अलग किए जाने या सामान्य कोयला कैडर के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति या समय-समय पर तैयार और लागू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण होती है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। सेवानिवृत्त अधिकारियों, जीवनसाथियों और आश्रित दिव्यांग बच्चे (बच्चों) के लिए पूरे जीवनकाल के दौरान संयुक्त रूप से या अलग-अलग प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये योजना के लिए देयता की पहचान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ – गैर कार्यकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

"वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी गैर-अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई-एनई) प्रदान कर रही है, ताकि गैर-अधिकारियों और उनके जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चे(बच्चों) को कंपनी अस्पताल/सूचीबद्ध अस्पतालों या बाह्य रोगी/घरेलू में चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा सके, जो कि अधिकतम सीमा के अधीन है, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर अलग किए जाने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति के कारण, जो समय-समय पर तैयार और लागू की जाती है या 57 वर्ष या उससे अधिक की आयु में कंपनी से इस्तीफा दे देते हैं या जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चे(बच्चों) की मृत्यु हो जाती है। सेवानिवृत्त गैर-अधिकारियों और जीवनसाथी को संयुक्त रूप से या अलग-अलग साथ में पूरे जीवनकाल के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 8 लाख रुपये है, योजना के लिए देयता को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

परिभाषित अंशदान योजनाएँ

ए) भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर पूर्व-निर्धारित दरों पर भविष्य निधि और पेंशन निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, अर्थात मूल वेतन और महंगाई भत्ते का क्रमशः 12% और 7% भविष्य निधि और पेंशन निधि में। इन निधियों को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में एक अलग वैधानिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) कहा जाता है। अवधि के लिए निधि में योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

बी) सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अपने अधिकारियों को रोजगार के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे "सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना -2007" (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को इस उद्देश्य के लिए गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। कंपनी का दायित्व ट्रस्ट में मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक राशि का योगदान नहीं करना है, जिसमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - कार्यकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं है। मूल और महंगाई भत्ते का 6.99% का वर्तमान नियोक्ता योगदान लाभ और हानि के विवरण में लगाया जा रहा है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

ए) अवकाश नकदीकरण

कंपनी अपने अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों की अर्ध-भुगतान छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्ध-वार्षिक आधार पर आनुपातिक रूप से अर्जित और जमा की जाती है। सेवा के दौरान, 75% ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों की ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। सेवा की अवधि के दौरान संचित एचपीएल को नकदीकरण के लिए अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ नकदीकरण के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। गैर-अधिकारियों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित होता है और वर्तमान में कामगार प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित अवकाश का नकदीकरण पाने के हकदार हैं और मृत्यु, सेवानिवृत्ति, सुपरएन्युएशन और वीआरएस के कारण सेवा बंद होने पर, शेष छुट्टी या 150 दिन जो भी कम हो, नकदीकरण के लिए अनुमत है। इसलिए, अर्जित अवकाश के लिए देनदारियों का निपटान सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद होने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतानों के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। लाभ रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की पैदावार का उपयोग करके छूट दी जाती है, जिसकी शर्तें संबंधित दायित्व की शर्तों के करीब होती हैं। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम की अर्हक बीमा पॉलिसियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

बी) जीवन सुरक्षा योजना (एलसीएस)

सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, समूह के पास एक जीवन बीमा योजना है जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड की जीवन बीमा योजना" (LCS) के रूप में जाना जाता है, जो सभी कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को कवर करती है। सेवा में मृत्यु के मामले में, 01.10.2017 से योजना के तहत नामांकित व्यक्तियों को 1,56,250 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत तब पहचानी जाती है जब कोई घटना घटित होती है जिसके कारण योजना के तहत लाभ देय होता है।

सी) निपटान भत्ते

वेतन समझौते के एक हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद उनकी सेवानिवृत्ति पर सेटलमेंट-इन भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

डी) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सीआईएल समूह के अधिकारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना से बचाने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है, जिसे "कोल इंडिया एग्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (जीपीएआईएस) के नाम से जाना जाता है। जीपीएआईएस दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। इस योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान सीआईएल द्वारा किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

इ) अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, गैर-कार्यकारी कर्मचारी 4 वर्ष के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए क्रमशः 10000/- रुपये और 15000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

एफ) खदान दुर्घटना में कामगारों को मिलने वाला मुआवजा लाभ

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 1923 के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। घातक खदान दुर्घटना के मामले में 07.11.2019 से कर्मचारी के परिजनों को 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, 01.06.2023 से मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में ₹ 90,000/- की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत तब पहचानी जाती है जब कोई घटना घटती है जिसके कारण योजना के तहत लाभ देय होता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तपोषण स्थिति निम्नानुसार है:

(i) वित्त पोषित

- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण
- सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ – कार्यकारी (सीपीआरएमएसई)
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ – गैर कार्यकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

(ii) गैर वित्तपोषित

- जीवन सुरक्षा योजना
- निपटान भत्ता
- समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- अवकाश यात्रा रियायत
- खदान दुर्घटना में कामगारों को मुआवजा लाभ

31.03.2024 तक एक्चुअरी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर बीमांकिक प्रावधान, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक बीमांकिक देयता	पिछले वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता/ (समायोजन)	प्रारंभिक बीमांकिक देयता	अवधि के दौरान वृद्धिशील देयता/(समायोजन)	]\
	01.04.2022		**01.04.2023**		**31.03.2024**
उपहार	1,369.18	(40.69)	1,328.49	115.33	1,443.82
अवकाश	481.22	56.22	537.44	113.98	651.42
निपटान भत्ता	16.61	(1.26)	15.35	0.07	15.42
अवकाश यात्रा रियायत	21.07	0.42	21.49	1.43	22.92
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	292.61	5.90	298.51	31.70	330.21
कुल	2,180.69	20.59	2,201.28	262.51	2,463.79

एक्चुअरी के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

31.03.2024 तक ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन, भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण	**वर्ष समाप्ति 31.03.2023**	**वर्ष समाप्ति 31.03.2024**
	तालिका 1		
ए	**लाभ और हानि (पी एंड एल)**		
1	वर्तमान सेवा लागत	49.05	41.40

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	72.78
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	49.05	114.18
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	0.08	(4.91)
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
8	लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त लागत	49.13	109.28

B	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	9.81	31.08
2	डीबीओ धारणा में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(49.14)	32.08
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक(लाभ)/हानि	(39.33)	63.15
4	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम	(16.36)	(10.14)
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-55.68	53.02

C	**परिभाषित लाभ लागत**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	सेवा लागत	49.04	114.18
2	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	0.09	(4.91)
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त एक्चुरियल (लाभ)/ हानि	(55.68)	53.02
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
5	परिभाषित लाभ लागत	(6.55)	162.29

तालिका 2

		(₹ करोड़ में)	**(₹ करोड़ में)**
	नेट बैलेंस शीट की स्थिति		
		31.03.2023	31.03.2024
A	**शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का विकास**		
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(1,328.49)	1,443.83
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	1,335.05	1,409.41
3	वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	6.55	(34.42)
4	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
5	शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	6.55	(34.42)

B	**शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का समाधान**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(2.57)	6.55
2	सेवा लागत	(49.05)	(114.18)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(0.87)	4.91
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	55.68	(53.02)
5	नियोक्ता योगदान	2.57	121.32
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)	-	-
8	विनिवेश	-	-
9	समाप्ति लाभ की लागत		
10	वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	6.55	(34.42)

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

	तालिका 3 लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन	**(₹ करोड़ में)** वर्ष समाप्ति **31.03.2023**	**(₹ करोड़ में)** वर्ष समाप्ति **31.03.2024**
A	**परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	1,369.18	1,328.49
2	वर्तमान सेवा लागत	49.05	41.40
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	88.39	91.38
4	कटौती (क्रेडिट)/ लागत	-	-
5	निपटान (ऋण)/ लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	72.78
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/ लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	9.81	31.08
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय मान्यताएँ	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय मान्यताएं	(49.14)	32.08
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए जाने वाले लाभ	-	-
12	योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(138.79)	(153.39)
12	वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	1,328.49	1,443.83

B	**परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,366.61	1,335.05
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	88.30	96.29
4	नियोक्ता योगदान	2.57	121.32
5	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)	16.36	10.14
6	भुगतान किये गये लाभ	(138.79)	(153.39)
7	वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,335.05	1,409.41

तालिका 4

अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

		(₹ करोड़ में)
A	**वर्ष समाप्त होने के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	**31.03.2024**
1	31 मार्च, 2025	140.11
2	31 मार्च, 2026	147.86
3	31 मार्च, 2027	147.00
4	31 मार्च, 2028	142.39
5	31 मार्च, 2029	143.54
6	31 मार्च, 2030 से 31 मार्च, 2034	571.11
7	10 साल से आगे	1,635.67

B	**31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**	**46.79**
C	**परिभाषित लाभ दायित्व की आंकलित औसत अवधि**	**8 साल**
D	**31 मार्च 2024 को अर्जित लाभ दायित्व**	**1,106.78**
E	**31 मार्च 2024 तक योजना परिसंपत्ति की जानकारी**	**प्रतिशत**
	भारत सरकार प्रतिभूतियाँ (केन्द्रीय एवं राज्य)	0.00%
	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड (सार्वजनिक क्षेत्र के बांड सहित)	0.00%

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
	संपत्ति	0.00%
	नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
	बीमा योजनाएँ - पारंपरिक उत्पाद	100.00%
	बीमा योजनाएँ - यूएलआईपी उत्पाद	0.00%
	अन्य	0.00%
	कुल	**100.00%**
		(₹ करोड़ में)
F	**31 मार्च 2024 तक चालू और गैर-चालू देयताओं का ब्यौरा**	
1	चालू देयता	135.45
2	गैर चालू देयता	1,308.38
3	31 मार्च 2024 तक देयता	1,443.83

तालिका-5

	संवेदनशील विश्लेषण:		
	31 मार्च 2024 तक आधार मान्यताओं पर डीबीओ	1443.83	
A	**छूट की दर**		
	31 मार्च 2024 तक छूट दर	7.00%	
	छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	-52.68	
	प्रतिशत प्रभाव	-4%	
	छूट दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	56.79	
	प्रतिशत प्रभाव	4%	
B	**वेतन वृद्धि दर**		
	31 मार्च 2024 तक वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी: 9%; गैर-कार्यकारी: 6.25%	
1	वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	25.62	
	प्रतिशत प्रभाव	2%	
2	वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(26.62)	
	प्रतिशत प्रभाव	-2%	
C	**मान्यताओं**	**31.03.2023**	**31.03.2024**
	छूट की दर	7.30%	7.00%
	वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी: 9%; गैर-कार्यकारी: 6.25%	कार्यकारी: 9%; गैर-कार्यकारी: 6.25%
	निकासी दर	0.30%	0.30%

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

नमूना मृत्यु दर

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 19 के अंतर्गत अवकाश लाभ योजना का बीमांकिक मूल्यांकन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण	समाप्ति वर्ष 31.03.2023	समाप्ति वर्ष 31.03.2024
तालिका -1			
A	**लाभ और हानि (पी एंड एल)**		
1	वर्तमान सेवा लागत	78.42	91.22
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	53.72
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	78.42	144.95
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	-1.66	-1.86
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएँ	38.44	43.00
8	पी एंड एल में मान्यता प्राप्त लागत	115.21	186.08
B	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	67.08	28.45
2	डीबीओ धारणा परिवर्तनों के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(26.04)	18.39
3	अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	41.03	46.80
4	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (अधिक)/छूट दर से कम	(2.59)	(3.84)
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
C	**परिभाषित लाभ लागत**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	सेवा लागत	78.42	144.94
2	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(1.66)	(1.86)
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक(लाभ)/ हानि	-	-
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	38.44	43.00
5	परिभाषित लाभ लागत	115.21	186.08

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

तालिका-2

	31 मार्च 2024 तक नेट बैलेंस शीट की स्थिति	**(₹ करोड़ में) समाप्ति वर्ष 31.03.2023**	**(₹ करोड़ में) समाप्ति वर्ष 31.03.2024**
A	**शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का विकास**		
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(537.44)	(651.42)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	481.13	572.59
3	वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(56.31)	(78.83)
4	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
5	शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(56.31)	(78.83)
B	**शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का समाधान**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	पिछली अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/ (देयता)	(10.21)	(56.31)
2	सेवा लागत	(78.42)	(144.94)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/ (देयता) पर शुद्ध ब्याज	1.66	1.86
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	(38.44)	(43.00)
5	नियोक्ता योगदान	69.11	163.57
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)	-	-
8	विनिवेश	-	-
9	समापन लाभ की लागत	-	-
10	वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/ (देयता)	(56.31)	(78.83)

तालिका-3

	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन	**(₹ करोड़ में) समाप्ति वर्ष 31.03.2023**	**(₹ करोड़ में) समाप्ति वर्ष 31.03.2024**
A	**परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	481.22	537.44
2	वर्तमान सेवा लागत	78.42	91.22
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	29.57	35.11
4	कटौती (क्रेडिट)/ लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट)/ लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	53.72
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/ लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	67.08	28.45
9	बीमांकिक(लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय धारणाएं	(26.04)	18.39
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	-
12	भुगतान किए गए लाभ	(92.81)	(112.93)

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

13	वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	573.44	651.42

B	**परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**	**(₹ करोड़ में)**	**(₹ करोड़ में)**
1	पिछली अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	471.01	481.13
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	31.23	36.97
4	नियोक्ता योगदान	69.11	163.57
5	योजना परिसंपत्तियों पर छूट दर से अधिक/(कम) रिटर्न	2.59	3.84
6	भुगतान किए गए लाभ	(92.81)	(112.92)
7	वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	481.13	572.59

तालिका-4

अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

		(₹ करोड़ में)
A	**वर्ष समाप्त होने के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	**31-Mar-24**
1	31 मार्च, 2025	51.48
2	31 मार्च, 2026	55.26
3	31 मार्च, 2027	56.00
4	31 मार्च, 2028	58.34
5	31 मार्च, 2029	57.23
6	31 मार्च, 2030 से 31 मार्च, 2034	234.64
7	10 साल से आगे	1,116.66
B	**31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**	**100.15**
C	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	**10 Years**
D	**31 मार्च 2024 को अर्जित लाभ दायित्व**	**377.87**

E	**31 मार्च 2024 तक योजना परिसंपत्ति की जानकारी**	**प्रतिशत**
	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (केंद्रीय और राज्य)	0.00%
	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड सहित)	0.00%
	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
	संपत्ति	0.00%
	नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
	बीमा योजनाएँ - पारंपरिक उत्पाद	100.00%
	बीमा योजनाएँ - यूएलआईपी उत्पाद	0.00%
	अन्य	0.00%
	कुल	**100.00%**

F	**31 मार्च 2024 तक वर्तमान और गैर-वर्तमान देयताओं का ब्यौरा**	**(₹ करोड़ में)**
1	वर्तमान देयता	49.77
2	गैर-वर्तमान देयता	601.65
3	31 मार्च 2024 तक देयता	651.42

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

तालिका-5

	31 मार्च 2024 तक आधार मान्यताओं पर डीबीओ	651.42
A	**डिस्काउंट दर**	
	31 मार्च 2024 तक डिस्काउंट दर	7.00%
	डिस्काउंट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(30.12)
	प्रतिशत प्रभाव	-5%
	डिस्काउंट दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	32.93
	प्रतिशत प्रभाव	5%
B	**वेतन वृद्धि दर**	
	31 मार्च 2024 तक वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%
1	वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	32.71
	प्रतिशत प्रभाव	5%
2	वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(30.21)
	प्रतिशत प्रभाव	-5%

C	**मान्यताएँ**	31.03.2023	31.03.2024
	छूट दर	7.30%	7.00%
	वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी: 9%; गैर-कार्यकारी: 6.25%	कार्यकारी: 9%; गैर-कार्यकारी: 6.25%
	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

नमूना मृत्यु दर

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) 19 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना का बीमांकिक मूल्यांकन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण	**समाप्ति वर्ष 31.03.2023**	**समाप्ति वर्ष 31.03.2024**
A	**लाभ और हानि (पी एंड एल)**		
1	वर्तमान सेवा लागत	9.86	9.53
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	9.86	9.53
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	4.56	4.73
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएँ	-	-
8	पी एंड एल में मान्यता प्राप्त लागत	14.42	14.27
B	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**		
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	12.28	-11.54
2	डीबीओ धारणा परिवर्तनों के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(19.49)	11.92
3	अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(7.22)	0.38
4	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (अधिक)/छूट दर से कम	2.41	2.87
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	(4.80)	3.24
C	**परिभाषित लाभ लागत**		
1	सेवा लागत	9.86	9.53
2	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	4.56	4.73
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	(4.80)	3.24
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएँ	-	-
5	परिभाषित लाभ लागत	9.61	17.51

	31 मार्च 2024 तक नेट बैलेंस शीट की स्थिति	**समाप्ति वर्ष 31.03.2023**	**समाप्ति वर्ष 31.03.2024**
A	**नेट बैलेंस शीट स्थिति का विकास**		
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(298.51)	330.21
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	227.96	253.55
3	वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(70.54)	(76.65)
4	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
5	नेट परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(70.54)	(76.65)
B	**शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का समाधान**		
1	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/ (देयता)	(73.10)	(70.54)
2	सेवा लागत	(9.86)	(9.53)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/ (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(4.56)	(4.73)
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	4.8	(3.24)
5	नियोक्ता योगदान	12.17	11.4
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)	-	-
8	विनिवेश	-	-
9	समाप्ति लाभ की लागत	-	-
10	वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/ (देयता)	(70.54)	(76.65)

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

तालिका-3

	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन	**समाप्ति वर्ष 31.03.2023**	**समाप्ति वर्ष 31.03.2024**
A	**परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	292.61	298.51
2	वर्तमान सेवा लागत	9.86	9.53
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	19.35	21.79
4	कटौती (क्रेडिट)/ लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट)/ लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/ लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	12.28	(11.54)
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय धारणाएं	(19.49)	11.92
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	-
12	नियोजित परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(16.10)	-
13	वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	298.51	330.21
C	परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
1	पिछली अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	219.51	227.96
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	14.79	17.06
4	नियोक्ता योगदान	12.17	11.4
5	योजना परिसंपत्तियों पर छूट दर से अधिक/(कम) रिटर्न	(2.41)	(2.87)
6	भुगतान किए गए लाभ	(16.10)	-
7	वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	227.96	253.55

तालिका-4

अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

		(₹ करोड़ में)
A	**वर्ष के अंत के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	**31.03.2024**
1	31 मार्च, 2025	14.07
2	31 मार्च, 2026	16.17
3	31 मार्च, 2027	17.92
4	31 मार्च, 2028	19.81
5	31 मार्च, 2029	21.32
6	31 मार्च, 2030 से 31 मार्च, 2034	123.77
7	10 वर्ष से आगे	741.92
B	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	**13 Years**
C	**31 मार्च 2024 को अर्जित लाभ दायित्व**	**330.21**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

तालिका-5

संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2024 तक आधार मान्यताओं पर डीबीओ	330.21
A	**छूट दर**	
	31 मार्च 2024 तक छूट दर	7.00%
	छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(19.48)
	प्रतिशत प्रभाव	-6.00%
	छूट दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	21.57
	प्रतिशत प्रभाव	7.00%

B	**मान्यताएँ**	**31.03.2023**	**31.03.2024**
	छूट दर	7.30%	7.00%
	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0.00%**	0.00%**
	मृत्यु दर - सेवाकाल में	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम
	सेवानिवृत्ति के बाद-मृत्यु दर	भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीग्राही की मृत्यु दर तालिका (2012-15)	भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीग्राही की मृत्यु दर तालिका (2012-15)
	औसत चिकित्सा लागत (आईएनआर)	कार्यकारी कर्मचारी: घरेलू लाभ - 36,000 रुपये प्रति वर्ष	कार्यकारी कर्मचारी: घरेलू लाभ - 36,000 रुपये प्रति वर्ष
		अस्पताल में भर्ती लाभ - 35,000 रुपये प्रति वर्ष	अस्पताल में भर्ती लाभ - 35,000 रुपये प्रति वर्ष
	जीवनसाथी की आयु में अंतर	जीवनसाथी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है	जीवनसाथी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है
	निकासी दर	0.30%	0.30%

** कंपनी के साथ हुई सहमति के अनुसार, चिकित्सा मुद्रास्फीति को शून्य माना गया है क्योंकि कंपनी की चिकित्सा लागत भारत सरकार द्वारा घोषित सीएचजीएस दरों द्वारा शासित है।

नमूना मृत्यु दर

भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम तालिका

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीग्राही की मृत्यु दर तालिका (2012-15)

आयु	दरें
60	0.006349
65	0.010070
70	0.016393
75	0.027379
80	0.046730

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ

कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। यह सुविधा कार्यकारी और गैर-कार्यकारी के लिए अलग-अलग सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना द्वारा कवर की जाती है। 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए कार्यकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ की योजना अलग से "कार्यकारी ट्रस्ट के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना" के माध्यम से संचालित की जाती है। चिकित्सा लाभों के लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

8 अन्य जानकारी

(ए) खंड रिपोर्टिंग

समूह का मुख्य व्यवसाय कोयला खनन और उससे संबंधित सेवाएँ हैं। समूह की सभी गतिविधियाँ मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इस प्रकार, समूह के लिए कोई अलग से रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं।

(बी) प्रति शेयर आय

क्र म सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)
i)	इक्विटी शेयरधारकों को देय कर के बाद शुद्ध लाभ ₹ करोड़ में	11841.37	13457.93
ii)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	13236726	13236726
iii)	कर के बाद शुद्ध लाभ को ध्यान में रखते हुए रुपये में प्रति शेयर मूल और तनु आय (अंकित मूल्य ₹1000/- प्रति शेयर)	₹ 8,945.85	₹ 10,167.11

07.11.2023 को प्रत्येक बकाया इक्विटी शेयर के लिए 1:1 की दर से बोनस शेयर जारी करने के परिणामस्वरूप, इक्विटी शेयरों की बकाया संख्या बढ़कर 1,32,36,726 हो गई है, हालांकि प्रति शेयर आय की गणना के उद्देश्य से, शेयरों की भारित औसत संख्या पर विचार किया गया है जैसे कि बकाया शेयर प्रस्तुत की जा रही प्रारंभिक अवधि की शुरुआत से उपलब्ध हैं। तदनुसार तुलनात्मक अवधि के लिए ईपीएस को फिर से घोषित किया गया है।

भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार नोट 9.1 में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्संरचना के परिणामी प्रभाव के लिए नोट 16 (2) (9) देखें।

(सी) बीमा और वृद्धि दावे

बीमा और वृद्धि दावों का लेखा प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

(डी) चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि।

सामान्य व्यवसाय क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों पर वसूली का मूल्य, बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होगा।

(सी) शेष राशि की पुष्टि

कंपनी के पास बैंकों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। बैंक खातों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। अन्य पक्षों के संबंध में, समाधान किया जाता है और शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र/ईमेल भी आवधिक आधार पर भेजे जाते हैं। ऐसी कुछ शेष राशियाँ पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। यदि कोई समायोजन होता है, तो उसकी पुष्टि/समाधान के समय उसका हिसाब लगाया जाएगा और परिणामों पर इसका कोई भौतिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

(एफ) पृथक राजस्व जानकारी:

नीचे दी गई तालिका भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहक के साथ अनुबंध से राजस्व की आवश्यकता के अनुसार ग्राहक के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व की अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

पृथक राजस्व जानकारी:	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)**
माल या सेवा के प्रकार		
- कोयला	23,809.42	27,824.55
- अन्य	25.34	0.36
कोयले एवं अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	23,834.76	27,824.91

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

ग्राहकों के प्रकार		
- विद्युत क्षेत्र	14,869.43	16,580.63
- अन्य या सेवाएँ	8,939.99	11,243.92
- अन्य या सेवाएँ	25.34	0.36
कोयले एवं अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	23,834.76	27,824.91
अनुबंध के प्रकार		
- एफएसए	19,657.02	18,485.02
- ई नीलामी	4,152.40	9,339.53
- Others	25.34	0.36
कोयले व अन्य की बिक्री से कुल राजस्व 120.82	23,834.76	27,824.91
माल या सेवा का समय		
- किसी समय पर स्थानांतरित किया गया माल	23,809.42	27,824.55
- समय के साथ स्थानांतरित किया गया माल	-	-
- किसी समय पर हस्तांतरित सेवाएँ	25.34	0.36
- समय के साथ हस्तांतरित सेवाएँ	-	-
कोयले एवं अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	23,834.76	27,824.91

(जी) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए बैलेंस शीट की तिथि पर कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(एच) समूह के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ था।

(आई) चालू वर्ष के लिए आयकर गणना के प्रयोजनार्थ, स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए नीति में संशोधन के कारण किए गए वित्तीय पुनर्कथन के कारण 01.04.2022 तक सृजित स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति, जिसकी राशि ₹841.54 करोड़ है, को आयकर प्रावधान के लिए गणना में कटौती के रूप में माना गया है।

9 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष और 1 अप्रैल 2022 तक के लिए पुनर्कथन

"भारतीय मानक लेखा 8, 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय मानक लेखा1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2022 (पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत; क्योंकि उस अवधि से पहले पुनर्कथन अव्यावहारिक है) की अपनी बैलेंस शीट को पूर्वव्यापी रूप से पुनः प्रस्तुत किया है और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण नीचे बताए गए कारणों से प्रस्तुत किया है:

ओपनकास्ट माइनिंग के मामले में, सीआईएल ने अपनी स्थापना के बाद से स्ट्रिपिंग गतिविधि (ओवरबर्डन रिमूवल) की अपनी लेखांकन नीति का लगातार पालन किया है। मौजूदा नीति के तहत स्ट्रिपिंग गतिविधि लागत में दो घटक शामिल हैं अर्थात अग्रिम स्ट्रिपिंग और अनुपात भिन्नता। अग्रिम स्ट्रिपिंग को भौतिक माप के आधार पर चालू संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई थी। अनुपात भिन्नता को परियोजना के जीवन पर ओवरबर्डन हटाने की लागत को समान रूप से फैलाने के लिए गैर-वर्तमान प्रावधानों के रूप में मान्यता दी गई मानक अनुपात पर।

वर्ष के दौरान, कंपनी/समूह की स्ट्रिपिंग गतिविधि नीति पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के लेखा मानक बोर्ड (एएसबी) की राय के आधार पर, भारतीय लेखा मानक 16, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के परिशिष्ट बी सतही खदान के उत्पादन चरण में स्ट्रिपिंग लागत के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि पर एक संशोधित नीति कंपनी/समूह द्वारा लागू की गई है। 31 मार्च, 2022 तक मौजूदा अग्रिम स्ट्रिपिंग शेष को पुनर्निर्धारित वित्तीय विवरणों में नोट 3.1 संपत्ति संयंत्र और उपकरण के तहत 01.04.2022 तक स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों के रूप में माना गया है।

वित्तीय विवरण पंक्ति मदों का समाधान, जिन्हें पूर्वव्यापी रूप से पुनः घोषित किया गया है,जो निम्नानुसार है:

(i) 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2022 तक बैलेंस शीट की पुनः घोषित मदों का समाधान

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

विवरण	टिप्पणी	31.03.2023 तक			01.04.2022 तक		
		जैसा कि पहले बताया गया	समायोजन	पुनर्कथन के अनुसार	जैसा कि पहले बताया गया	समायोजन	पुनर्कथन के अनुसार
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण		11,180.07	1,262.89	12,442.96	9,943.65	841.54	10,785.19
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		-	-	-	-	-	-
कुल संपत्ति		48,647.52	1,262.89	49,910.41	40,409.83	841.54	41,251.37
गैर-वर्तमान प्रावधान		18,477.73	954.67	19,432.40	18,764.50	841.54	19,606.04
अन्य इक्विटी		12,568.53	-5.05	12,563.48	7,485.29	-	7,485.29
विलम्बित टैक्स देयता		913.66	313.27	1,226.93	539.46	-	539.46
कुल शेयर और देनदारियां		48,647.52	1,262.89	49,910.41	40,409.83	841.54	41,251.37

(ii)(a) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः घोषित मदों का समाधान

विवरण	टिप्पणी	जैसा कि पहले बताया गया	समायोजन	पुनर्कथन के अनुसार
कोयले तक बेहतर पहुंच		-	(496.06)	(496.06)
अनुपात विचरण आरक्षित		46.11	(292.53)	(246.42)
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन		(405.66)	405.66	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	13.6	(359.55)	(382.93)	(742.48)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	13.5	860.93	74.71	935.64
कर पूर्व लाभ		18,481.06	308.22	18,789.28
कर व्यय	14.1	5,017.87	313.27	5,331.14
अवधि के लिए लाभ		13,463.19	(5.05)	13,458.14
कुल व्यापक आय		13,508.45	(5.05)	13,503.40

(ii)(b) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में प्रभाव

विवरण	**टिप्पणी**	**राशि**
कोयले तक बेहतर पहुंच		(419.54)
अनुपात भिन्नता रिजर्व		(398.49)
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	13.6	(818.03)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	13.5	162.32
कर से पहले लाभ		15,589.92
कर व्यय	14.1	3,748.37
अवधि के लिए लाभ		11,841.55
कुल व्यापक आय		11,799.45

नोट: उपरोक्त तालिका में डेटा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पी एंड एल खाते में रिपोर्ट की गई वास्तविक स्थिति के अनुसार प्रदान किया गया है, जिसमें संशोधित नीति के अनुसार गणना की गई स्टिपिंग गतिविधि समायोजन पर विचार किया गया है।

(iii) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण का समाधान

विवरण	**जैसा कि पहले बताया गया**	**समायोजन**	**पुनर्कथन के अनुसार**
कर से पहले लाभ		308.22	18,789.28
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		74.71	935.64
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		-382.93	(742.48)
निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	17,825.51	-	17,825.51
प्रावधानों	1,204.78	1,337.60	2,542.38

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

परिचालन से उत्पन्न नकदी	12,862.95	1,337.60	14,200.55
नकदी और नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि / (कमी)	(913.99)	-	(913.99)
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समकक्ष	1,021.09	-	1,021.09
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	107.10	-	107.10

(iv) प्रति शेयर आय का समाधान

उपर्युक्त समायोजनों के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रति शेयर मूल और पतला आय निम्नानुसार बदल गई:

विवरण	जैसा कि पहले बताया गया	समायोजन	पुनर्कथन के अनुसार
बेसिक और डाइल्यूटिड ईपीएस	20,428.72	(10,248.55)	10,180.17

स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन में परिवर्तन के कारण कर पश्चात लाभ के पुनर्कथन के अतिरिक्त, 07.11.2023 को प्रत्येक बकाया इक्विटी शेयर के लिए 1:1 की दर से बोनस शेयर जारी करने के परिणामस्वरूप, इक्विटी शेयरों की बकाया संख्या बढ़कर 1,32,36,726 हो गई है, हालांकि प्रति शेयर आय की गणना के उद्देश्य से, शेयरों की भारित औसत संख्या पर विचार किया गया है जैसे कि बकाया शेयर प्रस्तुत की जा रही प्रारंभिक अवधि की शुरुआत से उपलब्ध हैं। तदनुसार तुलनात्मक अवधियों के लिए ईपीएस को पुनर्कथन किया गया है।

10) अनुपात

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के	अंतर	25% से अधिक विचलन का कारण
(ए) चालू अनुपात: चालू अनुपात किसी कंपनी की समग्र तरलता स्थिति को दर्शाता है। इसका व्यापक रूप से बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के बारे में निर्णय लेने में उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की जाती है।	2.02	1.97	3%	-
(बी) ऋण-इक्विटी अनुपात: ऋण-से-इक्विटी अनुपात कंपनी के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इक्विटी से करता है। ये दोनों संख्याएँ कंपनी की बैलेंस शीट में पाई जा सकती हैं। ऋण-इक्विटी अनुपात की गणना कुल ऋण को शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित करके की जाती है।	0.00	0.00	0%	-
(सी) ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की वर्तमान ब्याज और किस्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ + मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन जैसे गैर-नकद परिचालन व्यय + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान आदि। ऋण सेवा = ब्याज और लीज़ भुगतान + मूलधन चुकौती कर के बाद शुद्ध लाभ" का अर्थ है "अवधि के लिए लाभ / (हानि)" की रिपोर्ट की गई राशि और इसमें अन्य व्यापक आय की मदें शामिल नहीं हैं।	6,890.45	20,671.73	-67%	ऋण सेवा के लिए आय में मामूली कमी आई है, हालांकि एमसीआरएल की ब्याज लागत के कारण ऋण सेवा यानी ब्याज और मूलधन भुगतान में ₹ 1.17 करोड़ (167%) की वृद्धि हुई है। इसलिए विचरण में 66% की कमी आई है।
(डी) इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल: यह कंपनी में निवेश किए गए इक्विटी फंड की लाभप्रदता को मापता है। यह अनुपात बताता है कि कंपनी द्वारा इक्विटी धारकों के फंड की लाभप्रदता का किस तरह उपयोग किया गया है। यह इक्विटी धारकों को मिलने वाले प्रतिशत प्रतिफल को भी मापता है। अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: (करों के बाद शुद्ध लाभ में से वरीयता लाभांश (यदि कोई हो) घटाया जाता है) को औसत शेयरधारक की इक्विटी से भाग दिया जाता है	0.81	1.26	-36%	पिछले वर्ष नेटवर्थ में वृद्धि के कारण पीएटी में 9% की कमी आई है तथा औसत इक्विटी में 41% की वृद्धि हुई है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

(ई) इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात: इस अनुपात को स्टॉक टर्नओवर अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं की लागत या अवधि के दौरान बिक्री और अवधि के दौरान रखी गई औसत इन्वेंट्री के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके साथ एक कंपनी अपनी इन्वेंट्री का उपयोग या प्रबंधन करती है। इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात की गणना बेची गई वस्तुओं या बिक्री की लागत को औसत इन्वेंट्री से विभाजित करके की जाती है। औसत इन्वेंट्री (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) है जब इन्वेंट्री के प्रारंभिक और समापन शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना इन्वेंट्री के समापन शेष द्वारा सीओजीएस या बिक्री को विभाजित करके की जा सकती है।	15.71	18.30	-14%	-
(f) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात: यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्तियाँ का प्रबंधन कर रही है। व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात = शुद्ध क्रेडिट बिक्री / औसत प्राप्य खाते शुद्ध क्रेडिट बिक्री में सकल क्रेडिट बिक्री में से बिक्री रिटर्न घटाया जाता है। व्यापार प्राप्य में विविध देनदार और बिल प्राप्य शामिल हैं। औसत व्यापार देनदार = (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) जब व्यापार देनदारों की क्रेडिट बिक्री, आरंभिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल बिक्री को व्यापार प्राप्तियाँ के समापन शेष से विभाजित करके की जा सकती है।	21.45	33.86	-37%	सकल बिक्री में 10% की कमी और औसत देनदारों में 41% की वृद्धि के कारण व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात में कमी आई है।
(जी) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात: यह दर्शाता है कि किसी अवधि के दौरान विविध लेनदारों को कितनी बार भुगतान किया गया है। विविध लेनदारों को भुगतान करने के लिए नकदी की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए इसकी गणना की जाती है। इसकी गणना शुद्ध ऋण खरीद को औसत लेनदारों से विभाजित करके की जाती है। व्यापार देय टर्नओवर अनुपात = शुद्ध ऋण खरीद / औसत व्यापार देय शुद्ध ऋण खरीद में सकल ऋण खरीद में से खरीद रिटर्न घटाया जाता है जब ऋण खरीद, व्यापार लेनदारों के आरंभिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल खरीद को व्यापार लेनदारों के समापन शेष से विभाजित करके की जाती है।	5.50	5.77	-5%	-
(एच) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात: यह कार्यशील पूंजी का उपयोग करने में कंपनी की प्रभावशीलता को दर्शाता है। कार्यशील पूंजी कारोबार अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: शुद्ध बिक्री को उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित किया जाता है। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = शुद्ध बिक्री / कार्यशील पूंजी शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी। कार्यशील पूंजी की गणना चालू परिसंपत्तियों घटा वर्तमान देनदारियों के रूप में की जाएगी।"	1.75	1.91	-9%	-
(आई) शुद्ध लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है। शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री शुद्ध लाभ कर के बाद होगा। शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी।"	0.50	0.48	3%	-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स (जारी)

(जे) नियोजित पूंजी पर रिटर्न: नियोजित पूंजी पर रिटर्न कंपनी के प्रबंधन की ऋण धारकों और इक्विटी धारकों दोनों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए उतनी ही कुशलता से पूंजी का उपयोग किया जाएगा। आरओसीई = ब्याज और करों से पहले की कमाई / नियोजित पूंजी नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता"	90.75%	130.74%	-31%	यह कमी ईबीआईटी में 18% की कमी और मूर्त नेटवर्थ में 24% की वृद्धि के कारण हुई है
(के) निवेश पर प्रतिफल (संदर्भ: नोट-7): निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा अपनी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, अर्जित लाभ उतना ही अधिक होगा।				
(i) असूचीबद्ध सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: उप-सूचीबद्ध कंपनियों की इक्विटी में लाभांश/औसत निवेश।	0.00%	0.00%	0%	-
(ii) संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश पर आरओआई = प्राप्त लाभांश / जेवी की इक्विटी में औसत निवेश	0.00%	0.00%	0%	-
(iii) निश्चित आय निवेश (बांड/डिबेंचर आदि) पर आरओआई = ब्याज आय/ औसत निवेश	0.00%	7.22%	-100%	पिछले वर्ष उपलब्ध कर मुक्त बांड पिछले वर्ष ही पूर्णतः परिपक्व हुए थे।
(iv) म्यूचुअल फंड पर आरओआई = लाभांश+पूंजीगत लाभ+उचित मूल्य लाभ(हानि)/औसत निवेश	7.12%	5.28%	35%	चालू वित्त वर्ष 23-24 के दौरान, म्यूचुअल फंड ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक प्रतिफल प्रदान किया है।
(v) जमाराशियों पर आरओआई (बैंकों, वित्तीय संस्थाओं सहित आईसीडीएस के साथ) = ब्याज आय/ औसत निवेश	7.04%	6.63%	6%	-

11) विविध जानकारी

i. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है, ताकि उन्हें तुलनीय बनाया जा सके।

ii. नोट - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 11 बैलेंस शीट का हिस्सा बनते हैं और 12 से 13 लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा बनते हैं। नोट - 16 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है।

iii. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20.04.2024 की बैठक में अनुमोदित किया गया है।

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

शिव एवं एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 009989एन

(सनदी लेखाकार शिव प्रकाश चतुर्वेदी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 085084

बोर्ड की ओर से

(संजीब कुमार देबनाथ)
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
DIN : 09712877

(एस परिडा)
कंपनी सचिव

(यू ए कावले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN: 09715213

दिनांक : 20.04.2024
स्थान : संबलपुर

फोरम एओसी-1

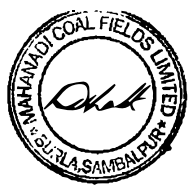
(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसार)

अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग "क": अनुषंगी कंपनियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	अनुषंगी कंपनियों के नाम			
		एमजेएसजे कोल लिमिटेड	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	महानदी कोल रेल्वे लिमिटेड	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
1	रिपोर्टिंग अवधि	01.04.23 से 31.03.24 तक	01.04.23 से 31.03.24तक	01.04.24 से 31.03.24 तक	01.04.23 से 31.03.24 तक
2	रिपोर्टिंग मुद्रा	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
3	शेअर पूंजी	95.10	35.10	382.50	0.05
4	रिजर्व और अधिशेष	(19.60)	7.90	(2.95)	(6.06)
5	कुल परिसंपत्तियाँ	81.75	44.95	452.18	26.50
6	कुल देयताएँ	6.25	1.96	72.63	32.55
7	निवेश	-	-	-	-
8	टर्न ओवर	-	-	20.93	-
9	कराधान पूर्व लाभ	0.90	1.69	(1-58)	(0.04)
10	कराधान हेतु प्रावधान	0.24	0.43	-	-
11	कराधान पश्चात लाभ	0.66	1.26	(1-58)	(0.04)
12	प्रस्तावित लाभांश	0.00	0.00	0.00	0.00
13	31.03.2024 को शेयर धारक का %	60.00	70.00	71.11	100.00



भाग"ख" : सहयोगी और संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण

क्र सं.	विवरण	संयुक्त उद्यम का नाम
1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र दिनांक	-
2	31.03.2024 के अनुसार कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर	-
	सं.	-
	सहयोगी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	-
	धारक % का विस्तार	-
3	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे होता है इसका विवरण	-
4	कारण, क्यों सहयोगी/संयुक्त उद्यम समेकित नहीं है	-
5	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	-
6	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ / हानि	-
	i. समेकन में विचारित	-
	ii. समेकन में गैर विचारित	-

बोर्ड की ओर से

(संजीव कुमार देबनाथ)
महाप्रबंधक(वित्त)

(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

(ए.के. बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
डी.आई.एन : 09712877

(यू ए कावले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन -09715213

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
शिव एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. सं. 009989N

(सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी))
साझेदार
सदस्यता सं. 085084

स्थान: सम्बल्पुर
दिनांक : 20.04.2024











महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी)

मुख्यालय – जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर -768020 (ओड़िशा)

www.mahanadicoal.in